

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार 30 जून 2019 को
समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज के संबंध में
केंद्र सरकार को प्रस्तुत केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट



**भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट
2018-19**



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं. सवि 348 /02.16.001/2019-20

27 अगस्त 2019

5 भाद्रपद 1941(शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली -110 001

प्रिय वित्त सचिव,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज सहर्ष प्रेषित कर रहा हूँ :

- (i) 30 जून 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की एक प्रति जो रिज़र्व बैंक के लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है और जिस पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक ने, उप गवर्नरों ने और मैंने हस्ताक्षर किए हैं; और
- (ii) 30 जून 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के कामकाज पर केन्द्रीय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

शक्तिकान्त दास

शक्तिकान्त दास

केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड

गवर्नर

शक्तिकान्त दास

उप गवर्नर

एन. एस. विश्वनाथन

बी. पी. कानूनगो

महेश कुमार जैन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8(1) (ख) के अंतर्गत नामित निदेशक

प्रसन्न कुमार मोहंती

दिलीप एस. शंघवी

रेवती अय्यर

सचिन चतुर्वेदी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8(1) (ग) के अंतर्गत नामित निदेशक

नटराजन चंद्रसेकरन

भरत नरोत्तम दोशी

सुधीर मांकड

अशोक गुलाटी

मनीष सभरवाल

सतीश काशीनाथ मराठे

स्वामीनाथन गुरुमूर्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

की धारा 8(1) (घ) के अंतर्गत नामित निदेशक

राजीव कुमार

अतनु चक्रवर्ती

स्थानीय बोर्ड के सदस्य

पश्चिमी क्षेत्र

दिलीप एस. शंघवी

वल्लभ रूपचंद भंसाली

पूर्वी क्षेत्र

सचिन चतुर्वेदी

सुनील मित्रा

उत्तरी क्षेत्र

रेवती अय्यर

राघवेंद्र नारायण दुबे

दक्षिणी क्षेत्र

प्रसन्न कुमार मोहंती

(16 अगस्त 2019 की स्थिति)

प्रधान अधिकारी

(19 अगस्त 2019 की स्थिति के अनुसार)

कार्यपालक निदेशक	दीपक कुमार मोहंती
	माइकल डी. पात्र
	एम. राजेश्वर राव
	मालविका सिन्हा
	एस. गणेश कुमार
	उमा शंकर
	पार्वती वी. सुंदरम
	लिलि वडेरा
	रबि एन. मिश्र
	नन्दा एस. दवे
	अनिल के. शर्मा
	सुधा बालकृष्णन (मुख्य वित्तीय अधिकारी)

केंद्रीय कार्यालय

केंद्रीय सतर्कता कक्ष	
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग	
बैंकिंग विनियमन विभाग	
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	
संचार विभाग	
सहकारी बैंक विनियमन विभाग	
सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग	
कॉर्पोरेट सेवा विभाग	
मुद्रा प्रबंध विभाग	
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग	
बाह्य निवेश और परिचालन विभाग	
सरकारी और बैंक लेखा विभाग	
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	
गैर बैंकिंग विनियमन विभाग	
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	
भूगतान और निपटान प्रणाली	
सौरख्यकी और सूचना प्रबंध विभाग	
प्रवर्तन विभाग	
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
विदेशी मुद्रा विभाग	
वित्तीय स्थिरता इकाई	
मानव संसाधन प्रबंध विभाग	
निरीक्षण विभाग	
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
अंतरराष्ट्रीय विभाग	
विधि विभाग	
मौद्रिक नीति विभाग	
परिसर विभाग	
राजभाषा विभाग	
जोखिम निगरानी विभाग	
सचिव विभाग	

महाविद्यालय

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे	
रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै	

कार्यालय

चेन्नै	
कोलकाता	
मुंबई	
नई दिल्ली	

शाखाएँ

अहमदाबाद	
बंगलुरु	
भोपाल	
भुवनेश्वर	
चंडीगढ़	
देहरादून	
गुवाहाटी	
हैदराबाद	
जयपुर	
जम्मू	
कानपुर	
लखनऊ	
नागपुर	
रायपुर	
तिरुवनंतपुरम	

अगरतला	
आइजोल	
बेलापुर	
गंगटोक	
इफाल	
कोच्चि	
पणजी	
पटना	
रांची	
शिलांग	
शिमला	
श्रीनगर	

साधना वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी
डी. सेठी, मुख्य महाप्रबंधक
एच. एन. पांडा, मुख्य महाप्रबंधक
सौरव सिन्हा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
जे. के. दाश, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
योगेश के दयाल, मुख्य महाप्रबंधक
नीरज निगम, मुख्य महाप्रबंधक
रीना बैनर्जी, मुख्य महाप्रबंधक
पी. विजयकुमार, मुख्य महाप्रबंधक
अजय मिश्रियारी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
राजीव रंजन, परामर्शदाता एवं प्रभारी अधिकारी
उषा जानकीरामन, मुख्य महाप्रबंधक
निर्मल चंद, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
दीपक कुमार, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
मनोरजन मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक
अशोक नारायण, मुख्य महाप्रबंधक
पी. वासुदेवन, मुख्य महाप्रबंधक
ओ. पी. मल्ल, प्रभारी अधिकारी
आर. सुब्रमणियम, मुख्य महाप्रबंधक
जी. पी. बोरा, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
आर. एस. राठी, मुख्य महाप्रबंधक
टी. रवि शंकर, मुख्य महाप्रबंधक
अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
आर. गुरुमूर्ती, मुख्य महाप्रबंधक
विवेक दीप, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
आर. एल. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
टी. के. राजन, मुख्य महाप्रबंधक
एम. के. सागर, प्रभारी परामर्शदाता
ए. उन्नीकृष्णन, विधि परामर्शदाता और प्रभारी अधिकारी
जनक राज, प्रधान परामर्शदाता
एम. एम. माजी, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
साधना वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक
गणवीर सिंह, मुख्य महाप्रबंधक
सुशोभन सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

प्रधानाचार्य

एम. सरकार देव
आर. केसवन

क्षेत्रीय निदेशक

एस. एम. नरसिंह स्वामी
एस. सी. मुर्मू
बी. के. मिश्रा
अजय कुमार

एस. के. पाण्डेय

जोस कडूर
विवेक अग्रवाल
एम. के. मल्ल
रचना दीक्षित
राजेश कुमार
मनोरजन दाश
सुब्रत दास
अरुण कुमार सिंह
थॉमस मैथ्यू
तुली रॉय
आर. लक्ष्मी कान्त राव
इंद्राणी बैनर्जी
ए. सिवगामी
रीनी अजित

प्रभारी अधिकारी

तमल बिस्वास, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
मैरी लैलुकिम डेग, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
के. निरखिला, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
आर. वी. संगवाई, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
तंगपुआ एम.एल.एन.सी. ग्वाइट, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
के. पी. पटनायक, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
एस. टी. कन्नन, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
शंकर सुमन, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
संजीव देयाल, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
अनुराग अस्थाना, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
के. सी. आनंद, महा प्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

	पृष्ठ संख्या
भाग एक : अर्थव्यवस्था – समीक्षा और संभावनाएं.....	1
I. मूल्यांकन और संभावनाएं.....	1
वर्ष 2018-19 के अनुभव का सबक	2
2019-20 के लिए संभावनाएं.....	7
II. आर्थिक समीक्षा.....	13
वास्तविक अर्थव्यवस्था	13
कीमतों की स्थिति	32
मुद्रा एवं ऋण	44
वित्तीय बाजार.....	54
सरकारी वित्त.....	62
बाह्य क्षेत्र.....	66
भाग दो : भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली और परिचालन.....	78
III. मौद्रिक नीति परिचालन.....	78
मौद्रिक नीति	78
परिचालन फ्रेमवर्क : चलनिधि प्रबंधन	82
मौद्रिक नीति संचरण	86
क्षेत्रवार उधार दरें.....	88
IV. ऋण सुपुर्दगी एवं वित्तीय समावेशन.....	90
ऋण सुपुर्दगी	91
वित्तीय समावेशन.....	94
वित्तीय साक्षरता	97
V. वित्तीय बाजार और विदेशी मुद्रा प्रबंध	99
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	99
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग.....	102
विदेशी मुद्रा विभाग	104

	पृष्ठ संख्या
VI. विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता	108
वित्तीय स्थिरता इकाई	109
वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन.....	110
वाणिज्यिक बैंक : बैंकिंग विनियमन विभाग	110
सहकारी बैंक: सहकारी बैंक विनियमन विभाग	118
एनबीएफसी : गैर बैंकिंग विनियमन विभाग.....	119
वित्तीय मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण.....	121
बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग.....	122
सहकारी बैंक : सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग	124
एनबीएफसी: गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	126
प्रवर्तन विभाग	127
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	130
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम.....	133
राष्ट्रीय आवास बैंक	133
VII. लोक ऋण प्रबंधन.....	134
केंद्र सरकार के लिए कर्ज प्रबंधन	135
राज्य सरकारों का कर्ज प्रबंधन.....	140
VIII. मुद्रा प्रबंध.....	144
संचलनगत मुद्रा में हुई गतिविधियां.....	144
मुद्रा प्रबंध इन्फ्रास्ट्रक्चर.....	145
प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय.....	147
भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	150
IX. भुगतान और निपटान प्रणालियां तथा सूचना प्रौद्योगिकी.....	151
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग.....	151
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.....	159

	पृष्ठ संख्या
X. संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी	162
संचार प्रक्रियाएं	162
कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई	165
अंतरराष्ट्रीय संबंध	166
सरकारी एवं बैंक लेखा	170
विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन	171
आर्थिक और नीति अनुसंधान	173
सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन	175
विधिक मुद्दे	178
XI. गवर्नेंस, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन	179
गवर्नेंस ढांचा	180
मानव संसाधन संबंधी पहलें	182
उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन	187
रिज़र्व बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण	189
कॉर्पोरेट नीति और बजट प्रबंधन विभाग	191
कॉर्पोरेट सेवा विभाग	193
राजभाषा	193
परिसर विभाग	194
XII. 2018-19 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा	201
तुलन-पत्र	203
30 जून 2019 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	210
आय	223
व्यय	225
अनुबंध: प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम: जुलाई 2018 से जून 2019	228
परिशिष्ट सारणी	235

बॉक्स	
II.1.1	भारत की जीडीपी का तात्कालिक अनुमान 16
II.1.2	भारत के लिए नीतिपरक अनिश्चितता सूचकांक- बिग डाटा विश्लेषण 17
II.1.3	भारत में कारक उत्पादकता के वाहक 21
II.1.4	प्रचुरता की समस्या 25
II.2.1	आपूर्ति शृंखला और खाद्य महंगाई दर डायनेमिक्स 42
II.3.1	बैंक के ऋण देने के व्यवहार में पूंजी की भूमिका 50
II.6.1	विनिर्माण वस्तुओं में भारत की तृतीय बाजार निर्यात स्पर्धा 68
II.6.2	भारत : उभरता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक 70
III.1	वित्तीय और आर्थिक चक्रों के बीच अंतःसंबंध 81
IV.1	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संबंध में विशेषज्ञ समिति 93
IV.2	राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति 96
V.1	ऋण-निवेश में विदेशी संविभाग निवेश हेतु स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) 101
V.2	यूएसडी / आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप: भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन साधनों में एक नया उपाय 103
V.3	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति संबंधी नया फ्रेमवर्क 105
VI.1	वित्तीय नेटवर्कों के माध्यम से जोखिम का प्रसार 109
VI.2	01 अप्रैल 2019 से वृहत एक्सपोज़र फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन 116
VI.3	शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए छत्रक संगठन की स्थापना 119
VI.4	एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क 121
VI.5	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क 125
VI.6	प्रवर्तन नीति तथा फ्रेमवर्क 127
VI.7	प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण के साधनों के रूप में मध्यस्थता तथा समझौता 131
VI.8	जमा बीमाकर्ताओं की आकस्मिक आयोजना तथा संकट प्रबंधन में भूमिका 132
VII.1	राज्य विकास ऋणों में जोखिम असममिति 136

	पृष्ठ संख्या
VIII.1 नोट वापसी नियमावली, 2009 में संशोधन	149
IX.1 टोकन आधारित बनाना (टोकनाइजेशन)	156
IX.2 भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं सहबद्ध सेवाओं (आईएफटीएस) की संगठनात्मक पुनर्रचना	160
X.1 जन जागरूकता अभियान	163
X.2 उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर पूंजी बाज़ार का झुकाव	168
X.3 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के लेन-देनों के प्रत्यक्ष संचालन हेतु प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल	171
X.4 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में सोना - हालिया रुझान	172
X.5 ग्रेन्यूलर डाटा एक्सेस लैब (जीडीएएल)	177
XI.1 रिज़र्व बैंक में प्रशिक्षण और विकास: नयी पहलें	183
XI.2 समान अवसर नीति	186
XI.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति-सिफारिशें और उनका कार्यान्वयन	187
XI.4 परिचालन जोखिम प्रबंधन: स्व-मूल्यांकन का महत्व	190
XI.5 उत्कर्ष 2022 – रिज़र्व बैंक की मध्यावधि कार्यनीति	192
परिशिष्ट सारणी	
1. समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक	235
2. वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें और संरचना (2011-12 की मूल्यों पर)	237
3ए. सकल बचत	238
3बी. हाउसहोल्ड क्षेत्र की वित्तीय बचत	238
4. मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण	239
5. प्राथमिक एवं द्वितीयक - पूंजी बाज़ार	240
6. मुख्य राजकोषीय संकेतक	241
7. केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्ति और संवितरण	242
8. भारत का समग्र भुगतान संतुलन	243
9. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह : देश-वार और उद्योग-वार	244

संक्षेपाक्षर सूची

एबीसीआई	- भारतीय कारोबारी संप्रेषक संघ	सीबीएलओ	- संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व
एसीयू	- एशियाई समाशोधन संघ	सीबीएस	- कोर बैंकिंग समाधान
एई	- उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	सीसीबी	- केंद्रीय बोर्ड की समिति
एआईएफ	- वैकल्पिक निवेश निधियां	सीसीआईएल	- भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
एआईएफआई	- अखिल भारतीय वित्तीय संस्था	सीसीपी	- केंद्रीय प्रतिपक्षकार
एएमआरएमएस	- लेखापरीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली	सीडी	- जमा प्रमाणपत्र
एपीएमसी	- कृषि उपज विपणन समिति	सरसाई	- केन्द्रीय प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री
एआरसी	- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी	सीएफए	- सनदी वित्तीय विश्लेषक
एआरएमएस	- लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति	सीएफएल	- वित्तीय साक्षरता केंद्र
एयूएम	- प्रबंधनाधीन आस्तियां	सीएफआर	- केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री
बीबीपीओयू	- भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई	सीजीएफएस	- वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति
बीसीबीएस	- बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति	सीआईएमएस	- केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली
बीसीएम	- कारोबार निरंतरता प्रबंधन	सीपी	- वाणिज्यिक पत्र
बीसीपी	- कारोबार निरंतरता योजना	सीपीसी	- केंद्रीय वेतन आयोग
बीएफएस	- वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड	सीपीआईएन	- सर्वनिष्ठ पोर्टल पहचान संख्या
बीआईएस	- अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक	सीपीएमआई-आईओएससीओ	- भुगतान एवं बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति – अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
बीपीएसएस	- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड	सीआरए	- आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था
बीआरबीएनएमपीएल	- भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	सीआरएआर	- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
बीएसबीडीए	- मूलभूत बचत बैंक जमा खाता	सीआरआईएलसी	- बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार
बीएसई	- बंबई शेयर बाजार	सीआरआर	- आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीए	- समवर्ती लेखापरीक्षा	सीएसएए	- नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखापरीक्षा
सीएबी	- कृषि बैंकिंग महाविद्यालय	सीएसएफ	- समेकित ऋण-शोधन निधि
कैफरल	- उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र		
सीबीजीजी	- केंद्रीय बैंक अभिशासन समूह		

संक्षेपाक्षर सूची

सीएसआईटीई	- साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण	एफआईएसी	- वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति
सीवीपीएस	- मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली	एफआईसीएन	- जाली भारतीय मुद्रा नोट
डीईए	- जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि	एफआईडीएफ	- फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
डीआईडीएफ	- डेयरी प्रोसेसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड	फिनटेक	- वित्तीय प्रौद्योगिकी
डीआईएफ	- निक्षेप बीमा निधि	एफआईपी	- वित्तीय समावेशन योजना
डीटीएए	- दोहरा कराधान बचाव करार	एफआईआरएमएस	- विदेशी निवेश रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली
ईएएमएस	- एंटरप्राइज़ एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम	एफएमसीजी	- तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तु
ईसीबी	- यूरोपीय केंद्रीय बैंक	एफएमआई	- वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर
ईडीसी	- कार्यपालक निदेशकों की समिति	एफपीआई	- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
ईडीएमएस	- इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली	एफआरबीएम	- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम
ईएमई	- उभरती बाजार अर्थव्यवस्था	एफएसबी	- वित्तीय स्थिरता बोर्ड
ईएमवी	- यूरोपे, मास्टरकार्ड एंड वीजा	एफएसडीसी	- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
ईएनएएम	- राष्ट्रीय कृषि बाजार	एफवीसीआई	- विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक
ईआरएम	- उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन	एफडब्ल्यूजी	- रूपरेखा कार्यदल
ईटीसीडी	- एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव	जीएफसीई	- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय
ईटीपी	- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म	जीएफसीएफ	- सकल स्थिर पूंजी निर्माण
एफएटीएफ	- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल	जीएफडी	- सकल राजकोषीय घाटा
एफबीआईएल	- फाइनैशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जीएनडीआई	- सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय
एफसीसीबी	- विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड	जीआरएफ	- गारंटी मोचन निधि
एफसीआई	- भारतीय खाद्य निगम	जीआरआईएचए (गृह)-	एकीकृत आवासीय आकलन हेतु हरित रेटिंग
एफडीआई	- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	जी-सेक	- सरकारी प्रतिभूति
फेमा	- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम	जीवीए	- योजित सकल मूल्य
एफईटीईआरएस	- विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली	एचएलसीसीएसएम	- मुद्रा भंडारण और संचलन पर उच्च स्तरीय समिति
		एचक्यूएलए	- उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां

संक्षेपाक्षर सूची

एचआरएम-एससी	- मानव संसाधन प्रबंधन उप समिति	आईआरटीजी	- अंतर-विनियामक तकनीकी समूह
एचटीएम	- परिपक्वता तक धारित	आईटी-एससी	- सूचना प्रौद्योगिकी उप समिति
आईबीसी	- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	आईवीआरएस	- इंटरैक्टिव आवाज प्रतिक्रिया प्रणाली
आईसीसीओएमएस	- समन्वित कंप्यूटराइज्ड मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली	केसीसी	- किसान क्रेडिट कार्ड
आईसीएमटीएस	- एकीकृत अनुपालन प्रबंधन एवं ट्रेकिंग प्रणाली	केवाईसी	- अपने ग्राहक को जानिए
आईसीएसडी	- अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार	एलएएफ	- चलनिधि समायोजन सुविधा
आईडीआरबीटी	- बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान	एलबीएस	- अग्रणी बैंक योजना
आईईएसएच	- घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण	एलसीआर	- चलनिधि कवरेज अनुपात
आईएफए	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना	एलईईपी	- नेतृत्व और कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम
आईएफआरएस	- अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक	एलईआई	- विधिक संस्था पहचानकर्ता
आईएफटीएस	- भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं	एलपीए	- दीर्घावधि औसत
आईजीबीसी	- इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल	एलआरएस	- उदारीकृत विप्रेषण योजना
आईजीआईडीआर	- इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान	एलएसई	- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
आईआईबी	- मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड	एलटीवी	- दीर्घावधि वीजा
आईआईबीएम	- भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान	एमसीएलआर	- निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दरें
आईएल एंड एफएस	- इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाईनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड	एमसीएमटीपी	- मध्य-कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम
इन्ड एस	- भारतीय लेखा मानक	एमएचपी	- न्यूनतम धारिता अवधि
आईएमडी	- भारतीय मौसम विभाग	एमआईएस	- प्रबंध सूचना प्रणाली
आईपीओ	- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	एमओई	- त्रुटि ज्ञापन
आईआरएसी	- आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण	एमओयू	- समझौता ज्ञापन
आईआरडीएआई	- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	एमपीसी	- मौद्रिक नीति समिति
		एमएसएफ	- सीमांत स्थायी सुविधा
		एमएसएमई	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
		एमएसपी	- न्यूनतम समर्थन मूल्य
		एमटीएफपी	- मध्यावधि राजकोषीय नीति
		एमटीएम	- बाजार भाव पर दर्शाना

संक्षेपाक्षर सूची

एमयूएनएफआई	- गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता जगत की निगरानी	क्यूआईपी	- अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट
एनएसीएच	- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह	आरबीआईए	- जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
एनसीएफई	- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र	आरबीएससी	- रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय
एनसीएलएटी	- राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण	आरडीबी	- रुपया मूल्यवर्गित बॉन्ड
एनईटीसी	- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण	आरईईआर (रीर)	- वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
एनआईबीएम	- राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान	एसएआरएफईएसआई	(सरफेसी) - वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन
एनएसएफआई	- राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति	एसएआरटीटीएसी	- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता केन्द्र
एनएसएसएफ	- राष्ट्रीय लघु बचत निधि	एसबीएन	- विनिर्दिष्ट बैंक नोट
ओबीआईसीयूएस	- क्रयादेश पुस्तक, स्टॉक और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण	एसडीएल	- राज्य विकास ऋण
ओआईएस	- ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप	एसईएसीईएन	- दक्षिण पूर्व एशियाई केन्द्रीय बैंक
ओएमओ	- खुले बाजार के परिचालन	एसईबीआई (सेबी)	- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
ओपीईसी	- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन	एसएफएमएस	- संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली
ओएसडीटी	- डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना	एसजीबी	- सरकारी स्वर्ण बॉन्ड
ओटीसी	- काउंटर पर	एसआईएफआई	- प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं
पीएडीओ	- लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	एसएलबीसी	- राज्य स्तरीय बैंकर समिति
पीएफसीई	- निजी अंतिम उपभोग व्यय	एसएलसीसी	- राज्य स्तरीय समन्वय समिति
पीएफआरडीए	- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	एसएमई	- लघु और मध्यम उद्यम
पीएलएफ	- प्लॉट लोड फैक्टर	एसपीएमसीआईएल	- सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पीएमएल	- धन शोधन निवारण	एसएससीआई	- सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक
पीओएस	- बिक्री केंद्र	टीआरईडीएस	- व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली
पीपीआई	- प्रीपेड भुगतान लिखत	यूएन	- उद्योग आधार संख्या
पीएसएलसी	- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र	यूएटी	- उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण
		यूएनसीटीएडी	- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन
		यूपीआई	- एकीकृत भुगतान इंटरफेस

संक्षेपाक्षर सूची

वीए-पीटी	- संवेदनशीलता आकलन एवं भेदता परीक्षण	डब्ल्यूएवाई	- भारत औसत आय
वीसीएफ	- जोखिम पूंजी निधि	डब्ल्यूएलए	- व्हाइट लेबल एटीएम
वीआरआर	- स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग	डब्ल्यूएलएओ	- व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर
डब्ल्यूएसीआर	- भारत औसत मांग दर	एक्सबीआरएल	- एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
डब्ल्यूएएम	- भारत औसत परिपक्वता	जेडटीसी	- आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र

यह रिपोर्ट इंटरनेट URL: www.rbi.org.in
पर देखी जा सकती है

भाग एक : अर्थव्यवस्था – समीक्षा और संभावनाएं

I

मूल्यांकन और संभावनाएं

1.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 आधा बीत चुका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा भारत के लिए अल्पकालीन परिदृश्य पर कई अनिश्चितताओं का बोझ है। जनवरी-मार्च 2018 की प्रबल संवृद्धि के बाद परवर्ती महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने लगी। गति का यह नुकसान विभिन्न हिस्सों में पसरा क्योंकि समूचे विश्व में राजनैतिक घटनाक्रमों से अनिश्चितताएं बढ़ीं, विश्व व्यापार ठंडा पड़ा, तथा निवेश पस्त और विनिर्माण कमजोर हो गया। वर्ष 2018 के आरंभिक महीनों से ही वैश्विक घटनाओं-प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के प्रयास; कच्चे तेल की बढ़ती और अस्थिर कीमतें; भू-राजनैतिक तनाव; व्यापारिक तनाव; और ब्रेकिज़ट – के प्रभावों के सम्मिश्रण ने सुरक्षित ठिकानों (सेफ़ हेवन्स) की ओर पलायन प्रारंभ करा दिया और एक आस्ति वर्ग के रूप में पूंजीगत प्रवाहों को उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से बाहर कर दिया। झंझावात के झटकों ने वित्तीय बाजारों को डांवाडोल कर दिया, जिसके परिणाम मुद्रा में मूल्यहास, आस्ति कीमतों में उतार-चढ़ाव, मुद्रा भंडार में गिरावट और समष्टि आर्थिक नुकसान के रूप में आए जिनसे ईएमई अक्टूबर 2018 के आरंभ तक लगभग निरंतर प्रभावित रहीं। वैश्विक घटनाओं के भँवर के कुछ धीमे पड़ने के बाद ही आगामी महीनों में शांति वापस आई। इन नकारात्मक बाह्य घटनाओं से भारत भी अछूता नहीं रहा।

1.2 भारत की वास्तविक जीडीपी ने 2014-18 के दौरान औसतन 7.7 प्रतिशत की और 2018-19 की पहली तिमाही में 8 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की, लेकिन वर्ष 2018-19 के शेष समय में इसने अपना वेग गंवाना शुरू कर दिया। वर्ष 2018-19

की शुरूआत प्रखर हुई लेकिन बाद में अप्रत्याशित अस्थिरता और बदलाव के मोड़ आए जिनका भारत के समष्टि आर्थिक प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा। विभिन्न समयों पर संवृद्धि के संचालकों को गिरावट के झटके लगे। दूसरी तिमाही में सकल स्थाई पूंजी का निर्माण धीमा पड़ा, जो कि परवर्ती तिमाहियों में और भी गहराता गया और इसका दुष्प्रभाव दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में विनिर्माण और निवल निर्यातों पर रहा। शेष विश्व की ही तरह निजी उपभोग समुत्थानशील बना रहा, जिससे सेवाओं को सहारा मिलता रहा। तथापि, वर्ष की दूसरी छमाही से लेकर और इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, भारत में समग्र मांग का यह मुख्य आधार उससे कहीं अधिक कमजोर हुआ है जितनी प्रत्याशा आरंभ में थी। इस बीच तीसरी तिमाही से कृषि और सहायक क्रियाकलापों में मूल्य-वर्धन की वृद्धि में हास हुआ जिसने फलस्वरूप ग्रामीण मांग को नीचे खींच दिया है।

1.3 भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता ने आशा की एक किरण दिखाई जिसमें मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष भी मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से नीचे ही बनी रही; चालू खाता घाटा (सीएडी) चौथी तिमाही (2018-19) में जीडीपी के 1 प्रतिशत से नीचे रहा; और समग्र वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.4 प्रतिशत पर रोका जा सका। आने वाले निवल पूंजी प्रवाहों की तुलना में सीएडी अधिक होने के कारण बाह्य क्षेत्र के समक्ष 2018-19 में मुश्किलें खड़ी हुईं, परंतु आरक्षित मुद्रा भंडार में हुई क्षति की आंशिक भरपाई वर्ष के अंत तक हो गई। तो भी, अभी यह अस्पष्ट है कि इस स्थिरता ने गतिविधियों की गहरी हानि को कम किया या फिर अपने आप में यह धीमेपन

* भारतीय रिज़र्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई-जून है, लेकिन कई चरों से संबंधित आंकड़े वित्तीय वर्ष, अर्थात् अप्रैल-मार्च के आधार पर उपलब्ध होते हैं। अतः आंकड़ों का विश्लेषण वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया है। उपलब्धता के अनुसार, मार्च 2019 के बाद के आंकड़े शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गयी है। विश्लेषण के प्रयोजन से तथा नीतियों का उचित परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए इस रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार पिछले वर्षों के तथा भावी अवधि के संदर्भ भी दिए गए हैं।

का ही लक्षण बनकर आई। यह दुविधा तब और भी गहरी हो जाती है जब इसे वित्तीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों के साथ देखा जाए। बैंकों के बैलेंस-शीटों में चल रहे सुधारों और पूँजी बफर्स के पुनर्निर्माण से दबावग्रस्त आस्तियों की वृद्धि में एक ठहराव आया और संवृद्धि के आवेगों को फिर से बल मिलने की उम्मीद में ऋण प्रवाहों (क्रेडिट फ्लो) में स्पंदन पैदा हुआ। सकल मांग के व्यापक रूप से सुस्त पड़ने से वित्तीय स्थिरता की बहाली में हुई प्रगति भी गैर-बैंकिंग क्षेत्र में चलनिधि और क्रेडिट के दबाव के कारण जोखिम में पड़ सकती है, हालांकि रिज़र्व बैंक इन पर ध्यान दे रहा है।

1.4 भारतीय अर्थव्यवस्था जब 2019-20 के आने वाले शेष समय की ओर देखती है, तो उसके सामने सबसे अहम सवाल है: हमारा सामना किससे है – किसी सॉफ्ट पैच (अल्पावधि सुस्ती) से या किसी चक्रीय अधोगति से या फिर संरचनागत धीमेपन से? यह तय करेगा कि कौन से नीतिगत कदम उठाए जाएंगे – उदाहरण के तौर पर, सॉफ्ट पैच को अनदेखा किया जा सकता है, जबकि चक्रीय अधोगति के लिए जरूरी होगा कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के रूप में प्रतिचक्रीय कार्रवाई की जाए, लेकिन संरचनागत धीमेपन के लिए कठोर सुधार आवश्यक होंगे। रोग की पहचान कठिन है; इन स्थितियों को साफ-साफ सुलझा लेना, कम-से-कम शुरुआती दौर में तो, कठिन है ही। वर्ष 2018-19 के अनुभव से मिली सीख में शायद कुछ नजदीकी उत्तर मिल जाए, जिसकी सहायता से वर्ष 2019-20 के परिदृश्य और आगामी चुनौतियों का आकलन हो पाए।

वर्ष 2018-19 के अनुभव का सबक

1.5 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों में अप्रत्याशित बदलावों और महज इनके आकार-प्रकार के लिहाज से वर्ष 2018-19 की डगर बहुत कठिन रही। इसके अंतर्निहित संचालकों को जानने के लिए इन बड़े घटनाक्रमों को बारीकी से परखें तो अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और उस संदर्भ में नीतिगत परिप्रेक्ष्यों को समझा जा सकता है।

1.6 वैश्विक राजनैतिक पटल पर पूरे वर्ष संरक्षणवादी नीतियों की घोषणा तथा नाम लगाने (लेबलिंग), द्विपक्षीय टैरिफ बढ़ाने,

प्रतिबंधों और प्रतिकार रूप में की जाने वाली कार्रवाइयां छाई रहीं। इन्होंने विश्व व्यापार को गहरा आघात पहुंचाया, वित्तीय बाजारों को बेचैन किया और व्यापार के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने को एकीकृत करने की कोशिश करने वाली कई उन्नत व उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की समष्टि आर्थिक संभावनाओं के लिए समान रूप से जोखिम पैदा किया। इनसे वैश्वीकरण के समापन को लेकर जोरदार चर्चाओं की शुरुआत भी हुई। तो भी, वर्ष के दौरान जो घटनाएं सामने आईं उनसे प्रकट होता है विश्व जुड़ा हुआ है या कम से कम विश्वव्यापी झटकों के प्रति समान रूप से सुभेद्य बना हुआ है।

1.7 कैलेन्डर वर्ष 2018 की प्रथम तिमाही में समष्टि आर्थिक परिणाम यह संकेत देते प्रतीत हुए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक वर्धित प्रसारकारी चरण में थी। प्रबल मांग की प्रत्याशाओं की पुष्टि में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। अत्यधिक उदारवादी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की वकालत हुई और ब्याज दर वृद्धि फेड द्वारा बैलेंस-शीट को कुछ संकुचित किए जाने के कारण और ईसीबी द्वारा मात्रात्मक सुलभता की क्रमशः कमी (टेपरिंग डाउन) के रूप में इसे कुछ समर्थन भी मिला। इसके परिणामस्वरूप उदीयमान बाजारों से पूँजी के बाहर जाने की मची भगदड़ ने क्षेत्रों को लेकर कोई भेद नहीं किया, चाहे वे उच्च संवृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं हों या मंदी की स्थितियों से लड़खड़ाते हुए बाहर आने वाली। प्रतीत हो रहा था कि मूलभूत पक्ष (फंडामेंटल्स) पूँजी प्रवाहों के मुख्य निर्धारक नहीं हैं। आगे साल के अंत की तरफ, जब संवृद्धि-संभावनाएं मरीचिका सिद्ध हुईं और आगामी महीनों में मंदी व्यापक हो गई, तो सभी ईएमई प्रभावित हुईं, भले ही उनमें विकास का स्तर या समष्टि आर्थिक स्थितियों की पृष्ठभूमि चाहे जो रही हो।

1.8 इन घटनाक्रमों से ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावों के विरुद्ध अपने लिए मजबूत बफर बनाने होंगे जो सीमा पार जाते हैं, विशेषतः यह देखते हुए कि न तो वैश्विक सामूहिक कार्रवाई तय है और न ही वैश्विक वित्तीय सुरक्षा कवच। इस संदर्भ में विश्वव्यापी घटनाओं के हानिकारक प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी ओर से अधिकाधिक संवदेनशीलता बरती जाए और खेल के मौजूदा नियमों का

पालन भी हो। उदीयमान बाजारों से होने वाले स्पिल-बैक अब वैश्विक आर्थिक संभावनाओं के लिए एक वास्तविक खतरा बन चुके हैं। बहुपक्षीय समाधान वांछनीय हैं बजाय अदूरदर्शी कार्रवाइयों के जिनसे वैश्विक कल्याण में कमी आती है। वैश्विक अंतर-सम्बद्धता की अधिकता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा इस साल (अप्रैल 2019) की अपनी वैश्विक नीति की कार्यसूची में लिए गए इन्टीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क (आईपीएफ) से आगे का रास्ता मिल सकता है, जिसमें मौद्रिक, विनियम दर, समष्टि विवेकपूर्ण और पूंजी प्रवाह प्रबंधन नीतियों और उनकी अंतर्क्रियाओं पर संयुक्त रूप से विचार की बात है। सहकारिता की भावना और सभी भागीदारों द्वारा इसे स्वीकृति देने पर ही इसकी प्रभावशीलता टिकी हुई है।

1.9 इस विश्वव्यापी मंदी के संक्रमण के कई चैनल हैं। भारत के लिए, मामूली वास्तविक मूल्य-हास के बावजूद निर्यात की मात्रा पहले से कम रही, जो यह दिखाता है कि निर्यात में विदेशी मांग से ही किसी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन तय होता है। इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और 'बाजार के अनुसार कीमत' रणनीति के प्रसार के कारण विनियम दर से होने वाले लाभ (एक्सचेंज रेट पास थ्रू) कम ही रहे। व्यापार की शर्तें एक अन्य चैनल के रूप में आई : ओपेक और उत्पादन कटौती, बढ़ी हुई शेल आपूर्ति और सोशल मीडिया वक्तव्यों के घमासान के बीच इस साल के अधिकांश भाग में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं और अस्थिर रहीं। इस बीच धीमी पड़ रही घरेलू मांग से तेल-इतर बुलियन-इतर आयातों में नरमी आई। एकपक्षीय व्यापारिक कार्रवाइयों की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण अवसरानुकूल निर्यात रणनीति की जरूरत है जो (i) बड़े खिलाड़ियों द्वारा महत्वपूर्ण स्थलों को रिक्त करे और व्यापार के दिशा परिवर्तन से पैदा हुए खाली स्थान को हासिल करे; (ii) उत्पादों और बाजारों की विविधता में तेजी लाए; और (iii) आंतरिक सुदृढ़ता और प्रतिस्पर्धी लाभ पर आगे बढ़े। साथ ही साथ ऐसे प्रयासों को द्विगुणित करना होगा जो विद्यमान संस्थागत व्यवस्था के तहत ही देशों को सहकारी बहुपक्षीय व्यवस्थाओं की तरफ ले जाएं, राष्ट्रों के आत्महित का त्याग करें और ऐसी बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था का सूत्रपात करें जिसमें सभी सम्मिलित हों।

1.10 वर्ष 2018-19 के दौरान के व्यापारिक युद्धों एवं वैश्विक घटनाओं के अन्य स्रोतों ने भारत को एक अन्य मार्ग से भी प्रभावित किया और वह है वित्त और कॉन्फिडेंस के चैनलों का आपसी संगुणन। पोर्टफोलियो पूंजी की वैश्विक घटनाओं के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में अनुमान है कि यह टेपर-टेन्टम अवधि की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। इसका श्रेय 'निष्क्रिय निवेश' रणनीतियों के हावी होने को जाता है, जिसमें निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर्स) किसी सूचकांक विशेष या बेन्चमार्क पर प्रतिलाभों को ट्रैक करते हुए एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड जैसे उपादानों का प्रयोग करते हैं। परिणामस्वरूप, मनोभावों में जोखिम-शुरू जोखिम-खतम के आवर्तनों ने पूंजी प्रवाहों की गतिशीलता और परिवर्तनीयता को बढ़ा दिया, जिसके दुष्प्रभाव वित्तीय बाजारों और आखिरकार आर्थिक क्रियाकलापों तक पहुंच गए। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पारंपरिक रूप से चालू खाता घाटा बना रहता है, व्यवहार्य बाह्य वित्तपोषण, पर्याप्त एहतियाती बफर रखने का एक अतिरिक्त तर्क बन सकता है। वर्ष 2018-19 का अनुभव याद रखना समझदारी होगी जब साल की पहली तीन तिमाहियों में कच्चे तेल की कीमतों के कारण चालू खाता घाटे में हुई वृद्धि के साथ-साथ जोखिम-विमुख पोर्टफोलियो के बाहर चले जाने की वजह से फाइनेंसिंग की जरूरतों को आरक्षित मुद्रा भंडारों (रिजर्व्स) से पूरा करना पड़ा।

1.11 घरेलू विनिर्माण और निवेश में वैश्विक संवेगों के लिए व्यापार चैनल स्वयं ही एक माध्यम बन गया है, जो कि विभिन्न देशों में औद्योगिक उत्पादन में शिथिलता और 'निवेश विमुखता' के लगभग एक साथ घटित होने में दिख रहा है। भारत में औद्योगिक आउटपुट और इसके प्रमुख घटक-विनिर्माण- में 2012-19 के दौरान 4 प्रतिशत से नीचे की गिरावट के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार और आय-सृजन के संदर्भ में वृहत्तर परिणाम हैं। यद्यपि, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सतत कमजोरी से निवेश में गिरावट को लेकर फिक्र सामने आई है तथापि, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं का धीमा निष्पादन भी चिन्ता का कारण है। इसी के साथ प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं की कम्पनियों की बिक्री में भी

गिरावट आई है और एफएमसीजी उत्पादों की मात्रात्मक वृद्धि की दर घटकर इकाई अंकों में आ गई। स्पष्ट है कि विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2018-19 में कमजोर फसल और फसलों की कम कीमतों के कारण ग्रामीण मांग में गिरावट आई है। इससे यह चिंता सामने आई है कि इस समग्र मंदी में उपभोग ने निवेश का साथ ले लिया है, जो कि चिन्ताजनक है क्योंकि जीडीपी का 57 प्रतिशत हिस्सा उपभोग से ही आता है। स्वाभाविक है कि यह चुनौती नीतिगत प्राथमिकताओं में ऊपर आएगी।

1.12 यद्यपि भारत में उपभोग ही घरेलू मांग की आधारशिला है तथापि संवृद्धि की राह में निवेश ही निर्णायक मोड़ लाता है – अर्थव्यवस्था में सुस्थिर उच्च संवृद्धि के चरणों की शुरुआत सामान्यतया निवेश में उछाल से होती है और इसका *व्यतिक्रम* भी उतना ही सही है। निवेश दर – जीडीपी में सकल पूंजी निर्माण के अनुपात से आकलित – वर्ष में गिरकर 32.3 प्रतिशत पर आ गई। वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही से इसमें बहुत मामूली सुधार आ रहा था पर महज 12 माह की अवधि में यह अपनी गति खो रही है। सर्वे-आधारित मापदंडों से ज्ञात होता है कि क्षमता उपभोग का स्तर ट्रेंड से अधिक रहा, जो सामान्यतः नए क्षमता वर्धन में निवेश की वजह होता है। लेकिन, वर्तमान में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का चक्र शांत है – मांग पूरी करने के लिए फर्मों द्वारा क्षमता को बढ़ाने के स्थान पर विद्यमान क्षमता का ही भरपूर दोहन करने को प्राथमिकता दी जा रही है। विनिर्माता कंपनियों की बिक्री में ढलान से मनोभाव (सेंटिमेंट्स) प्रभावित हो रहे हैं। आदिम उत्साह (एनिमल स्पिरिट्स) को हुआ क्या है? इसके केन्द्र में मुद्दा है घरेलू मांग का। और नीति का फोकस क्या होना चाहिए? कारोबार करने में सहजता, उत्पादन के घटकों *यथा* भूमि और श्रम में सुधार; व्यापार के बढ़ते हुए तनावों (जैसा कि पैरा-1.9 में उल्लेख किया गया है) के कारण मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने; और लोक प्राधिकारियों द्वारा पूंजीगत खर्चों का अधिक तेजी से कार्यान्वयन और ऐसे ही अन्य उपायों पर लगातार फोकस किया जाए तो अर्थव्यवस्था में संवृद्धि के आवेग लाए जा सकते हैं।

1.13 वर्ष 2016-17 और 2017-18 में लगातार रिकार्ड पैदावार के कारण कृषि क्षेत्र में, मांग की तुलना में अतिरिक्त

आपूर्ति से नीति निर्धारकों को अतिरिक्त खाद्य प्रबंधन – विशाल बफर स्टॉक; पूरे विश्व में कृषि उत्पादों की अतिरिक्त आपूर्ति के चलते अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कम व्यवहार्य अवसर; भारत में संरचनागत रूप से खाद्य की कम कीमतें; और कम कृषि आय, और ये सब एक स्वपोषित चक्र में – के पूर्वानुभव संशय (डेजा वू) का सामना करना पड़ा है। मूलभूत तथ्य यह है कि कुल श्रमसंख्या का 44 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है जो लगभग 3.1 प्रतिशत (2011-12 से 2017-18) की औसत वार्षिक संवृद्धि के साथ सकल वर्धित मूल्य का लगभग 17 प्रतिशत ही उत्पन्न कर पाता है।

1.14 मूल्य स्थिरता के लिए निम्न खाद्य मुद्रास्फीति के लाभ को बनाए रखते हुए कृषकों की आय स्तर को बढ़ाना वर्ष 2018-19 में एक विकट चुनौती के रूप में सामने आया। एमएसपी, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, आपूर्ति से जुड़ी मूलभूत संरचनाओं जैसे कि सिंचाई, निविष्टियों की उपलब्धता और 'ई-नाम' के जरिए एपीएमसी को जोड़ने जैसी सामान्य सहायताओं के साथ ही केंद्र सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री किसान योजना और उप-राष्ट्रीय स्तर पर विविध योजनाओं के तहत प्रभावी आय अंतरण एक पसंदीदा नीतिगत पहल के रूप में उभरा। अब समय आ गया है कि कृषि क्षेत्र के प्रति समग्र नजरिए और नीतिगत हस्तक्षेपों पर पुनः विचार किया जाए। राज्यों द्वारा एपीएमसी नियमों में बदलाव अभी भी अधूरा पड़ा है, जो कृषि उत्पादों के मार्केटिंग सुधारों में बाधक साबित हो रहा है अन्यथा इससे थोक खरीदारों, खुदरा विक्रेताओं एवं निर्यातकों को सीधे ही किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद करना आसान हो जाता। इससे किसानों को निश्चित कीमत हासिल करने और बाजार पाने में मदद मिलेगी। यदि इसे पूरा कर लिया जाए तो कृषि विपणन के क्षेत्र में यह एक निर्णायक सुधार होगा जो संपूर्ण मूल्य शृंखला में नए निवेशों को आकर्षित करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से मांग में तेजी आएगी और अपव्यय से जुड़ा घाटा कम होगा। यद्यपि समय के साथ कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ी है लेकिन भारत में बैक-एंड में अभी भी ऐसे समूहन बिंदुओं की कमी है जहां पर कृषि उत्पादों को भंडारित, ग्रेडवार पैकिंग, पूर्व-शीतलित किया जा सके एवं उनके अंतिम गंतव्यों तक भेजा जा सके। शीत आपूर्ति शृंखला

नेटवर्क में निवेश ही वह कुंजी है जिस पर भविष्य में ताजा उत्पादों की धारा प्रवाह सुपुर्दगी का दारोमदार है। ग्रामीण सड़कों एवं परिवहन की आधारभूत संरचना में निवेश के द्वारा आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाया जा सकता है ताकि संघटित एवं स्थानीय टकराव रहित बाजारों में किसानों को ऊँची कीमतें दिलवाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।¹

1.15 वित्तीय क्षेत्र की ओर रुख किया जाए तो हम पाते हैं कि पहचान, सुधार एवं समाधान के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (जीएनपीए) पिछले वर्ष के 11.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 9.1 प्रतिशत पर पहुंच गया। नई गिरावटों में कमी आई और प्रणाली-स्तरीय प्रावधान कवरेज अनुपात जो हाल तक 50 प्रतिशत के आस-पास बना हुआ था, उछलकर 60.9 प्रतिशत पर पहुँच गया। वर्ष 2019-20 के बजट आबंटन सहित ₹2.7 ट्रिलियन रुपए के पुर्नपूँजीकरण से पूँजीगत बफ़र में मजबूती आई। दबावों के घटने से बैंक क्रेडिट प्रवाह फिर जाग उठा है और उसमें व्यापकता आ रही है।

1.16 शुरुआती तीव्र रुकावटों के बाद, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पांसा पलटनेवाला साबित हो रहा है, वसूली में क्रमिक सुधार आने के फलस्वरूप निवेश चक्र की संभावित राह में आनेवाली बाधाएं दूर हो रही हैं। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जून 2019 में बनाए गए मानकों में समाधान प्रक्रिया पर उधार देनेवालों को विवेकाधिकार मिलने से त्वरित समाधान को बढ़ावा मिला है। उद्देश्य यह है कि अनर्जक आस्तियों के भावी

दबाव की घेराबंदी कर बैंकिंग क्षेत्र को उससे सुरक्षित किया जा सके। बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क को संशोधित किया गया ताकि संकेंद्रण जोखिमों एवं एक्सपोजरों का अधिक सटीकता से पता लगाया जा सके और इस फ्रेमवर्क को अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट पद्धतियों के अनुरूप बनाया जा सके। घरेलू स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों एवं अन्य बैंकों के लिए न्यूनतम लीवरेज अनुपात में संशोधन किया गया है ताकि बासेल III मानकों के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

1.17 खराब आस्तियों के बढ़ते अंबार ने जहां बैंकिंग प्रणाली द्वारा दी जानेवाली उधारी में बाधा उत्पन्न की वहीं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) मध्यस्थ के रूप में सामने आईं। जैसा कि वर्ष 2018-19 की घटनाओं ने दर्शाया, आस्ति देयता असंतुलन के साथ ही विवेकहीन अति और अत्यधिक ओवरलीवरेजिंग थी। यद्यपि, बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में एनबीएफसी का हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत है तथापि, छिटपुट एवं बड़ी ऋण घटनाओं से उपजे दबाव तथा चलनिधि की कमी की व्यापक धारणा ने उजागर किया कि किस हद तक वित्तीय प्रणाली एवं प्रणालीगत प्रभाव आपस में जुड़े हुए हैं। एनबीएफसी के विनियामक फ्रेमवर्क एवं चलनिधि को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों में इस अनुभव का उपयोग होगा, विशेषतः विनियामक अंतरपणन (रेग्युलेटरी आर्बिट्राज) को हटाए जाने के प्रयासों में।

¹ कृषि उत्पाद बाजार विनियमन अधिनियम ने राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया कि वे थोक बाजारों की विपणन पद्धतियां स्थापित करें एवं उनका विनियमन करें। समय के साथ, बिचौलियों की बढ़ती संख्या ने किसानों एवं उपभोक्ताओं के बीच एक दीवार सी खड़ी कर दी। राज्य द्वारा विनियमित बाजारों में कमीशन एजेंटों के लाइसेंसिंग से लाइसेंसी व्यापारियों के एकाधिकार को बढ़ावा मिला और नए उद्यमियों के बाजार में दाखिल होने में प्रमुख बाधा साबित हुआ। फलस्वरूप, कृषि विपणन सुधारों (2002) पर गठित अन्तर-मंत्रालयी कार्यदल ने यह सिफारिश की कि कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि प्रत्यक्ष विपणन एवं निजी तथा सहकारी क्षेत्र द्वारा कृषि बाजारों की स्थापना के लिए अनुमति दी जा सके जिससे विपणन अधिक कुशलता से हो एवं निजी निवेश के अनुकूल माहौल बनाया जा सके। इस पर कार्य करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के परामर्श से कृषि विपणन पर राज्यों के लिए एक मॉडल अधिनियम प्रस्तावित किया। कुल मिलाकर 19 राज्यों ने अपने एपीएमसी नियमों में संशोधन किया है ताकि थोक विक्रेता, खुदरा व्यापारी एवं निर्यातक सीधे ही किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद कर सकें। उड़ीसा, नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने निजी बाजार यार्ड/निजी बाजार स्थापित किए हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों ने कृषि उत्पादों के ई-कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पण्य बाजार नियामक – वायदा बाजार कमीशन के तहत पंजीकृत पण्य एक्सचेंजों को प्रत्यक्ष विपणन लाइसेंस भी प्रदान किए हैं। संशोधित एपीएमसी अधिनियम को सही तरीके से लागू करने पर कृषक उत्पादक संगठनों एवं स्व सहायता समूहों से कारोबारी जगत सीधे संपर्क कर कृषि उत्पाद खरीद सकेगा। इससे किसानों को नियत कीमतों एवं बाजार में पहुँच का फायदा मिलेगा तथा कारपोरेट इकाइयों को बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने एवं गुणवत्ता नियंत्रण के आश्वासन का लाभ भी मिल सकेगा।

1.18 कम नकदीवाली अर्थव्यवस्था की दिशा में भुगतानों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग को बढ़ाने में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेन-देनों में 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और पिछले वर्ष के 14.6 बिलियन से बढ़कर 23.3 बिलियन हो गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल खुदरा भुगतान में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की मात्रा पिछले वर्ष के 92.6 प्रतिशत से बढ़कर 95.4 प्रतिशत हो गई। फिनटेक एवं डिजिटलीकरण संवृद्धि के नवीन वाहक के रूप में सामने आए। हालांकि नीतिगत चुनौती डाटा एवं टेक्नालाजी के दुरुपयोग से जुड़े जोखिमों को कम करने के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार का संतुलन बिठाने की है ताकि आम जनता का विश्वास और भरोसा कायम रहे तथा भुगतान एवं निपटान प्रणाली की दक्षता एवं सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। 'रिपोर्ट ऑन बेंचमार्किंग इंडियास पेमेंट सिस्टम्स (जून 2019)' में भारतीय भुगतान प्रणालियों का व्यापक मूल्यांकन बताता है कि डिजिटल लेन-देन से जुड़े कई मानकों, टेक्नोलॉजी, मूलभूत संरचना तथा भुगतान और निपटान नियम एवं विनियम के मामले में अपने समकक्ष देशों की तुलना में भारत आगे/मजबूत स्थिति में है। बावजूद इसके, जैसा कि गत वर्ष का अनुभव रहा, यही वे क्षेत्र हैं जिनमें विनियामकों को सतत नवोन्मेषी प्रयास करने हैं और खुदरा भुगतान व निपटान प्रक्रियाओं में हो रही प्रगति तथा भुगतान लिखतों के चयन के संबंध में समय के साथ चलना है। हालांकि इसमें उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुई है, फिर भी विशाल संभावनाएं मौजूद हैं।

1.19 इन घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में पहले उठाए गए प्रश्न पर वापस आना उपयुक्त होगा। सकल और क्षेत्रगत आर्थिक गतिविधि के विभिन्न मौसमी समायोजित संकेतकों को प्रवृत्ति एवं चक्रीय घटकों में अलग-अलग करके देखें तो यह संकेत मिलता है कि हालिया नरमी ऐसी अल्पावधि सुस्ती (सॉफ्ट पैच) हो सकती है जो चक्रीय अधोगति में बदले न कि गहरी संरचनागत मंदी में। हालांकि, अभी भी भूमि, श्रम, कृषि विपणन आदि में

संरचनागत मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है। अलग-अलग विश्लेषण इस बात की पुष्टि करते हैं कि विनिर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण, निर्माण एवं कृषि जैसे कई क्षेत्रों में व्यापक चक्रीय गिरावट चल रही है। तथापि, यह देखा जाना महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2016-17 से रुझान संवृद्धि (ट्रेंड ग्रोथ) में थोड़ी नरमी आई है जिसके लिए सेवा क्षेत्र, विशेषकर व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण तथा वित्तीय, रियल इस्टेट एवं पेशेवर सेवाएं जिम्मेदार हैं। इन क्षेत्रों की समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान किए जाने की जरूरत है ताकि व्यापक बेहतरी हासिल की जा सके।

1.20 इन सरलीकृत तथ्यों एवं अनुभवजन्य निष्कर्षों ने वर्ष 2018-19 के दौरान मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की दिशा तय की। इनका ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए कि यदि गिरावट लंबी खिंचे तो कम से कम यह जाना जा सके कि प्रति-चक्रीय नीतिगत कार्रवाइयों की कितनी गुंजाइश है।

1.21 राजकोषीय नीति से शुरुआत करें तो, बावजूद इसके कि जीएसटी व अन्य अप्रत्यक्ष करों और आय कर में भी होनेवाले संग्रहण में कमी से समग्र कर-संग्रहण उछाल में गिरावट आई, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा मोटे तौर पर वर्ष 2018-19 के बजट लक्ष्य के अनुरूप रहा। खर्च की दृष्टि से देखा जाए तो पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में आकलित खर्चों की गुणवत्ता में जो सुधार वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में हुआ था उसे वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कायम नहीं रखा जा सका। इसके अलावा, 2007-08 से ही प्राथमिक अधिशेष (सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने के बाद) हासिल नहीं किया जा सका है।

1.22 राज्यों के मामले में, 2018-19 के लिए वास्तविक राजकोषीय स्थिति पर कृषि-ऋण माफी, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन और आय समर्थक योजनाओं के

वित्तपोषण का प्रभाव पड़ना जारी रह सकता है। फलस्वरूप, आवश्यकतापड़नेपर अर्थव्यवस्था को दिए जाने वाले राजकोषीय प्रोत्साहन की गुंजाइश बहुत कम है। फिर भी केंद्र एवं कुछ राज्यों द्वारा मकान किराया भत्ता एवं 7वें वेतन आयोग से जुड़े क्रमिक एरियर भुगतान के बाद एक अल्प राजकोषीय प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) को छोड़ दें तो, वास्तविक जीडीपी संवृद्धि वर्ष 2017-18 में 0.8 प्रतिशतता अंक एवं 2018-19 में 0.3 प्रतिशतता अंक से कम रहती।

1.23 उभरते मुद्रास्फीति एवं संवृद्धि समीकरण में विपरीत बदलावों को संभालने के लिए मौद्रिक नीति के संचालन को द्विपक्षी होना पड़ा। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की ऊँची कीमतों, वित्तीय बाजार की उथल-पुथल एवं मजबूत अंतर्निहित मुद्रास्फीति के चलते बढ़ते मुद्रास्फीतिकारक दबावों को देखते हुए मौद्रिक नीति को सख्त किया गया। अक्टूबर 2018 में नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की संचयी बढ़ोतरी के बाद नीतिगत रुख को तटस्थता से नपी-तुली सख्ती की ओर मोड़ा गया। तथापि, आनेवाले महीनों में व्यक्तिगत आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों में नाटकीय बदलाव आया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते मुद्रास्फीति में सुधार हुआ और खाद्य पदार्थों की कीमतें अपस्फीति में डूब गईं। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2018-19 में औसतन 3.4 प्रतिशत रही, यानी मौजूदा मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अंतर्गत संदर्भाधीन अवधि में लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम। यद्यपि मुद्रास्फीति जोखिम कम हुए लेकिन बिगड़ते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के चलते घरेलू गतिविधि धीमी पड़ गई। तदनुसार, फरवरी 2019 में नीतिगत दर में कटौती की गई और मौद्रिक नीति रुख को बदलकर तटस्थ किया गया। जैसा कि अगले भाग में विस्तार से बताया जाएगा, इसके बाद और भी निभावकारी एवं चलनिधि संबंधी कार्रवाइयां की गई हैं ताकि प्रणाली में चलनिधि भरपूर रहे।

1.24 पूरे 2018-19 में, रिजर्व बैंक ने सक्रिय रूप से विभिन्न परिपक्वताओं वाली रेपो/रिवर्स रेपो, पूर्णतया खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) एवं विदेशी मुद्रा स्वैप जैसे विभिन्न प्रकार के लिखतों के माध्यम से चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित की। जून-अगस्त 2018 के दौरान नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की प्रतिक्रिया में बैंकों की जमा एवं उधार दरों में वृद्धि हुई। तथापि, अलग-अलग क्षेत्रों में इसका संचरण असमान रहा और सर्वाधिक असर नए रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) पर हुआ जिसमें जून 2018-जनवरी 2019 के दौरान 57 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई। फरवरी 2019 की मौद्रिक नीति कार्रवाई के बाद, जिसे अप्रैल एवं जून में पुनः बल दिया गया, बैंकिंग प्रणाली एवं वित्तीय बाजारों में ब्याज दरों में मामूली नरमी आई। इसके बारे में आगामी खंड में चर्चा की जाएगी।

2019-20 के लिए संभावनाएं

1.25 वर्ष 2019-20 आगे बढ़ रहा है और समष्टि-आर्थिक परिवेश उलझा सा है एवं वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता अनुभव की जा रही है। वैश्विक आर्थिक गतिविधियां जनवरी-मार्च 2019 के दौरान बहाल हो जाएंगी, खासतौर से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ कि मंदी के हालात को देखते हुए मौद्रिक नीति का रुख सुलभ किया गया था। कच्चे तेल की कीमतें नरम बनी रहीं और वित्तीय बाजार ने अपना खोया हुआ आधार कुछ हद तक वापस पा लिया। लेकिन आने वाले महीनों में जो आंकड़े सामने आए उन्हें देखते हुए ये उम्मीदें झूठी साबित हुईं। क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) धीमा पड़ गया है, यहाँ तक कि कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इसमें गिरावट के संकेत हैं। जोखिम की भूख कम हो गई है तथा बॉण्डों के ऋणात्मक प्रतिफल का संसार उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में फैल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई प्रकार के अधोमुखी जोखिम सच साबित होने लगे हैं जैसे व्यापार संबंधी तनाव, भू-राजनैतिक विवाद बढ़ते जा रहे हैं, और ईएमई में नये सिरे से वित्तीय अस्थिरता क्योंकि पोर्टफोलियो प्रवाहों में कमजोरी के संकेत मिलने लगे हैं। इन अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय बाजारों में बेचैनी और अस्थिरता बनी हुई है, जो विश्व के संवृद्धि संबंधी पूर्वानुमानों के बार-बार डाउनग्रेड होने में दिखाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि आईएमएफ का अनुमान

है कि विश्व की समृद्धि दर पिछले वर्ष के 3.6 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2019 में 3.2 प्रतिशत हो जाएगी जो कि अक्टूबर 2018 से लेकर अब तक कमी करने वाला लगातार चौथा संशोधित पूर्वानुमान है। केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में कटौती करते हुए अधिकांशतः निभावकारी नीति अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्थिति ने इन आशंकाओं को और भी हवा दी है कि विश्व की अर्थव्यवस्था उससे कहीं ज्यादा कमजोर हो सकती है जितना हेडलाइन के आंकड़े संकेत दे रहे हैं।

1.26 भारत के संबंध में, एमपीसी ने अगस्त 2019 की अपनी बैठक में यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2019-20 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.9 प्रतिशत रहेगी, जिसमें जोखिम का झुकाव कुछ नीचे की ओर होगा। 2019-20 के वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पहला अनुमान फरवरी 2019 में सार्वजनिक करने के बाद से एमपीसी ने अपने अनुमान को 50 आधार अंक तक कम कर दिया है। इस आधारगत अनुमान (बेसलाइन फोरकास्ट) की हाल में प्राप्त होने वाले डाटा से तुलनात्मक समीक्षा उपयोगी होगी।

1.27 उत्पादन क्षेत्र से शुरुआत करें तो हम पाते हैं कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून जिसका प्रभाव कृषि क्षेत्र के कार्य-निष्पादन (समग्र आर्थिक गतिविधियों का 14.4 प्रतिशत) पर पड़ता है, जमीन पर एक सप्ताह विलंब से 8 जून को आया और वायु नामक तूफान के कारण रुक गया। दक्षिण-पश्चिम मानसून की गति मध्य जुलाई से तेज हुई और 19 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में वर्षा दीर्घकालिक औसत (एलपीए) से 2 प्रतिशत ऊपर रही। स्थान की दृष्टि से, मध्य भारत व दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश एलपीए से अधिक रही जबकि अन्य दो मौसम क्षेत्रों - उत्तर पश्चिम भारत (2 प्रतिशत) तथा पूर्व व उत्तर पूर्व भारत (14 प्रतिशत) - में एलपीए से कम रही। अंतिम कुछ हफ्तों में भरपाई के बावजूद खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में 16 अगस्त 2019 की स्थिति के अनुसार 4.2 प्रतिशत कम थी। अनाजों का बफर स्टॉक 1 अगस्त 2019 की स्थिति के अनुसार मानक से 1.9 गुना अधिक था, किंतु अन्य फसलों के मामले में आपूर्ति-माँग के बीच असंतुलन को देखते हुए यदि खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित रखना है तो आयात करने की ज़रूरत पड़ सकती है। 4 जुलाई को वर्ष 2019 की खरीफ़ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.1-9.2 प्रतिशत तक वृद्धि की घोषणा की गई।

1.28 कृषकों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से संघीय बजट में नये कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने, ई-नाम के फ़ायदों को बड़ी संख्या में कृषकों को पहुँचाने तथा शून्य बजट की खेती की शुरुआत करने की रणनीति की बात कही गई है। जहाँ तक संबद्ध गतिविधियों के क्षेत्र का संबंध है, बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का प्रस्ताव किया गया है ताकि अच्छी मत्स्य-पालन प्रबंधन संरचना स्थापित की जा सके। आय में सहारा देने वाले उपायों के अलावा बजट में ग्रामीण बुनियादी सुविधा, सिंचाई तथा विपणन सहित खेती के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

1.29 विनिर्माण और खनन क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन के कारण औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अप्रैल-जून में गिर गया। दूसरी ओर, बढ़ती हुई माँग के कारण बिजली उत्पादन में मज़बूत वृद्धि ने धीमेपन को कुछ कम किया और यही स्थिति जून में भी कायम रही। उपयोग की दृष्टि से देखें तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन मंद रहा, जो निवेश चक्र में बेहतरी के आने के इंतज़ार में है। सीमेंट उत्पादों के कारण बुनियादी सुविधा की वस्तुओं के उत्पादन में धीमापन आना निर्माण गतिविधियों में अल्पावधि सुस्ती (सॉफ्ट पैच) का संकेत हो सकता है: जो निर्माण क्षेत्र के एक अन्य संकेतक इस्पात ने 2019-20 की पहली तिमाही में अपनी गति बनाए रखी है। हाल की एक सकारात्मक घटना अप्रैल-जून 2019 के दौरान उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उपयोग में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि रही है, अलबत्ता यह काफी हद तक सूर्यमुखी तेल के उत्पादन एवं मलेरिया-रोधी औषधियों पर निर्भर है। दूसरी ओर, आँटो क्षेत्र (दुपहिया सहित) और भारी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (व्हाइट गुड्स) के उत्पादन में सुस्ती के साथ उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन कमजोर रहा और वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में घट गया। जून 2019 में आठ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन धीमा पड़ गया था जिसका बड़ा कारण पेट्रोलियम उत्पाद था, जो प्रमुख रिफ़ाइनरियों के अनुरक्षण हेतु अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाने से प्रभावित हुआ था। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में शांत बने रहने के बाद विनिर्माण क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जुलाई 2019 में बढ़ा जो उत्पादन में गति आने, नये घरेलू आदेश मिलने तथा रोजगार द्वारा संचालित था।

1.30 जहाँ तक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का संबंध है वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में संपाती संकेतकों के सिगनल मिले-जुले स्वरूप के थे। परिवहन उप-क्षेत्र में, वाणिज्यिक (कमर्शियल) वाहनों की बिक्री में 2019-20 की पहली तिमाही में 9.5 प्रतिशत की गिरावट हुई एवं जुलाई 2019 तक जारी रही, जिसका आंशिक कारण प्रतिकूल आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट) रहा है। सवारी वाहनों की बिक्री 2019-20 की पहली तिमाही में 18.4 प्रतिशत कम हो गई, जो शहरी क्षेत्र की माँग के घटने की ओर इशारा करती है। प्रमुख बंदरगाहों पर 2019-20 की पहली तिमाही में हैंडल किए गए कार्गो में वृद्धि 1.5 प्रतिशत पर धीमी बनी रही, जो निश्चित रूप से इस बात को दर्शाती है कि विश्व के व्यापार में मंदी की वजह से निर्यात और आयात की स्थिति ढलान पर थी। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री व मालवाहक (कार्गो) ट्रैफिक अप्रैल-जून 2019 में घट गया, जिसका मुख्य कारण एक प्रमुख घरेलू एयरलाइन की सेवाओं के बंद होने का असर रहा है। लेकिन, जून में छुट्टियों के मौसम में तेज़ी आई और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या सुधरी तथा उसकी वृद्धि दर क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत रही। आतिथ्य उप-क्षेत्र (हॉस्पिटैलिटी सब सेक्टर) में, अप्रैल-जून 2019 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो एक वर्ष पूर्व के 1.2 प्रतिशत से अधिक थी। संचार उप-क्षेत्र में, टेलीफोन ग्राहकों का आधार लगातार बढ़ रहा है, तथा अप्रैल-मई 2019 में ब्रॉडबैंड सेवाओं में हुई अच्छी वृद्धि कायम है। वित्तीय सेवाओं ने अपनी वृद्धि की हालिया रफ्तार को कायम रखा है जहाँ कि संपाती संकेतकों- बैंक क्रेडिट और सकल जमा- ने 2 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 12.2 प्रतिशत तथा 10.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अप्रैल-जून 2019 के दौरान जीवन बीमा प्रथम वर्ष प्रीमियम ने भी तेज़ी दिखाई और 65.1 प्रतिशत की ज़बरदस्त वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। साथ ही, 2018-19 की पहली तिमाही की तुलना में 2019-20 की पहली तिमाही में 9.8 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए जीवन-बीमा से इतर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम ने भी गति बरकरार रखी है।

1.31 सकल माँग के संकेतकों की ओर रुख करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में शहरी तथा ग्रामीण दोनों घटकों

में मंद हुआ है। दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की देर से शुरुआत तथा उसके असमान वितरण से फ़सल के उत्पादन तथा ग्रामीण उपभोग की माँग के घटने का जोखिम हो सकता है। यह बात वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में मोटर साइकिल और ट्रैक्टर्स की बिक्री में क्रमशः 8.8 प्रतिशत तथा 14.1 प्रतिशत की तीव्र गिरावट से पहले ही सिद्ध हो चुकी है। हाल के समय में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में जो तेज़ी आई है, यदि उसे बनाए रखा गया तो वह एक बफर हो सकता है। जहाँ तक शहरी माँग का संबंध है, यात्री-कार की बिक्री और घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में हाल के महीनों में गिरावट दर्ज की गई है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन जून 2019 में घट गया था (-5.5 प्रतिशत) क्योंकि टीवी सेट, हैंड टूल्स, सवारी वाहन, बिजली के उपकरण तथा दुपहिया वाहनों के उत्पादन में कमी हो गई थी।

1.32 वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई), जैसा कि संघ सरकार के राजस्व व्यय में दिखा है, ब्याज भुगतान तथा सब्सिडी को घटाने के बाद पिछले वर्ष के 14.5 प्रतिशत की तुलना में काफी कम 1.7 प्रतिशत पर था। राज्य सरकारों के मामले में यह धीमापन काफी तीव्र था।

1.33 सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) संकेतकों ने वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में या तो संयमन (मॉडरेशन) या संकुचन (कॉन्ट्रैक्शन) दर्ज किया है। रिहायशी स्थानों अन्य भवनों एवं ढांचों में निवेश जो निर्माण सकल मूल्य योजन (जीवीए) द्वारा जाना जाता है, संभावित रूप से मंद रहा क्योंकि सीमेंट का उत्पादन एक वर्ष पूर्व के 16.3 प्रतिशत से घटकर अप्रैल-जून 2019 में 1.2 प्रतिशत हो गया था। इस्पात की खपत एक वर्ष पूर्व की 8.8 प्रतिशत के स्तर से नीचे गिरकर 2019-20 की पहली तिमाही में 6.6 प्रतिशत हो गई। अप्रैल-जून 2019 में पूंजीगत माल के उत्पादन में लगभग 2.4 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 8.6 प्रतिशत) का गिरावट हुई तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 2019-20 की पहली तिमाही में गिरावट दर्ज की गई।

1.34 माँग को जागृत करने की दृष्टि से बुनियादी ढाँचे को आगे बढ़ाने के अनेक उपाय किए गए। इन उपायों में शामिल हैं राष्ट्रीय

महामार्ग कार्यक्रम की व्यापक पुनर्चना ताकि अपेक्षित लंबाई और क्षमता का राष्ट्रीय महामार्ग ग्रिड सृजित किया जा सके; रेलवे संबंधी बुनियादी ढाँचे जैसे ट्रैक का विकास और इसको पूरा करना, रोलिंग स्टॉक विनिर्माण तथा सवारी किराया सेवाएं देने के लिए सरकारी निजी सहभागिता (पीपीपी); और एयर क्राफ्ट वित्तपोषण, पट्टेदारी, तथा अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) के लिए भारत को हब बनाना। परंपरागत उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्सृजन हेतु निधि योजना(एस एफ यू आर टी आई) से यह आशा की जाती है कि यह परंपरागत श्रमिक बहुल उद्योगों पर जोर देते हुए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी। अर्थव्यवस्था में कारोबारी सुगमता के लिए श्रमिक विनियमों को सरल व कारगर बनाने का कार्य भी किया जा रहा है।

1.35 मुद्रास्फीति परिदृश्य अनुकूल बना हुआ है और मॉनसून की भरपाई में हालिया प्रगति और खरीफ़ की बुवाई ने मॉनसून की देर से शुरुआत के कारण पूर्व की चिंताओं को कम कर दिया है। गर्मी के दिनों में सब्जियों और फलों के मूल्यों में सामान्यतया होने वाली वृद्धि से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी है। दालों और प्रोटीनयुक्त वस्तुओं की कीमतें भी 2019-20 के शुरुआती महीनों में बढ़ी हैं लेकिन यह देखना है कि ये दबाव कब तक बने रहते हैं। ईंधन और बिजली समूह में देखें, तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप एलपीजी की कीमतों के बढ़ने से 2019-20 की पहली तिमाही में कुछ ऊर्ध्वमुखी दबाव पड़ा है जो अब जुलाई तक आते-आते कुछ कम हो गया है। इसके विपरीत, खाद्यान्न और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति काफ़ी और व्यापक आधार में नरम पड़ी है, जो माँग के कमजोर होने को प्रदर्शित करती है, अलबत्ता जुलाई में इसमें कुछ सुधार हुआ। पहली तिमाही और जुलाई 2019 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत रही। अगस्त 2019 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार अनुमान था कि जोखिमों के सम संतुलन के साथ 2019-20 की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत व 2019-20 की दूसरी छमाही में 3.5-3.7 प्रतिशत के बीच रहेगी। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए अनुमान था कि सीपीआई मुद्रास्फीति 3.6 प्रतिशत रहेगी।

1.36 इस पृष्ठभूमि में घरेलू वित्तीय बाज़ार अस्थिर रहे। इक्विटी बाज़ारों में 20 अगस्त, 2019 तक हानि दर्ज हुई है। हाल के महीनों में बीएसई सूचकांक ने 3 जून, 2019 के अपनी सर्वकालिक उँचाई के स्तर से नीचे ही ट्रेड किया है।

मई में व्यापार संबंधी तनाव घटने के बाद विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से भारतीय रुपए ने बढ़ने का रुख प्रदर्शित करना शुरू किया था। तथापि, अगस्त 2019 में चीन द्वारा दशक के निम्नतम स्तर तक अपनी मुद्रा का मूल्य-हास करने के कारण रुपया दबाव में आया। 2019-20 की पहली तिमाही में मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार काफ़ी हद तक स्थिर बने रहे क्योंकि सरकारी नकदी राशियों के तेज़ी से निकासी (ड्राडाउन) और प्रचलन में मुद्रा (करेंसी) की माँग में गिरावट से दोनों हिस्सों में ब्याज दरों के कम बने रहने के कारण जून 2019 से ही चलनिधि के आधिक्य की स्थिति है। तथापि, आगे चलकर वैश्विक प्रभावों के प्रसार से अधोमुखी जोखिम आ सकते हैं।

1.37 भारत का बाह्य क्षेत्र परिदृश्य वैश्विक घटनाक्रमों, विशेषतः विश्व में मंदी के गहराने की संभावनाओं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्यों के बारे में अनिश्चितताओं तथा पूंजी प्रवाहों में अस्थिरता के अधोमुखी जोखिमों से प्रभावित हो सकता है। वर्ष 2019-20 के पहले चार महीने में भारत के निर्यात और आयात दोनों गिरावट की स्थिति में चले गए। 2019-20 की प्रथम तिमाही में 14.5 बिलियन अमरीकी डालर की निवल एफडीआई का मजबूत प्रवाह आया जबकि पिछले वर्ष यह 9.6 बिलियन अमरीकी डालर था। विदेशी पोर्टफोलियो में आने वाला निवल निवेश 2019-20 में अब तक (16 अगस्त 2019 तक) 2.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में बाहर जाने वाला निवल प्रवाह 8.2 बिलियन अमरीकी डालर था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अगस्त 2019 की स्थिति के अनुसार 430.5 बिलियन अमेरिकी डालर था जिसमें मार्च 2019 के अंत से 17.6 बिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि हुई है।

1.38 इस पृष्ठभूमि में, और विशेषतः निवेश गतिविधियों में धीमापन और हेडलाइन मुद्रास्फीति का पथ लक्ष्य से नीचे देखते हुए एमपीसी ने अप्रैल-अगस्त 2019 में नीतिगत दर को 85 आधार अंक घटा दिया (फरवरी 2019 में 25 आधार अंक घटाने के अतिरिक्त) और साथ ही जून 2019 में मौद्रिक नीति का रुख तटस्थ से बदलकर निभावी (एकोमोडेटिव) कर दिया। मौद्रिक नीति का संचालन इस उद्देश्य से निर्देशित होता रहेगा कि संवृद्धि को सहारा देते हुए, +/- 2 प्रतिशत की सहन-सीमा के अंदर 4 प्रतिशत सीपीआई मुद्रास्फीति के मध्यावधि लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।

1.39 केंद्रीय बजट 2019-20 में यह अनुमान लगाया गया है कि 2019-20 के लिए सकल राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत रहेगा (2018-19 में 3.4 प्रतिशत)। अप्रैल-जून 2019-20 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे का बजट अनुमानों के 61 प्रतिशत पर रहना एक वर्ष पहले की तुलना में कम था। प्राप्ति की बात करें तो, अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत सकल कर संग्रहण कम रहा जबकि प्रत्यक्ष करों की स्थिति अच्छी रही, वहीं कुल व्यय मामूली रूप से अधिक रहा। 2019-20 के दौरान राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में, बजट अनुमानों में राजस्व तटस्थता और कम राजस्व घाटे की बात कही गई है, यद्यपि व्यय की गुणवत्ता में गिरावट का अनुमान लगाया गया है जिसमें राजस्व शीर्षों की तुलना में पूंजी व्यय में कम वृद्धि होगी। तदनुसार, 2019-20 में केंद्र और राज्य का सम्मिलित सकल राजस्व घाटा 5.7 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया है जो 2018-19² के 5.9 प्रतिशत के संशोधित अनुमानों से कम होगा। भविष्य में, उच्च पूंजी व्यय के गुणकों को देखते हुए, बिना सार्वजनिक ऋण संग्रहीत किए संवृद्धि को बढ़ाने के लिए राजकोषीय पुनर्समायोजन हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र के व्यय में सुधार की दरकार है। राजस्व की ओर, अनुपालन की सुगमता में सुधार के लिए नए प्रयासों के साथ, जीएसटी और डिजिटलाइजेशन की पूरी क्षमता के दोहन से कर की दरों में, जहां संभव होगा, कमी करने की गुंजाइश बढ़ेगी, साथ ही राजस्व तटस्थता भी बनी रहेगी।

1.40 2019-20 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र पिछले वर्ष में प्राप्त समेकन के आधार पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। रिजर्व बैंक³ द्वारा ऋण जोखिम के लिए किए गए दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि बेसलाइन परिदृश्य के अंतर्गत, मार्च 2020 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात और गिरकर 9.0 प्रतिशत तक पहुँच सकता है (मार्च 2019 में 9.1 प्रतिशत)। इससे प्रावधानीकरण को गुंजाइश मिलेगी, वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण प्रवाह को और गति तथा व्यापकता मिलेगी। इसके साथ ही, बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता को बल

देने के लिए कई विनियामी और पर्यवेक्षी कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (ए) बैंकों में कंपनी अभिशासन (कॉरपोरेट गवर्नेंस); और (बी) परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु संशोधित मानकीकृत पद्धति पर दिशा निर्देशों का प्रारूप जारी करेगा जिससे वर्तमान विनियामी फ्रेमवर्क को विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सके। इसके अलावा, ऋण जोखिम और प्रतिभूतिकरण के लिए पूंजी प्रभार पर संशोधित दिशा-निर्देश का प्रारूप (ड्राफ्ट) जारी किया जाएगा। बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के लिए विनियामी फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये उपाय जून 2019 में समस्याग्रस्त आस्तियों के लिए बनाए गए संशोधित विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क और 1 अप्रैल 2019 से लागू व्यापक एक्सपोजर फ्रेमवर्क के साथ काम करेंगे जिससे एक विवेकपूर्ण ऋण संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा सके।

1.41 बैंकों के लिए नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के स्वरूप में अंतरण के प्रयोजन से एक चर्चा पत्र और इसके पश्चात अंतिम दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उभरते फिनटेक परिदृश्य में, एक विनियामी सैण्डबॉक्स फ्रेमवर्क चालू किया जाएगा। विधायी संशोधनों के अधीन, बैंकों और एआईएफआईएज के भारतीय लेखांकन मानदंडों को रिजर्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएगा जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप लाया जा सके। प्रणाली में शुरुआती ऋण जोखिमों पर विचार हेतु, बैंकों के लिए समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन पर एक चर्चा पत्र जारी किया जाएगा। बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं को ऋण आपूर्ति के लिए बने फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के पुनर्मूल्यांकन के लिए, बैंकों/ बड़े क्रेडिट पर सूचना का केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) के डेटा की जांच की जाएगी। बैंक ग्राहकों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुगम किया जाएगा जिसमें वर्तमान धन शोधन निरोधक (पीएमएल) नियमावली नियमों के फ्रेमवर्क के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए वीडियो आधारित केवाईसी सक्रिय किया जाएगा।

² ऑकड़े 27 राज्यों से संबंधित हैं।

³ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2019।

1.42 प्रतिभूतिकरण और कंपनी बॉन्ड बाजार का विकास करने और इसमें गहनता लाने के लिए रिजर्व बैंक ने आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर एक समिति (अध्यक्ष: डॉ. हर्षवर्धन) और कंपनी ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री टी एन मनोहरन) बनाया है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों की आर्थिक स्थिति पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के हेतु पर्यवेक्षी प्रक्रिया को तदनुसार ठीक करने हेतु आगामी निरीक्षण चक्र से एक बेहतर रेटिंग फ्रेमवर्क शुरू किया जा रहा है। प्रस्ताव है कि यूसीबी क्षेत्र में धोखाधड़ी की घटनाओं को केंद्रीकृत धोखाधड़ी (सेंट्रलाइज्ड फ्रॉड) रजिस्ट्री में रिपोर्ट किया जाए जिसे सभी यूसीबी देख सकें।

1.43 रिजर्व बैंक एनबीएफसी की आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) के फ्रेमवर्क को मजबूत करना चाहता है। संघीय बजट 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके अनुसार वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी/आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) से कुल ₹1 ट्रिलियन तक उच्च रेटिंग की पूलड आस्तियों की खरीद करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उनकी प्रथम हानि के 10 प्रतिशत तक की एकबारगी आंशिक ऋण (क्रेडिट) गारंटी देने का प्रस्ताव है। इस नीतिगत उपाय से एनबीएफसी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से फंडिंग प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपनी तरफ से रिजर्व बैंक, बैंकों को उनकी अतिरिक्त जी-सेक होल्डिंग पर अपेक्षित चलनिधि बैंकस्टॉप प्रदान करेगा। एनबीएफसी और एचएफसी को दिए गए वृद्धिशील ऋण (इन्क्रिमेंटल क्रेडिट) के लिए 01 अगस्त और 01 दिसंबर 2019 दोनों के लिए निर्धारित बैंकों के एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत के चलनिधि व्याप्ति अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर) में की गई वृद्धि को रिजर्व बैंक शुरुआत में पहले ही दे चुका है और यह 05 जुलाई 2019 की स्थिति के अनुसार एफसी और एचएफसी को जुलाई 2019 में दिए गए बकाया शेष के अतिरिक्त है। डिबेंचर शोधन रिजर्व (डीआरआर) को समाप्त करने से एनबीएफसी को बॉण्ड जारी करने में सहूलियत होगी।

1.44 भुगतान प्रणाली विज्ञान 2019-21 में की गई परिकल्पना के अनुसार भुगतान और निपटान के क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक भारतीय को संरक्षित, सुरक्षित, सुविधाजनक, तेज और किफायती ई-पेमेंट के विविध विकल्प प्रदान करना चाहता है। आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों में प्रोसेस किए गए लेन-देनों के लिए, रिजर्व बैंक ने अपनी ओर से लगाए गए प्रभारों को समाप्त कर दिया है। समस्त एटीएम प्रभारों व फ़ीस के मामले में भी रिजर्व बैंक कार्रवाई की समीक्षा कर रहा है। डिजिटल भुगतानों की गहनता पर बनी उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष : श्री नंदन निलेकनी) की सिफ़ारिशों का लक्ष्य है कि डिजिटल भुगतानों (पेमेंट्स) की संरक्षा व सुरक्षा को मजबूत किया जाए और डिजिटल पेमेंट्स के विस्तार के लिए मध्यावधि रणनीति बनाई जाए। सभी उधारकर्ताओं के बारे में समग्र 360-डिग्री जानकारी लगभग वास्तविक समय पर देकर ऋण सूचना अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे ऋण संस्थाओं को शीघ्र व कुशल ऋण निर्णय लेने में सुविधा हो।

1.45 वर्ष के दौरान केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआइएमएस) के कार्यान्वयन से, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के साथ बड़ी मात्रा में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की प्रोसेसिंग के लिए अत्याधुनिक बिग-डेटा आधारित सूचना प्रबंधन तंत्र उपलब्ध होगा। सीआईएमएस एक डेटा साइंस लैब प्लेटफॉर्म, एक ग्रेन्यूलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएल), एक केंद्रीकृत विश्लेषणात्मक लेयर और विनियमित संस्थाओं से डेटा का स्वचालित प्रवाह उपलब्ध कराएगा।

1.46 वर्ष 2019-20 में उपभोक्ता माँग और निजी निवेश को पुनः जाग्रत करना सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। इसमें बैंकिंग क्षेत्र और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाना, आधारभूत संरचना में व्यय के बड़े प्रयासों तथा श्रम कानूनों, कराधान और अन्य अति आवश्यक संरचनात्मक सुधारों को लागू करना शामिल होगा, जिससे कारोबारी सुगमता भी बढ़ेगी और 2024-25 तक भारत के 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के विज्ञान को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आर्थिक क्रियाकलाप धीमे रहे, क्योंकि वैश्विक मांग में नरमी थी और सरकारी उपभोग व्यय भी कुछ कम था। मुद्रास्फीति और कम होकर 3.4 प्रतिशत हो गई तथा लगातार दूसरे वर्ष भी 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे बनी रही, इसकी वजह खाद्यान्न मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट रही। करेंसी, जमा और क्रेडिट जैसे मौद्रिक संकेतक अपने पूर्व-विमुद्रीकरण प्रवृत्ति की ओर बढ़ गए जो निहित समष्टि-आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को प्रकट करता है। वित्तीय बाजारों में अस्थिरता की छिट-पुट घटनाओं को छोड़कर समुत्थानशीलता रही जैसाकि इक्विटी बाजार में तेजी; भारतीय रुपये की दोतरफा चाल और मांग मुद्रा दर के नीतिगत रिपो दर के अनुरूप बने रहने से प्रकट है, अलबत्ता रिपो दर में झुकाव की प्रवृत्ति थी। लोक वित्त में सभी सामान्य सरकारों के लिए सकल राजकोषीय घाटे के बजटगत लक्ष्यों से मामूली विचलन दर्ज हुए। बाह्य क्षेत्र के मोर्चे पर चालू खाते में घाटे के सापेक्ष निवल पूंजी प्रवाह संयत रहे, जिससे वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखी गई।

II.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था

II.1.1 बीते हुए वर्ष अर्थात् अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थितियों में स्पष्ट बदलाव हुआ, जो काफी हद तक अप्रत्याशित था। वैश्विक संवृद्धि जो कैलेंडर वर्ष 2017 में एक बड़े चक्रीय उठान पर चल रही थी और वर्ष 2018 के शुरुआती हिस्से तक चलती रही, उसके बाद उसकी गति धीमी पड़ती चली गई। वर्ष 2018 की दूसरी छमाही तक वैश्विक विस्तार की कमजोरी सभी भौगोलिक क्षेत्रों में फैल गई, जिसने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उभरते बाजार की अर्थव्यवस्थाओं(ईएमई) को समान रूप से अपनी आगोश में ले लिया।

II.1.2 प्रायः कई प्रकार की ताकतों एकजुट होकर सक्रिय थीं यथा-संयुक्त राज्य अमरीका (यूएस) में मौद्रिक नीति का सामान्य स्थितियों में आ जाना, व्यापारगत तनावों का बढ़ जाना, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें, ब्रेकिजट पर मंडरा रही अनिश्चितता, कड़े उत्सर्जन मानदंडों के कारण जर्मनी में ऑटो क्षेत्र में फैला व्यवधान, चीन की अर्थव्यवस्था का मंद पड़ना, कुछ बड़े उभरते बाजार (ईएमई) की अर्थव्यवस्थाओं में समष्टि-आर्थिक संकट और वित्तीय स्थितियों की तंगहाली। वैश्विक घटनाओं की इस कॉकटेल ने वित्तीय बाजारों में खलबली मचा दी क्योंकि बाजार भावनाओं संबंधी जोखिम ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश स्थलों की तरफ मोड़ दिया और वे आस्तित्व वर्ग के रूप ईएमई से दूर होने लगे। ऐसी स्थिति में, इन अर्थव्यवस्थाओं को पूंजी के बाहर चले जाने, करेंसी का मूल्यहास होने तथा आस्तित्व-मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ा जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। वर्ष

2018-19 की दूसरी छमाही और विशेषतया 2019 के शुरुआती महीनों में कतिपय वैश्विक जोखिम धीमे पड़ गए और पूरे विश्व में मौद्रिक नीति अधिकांशतः निभावकारी बन गई, संकट प्रभावित ईएमई में समष्टि-आर्थिक दबाव कम हो गया और जोखिम उठाने की निवेशकों की लालसा पुनः जाग उठी। इसके बावजूद भी वैश्विक संवृद्धि के प्रति जोखिम की स्थिति और निकट समय में संभावनाओं का रुख नीचे जाता दिखाई दिया।

II.1.3 ऐसे माहौल में, भारत की वास्तविक जीडीपी जो एक वर्ष पूर्व उच्च सीमा पर जाने के बाद वर्ष 2017-18 में कमजोर पड़ गयी थी, वह 2018-19 में खिसककर पांच वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई (परिशिष्ट सारणी 1)। इसकी गति कम हो जाने के प्रमाण दूसरी तिमाही में मिल गए क्योंकि संवृद्धि के कुछ चालकों, खासकर निवेश में मंदी आने लगी थी, अलबत्ता अभी भी निजी तथा सरकारी दोनों स्तर पर उपभोक्ता व्यय समुत्थानशील रहा। वर्ष की दूसरी छमाही में उच्च बारंबारता वाले संकेतकों ने विनिर्माण और गैर-आईटी सेवा क्षेत्र कार्पोरेशनों में बिक्री संवृद्धि में गिरावट के संकेत, निजी उपभोग की गति में गिरावट के प्रमाण दिखने शुरू हो गए थे, खासकर तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) के खंड में। वित्तीय स्थितियाँ सहज हुई हैं, किन्तु बैंक क्रेडिट को अभी भी अपना व्यापक आधार पाना है तथा गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों से संसाधनों के प्रवाह को अभी भी पूर्ववर्ती गति नहीं मिली है। मार्च 2019 में आई थोड़ी सी तेजी को छोड़ दें तो निर्यात में वृद्धि धीमी रही तथा तेल से इतर एवं स्वर्ण से इतर मर्दों के आयात की स्थिति संकुचन की मुद्रा में है जो इस बात का संकेत है कि घरेलू स्तर पर मांग में कमजोरी है। आपूर्ति पक्ष की ओर देखा जाए तो


विनिर्माण और कुछ सेवा-श्रेणियों जैसे व्यापार, परिवहन, संचार तथा प्रसारण सेवाएं वर्ष की दूसरी छमाही में मंद हुईं तथा कृषि उत्पादन सामान्य बना रहा, लेकिन यह स्थिति पिछले दो वर्षों में प्राप्त ऐतिहासिक उत्पादन स्तर की तुलना में है।

11.1.4 समग्र रूप से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जब वर्ष 2019-20 में अपने पथ पर आगे बढ़ी तब सम्पूर्ण परिदृश्य धूमिल प्रतीत हो रहा था। इस पृष्ठभूमि में, सकल मांग का घटकवार विश्लेषण इसके उप-भाग में दिया गया है। सकल आपूर्ति में हुई प्रगति अर्थात् कृषि क्षेत्र के निष्पादन, औद्योगिक क्षेत्र में मूल्य-वर्धन तथा सेवाओं के क्षेत्र के समुत्थानशील निष्पादन के रूप में स्थिति का खाका उप-भाग 3 अर्थात् सकल आपूर्ति के भाग में प्रस्तुत किया गया है। उच्च फ्रीक्वेंसी संकेतकों के आधार पर अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन तथा इस क्षेत्र में की गई प्रमुख नीतिगत पहल का विश्लेषण अंतिम उप-भाग में शामिल किया गया है।

2. सकल मांग

11.1.5 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की मई 2019 की विज्ञप्ति से यह पुष्टि होती है कि वर्ष 2018-19 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आकलित जीडीपी संवृद्धि 6.8 प्रतिशत रही जो विगत वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशतता अंक कमजोर रही और 7.1 प्रतिशत की अपनी दशवर्षीय प्रवृत्ति दर से 0.3 प्रतिशत कम है। सकल मांग पिछले वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशतता अंक नीचे रही है। वस्तुतः वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में 6.2 प्रतिशत

चार्ट 11.1.1: जीडीपी वृद्धि : वर्ष-दर-वर्ष तथा 3- तिमाही एमए- एसएएआर



एमए- एसएएआर : मौसम के अनुसार समायोजित चल औसत वार्षिक संवृद्धि दर।
स्रोत : एनएसओ तथा भारिबैं स्टॉफ आकलन।

जीडीपी संवृद्धि पाँच वर्षों में सबसे कम रही है (चार्ट 11.1.1)। अर्थव्यवस्था में मांग का शिथिल पड़ जाना वर्ष 2018-19 की तीसरी एवं चौथी तिमाही में नकारात्मक-उत्पादन-अंतर (अर्थात् वास्तविक उत्पादन स्तर का अपने संभाव्य स्तर से विचलन) की शुरुआत से भी स्पष्ट हो जाता है।

11.1.6 वर्ष 2003 से लेकर 2019 तक की अवधि में अर्थव्यवस्था के कार्यनिष्पादन ने कई दिलचस्प विशेषताओं का उद्घाटन किया है (सारणी 11.1.1)। पहली विशेषता यह थी कि 2014-19 के दौरान जीडीपी की औसत वृद्धि ऐतिहासिक मानकों के

सारणी 11.1.1: वृद्धि के अंतर्निहित संचालक

घटक	वृद्धि (प्रतिशत)					वृद्धि में योगदान (प्रतिशत)				
	2003-08	2008-09	2009-11	2011-14	2014-19	2003-08	2008-09	2009-11	2011-14	2014-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कुल खपत व्यय	6.1	5.5	6.5	6.1	7.8	53.7	118.2	53.5	71.5	69.8
निजी	6.2	4.5	5.9	6.7	7.6	46.3	81.9	40.4	66.2	57.5
सरकारी	5.8	11.4	9.7	2.6	9.0	7.4	36.3	13.1	5.3	12.3
II. सकल पूंजी विनिर्माण	15.3	-2.6	14.5	2.0	7.1	58.5	-31.4	64.1	16.6	32.9
स्थिर निवेश	12.6	3.2	9.4	6.2	7.4	43.1	32.6	35.9	37.9	31.7
स्टॉक में परिवर्तन	73.5	-51.4	56.2	-27.4	15.3	12.5	-75.4	17.9	-16.7	0.7
मूल्यवान वस्तुएं	27.8	26.9	45.0	-11.1	4.9	3.0	11.4	10.3	-4.6	0.6
III. शुद्ध निर्यात						-7.7	-72.4	-4.1	8.9	-10.5
निर्यात	17.8	14.8	7.3	10.0	3.7	36.1	99.0	16.2	42.3	10.9
आयात	20.0	22.4	6.9	6.1	6.5	43.8	171.4	20.3	33.4	21.4
IV. जीडीपी	7.9	3.1	8.2	5.7	7.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : एनएसओ तथा भारिबैं स्टॉफ आकलन।

हिसाब से तीव्र थी, किन्तु वर्ष 2003-08 और 2009-11 के उच्च वृद्धि के चरणों से कम थी। दूसरी विशेषता यह थी कि वर्ष 2014-19 में सकल मांग में विस्तार उपभोग में तीव्रता के कारण थी- निजी और सरकारी दोनों स्तर पर और जो अर्थव्यवस्था के लिए विमुद्रीकरण के अस्थायी आघात का प्रतिरोधक बन सकता था। इसके विपरीत देखें तो वर्ष 2003-08 के दौरान मीयादी निवेश संवृद्धि का संचालक था और वर्ष 2009-11 के दरम्यान राजकोषीय प्रोत्साहन ने इंजन का कार्य किया था। जैसे ही प्रोत्साहन हटाया गया संवृद्धि की दर अगले तीन वर्षों तक मंद पड़ती चली गई।


11.1.7 सकल मांग में संघटकीय बदलाव अपनी हिस्सेदारी और भारत योगदानों की दृष्टि से स्पष्ट थे (चार्ट 11.1.2 एवं परिशिष्ट सारणी 2)। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई), जो जीडीपी के 56.9 प्रतिशत पर प्रमुख संघटक रहा है, में एक वर्ष पहले की तुलना में 2018-19 में मामूली वृद्धि दर्ज हुई, किन्तु 2014-19 में जीडीपी संवृद्धि में इसका अंशदान 8.7 प्रतिशतता अंक घटा जो पिछले तीन वर्ष अर्थात 2011-14 के दौरान इसके अंशदान के स्तर से कम था। परिणामी मंदी आंशिक रूप से सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) से पूरी हो गयी- जीडीपी संवृद्धि में इसका अंशदान 2011-14 की तुलना में 2014-19 में 7 प्रतिशतता अंक तक बढ़ गया। यद्यपि अर्थव्यवस्था में निवेश के प्रमुख घटक सकल स्थायी

पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में लगातार पाँचवें वर्ष 2018-19 में वृद्धि दर्ज की गई लेकिन वर्ष 2014-19 के दौरान संवृद्धि में इसका अंशदान पिछले तीन वर्षों की तुलना में 6.2 प्रतिशतता अंक घट गया। विशेषकर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निवल निर्यात से खींचतान वर्ष 2018-19 में काफी कम हो गई, किन्तु सकल मांग में वर्ष 2011-14 में इसके 8.9 प्रतिशत के सकारात्मक अंशदान की तुलना में वर्ष 2014-19 में अंशदान अत्यधिक कम हो गया। निवल निर्यात के उद्भव को भाग 11.6 बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

उपभोग

11.1.8 वर्ष 2018-19 के दौरान उपभोग व्यय कम हुआ था। बावजूद इसके जीडीपी में इसका योगदान लगातार दूसरे वर्ष भी बढ़ा। निजी अंतिम उपभोग, जो सकल मांग का प्रमुख घटक है, ने वर्ष की पहली छमाही में रफ्तार पकड़ी है, इसे खाद्यान्न और ऊर्जा पर होनेवाले कम व्यय के कारण खर्च करने वाली ज्यादा आमदनी से समर्थन प्राप्त हुआ है। श्रमिक-प्रधान क्षेत्र जैसे निर्माण क्षेत्र की गतिविधियां तेज होने से घरेलू उपभोग की मांग को बढ़ाने की अतिरिक्त गुंजाइश पैदा हो गई है। लेकिन, ग्रामीण मांग कृषि क्षेत्र में मंद वृद्धि के चलते प्रभावित हुई है, जैसा कि ट्रेक्टर्स और दुपहिया वाहनों की बिक्री की स्थिति से स्पष्ट है। इसके विपरीत शहरी मांग के संकेतकों से मिली-जुली तस्वीर देखने को मिलती है। हवाई यात्रियों की संख्या पिछले पाँच वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई है। सवारी वाहनों की बिक्री पाँच वर्षों में सबसे न्यूनतम थी जो बीमा की लागत में वृद्धि, ईंधन की ऊंची कीमतों तथा गैर-बैंकिंग क्षेत्र में चलनिधि संकट के कारण वित्तपोषण के विकल्पों के अभाव की वजह से थी। गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन पिछले तीन वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्र को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के माध्यम से प्रदान किया गया सरकारी व्यय तथा कुछ राज्यों द्वारा दी गई कृषि ऋण की माफी से उम्मीद की जाती है कि ग्रामीण मांग थमी रहेगी। संगामी जीडीपी डाटा के अभाव में संपाती आर्थिक संकेतकों के रूप में उच्च फ्रीक्वेन्सी वाली सूचनाओं का विश्लेषण, नीति-निर्माण के लिए इनपुट के तौर पर आर्थिक गतिविधियों के प्रारम्भिक मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है (बॉक्स 11.1.1)।

चार्ट 11.1.2: घटकों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान



पीएफसीई : निजी अंतिम उपयोग व्यय;
 जीएफसीई : सरकारी अंतिम उपयोग व्यय;
 जीएफसीएफ : सकल नियत पूंजी निर्माण, जीडीपी : सकल घरेलू उत्पाद.
नोट : घटकवार अंशदान जीडीपी वृद्धि में नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि स्टॉक में परिवर्तन, कीमती और सांख्यिकीय विसंगतियां शामिल नहीं हैं।
स्रोत : एनएसओ।

बॉक्स II.1.1

भारत की जीडीपी का तात्कालिक अनुमान

वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक, आधिकारिक आंकड़ों की उपलब्धता को देखते हुए अर्थव्यवस्था की प्रगतिशील स्थिति के मूल्यांकन के लिए उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतकों पर भरोसा करते हैं। भारत के लिए संपाती आर्थिक संकेतक (सीईआईआई) का निर्माण आर्थिक संकेतकों पर आधारित हाई इंडेक्स डायनेमिक फैक्टर मॉडल (स्टॉक एंड वॉटसन, 1989) का इस्तेमाल करते हुए किया गया है जो जीडीपी संवृद्धि के समीकरणों को सुदृढ़ता से परस्पर जोड़ता है। दो प्रकार के संकेतकों को विचार में लिया जाता है: सूचकांक 6- संकेतक सीईआईआई जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं, तेल से इतर, सोने से इतर आयात, ऑटो बिक्री, रेल माल भाड़ा, हवाई माल और सरकारी प्रामियां, शामिल हैं और 9-सूचक सीईआईआई में उक्त के साथ-साथ आईआईपी- कोर, निर्यात और विदेशी पर्यटक प्रवाह (चार्ट 1) शामिल हैं।

सीईआईआई द्वारा संवर्धित जीडीपी संवृद्धि को एक किफायती स्वैच्छिक मॉडल का उपयोग पूर्ण अवधि 2004 की पहली तिमाही से लेकर 2019 की पहली तिमाही तक के लिए त्रैमासिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का तात्कालिक अनुमान लगाने के लिए किया जाता है (तालिका 1)। सीईआईआई जीडीपी वृद्धि की व्याख्या करने के लिए सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में उभरा है, जिसमें (समायोजनीय, आर वर्गीकृत) सैंपल फिट होते हैं

जो 9-संकेतक मॉडल में प्रयुक्त से थोड़ा अधिक है। लेकिन, 6-संकेतक मॉडल के लिए 2017 की पहली तिमाही से लेकर 2019 की पहली तिमाही तक नमूने के लिए सैंपल से परे वर्ग माध्य मूलमान त्रुटि (आरएमएसई) न्यून है।




6-संकेतक और 9-संकेतक मॉडल पर आधारित अनुमान और साथ में वास्तविक जीडीपी वृद्धि चार्ट 2 ए और 2 बी में अंकित की गई हैं। यह देखा गया है कि तात्कालिक अनुमान जीडीपी डायनामिक्स को ट्रैक करते हैं और बिन्दुओं को परिवर्तित करके यथोचित रूप से आकलन सैंपल के ठीक ऊपर रखते हैं।

भारत में तिमाही जीडीपी का प्रथम प्रकाशन संदर्भगत तिमाही के अंत के लगभग 7-8 सप्ताह पश्चात किया जाता है। समयपूर्व आकलन प्रदान करने के लिए सीईआईआई का प्रयोग करके वर्तमान तिमाही की जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। समग्रतया उक्त निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि सीईआईआई आधारित पूर्वानुमानों से अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का आकलन करने में सहायता देते हैं जिससे नीति निरूपण के लिए उच्च भावी अनुमानों का कुछ अंश प्राप्त हो जाता है।

सारिणी 1: भारत के लिए संपाती आर्थिक संकेतक का उपयोग करते हुए जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक अनुमान

निर्भर चर	जीडीपी (वर्ष-दर-वर्ष)	
	मॉडल 1 (6-संके)	मॉडल 2 (9- संके)
स्थिर	3.05	2.81
सीईआईआई (वर्ष-दर-वर्ष)	2.91	3.96
जीडीपी (वर्ष-दर-वर्ष), लैग 1	0.38	0.32
मॉडल डायग्नोस्टिक्स		
समायोजित आर-स्क्वेयर	0.53	0.54
बी-जी श्रेणीगत सहसंबंध एलएम परीक्षण	0.18	0.12
आउट-ऑफ-सैंपल आरएमएसई	0.61	0.65

- नोट : 1. सभी गुणांक अनुमान 1 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण हैं।
 2. बी-जी परीक्षण का उपयोग त्रुटि में 12 लैग तक क्रमिक सह-संबंध हेतु है।
 3. आउट ऑफ सैंपल आरएमएसई 2017 की पहली तिमाही से 2019 की पहली तिमाही तक है।



संदर्भ:

- स्टॉक, जे.एच.एम डब्ल्यू.वॉटसन (1989), 'न्यू इंडेक्सेस ऑफ कोइंडेन्ट एंड लीडिंग इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स', एनबीईआर मैक्रोएकोनॉमिक्स एनुअल 1989, खंड 4
- गेरलच, एस. ऐन्ड एम.एस.यीयू (2004), 'ए डायनामिक्स फैक्टर मॉडल फॉर करेंट - क्वार्टर एस्टीमेट्स ऑफ इकोनामिक एक्टिविटी इन हांगकाँग', हांगकाँग इंस्टीट्यूट फॉर मॉनेटरी रिसर्च, वर्किंग पेपर नं. 16।

निवेश और बचत

II.1.9 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू निवेश की दर, जिसे चालू मूल्यों पर जीडीपी की तुलना में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) के अनुपात द्वारा मापा जाता है, एक लंबे अरसे तक धीमी रहते हुए 2016-17 में 30.9 प्रतिशत तक नीचे पहुँचने से पूर्व 2010-11 में 39.8 प्रतिशत की उच्च सीमा तक पहुँच गई थी। बाद के वर्षों में इसमें सामान्य सुधार आता गया। हालांकि वर्ष 2018-19 के लिए सकल घरेलू निवेश से संबन्धित डाटा अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसके घटकों में होनेवाले उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि इसमें बढ़त को बनाए नहीं रखा जा

सका। जबकि जीडीपी की तुलना में वास्तविक सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का अनुपात 2017-18 के 31.4 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 32.3 प्रतिशत हो गया था, यह उठान जो वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही से शुरू हुई थी वह विमुद्रीकरण का संक्रमणकालीन प्रभाव था तथा जीएसटी के कार्यान्वयन से जुड़ी अनिश्चितताओं, जो लगातार पाँच तिमाहियों तक बनी रही थीं, के कारण था। तथापि, स्थिर निवेश में संवृद्धि 2018-19 की चौथी तिमाही में चौदह महीने के सबसे निचले स्तर तक धराशायी हो गई क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में तीव्र गिरावट हुई तथा आयात संपाती रूप से औंधे मुंह गिर गया (बॉक्स II.1.2)।

बॉक्स II.1.2

भारत के लिए नीतिपरक अनिश्चितता सूचकांक- बिग डाटा विश्लेषण

अनिश्चितता, आर्थिक एजेंटों जैसे उपभोक्ताओं और उत्पादनकर्ताओं को इस बात के लिए उकसाती है कि वे अपने खर्च, निवेश तथा किराये संबंधी निर्णय लेते समय अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। जीडीपी वृद्धि, रोजगार, स्टॉक सूचकांक और कॉर्पोरेट आमदनी और यहाँ तक कि नीति-निर्माताओं द्वारा राजकोषीय, मौद्रिक, संरचनागत एवं विनियामकीय नीतियों के संबंध में दिए गए वक्तव्य, की गई कार्रवाई तथा लिए गए निर्णय, आर्थिक एजेंटों और व्यापक समष्टि-आर्थिक परिवेश के लिए अनिश्चितता का स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। फलस्वरूप, अनिश्चितता पूरे विश्व में नीति-निर्माताओं के निर्णयगत ढाँचों में प्रमुख इनपुट के रूप में उभरी है।

जिस प्रकार से जोखिम, प्रत्याशित अनुमानों का सुपरिभाषित वितरण है, अनिश्चितता उससे भिन्न अलक्ष्य सी चीज है। तथापि, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद की अवधि में समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थितियों पर अनिश्चितता का प्रभाव कहीं अधिक और व्यापक दिखाई देता है- अनिश्चितता के आघात निवेशगत धीमेपन तथा आर्थिक गतिविधियों एवं आरिस्त मूल्यों में गिरावट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन घटनाओं ने यह अनिवार्य बना दिया है कि अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता के प्रभाव को प्रयोगसिद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए और उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाए। इस दिशा में किए गए प्रयासों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: (ए) अस्थिरता-आधारित उपाय (ब्लूम 2007); (बी) पूर्वानुमानों में बिखराव (बैचमैन और अन्य 2013); (सी) समाचारपत्रों के कवरेज की बारंबारता का प्रयोग करते हुए मनोभाव आधारित विश्लेषण (बेकर और अन्य 2016) तथा; (डी) इंटरनेट-आधारित खोज गहन अभ्यास (कैसटेलनुवो एंड ट्रान 2017)

प्रमुख भारतीय बिजनेस दैनिक समाचारपत्रों¹ ने लेख खोजने के लिए 'आर्थिक' (ई), 'नीति' (पी), अनिश्चितता (यू) अथवा ईपीयू से संबन्धित उक्त प्रमुख शब्दों के प्रयोग की बारंबारता को पकड़ने के लिए 2016 में एक इंडेक्स बनाया है (किसी आलेख में ईपीयू से संबन्धित कोई एक

अक्षर अवश्य होना चाहिए ताकि उसे अनिश्चितता का संकेत देने के रूप में वर्गीकृत किया जा सके), और कैसटेलनुवो एंड ट्रान 2017 के अनुरूप गूगल अनिश्चितता इंडेक्स (जीयूआई) जो गूगल ट्रेंड्स के माध्यम से जनवरी 2004 से जून 2019 की अवधि के लिए राजकोषीय, मौद्रिक तथा व्यापार नीतियों से संबन्धित 70 प्रमुख शब्दों पर इंटरनेट सर्च तीव्रता पर आधारित हैं। ये सूचकांक प्रमुख समष्टि-आर्थिक चरों के साथ-साथ यथोचित रूप से निकटतम सह-गति को प्रकट करते हैं, खासतौर से उनके बारे में जो उत्पादन और निवेश से संबंधित हैं।

यह सूचकांक उन सभी प्रमुख घरेलू एवं बाह्य घटनाओं को पकड़ लेते हैं जिनके लिए यह प्रत्याशा की गई थी कि अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता में उनका योगदान रहेगा (चार्ट 1)। वे परंपरागत बाजार-आधारित अस्थिरता एवं जोखिम संकेतकों (चार्ट 2) के बीच मजबूत सह-संबंध को भी दर्शाते हैं जैसे कि भारतीय वीआईएक्स सूचकांक एवं जोखिम प्रीमिया (जिसकी गणना 5 वर्षीय ट्रिपल ए रेटेड कारपोरेट बांडों एवं 5 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति अर्जन के बीच के स्प्रेड के रूप में की जाती है)।


वर्ष 2005 की पहली तिमाही से लेकर वर्ष 2018 की चौथी तिमाही तक के लिए चार चरों, अर्थात् जीयूआई, जोखिम प्रीमिया, वास्तविक औसत-भारत उधार दरें एवं जीडीपी के अनुपात में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) सहित एक वेक्टर ऑटोरिग्रेशन मॉडल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारत में आर्थिक गतिविधियों पर अनिश्चितता के प्रभाव का विश्लेषण करेगा।

वीएआर मॉडल के निष्कर्षों से पता चलता है कि अनिश्चितता के झटके के बाद जोखिम प्रीमिया में तात्कालिक वृद्धि हुई है (चार्ट 3)। दूसरी ओर, जीएफसीएफ के संबंध में तीन तिमाही तक पिछड़े हुए नकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं। उधार दरों के लिए जीएफसीएफ की आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया सांख्यिकीय रूप से चौथी तिमाही के बाद से महत्वपूर्ण है जिसका आशय

(जारी...)


¹ इस अभ्यास के लिए हमने प्रोक्वेस्ट डेटाबेस में उपलब्ध दि हिन्दू बिजनेस लाइन, दि इकॉनॉमिक टाइम्स और दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 2010 के बाद प्रकाशित आलेखों को शामिल किया है।

चार्ट 1: भारत के लिए अनिश्चितता संकेत (सूचकांक)




ए- आम चुनाव; बी- वैश्विक वित्तीय संकट 2008; सी- यूरोजोन ऋण संकट; डी-मुद्रास्फीतिक चिंताएं; ई-टेपर टैटूम; एफ-ब्रेक्सिट; जी- विमुद्रीकरण प्रभाव और ट्रम्प प्रशासन।

चार्ट 2: अस्थिरता और जोखिम संकेतकों के साथ सहसंबंध



सीआई: विश्वास अंतराल।

चार्ट 3: अनिश्चित आघात के लिए आवेग प्रतिक्रियाएं (95% विश्वास अंतराल के साथ)



नोट: आवेग प्रतिक्रियाएँ (लॉस नीली रेखा) 95% विश्वास अंतराल (नीचे गिरती रेखाओं) के साथ प्रस्तुत हैं। वीएआर आकलन में श्वार्ज मानदंड के आधार पर अंतराल की लंबाई को चुना जाता है।

स्रोत : भारिबैं स्टाफ अनुमान।

यह है निवेश पर मौद्रिक नीति का प्रभाव विलंब से पड़ा, जो मुख्य रूप से उधार दर चैनल के माध्यम से कार्य कर रहा है। समग्र परिणाम दर्शाते हैं कि भारत में अनिश्चितता का निवेश क्रियाकलापों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ:

1. बैकमैन आर., एस.एल्स्टर एंड ई.आर.सिम्स (2013), 'अनसर्टिनिटी एंड इकॉनॉमिक एक्टिविटी: एविडेन्स फ्रॉम बिजनेस सर्वे डाटा', अमेरिकन इकॉनॉमिक जर्नल: मैक्रोइकॉनॉमिक्स, 5(2), 217-49.

2. ब्लूम.एन.(2007) 'अनसर्टिनिटी एंड द डायनामिक्स ऑफ आर एंड डी. अमेरिकन इकॉनॉमिक रिव्यू, 97(2), 250-255
3. बेकर,एस.आर.,एन.ब्लूम, एंड एस.जे डेविस, (2016), 'मेज़रिंग इकॉनॉमिक पॉलिसी अनसर्टिनिटी' द क्वाटर्ली जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स, 131(4), 1593-1636।
4. कैस्टेलन्यूओवो,ई. एंड टी.डी.ट्रान,(2017), 'गूगल इट अप! ए गूगल ट्रेड्स-बेस्ड अनसर्टिनिटी इंडेक्स फॉर दि यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया', इकॉनॉमिक्स लेटर्स, 161, 149-153


II.1.10 जीएफसीएफ के अवधारकों में देखें तो निर्माण गतिविधियां 2018-19 में अत्यधिक सरगर्म रहीं, क्योंकि सरकार का फोकस बुनियादी सुविधाओं और किफ़ायती आवास पर था और इसने पिछले सात वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। यह इसके सन्निकट संपाती संकेतकों-इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन से भी स्पष्ट होता है (चार्ट II.1.3)। समग्र वर्ष के लिए सीमेंट का उत्पादन 13.3 प्रतिशत था जो पिछले दस वर्षों में सर्वाधिक उत्पादन था। आटोमोबाइल उत्पादन धीमा होने के बावजूद इस्पात की खपत में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि थी। लेकिन, मशीनरी और उपकरण में निजी निवेश कमज़ोर रहने के संकेत और इसके दोनों सन्निकट संपाती संकेतक-पूंजी सामग्री के आयात और उत्पादन-में गिरावट दर्ज की गई थी।

II.1.11 गैर-समेकित स्तर पर देखें तो आवास, अन्य भवनों तथा ढांचों में किया गया निवेश 0.3 प्रतिशतता अंक घट गया था जो 2017-18 की जीडीपी का 15.4 प्रतिशत था, इसका मुख्य कारण घरेलू क्षेत्र था (चार्ट II.1.4)। दूसरी ओर, गैर-वित्तीय निगमों और घरेलू क्षेत्र द्वारा मशीनरी और उपकरणों में किया गया स्थिर निवेश बढ़ गया था जो वर्ष 2016-17 में जीडीपी के 11.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2017-18 में जीडीपी का 12.0 प्रतिशत हो गया था। बौद्धिक संपत्ति उत्पाद (आईपीपी) में निवेश जैसे-गैर वित्तीय निगमों-सरकारी

और निजी दोनों-द्वारा अनुसंधान और विकास, खनिज अनुसंधान, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा अन्य बौद्धिक संपदा उत्पादों में किए गए व्यय वर्ष 2017-18 में तेज हो गए थे। उपलब्ध सीमित जानकारियों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018-19 में आवास अन्य भवनों व ढांचों तथा आईपीपी में निवेश बढ़ेगा जबकि मशीनरी और उपकरण में किए गए निवेश में गिरावट दिखाई दे सकती है।


II.1.12 रिज़र्व बैंक की ऑर्डर पुस्तिका, इंवेट्री और क्षमता उपभोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के अनुसार वर्ष 2018-19 में विनिर्माण संबंधी क्षमता का उपयोग बढ़ा है, जो 2018-19 की चौथी तिमाही में 76.1 प्रतिशत की ऊँचाई तक पहुंच गया था। लेकिन, 2018-19 की चौथी तिमाही में मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोगिता एक प्रतिशतता अंक कम हो गई थी। घटती हुई बिक्री से बिक्री की तुलना में इंवेट्री का अनुपात बढ़ गया था। औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) से ज्ञात होता है कि वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में पिछली तिमाही की तुलना में मांग में हलका सुधार हुआ है जो विभिन्न पैरामीटर जैसे- उत्पादन, रोजगार, निर्यात और आयात, क्षमता-उपयोग तथा इंवेट्री की स्थिति के बारे में व्यक्त किए गए मनोभावों पर आधारित हैं। लेकिन कच्चे माल की लागत में कमी आने एवं समग्र वित्तीय स्थिति आशावादी बने रहने की उम्मीद से विनिर्माता 2019-20 की दूसरी तिमाही

चार्ट II.1.3: निवेश मांग के संकेतक



स्रोत : संयुक्त प्लानट समिति, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, एनएसओ एवं डीजीसीआईएडएस।

चार्ट II.1.4: सकल स्थिर पूंजी निर्माण की क्षेत्रकीय संरचना



स्रोत : एनएसओ।

में बिक्री मूल्य निराशाजनक होने के बावजूद लाभ-मार्जिन के प्रति आशावान बने रहे।

II.1.13 सकल घरेलू बचत की दर में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी जो वर्ष 2017-18 की सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) का 30.1 प्रतिशत हो गयी थी, जिसमें पिछले दो वर्षों से गिरावट हो रही थी (परिशिष्ट सारणी 3 ए)। जहां निजी गैर-वित्तीय निगमों की बचत में मामूली सी वृद्धि हुई थी, वहीं सामान्य सरकार की निर्बचत बढ़ गयी थी। घरेलू वित्तीय बचत जो निधि का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है –बढ़कर जीएनडीआई का 0.3 प्रतिशतता अंक हो गयी थी, हालांकि यह 2011-16 के दौरान हुई 7.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी कम रही (परिशिष्ट सारणी II.1.2)।



II.1.14 बचत-निवेश अंतर वर्ष-दर-वर्ष कम होता गया है, जो दर्शाता है कि निवेश के निधीयन की आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा घरेलू संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ, विदेशों से आने वाले संसाधनों में निवल स्तर पर कमी आयी है, जो अर्थव्यवस्था में खुलेपन की मात्रा का द्योतक है। घरेलू क्षेत्र, घाटा वाले क्षेत्रों अर्थात गैर-वित्तीय निगमों और आम सरकार के लिए फंड का निवल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है (चार्ट II.1.5)। तथापि, हाल के वर्षों में, यह स्पष्ट है कि गैर-वित्तीय निगमों, सार्वजनिक और निजी दोनों, का संसाधन अंतर उल्लेखनीय रूप से घटा है, जो दर्शाता है कि उनकी निवेश आवश्यकताओं

की पूर्ति उनके आंतरिक संसाधनों से की जा रही है। आम सरकारी क्षेत्र द्वारा बचत से आहरण का स्तर उंचाई पर बना हुआ है। जीएफसीई में हुई प्रगति पर सरकारी वित्त संबंधी खंड II.5 में चर्चा की गई है।

3. समग्र आपूर्ति

II.1.15 समग्र आपूर्ति, जिसे मूल कीमतों पर सकल मूल्य-वर्धन (जीवीए) से मापा गया है, 2018-19 में 6.6 प्रतिशत तक धीमी हो गई, जो पिछले वर्ष से 30 आधार अंक कम थी और 6.8 प्रतिशत की अपनी दशवार्षिक दर से 20 आधार अंक कम थी (परिशिष्ट सारणी 2)। जीवीए की तिमाही-दर-तिमाही मौसमी रूप से समायोजित वार्षिकीकृत संवृद्धि दर (एसएएआर) ने, आधार प्रभावों से अपनी गति को मुक्त करते हुए, 2017-18 की चौथी तिमाही में एक बड़ा परिवर्तन दर्शाया और इसके बाद, 2018-19 की तीसरी तिमाही में एक क्षणिक सुधार को छोड़कर कमजोर होती गई, बावजूद इसके कि 2018-19 की पहली छमाही में आधार प्रभाव सकारात्मक था (चार्ट II.1.6) और यह प्रतीत होता है कि इस गति को गंवा देने के पीछे उत्पादकता में क्रमिक मंदी है (बॉक्स II.1.3)।

II.1.16 आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था के पिछले 16 वर्षों के संवृद्धि-पथ के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सेवा क्षेत्र, संवृद्धि का प्रमुख वाहक रहा है और सिवाय 2008-09 के, यह क्षेत्र इस



बॉक्स II.1.3

भारत में कारक-उत्पादकता के वाहक

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था ने उत्पादन में मंदी का अनुभव किया और उत्पादन प्रति कामगार (श्रम उत्पादकता) और कुल कारक-उत्पादकता या टीएफपी, दोनों में भी उल्लेखनीय गिरावट आयी (आल्डर एवं अन्य; 2017)। भारत में भी, टीएफपी संवृद्धि 2003-07 के दौरान रही 1.8 प्रतिशत से घटकर 2008-16 के दौरान 0.8 प्रतिशत हो गयी (चार्ट 1)।

श्रम उत्पादकता में सुधार (ए) पूंजी गहनता (बी) वर्तमान पूंजीगत स्टॉक में कार्यक्षमता (सी) श्रम आपूर्ति की गुणवत्ता और (डी) टीएफपी पर निर्भर करता है। संवृद्धि गणना फ्रेमवर्क में, श्रम एवं पूंजीगत निविष्टियों में संवृद्धि को समायोजित करने के बाद, टीएफपी को एक अवशिष्ट (रेजीड्युअल) के रूप में लिया जाता है (ईसीबी, 2007; जॉर्जनसन, हो, सैमुएल्स & स्टीरोह, 2007)।


अध्ययन की अवधि के दौरान, जीडीपी संवृद्धि पथ के अनुरूप एक मिश्रित बदलाव दृष्टिगोचर हुआ है: टीएफपी संवृद्धि में कृषि का योगदान घटा है जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है और विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर रहा है। कृषि क्षेत्र में मूल्य योजित संवृद्धि इसकी टीएफपी संवृद्धि के बिलकुल साथ-साथ बढ़ी है, जो कृषिगत कार्यनिष्पादन में कारक निविष्टियों के अपेक्षाकृत कम महत्व को

दर्शाता है (चार्ट 2)। दूसरी तरफ, विनिर्माण एवं सेवा – दोनों क्षेत्रों के मामलों में विपथन देखा गया है और इन दोनों क्षेत्रों में टीएफपी संवृद्धि निरंतर धीमी हुई है और खासकर, सेवा क्षेत्र के मामले में, योजित मूल्य की तुलना में यह अधिक धीमी हुई है (चार्ट 3)। सेवा क्षेत्र² संवृद्धि में टीएफपी का योगदान, खासकर हाल के वर्षों में, विनिर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहा है (चार्ट 4)।




हार्बर्गर प्लॉट³ का उपयोग करते हुए यह देखा गया है कि टीएफपी संवृद्धि में सतत योगदान करने वाले कुछ घटक हैं, जैसे- रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, डाक एवं दूरसंचार और परिवहन एवं भंडारण (चार्ट 5)। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के विस्तार ने दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं और कारोबार सेवाओं को बहुत अधिक लाभान्वित किया है और टीएफपी संवृद्धि में उनका महत्व हाल के वर्षों में बढ़ गया है।

तथापि, कुछ क्षेत्र कई वर्षों से पिछड़े हुए ही हैं। सभी क्षेत्रों में अभिसरण (कनवर्जेंस)की जांच करने के लिए, निम्नलिखित रूप में एक पैनल समाश्रयण (रिग्रेशन) प्राक्कलित किया गया है (यूरोपियन कमीशन, 2014)।

$$TFP_{it} = \beta_0 + \beta_1 TFPgap_{it-1} + \beta_2 TFPmax_{it} + \gamma Year + \theta Ind + \epsilon_{it}$$



*: पूंजी की गहनता में पूंजी भंडार की दक्षता शामिल है।




स्रोत : द इंडिया क्लेम्स डाटाबेस, एनएसओ और भारिबै स्टफ अनुमान।

(जारी...)

² सेवा क्षेत्र में भवन निर्माण शामिल नहीं है क्योंकि यह रोजगार-परक है तथा अधिकांश वर्षों से इसका टीएफपी ऋणात्मक है।

³ क्षेत्रों का क्रम कुल टीएफपी वृद्धि में उनके योगदान के अनुसार है। तदनुसार समीप के क्षेत्र समग्र टीएफपी वृद्धि में उच्च टीएफपी योगदान को दर्शाते हैं।



जहाँ,

TFP_{it} = उद्योग i का समय t पर टीएफपी संवृद्धि

$TFP_{gap, i, t-1}$ = निर्दिष्ट उद्योग के लिए टीएफपी स्तरों और वर्ष $t-1$ में उच्चतम उत्पादकता वाले उद्योग के टीएफपी स्तरों का लॉग अंतर

TFP_{max} = दिये गए वर्ष t में उच्चतम उत्पादकता स्तर वाले उद्योग की टीएफपी संवृद्धि

इस विनिर्देश में, टीएफपी अंतराल अग्रणी क्षेत्र और अन्य उद्योगों के बीच अभिसरण की गणना करता है जबकि टीएफपीमैक्स अग्रणी क्षेत्रों के प्रभाव-विस्तार की गणना करता है। टीएफपी अंतराल का ऋणात्मक चिन्ह उन्नत प्रौद्योगिकी और उन्नत प्रबंधकीय कार्यप्रणालियों को अपनाकर टीएफपी फ्रंटियर से अधिक दूरी वाले पिछड़े उद्योगों के लिए बड़े संभाव्य लाभ का द्योतक है। दूसरी तरफ, टीएफपीमैक्स का धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि

वित्तीय सेवाओं की तरह आईसीटी वाले अग्रणी क्षेत्र से टीएफपी का अन्य क्षेत्रों में प्रभाव-विस्तार (स्पिल ओवर) हुआ है। समाश्रयण (सिग्रेसन) के परिणाम बताते हैं कि भारत में टीएफपी अभिसरण और प्रभाव-विस्तार के चैनल मौजूद हैं (सारणी 1)। तीव्रतर अभिसरण पिछली अवधि अर्थात 2009-15 में देखा गया था, जब वित्तीय सेवाएँ उच्चतम टीएफपी वाले क्षेत्र के रूप में उभरी थीं।

हार्बर्गर प्लॉट और अभिसरण मॉडल से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से मानव पूंजी में उच्चतर निवेश करने की जरूरत है ताकि अन्य क्षेत्र उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाते में सक्षम हो सकें और आईसीटी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले उद्योगों के अभिसरण और प्रभाव-विस्तार से लाभान्वित हो सकें।

सारणी 1: क्षेत्रवार अभिसरण और टीएफपी का प्रसार

चर	1981-2016	1981-1992	1992-1999	2003-2007	2009-2016
1	2	3	4	5	6
टीएफपी gap	-0.047* (0.023)	-0.269*** (0.063)	-0.274* (0.136)	-0.304* (0.174)	-0.428*** (0.107)
टीएफपी max	0.144** (0.619)	0.374*** (0.111)	1.054 (0.668)	-1.396 (0.833)	2.762*** (0.577)
स्थिरांक	-0.065** (0.282)	-0.393*** (0.091)	-0.338** (0.151)	-0.363* (0.199)	-0.568*** (0.136)
वर्ष निश्चित प्रभाव	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
प्रेक्षण	972	324	216	135	216
आर-वर्गांकित	0.08	0.24	0.12	0.13	0.29
इंडकोड की संख्या	27	27	27	27	27

कोष्ठकों में रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

संदर्भ:

1. आल्डर, जी; आर दुवाल, डी. फरसेरी, एस के सेलिक, के कोलोस्कोवा, एण्ड एम पोप्लावस्की-रिबेरीओ (2017), 'गॉन विद द हेडविंड्स: ग्लोबल प्रोडक्टिविटी', आईएमएफ स्टाफ डिस्कशन नोट, एसडीएन/17/04
2. ईसीबी, (2007), 'सेक्टरल पैटर्न्स ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन द यूरो एरिया कंटरीज', यूरोपियन सेंट्रल बैंक मंथली बुलेटिन, पृ.57-61
3. यूरोपियन कमीशन (2014), 'द ड्राइवर्स ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन कैचिंग-अप इकोनोमिज', क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन द यूरो एरिया, खंड 13(1), पृ.7-19
4. जॉर्जेसन, डी डबल्यू, एम एस हो, जे डी सैमुएल्स एण्ड जे स्टीरोह, (2007), 'इंडस्ट्री ओरिजिंस ऑफ द अमेरिकन प्रोडक्टिविटी रिसरजेंस', इकोनोमिक सिस्टम्स रिसर्च, 19(3), 229-252

सारणी II.1.2: वास्तविक जीवीए संवृद्धि

क्षेत्र	संवृद्धि (प्रतिशत)					संवृद्धि में योगदान (प्रतिशत)				
	2003-08	2008-09	2009-11	2011-14	2014-19	2003-08	2008-09	2009-11	2011-14	2014-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना	4.5	-0.2	4.0	4.5	2.9	12.0	-1.2	8.7	14.6	6.1
II. उद्योग	8.4	3.4	9.1	2.9	8.1	24.9	18.6	29.2	11.8	25.1
i. खनन और उत्खनन	5.2	-2.5	9.7	-5.6	7.1	3.1	-2.4	5.0	-4.4	2.8
ii. विनिर्माण	9.6	4.7	9.3	4.5	8.4	19.7	18.5	22.2	14.1	20.0
iii. बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपादेयता सेवाएँ	7.1	4.9	6.5	5.1	7.5	2.1	2.5	2.0	2.1	2.3
III. सेवाएँ	8.6	6.4	8.0	7.0	8.2	62.0	82.6	62.1	73.6	68.8
i. निर्माण	12.8	5.6	6.4	5.4	5.7	13.4	11.6	7.9	9.0	6.5
ii. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबन्धित सेवाएँ	9.4	2.4	9.0	7.5	8.4	20.3	9.6	19.8	24.0	21.4
iii. वित्तीय, रियल इस्टेट और प्रोफेशनल सेवाएँ	7.6	5.2	5.6	8.5	8.8	19.4	23.5	15.0	28.8	25.7
iv. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	6.3	15.8	11.8	5.1	8.8	8.9	37.8	19.4	11.7	15.2
IV. आधार कीमतों पर जीवीए	7.7	4.3	7.4	5.6	7.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0


स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणना।

पूरी अवधि में मजबूती दर्शाता है (सारणी II.1.2)। दूसरी बात, मॉनसून पर निर्भरता के कारण कृषि, वानिकी और मत्स्य-पालन की संवृद्धि का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। तथापि, अनुषंगी गतिविधियों, जो मौसम की अनिश्चितताओं से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहती हैं, ने इस क्षेत्र को कुछ समुत्थानशीलता प्रदान की है। फलस्वरूप, कृषि ने समग्र जीवीए में अपना हिस्सा सेवा क्षेत्र की तुलना में गंवा दिया है। दूसरी तरफ, औद्योगिक जीवीए अपने सबसे बड़े घटक – विनिर्माण से संचालित होता रहा है और यह अपना हिस्सा कमोबेश बनाए हुए है, जो अन्य क्षेत्रों से इसकी उत्पादनोत्तर और उत्पादन-पूर्व सहबद्धताओं (फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज) को दर्शाता है।

II.1.17 वर्ष 2018-19 में कृषि और अनुषंगी गतिविधियों से जीवीए 2.9 प्रतिशत बढ़ा; जबकि दो वर्षों के रिकॉर्ड उत्पादन के बाद खाद्यान्न और बागबानी उत्पादन में वृद्धि नरम पड़ गई। पहले से चौथे अग्रिम अनुमान तक पहुँचने की जारी प्रक्रिया को देखते हुए, शायद अंतिम अनुमान कोई नया रिकॉर्ड दर्शाए। समग्र जीवीए में कृषि और अनुषंगी गतिविधियों का योगदान 2018-19 में घटकर 6.6 प्रतिशत रह गया। लेकिन 2014-19 के दौरान, 6.1 प्रतिशत के मुकाबले यह अधिक बना रहा।

II.1.18 दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2018 की शुरुआत अच्छी रही लेकिन मध्य जुलाई से मध्य सितंबर के दौरान, विभिन्न राज्यों में असमान वर्षा के साथ, इसने अपनी गति खो दी (चार्ट II.1.7ए)। कुल मिलाकर, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के मौसम के दौरान संचयी वर्षा, दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 9 प्रतिशत कम रही। इसका असर खरीफ की बुआई पर पड़ा- शुरुआत में न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) की देर से घोषणा और खरीफ फसलों की थोक कीमतों की निरंतर अपस्फीति के चलते स्थिति बिगड़ी लेकिन मौसम के आखिरी सप्ताहों में इसमें कुछ सुधार हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 2017-18 के अंतिम अनुमान के मुकाबले 2018-19 में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। धान के एमएसपी में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि से उत्साहित होकर, चावल उत्पादन में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन दालों और मोटे अनाज के उत्पादन में कमी आयी। नकदी फसलों में, गन्ना उत्पादन पिछले पाँच वर्षों की 2.8 प्रतिशत की औसत वृद्धि के मुकाबले 5.3 प्रतिशत रहा, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे बड़े कपास-उत्पादक राज्यों में कम वर्षा के कारण कपास उत्पादन में पिछले वर्ष के मुकाबले 12.5 प्रतिशत की गिरावट आयी।

चार्ट II.1.7: साप्ताहिक वर्षा



स्रोत : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

II.1.19 खरीफ फसलों की कटाई में हुई देरी के कारण रबी की बुआई में देरी हुई और यह पिछले वर्ष के स्तर तक नहीं पहुँच पायी। साथ ही, यह उत्तर-पूर्व मॉनसून वर्षा में कमी (एलपीए से 44 प्रतिशत कम) (चार्ट II.1.7बी) के कारण भी लड़खड़ा गई

और रबी खाद्यान्न उत्पादन में 2017-18 के अंतिम अनुमान के मुकाबले 2018-19 में 0.9 प्रतिशत की गिरावट आयी। तथापि गेहूँ इस व्यापक गिरावट को झेल गया और पिछले वर्ष के बम्पर उत्पादन से आगे निकल गया (सारणी II.1.3)।

सारणी II.1.3 : कृषि उत्पादन 2018-19

(मिलियन टन)

फसल	मौसम	2017-18		2018-19			2018-19 अंतर (प्रतिशत)				
		चौथा एई	अंतिम	लक्ष्य	तीसरा एई	चौथा एई	की तुलना में 2017-18		की तुलना में 2018-19		
							चौथी एई	अंतिम	तीसरा एई	लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
चावल	खरीफ	97.5	97.1	99.0	101.7	102.1	4.7	5.1	0.4	3.2	
	रबी	15.4	15.6	15.0	13.9	14.3	-7.3	-8.5	3.0	-4.7	
	कुल	112.9	112.8	114.0	115.6	116.4	3.1	3.2	0.7	2.1	
गेहूँ	रबी	99.7	99.9	102.2	101.2	102.2	2.5	2.3	1.0	0.0	
	मोटे अनाज	खरीफ	33.9	34.0	35.7	32.5	31.0	-8.6	-8.9	-4.6	-13.2
		रबी	13.1	12.9	12.4	10.8	12.0	-8.7	-7.6	10.3	-3.5
दालें	कुल	47.0	47.0	48.1	43.3	43.0	-8.6	-8.6	-0.9	-10.7	
	खरीफ	9.3	9.3	9.9	8.5	8.6	-8.0	-7.7	0.8	-12.8	
	रबी	15.9	16.1	16.1	14.7	14.8	-6.9	-8.1	0.7	-8.1	
अन्न	कुल	25.2	25.4	26.0	23.2	23.4	-7.3	-7.9	0.8	-9.8	
	खरीफ	140.7	140.5	144.6	142.8	141.7	0.7	0.9	-0.7	-2.0	
	रबी	144.1	144.5	145.7	140.6	143.2	-0.6	-0.9	1.9	-1.7	
तिलहन	कुल	284.8	285.0	290.3	283.4	285.0	0.0	0.0	0.6	-1.8	
	खरीफ	21.0	21.0	25.5	21.0	21.3	1.3	1.3	1.4	-16.6	
	रबी	10.3	10.5	10.5	10.4	11.0	6.5	5.0	5.3	4.6	
गन्ना (सरकंडा)	कुल	31.3	31.5	36.0	31.4	32.3	3.0	2.5	2.7	-10.4	
	खरीफ	376.9	379.9	385.0	400.4	400.2	6.2	5.3	-0.1	3.9	
	रबी	34.9	32.8	35.5	27.6	28.7	-17.7	-12.5	4.0	-19.1	
जूट और मेस्ता ##	10.1	10.0	11.2	9.8	9.8	-3.6	-2.6	-0.3	-12.8		

#: लाख गाँठे, प्रत्येक 170 किलोग्राम की। एई : अग्रिम अनुमान।

##: लाख गाँठे, प्रत्येक 180 किलोग्राम की।

स्रोत : कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

समग्र तौर पर, 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 2017-18 में हासिल किए गए रिकॉर्ड के अनुसार है। जहाँ चावल और गेहूँ उत्पादन ने रिकॉर्ड बनाया, वहीं दालों और मोटे अनाजों के उत्पादन में गिरावट आयी।

II.1.20 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में 2018-19 में चावल और गेहूँ की भंडार स्थिति, बफर मानकों से क्रमशः 2.9 गुना और 2.5 गुना अधिक थी। इसलिए पिछले वर्ष





के उत्पादन के 0.87 प्रतिशत के मुक्काबले, 2018-19 के वार्षिक उत्पादन के 4.12 प्रतिशत खुला बाजार बिक्री के जरिये, उठवाली में वृद्धि की आवश्यकता है। अतिरिक्त खाद्य भंडार, जो असामान्य रूप से दबी हुई खाद्य कीमतों, बढ़ते कर्ज और शिथिल ग्रामीण मजदूरी आदि सहित कृषि-संकट में परिणत हो गया है, के प्रति अग्रसक्रिय व प्रभावी आपूर्ति प्रबंध नीतियों की मांग करती है (बॉक्स II.1.4)।

बॉक्स II.1.4 :
प्रचुरता की समस्या

उपज में सुधार और रकबों में विस्तार से पूरे विश्व में अनाज, तिलहन और चीनी के उत्पादन में तेजी आयी है। बड़ी कृषि कंपनियों द्वारा फसल भूमि के विस्तार, फसल सघनीकरण, उर्वरकों, मशीनरी एवं भंडारण सुविधाओं में निवेश के कारण काला सागर क्षेत्र (रसियन फेडरेशन, उक्रेन और कजाकिस्तान) में गेहूँ उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। अलास्का में क्षेत्र विस्तार और इसके साथ-साथ, संकर बीज प्रौद्योगिकी में नवोन्मेष से मक्का (कॉर्न) उत्पादन में उछाल आया


है (रायटर्स, 2017)। परिणामस्वरूप, 2006-07 से 2018-19 के अधिकतर वर्षों में विश्व में उपभोग से ज्यादा अनाज उत्पादन हुआ (चार्ट 1ए)। अनाज, चीनी और तिलहन के भंडार अब तक के सबसे ऊँचे स्तर पर हैं (चार्ट 1बी, 1सी और 1डी)।

भारत में अनाज, दलहन, तिलहन और बागबानी फसलों के 2016-17 से 2017-18 में वर्ष-दर-वर्ष बम्पर उत्पादन (चार्ट 2) ने पर्याप्त भंडार तैयार कर दिया है। आपूर्ति शृंखलाओं में सुधार, कम कीमत वाले



स्रोत : यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (यूएसडीए) एवं खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)।

(जारी...)



मोबाइल फोनों की उपलब्धता, व्यक्ति-वित्त और आपूर्ति प्रबंध, यद्यपि प्रतिक्रियात्मक और असमयोजित, ने अतिरिक्त आपूर्ति के दुर्लभ उभार में योगदान दिया है।

पैनल डाटा मॉडल में काम कर रहे विभिन्न कारकों (पूलिंग क्रॉप लेवेल डाटा, सिंह और अन्य, 2014) को 2006-07 से 2018-19 की अवधि के लिए पृथक करने पर, यह देखा गया है कि कृषि के लिए क्षेत्रफल विस्तार और उपज बढ़ाना धनात्मक और महत्वपूर्ण है- क्षेत्रफल प्रभाव

2006-07 से 2012-13 की तुलना में 2016-17 से 2018-19 के दौरान अपेक्षाकृत कम रहा है, लेकिन उपज प्रभाव⁴ उच्चतर रहा है। हाल की अवधि में सापेक्षिक कीमतों का प्रभाव कम रहा है क्योंकि घरेलू कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले ऊँची थीं, जिसके कारण भारत का कृषि निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता क्षीण हुई और आयात बढ़ा। इससे घरेलू आपूर्ति बढ़ गयी और घरेलू कीमतें दब गईं।

संदर्भ:

1. रायटर्स, (2017), 'ड्रोनिंग इन ग्रेन – रायटर्स स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रेन्स ग्लट', रायटर्स, <https://farmpolicynews.illinois.edu/2017/09/drowning-grain-reuters-special-report-global-grains-glut/> पर उपलब्ध
2. सिंह, बी पी, पी के जोशी, डी एस नेगी और एस अग्रवाल, (2014), 'चेंजिंग सोर्स ऑफ ग्रोथ इन इंडियन एग्रिकल्चर: इंप्रेसन्स फॉर रिजनल प्रायरीटीज फॉर एक्सलरेटिंग एग्रिकल्चर ग्रोथ', वर्किंग पेपर 01325, आईएफपीआरआई, वाशिंगटन, यूएसए

बागबानी

II.1.21 कृषि जीवीए में 33 प्रतिशत हिस्से के साथ बागबानी ने 2012-13 से खाद्यान्न उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है। दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2018-19 में बागबानी फसलों का 314.9 मिलियन टन उत्पादन एक रिकॉर्ड है, जो मुख्यतः मसालों, फूलों और सब्जियों के उत्पादन के कारण संभव हुआ है (सारणी II.1.4)।

नीतिगत पहल

II.1.22 खरीफ 2018-19 में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पिछले वर्ष घोषित एमएसपी के मुकाबले 3.7 से 52.5 प्रतिशत तक अधिक थे। सरकार ने एमएसपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) की घोषणा की, जो अनाज, दलहन, तिलहन, जूट तथा कपास आदि फसलों के उचित मूल्य

$$\begin{aligned}
 {}^4 \log Cval_{it} = & 0.525(\log A_{it}) + 0.842(\log Y_{it}) - 0.013(dummy RP_{it-1}) + 0.028(\log A_{it} * T_{i2}) \\
 & (0.325) (0.07) *** (0.03) (0.058) \\
 & -0.685(\log A_{it} * T_{i3}) - 0.084(\log Y_{it} * T_{i2}) + 0.237(\log Y_{it} * T_{i3}) \\
 & (0.014) *** (0.83) (0.07) *** \\
 & + 0.037(dummy RP_{it-1} * T_{i2}) - 0.086(dummy RP_{it-1} * T_{i3}) \\
 & (0.082) (0.029) ***
 \end{aligned}$$

आर. स्क्वेयर : 0.77 अवलोकनों की संख्या : 78

***, *: क्रमशः 1 प्रतिशत और 10 प्रतिशत महत्व को इंगित करता है।

i और t क्रमशः 'फसलों' और 'वर्षों' को दर्शाते हैं। इस मॉडल में उल्लिखित फसलें अनाज और तिलहन हैं।

$Cval_{it}$: पैदावार का फसलवार मूल्य 2004-05 की स्थिर कीमतों के आधार पर आँका गया है। यह 2017-18 और 2018-19 के लिए बहिर्विशित है। A_{it}, Y_{it} एवं RP_{it-1} : क्षेत्र, प्रतिफल और लागू रिलेटिव प्राइस डमी जिसका मान 1 होता है यदि घरेलू कीमतों और अंतरराष्ट्रीय कीमतों का अनुपात 1 से ज्यादा होता है।

अन्तःक्रिया पद : क्षेत्र, प्रतिफल और लागू रिलेटिव प्राइस डमी, 2006-07 से 2012-13 के दौरान घरेलू और वैश्विक दोनों में उच्च खाद्य कीमतें; 2013-14 से 2015-16 के दौरान सूखा/अतिशय वर्षा; और 2016-17 से 2018-19 के दौरान रिकार्ड उत्पादन और खाद्य कीमतों में कमी, समय के साथ परस्पर संबंधित हैं।

मॉडल का चुनाव (अर्थात् यादृच्छिक प्रभाव) हासमैन परीक्षण पर आधारित हैं। अन्य नियंत्रकों में फसल और समय डमी शामिल हैं।

आर्थिक समीक्षा

सारणी II.1.4 : बागवानी उत्पादन

(मिलियन टन)

फसल	2017-18		2018-19		अंतर (प्रतिशत)		
	दूसरा एई	अंतिम अनुमान (एफई)	पहला एई	दूसरी एई	2018-19 दूसरी एई की तुलना में 2017-18 दूसरी एई	2018-19 दूसरी एई की तुलना में 2017-18 दूसरी एफई	2018-19 दूसरी एई की तुलना में 2018-19 पहली एई
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल फल	94.4	97.4	96.8	97.4	3.2	0.0	0.6
केला	29.3	30.8	30.0	31.2	6.6	1.3	4.0
नींबू	12.5	12.5	12.3	13.2	5.1	4.8	7.3
आम	20.5	21.8	22.4	21.0	2.1	-4.0	-6.3
कुल सब्जियाँ	182.0	184.4	187.5	187.4	2.9	1.6	-0.1
प्याज	21.8	23.3	23.6	23.3	6.6	0.1	-1.4
आलू	50.3	51.3	52.6	53.0	5.2	3.2	0.7
टमाटर	22.1	19.8	20.5	19.7	-10.9	-0.5	-4.1
बागवानी फसलें	18.5	18.1	18.0	17.7	-4.3	-2.3	-1.8
कुल मसाले	8.5	8.1	8.6	8.6	0.8	6.0	0.3
सुगंधियाँ और औषधीय	1.1	0.9	0.9	0.8	-20.2	-2.3	-4.8
कुल फूल	2.6	2.8	2.9	2.9	12.1	3.9	1.2
कुल	307.2	311.7	314.7	314.9	2.5	1.0	0.1

एफई : अंतिम अनुमान, एई : अग्रिम अनुमान

स्रोत : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।


सुनिश्चित करने हेतु एक समावेशी योजना (अंब्रेला स्कीम) है। सभी प्रमुख रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि पिछले वर्ष के मुकाबले कम थी।

II.1.23 दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, सरकार ने डेयरी प्रोसेसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ) बनाया है। सरकार ने एक पृथक मत्स्य विभाग बनाया है ताकि इस क्षेत्र के विकास पर निरंतर और केंद्रीकृत रूप से ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा, सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी संरचना की बड़ी कमियों को पूरा करने के लिए, एक समर्पित फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) भी बनाया है। सरकार ने मवेशियों के मुंहपका और खुरपका रोग के नियंत्रण के लिए भी योजना अनुमोदित की है।

II.1.24 खरीफ 2019-20 के लिए घोषित एमएसपी पिछले वर्ष के मुकाबले उल्लेखनीय रूप से नहीं बदला है। पिछले वर्ष की तरह ही, एमएसपी इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि उत्पादन

लागत से ऊपर 50 प्रतिशत का न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित करे। किसानों को आय सहयोग प्रदान करने के लिए, अन्तरिम संघीय बजट 2019-20 में, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-केआईएसएन) की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसानों को केंद्रीय सरकार से 6000 रुपये प्रति वर्ष (प्रति 2000 रुपए की तीन किस्त) का सीधा आय सहयोग मिलेगा। हाल में सरकार ने इस योजना को विस्तार दिया है जिससे इसका लाभ अब 14.5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगा। सरकार की दूसरी हालिया पहल है- प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के बीच की उम्र के लघु एवं सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र हो जाने पर 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम निर्धारित पेंशन मिलेगी। इसके लिए उन्हें स्वेच्छा से इस पेंशन फंड में अंशदान करना होगा और सरकार भी इसी अंशदान के बराबर ही अंशदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत पहले तीन वर्षों में 5 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल करने की अपेक्षा है। जुलाई में घोषित संघीय बजट

चार्ट II.1.8: औद्योगिक उत्पादन में संवृद्धि और क्षमता उपयोग



स्रोत : एनएसओ तथा आरबीआई।


में नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन, ई-नैम (ऑनलाइन कृषि ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म) के लाभों को किसानों की बड़ी संख्या तक पहुँचाने और किसानों की आय बढ़ाने हेतु शून्य बजट की खेती शुरू करने की आवश्यकताओं की पहचान की गयी है। बजट में एक मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढाँचे की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) आरंभ करने का भी प्रस्ताव है। साथ ही, सरकार ने ब्याज सहायता का लाभ और पुनर्निर्धारित ऋणों के लिए 3 प्रतिशत के त्वरित चुकोती प्रोत्साहन की सुविधा पशुपालन और मत्स्य पालन तक भी पहुँचायी है।

औद्योगिक क्षेत्र

II.1.25 वर्ष 2018-19 में उद्योग क्षेत्र में जीवीए संवृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर थोड़ी-सी तेज होकर 6.2 प्रतिशत पहुंची,


जिससे लगातार दो वर्षों की मंदी की शृंखला टूटी। जीवीए संवृद्धि का चक्रीय घटक (होर्डिक-प्रेसकॉट फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हुए एक एकचरीय पद्धति से आकलित) वर्ष के दौरान ऋणात्मक बना रहा जबकि विनिर्माण में क्षमता उपयोग सुधरकर 10-वर्ष के औसत स्तरों तक पहुँच गया (चार्ट II.1.8: ए व बी)। दूसरी तरफ, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संवृद्धि, विनिर्माण में मंदी के कारण, 2018-19 के दौरान तीन वर्षों के सबसे निचले स्तर तक गिरकर, 3.8 प्रतिशत हो गयी। आईआईपी के क्षेत्रक घटकों में, वर्ष के दौरान खनन तथा बिजली उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर रहा। शुरुआती 2019-20 में बिजली संवृद्धि में तेजी दिखी जबकि विनिर्माण और खनन स्थिर रहा (चार्ट II.1.9)।

चार्ट II.1.9: औद्योगिक उत्पादन में संवृद्धि



स्रोत : एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ द्वारा गणना।

चार्ट II.1.10: विनिर्माण क्षेत्र संवृद्धि - उद्योग समूह तथा उपयोग आधारित



II.1.26 विनिर्माण जीवीए संवृद्धि 2018-19 की दूसरी तिमाही में धीमी होने से पहले अनुकूल आधार और चाल में सुधार की मदद से 2018-19 की पहली तिमाही में 9 तिमाहियों की ऊँचाई 12.1 प्रतिशत पर रही। सुस्त मांग - घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों, तथा खासकर तेल आधारित उच्च इनपुट लागत से विनिर्माण में सुस्ती रही और आईआईपी तथा जीवीए संवृद्धि के बीच अंतर को बढ़ाया।

II.1.27 विनिर्माण आईआईपी में 84.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले आठ में से छह बड़े उद्योग समूह अर्थात् ऑटोमोबाइल; इलेक्ट्रिकल; इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी; रसायन और फार्मास्युटिकल्स; धातु; पेट्रोलियम, प्लास्टिक तथा रबड़; और लकड़ी, स्टेशनरी तथा अन्य में संकुचन/सुस्ती के कारण 2018-19 की दूसरी छमाही के दौरान विनिर्माण में गिरावट रही - उद्योग में इसकी तीन चौथाई हिस्सेदारी है। केवल दो बड़े उद्योग समूह अर्थात् खाद्य उत्पादों तथा टेक्सटाइल्स ने तेजी दर्ज की (चार्ट II.1.10.ए)। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, विनिर्माण आईआईपी की अधिकांश सुस्ती को मध्यवर्ती वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं तथा उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं (एफएमसीजी कंपनियों द्वारा बिक्री से प्रतिबिंबित होता है) की सुस्ती में देखा जा सकता है (सारणी II.1.5)। भारत योगदानों के अनुसार क्रमशः

मध्यवर्ती वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में गिरावट सबसे तेज थी। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट देखी गई जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं में पुनः तेजी देखी गई (चार्ट II.1.10.बी)।

II.1.28 खनन क्षेत्र में सुधार कोयला उत्पादन में तेज उछाल के कारण था जिसने कच्चे तेल के संकुचन तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन में आई गिरावट की तुलना में कहीं अधिक भरपाई कर दी। कोयला उत्पादन की गति में तेजी के बावजूद, ऊष्मीय विद्युत उत्पादन धीमा रहा, जिसे कुछ हद तक पन-जल विद्युत तथा नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में हुई मजबूत संवृद्धि ने पूरा किया। विनिर्माण क्रियाकलाप की धीमी रफ्तार के कारण उद्योग क्षेत्र में बिजली की मांग घटी रही। ऐतिहासिक रूप से, आईआईपी विनिर्माण और बिजली उत्पादन साथ-साथ चलते हैं, जो यह दर्शाता है कि बिजली की मांग में सुधार के लिए विनिर्माण क्रियाकलाप में तेजी आवश्यक है। ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर, ऊष्मीय ऊर्जा खंड - 76 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मुख्य ऊर्जा आपूर्तिकर्ता है - जो इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है - यथा सकल ऊर्जा संभाग में सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी (2008-09 में 3.7 प्रतिशत से 2018-19 में 9.2 प्रतिशत); दीर्घावधि वायदा ऊर्जा क्रय करार

सारणी II.1.5: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार 2011-12)

(प्रतिशत)

उद्योग समूह	आईआईपी में भार	वृद्धि दर						
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	अप्रैल-जून 2018	अप्रैल-जून 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
समग्र आईआईपी	100.0	4.0	3.3	4.6	4.4	3.8	5.1	3.6
खनन	14.4	-1.4	4.3	5.3	2.3	2.9	5.4	3.0
विनिर्माण	77.6	3.8	2.8	4.4	4.6	3.9	5.1	3.2
बिजली	8.0	14.8	5.7	5.8	5.4	5.2	4.9	7.2
उपयोग-आधारित								
प्राथमिक वस्तुएँ	34.0	3.8	5.0	4.9	3.7	3.5	5.9	2.6
पूँजीगत वस्तुएँ	8.2	-1.1	3.0	3.2	4.0	2.7	8.6	-2.2
मध्यवर्ती वस्तुएँ	17.2	6.1	1.5	3.3	2.3	0.9	0.7	9.3
अवसंरचना/निर्माण वस्तुएँ	12.3	5.0	2.8	3.9	5.6	7.3	8.5	2.4
उपभोक्ता टिकाऊ सामग्री	12.8	4.0	3.4	2.9	0.8	5.5	8.1	-1.0
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामग्री	15.3	3.8	2.6	7.9	10.6	4.0	2.0	7.3

स्रोत : एनएसओ।


(पीपीएस)⁵ की तुलना में ऊर्जा एक्सचेंज के माध्यम से सस्ती कीमत का विकल्प तथा वित्तीय तनाव से घिरी हुई बिजली वितरण कंपनियाँ (डीआईएससीओएम)।

II.1.29 सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन संबंधी संकेतक भी यह बताते हैं कि 2018-19 की तीसरी तथा चौथी तिमाहियों में गिरावट से पहले 2018-19 की पहली तिमाही में बिक्री वृद्धि और ईबीआईटीडीए मार्जिन में तेजी थी। प्रत्याशा के अनुरूप, 2018-19 की तीसरी तथा चौथी तिमाहियों में रिज़र्व बैंक के औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण में भाग लेने वाली विनिर्माण कंपनियाँ आशावादी रहीं, किंतु उत्पादन की कमजोर संभावना, ऑर्डर-बुक्स, लाभ मार्जिन तथा समग्र वित्तीय परिस्थितियों के चलते 2019-20 की पहली तिमाही में प्रत्याशा में गिरावट आई।

सेवा क्षेत्र


II.1.30 औद्योगिक क्षेत्र के उलट, 2015-16 में आरंभ हुए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2018-19 में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सेवा क्षेत्र में संवृद्धि धीमी रही। इसके अलावा, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) से उत्पन्न गुंजाइश भी फीकी रही। पीएडीओ में सम्मिलित सामान्य सरकारी सेवाओं के अलावा, सेवा क्षेत्र जीवीए 2017-18 में 6.7 प्रतिशत से बढ़कर

2018-19 में 7.4 प्रतिशत रहा। यद्यपि सेवा जीवीए (पीएडीओ के अलावा) संवृद्धि के चक्रीय कारकों में कुछ सुधार देखा गया (आकलन अविभाज्य पद्धति द्वारा होडरिक-रेसकोट फिल्टर का उपयोग करते हुए किया गया), यह वर्ष के दौरान ऋणात्मक रहा (चार्ट II.1.11)।



⁵ यह प्रयोगसिद्ध साक्ष्य है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा एक्सचेंज में ऊर्जा की हाज़िर कीमतों पर कम प्रभाव डालते हैं। (अग्रवाल आर., एस. गुलाटी और एस. थंगझासोन (2019) 'रीन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रीसिटी प्राइस डाइनामिक्स इन इंडिया' आरबीआई बुलेटिन, मई 2019।

चार्ट II.1.12: सेवा जीवीए संवृद्धि



स्रोत : एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ द्वारा गणना।

II.1.31 सेवा के घटकों में, निर्माण क्षेत्र में जीवीए 2012-13 के आरंभ हुई तेजी की अपनी प्रवृत्ति में बना रहा (चार्ट II.1.12ए), जैसा कि अवसंरचना और किफ़ायती आवास पर सरकार के केंद्र-बिंदु में रहने से मिल रहे समर्थन के कारण वर्ष के दौरान स्टील की खपत और सीमेंट उत्पादन में मजबूत वृद्धि से प्रकट होता है।


II.1.32 संवृद्धि में भारित योगदान के अनुसार, वित्तीय, रियल एस्टेट तथा पेशेवर सेवाओं के साथ प्रमुख वित्तीय सेवा संकेतकों में सुधार दिखा (चार्ट II.1.12.बी), अर्थात्, सकल जमा और बैंक क्रेडिट संवृद्धि में तेजी तथा आईटी सेवा प्रदाता कंपनियों की ईबीआईटीडीए में तेजी। वर्ष 2018-19 में व्यापार, होटल, यातायात, संचार तथा प्रसारण से जुड़ी सेवाओं, जो सेवाओं की संवृद्धि से संबन्धित हैं, के भारित योगदान में गिरावट रही। वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में व्यापक आधार पर आई गिरावट के बीच सड़क यातायात खंड के संकेतकों में, नए वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में गिरावट रही। मुख्य रूप से एक बड़ी विमानन कंपनी में आए वित्तीय संकट के कारण जनवरी 2019 से विमानन क्षेत्र ने भी गिरावट दर्ज की जो घरेलू यात्री ट्रैफिक में भी दिखा, पिछले 52 सप्ताह से दिसंबर 2018 तक इसमें लगातार दहाई अंक की वृद्धि दर्ज हुई थी। केवल रेल यातायात में निवल टन किलोमीटर भाड़े के रूप में थोड़ी सी वृद्धि देखी गई।

II.1.33 रिज़र्व बैंक सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक (एसएससीआई), जो उच्च आवृत्ति संकेतकों से संग्रहीत सूचना को संघटित करता है और जो सेवा क्षेत्र में जीवीए संवृद्धि की अगुआई करता है, 2019-20 की पहली तिमाही से संयत होता जा रहा है (चार्ट II.1.13)।

3. रोजगार

II.1.34 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने मई 2019 में सामयिक श्रम-बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जारी किया जो पिछले दौर के रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस)

चार्ट II.1.13: सेवा क्षेत्र में संवृद्धि (पीएडीओ को छोड़कर) और सेवा क्षेत्र समेकित सूचकांक (एसएससीआई)



पीएडीओ : लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाएँ।

स्रोत : एनएसओ और आरबीआई स्टाफ द्वारा आकलन।

की तुलना में 2017-18 में बेहतर नियमन को दर्शाता है। कुल श्रम-बल में, नियमिता/वेतनभोगी की शहरी क्षेत्र में पुरुष और महिला हिस्सेदारी क्रमशः 45.7 प्रतिशत (2011-12 में 43.4 प्रतिशत) और 52.1 प्रतिशत (2011-12 में 42.8 प्रतिशत) के साथ उच्चतर थी। ग्रामीण क्षेत्र में भी, श्रम-बल की हिस्सेदारी 2017-18 में बढ़ी, हालांकि 14 प्रतिशत पुरुष (2011-12 में 10 प्रतिशत) और 10.5 प्रतिशत महिला (2011-12 में 5.6 प्रतिशत) हिस्सेदारी के साथ यह अभी भी कम है। सामान्य स्थिति में प्रक्रिया विधि में अंतर के कारण पीएलएफएस, के अनुसार बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत (पुरुष में 6.2 प्रतिशत और महिला में 5.7 प्रतिशत) की ईएसयू से ठीक-ठीक तुलना नहीं की जा सकती है।

II.1.35 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पे-रोल⁶ डेटा से संकलित की गई औपचारिक क्षेत्र में रोजगार संबंधी जानकारी 2017-18⁷ की तुलना में 2018-19 में रोजगार सृजन की एक मिलीजुली तस्वीर पेश करती है। ईपीएफओ में प्रतिमाह जुड़ने वाले निवल नए अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई (2017-18 में 0.22 मिलियन से 2018-19 में 0.56 मिलियन), जबकि एनपीएस के नए अभिदाताओं में कमी आई। 2018-19 के दौरान ईएसआईसी में अपने अंशदान जमा करने वाले सदस्यों की संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई।

II.1.36 रोजगार सृजन को बल देने के लिए वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कई नीतिगत कदम उठाए गए। मनोरंजन उद्योग में रोजगार की बढ़ी संभावना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में फिल्मों की शूटिंग में सहजता हेतु केवल विदेशी फिल्मकारों के लिए उपलब्ध एकल खिड़की अनुमति सुविधा को 2019-20 से भारतीय फिल्मकारों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, यह रोजगार का एक लुभावना अवसर प्रदान करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग

(एमएसएमई) को ₹10 मिलियन तक का ऋण 59 मिनट में स्वीकृत करने की योजना लाई गई है। साथ ही, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 मिलियन से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि उन्हें जीविकोपार्जन में मदद मिले। एमयूडीआरए, स्टार्ट-अप इंडिया तथा स्टैंड-अप इंडिया सहित स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया जा रहा है।

II.1.37 संक्षेप में, पिछले वर्ष की तुलना में कुछ संयमन के साथ यद्यपि 2018-19 में खपत मांग संवहनीय रही, जबकि सकल स्थिर पूंजी सृजन से वर्ष के पूर्वार्ध में गति बनी रही और इसके बाद आम चुनाव के बीच राजनैतिक अनिश्चितताओं के वातावरण में कमजोर हुई। बाहरी मांग ने लगातार दूसरे वर्ष बाधा उत्पन्न करने का काम किया। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून में कमी और खाली जलाशयों ने कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन को प्रभावित किया। वर्ष के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्षेत्र ने जबकि संवहनीय वृद्धि दर्ज की, निर्माण और वित्तीय सेवाओं में गति के कारण पूरे सेवा क्षेत्र में अच्छी संवृद्धि रही। आधिकारिक अनुमानों से पता चलता है कि 2017-18 में अधिक रोजगार नियमन तथा सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम से रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इसके आगे, कारोबार करना सुगम बनाने के लिए अन्य कानूनी सुधार जारी रखना ज़रूरी है वहीं उपभोग और निजी निवेश को अनुप्राणित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

II.2 कीमतों की स्थिति

II.2.1 पण्य कीमत की गतिविधियों ने 2018 तथा 2019 के आरंभिक महीनों में वैश्विक मुद्रास्फीति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया। चीनी, दुग्ध उत्पाद और पशु-प्रदत्त प्रोटीन की मजबूत हो रही कीमतों से मिल रहे समर्थन के कारण 2019 के आरंभ में सुधार से पहले, विशेषकर, 2018 में खाद्य पदार्थ की

⁶ ईपीएफओ, इएसआईसी तथा एनपीएस शृंखला डेटा ओवरलेप के कारण शामिल नहीं है।

⁷ वर्ष 2017-18 के लिए केवल सितंबर 2017 से आंकड़े उपलब्ध हैं।

कीमतें स्पष्टतया नरम रहीं। चीन की ओर से कमजोर मांग के कारण विशेषकर 2018 के उत्तरार्ध से धातु की कीमतें नरम रहीं, हालांकि, वैश्विक बाजार के रुझान में कुछ सुधार तथा आपूर्ति में आई बाधा के कारण फरवरी 2019 से इसमें परिवर्तन हुआ। अमरीका में शेल गैस के अधिक उत्पादन तथा कमजोर वैश्विक मांग के कारण कच्चे तेल की कीमत अक्टूबर 2018 की अपनी ऊँचाई से वापस आई और दिसंबर 2018 तक इसमें लगभग 30 प्रतिशत तक की गिरावट हुई। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) एवं अन्य प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती और वेनेजुएला में आपूर्ति की बाधा के कारण 2019 की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।

II.2.2 इन परिस्थितियों में, सभी विकसित तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में उपभोक्ता मूल्यों द्वारा मापित खुदरा मुद्रास्फीति नरम रही। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में तो वेतन वृद्धि में मंदी तथा सुस्त वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के कारण कोर मुद्रास्फीति भी लक्ष्य से नीचे रही। ईएमई में, पण्य कीमतों और देश-विशेष में खासकर खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार से आमतौर पर मुद्रास्फीति का दबाव संयमित रहा।

II.2.3 भारत में, 2018-19 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति⁸ उल्लेखनीय रूप से औसत 3.4 प्रतिशत तक नरम रही, नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) शृंखला का यह न्यूनतम

वार्षिक मान था (सारणी II.2.1)। तदनुसार, मौद्रिक नीति समिति, सितंबर 2016 में जिसकी नियुक्ति नई मौद्रिक नीति ढांचा के अंतर्गत की गई थी, के नियंत्रण में लगातार दो वित्तीय वर्षों से मुद्रास्फीति अपने निर्धारित लक्ष्य 4 प्रतिशत से कम रही। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत के औसत के साथ सौम्य स्तर पर बनी रही।

II.2.4 खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट, ऊपरी स्तर पर टिकी हुई खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति 2018-19 में कीमत गतिशीलता की निर्धारक विशेषताएँ रहीं, तथा हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति के बीच नियमित रूप से रहने वाला असर सार्वजनिक बहस का जीवंत विषय बना रहा (चार्ट II.2.1)। इसी पृष्ठभूमि में, उप खंड 2 में वैश्विक पण्य कीमतों और मुद्रास्फीति की गतिविधि का आकलन किया गया है। उप खंड 3 में घरेलू हेडलाइन मुद्रास्फीति और बदलाव के मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया गया है। उप खंड 4 में प्रमुख घटकों यथा खाद्य, ईंधन, और खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में कीमत की गतिविधियों के बारीक पहलुओं पर सूक्ष्मता से विचार किया गया है। उप खंड 5 में कीमत और लागत तथा इनमें उतार-चढ़ाव के बीच अंतर पर विचार किया गया है।

सारणी II.2.1: हेडलाइन मुद्रास्फीति - प्रमुख सांख्यिकी सारांश



(प्रतिशत)

आंकड़े	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8
माध्य	10.0	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4
मानक विचलन	0.5	1.3	1.5	0.7	1.0	1.2	1.1
स्क्यूनेस	0.2	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	-0.2	0.1
कर्टोसिस	-0.2	-0.5	-1.0	-0.1	-1.6	-1.0	-1.5
माध्यिका	10.1	9.5	5.5	5.0	4.3	3.4	3.5
अधिकतम	10.9	11.5	7.9	5.7	6.1	5.2	4.9
न्यूनतम	9.3	7.3	3.3	3.7	3.2	1.5	2.0

नोट : स्क्यूनेस एण्ड कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और आरबीआई स्टाफ द्वारा आकलन।

⁸ हेडलाइन मुद्रास्फीति की माप आधार वर्ष : 2012=100 के साथ अखिल भारतीय सीपीआई-संयुक्त (शहरी + ग्रामीण), जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, में हुए वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा की जाती है।



2. वैश्विक मुद्रास्फीति गतिविधियां

II.2.5 खाद्य पदार्थों, विशेषकर चीनी, दुग्ध उत्पाद तथा खाद्य तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें पर्याप्त आपूर्ति के कारण 2018 के दौरान नरम रहीं (चार्ट II 2.2)। गैर खाद्य श्रेणी में, अमरीका-चीन के बीच व्यापारिक तनावों तथा विश्व स्तर पर कम मांग के कारण धातु की कीमतों में कमजोरी बनी रही। नवम्बर 2017 में रूस के नेतृत्व में ओपेक और गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल उत्पादन में प्रतिदिन 1.8 मिलियन बैरल की कटौती 2018 के अंत तक जारी रखने के निर्णय, तथा ईरान से निर्यात पर अमरीकी प्रतिबंधों के कारण - कच्चे तेल की वैश्विक कीमत 77 अमरीकी डॉलर प्रति-बैरल⁹ पहुँच गई - दिसंबर 2014 के बाद से यह उच्चतम स्तर था। भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमत में काफी वृद्धि हुई और अक्तूबर 2018 में यह 80 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच गई। हालांकि कमजोर वैश्विक संवृद्धि तथा बढ़े हुए व्यापारिक तनावों के बीच अतिपूर्ति की चिंता में नवम्बर-दिसंबर 2018 में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से नरमी आई। ओपेक सदस्य देशों द्वारा तेल उत्पादन में स्वैच्छिक कटौती करने का मजबूती से अनुपालन किए जाने तथा कच्चे तेल की आपूर्ति में आती

रही बाधा के कारण जनवरी-मार्च 2019 के दौरान कीमत ने फिर से तेजी पकड़ी। वैश्विक कीमतों के ही अनुरूप भारतीय बास्केट में भी कीमतें दिसंबर 2018 के 58 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर मार्च 2019 में 67 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल रही।

II.2.6 इन आम तौर पर नरम वैश्विक पण्य कीमत की स्थितियों को दर्शाते हुए, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2018 और 2019 के दौरान कई अर्थव्यवस्थाओं, विकसित और उभरते बाजार दोनों में, अनुकूल बनी रही। बेरोजगारी में कमी के बावजूद संभावित कीमत-मजदूरी फीडबैक लूप को पुरअसर ढंग से दबाते हुए वेतन वृद्धि सुस्त बनी रही। तदनुसार, मुद्रास्फीति संभावना भी अन्तर्विष्ट रहीं। देश-विशेष की प्रकृति-वैशिष्ट्य का सामना कर रहे अर्जेंटीना और तुर्की जैसे देशों को छोड़कर कई ईएमई ने भी मुद्रास्फीति का दबाव कम होने का अनुभव किया। वर्ष 2018 की दूसरी छमाही में, कई वैश्विक समष्टि-आर्थिक गतिविधियां जैसे कि अमरीका-चीन के व्यापार तनाव में वृद्धि, कर्ज पर लगाम लगाने की चीन की विनियामिकीय कड़ाई, और कुछ अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के अनुरूप वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने,


⁹ विश्व बैंक पण्य कीमत आंकड़ा (पिक शीट)।

से संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और जिससे पण्य कीमतों और मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ा।

3. भारत में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति

11.2.7 वर्ष 2018-19 के दौरान भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होने के साथ-साथ इसके विस्तार में मामूली गिरावट आई (सारणी 11.2.1)। मुद्रास्फीति का अंतर-वर्ष वितरण पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष अधिक संतुलित था, जैसा कि लगभग शून्य घनात्मक स्क्यू में परिलक्षित होता है। इसके अलावा, एक साल पहले की तुलना में अधिक ऋणात्मक कुब्जता इस वर्ष के दौरान माध्य मुद्रास्फीति से बड़े विचलन के कम दृष्टांत की ओर संकेत करती है, जो कि वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम मुद्रास्फीति के बीच छोटे हुए अंतराल में भी परिलक्षित होती है। मुद्रास्फीति के वितरण में यह बदलाव अनिवार्य रूप से इसके घटकों, मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, में वर्ष के दौरान एक सीमित सीमा के भीतर उतार-चढ़ाव द्वारा लाया गया था।

11.2.8 एक अलग किए गए स्तर पर, खाद्य पदार्थों पर कीमत के दबावों तथा खाद्य और ईंधन को छोड़कर समूह की कीमतों में दबाव ने जून 2018 में हेडलाइन मुद्रास्फीति को बढ़ाकर अंतर-वर्ष की ऊँचाई 4.9 प्रतिशत पर पहुंचा दिया। इसके बाद खाद्य मुद्रास्फीति नरम हुई, इसे अनुकूल आधार प्रभावों का भी समर्थन मिला। सामान्य ऐतिहासिक कीमत उतार-चढ़ाव के विपरीत, खाद्य पदार्थ की कीमतों की गति सितंबर 2018 से ऋणात्मक हो गई और अक्टूबर 2018 में खाद्य पदार्थ की कीमतें अपस्फीति में चली गई। सर्दियों की सामान्य शुरुआत में सब्जियों और फलों की कीमतों में आई नरमी से नवम्बर 2018 में यह गिरावट, नई सीपीआई शृंखला में सबसे कम (-) 1.7 प्रतिशत पर पहुँच गयी और फरवरी 2019 तक इसने अपस्फीति को बढ़ाया। जनवरी 2019 तक, हेडलाइन मुद्रास्फीति अपने अंतर-वर्ष की ऊँचाई से 295 आधार अंक (बीपीएस) गिरकर 2.0 प्रतिशत हो गई, जो कि 19 महीनों में सबसे कम है (चार्ट 11.2.3)। खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर समूह के साथ ही साथ ईंधन और बिजली की कीमतें



वर्ष के अधिकांश हिस्सों में ऊंचे स्तर पर बनी रही जो अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत तथा प्राकृतिक गैस की कीमतों में मजबूती और स्वास्थ्य तथा शिक्षा श्रेणियों के अंतर्गत कुछ विविध वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एकबारगी अप्रत्याशा को दर्शाती है। विशेष रूप से, खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति जून 2018 में 6.4 प्रतिशत पर पहुंच गई - जो चार वर्षों में सबसे अधिक थी।

11.2.9 खाद्य कीमतों में मानसून से पहले होने वाली बढ़ोतरी मार्च 2019 में ही शुरू हो गई और खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति घनात्मक श्रेणी में लौट गई। ईंधन और बिजली की कीमतों में बढ़त तथा खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति की आंशिक असहजता से मार्च 2019 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 2.9 प्रतिशत तक बढ़ी।

11.2.10 वर्ष 2018-19 के लिए समग्रतया, मुद्रास्फीति अपने पिछले एक वर्ष के स्तर से 17 बीपीएस और अपने दसवर्षीय औसत¹⁰ से 430 बीपीएस नरम हुई। आंतरिक मुद्रास्फीति अनुमान (माध्यिका) 2018-19 की दूसरी छमाही में तीन महीनों के लिए 160 बीपीएस और अपने एक वर्ष के आगामी

¹⁰ 2012-13 से पहले की बैक-कास्टेड सीरीज पर आधारित, जो मौद्रिक नीतिगत फ्रेमवर्क से संशोधित करने एवं मजबूती प्रदान करने से संबंधित समिति (अध्यक्ष : उर्जित आर. पटेल), भा.रि.बैं., 2014 की रिपोर्ट में उपलब्ध है, पर आधारित है।

क्षितिजों के लिए 170 बीपीएस घंटे। मुद्रास्फीति में प्रत्याशित गिरावट पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अधिक अग्रगामी आकलन तथा उपभोक्ता-विश्वास सर्वेक्षणों से भी समर्थित है।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

11.2.11 वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति के संघटक उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरे हैं (चार्ट 11.2.4)। आगे के पैराग्राफों में खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट, ईंधन की मुद्रास्फीति की अस्थिर प्रकृति और 2018-19 के दौरान खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति में तेज उछाल के साथ-साथ वर्ष के अंतिम महीनों में इसमें रही नरमी पर विचार किया गया है।


खाद्य वस्तुएं

11.2.12 खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों की मुद्रास्फीति (भार: सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) में वर्ष के दौरान गिरावट आई तथा समग्र मुद्रास्फीति पिछले वर्ष के 29.3 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 9.6 प्रतिशत रहने में अपना योगदान दिया। बम्पर उत्पादन स्तर 2016-18 के दौरान अप्रैल-अगस्त 2018 के प्री-मॉनसून की तेजी को दबाए रखा और सितंबर 2018 से खाद्य कीमतों में गिरावट शुरू हुई और अक्तूबर 2018-फरवरी 2019 के दौरान अपस्फीति में चली गई (चार्ट 11.2.5)।

इस उल्लेखनीय सहजता में कई कारक उभर कर सामने आते हैं: पहला, सब्जियों की कीमतों में शीतकालीन सहजता दिसंबर 2017 से अप्रैल 2018 की बढ़ी हुई अवधि तक बनी रही; दूसरा, जून 2018 से जनवरी 2019 तक फलों की कीमतों में अभूतपूर्व गिरावट; तीसरा, वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान अनाज तथा दुग्ध और उत्पादों के संबंध में मुद्रास्फीति की असामान्य सहजता; चौथा, दलहन और उत्पादों की कीमतों में निरंतर अपस्फीति; और पांचवां, वर्ष के दौरान चीनी की कीमत अधिक स्पष्ट रूप से अपस्फीति में रही है।


11.2.13. इन प्रमुख वाहकों पर गहराई से ध्यान देने पर, यह पाया गया है कि पिछले दो वर्षों की तरह ही वर्ष 2018-19 के दौरान समग्र खाद्य मुद्रास्फीति के लिए सब्जियों की कीमतें (भार: सीपीआई- खाद्य और पेय में 13.2 प्रतिशत) प्रमुख बनीं रहीं। नवंबर 2017 में प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) निर्धारित करने और आयात की सहायता से तथा प्याज और टमाटर की बाजार में अधिक आवक के कारण सर्दी में सब्जियों की कीमतों में राहत मिली। पिछले वर्षों की तुलना में सब्जियों की कीमतों में मॉनसून पूर्व की तेजी कम रही और इसमें मई 2018 तक का विलंब बना रहा, लेकिन ऐतिहासिक पैटर्न के अनुसार जुलाई में यह शीर्ष पर थी। अगस्त से कीमतों पर दबाव कम होने लगा, जिसके बाद बाजार

चार्ट 11.2.4: महंगाई के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)



*: इसमें मनोरंजन और विलासिता तथा निजी देखभाल और प्रसाधन की वस्तुएँ शामिल हैं।
स्रोत : एनएसओ, तथा आरबीआई स्टाफ द्वारा आकलन।


चार्ट 11.2.5: खाद्य वस्तुओं में महंगाई के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)




*: इसमें मांस और मछली, अंडे, दूध और उससे बनी चीज, शामिल हैं।
#: इसमें चीनी और मिष्ठान, मसाले, एल्कोहल मुक्त पेय-पदार्थ और पका हुआ खाना शामिल है।
स्रोत : एनएसओ, और आरबीआई स्टाफ अनुमान।


में आलू, प्याज और टमाटर की आवक बढ़ने से सब्जियों की कीमतें घट गईं। सर्दियों में कीमतों के समय पर संकुचन ने समग्र खाद्य समूह की कीमतों को अक्तूबर 2018 से अपस्फीति में ला दिया, जो फरवरी 2019 तक जारी रही। टमाटर की कीमतों को छोड़कर, जो महाराष्ट्र में कटाई में देरी और कर्नाटक में कवक द्वारा हुए फसल को नुकसान तथा तमिलनाडु में चक्रवात गज से हुए फसल नुकसान से प्रभावित हुई, प्याज, आलू और अन्य प्रमुख सब्जियों की कीमतें मार्च 2019 के दौरान तीव्र सुधार से पहले तक नरम बनी रहीं (चार्ट II.2.6क)।

II.2.14 फलों की कीमतों के मामले में (भार: सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 6.3 प्रतिशत), आम और केले की भारी घरेलू आवक (सीपीआई-फल के कुल भारांक का 30.4 प्रतिशत) और सेब और खट्टे फलों के आयात के कारण जून 2018 से ग्रीष्म कालिक ऊर्ध्वमुखी दबाव (अप्रैल-मई 2018) कम हुए और जनवरी 2019 तक कीमतों में ऋणात्मक गति जारी रही। अगस्त 2018 से संचयी उतार-चढ़ाव के अधोमुखी दौर ने ऐतिहासिक पैटर्न को चुनौती दी और वर्ष के दौरान खाद्य महंगाई दर की समग्र गिरावट में काफी योगदान किया (चार्ट II.2.6 बी)। सब्जियों और फलों को छोड़ कर, वर्ष 2018-19 के दौरान औसत खाद्य मुद्रास्फीति लगभग 92 आधार अंकों की अधिकता के साथ 1.6 प्रतिशत अधिक रही (0.7 प्रतिशत सब्जियों और फल सहित)।



II.2.15 अन्य प्रमुख खाद्य पदार्थों में, अनाज और उनसे बने उत्पादों की कीमतों में महंगाई दर (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में सर्वाधिक भार 21.1 प्रतिशत), 2018-19 की दूसरी छमाही में 1.4 प्रतिशत के साथ लगभग आधी हो गई थी। विशेष रूप से, चावल की कीमतें सितंबर 2018 से लगातार पांच महीनों तक संकुचित हुईं जो उच्चतर घरेलू उत्पादन और पर्याप्त स्टॉक को दर्शाती हैं (चार्ट II.2.7)। पूर्व के 20 प्रतिशत की तुलना में मई 2018 में आयात शुल्क में 30 प्रतिशत की वृद्धि के कारण अंशतः गेहूं के आयात में गिरावट से वर्ष के दौरान गेहूं की कीमतें सामान्यतः तेज बनी रहीं। पर्याप्त घरेलू





उपलब्धता को दर्शाते हुए पहली छमाही के 2.9 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 की दूसरी छमाही में दूध और उससे बने उत्पादों की कीमतों में (भार : सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 14.4 प्रतिशत) महंगाई दर नरम 0.8 प्रतिशत रही (चार्ट II.2.8)।

II.2.16 अत्यधिक आपूर्ति के कारण दालों की कीमतों में गिरावट (भार: सीपीआई- खाद्य और पेय पदार्थों में 5.2 प्रतिशत) 2018-19 के दौरान भी जारी रही(चार्ट II.2.9)। समग्र मुद्रास्फीति में दालों का ऋणात्मक योगदान 2017-18 के (-) 17.9 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में (-) 5.7 प्रतिशत हो गया क्योंकि अरहर और उड़द की मंडी कीमतों का झुकाव एमएसपी की ओर रहा।

II.2.17 फरवरी 2018 से चीनी और मिष्ठान्न (भार:सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 3.0 प्रतिशत) की कीमतों में अपस्फीति जारी रही, जो खुले बाजार में बिक्री में वृद्धि सहित अतिरिक्त आपूर्ति की स्थिति को दर्शाती हैं। चीनी की घरेलू कीमतें, वैश्विक चीनी मूल्यों के निकट रहीं। खाद्य तेलों की नरम अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप वर्ष के दौरान तेल और वसा (भार : सीपीआई -खाद्य और पेय पदार्थों में 7.8 प्रतिशत) में मूल्य दबाव सामान्यतः कमजोर बना रहा। मलेशिया और इंडोनेशिया से परिशुद्ध, ब्लीच किया हुआ और दुर्गंधरहित





बनाया गया (आरबीडी) पामोलिन आयात और कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क में 01 जनवरी 2019 से कमी सहित वर्ष 2018-19 में सोयाबीन और सरसों के उच्च उत्पादन ने कीमतों को नरम रखने में मदद की।

II.2.18 वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में मांस और मछली जैसी प्रोटीनयुक्त पदार्थों की कीमतों को (भार: सीपीआई-भोजन और पेय पदार्थों में 7.9 प्रतिशत) ऊर्ध्वमुखी दबाव का सामना करना पड़ा जिसका प्रमुख कारण था मुर्गी पालन और पशु आहार में मुख्य सामग्री अधिकतर जैसे मक्का की कीमतों में आधिक्य बने रहना।

ईंधन


II.2.19 हेडलाइन मुद्रास्फीति में ईंधन समूह (भार: सीपीआई में 6.8 प्रतिशत) का योगदान पिछले वर्ष के स्तर (11.3 प्रतिशत) पर अपरिवर्तित बना रहा। इसके दो स्पष्ट चरण दिखाई देते हैं: पहला, 2018-19 की पहली छमाही के दौरान तीव्र और सतत तेजी के साथ सितंबर 2018 में 8.6 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुँचना; दूसरा, 2018-19 की दूसरी छमाही के दौरान मुद्रास्फीति में तीव्र नरमी के साथ फरवरी 2019 में 1.2 प्रतिशत के निचले स्तर को छूना। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के अनुरूप 2018-19 की पहली छमाही के दौरान घरेलू एलपीजी और गैर-सब्सिडी वाले केरोसिन की



कीमतें बढ़ी। केरोसिन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए तेल विपणन कंपनियों ने भी नपे-तुले तरीके से केरोसिन की प्रशासित कीमतों में बढ़ोतरी की। हालाँकि, वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान ये समीकरण उलट गए। अगस्त 2018 के बाद बिजली की कीमतों में संचयी तेजी कम होने लगी और नवंबर से यह ऋणात्मक हो गई (चार्ट II.2.10)। वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान जलावन और छीलन संबंधी मूल्य दबाव स्थिर बना रहा। मुख्यतः वैश्विक एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव का अनुगमन करते हुए, दिसंबर 2018-फरवरी 2019 के दौरान घरेलू एलपीजी कीमतों में संकुचन हुआ (चार्ट II.2.11)।

खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति

II.2.20 वर्ष 2017-18 के दौरान 4.6 प्रतिशत की दर से मध्यम स्तर पर रहने के बाद (2015-18 के दौरान 4.7 प्रतिशत), जून 2018 में एक वर्ष के उच्चतम स्तर 6.4 प्रतिशत (अगस्त 2014 के बाद उच्चतम) के साथ 2018-19 के दौरान खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति 5.8 प्रतिशत पर पहुंच गई (परिशिष्ट सारणी 4) (चार्ट II.2.12)। इस वर्ग में मूल्य दबावों की मजबूती व्यापक थी, लेकिन विविध वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि की गति उल्लेखनीय थी, जो इस वर्ग का 60 प्रतिशत थी। इस उप-श्रेणी के भीतर, अक्तूबर-दिसंबर




2018 के दौरान विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और दवाओं, अस्पताल और नर्सिंग होम शुल्क, पुस्तकों और पत्रिकाओं की कीमतों, स्कूल और कॉलेज की फीस, और निजी ट्यूटर्स और कोचिंग सेंटरों की फीस आदि की कीमतों में बढ़ोतरी आश्चर्यजनक रही।

11.2.21 विविध श्रेणियों के भीतर अन्य मदों में, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, परिवहन और संचार के संबंध में मूल्य दबाव मजबूत बने रहे, किन्तु अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के उतार-चढ़ाव के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में हुई वृद्धि से परवर्ती प्रभाव पड़ा (चार्ट 11.2.13)। मूल्य दबावों को नियंत्रित करने के लिए, केंद्र सरकार ने ₹1.5 प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाकर 4 अक्टूबर, 2018 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2.5 प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की और तेल कंपनियों को ₹1.0 प्रति लीटर सहन करने के लिए कहा। कई राज्य सरकारों ने स्थानीय करों को कम करके समान कटौती की भी घोषणा की। हालांकि नवंबर-दिसंबर 2018 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतें कम हुईं, इससे परिवहन और संचार मुद्रास्फीति नियंत्रित रही। मनोरंजन और मनोविनोद

की कीमतों – विशेषकर, केबल टेलीविजन कनेक्शन के शुल्क - और निजी देखभाल तथा उससे जुड़े सामान (विशेष रूप से, सोने और चांदी की कीमतें और प्रसाधन का सामान व सौन्दर्य सामग्री आदि जैसी शीघ्र खपने वाली उपभोक्ता वस्तुएं) आदि ने फरवरी 2019 में ऊर्ध्वमुखी दबाव बनाया था। मार्च 2019 में, आवास की कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट, सोने की कीमतों में गिरावट और अनुकूल आधार प्रभाव ने इस वर्ग में मुद्रास्फीति को समग्र रूप से नीचे ला दिया। परिणामस्वरूप, खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति अक्टूबर 2018 में 6.2 प्रतिशत से गिरकर जनवरी 2019 में 5.2 प्रतिशत और फरवरी 2019 में मामूली वृद्धि के बाद, मार्च 2019 में 5.1 प्रतिशत पर आ गई।

11.2.22 वर्ष 2018-19 में आवास की निवल, खाद्य और ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति औसतन 5.6 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष के 4.1 प्रतिशत से अधिक थी। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता (एचआरए) में वृद्धि का सांख्यिकीय प्रभाव, जुलाई 2018 से कम होना शुरू हो गया और दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से समाप्त हो गया। यह दर्शाते हुए, आवास मुद्रास्फीति अप्रैल 2018 में अपने पाँच वर्ष के 8.5 प्रतिशत शीर्ष स्तर को छूते हुए, जुलाई 2018 से ही नीचे खिसकते हुए मार्च 2019 में 4.9 प्रतिशत तक पहुंच गई।

11.2.23 मार्च 2019 में कपड़े और जूते-चप्पल की महंगाई दर में काफी नरमी देखी गई और यह वर्ष के 2.5 प्रतिशत के निम्न स्तर तक पहुंच गई, जो जनवरी 2018 में पहली बार 5 प्रतिशत के मूल्य वर्धित कर (वैट) के लागू होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को रेडीमेड कपड़ों के कम निर्यात प्रभाव को दर्शाती है। कपास ए सूचकांक के संदर्भ में, कपड़ों के उत्पादन में एक प्रमुख घटक यानी कपास की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वर्ष के अधिकतर भाग (विशेषकर जुलाई 2018-फरवरी 2019) के दौरान, मार्च 2019 में कुछ सुधार को छोड़कर, गिरावट दर्ज की गई।



5. मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.2.24 वर्ष 2018-19 के दौरान, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित क्षेत्रगत सीपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल 2018 में 4.0 प्रतिशत से काफी बढ़कर मार्च 2019 में 7.7 प्रतिशत तक पहुँच गई जिसका मुख्य कारण आवास क्षेत्र था। सीपीआई-आईडब्ल्यू के तहत आवास सूचकांक को वर्ष में दो बार समायोजित किया जाता है - जनवरी और जुलाई में (सीपीआई-संयुक्त के तहत निरंतर समायोजन के विपरीत)। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आरएल) पर आधारित मुद्रास्फीति, जिसमें आवास घटक नहीं हैं, दिसंबर 2018-मार्च 2019 के दौरान बढ़ने से पहले जून-नवंबर 2018 के दौरान नरम रही।

II.2.25 वर्ष 2018-19 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गयी मुद्रास्फीति मिश्रित उतार-चढ़ाव को दर्शाती है। यह अगस्त 2018 में 4.6 प्रतिशत तक पहुंचने से पूर्व सभी तीन प्रमुख समूहों (यानी, प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और बिजली, और निर्मित उत्पादों) से पैदा होने वाले मूल्य दबाव के कारण जून 2018 में वर्ष के दौरान 5.7 प्रतिशत के शीर्ष स्तर तक पहुंच गई। सभी तीन प्रमुख समूहों की कीमतों में तेज उछाल के कारण सितंबर-अक्तूबर 2018 के दौरान इसमें फिर से तेजी आ गई; हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुसरण से नवंबर 2018 से जनवरी 19 के दौरान ईंधन और बिजली की कीमतों में काफी नरमी से मार्च 2019 में यह 3.1 प्रतिशत तक सीमित रही। वार्षिक औसत आधारित डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 2017-18 में 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 4.3 प्रतिशत हो गई। जीडीपी अपस्फीतिकारक (डिफ्लेटर) में भी इसी तरह की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी, जो 2017-18 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 4.1 प्रतिशत हो गई।

II.2.26 लागत (ए2+एफएल)¹¹ से कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बजट, 2018-19 के

प्रावधानों के अनुसार खरीफ फसलों के लिए 2018-19 के दौरान एमएसपी में बड़ी वृद्धि की घोषणा की गई। परिणामस्वरूप, धान (सामान्य) के एमएसपी को 12.9 प्रतिशत बढ़ाया गया (2017-18 में ₹1,550 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2018-19 में ₹1,750 प्रति क्विंटल)। विभिन्न फसलों में एमएसपी वृद्धि की मात्रा अलग-अलग रही, जो कि उड़द के मामले में 3.7 प्रतिशत से लेकर रागी के लिए 52.5 प्रतिशत तक की विस्तार सीमा में थी। प्रमुख खाद्य पदार्थों की प्रचुर मात्रा में घरेलू उपलब्धता के कारण उपभोक्ता कीमतों में कोई आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई जबकि कई फसलों की मंडी कीमतों में एमएसपी वृद्धि का प्रभाव दिखाई दिया। द्वितीयक आंकड़ों से पता चलता है कि मार्क-अप (अर्थात खुदरा और मंडी की कीमतों के बीच का अंतर) फसलों में और समय के साथ भिन्न-भिन्न रहा (चार्ट II.2.14)। खुदरा महंगाई दर में थोक/मंडी मूल्य परिवर्तनों को पूरी तरह पता लगाने में बाधक डेटा अंतराल को ध्यान में रखते हुए, भारत में प्रमुख कृषि वस्तुओं की आपूर्ति शृंखला पर बहु-चरणीय मार्जिन की प्रकृति को समझने के लिए एक प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया (बॉक्स II.2.1)।

II.2.27 वर्ष के दौरान कृषि व कृषेतर श्रमिक की मजदूरी में वृद्धि कम रही, लगभग 4.0 प्रतिशत के औसत पर, जो कि खाद्य मुद्रास्फीति में कमी का सूचक है। कॉरपोरेट सेक्टर के मामले में, स्टाफ लागतों का दबाव भी अधिकांशतः एक छोटे दायरे में ही रहा।

II.2.28 सारांशतः, 2018-19 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी रही जो मुख्यतः खाद्य मुद्रास्फीति में बड़ी कमी को दर्शाता है। मुख्य खाद्य पदार्थों के घरेलू व वैश्विक माँग-आपूर्ति संतुलन के अनुकूल होने की प्रत्याशा को देखते हुए, खाद्य मुद्रास्फीति का अल्पावधि परिदृश्य नरम बना हुआ है। सब्जियों की कीमत में 2018-19 के निम्न स्तर की तुलना में वृद्धि, विशेषतः गर्मी की मौसम में, कुछ ऊर्ध्वमुखी जोखिम को दर्शाती है। स्थान व समय के अनुसार मॉनसून के वितरण का

¹¹ ए2 वास्तविक लागत (किसानों द्वारा बीज, खाद, रसायनों, भाड़े के मजदूर, ईंधन, सिंचाई इत्यादि पर किए गए नकदी और इसी प्रकार के सभी व्यय) को दर्शाता है और एफएल पारिवारिक मजदूरों, जिन्हें भुगतान नहीं किया जाता, पर आरोपित मूल्य को दर्शाता है।

चार्ट II.2.14: मुख्य खाद्य मदों की खुदरा कीमतें बनाम मंडी कीमतें




स्रोत : एगमार्कनेट; उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए), भारत सरकार और राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड (एनएचबी)।

बॉक्स II.2.1

आपूर्ति शृंखला और खाद्य महंगाई दर डायनेमिक्स

भारत में, 2014-15 से खाद्य मुद्रास्फीति निरंतर मंदी के दौर से गुजरी है (चार्ट 1)। 2016-18 के दौरान उत्तरोत्तर भरपूर पैदावार द्वारा पैदा हुई मांग के सापेक्ष अतिरिक्त आपूर्ति की दशाओं ने संरचनात्मक रूप से मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम कर दिया है (कृपया बॉक्स II.1.4 देखें)। साथ ही, आपूर्ति शृंखला के समीकरण में सुधार - व्यापक सड़क नेटवर्क; कमी और अधिशेष केंद्रों के बीच सूचनाओं के आसान प्रवाह को सक्षम बनाने में मोबाइल फोन तक पहुँच की कम लागत; जीएसटी के बाद के सामान्य बाजार में पोत लदान की तेजी; वित्तीय समावेशन और लघु व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को आसानी से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु सूक्ष्म वित्त के प्रसार ने भी इस सतत नरमी में योगदान दिया है।

उपलब्ध अनुभवजन्य शोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि खेत व खुदरा कीमतों के बीच वृद्धि का प्रभाव खाद्य मुद्रास्फीति व इसकी अस्थिरता पर पड़ता (भट्टाचार्य, 2016) है।



खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार बनी हुई (लाहिड़ी और घोष, 2014) कमी के संदर्भ में आपूर्ति शृंखला के समीकरण को समझने के लिए दिसंबर 2018 में एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया। सर्वे में विभिन्न (जारी...)

सारणी 1: सर्वेक्षण कवरेज

मंडी / केंद्र	समूह / पण्य				
उत्तरदाता	उपभोग केंद्र	उत्पादन केंद्र	कुल	प्रमुख समूह	वस्तुओं
किसान	1,147	1,664	2,811	अनाज	धान/चावल
खुदरा विक्रेता	2,176	1,008	3,184	दाल	तूर, मूंग, उड़द, बंगाली चना
व्यापारी	2,356	1,052	3,408	तिलहन	मूंगफली, सोयाबीन
				सब्जियां और फल	प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, सेब, केला, नारियल
कुल	5,679	3,724	9,403	मसाले	हल्दी, लाल मिर्च

उपभोग व उत्पादन केंद्रों से किसान (2811), व्यापारी (3184) और खुदरा विक्रेताओं (3408) को शामिल करते हुए कुल 9403 लोगों की प्रतिक्रिया ली गई (सारणी 1)। इसे 16 राज्यों की 85 मंडियों में किया गया और खरीफ की 16 प्रमुख फसलों को लिया गया जो सीपीआई फूड बास्केट का हिस्सा हैं।

परिणामों से पता चला कि किसानों के लिए खुदरा कीमतें सभी 14 फसलों¹² में 28 से 78 प्रतिशत तक परिवर्तित होती हैं - यह परिवर्तन शीघ्र नाशवान खाद्य पदार्थों (सब्जियों) के मामले में कम और शीघ्र नाश नहीं होने वाले खाद्य पदार्थों (तिलहन और मसाले) में अधिक। मार्क-अप कई कारकों से प्रभावित होती है - कमीशन और मंडी प्रभार; लोडिंग/अनलोडिंग प्रभार, पैकिंग, वजन व जाँच प्रभार; परिवहन लागत; दुकान का किराया और स्थानीय कर; भंडारण लागत और सदस्यता शुल्क। नकद को मंडियों में लेन-देन का सबसे प्रमुख माध्यम बताया गया, जहाँ इसका हिस्सा 84-93 प्रतिशत की रेंज में है। आगे, यह पाया गया कि खुदरा विक्रेताओं का मार्जिन, व्यापारियों के मार्जिन से सामान्यतः अधिक है क्योंकि मार्केटिंग वाले चरण में वस्तु की क्षति (प्रॉडक्ट लॉस) ज्यादा है, विशेषतः शीघ्र नाशवान खाद्य वस्तुओं के मामले में। 62 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उनके विक्रय मूल्य, उत्पादन लागत से अधिक हैं। सरकारी नीतियों का जहाँ तक सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और तत्काल उपलब्ध बाजार सूचना किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में सहायक हैं। किसानों ने यह भी कहा कि मौसम संबंधी विश्वसनीय पूर्वानुमान, बेहतर भंडारण सुविधाएं और फसलों पर सरकारी सलाह (एडवाइजरी) से वे फसल के संबंध में बेहतर निर्णय ले सके। व्यापारियों के एक बड़े वर्ग का सोचना था कि स्टोरेज सुविधाओं को बेहतर बनाना और मुक्त व्यापार की अनुमति महत्वपूर्ण है जबकि अधिकांश खुदरा विक्रेताओं का मानना था कि सूचनाओं की बेहतर उपलब्धता से कीमतों को बढ़ने से रोका जा सकता है।

सर्वेक्षण के आँकड़ों को लेकर, फसलों और राज्यों के आँकड़ों को संग्रहीत करके ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स (ओएलएस) पद्धति से निम्नलिखित बहुभिन्नरूपी समाश्रयण समीकरण आकलित किया गया :

$$\text{मार्कअप}_{ic} = \alpha + \beta_1 \text{इन्फ्रास्ट्रक्चर}_i + \beta_2 \text{सामाजिक आर्थिक विशेषताएं}_i + \beta_3 \text{कृषि के आंकड़े}_i + \beta_4 \text{नमूना वस्तु}_i + \beta_5 \text{नमूना राज्य}_i + \varepsilon_{ic} \dots(1)^{13}$$

जहाँ i और c क्रमशः राज्यों और वस्तुओं को इंगित करते हैं।

परिणाम में दर्शाया गया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे टेली-घनत्व (प्रति 100 व्यक्ति), सड़क घनत्व और सकल फसल क्षेत्र के अनुपात में थोक बाजारों की संख्या, बेहतर होने से व्यापारियों व खुदरा विक्रेताओं दोनों का मार्क-अप घटता है। इसके अलावा, प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि व्यापारियों के लाभ (मार्क-अप) को धनात्मक रूप से और साक्षरता दर खुदरा विक्रेता लाभ (मार्क-अप) को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती है।

कुल मिलाकर, विभिन्न फसलों में कई चरणों में मार्क-अप खाद्य मुद्रास्फीति की राह तय करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। सर्वेक्षण खाद्य मुद्रा स्फीति के स्वरूप में परिवर्तन की अवधियों के दौरान मार्क-अप की बनावट में व्यापारियों व खुदरा विक्रेताओं के अंतरसंबंधों को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

संदर्भ:

1. एच. लाहिड़ी, और ए. एन. घोष (2014), 'गवर्नमेंट्स रोल इन कंट्रोलींग फुड इनफ्लेशन, ए. घोष एवं ए. कर्माकर (ईडीएस) एनालिटिकल इश्यूज ईन ट्रेड, डेवेलपमेंट एन्ड फाइनेंस, इंडिया स्टडीज इन बिजनेस एन्ड इकोनॉमिक्स, सिप्रंगर इंडिया।
2. आर. भट्टाचार्य, (2016), 'हाउ दज़ सप्लाय चैन डिस्टॉर्शन अफेक्ट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया', एनआईपीएफपी वर्किंग पेपर सिरीज, नंबर 173।

भी प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि बारिश में हालिया बढ़ोतरी से जोखिम कम होने की संभावना है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों का परिदृश्य भी धुँधला है, ऊपर व नीचे दोनों ओर। घरेलू आर्थिक

गतिविधि में हाल में आई सुस्ती अगर बढ़ती है तो मुद्रास्फीति के परिदृश्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

¹² खुदरा मूल्य में किसानों का हिस्सा उन फसलों के बारे में दर्शाया गया है, जिनके बारे में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध थे।

¹³ मार्क-अप को लागत मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य से बिक्री मूल्य को घटाते हुए परिभाषित किया जाता है।

II.3 मुद्रा एवं ऋण

II.3.1 वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्मुद्राकरण की तीव्र गति, विमुद्राकरण के पहले के रुझानों के साथ मौद्रिक और ऋण स्थितियों के अनुरूप रही और उसने अक्सर मुख्य सूचना सामग्री के साथ अंतर्निहित समष्टि आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को प्रतिबिंबित किया। आरक्षित मुद्रा, आरएम जिसमें नई मुद्रा चलन में हुई भारी बढ़ोतरी के कारण 2017-18 में तेजी से विस्तार हुआ था, 2018-19 में दीर्घावधि वृद्धि रुझान की स्थिति में वापस आ गई। प्रक्रियास्वरूप, भारत का मुद्रा-जीडीपी अनुपात, पिछले वर्ष 10.7 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गया। यह विस्तार, आरक्षित मुद्रा के स्रोतों में से एकमुश्त खुले बाजार की खरीद और प्रतिवर्ती एलएएफ परिचालनों के माध्यम से चलनिधि अंतर्वेशन के कारण हुआ जो सरकार को निवल आरबीआई क्रेडिट के रूप में निवल घरेलू आस्तियों में प्रतिबिंबित हुआ। इसके विपरीत आरबीआई के विदेशी मुद्रा हस्तक्षेपों ने वर्ष के दौरान चलनिधि अवशोषित की।

II.3.2 व्यापक मुद्रा में 10 वर्षों की लंबी अवधि तक गिरावट¹⁴ के बाद 2018-19 में और बढ़ोतरी हुई। जमाराशि वृद्धि में अगस्त 2009 की निरपेक्ष मंदी को छोड़कर दिसंबर 2017 से स्थिर बढ़ोतरी हुई। ऋण वृद्धि, जमाराशि वृद्धि से आगे निकल गई अर्थात् वाणिज्यिक क्षेत्रों की ऋण प्राप्त करने की स्थिति में नवंबर 2017 से सुधार हुआ विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के कम वित्तीय दबाव वाले क्षेत्र जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ हाउसहोल्ड व सेवाओं में, तत्पश्चात जीडीपी अंतराल की तुलना में ऋण में कमी आई। समग्र अच्छे क्रेडिट वातावरण ने गिरते गैर-बैंकिंग संसाधनों के स्रोतों के प्रवाह की भरपाई की और वाणिज्यिक क्षेत्र में कुल संसाधनों के प्रवाह को बढ़ावा दिया।


II.3.3 ऐसे परिवेश में आरएम का तत्काल आगामी उप-खंड, वर्ष के दौरान नकदी अधिकता और डिजिटल लेनेदनों से

संबंधित गतिविधियों तथा विस्तार के सबसे बड़े स्रोत के रूप में, सरकार के लिए निवल आरबीआई क्रेडिट को पुनः सामने लाया। मुद्रा आपूर्ति के उप-खंड 3 का अनुवर्तन जमा वृद्धि में सुधार और ऋण वृद्धि में स्थिर बढ़ोतरी को दर्शाता है। ऋण वृद्धि का वृतांत समष्टि और सेक्टरल दोनों स्तरों पर उप-खंड 4 में दिया गया है।


2. आरक्षित मुद्रा

II.3.4 आरएम जो आवश्यक रूप से आरबीआई के तुलन-पत्र की एक विश्लेषणात्मक और शैलीबद्ध प्रस्तुति है, रिज़र्व बैंक की मौद्रिक देयताओं पर केंद्रित होती है। यह अपने दशकीय रुझान (2007-16 के दौरान 14.6 प्रतिशत) से थोड़ा बढ़कर 2016-17 में विराम के बाद 2018-19 के दौरान 14.5 प्रतिशत हो गई जिससे विमुद्राकरण का प्रभाव परिलक्षित होता है (चार्ट II.3.1, परिशिष्ट सारणी 4)। 28 जून 2018 तक आरएम मुद्रा की वृद्धि 13.5 प्रतिशत थी।


II.3.5 इसके घटकों की बात की जाए तो 2018-19 में आरक्षित मुद्रा में 87 प्रतिशत का विस्तार संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) के रूप में हुआ। त्योहारों के कारण पहली तिमाही



¹⁴ 2012-13 में 0.1 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी को छोड़कर।



स्रोत : आरबीआई।




में मुद्रा मांग में सामान्य मौसमी उछाल आया, रबी खरीद और खरीफ बुवाई के कारण अगली तिमाही में मौसमी संकुचन हुआ क्योंकि कृषि गतिविधियों में उतार के साथ नकदी सिस्टम में लौट आई। इसके बाद हालांकि सीआईसी में लगभग एक जैसी स्थिति बनी रही क्योंकि तीसरी तिमाही में खरीफ की फसलों और त्यौहारों तथा चौथी तिमाही की शुरुआत में रबी की फसलों के लिए नकदी की मांग को चुनाव संबंधी खर्चों ने बढ़ा दिया। एक वर्ष के लिए कुल मिलाकर 16.8 प्रतिशत की सीआईसी वृद्धि के बावजूद, मुद्रा-जीडीपी अनुपात 2011-16 के 11.6-12.2 की तुलना में कम रहा, जो शायद अर्थव्यवस्था में नकदी की अधिकता में गिरावट को इंगित करता है (चार्ट II.3.2ए)। ऐसा लगता है जैसे नकदी से खाली हुए स्थान पर खुदरा डिजिटल भुगतानों ने कब्जा कर लिया है (चार्ट II.3.2बी)।

II.3.6 रिज़र्व बैंक में बैंकर्स की जमाराशियां, जो आरक्षित मुद्रा¹⁵ की अन्य प्रमुख घटक हैं, वर्ष के दौरान मोटे तौर पर स्थिर रही। बहरहाल जमाराशियों के उच्च संग्रहण और अपरिवर्तित सीआरआर के कारण वे 6.4 प्रतिशत बढ़ीं जो पिछले साल के 3.9 प्रतिशत की तुलना में अधिक थीं। 'ईयर इंड बैलेंस शीट' परिदृश्य के माध्यम से बाजार सहभागियों की


मदद करने के लिए प्रारम्भिक उपायों सहित रिज़र्व बैंक के सक्रिय चलनिधि प्रबंधन परिचालनों से बैंकों की अतिरिक्त रिज़र्व की मांग में हाल के वर्षों में गिरावट आई है (चार्ट II.3.3)।

II.3.7 स्रोतों के बीच, निवल घरेलू आस्तियों (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियों (एनएफपी) में क्षतिपूरक परिवर्तन हुए जबकि इसके पहले के वर्ष में इसके विपरीत इन दोनों में विस्तार के कारण आरएम में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई थी



स्रोत : आरबीआई।

¹⁵ आरक्षित मुद्रा के अन्य घटकों में अन्य जमाराशियां भी शामिल हैं जो जमाकर्ता-शिक्षण और जागरूकता निधि, विदेशी केंद्रीय बैंकों की जमाराशियों, भारतीय वित्तीय संस्थानों के राशि शेषों से मिलकर बना है।





(चार्ट II.3.4)। एनडीए के भीतर, 2018-19 में सरकार को आरबीआई के निवल ऋण ने आरएम के विस्तार में 93 प्रतिशत का योगदान दिया, इससे खुले बाजार परिचालनों(ओएमओ) के माध्यम से ₹3.0 ट्रिलियन की चलनिधि का अंतर्वेशन किया गया और सरकार के आरबीआई के पास शेष नकदी में ₹0.4 ट्रिलियन की कमी आई। ओएमओ क्रय जो मई 2018 से आरंभ हुए थे, अगस्त को छोड़कर बाद के महिनो में और तीव्र हो गए। एनडीए के अन्य घटक अर्थात् बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र पर निवल दावों ने एलएएफ परिचालनों के माध्यम से, पिछले वर्ष के स्तर को ₹895 बिलियन से बढ़ाकर, अस्थायी चलनिधि विसंगतियों को दूर किया। उनके परिचालनों में दो चरण स्पष्ट रूप से दिखे ; सरकारी खर्च के चलते प्रणाली से चलनिधि के कम होने के कारण पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के ज्यादातर समय में रिवर्स रिपो मोड जारी रहा और शेष वर्ष में व्यापक रूप से रिपो मोड बना रहा, विदेशी मुद्रा बिक्री और मुद्रा रिसाव के प्रभावों के कारण चलनिधि में तेजी से संकुचन आया। गौर करने की बात है कि खुले बाजार परिचालनों के माध्यम से ₹3.0 ट्रिलियन की टिकाऊ चलनिधि डालने के बावजूद जो कि अभी तक के वर्षों में सबसे ज्यादा है, प्रणाली में चलनिधि की कमी महसूस की गई।

II.3.8 इसके विपरीत, विदेशी मुद्रा बाजार में रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप से निवल विदेशी आस्तियां प्रभावित हुईं क्योंकि प्राधिकृत डीलरों को ₹1.12 ट्रिलियन की विदेशी मुद्रा की निवल बिक्री की गई (एक वर्ष पहले ₹2.23 ट्रिलियन की खरीदी)। हालांकि इस कमी को सहायता रसीदों, निवल ब्याज/ छूट अर्जन, स्वर्ण और मूल्यन लाभों से संतुलित कर लिया गया। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा खरीद/बिक्री स्वैप के द्वारा लंबी अवधि के लिए रुपया चलनिधि प्रवाहित करके अपने चलनिधि प्रबंधन उपायों को संवर्धित किया। मार्च 2019 में रिज़र्व बैंक ने रुपये चलनिधि के अंतर्वेशन के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डालर की तीन वर्षीय परिपक्वता वाले अमेरिकीडालर/भारतीय रुपए का स्वैप किया, इससे भी वर्ष के दौरान एनएफए में हुए नुकसान की कुछ भरपाई हो सकी।

3. मुद्रा आपूर्ति

II.3.9 व्यापक मौद्रिक समुच्चय या एम3 से मापी जाने वाली मुद्रा आपूर्ति, जिसमें सितंबर 2017 में 5.6 प्रतिशत की ऐतिहासिक गिरावट होने के बाद, इस वर्ष के दौरान 10.2 प्रतिशत की औसतन वृद्धि के साथ, स्थिर गति से बढ़ी। 21 जून 2019 को एम3 वृद्धि 10.1 प्रतिशत थी।



II.3.10 घटकों के बीच, समग्र जमाराशियों (एडी) में वर्ष के दौरान 9.6 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 5.8 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और एम3 की वृद्धि में इसका हिस्सा 80 प्रतिशत रहा (चार्ट II.3.5)। एडी के प्रमुख घटक, सावधि जमाराशियों(टीडी) के संचलन में बढ़त, 2017-18 के चौथी तिमाही में आरंभ हुई और यह इतनी ताकतवर थी कि 2018-19 में बने रहने के लिए प्रतिकूल आधार प्रभावों को भी दूर कर सकती थी और यह इन जमाराशियों की ब्याज दरों के साथ-साथ चल रही थी (चार्ट II.3.6)। प्रवृत्ति और चक्रीय घटकों में समग्र जमाराशियों का वियोजन उत्तरार्द्ध की प्रबलता को दर्शाता है। हमेशा की तरह मांग जमाराशियां अस्थिर रहीं और जनता के पास मुद्रा की घट-बढ़ के विपरीत पार्श्व में संचलन करती रहीं(चार्ट II.3.7)।



इसी समय पिछले वर्ष की तुलना में मांग जमाराशियों में तेजी से विस्तार हुआ। वर्ष के दौरान जनता के पास मुद्रा की वृद्धि 16.6 प्रतिशत के साथ स्थिर रही जो पिछले वर्ष विमुद्रीकरण के बाद 39.2 प्रतिशत बढ़ गई थी।

II.3.11 स्रोतों की बात करें तो 2018-19 में एम3 के विस्तार का 79 प्रतिशत हिस्सा वाणिज्यिक क्षेत्रों को दिया गया बैंक ऋण

था (चार्ट II.3.8 और सारणी II.3.1)। लंबे समय तक इसमें मंदी रहने के बाद, 2017-18 के बाद वाले भाग में ऋण वृद्धि में सुधार आरंभ हुआ और व्यक्तिगत ऋणों के रूप में तथा सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋणों से इसमें मजबूती रही। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि रिजर्व बैंक द्वारा उच्च निवल ऋण दिए जाने के कारण 2018-19 में सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण में आवश्यक



सारणी II.3.1: मौद्रिक कुल राशियां

मद	31 मार्च 2019 को बकाया (₹ बिलियन में)	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)		
		2017-18	2018-19	2019-20 (21 जून तक)
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा	27,705	27.3	14.5	13.5
II. व्यापक मुद्रा (एम3)	154,309	9.2	10.5	10.1
III. एम3 के प्रमुख घटक				
1. जनता के पास मुद्रा	20,522	39.2	16.6	12.8
2. कुल जमाराशियां	133,469	5.8	9.6	9.6
IV. एम3 के प्रमुख स्रोत				
1. सरकार को निवल बैंक ऋण	43,878	3.8	9.7	8.7
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	103,802	9.5	12.7	11.5
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां	30,708	14.2	5.1	10.4
V. एफसीएनआर (बी) का निवल एम3	152,706	9.2	10.5	10.1
VI. एम3 गुणक	5.6			

नोट : 1. डाटा अनंतिम है।
2. आरएम से संबंधित अद्यतन आंकड़े 28 जून 2019 के हैं।
स्रोत : आरबीआई।

रूप से वृद्धि हुई यहां तक कि सरकारी प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक बैंकों के निवेश में मामूली वृद्धि हुई। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियों में गिरावट रही जो कि रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री दर्शाती है जिसका वर्णन पूर्ववर्ती उप-खंड में किया गया है।


प्रमुख मौद्रिक अनुपात

II.3.12 प्रमुख व्यावहारिक मापदंड, जो मौद्रिक समुच्चयों की संरचना को संचालित करते हैं, 2018-19 के दौरान विमुद्रीकरण के पहले के अपने रुझानों में धीरे-धीरे अभिसरित हो गए। मुद्रा में विस्तार की गति विभिन्न कारकों से तय किए रुझानों से ऊपर रही (जिसके बारे में उप-खंड 2 बताया गया है) और विशेष रूप से जमाराशि वृद्धि से भी आगे रही। मुद्रा-जमाराशि (सी/डी) अनुपात 2018-19 में विमुद्रीकरण के पहले के चरण (2008-16) में रिकार्ड किए गए स्तर तक पहुँच गया जो संरचनात्मक चलनिधि सुदृढ़ता की निरंतरता को दर्शाता है। मुद्रा गुणक (एमएम), जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संबंध में रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र के विस्तार/संकुचन के प्रभावों को मापता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में तीन विभिन्न चरणों से गुजरा। 1950-75 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति (1.5 से 3.0 तक), जो इस अवधि की विशेष बात है, ने मौद्रिक समायोजन

को प्रदर्शित किया क्योंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों की स्थापना ने वृद्धि प्रेरित निवेश के लिए मुद्रा की मांग को बढ़ाया (चार्ट II.3.9)। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में लगभग स्थिरता के कारण जमा संग्रहण की गति कमजोर रही जिसके परिणामस्वरूप 1995 की अवधि तक स्थिरता बनी रही। तत्पश्चात बढ़त वाला चरण आया जिसका विस्तार आज तक हुआ। इसमें उच्च वृद्धि की गति के साथ मुद्रा की मांग में बढ़ोतरी, पूंजी प्रवाह के आगमन और आरक्षित अनुपातों में कमी ने गति प्रदान की। वास्तव, में एमएम की राह में संरचनात्मक रुकावट का पता जून 1999 में लगा। 21 जून 2019 को एमएम (पिछले वर्ष के समान) 5.6 पर था।

II.3.13 आरक्षित जमाराशि (आर/डी) अनुपात का आकार विनियामकीय मानदंडों द्वारा तय किया जाता है – आर/डी में वृद्धि मुद्रा की आपूर्ति रोकती है जबकि आर/डी में कमी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाती है और इससे मौद्रिक नीति के रुख का पता चलता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह एक स्थिर अनुपात है जो 1975-2000 को छोड़कर 0.04-0.06 के बीच घूमता रहा, जब मौद्रिक नीति अनिवार्य रूप से, वित्तीय सक्रियता के विस्तार प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए अपनी

चार्ट II.3.9: मौद्रिक अनुपात



प्रति चक्रिय भूमिका में रहने के दौरान, आरक्षित निधि अपेक्षाओं पर निर्भर रहती थी। सी/डी अनुपात, जो नकदी के साथ-साथ बैंकिंग आदतों के प्रति जनता की प्राथमिकता को दर्शाता है, का एमएम से संबंध एकदम विपरीत है। सन 1969 और 1980 में राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में विस्तार और वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता, ग्रामीण/ बैंकिंग सेवा रहित क्षेत्रों पर जोर और भुगतान एवं निपटान में नवाचारों के कारण नकदी पर निर्भरता कम हुई है, जिससे सी/डी अनुपात में इन वर्षों में लगातार गिरावट हो रही है।

4. ऋण

II.3.14 वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण स्थिर रहा और मार्च 2017 में 3.7 प्रतिशत के ऐतिहासिक निम्न स्तर से बढ़कर 31 मार्च 2019 को 13.3 प्रतिशत हो गया (एक वर्ष पहले 10.0 प्रतिशत)। दिसंबर 2017 से ऋण वृद्धि दर दो अंकों में दर्ज की गई जो नवंबर 2018 में हाल के 15.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी। आपूर्ति पक्ष की विभिन्न गतिविधियों ने ऋण वृद्धि को मजबूती देने और इस मजबूती को बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया, ये हैं - तुलन-पत्र दबावों में कुछ कमी; सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूजीकरण; एसएलआर में धीरे-धीरे कमी जो चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में बदल गई; आईबीसी प्रकिया के प्रति बढ़ता आकर्षण; आस्तित्त वसूली/बट्टा खाते डालने/बिक्री के साथ-साथ

प्रावधानों के आक्रामक प्रयास। ये गतिविधियां ऋण वृद्धि को बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती हैं (बॉक्स II.3.1)। दिनांक 21 जून 2019 को एससीबी की ऋण वृद्धि 12.0 प्रतिशत रही (पिछले वर्ष 12.8 प्रतिशत)।

II.3.15 वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिकूल आधार प्रभावों के बावजूद ऋण वृद्धि प्रमुख रूप से संवेग द्वारा संचालित हुई थी (चार्ट II.3.10) और जिसे वर्ष के दौरान जमाराशियों के अधिक संग्रहण का समर्थन मिला। इसके फलस्वरूप वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात में कमी आई जो एक वर्ष पूर्व असामान्य रूप से उच्च स्तर पर था (चार्ट II.3.11)। क्रेडिट-जीडीपी अंतराल हाल ही में 2017 में उच्च स्तर पर रहने के बाद कम हो गया हालांकि यह ऋणात्मक रहा जिससे पता चलता है कि ओवरहीटिंग के बिना ऋण वृद्धि में और बढ़त की गुंजाइश है (चार्ट II.3.12)।

II.3.16 खाद्येतर ऋण (एनएफसी) 31 मार्च 2019 को बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गया जोकि एक वर्ष पूर्व 8.4 प्रतिशत था, यह मुख्यतः बड़े पैमाने पर उद्योग और सेवा क्षेत्र में प्रवाह द्वारा प्रभावित था। बैंक समूहों के बीच (पीएसबी) द्वारा दिया गया ऋण मार्च 2019 में बढ़कर 9.6 प्रतिशत हो गया जोकि एक वर्ष पूर्व 5.3 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि 19.9 प्रतिशत रही जो एक वर्ष पूर्व 18.7 प्रतिशत थी, इन्हें वैयक्तिक ऋणों, जिनमें दबाव भी कम हैं, में प्रतिस्पर्धी बाजार अनुकूलता का लाभ मिला (चार्ट II.3.13)।

बॉक्स II.3.1

बैंक द्वारा ऋण देने के व्यवहार में पूंजी की भूमिका

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के तुलन-पत्र एक बड़े दबाव की स्थिति में हैं जिसने ऋण-वृद्धि को धीमा कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बासेल III के चरणबद्ध क्रियान्वयन और उच्च प्रावधान अपेक्षाओं ने पूंजीगत आवश्यकताओं को काफी बढ़ा दिया है। एक प्रकार से, ऋण बाजार की सूचना असमानताओं और विशेष रूप से, अपूर्ण सूचनाओं की उपलब्धता ने खुदरा जमाराशियों और थोक वित्तपोषण के बीच खराब प्रतिस्थापन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, पूंजीगत समस्या से जूझ रहे बैंकों के लिए उधार लागत को और बढ़ा दिया है (कश्यप और स्टीन, 1995)। पर्याप्त पूंजी संपन्न बैंकों को इन बाधाओं से निपटने में आसानी होती है। अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकों को पूंजी बाजार

से उधारियां लेते समय जोखिम पर कम प्रीमियम भी देना पड़ता है (गाम्बकोर्टा और शिन, 2018)।

2008-09 से 2017-18 तक के 30 बैंकों¹⁶ के वार्षिक आंकड़ों पर पैनेल जनरलाइज्ड मेथड ऑफ मूमेंट्स जीएमएम मॉडल के आकलन से पता चलता है कि लीवरेज बढ़ाने से निधियों की लागत में बढ़ोतरी होती है। दूसरी ओर यह पाया गया है कि उच्च सीआरएआर बैंकों के लिए निधियों की लागत कम करता है। एनपीए और निधियों की लागत में बढ़ोतरी से ऋण वृद्धि में कमी आती है। दूसरी ओर जब सीआरएआर बढ़ता है तब यह भी बढ़ती है - सीआरएआर में एक प्रतिशत अंक की बढ़त से ऋण वृद्धि में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी होती है।

डायनैमिक पैनेल रिग्रेशन परिणाम:

$$\text{निधियों की लागत} = -0.02 + 0.40 \text{ निधियों की लागत}_{t-1} + 0.03 \text{ लीवरेज}_{t-1} - 0.00006 \text{ जीएमएम अनुपात}_{t-1} + 0.004 \text{ एमपी}_{t-1} - 0.005 \text{ सीआरएआर}_{t-1}$$

(0.01)** (0.03)*** (0.01)*** (0.00004) (0.0002)*** (0.0002)***

एआर (1) परीक्षण पी-मूल्य=0.00, एआर (2) परीक्षण पी-मूल्य=0.20, हेनसेन परीक्षण पी-मूल्य=1.00.

$$\text{ऋण वृद्धि} = 15.47 + 0.18 \text{ ऋण वृद्धि}_{t-1} - 1.55 \text{ निधियों की लागत} - 0.004 \text{ जीएमएम अनुपात}_{t-1} + 0.03 \text{ सीआरएआर}_{t-1}$$

(2.13)*** (0.02)*** (0.26)*** (0.0004)*** (0.003)***



एआर (1) परीक्षण पी-मूल्य=0.00, एआर (2) परीक्षण पी-मूल्य=0.23, हेनसेन परीक्षण पी-मूल्य=0.71

एमपी: मौद्रिक नीति दर


*पी-मूल्य < 0.1, **पी-मूल्य < 0.05, *** पी-मूल्य < 0.01. मानक त्रुटियां कोष्ठकों में हैं.

संदर्भ:

- गांबकोर्टा, एल., और शिन, एच.एस. (2018)। हाई बैंक कैपिटल मैटर्स फार मोनेटरी पालिसी। *जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन*, 35, 17-29।
- कश्यप, ए. के., और स्टीन, जे.सी. (1995, जून)। दी इंपेक्ट ऑफ मोनेटरी पालिसी ऑन बैंक बैलेंस शीट्स। *कार्नेगी-रोचेस्टर कांफ्रेंस सीरीज ऑन पब्लिक पॉलिसी* (वाल्यूम 42, पेज 151-195)। नार्थ-हॉलैंड।



¹⁶ 2017-18 में कुल एससीबी के ऋणों और अग्रिमों में उनके हिस्से को लेकर बैंकों को चुना गया है, जोकि लगभग 91 प्रतिशत है।




बैंकों द्वारा क्षेत्रवार ऋण वितरण

II.3.17 खाद्य वस्तुओं और बागबानी उत्पादन के कारण कृषि क्षेत्र में ऋण वृद्धि एक वर्ष पहले 3.8 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2019 में बढ़कर 7.9 प्रतिशत तक पहुँच गई (सारणी II.3.2)। औद्योगिक क्षेत्र में ऋण मार्च 2018 में 0.7 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2019 में बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया। उद्योग के अंदर ऋण वृद्धि यथोचित रूप से व्यापक रही लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, सीमेंट और उससे संबंधित उत्पाद, कांच और कांच के बने पदार्थ, निर्माण और रसायन और रसायन उत्पाद को काफी बल मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से ऋण वृद्धि पिछले वर्ष 1.7 प्रतिशत की कमी के बावजूद मार्च 2019 में 18.5 प्रतिशत हुई

जो सड़क और ऊर्जा क्षेत्र, शहरी परिवहन, किरायायती आवास और अक्षय ऊर्जा में ज्यादा ऋण प्रदान करने के कारण रहा। दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों जैसे मूल धातु और धात्विक उत्पाद और वस्त्र क्षेत्र में आई ऋण की कमी/गिरावट लगातार बने हुए दवाब को दर्शाती है।

II.3.18 सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि दो अंकों में बनी रही और एक वर्ष पहले 13.8 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2019 के अंत तक मुख्य रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के कारण 17.8 प्रतिशत तक पहुँच गई। अन्य क्षेत्रों जैसे थोक व्यापार, वाणिज्यिक रियल स्टेट और ट्रांसपोर्ट आपरेटर में भी ऋण वृद्धि में इजाफा हुआ। वैयक्तिक ऋण वृद्धि अच्छी रही यद्यपि एक वर्ष पहले 17.8 प्रतिशत के मुकाबले वहाँ और



सारणी II.3.2: चुनिंदा क्षेत्रों को क्रेडिट अभिनियोजन

क्षेत्र	29 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार बकाया (₹ बिलियन)	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)		
		2017-18*	2018-19#	2019-20##
1	2	3	4	5
खाद्येतर क्रेडिट (1 से 4)	86,334	8.4	12.3	11.1 (11.1)
1. कृषि और अनुषंगी गतिविधियाँ	11,113	3.8	7.9	8.7 (6.5)
2. उद्योग (सूक्ष्म, और लघु मध्यम और बड़े)	28,858	0.7	6.9	6.4 (0.9)
2.1. माइक्रो और लघु	3,755	0.9	0.7	0.6 (0.7)
2.2. मध्यम	1,064	-1.1	2.6	2.2 (2.7)
2.3. बड़े	24,039	0.8	8.2	7.6 (0.8)
(i) इंफ्रास्ट्रक्चर	10,559	-1.7	18.5	15.2 (0.0)
जिसमें से :				
(ए) ऊर्जा	5,690	-1.1	9.5	9.7 (-1.2)
(बी) दूरसंचार	1,156	-0.6	36.7	20.9 (6.8)
(सी) सड़क	1,869	-7.5	12.2	14.6 (-5.7)
(ii) रासायनिक और रासायनिक उत्पाद	1,915	-5.5	17.5	11.1 (2.3)
(iii) मूलधातु और धातु उत्पाद	3,716	-1.2	-10.7	-10.3 (-5.5)
(iv) खाद्य प्रसंस्करण	1,571	6.8	1.1	1.2 (3.3)
3. सेवाएँ	24,156	13.8	17.8	13.0 (23.3)
4. वैयक्तिक ऋण	22,207	17.8	16.4	16.6 (17.9)
5. प्राथमिक क्षेत्र	27,390	4.8	7.3	10.2 (6.3)

*: मार्च 2017 की तुलना में मार्च 2018. #: मार्च 2018 की तुलना में मार्च 2019. ##: जून 2018 की तुलना में जून 2019.
कोष्ठक में दिए गए अंक जून 2017 की तुलना में जून 2018 की वृद्धि दर दर्शा रहे हैं।
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए जा रहे खाद्येतर ऋण के लगभग 90 प्रतिशत को कवर करता है।
स्रोत : भारिबैं.

शैक्षिक ऋण में कमी के कारण मार्च 2019 के अंत तक घटकर 16.4 प्रतिशत हो गई।

II.3.19 वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की तरह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर गैर-खाद्य ऋण-वृद्धि दो अंकों में बनी रही। क्षेत्रवार दोनों क्षेत्रों 'कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों' तथा 'उद्योग' में ऋण-वृद्धि क्रमशः 8.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.5 प्रतिशत) तथा 6.4 प्रतिशत (पिछले वर्ष 0.9 प्रतिशत) थी, जबकि सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि जून 2019 में कम होकर 13.0 प्रतिशत (पिछले वर्ष 23.3 प्रतिशत) रह गई। उल्लेखनीय है कि मुख्य रूप से ऊर्जा, दूरसंचार और सड़कों से संबन्धित क्षेत्रों में मजबूत ऋण प्रवाह के कारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र की ऋण-वृद्धि जून 2019 में तेजी से बढ़कर 15.2 प्रतिशत हो गई।

वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

II.3.20 वर्ष 2019-20 के दौरान कमर्शियल क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों की कुल प्राप्ति में सुधार हुआ है जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.2 प्रतिशत बढ़ा है (सारणी II.3.3)। गैर-बैंक से प्रवाह में कमी, बैंकिंग स्रोतों से प्राप्ति जैसे खाद्येतर बैंक ऋण में वृद्धि दर्ज की गई और व्यावसायिक क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया गया।

II.3.21 गैर-बैंक से प्रवाह में कमी मुख्य रूप से जमाराशि ग्रहण न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (निवल बैंक ऋण) और आवास वित्त कंपनियों, विशेष रूप से आईएलएंडएफएस घटना के बाद, के कारण रहा। इसके अलावा, गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज और इक्विटी साधनों का कम निर्गम और एलआईसी द्वारा कॉर्पोरेट कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर

आर्थिक समीक्षा

सारणी II.3.3: वाणिज्य क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह

(₹ बिलियन में)

स्रोत	अप्रैल-मार्च			अप्रैल-जून	
	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19	2019-20
1	2	3	4	5	6
ए. समायोजित खाद्येतर बैंक ऋण	4,952	9,161	12,300	-182	-1,764
i) खाद्येतर ऋण	3,882	7,959	11,467	-316	-1,530*
जिसमें से: पेट्रोलियम और उर्वरक क्रेडिट	133	27	75	-46	-143
ii) एससीबी द्वारा गैर-एसएलएलआर निवेश	1,070	1,202	833	133	-235*
बी. गैर-बैंक से निधि प्रवाह (बी1+बी2)	9,547	11,603	9,342	2,837	2,441
बी1. घरेलू स्रोत	6,789	8,219	5,474	2,266	1,429
1. गैर-वित्तीय निकायों द्वारा सार्वजनिक निर्गम	155	438	106	39	533
2. गैर-वित्तीय निकायों द्वारा सकल निजी स्थानन	2,002	1,462	1,505	268	351
3. वाणिज्य दस्तावेज का निवल निर्गमन गैर-बैंकों द्वारा खरीदा गया	1,002	-254	1,361	1,233	191
4. आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल क्रेडिट	1,374	2,198	1,465	412	143@
5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित 4 एआईएफआई- नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक द्वारा कुल समायोजन	469	950	1,136	274	115
6. जमाराशि ग्रहण न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (निवल बैंक ऋण)	1,510	3,046	-397		
7. कारपोरेट कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक क्षेत्र में एलआईसी का निवल निवेश	277	378	300	40	96
बी2. विदेशी स्रोत	2,758	3,385	3,867	571	1,012
1. बाह्य वाणिज्यिक उधारियां /एफसीसीबी	-509	-51	696	-101	396
2. एडीआर/ जीडीआर निर्गम बैंक और वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर	-	-	-	-	-
3. विदेश से अल्पावधि ऋण	435	896	152		
4. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	2,833	2,540	3,019	672	616@
सी. संसाधनों का कुल प्रवाह (ए+बी)	14,500	20,764	21,642	2,655	677
मेमो: कर्ज (गैर-गिल्ट) योजना के जरिए म्यूचुअल फंडों द्वारा निवल संसाधन जुटाना	1,206	-59	-1,211	-383	-148

@: मई 2019 तक। *: आंकड़े अप्रैल-21 जून, 2019 से संबंधित हैं।

टिप्पणी: सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड योजनाओं की क्षेणी में परिवर्तन कर दिए जाने के कारण 1 अप्रैल 2019 कर्ज (गैर-गिल्ट) योजनाओं के जरिए म्यूचुअल फंड द्वारा जुटाए गए निवल संचालन से संबंधित आंकड़ों की तुलना पिछले वर्ष के आंकड़ों से नहीं की जा सकती है।

और सामाजिक क्षेत्र में कम निवेश के कारण भी पिछले वर्ष के मुकाबले 2019-20 में वित्तीय प्रवाह अपने स्तर से कम रहा। इसके विपरीत, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) द्वारा अधिक समायोजन के कारण वाणिज्यिक दस्तावेज निर्गम में अत्यधिक वृद्धि देखी गई। विदेशी स्रोतों की बात करें तो बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) में पिछले चार वर्षों में पहली बार निवल अंतरप्रवाह रिकार्ड किया गया। एफडीआई का प्रवाह, जो व्यावसायिक क्षेत्र में गैर-बैंक वित्त का प्रमुख हिस्सा है, में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ, वर्ष के दौरान आयात वृद्धि में कमी के कारण विदेशों से लघु अवधि के ऋण में कमी देखी गई।

II.3.22 संक्षेप में, मौद्रिक चर और व्यवहारगत अनुपात इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियां समुत्थानशील बनी रही है लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सुधार 2010-11 से शुरू हुई मंदी की पृष्ठभूमि के बावजूद हुआ है। ऋण की स्थिति में सुधार मांग और आपूर्ति दोनों कारणों के कारण अच्छा रहा। पूंजीकरण में प्रगति और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान की पहल ने पीएसबी द्वारा अधिक ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान की। क्षेत्रवार, औद्योगिक ऋण प्रवाह को फिर से शुरू करने के साथ सेवाओं के लिए ऋण की निरंतर वृद्धि, 2018-19 के दौरान उधार देने की बैंकों की लालसा में नियमित सुधार उल्लेखनीय विशेषता थी। बैंकों के नेतृत्व में वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों के कुल प्रवाह में वृद्धि दर्ज की गई।

11.4 वित्तीय बाजार

11.4.1 वैश्विक वित्तीय बाजार वर्ष 2018-19 की अधिकांश अवधि में अस्थिर रहे क्योंकि अमेरिका में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण, व्यापार संबंधी तनावों तथा कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों से विश्व में पड़ने वाले प्रभावों ने आर्स्टि की श्रेणी के रूप में उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) में जोखिम विमुखता की स्थिति पैदा कर दी, वित्तीय आस्तियों की अपबिक्री चमक उठी तथा इन अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं का मूल्यहास होने लगा, इसका कारण यह था कि निवेशकों में सुरक्षित स्थान पर निवेश करने की आपा-धापी मच गई थी। तथापि, वर्ष के उत्तरार्ध में वैश्विक वृद्धि एवं व्यापार में मंदी के संकेत ने बड़े केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के मामले में सामंजस्य स्थापित करने वाला रुख पैदा किया। व्यापार संघर्ष संबंधी भय के कम होने के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया, जबकि वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान जोखिम वहन करने की क्षमता पुनः प्राप्त हुई जिसने वित्तीय बाजारों को, मुख्यतः ईएमई को, आत्मविश्वास प्रदान किया एवं थोड़ी स्पर्धा भी दर्ज हुई। अमेरिकी डॉलर के सामान्य रूप से मजबूत हो जाने के कारण जिन मुद्राओं, देश-विशिष्ट कारकों द्वारा प्रभावित मुद्राओं को छोड़कर, को हानि का सामना करना पड़ा था, वे हानि की भरपाई करने में सफल रहे एवं मुद्राओं के मूल्य में वृद्धि होने के पूर्वाग्रहों के साथ ट्रेडिंग की।

11.4.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत एवं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा नहीं लेने वाली मूल निवेश कंपनी (सीआईसी-एनडी-एसआई) इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाईनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) द्वारा सितंबर 2018 में क्रेडिट कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही गिरावट के पहले अगस्त 2018 तक ईएमई-अपविक्रय के कारण भारतीय इक्विटी बाजार ने समुत्थान शक्ति प्रदर्शित की। आईएलएंडएफएस द्वारा वाणिज्यिक पेपर (सीपी), गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बैंक ऋण की चुकौती में लगातार चूक तथा इसके परिणामस्वरूप आईएलएंडएफएस एवं कुछ अन्य एनबीएफसी की रेटिंग को कम करने के कारण बाजार की भावना बुरी तरह से प्रभावित हुई। मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया अन्य ईएमई मुद्राओं के साथ-साथ चलने में पिछड़ गया, परंतु वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में वैश्विक जोखिमों में कमी ने पोर्टफोलियो प्रवाह को वापस लाया। मुद्रा बाजार में, जिसकी चर्चा उप-खंड 2 में की गई है,


एक दिवसीय मुद्रा बाजार दरों ने नीतिगत दर के नीचे ट्रेड किया। इसमें रिजर्व बैंक द्वारा सक्रिय चलनिधि प्रबंधन शामिल था जिसने प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियों के संदर्भ में बफर उपलब्ध कराया। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, यूएस राजकोषीय प्रतिफल में उछाल एवं धारित पोर्टफोलियो बहिर्गमन के कारण घरेलू बॉण्ड बाजार में वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में कमी हुई। वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में, रिजर्व बैंक द्वारा अधिक ओएमओ क्रय नीलामी एवं यूएस राजकोषीय प्रतिफल में कमी के कारण कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित विपरीत रुझान सामान्य हुआ, जिसकी चर्चा उप-खंड 3 में की गई है। उप-खंड 4 कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत करता है। उप-खंड 5 घरेलू इक्विटी बाजार की गतिविधियों की चर्चा करता है। उप-खंड 6 में वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के गिरावट वाले दबाव के झटकों के बाद दूसरी छमाही में रुपये ने विदेशी मुद्रा बाजार में जोरदार वापसी दर्ज की, का खाका प्रस्तुत किया गया है।

2. मुद्रा बाजार

11.4.3 पहली एवं तीसरी तिमाही में वाणिज्यिक पेपर (सीपी) तथा जमा प्रमाणपत्र (सीडी) में अस्थिरता की घटनाओं को छोड़कर वर्ष 2018-19 के दौरान मुद्रा बाजार सामान्यतः स्थिर रहा। चलनिधि की स्थितियां वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के दौरान धीरे-धीरे अधिशेष की स्थिति से बदल कर शेष वर्ष में घाटे में तब्दील हो गई। 14 दिवसीय परिवर्ती रिपो दर एवं सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का सहारा लेने सहित परवर्ती एवं मीयादी रिपो दर दोनों तथा विभिन्न अवधि वाले प्रतिवर्ती रिपो के माध्यम से रिजर्व बैंक ने प्रतिरोधी चलनिधि की स्थितियों को सक्रियता से प्रबंधित किया। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा के मामले में हस्तक्षेप तथा परिचालित मुद्रा के असामान्य विस्तार के कारण पैदा हुई चलनिधि की टिकाऊ कमियों को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ने ओएमओ के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद की। आगे, रिजर्व बैंक ने लंबी अवधि के लिए रुपये की चलनिधि को प्रवाहित करने के लिए दीर्घावधि विदेशी मुद्रा क्रय/विक्रय स्वैप को जोड़कर वर्ष की समाप्ति की तरफ अपने चलनिधि प्रबंधन टूलकिट को संवर्धित किया।

11.4.4 अनारक्षित अंतर-बैंक मांग बाजार में भारित औसत कॉल रेट (डब्ल्यूएसीआर) पूरे वर्ष बाजार नीतिगत रिपो दर

चार्ट II.4.1: प्रमुख नीतिगत और मुद्रा बाजार दरें



के साथ बनी रही, तथापि, इसका झुकाव नीचे की तरफ रहा (चार्ट II.4.1)। नीतिगत दर की तुलना में डब्ल्यूएसीआर का औसत नकारात्मक स्प्रेड 8 आधार अंक रहा, परंतु वर्ष की दूसरी छमाही में चलनिधि की स्थिति में धीरे-धीरे कठोरता आने के कारण यह संकुचित हुआ।


II.4.5 स्प्रेड में संकुचन के बावजूद भी मांग मुद्रा क्षेत्र में अस्थिरता, जिसका आकलन डब्ल्यूएसीआर के मानक विचलन¹⁷ द्वारा किया गया, अपने एक वर्ष पहले के स्तर से, मुख्यतः वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में, सामान्य रूप से बढ़ी जो चलनिधि की स्थितियों में उतार-चढ़ाव दर्शाती है। मुद्रा बाजार के एकदिवसीय सेगमेंट में मांग मुद्रा तथा त्रिपक्षीय रिपो का हिस्सा बढ़ा, जबकि 5 नवंबर 2018 को त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत के बाद मुख्य रूप से बाजार रिपो का हिस्सा घटा, जिसमें एकदिवसीय संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) के स्थान पर, बाजार रिपो की तरह, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) रखने की छूट शामिल थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, सीबीएलओ/त्रिपक्षीय रिपो एवं बाजार रिपो दरें डब्ल्यूएसीआर के नीचे रहीं जो औसत रूप से क्रमशः 9 आधार अंक एवं 2 आधार अंक हैं।

II.4.6 मुद्रा बाजार (मांग मुद्रा, सीबीएलओ/त्रिपक्षीय रिपो तथा बाजार रिपो एक साथ) में औसत दैनिक मात्रा 12 प्रतिशत

बढ़कर वर्ष 2017-18 के ₹1,687 बिलियन की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान ₹1,895 बिलियन हो गयी। सीबीएलओ/त्रिपक्षीय रिपो तथा बाजार रिपो क्षेत्र में मात्रा क्रमशः 14 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत बढ़ी जो वर्ष 2017-18 में क्रमशः 63 एवं 29 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल एकदिवसीय बाजार मात्रा का क्रमशः 64 एवं 27 प्रतिशत रही। वर्ष के दौरान मांग बाजार क्षेत्र की मात्रा में भी 29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जिससे बाजार में इसका हिस्सा बढ़कर 9 प्रतिशत हो गया जो पिछले वर्ष 8 प्रतिशत था।

II.4.7 लंबी अवधि के मुद्रा बाजार लिखतों, यथा 3 महीने के खज़ाना बिल (टी-बिल), जमा प्रमाण-पत्र (सीडी) तथा वाणिज्यिक पेपर (सीपी) पर ब्याज दर वर्ष 2018-19 के दौरान एक समान रहा। तथापि, पहली तिमाही के दौरान चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निधि की अधिक उगाही के कारण जून 2018 (चार्ट II.4.2) के पहले सप्ताह तक टी-बिल की तुलना में सीपी एवं सीडी दरों का स्प्रेड बढ़ा। सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) से एलसीआर निकाल देने के बाद स्प्रेड में हुई कमी जून 2018 की नीतिगत समीक्षा में बढ़ गयी। जिसके कारण बड़ी मात्रा वाली जमाराशियों की मांग कम हो गई। आईएलएंडएफएस प्रकरण के परिणामस्वरूप, सीपी स्प्रेड

¹⁷ 30 दिन की रोलिंग पद्धति पर आधारित गणना।



सितंबर से मध्य-नवंबर में बढ़ने लगे, तथा ये चलनिधि अवस्थाओं में तनाव से प्रभावित हुए।

II.4.8 प्राथमिक बाजार में, सीडी के नए निर्गम एक वर्ष पहले के ₹4,403 बिलियन की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर ₹5,653 बिलियन हो गया। सीपी का निर्गम, मुख्यतः निजी कॉर्पोरेट एवं गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा, वर्ष 2017-18 के ₹22,925 बिलियन की तुलना में बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹25,964 बिलियन हो गया। प्राथमिक सीपी बाजार में भारत औसत डिस्काउंट दरें, जो आईएलएंडएफएस प्रकरण से पैदा होने वाले बढ़े हुए जोखिम बोध के कारण सितंबर से मध्य-नवंबर तक बढ़ीं, बाद में जोखिम कम होने पर मार्च 2019 के अंत तक नरम हुईं।

II.4.9 वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही के दौरान, डब्ल्यूएसीआर एवं नीतिगत दर को एक साथ करने के कारण मुद्रा बाजार स्थिर बना रहा। चलनिधि की स्थिति, जैसाकि दैनिक निवल एलएफ पोजीशन द्वारा दर्शाया गया है, जून 2019 में बदलकर अधिशेष वाली हो गई जिसका मुख्य कारण सरकार के व्यय में बढ़ोतरी है, चाहे वह अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) का सहारा लेते हुए ही क्यों न हो।

3. सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

II.4.10 केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की दिनांकित प्रतिभूतियां (जी-सेक एवं एसडीएल) एवं खजाना-बिल (एकमुश्त एवं रिपो दोनों) में लेनदेन की कुल मात्रा वर्ष 2018-19 के दौरान 5.7 प्रतिशत तक कम हुई। पहली तिमाही में, कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, जनवरी 2014 के बाद पहली बार यूएस राजकोषीय प्रतिफल के 3 प्रतिशत मजबूत होने, यूएस फेड द्वारा दरों में बढ़ोतरी की गति से संबंधित चिंताओं एवं रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के अप्रैल 2018 के कार्यवृत्त में चिह्नित किए गए घरेलू मुद्रास्फीति से जुड़े बढ़ोतरी वाले जोखिम के कारण जी-सेक प्रतिफल में 51 आधार अंक की कमी हुई।

II.4.11 दूसरी तिमाही के दौरान, श्रेष्ठ प्रतिभूतियों के प्रतिफल जुलाई 2018 के अंत तक नरम हुए जो बढ़ी हुई आपूर्ति की प्रत्याशा के कारण कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, जून के मुद्रास्फीति प्रिंट का प्रत्याशा से कम रहना तथा ओएमओ खरीद की घोषणा को दर्शाते हैं। तथापि, एक साथ कच्चे तेल की कीमतों में पुनः उछाल एवं रुपये का अवमूल्यन दोनों एक साथ घटित होने के बाद, प्रतिफल बढ़कर 11 सितंबर 2018 को 8.2 प्रतिशत हो गया। कच्चे तेल की कीमतों एवं रुपया विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप सितंबर के दौरान देखी गई बड़ी अस्थिरता के बावजूद माह के अंत में प्रतिफल नरम हुए तथा 28 सितंबर 2018 को ये 8.0 प्रतिशत पर बंद हुए, जो वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार द्वारा कम बाजार उधारियों की अपेक्षाओं को दर्शाता है।

II.4.12 तीसरी तिमाही में, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट, भारत में कम मुद्रास्फीति तथा ओएमओ खरीद नीलामियों के कारण जी-सेक प्रतिफल सामान्य रूप से नरम हुए और 65 आधार अंक नीचे आ गए। फार्म राहत पैकेज के कारण राजकोषीय घाटा होने संबंधी चिंताओं के परिणामस्वरूप समय-समय पर कुछ तनाव देखा गया।

II.4.13 चौथी तिमाही के दौरान, ओपेक एवं अन्य द्वारा उत्पादन में कमी के कारण कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप बाजार के गिरते रुख के बीच प्रतिफलों ने शुरुआत में बढ़ोतरी के साथ व्यापार किया। जनवरी 2019 के दौरान 10 वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल में 11 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई। आगे, रिजर्व बैंक द्वारा रिपो दर में की गई कमी,

अप्रैल से सितंबर 2019 की अवधि के लिए पूर्वानुमानित मुद्रास्फीति पथ में गिरावट वाले संशोधन तथा जनवरी 2019 में 2.0 प्रतिशत के साथ सीपीआई का 19 माह की न्यूनतम स्थिति में आने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2019 में दूसरी बार दर कम करने संबंधी अपेक्षाओं के कारण इसमें नरमी आई। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक द्वारा टिकाऊ चलनिधि का प्रावधान करने एवं आगे वैश्विक प्रतिफलों में नरमी ने भावना को बढ़ाया, जिसमें फेड एवं ईसीबी द्वारा एक साथ दिये गए नम्र वक्तव्य भी शामिल थे। वर्ष 2018-19 के अंत में पुराने बेंचमार्क वाले 10 वर्षीय जी-सेक (7.17 प्रतिशत जीएस 2018) का प्रतिफल 7.49 प्रतिशत पर बंद हुआ जो पिछले वर्ष के 7.40 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा था (चार्ट II.4.3)। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान एमपीसी द्वारा नम्र मार्गदर्शन सहित नीतिगत नरमी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी तथा यूएस फेड एवं ईसीबी द्वारा अपनाए गए शांत रुख के परिणामस्वरूप वैश्विक प्रतिफलों में आई गिरावट के कारण जी-सेक प्रतिफल में कमी आई।


II.4.14 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश के लिए अधिक पूर्वानुमेय व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से एफपीआई सीमा को मीडियम-टर्म फ्रेमवर्क (एमटीएफ)¹⁸ के तहत अर्धवार्षिक आधार पर संशोधित किया जा रहा है। तदनुसार, जी-सेक (एसडीएल सहित) में एफपीआई के लिए निवेश सीमाओं

को चरण-वार बढ़ाकर 06 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार ₹3,279 बिलियन से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2019 को ₹3,952 बिलियन कर दिया गया था जो 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। कुल उपलब्ध सीमा (एसडीएल में निवेश सहित) का एफपीआई उपयोग अप्रैल 2018 के 74 प्रतिशत की तुलना में घटकर अप्रैल 2019 में 49 प्रतिशत हो गया जिसका कारण वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में जी-सेक के विनिवेश के परिणामस्वरूप ₹225 बिलियन का बहिर्गमन था। इस घटनाक्रम को अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में भी देखा गया जिसे पहले दर्शाया गया है। दूसरी एवं तीसरी तिमाही के दौरान प्रवाह, बकाया निवेशों में थोड़े बदलाव के साथ, सामान्य थे। चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट कर्ज एवं इक्विटी के मामले में वे सकारात्मक थे, परंतु जी-सेक बाज़ार में बहिर्गमन जारी रहा।

4. कॉर्पोरेट कर्ज बाज़ार

II.4.15 कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल मुख्यतः जी-सेक प्रतिफल के समान रहे। उच्च मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों, यूएस राजकोषीय प्रतिफल में बढ़ोतरी तथा जून तथा अगस्त 2018 में पुनः रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में 25 आधार अंक की वृद्धि के कारण एए रेटिंग वाले 5 वर्षीय कॉर्पोरेट बॉण्ड में वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में कमी हुई। तथापि, यह प्रवृत्ति वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के दौरान विपरीत दिशा में हो

चार्ट II.4.3: शून्य कूपन पर आधारित सरकारी प्रतिभूतियों की प्रतिफल वक्र



स्रोत : एफबीआईएल एवं एफआईएमएमडीए।

¹⁸ कर्ज प्रतिभूतियों में एफपीआई सीमाओं के लिए एमटीएफ को अक्तूबर 2015 में अंतिम रूप दिया गया था जिससे कि एफपीआई के लिए एक अधिक पूर्वानुमेय व्यवस्था बनाई जा सके। एमटीएफ के तहत केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) में एफपीआई की सीमाएं विभिन्न चरणों में बढ़ाई गईं जिससे कि यह मार्च 2018 तक बकाया स्टॉक के 5 प्रतिशत तक पहुँच जाए। एसडीएल के मामले में मार्च 2018 तक चरणबद्ध तरीके से इस सीमा को बकाया स्टॉक का 2 प्रतिशत किया जाना तय किया गया। अप्रैल 2018 में इस सीमा की समीक्षा की गई तथा जी-सेक में एफपीआई की सीमा को प्रति वर्ष 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 5.5 प्रतिशत एवं 2019-20 में 6.0 प्रतिशत कर दिया गया। एसडीएल में एफपीआई की सीमा में बदलाव नहीं किया गया एवं यह प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 2.0 प्रतिशत बना रहा। वर्ष के प्रारंभ में जी-सेक, एसडीएल तथा कॉर्पोरेट बॉण्ड की संशोधित की गई प्रत्यक्ष सीमा अप्रैल-सितंबर तथा अक्तूबर-मार्च की छमाही के लिए निर्धारित की गई है।

गई जिसका कारण कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल में नरमी रही, यद्यपि इसमें 2018-19 की पहली छमाही में भूमिका अदा करने वाले कारकों में कमजोरी रहने के कारण जी-सेक प्रतिफल की तुलना में इसकी गति धीमी रही। समग्र रूप से, वर्ष 2018-19 के दौरान 5 वर्षीय एएए कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल 14 आधार अंक बढ़कर 8.10 प्रतिशत हो गया।

II.4.16 5 वर्षीय एएए कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल का समतुल्य जी-सेक प्रतिफल पर स्प्रेड, मुख्यतः दूसरी छमाही में, 79 आधार अंक बढ़ा, जो आईएलएंडएफएस इवेंट के परिणाम में बढ़े हुए क्रेडिट जोखिम प्रीमियम तथा कुछ एनबीएफसी द्वारा सामना किए गए चलनिधि संकुचन को दर्शाता है। दीर्घावधि विदेशी मुद्रा विनिमय क्रय/विक्रय स्वैप नीलामी के माध्यम से रुपया चलनिधि की प्रवाहित करने की रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2019 में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप प्रतिफल एवं स्प्रेड दोनों में अधिक गिरावट आई क्योंकि इस कदम से हेजिंग लागत के कम होने की आशा थी। कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में औसत दैनिक कारोबार पिछले वर्ष के ₹74.6 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान ₹75.6 बिलियन हो गया (चार्ट II.4.4)।


II.4.17 प्राथमिक कॉर्पोरेट बॉण्ड निर्गम वर्ष 2018-19 के दौरान 7.1 प्रतिशत बढ़कर ₹6,470 बिलियन हो गया। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में बॉण्ड निर्गम में 30.3 प्रतिशत की गिरावट हुई, जबकि दूसरी छमाही में इनमें 51.4 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी


हुई जिसका कारण मुख्यतः दिसंबर 2018 के आगे कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल में नरमी ने कॉर्पोरेट को अधिक बॉण्ड निर्गम का सहारा लेने के लिए उत्साहित किया। सार्वजनिक कर्ज निर्गम वर्ष 2018-19 के दौरान ₹366.8 बिलियन रहा जिसमें वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सात गुना से अधिक की वृद्धि हुई। निजी स्थानन कॉर्पोरेट की चुनिंदा पसंद बने रहे जिसका हिस्सा बॉण्ड निर्गम के माध्यम से कुल संचारित संसाधन का 94.3 प्रतिशत था। वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर बकाया कॉर्पोरेट बॉण्ड 11.9 प्रतिशत बढ़कर ₹30,672 बिलियन हो गए जो मार्च 2019 के अंत में जीडीपी का 16.1 प्रतिशत हिस्सा थे। परिणामस्वरूप, एफपीआई स्वीकृत सीमा का उपयोग 91.9 प्रतिशत से घटकर मार्च 2018 में 75.9 प्रतिशत हो गया।

II.4.18 जी-सेक प्रतिफल में नरमी का जारी रहना तथा क्रेडिट चूक जोखिम में कमी, जो कम ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) स्प्रेड द्वारा दर्शाया गया है, के कारण वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान 5 वर्षीय एएए रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉण्ड के प्रतिफल 14 आधार अंक कम होकर 7.96 प्रतिशत हो गए। 5 वर्षीय जी-सेक की तुलना में एएए रेटिंग वाले 5 वर्षीय कॉर्पोरेट बॉण्ड के प्रतिफल का स्प्रेड 4 आधार अंक संकुचित हुआ। कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में प्राथमिक निर्गम 43.7 प्रतिशत बढ़ा जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में बढ़कर ₹1,668 बिलियन हो गया। कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में औसत दैनिक कारोबार वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही के ₹75.0 बिलियन की तुलना में वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में बढ़कर ₹86.6 बिलियन हो गया।

5. इक्विटी बाजार

II.4.19 वर्ष 2018-19 में इक्विटी बाजार ने भारी बढ़ोतरी दर्ज की जिससे बेंचमार्क सूचकांकों ने समय-समय पर सुधार सहित नए कीर्तिमान बनाए। बीएसई सेंसेक्स एवं निफ्टी 50 अनुकूल घरेलू कारकों तथा वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप क्रमशः 17.3 प्रतिशत एवं 14.9 प्रतिशत बढ़े। घरेलू इक्विटी बाजार में ऊर्ध्वमुखी रुझान आईएलएंडएफएस द्वारा अवरोधित कर दिया गया, परंतु वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में, मुख्यतः मार्च 2019 में, इसमें प्रभावशाली सुधार हुआ। फेड के शांत दृष्टिकोण, यूएस-चीन का व्यापार संबंधी बातचीत में अनुकूल गतिविधियों, एफपीआई की वापसी तथा सामान्य चुनाव परिणाम





के बारे में बढ़ती आशा के कारण सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने बाज़ार की कमजोर हुई पकड़ में सुधार लाने में मदद की। इक्विटी बाज़ार में उछाल अधिकतर म्यूच्युअल फंड की खरीद द्वारा समर्थित था, यद्यपि एक वर्ष पूर्व इसकी गति धीमी थी (चार्ट II.4.5)। एफपीआई वर्ष के दौरान निवल खरीदार थे।

II.4.20 भारतीय इक्विटी सूचकांक वर्ष 2018-19 के पहले पाँच माह के दौरान ऊपर गए। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 28 अगस्त 2018 को कारोबार की समाप्ति पर 38,897 की रिकार्ड ऊंचाई को छुआ। बाजार की भावनाओं में तेजी कई प्रकार के कारकों के मिलने से पैदा हुई है, जिसमें शामिल हैं 2018-19 की पहली छमाही में सरकार द्वारा उम्मीद से कम उधारी कार्यक्रम करना, जो वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही और 2018-19 की पहली तिमाही में प्रत्याशित कार्पोरेट आमदनी से बेहतर थी, सरकार द्वारा पांच सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डाले जाने का अनुमोदन, अनेक मर्दों के संबंध में जीएसटी दर का कम होना, वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में प्रत्याशा से बेहतर जीडीपी वृद्धि और जुलाई तथा अगस्त में मुद्रास्फीति में गिरावट होना। अमेरिका और चीन के बीच लगातार व्यापार संबंधी टकराव के कारण इस अवधि के दौरान छिट-पुट बिक्री के झटके महसूस किए गए, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई तथा तुर्की में आए संकट से बाज़ार पर पड़ने वाले अत्यधिक संक्रामक प्रभाव के प्रति चिंता भी।


II.4.21 सितंबर और अक्टूबर 2018 के दौरान बाज़ार की भावनाओं को आईएलएंडएफएस की घटना ने तथा एनबीएफसी क्षेत्र में निरंतर चलनिधि के कम हो जाने, अमरीका और चीन के बीच व्यापार युद्ध से संबंधित चिंताओं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाने से अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में तीव्र कमी आना तथा 2018-19 की पहली तिमाही में भारत के चालू खाता घाटे(सीएडी) के बढ़ते जाने ने बुरी तरह से प्रभावित किया था। बाज़ार में बहुत थोड़े समय के लिए नवंबर 2018 में बहाली पैदा हुई थी, जो चलनिधि की कठोरता के प्रति चिंता के कम होने, जी-20 सम्मेलन में अमरीका-चीन के बीच व्यापार संबंध में बेहतरी आने की उम्मीद, अमरीकी फेड द्वारा सौम्य स्वरूप का बयान देने, विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग और अच्छी होने तथा अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में तेजी आने से हुई थी। उसके बाद दिसंबर 2018 में इक्विटी बाज़ार में थोड़ी सी गिरावट आई क्योंकि 2018-19 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि प्रत्याशा से कमजोर थी, राज्य असेंबली चुनाव के नतीजों के बारे में अनिश्चितता तथा अमेरिकी फेड द्वारा वर्ष में चौथी बार दर में वृद्धि की गई थी। जनवरी 2019 के ज्यादातर हिस्से में गिरावट आने के बाद इक्विटी बाज़ार में बहाली पैदा हुई और 31 जनवरी, 2019 को बीएसई सूचकांक 1.9 प्रतिशत बढ़ गया जिसका मुख्य कारण फेड का दरों को रोके रखना तथा यह संकेत देना है कि वह आगे दरों में वृद्धि के प्रति संयमित दृष्टिकोण अपनाएगा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट से सकारात्मक उम्मीदों ने स्पर्धा को और बढ़ा दिया था।

II.4.22 इक्विटी बाज़ार ने अपना कारोबार फरवरी 2019 में इस उम्मीद पर तेजी से शुरू किया कि रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में सौम्य रुख अपनाया जाएगा और उसके बाद ही रिपो दर में 25 आधार अंक की कटौती की गई तथा साथ ही मौद्रिक नीति के रुख में नपी-तुली कठोरता के बजाय तटस्थता का रुख अपनाने का बदलाव हुआ। लेकिन अमेरिका-मैक्सिको सीमा दीवार की फंडिंग को लेकर लगातार बने रहे गतिरोध के कारण अमेरिकी सरकार के आंशिक रूप से रुक जाने की एक और संभावना, अमरीका-चीन के बीच व्यापार युद्ध के प्रति चिंता, कश्मीर में आतंकवादी आक्रमण के कारण भारत-पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनाव एवं बाद में बढ़ते हुए संघर्ष की वजह से

इक्विटी बाज़ार में बनी हुई भावना प्रतिकूल हो गई। तथापि, मार्च 2019 में भारतीय इक्विटी बाज़ार में दुबारा तेज़ी बहाल हुई और बीएसई सूचकांक ने विश्व स्तर पर सकारात्मक वातावरण के संकेत, सीमा-पार तनाव का कम होना, एफपीआई द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किया जाना तथा आम चुनाव के बेहतर परिणाम के बारे में आशाएँ बढ़ने के कारण 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

11.4.23 भारतीय इक्विटी बाज़ार को वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में बीएसई सूचकांक तथा निफ्टी 50 में क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ हलका फ़ायदा पहुँचा। बाज़ार ने वर्ष में अपनी शुरुआत सकारात्मक तरीके से की किंतु व्यापार-तनावों के दुबारा पैदा हो जाने से 2018-19 की चौथी तिमाही में अर्जन संबंधी नतीजे ढीले पड़ गए और इसने मई 2019 के शुरु में बाज़ार को पीछे धकेल दिया। उसके बाद, केंद्र में स्थायी सरकार के बन जाने से बाज़ार को मदद मिली और बाज़ार दुबारा ऊपर की ओर बढ़ने की हालत में आ गया तथा बीएसई सूचकांक 3 जून 2019 को अब तक के सबसे उच्च स्तर 40,268 अंक पर पहुँच गया था। लेकिन बाज़ार को जो फ़ायदा हुआ था उसमें से कुछ हिस्सा निकल गया जिसका मुख्य कारण एक आवास वित्त कंपनी द्वारा अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की सर्विसिंग में विलंब होने से एनबीएफसी क्षेत्र में चलनिधि की उपलब्धता के प्रति चिंताएँ दुबारा पैदा होना, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार-संघर्ष जोर पकड़ने लगे थे तथा भारत द्वारा 16 जून 2019 से अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी कार्रवाई के रूप में टैरिफ़ लगा दिया गया था।

11.4.24 वर्ष 2018-19 के दौरान संस्थागत निवेशकों द्वारा खासतौर से म्यूच्युअल फंडों द्वारा किए गए निवल निवेश ने इक्विटी बाज़ार को सहारा प्रदान किया। फरवरी और मार्च 2019 में भारी निवेश करने से पहले वर्ष के ज्यादातर हिस्से में एफपीआई निवल विक्रेता बने रहे। वर्ष के दौरान म्यूच्युअल फंडों द्वारा इक्विटी बाज़ार में की गई निवल खरीद ₹879 बिलियन थी, जो पिछले वर्ष के ₹1418 बिलियन की खरीद से काफी कम थी। समग्र रूप से एफपीआई ने वर्ष के दौरान ₹97 बिलियन की निवल खरीद की थी (चार्ट 11.4.6)। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में म्यूच्युअल फंडों ने ₹68 बिलियन की निवल खरीद की। एफपीआई ने वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में ₹184 बिलियन की निवल बिक्री की तुलना में ₹216 बिलियन की खरीद की थी।



प्राथमिक बाज़ार में संसाधन जुटाना

11.4.25 वर्ष 2018-19 में इक्विटी बाज़ार के प्राइमरी खंड में गतिविधियां निस्तेज थीं। सार्वजनिक और अधिकार-निर्गमों के माध्यम से संसाधन जुटाये जाने की स्थिति वर्ष 2018-19 के पहले पाँच महीनों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो उच्च थी, लेकिन सितंबर 2018 के बाद से द्वितीयक बाज़ार में अत्यधिक अनिश्चितता एवं अस्थिरता होने के कारण उसमें धीमापन आ गया था। वर्ष 2018-19 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) और अधिकार-निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन 82.7 प्रतिशत घटकर ₹182.4 बिलियन हो गया था। कंपनियों ने कुल 123 आईपीओ निर्गमों के माध्यम से कुल ₹160.9 बिलियन जुटाए थे जिसमें से ₹18.4 बिलियन के 110 निर्गम बीएसई और एनएसई के लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध किए गए थे। अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से जुटाए गए संसाधन वर्ष 2017-18 के ₹672.4 बिलियन की तुलना में तेज़ी से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹102.9 बिलियन हो गए थे (परिशिष्ट सारणी-5)।


11.4.26 म्यूच्युअल फंडों द्वारा वर्ष 2018-19 में जुटाया गया संसाधन 59.6 प्रतिशत घटकर ₹1,097 बिलियन हो गया था। इक्विटीजन्य योजनाओं के माध्यम से जुटाया गया संसाधन वर्ष 2017-18 के ₹1,711 बिलियन से घटकर वर्ष 2018-19 में

₹1,080 बिलियन हो गया था, जिसका मुख्य कारण यह था कि व्यक्तियों और कॉर्पोरेट्स द्वारा किया गया निवेश एक वर्ष पहले की तुलना में वर्ष 2018-19 में कम था। इक्विटीजन्य म्यूच्युअल फंड प्रबंधन(एयूएम)के अंतर्गत आस्तियां मार्च 2018 के अंत के ₹7,498 बिलियन से बढ़कर मार्च 2019 के अंत में 19.0 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹8,921 बिलियन हो गई थीं।

11.4.27 इक्विटी के सार्वजनिक और अधिकार-निर्गमों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में जुटाया गया संसाधन वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आठ गुना से भी अधिक था जिसका कारण यह था कि टेलीकॉम कंपनी द्वारा राइट-निर्गमों के माध्यम से अत्यधिक संसाधन जुटाए गए थे। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान क्यूआरपी निर्गमों में 16.3 प्रतिशत की गिरावट रही। म्यूच्युअल फंडों द्वारा वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में जुटाए गए निवल संसाधन में 86.8 प्रतिशत की भारी गिरावट आई क्योंकि मुद्रा बाजार म्यूच्युअल फंड में आने वाला निवल प्रवाह घट गया था।

6. विदेशी मुद्रा बाजार

11.4.28 विदेशी मुद्रा बाजार में वर्ष 2018-19 के दौरान अंतर-बैंक खंड में अत्यधिक टर्नओवर ने जोर पकड़ा था। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर रहा क्योंकि भारत सहित ईएमई से बाहर पोर्टफोलियो की पुनः बैलेंसिंग की गई थी, अमेरिकी डालर मजबूत हो गया था तथा कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत का सीएडी बढ़ गया था। रुपया अक्टूबर 2018 के मध्य तक कमजोर बना रहा, लेकिन उसके बाद सुधार शुरू हुआ जो एफपीआई द्वारा की जानेवाली निवल खरीद, सभी प्रमुख केंद्रीय बैंकों में नरम मौद्रिक नीति का रुख अपनाने और विश्व में कच्चे तेल की कीमतें कम होने से हुआ था। 11 अक्टूबर 2018 को मार्च 2018 के अंत तक के स्तर से 12.5 प्रतिशत के मूल्यहास के साथ रुपया उस दिन अब तक के सबसे कम मूल्य 74.49 रुपए प्रति अमेरिकी डालर पर पहुंच गया था। समग्र रूप से वर्ष 2018-19 के दौरान अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपए में 6.0 प्रतिशत का मूल्यहास हुआ था(चार्ट 11.4.7)। वर्ष 2018-19 के दौरान औसत-रूप से कई अन्य ईएमई करेसियों की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य बेहतर था। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में शुरू में रुपये का व्यापार हलके मूल्यहास के भाव के साथ प्रारंभ हुआ था क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें वर्ष 2019 में अपने उच्चतम स्तर तक



पहुँच रही थीं। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, आम चुनाव के बाद स्थिर सरकार का गठन, एफपीआई का लगातार प्रवाह और अमेरिकी फेड का सौम्य आउटलुक के कारण मई के मध्य से रुपए के मूल्य में वृद्धि दिखाई देने लगी।

11.4.29 रुपये की विनियम-दर में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार देखें तो 36-करेंसीय सांकेतिक/वास्तविक प्रभावी विनियम दर (एनईईआर/आरईईआर) में अक्टूबर 2018 तक लगातार मूल्यहास होता रहा, लेकिन इसके बाद उसके मूल्य में वृद्धि हुई। 36-करेंसीय सांकेतिक/वास्तविक प्रभावी विनियम दर नीयर और रीयर के अनुसार रुपया का मूल्यहास वर्ष 2018-19 में क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत हुआ था।

11.4.30 जहाँ तक फारवर्ड प्रीमिया का संबंध है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में यह पिछले वर्ष के स्तरों के समान ही बना रहा है। इसमें काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा के आने से वित्तीय वर्ष के आखिर में वृद्धि हुई। हाज़िर और वायदा बाजार के मर्चेट और अंतर-बैंक खंडों में टर्नओवर काफ़ी हद तक पिछले वर्ष के स्तर पर ही बना रहा, जबकि वर्ष के बाद के हिस्से में स्वेप खंड की गतिविधियां बढ़ी हुई दिखाई दी हैं।

11.4.31 इसके अलावा, वैश्विक कारक जैसे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधी गतिविधियां तथा वैश्विक स्तर पर संवृद्धि के धीमे रहने के प्रति चिंताएं वित्तीय बाजार पर दबाव डाल सकती हैं। तथापि, घरेलू स्तर पर समष्टि-आर्थिक सुदृढ़ आधार को इस अस्थिरता के प्रति बफर के रूप में कार्य करना चाहिए।

II.5 सरकारी वित्त

II.5.1 वर्ष 2018-19 में लोक-वित्त में सरकार के लिए निर्धारित बजटीय घाटा लक्ष्यों से मामूली सा विचलन दर्ज हुआ। केंद्र सरकार के संबंध में 3.3 प्रतिशत की बजटगत जीडीपी से इसके सकल राजकोषीय घाटे में 0.1 प्रतिशत का आधिक्य रहा, जो कि मुख्यतया आयकर और वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत अपेक्षित बजट में कम संग्रह के कारण हुआ। परिणामस्वरूप केंद्र सरकार को एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4(2) के तहत निर्दिष्ट 'एस्केप क्लॉज' का सहारा लेना पड़ा। राज्यों¹⁹ के मामले में उनकी समेकित जीएफडी में बजटगत स्तर से जीडीपी में 0.3 प्रतिशत का अंतर रहा जो मुख्यतया उच्चतर राजस्व व्यय के कारण रहा।

II.5.2 वर्ष 2018-19 में केंद्र और राज्य दोनों ही के बजट परिणामों में कुछ दृष्टव्य लक्षण रहे जो विगत से बिलग होना दिखाते हैं। पहला, विगत वर्ष की तुलना में राजकोषीय प्रबंधन का आधार व्यय को औचित्यपूर्ण बनाने के बजाय राजस्व बढ़ोतरी पर था। इसके साथ ही बजटगत पूंजी परिव्ययों का परिरक्षण करके और राजस्व खाते में परिव्ययों को कम करके व्यय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारें भी वचनबद्ध हैं। दूसरे, एक उल्लेखनीय गतिविधि भी सामने आ रही है, वह है ऋण और राजकोषीय घाटे की दृष्टि से दोहरे लक्ष्यों का निर्धारण जो एफआरबीएम समीक्षा समिति (अध्यक्ष- श्री एन. के. सिंह) की सिफारिश के अनुसार राजकोषीय विवेक के लिए अनिवार्य और पर्याप्त शर्तों के रूप में है। सरकार भी विशिष्ट बचाव तथा तेजी रोधकता को अपनाते हुए अपनी राजकोषीय नीति में प्रति सक्रियता के कुछ तत्व समाहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

II.5.3 वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र की जीएफडी को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत पर बजटबद्ध किया है, यहां तक कि उच्च राजस्व व्यय में समृद्धि के बावजूद यह वर्ष 2018-19 (पीए) में हुई उपलब्धि का समेकन है। दूसरी तरफ राज्य सरकारें वर्ष 2019-20 में अपने समेकित जीएफडी को बजट में जीडीपी के 2.4 प्रतिशत पर निर्धारित कर राजकोषीय स्थितियों के

मजबूत होने की आशा कर रही हैं। तदनुसार, प्रत्याशा है कि 2019-20 में सामान्य सरकार के जीएफडी में और गिरावट होगी।

11.5.4 इस परिदृश्य के साथ वर्ष 2018-19 और 2019-20 में केंद्र सरकार के वित्त की स्थिति को क्रमशः उप खंड 2 और 3 में दिया गया है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान राज्य सरकार के वित्त की गतिविधियों को क्रमशः उप खंड 4 और 5 में दिया गया है। सामान्य सरकारी वित्त के बारे में उप खंड 6 में विचार-विमर्श किया गया है।

2. वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार के वित्त

II.5.5 वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार का जीएफडी, जीडीपी का 3.4 प्रतिशत रहा जो संघीय बजट 2018-19 में निर्धारित जीडीपी लक्ष्य से 0.1 प्रतिशत का विचलन दिखाता है। आयकर और जीएसटी संग्रहण में कमी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत आय समर्थन स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय के बावजूद कार्पोरेशन करों, सीमा शुल्क और विनिवेश से हुई प्राप्तियों के साथ-साथ राज्यों को न्यूनतम अंतरण से कमियों की भरपाई करने में मदद मिली और उच्चतर पूंजीगत व्यय किया जा सका।

II.5.6 सकल कर-संग्रहण भी वर्ष 2018-19 (पीए) के लिए बजट के लक्ष्यों से ₹1,910 बिलियन कम रहा, जिसका मुख्य कारण जीएसटी संग्रहण में ₹1,623 बिलियन की कमी और आयकर संग्रहण में ₹563 बिलियन की कमी होना रहा। दूसरी ओर कार्पोरेशन करों और सीमा-शुल्क संग्रहण बजट में निर्धारित लक्ष्यों से क्रमशः ₹426 बिलियन और ₹54 बिलियन रूपए अधिक हुआ। परिणाम यह रहा कि वर्ष 2018-19 में जो सकल कर संग्रहण हुआ वह एक वर्ष पहले के 11.2 प्रतिशत से गिरकर जीडीपी के 10.9 प्रतिशत पर आ गया। इसे वर्ष दर वर्ष की संवृद्धि दरों के रूप में देखें तो वर्ष 2017-18 में जो अप्रत्यक्ष कर 5.9 प्रतिशत पर थे, वे 2018-19 में 2.9 प्रतिशत पर आ गए और प्रत्यक्ष कर की वृद्धि एक वर्ष पहले के 17.9 प्रतिशत से नरम होकर 13.5 प्रतिशत पर आ गई।

¹⁹ 27 राज्यों के लिए संशोधित आंकड़े।

11.5.7 वर्ष 2018-19 में जीएसटी संग्रहण में कमी का कारण जीएसटी परिषद द्वारा 21 जुलाई और 22 दिसंबर 2018 को सभी क्षेत्रों और वस्तुओं के संबंध में वर्ष के दौरान दो बार जीएसटी दरों को औचित्यपूर्ण बनाना था। परिणामस्वरूप भारत औसत जीएसटी दर 12.2 प्रतिशत से घटकर 11.6 प्रतिशत पर आ गई। जीएसटी अपवचना/उल्लंघनों का पता लगाने के लिए किए गए अन्वेषणों के आधार पर यह पाया गया कि 3,626 अपवचना/ उल्लंघनों के मामलों में निहित राजस्व की अनुमानित रकम ₹152.8 बिलियन रुपए (दिसंबर 2018 तक) है, जिसमें से अब तक ₹99.6 बिलियन की वसूली हो चुकी है।

11.5.8 वर्ष 2018-19 के लिए अनंतिम लेखों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश अंतरण और मिलने वाले लाभों में विगत वर्ष के स्तर से गिरावट आई, लेकिन रिजर्व बैंक/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अधिशेषों का अंतरण विगत वर्ष से उच्चतर रहा। वर्ष 2018-19 में विनिवेश से प्राप्त हुई रकम बजट में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में ₹50 बिलियन अधिक रही।

11.5.9 कर-संग्रहण में कमी के बावजूद सरकार अपने राजस्व व्यय में ₹1,333 बिलियन की कमी करके जीएफडी को जीडीपी के 3.4 प्रतिशत पर बनाए रख सकी, जिसमें राजस्व व्यय की कमी में ₹674 बिलियन के खाद्यान्न सहायता का रोल ओवर भी शामिल है। इससे सरकार अपने बजटीकृत पूंजीगत व्यय को बरकरार रख सकी जिसमें वर्ष 2017-18 के दौरान 7.5 प्रतिशत का संकुचन था जबकि 2018-19 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.1 प्रतिशत की वृद्धि रही।

3. वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार के वित्त

11.5.10 संघीय बजट 2019-20 में मुख्यतया अवसंरचना में निवेशों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर दिया गया है, जबकि साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्टअप पर भी फोकस किया गया है। शोध और विकास को प्रोत्साहन तथा भारत को स्वस्थ, हरित और स्वच्छ बनाने को भी महत्व दिया गया है। इसके अलावा बजट में वित्तीय क्षेत्र के सुधार हेतु भी कई उपायों

की घोषणा की गई है जो कॉर्पोरेट क्रियाकलापों को बढ़ावा देंगे, इनमें से कुछ का संबंध रिजर्व बैंक से है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार की राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय में शिथिलता लाते हुए बजट में अनुमानित उच्चतर राजस्व व्यय को पूरा करने की प्रत्याशा की गई है। आगामी वर्षों में सरकार का अभिप्राय व्यय दक्षता में सुधार और कर संग्रहण में सुधार करना है ताकि एफ़आरबीएम अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय घाटे के पथ के साथ समरूपण हो सके।

11.5.11 वर्ष 2019-20 के लिए जीएफडी को जीडीपी के 3.3 प्रतिशत पर बजटबद्ध किया गया है, जबकि मध्यावधि राजकोषिय नीति (एमटीएफपी) 2018-19 में जीएफडी का अनुमान 3.1 प्रतिशत लगाया गया था (तालिका 11.5.1)। उच्च बजटीकृत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण, गैर-कर राजस्व और विनिवेश प्राप्तियों के राजकोषीय समेकन से पूरा करना प्रत्याशित है। सकल कर राजस्व के अनुमानों को मजबूत करने हेतु वर्ष 2019-20 (बीई) में 1.67 प्रतिशत के अंतर्निहित कर उछाल की प्रत्याशा की गई है, जो वर्ष 2018-19 (पीए) में हासिल हुई 0.75 के उछाल से काफी ज्यादा है। वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत आयकर हेतु 1.86 उछाल वर्ष 2018-19 के 1.17 से ज्यादा है (पीए), जो वर्ष 2008-18 के दौरान का औसत है। बजट में अनुमानों के अनुसार 2019-20 में गैर-कर राजस्वों की प्राप्तियों में 27.2 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, इसमें प्रमुख योगदान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांशों और लाभ का रहेगा। वर्ष 2018-19 (पीए) में विनिवेश के परिणामों से उत्साहित होकर, वर्ष 2019-20 (बीई) में विनिवेश का लक्ष्य ₹1,050 बिलियन रखा गया है।

11.5.12 कुल व्यय के लिए बजटगत अनुमान है कि वर्ष 2018-19 (पीए) के 7.9 प्रतिशत की तुलना में यह 2019-20 में 20.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा, इसकी वजह वर्ष 2019-20 (बीई) में राजस्व व्यय में 21.9 प्रतिशत की तीव्र बढ़ोतरी होना है, जो वर्ष 2018-19 (पीए) में 6.9 प्रतिशत थी (चार्ट 11.5.1)। प्रमुख उपदानों यथा खाद्य, ईंधन और उर्वरकों पर होने वाले व्यय का बजट में वर्ष 2018-19 (पीए) के 1.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में जीडीपी का 1.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी II.5-1: केंद्र सरकार का राजकोषीय कार्यनिष्पादन**

(जीडीपी की तुलना में प्रतिशत)

मद	2004-08	2008-10	2010-15	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (आरई)	2018-19 (पीए)	2019-20 (बीई)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
गैर कर्ज प्राप्तियां		11.0	9.7	9.5	9.4	9.2	9.1	9.4	9.1	9.6	8.8	9.9
कर राजस्व (सकल) (ए + बी)		10.7	10.4	10.2	10.1	10.0	10.6	11.2	11.2	11.8	10.9	11.7
कर राजस्व (शुद्ध)*		7.9	7.6	7.3	7.3	7.2	6.9	7.2	7.3	7.8	6.9	7.8
क) प्रत्यक्ष कर		5.1	6.0	5.7	5.7	5.6	5.4	5.5	5.9	6.3	6.0	6.3
ख) अप्रत्यक्ष कर		5.6	4.4	4.5	4.4	4.4	5.2	5.6	5.3	5.5	5.0	5.3
गैर-कर राजस्व		2.2	1.8	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.1	1.3	1.3	1.5
गैर-कर्ज पूंजी प्राप्तियां		0.9	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6
कुल खर्च		14.5	16.1	14.4	13.9	13.3	13.0	12.9	12.5	12.9	12.2	13.2
राजस्व व्यय		12.1	14.4	12.6	12.2	11.8	11.2	11.0	11.0	11.3	10.6	11.6
पूंजीगत व्यय		2.4	1.7	1.8	1.7	1.6	1.8	1.9	1.5	1.7	1.6	1.6
राजस्व घाटा		2.0	5.0	3.5	3.2	2.9	2.5	2.1	2.6	2.2	2.3	2.3
सकल राजकोषीय घाटा		3.5	6.3	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5	3.5	3.3	3.4	3.3

बीई : बजट अनुमान; आरई: पुनः संशोधित अनुमान; पीए: अनंतिम खाते।

* निवल कर राजस्व में राज्य सरकारों को कर अंतरण के पश्चात की सकल कर राजस्व दर्शाता है।



** इस सारणी में दिए गए जीडीपी अंक 2011-12 के आधार पर हैं जो कि अंतिम मौजूद अनुमान हैं। किसी भी वर्ष के अंतिम मौजूद जीडीपी डाटा के प्रयोग सिद्धांत से, 2018-19 (आर-ई) के लिए अंतिम मौजूद अनुमान (31 मई 2019 को जारी) जीडीपी अनुमान है। इस सारणी में दिए गए राजकोषीय संकेतक जीडीपी की तुलना में प्रतिशत संघीय बजट दस्तावेज में रिपोर्ट हुए से किसी भी समय में मार्जिन हो सकता है।

स्रोत : संघीय बजट दस्तावेज।

4. वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त

II.5.13 27 राज्य सरकारों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2018-19 (आरई) में राज्यों की समेकित राजकोषीय स्थिति में उनके बजट आकलनों की तुलना में गिरावट रही

(चार्ट-II.5.2), उनका (जीएफडी) बजट आकलन के 2.4 प्रतिशत की तुलना में 2.7 प्रतिशत रहा। वर्ष 2018-19 (आरई) में उसी वर्ष के लिए बजटगत अधिशेष की तुलना में राजस्व लेखों में घाटा हुआ, क्योंकि कर्ज माफी, आय समर्थन



स्कीमों और कतिपय राज्यों²⁰ द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमतों में बढ़ोतरी के कारण इस पर निरंतर बढ़ते जाने का दबाव पड़ा। अनुदानों, खासकर क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में उच्चतर राजस्व प्राप्तियों की सहायता से इस गिरावट की आंशिक क्षतिपूर्ति हुई।

5. वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त

11.5.14 राज्य सरकारें प्रत्याशा कर रही हैं कि 2019-20 में वे अपनी राजकोषीय स्थिति का समेकन कर लेंगी। राज्यों के सम्मिलित जीएफडी को बजट में 2.4 प्रतिशत पर रखा गया है, इसका समेकन मुख्य रूप से व्यय को कम, दोनों राजस्व और पूँजी, करके हुआ है जो राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता में समझौता करना है। हालांकि राजकोषीय समेकन के बावजूद जोखिम बना रहा रहेगा क्योंकि 11 राज्य अपने राजकोषीय घाटों का बजट एफआरबीएम में 3.0 प्रतिशत की निर्धारित सीमा²¹ से अधिक रख रहे हैं।

6. सामान्य सरकारी वित्त²²

11.5.15 सामान्य सरकारी जीएफडी 2016-17 में जीडीपी का 6.9 प्रतिशत से कम होकर 2018-19 में 5.9 प्रतिशत हो गया। संयुक्त जीएफडी 2008-09 से 2016-17 के बीच 6.0 प्रतिशत बने रहने के बाद 2017-18 से पहली बार 6.0 प्रतिशत से नीचे गया है। केंद्र और राज्यों दोनों ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व दबाव के बावजूद इस अवधि के दौरान राजकोषीय समेकन के लिए ठोस प्रयास किए हैं। जबकि केंद्र ने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की मदद से ऐसा किया है, तो वहीं दूसरी ओर, राज्यों ने पूंजीगत व्यय में कटौती की है ताकि संयुक्त जीएफडी-जीडीपी अनुपात को नीचे लाया जा सके। 2018-19 के संशोधित अनुमानों में सामान्य सरकारी जीएफडी 5.9 प्रतिशत थी इसकी तुलना में 2019-20 में इसे जीडीपी का 5.7 प्रतिशत बजटीकृत किया

गया है (परिशिष्ट सारणी 6 और 7)। सामान्य सरकारी बकाया देनदारियों को घटाकर मार्च 2020 के अंत तक में जीडीपी का 68.1 प्रतिशत किया गया है जो मार्च 2019 (आरई) के अंत में जीडीपी का 67.7 प्रतिशत था। यह केंद्र सरकार के कर्ज को 40 फीसदी और सामान्य सरकारी कर्ज को 2024-25 तक 60 फीसदी के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लाने के लक्ष्य के अनुरूप है। हालांकि मौजूदा ऋण स्तर एफआरबीएम के लक्ष्य से ऊपर हैं, लेकिन 2018-19 में सरकार के सामान्य राजस्व प्राप्ति में गिरावट के बावजूद ऋण शोधन क्षमता में ब्याज भुगतान के साथ सुधार हुआ है।

11.5.16 सारांश रूप में संघीय बजट, 2018-19 को राजकोषीय समेकन की पुनरावृत्ति का कार्य करना था ताकि वर्ष 2017-18 में जीएसटी में समाविष्ट प्रमुख संरचनात्मक सुधार कार्यान्वित किए जा सकें। बहरहाल, यह परिकल्पना की गई है कि एफआरबीएम अधिनियम के अनुसरण में 3.0 प्रतिशत का जीएफडी-जीडीपी लक्ष्य वर्ष 2020-21 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। नतीजतन, 2019-20 के लिए संघीय बजट में केंद्र सरकार के जीएफडी-जीडीपी अनुपात में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि मध्यवर्ती कदम के रूप में 3.0 प्रतिशत के जीएफडी-जीडीपी अनुपात में परिवर्तित हो गया है। तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2019-20 में राज्य अपने संयुक्त जीएफडी को सकल घरेलू उत्पाद के 2.4 प्रतिशत तक अपने वित्त में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तदनुसार, केंद्र सरकार और सामान्य सरकारी ऋण को 2024-25 तक क्रमशः जीडीपी के 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत तक कम किया जाना है। आगे बढ़ते हुए, संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से कर आधार को व्यापक बनाना, जीएसटी अनुपालन में वृद्धि और कर दक्षता में वृद्धि करके केंद्र और राज्यों दोनों को इन दबावों के प्रबंधन और मध्यम अवधि में राजकोषीय समेकन में मदद मिल सकती है।


²⁰ यद्यपि अनाजों के अधिक्रय और वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम नोडल एजेंसी है, तथापि वर्ष 1997-98 में केंद्र सरकार द्वारा विकेंद्रीकृत अधिक्रय स्कीम (डीसीपी) की शुरुआत करने के बाद से बहुत सी राज्य सरकारें भी अनाजों के अधिक्रय और वितरण में सक्रिय रूप से शामिल हैं। यह भी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत कुछ राज्यों द्वारा अनाजों का विक्रय खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर किया जाता है, अर्थात् केंद्रीय वितरण कीमत (सीआईपी) से राज्य सरकारों पर उच्चतर राजकोषीय दबाव पड़ता है।

²¹ जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात के लिए 3 प्रतिशत की सीमा की सिफारिश पहले बारहवें वित्त आयोग (एफसी-XII) और बाद में तेरहवें वित्त आयोग (एफसी-XIII) के साथ-साथ चौदहवें वित्त आयोग (एफसी-XIV) द्वारा भी की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियमों में भी इसे स्वीकार किया गया है।

²² वर्ष 2017-18 से डाटा अनंतिम है और यह 27 राज्यों से संबंधित है। वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट के अनुसार देयताओं में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों जो वर्ष 2018-19 (आरई) की समाप्ति पर ₹885 बिलियन था, शामिल नहीं है। वर्ष 2019-20 (बीई) में इस खाते में अतिरिक्त देयताओं का अनुमान ₹570 बिलियन है।

II.6 बाह्य क्षेत्र

II.6.1 वर्ष 2018-19 के अधिकांश समय में वित्तीय स्थिति तंगहाली की रही क्योंकि वैश्विक वित्तीय बाजारों ने पहले ही बताई जा चुकी वैश्विक घटनाओं के प्रभावों, देशगत कारकों, सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ की शुरुआत और सभी ईएमई में विक्रय और पूंजी के बहि-प्रवाहों के सम्मिश्रण ने जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन किया। गिरावट का जोखिम स्पष्ट होता गया क्योंकि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने संवृद्धि की गति कम होने की जानकारी दी। वेगहीनता लगातार बढ़ती गई और 2017 में छह साल की उच्च स्थिति दर्ज करने के बाद 2018 में वैश्विक संवृद्धि धीमी पड़ गई। विश्व व्यापार की मात्रा की संवृद्धि एक वर्ष पूर्व के 5.5 प्रतिशत से नरम होकर 2018 में 3.7 प्रतिशत पर आ गई, जो वैश्विक आउटपुट से कम रही (चार्ट-II.6.1), विश्व व्यापार में आय की लोच²³ विगत वर्ष के 1.4 से घटकर 2018 में 1.0 पर आ गई। वर्ष 2018 की पहली छमाही में संकुचित आपूर्ति स्थितियों और अनवरत आर्थिक क्रियाकलापों के कारण वैश्विक तेल इन्वेंटरी तेजी से नीचे आई और नवंबर 2018 में ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही अक्तूबर के आरंभ में कीमतें 80 यूएस डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गईं। हालांकि ईरान से तेल के प्रमुख आयातकों



को अमेरिका द्वारा प्रदत्त रियायतों और सऊदी अरब तथा रूस में उच्चतर उत्पादन के कारण परवर्ती समय में तेल की कीमतों में सहजता आई और भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए अच्छी स्थिति बन गई।

II.6.2 सेवाओं के निर्यात और विप्रेषणों की समुत्थानशीलता के बावजूद इन उथल-पुथल भरी वैश्विक गतिविधियों ने भारत के बाह्य क्षेत्र पर प्रभाव डाला जो कि कमजोर निर्यात संवृद्धि, पेट्रोलियम उत्पादों के महंगे आयातों और एक वर्ष पहले की तुलना में चालू खाते घाटे को उच्चतर (सीएडी) स्थिति में देखा जा सकता है। पोर्टफोलियो बहिर्प्रवाह के परिप्रेक्ष्य में इसने विदेशी मुद्रा भंडार से निकासी करने को अनिवार्य बना दिया। 2018-19 की चौथी तिमाही में वैश्विक जोखिम कम हुए और बाजार के सुधरे हुए मनोभाव ने जोखिम वहन करने की क्षमता को मजबूत किया और भारत सहित उन्नत बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पोर्टफोलियो प्रवाह होने लगा और इससे अंतरराष्ट्रीय रिजर्व की भरपाई की गुंजाइश बन गई।



II.6.3 इस परिदृश्य में आगामी उप-खंड में पण्य निर्यातों और आयातों की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। उप-खंड 3 में अदृश्य मदों के आचरण और सीएडी के बढ़ने का विश्लेषण किया गया है। उप-खंड 4 में निवल पूंजी प्रवाहों और रिजर्व की गतिविधियों पर चर्चा की गई है। बाह्य सुभेद्यता के संकेतकों का मूल्यांकन उप खंड 5 में किया गया है इसके बाद समापन निष्कर्ष हैं।

2. पण्य व्यापार

II.6.4 वैश्विक मांग में धीमेपन के परिवेश में भारत की पण्य निर्यात वृद्धि अमेरिकी डालर में पिछले वर्ष के 10.0 प्रतिशत से गिरकर 2018-19 में 8.7 प्रतिशत हो गयी। मात्रापरक वृद्धि पिछले साल के 5.6 प्रतिशत से नरम पड़कर 4.3 प्रतिशत पर आ गई और यूनिट मूल्य प्राप्ति की वृद्धि पिछले साल की तरह 4.4 प्रतिशत पर स्थिर रही।

II.6.5 वर्ष के दौरान निर्यात बास्केट या तो साठ प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया या फिर घट गया। इंजीनियरिंग सामग्री, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पादों और सिले सिलाए वस्त्रों

²³ विश्व व्यापार की सकल आय लोच की माप औसत विश्व जीडीपी संवृद्धि की तुलना में विश्व वस्तु एवं सेवा व्यापार की मात्रा की औसती संवृद्धि दर के अनुपात के रूप में की जाती है।



जैसे क्षेत्रों से खिंचाव उत्पन्न हुआ। इंजीनियरिंग सामग्री में भी मई 2018 में यूएस द्वारा लगाए उच्चतर टैरिफ ने लोहा और इस्पात तथा एल्युमिनियम के निर्यातों को प्रभावित किया, जबकि घरेलू आपूर्ति बाधाओं ने तांबे के निर्यात में तीव्र गिरावट दर्ज की (चार्ट II.6.2)। लोहा और इस्पात के निर्यातों को तृतीय देश बाजारों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। (चार्ट II.6.3 और बॉक्स II.6.1)

II.6.6 2018-19 के दौरान प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुओं में से, रत्नों और आभूषणों के निर्यात में कमी आई, जिसका कारण 22 कैरेट सोने की वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध की वजह से सोने के निर्यात में आई गिरावट थी। कुछ घरेलू बैंकों में धोखाधड़ी के मामले सामने आने तथा इसके फलस्वरूप वचन पत्रों पर प्रतिबंध का अल्पकालिक प्रभाव पड़ा। असाधारण रूप से प्रतिकूल मौसम, मूल्यों में कमी तथा बहुत सी बीमारियों के फैलने से घरेलू उत्पादन तथा समुद्री उत्पाद, विशेषकर झींगा (श्रिम्प) मछली के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के दौरान यूएस में समुद्री भोजन आयात निगरानी कार्यक्रम की वजह से भारत द्वारा यूएस को किए जाए वाले झींगा मछली के निर्यात में 6.6 प्रतिशत की गिरावट आई। विशेष रूप से, व्यक्ति द्वारा निर्मित कपड़ों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल में देरी होने तथा यूईई, जो भारतीय तैयार कपड़ों के निर्यात का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात

स्थान है, द्वारा मूल्य वर्धित कर लगाए जाने के कारण तैयार कपड़ों के निर्यात में कमी आई। निर्यात संवृद्धि संयमित होने के बावजूद, भारत 2018 में वैश्विक निर्यात में 1.7 प्रतिशत शेयर बनाए रख सका तथा निर्यात 330.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया, जो अब तक का सबसे अधिकतम स्तर था (इससे पहले 2013-14 में अधिकतम स्तर 314.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था)। 2018-19 में आर्गेनिक रसायन तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की निर्यात संवृद्धि सबसे अधिक थी।

II.6.7 वाणिज्य वस्तुओं का आयात जो 2018-19 की पहली छमाही में दो अंकों में बढ़ रहा था वह दूसरी छमाही के दौरान धीमा पड़ा गया और समग्र वर्ष 2018-19 के लिए इसमें 10.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई लेकिन विगत वर्ष के दौरान हुई 20.09 प्रतिशत वृद्धि से इसमें उल्लेखनीय गिरावट आयी (सारणी II.6.1)। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में 23.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की बढ़ोतरी और आयात-मात्रा में मामूली बढ़ोतरी के कारण पेट्रोलियम आयातों में 29.7 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद आयातों में कमी रही। प्रमुख तेल उत्पादकों (ओपेक और प्रमुख गैर-ओपेक) द्वारा वर्ष 2017 एवं 2018 के दौरान तेल उत्पादन में लगभग 1.8 मिलियन बैरेल प्रतिदिन की कटौती की गई और इसकी वजह से सितंबर 2017 में कच्चे तेल की 54.5 अमेरिकी

बॉक्स II.6.1

विनिर्माण वस्तुओं में भारत की तृतीय बाजार निर्यात स्पर्धा


अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता अन्य बातों के साथ-साथ स्वदेश और व्यापारिक साझेदार देशों के साथ ही तृतीय-देश बाजारों के बीच कीमत/लागत विभेदों से प्रभावित होती है।

सामान्य और वास्तविक दोनों ही प्रकार की प्रभावी विनिमय दरें अंतरराष्ट्रीय कीमत और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का व्यापक रूप से प्रयुक्त संकेतक है। प्रत्यक्ष और तृतीय-बाजार निर्यात स्पर्धा दोनों को गणना में लेने के लिए दोहरे अंक वाली भार-स्कीमों का संप्रयोग किया जाता है (टर्नर और वनटैक डैक, 1993)। बीजगणितीय रूप से निर्यात भार (w_j) व्यापारी साझेदार अर्थव्यवस्था j को i की ईईआर बास्केट में संप्रयुक्त करते हुए निम्नानुसार बताया जा सकता है;

$$w_j = \underbrace{\left(\frac{X_i^j}{X_i} \right) \left(\frac{Y_j}{Y_j + \sum_s X_s^j} \right)}_{\text{प्रत्यक्ष निर्यात प्रतिस्पर्धा}} + \underbrace{\sum_{r \neq j} \left(\frac{X_i^r}{X_i} \right) \left(\frac{X_j^r}{Y_r + \sum_s X_s^r} \right)}_{\text{तृतीय-बाजार निर्यात प्रतिस्पर्धा}} \quad (1)$$

इसमें, X_i^j = अर्थव्यवस्था का j अर्थव्यवस्था को निर्यात; X_i = i अर्थव्यवस्था का कुल निर्यात; Y_j = अर्थव्यवस्था द्वारा सकल घरेलू विनिर्माता आउटपुट; $\sum_s X_s^j$ = (i को छोड़कर) से j को कुल निर्यात, X_i^r = का आशय है सभी अर्थव्यवस्थाएं जो r तृतीय बाजार को निर्यात करती हैं; r से आशय है वे सभी बाजार जहां i और j प्रतिस्पर्धा कराते हैं; X_j^r = j अर्थव्यवस्था से r अर्थव्यवस्था को निर्यात करती हैं; X_i^r = अर्थव्यवस्था j से अर्थव्यवस्था r को निर्यात; Y_r = r अर्थव्यवस्था द्वारा सकल घरेलू विनिर्माण आउटपुट; और $\sum_s X_s^r$ = s (i को छोड़कर) से r को कुल निर्यात। उपर्युक्त समीकरण (1) के दाहिने पक्ष में प्रथम पद से प्रकट किया गया है- व्यापारिक साझेदार j के बाजार में अर्थव्यवस्था i के निर्यातों के लिए प्रत्यक्ष निर्यात स्पर्धा। समीकरण के द्वितीय पद में i और j के निर्यातों के बीच r में तृतीय बाजार स्पर्धा का आकलन है। जब i और j के निर्यातों के लिए r एक महत्वपूर्ण बाजार है, तो अर्थव्यवस्था j को i की ईईआर बास्केट में उच्चतर भार दिया जाना चाहिए।

भारत के लिए सबसे बड़ा तृतीय बाजार प्रतिस्पर्धी है, चीन (पोशाक,



सारणी -1: विनिर्माण वस्तुओं में तृतीय बाजार के भारत के शीर्षस्थ 10 प्रतिस्पर्धी

तृतीय बाजार	भार (प्रतिशत)	शीर्षस्थ 03 प्रतिस्पर्धी
1	2	3
1. संयुक्त अरब अमीरात	16.4	चीन, यूरो क्षेत्र और अमेरिका
2. अमेरिका	15.8	चीन, यूरो क्षेत्र और मैक्सिको
3. यूरो क्षेत्र	12.5	चीन, अमेरिका और ब्रिटेन
4. यूके	7.7	यूरो क्षेत्र, चीन और अमेरिका
5. हाँगकाँग	6.3	चीन, सिंगापुर और ताइवान
6. सिंगापुर	3.4	चीन, यूरो क्षेत्र और मैक्सिको
7. बांग्लादेश	2.6	चीन, यूरो क्षेत्र और सिंगापुर
8. मैक्सिको	2.4	अमेरिका, चीन और यूरो क्षेत्र
9. चीन	2.2	हाँगकाँग, यूरो क्षेत्र और कोरिया
10. सऊदी अरब	2.2	यूरो क्षेत्र, चीन और अमेरिका
कुल	71.4	

टिप्पणी : भार, 2014-18 के औसत पर आधारित हैं।

स्रोत : अंकटाड (यूएनसीटीएडी) और भारिबैं स्टाफ आकलन।

टेक्सटाइल फेब्रिक, फूटवियर और संगीत वाद्ययंत्र) इसके बाद यूरो क्षेत्र (चार्ट-1) आता है जो विनिर्मित वस्तुओं में सबसे बड़ा निर्यात प्रतिस्पर्धी है। भारत के विनिर्माण निर्यातों के लिए संयुक्त अरब अमीरात सबसे बड़ा तृतीय बाजार है, जिसमें सबसे ज्यादा स्पर्धा चीन, यूरो क्षेत्र और यूएसए से मिलती है। अन्य प्रधान तृतीय बाजारों में यूएस, यूरो क्षेत्र, यूके और हाँगकाँग शामिल हैं, जिनका भारत हेतु तृतीय बाजार स्पर्धा में सम्मिलित हिस्सा 59 प्रतिशत है (तालिका 1)।

दोहरी-भारांकन पद्धति की कतिपय सीमाएं हैं। यह एक प्रकार की वस्तु के सतत लोचशील प्रतिस्थापन के व्यापार की परिकल्पना पर आधारित है, जो कि अंतरराष्ट्रीय उत्पाद विभेद और ऊर्ध्वाधार विशेषीकरण के उच्चांशों को देखते हुए वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती है। परिणामस्वरूप व्यापारी साझेदारों की मुद्राओं में परिवर्तनों का सापेक्ष मांग या कीमत पर दिए गए भारांक का समान प्रभाव नहीं भी हो सकता है (क्लाऊ और फूंग, 2006)। इसके बावजूद दोहरे भारांकन पर आधारित ईईआर से एकल भारांक स्कीमों की तुलना में अधिक प्रतिनिधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्रकट होती है।

संदर्भ:

1. क्लाऊ, एम. और एस.एस. फूंग (2006); 'द न्यू बीआईएस इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिसेस', बीआईएस क्वार्टरली रिव्यू, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, मार्च।
2. टर्नर, पी. और जे. वनटैक डैक (1993); 'मेजरिंग इंटरनेशनल प्राइस एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, बीआईएस इकोनॉमिक पेपर्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, नंबर 39, नवंबर।

सारणी II.6.1: पण्य व्यापार में वृद्धि
(वर्ष-दर-वर्ष) प्रतिशत में

	2017-18	2018-19
1	2	3
निर्यात		
पहली तिमाही	8.5	15.3
दूसरी तिमाही	12.3	9.7
तीसरी तिमाही	14.1	4.5
चौथी तिमाही	5.5	6.7
वार्षिक	10.0	8.7
आयात		
पहली तिमाही	34.5	12.7
दूसरी तिमाही	19.7	22.8
तीसरी तिमाही	17.9	8.1
चौथी तिमाही	14.0	0.3
वार्षिक	20.9	10.6


स्रोत : डीजीसीआई एवं एस।

डॉलर प्रति बैरल की कीमतें अक्टूबर 2018 में बढ़कर 80.1 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गईं। हालांकि यूएस में रिकार्ड शेल ऑयल उत्पादन और 2018 के परवर्ती भाग में ओपेक द्वारा अधिक उत्पादन के साथ-साथ वैश्विक मांग में कमी के कारण अक्टूबर 2018 के बाद से फरवरी 2019 तक तेल की कीमतों में गिरावट रही और इनमें मार्च-अप्रैल 2019 से मजबूती आनी शुरू हुई। इसके अलावा ईरान पर लगे प्रतिबंधों और वेनेजुएला में कम उत्पादन के कारण आपूर्ति में व्यवधान के साथ-साथ मांग में बढ़ोतरी के कारण तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया।

II.6.8 एक वर्ष पूर्व अधिक मात्रा में आयात के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के भाव में गिरावट आने से सोने के आयात में कमी हुई जिससे पण्य आयात में भी कमी आई। 2018-19 के दौरान गैर-तेल गैर-सोने के आयात की संवृद्धि में काफी कमी हुई जो कमजोर घरेलू मांग का संकेत है। (चार्ट II.6.4)।

II.6.9 गैर -तेल और गैर - सोने के आयातों के भीतर वनस्पति तेल, दाल और मोतियों तथा बहुमूल्य रत्नों के आयात में कमी

चार्ट II.6.4: पण्य वस्तुओं के आयात में संवृद्धि :
सापेक्ष अंशदान




स्रोत : डीजीसीआई ऐंड एस।

रही और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयातों में उल्लेखनीय मंदी मुख्य बाधाओं के रूप में सामने आई।

II.6.10 वर्ष 2018-19²⁴ में गंतव्य देशों में मूल नीतियों में शुल्क में वृद्धि तथा सख्त नियमों के कारण वनस्पति तेल के आयातों में 15.0 प्रतिशत की गिरावट हुई। यद्यपि मोतियों और बहुमूल्य रत्नों के सभी घटकों के आयातों में संकुचन हुआ लेकिन 2017-18 में हांगकांग से 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के मोतियों का अत्यधिक आयात हुआ था जो 2018-19 के दौरान गिरकर 9.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सितंबर 2018 में आयात शुल्क के बढ़ने से हीरे के आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, जिनका आयात बास्केट में 10.8 प्रतिशत हिस्सा है तथा जो भारत के आयात बास्केट में दूसरी सबसे बड़ी मद है, का आयात 2017-18 के 22.9 प्रतिशत से घटकर 2018-19 के दौरान 7.6 प्रतिशत पर आ गया। वर्ष 2018-19 के दौरान टेलीकॉम उपकरणों, जिसमें अन्य घटकों के साथ मोबाइल फोन तथा मोबाइल फोन के पार्ट्स शामिल हैं, में गिरावट आई (चार्ट II.6.5)। इसके साथ ही, मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई जिसका

²⁴ भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल की टैरिफ ड्यूटी मार्च 2018 में 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 44 प्रतिशत कर दी और रिफाईंड प्रकार के तेलों पर 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 54 प्रतिशत कर दी है।



कारण संघीय बजट 2015-16 में घोषित सरकार के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम में प्रोत्साहन रहा (बॉक्स II.6.2)।

II.6.11 इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 में व्यापार घाटा बढ़कर 184.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 6.8 प्रतिशत) हो गया जो कि पिछले वर्ष 161.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 6.1 प्रतिशत) था। व्यापार शर्तों के कारण हुई हानियों ने व्यापार घाटे को 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा दिया। द्विपक्षीय आधार पर एक उल्लेखनीय गतिविधि यह रही कि चीन, और इन्डोनेशिया के साथ भारत के व्यापार घाटे में कमी आई यहां तक कि यूएस के साथ भी भारत का व्यापार अधिशेष कम हुआ क्योंकि यूएस को भारत से होने वाले निर्यातों की तुलना में यूएस से होने वाले आयातों में तीव्र बढ़ोतरी हुई (चार्ट II.6.6)। वर्ष 2018-19 के दौरान यूएस से भारत के आयातों में बढ़ोतरी का अधिकांश हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों और हीरों का रहा।

3. व्यापार की अदृश्य मदें

II.6.12 अदृश्य मदों, जिनमें सेवाएँ, आय और अंतरण शामिल हैं, से होने वाली निवल प्राप्तियाँ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर

बॉक्स II.6.2

भारत : उभरता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विश्व में सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाले विनिर्माण उद्योगों में से एक है, जिसका 2018²⁵ में अनुमानित उत्पादन 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके साथ ही, यह सीमा पार व्यापार के महत्वपूर्ण इंजन के रूप में उभरा है।

भारत में, घरेलू उत्पादन से केवल एक तिहाई घरेलू मांग पूरी हो पाती है जिसके कारण महत्वपूर्ण हिस्सा आयातों से पूरा करने की गुंजाइश रहती है। वर्तमान में, विश्व के इलेक्ट्रॉनिक आयातों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात 2.0 प्रतिशत है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामानों हेतु मांग 2025 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँचने का अनुमान है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में विगत 2 दशकों में व्यापार संतुलन बिगड़ा है और 2018-19 में इसमें 48.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ है।

इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शुल्क संरचना को औचित्यपूर्ण बनाकर, अवसंरचना उन्नयन, क्रियापद्धति को सरल बनाकर और प्रोत्साहनों का प्रावधान करके भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने के लिए कई उपाय

किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण घटक है। संघीय बजट 2015-16 में मोबाइल हैंडसेट और इससे संबन्धित सब एसेम्बली/मोबाइल पुर्जों के विनिर्माण के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की शुरुआत की गई जिसमें मोबाइल फोन आयातों पर प्रतिकारी शुल्क, घरेलू मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए विभेदीकृत उत्पाद शुल्क संरचना और मोबाइल फोनों के हिस्सों/पुर्जों/सहायक वस्तुओं को मूल सीमा शुल्क(बीसीडी) से छूट भी शामिल हैं ताकि मोबाइल फोन (संयोजन, प्रोग्रामिंग, परीक्षण और पैकेजिंग) के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया जा सके। इसके अलावा, फरवरी 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि का सृजन किया गया ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी (MeitY, 2018) का विकास कर रही फर्मों को जोखिम पूंजी प्रदान की जा सके।

मेक इन इंडिया के साथ ही मोबाइल फोन हैंडसेट और उसके पुर्जों का विनिर्माण करने वाला क्षेत्र एक फ्लैगशिप क्षेत्र²⁶ के रूप में उभरा है। घरेलू मोबाइल फोन उत्पादन ने मोबाइल फोन आयातों को कम किया है। (सारणी 1)

(जारी...)

²⁵ यह अनुपात जापान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोमेशन टेक्नोलोजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

²⁶ कृपया देखें – इंग्लिश साइट टाइप करें।

आर्थिक समीक्षा

सारणी 1: भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2014	2015	2016	2017	2018
	-15	-16	-17	-18	-19
1	2	3	4	5	6
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	9.1	8.5	9.7	11.4	11.0
औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स	6.4	6.9	9.3	10.7	11.6
कंप्यूटर हार्डवेयर	3.1	3.0	3.0	3.3	3.0
मोबाइल फोन	3.1	8.2	13.4	20.5	24.3
रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स	2.6	2.8	3.1	3.7	4.0
इलेक्ट्रॉनिक घटक	6.5	6.9	7.8	9.2	9.7
प्रकाश उत्सर्जक डायोड	0.4	0.8	1.1	1.5	1.9
कुल	31.2	37.1	47.4	60.3	65.5

नोट : आंकड़ों को अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने के लिए वार्षिक औसत अमेरिकी डॉलर-रुपए विनिमय दर का प्रयोग किया गया।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार (भा.स.)।

अर्थमितीय प्रमाणों से संकेत मिलता है कि सितंबर 2015 में स्मार्ट फोन के आयातों में संरचनागत व्यवधान आया और इसके बाद इसमें गिरावट होती रही (सारणी 2) (मिश्र और शंकर, 2019)।

घरेलू उत्पादन मोबाइल फोन के कलपुर्जों के आयात के साथ ऋणात्मक सहसंबंध रखता है लेकिन मोबाइल फोन के आयात के साथ घनात्मक संबंध रखता है (सारणी 3)। मोबाइल फोन के कलपुर्जों के बढ़ते हुए आयातों द्वारा होने वाले घरेलू उत्पादन के 'ग्रेजर प्रभाव' हैं जिसे निष्कर्षों ने साबित किया है (सारणी 4)।

2017-18 के दौरान स्मार्ट फोन का विदेशी शिपमेंट 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2018-19 के दौरान बढ़कर 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यूएई, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन प्रमुख निर्यात गंतव्यों के रूप में उभर रहे हैं।

सारणी 2: स्मार्टफोन आयातों में संरचनागत व्यवधानों का परीक्षण

क्वान्ट एंड्रयू का अज्ञात ब्रेकपाइंट परीक्षण

आश्रित चरांक: स्मार्ट वाईओवाई			पद्धति : व्यवधानों के लिए न्यूनतम वर्ग			
शून्य परिकल्पना : सुधारे हुए आंकड़ों के 15 प्रतिशत के दायरे में कोई ब्रेक पाइंट नहीं						
व्यवधान प्रकार : L+1 का बाई-पेरन परीक्षण बनाम यथाक्रम निर्धारित व्यवधान						
नमूना (समायोजित): 2012M04 2018M12			परीक्षण नमूना: 2013M05 2017M12			
तुलना किए गए व्यवधानों की संख्या: 56			व्यवधान: 2015M09			
सांख्यिकी	मान	संभाव्यता	चरांक	गुणांक	मानक त्रुटि	संभाव्यता
अधिकतम एलआर एफ-सांख्यिकी (2015M09)	125.2	0.00	2012M04 - 2015M08 (41 obs)	10.36	2.83	0.00
घातांकी एलआर एफ-सांख्यिकी	58.8	0.00	2015M09 - 2018M12 (40 obs)	-45.16	6.40	0.00
औसत एलआर एफ-सांख्यिकी	53.3	0.00	डरबिन वॉटसन सांख्यिकी	1.35		
			एफ-सांख्यिकी	125.18		
			संभाव्यता (एफ-सांख्यिकी)	0.00		

नोट : 1. स्मार्ट वाईओवाई माह-वार वर्ष-दर-वर्ष स्मार्टफोन आयात की मात्रा में परिवर्तन दर्शाता है।

2. संभाव्यता की गणना हैनसन (1997) पद्धति द्वारा की गई है।

सारणी 3: सहसंबंध

	मोबाइल फोन का आयात (मात्रा)	मोबाइल फोन के पार्ट्स का आयात (मात्रा)	आईआईपी मोबाइल फोन
मोबाइल फोन का आयात (मात्रा)	1.00	-	-
मोबाइल फोन के पार्ट्स का आयात (मात्रा)	-0.64	1.00	-
आईआईपी मोबाइल फोन	-0.72	0.65	1.00

नमूना अवधि: अप्रैल 2012 – दिसंबर 2018.


नोट : सभी सहसंबंध 1 प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ:

- मेयटी (2018), 'इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी' वार्षिक रिपोर्ट 2017-18-भारत सरकार।
- आर मिश्रा और ए. शंकर (2019)। 'इंडिया कन्नेक्टेड : ट्रान्सफॉर्मिंग इंडियास इम्पोर्ट प्रोफाइल', भारिबैंक बुलेटिन, अप्रैल।

सारणी 4: युगमानुसार ग्रेनर कॉजेलिटी परीक्षण परिणाम

शून्य परिकल्पना:	एफ- सांख्यिकी	संभाव्यता
मोबाइल फोन पार्ट्स (वर्ष-दर-वर्ष) से आईआईपी मोबाइल फोन (वर्ष-दर-वर्ष) पर ग्रेनर कॉज नहीं करते	4.57	0.02
आईआईपी मोबाइल फोन (वर्ष-दर-वर्ष) से मोबाइल फोन पार्ट्स (वर्ष-दर-वर्ष) पर ग्रेनर कॉज नहीं करते	0.60	0.55
अवलोकन : 44 (अप्रैल 2015 – दिसंबर 2018)		
अंतरालों की संख्या: 2		



2018-19 के दौरान दो अंकों में बढ़ी। हालांकि व्यापार वस्तुओं के व्यापार घाटे में निवल अदृश्य मदों का हिस्सा केवल 68 प्रतिशत रहा। इसकी तुलना में पिछले वर्ष तदनुसूची अवधि में यह 70 प्रतिशत था।

II.6.13 वर्ष 2018-19 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में कम वृद्धि, खासकर यूएस (कुल में इसका हिस्सा 14 प्रतिशत है) और यूके (कुल में इसका हिस्सा 9 प्रतिशत है) जैसे उच्चतर प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से, के कारण सेवाओं की प्रमुख श्रेणियों के बीच पर्यटन सेवाओं के निर्यात में महत्वपूर्ण कमी आई। इसके विपरीत विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों द्वारा किए जाने वाले पर्यटन भुगतानों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप निवल पर्यटन प्राप्तियों में 24 प्रतिशत की कमी हुई।

II.6.14 वर्ष के दौरान कठिन वैश्विक बाजार परिस्थितियों में अपना बचाव करते हुए भारत के साफ्टवेयर निर्यातों ने आघात-सहनीयता दर्शाई। इस दौरान लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के शीर्ष निर्यातकों में बना रहा। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर देखें तो 2018-19 के दौरान बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और

बीमा (बीएफएसआई) वरटिकल्स के सुदृढ़ कार्यनिष्पादन के बलबूते भारतीय साफ्टवेयर निर्यात लगभग 7.6 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2019 और 2020 में वैश्विक आर्थिक क्रियाकलाप और वैश्विक आईटी व्यय में संयमित गति से बढ़ोतरी के पूर्वानुमान के कारण भारत के साफ्टवेयर निर्यातों के सामने चुनौतीपूर्ण कारोबारी परिवेश आ सकता है। इन अनिश्चितताओं के अलावा H1B वीजा प्राप्त करने में भारतीय आईटी कंपनियों को उच्चतर अस्वीकृति दर के कारण ऑनसाइट सेवाएं देने में बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ सकता है और यह उनके लाभ के मार्जिन को प्रभावित करेगा। भौगोलिक और उत्पाद विविधीकरण अन्य सम्बद्ध जोखिमों को कम करने में मदद कर सकेगा। इसके अलावा बड़े स्तर के डिजिटल सौदों पर फोकस करना, निर्यात बाजारों में स्थानीय प्रतिभा को फिर से दक्ष बनाने और मूल्यवत्ता शृंखला में ऊपर उठने से आईटी कंपनियों को अपने निर्यात अर्जनों में सहनीयता पैदा करने में मदद मिलेगी।



II.6.15 विदेशों में नियोजित भारतीयों द्वारा देश को भेजे जाने वाले धन प्रेषण में 2018-19 के दौरान फिर तेजी आई। वर्ष 2018 में भारत की शीर्षस्थ स्थिति बनी रही इसके बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपीन्स और मिस्र²⁷ का स्थान रहा। खाड़ी देशों से 50 प्रतिशत से अधिक धन प्रेषण के साथ ही कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण आय की सुधरी हुई स्थितियों ने 2018-19 में धन प्रेषण प्रवाहों को तेज किया। इसके अलावा, अगस्त 2018 में बाढ़ की स्थिति के बाद केरल को किए जाने वाले धन प्रेषणों में भी उछाल रहा जैसा कि विश्व बैंक द्वारा स्पष्ट किया गया है (अप्रैल, 2019)। हालांकि विश्व बैंक ने वैश्विक धन प्रेषणों के बारे में अनुमान लगाया है कि 2019 और 20 में इनकी बढ़ोतरी 2018 के सापेक्षतया धीमी रहेगी। भारत के मामले में, अप्रवास के लिए अनिवार्य अनापत्ति चाहने वाले कम दक्षता वाले अप्रवासियों की संख्या में 13 प्रतिशत की गिरावट के कारण देश में आने वाले धन प्रेषणों का परिदृश्य प्रभावित होगा।

II.6.16 विदेशी देयताओं के स्टॉक की सर्विसिंग के लिए ब्याज और लाभांश के भुगतान के रूप में बाहर जाने वाली निवल

²⁷ विश्व बैंक की ' माइग्रेशन एंड रेमिटेंस' (अप्रैल 2019) रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में वर्ष 2018 में विप्रेषण बढ़े हैं, जो काफी हद तक अमेरिका में तीव्र आर्थिक संवृद्धि और रोजगार की स्थिति तथा गल्फ कोपेरेशन काउंसिल (जी सी सी) राष्ट्रों से आउटवर्ड प्रवाह में हुई बहाली से हुआ है।

राशि 1 वर्ष पहले के 28.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से मामूली सी बढ़कर 2018-19 में 28.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। ब्याज भुगतानों के रूप में ऋण देयताएं, जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) उद्यमों द्वारा विदेश स्थित अपनी मूल कंपनियों को ब्याज का भुगतान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश(एफपीआई) ऋण धारिताएं, बाह्य वाणिज्यिक उधारियां (ईसीबी), व्यापार क्रेडिट, बैंकों द्वारा विदेशों में उधारियाँ, अनिवासी जमाराशियाँ शामिल हैं, के साथ ही इक्विटी और निवेश निधि शेयरों पर लाभांश भुगतानों के रूप में गैर-ऋण देयताओं को मिला दिया जाए तो 2018-19 के दौरान कुल निवेश आय का बहिर्वाह लगभग 70 प्रतिशत हो जाता है। घरेलू एफडीआई कंपनियों द्वारा लाभांश भुगतान का काफी बड़ा हिस्सा वापस निवेश कर दिया जाता है।


11.6.17 एक साल पहले जो सीएडी जीडीपी का 1.8 प्रतिशत था वह बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया, इसका मुख्य कारण अधिक व्यापार घाटा रहा (चार्ट 11.6.7)। यद्यपि व्यापार की स्थितियों (टीओटी) में निवल गिरावट का कारण रही उच्चतर पण्य कीमतों (अर्थात् कच्चा तेल, कोयला और उर्वरक) ने 2018-19 के दौरान वृद्धिशील सीएडी में जीडीपी का 0.5 प्रतिशत अंक जोड़ दिया, उच्चतर आयात मात्राओं ने और 0.1 प्रतिशत अंकों का योगदान किया (चार्ट 11.6.8)।



4. बाह्य वित्तपोषण

11.6.18 विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के निवल बहिर्प्रवाह को देखते हुए उच्चतर सीएडी का वित्तपोषण करने के लिए निवल पूंजीगत प्रवाह पर्याप्त नहीं थे (चार्ट 11.6.9)। इससे बीओपी आधार पर लगातार छह वर्षों के संचयन के बाद विदेशी मुद्रा में गिरावट दर्ज हुई।

11.6.19 पूंजी प्रवाह के बीच विगत वर्ष की भांति ही एफडीआई की प्रमुखता बनी रही (सारणी 11.6.2), यद्यपि 2018-19



सारणी II.6.2: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)


मद	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4
1 निवल एफडीआई (1.1 - 1.2)	35.6	30.3	30.7
1.1 निवल आवक एफडीआई (1.1.1-1.1.2)	42.2	39.4	43.3
1.1.1 सकल अंतर्वाह	60.2	61.0	62.0
1.1.2 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	18.0	21.5	18.7
1.2 निवल जावक एफडीआई	6.6	9.1	12.6

स्रोत : आरबीआई।

में यह एक वर्ष पहले के 62.2 प्रतिशत की तुलना में सीएडी के केवल 53.6 प्रतिशत का वित्तपोषण कर सका। घरेलू कारोबारी परिवेश में सुधार, सहनीय संवृद्धि संभावनाओं और न्यून मुद्रास्फीति के प्रतिसाद में भारत ने हाल ही के वर्षों में एफडीआई की उल्लेखनीय मात्रा को आकर्षित किया है। घरेलू कारोबारी प्रक्रियाओं को और अधिक औचित्यपूर्ण बनाने (उदाहरण के लिए जीएसटी की शुरुआत) और न्यूनतम हस्तक्षेप सहित स्वचालित रूट पर ध्यान देने के साथ भारत ने विश्व बैंक द्वारा जारी कारोबार करने की सहजता के सूचकांक (2019)²⁸ में 23 अंक हासिल किए और 190 देशों में 77वें स्थान पर रहा। उच्चतर एफडीआई प्रवाह विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, खुदरा और थोक व्यापार और कंप्यूटर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में हुआ। सिंगापुर और मॉरीशस प्रमुख स्रोत देश रहे और इनके बाद यूएसए, नीदरलैंड और जापान का स्थान रहा। आय और पूंजीगत अर्जन पर करों को बचाने के लिए मॉरीशस के साथ भारत के संशोधित दोहरा कराधान बचाव करार (डीटीए) के कारण 2018-19 में मॉरीशस के माध्यम से आने वाले एफडीआई में 51 प्रतिशत की गिरावट हुई। डीटीए संधि में ऐसे ही परिवर्तनों के बावजूद भारत में निवेश के लिए विदेशी कंपनियों के लिए सिंगापुर सर्वाधिक प्राथमिकता वाला देश बना रहा (चार्ट II.6.10 और परिशिष्ट सारणी 9)।

II.6.20 भारत का एफडीआई कार्यनिष्पादन वैश्विक एफडीआई के संदर्भ में उल्लेखनीय है, जो वर्ष 2017 के अमेरिकी डॉलर 1.5 ट्रिलियन से वर्ष 2018 में 13 प्रतिशत गिरकर अनुमानित

चार्ट II.6.10: एफडीआई का मूल देश-वार अंतर्वाह (इक्विटी)





नोट : देश-वार एफडीआई डाटा में अनुमोदन एवं आटोमेटिक माध्यम से इक्विटी प्रवाह शामिल हैं।
स्रोत : आरबीआई।

अमेरिकी डॉलर 1.3 ट्रिलियन पर आ गया (यूनससीटीएडी, 2019)। इसका मुख्य कारण विगत वर्ष में कार्पोरेट टैक्स सुधारों के पश्चात यूएस-मूल के बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा प्रतिधारित अर्जनों का बड़ी मात्रा में स्वदेश प्रेषण करना था। भारत कुछ प्रमुख ईएमई में से एक था जिसे इस अवधि में उच्चतर एफडीआई प्राप्त हुआ।

II.6.21 घरेलू फर्मों ने विदेशों में अपनी प्रत्यक्ष निवेश हिस्सेदारी को बढ़ाकर अपने विदेशी कारोबारी परिचालनों को बढ़ाना जारी रखा। बाहर जाने वाला एफडीआई मुख्यतया यहाँ की निवासी फर्मों द्वारा अपने सहायक/सम्बद्ध उद्यमों में इक्विटी और कर्ज के रूप में रहा तथा 66 प्रतिशत वित्तीय, बीमा और कारोबारी सेवाओं तथा विनिर्माण में गया। बाहर जाने वाले एफडीआई का दो-तिहाई यूएसए, सिंगापुर, यूके, नीदरलैंड और यूई को गया।

II.6.22 एफपीआई प्रवाहों के संबंध में, 2018-19 के दौरान अमेरिकी डॉलर 2.2 बिलियन की निवल बिक्री हुई जबकि वर्ष 2017-18 में 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल खरीद हुई थी। यह अनिवार्यतया वैश्विक पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करना प्रकट करता है, क्योंकि निवेशकों ने ईएमई से दूरी बनाई और अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान सुरक्षित स्थानों की

²⁸ यह मई 2018 की बेंचमार्क अवधि से संबंधित है।



आस्तियों की तरफ शिफ्ट हो गए। हालांकि वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में एफपीआई ने वैश्विक जोखिमों में कमी होने का प्रतिसाद करते हुए घरेलू पूंजी बाजार में लगभग 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल खरीद की, जिससे गुजरी तीन तिमाहियों में 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल बिक्री की आंशिक भरपाई हो पाई (चार्ट II.6.11)। यद्यपि सरकारी प्रतिभूतियों और कार्पोरेट बॉन्डों दोनों ही में एफपीआई के लिए निवेश सीमाओं को वर्ष के दौरान बढ़ाया गया, लेकिन दोनों ही खंडों में सीमाओं के उपयोग में गिरावट रही। मार्च 2019 के अंत तक संरक्षणगत आस्तियों की संयोजना यह दर्शाती है कि कुल बकाया एफपीआई धारिताओं का एक-तिहाई हिस्सा यूएस मूल की एफपीआई के पास था जबकि मॉरीशस मूल के एफपीआई का हिस्सा भारत में संशोधित डीटीए प्रोटोकॉल और 'उच्च जोखिम' वाले क्षेत्राधिकारों से संबन्धित एफपीआई के लिए केवाईसी के सख्त मानदंडों के पश्चात कम हो गया (चार्ट II.6.12)। एफपीआई के लिए निवेश अवसरों को बढ़ाने हेतु विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, (i) कतिपय शर्तों का पालन करते हुए सरकारी प्रतिभूतियों (खजाना बिलों सहित) में निवेश के लिए न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अपेक्षाओं में रियायत; और (ii) न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता के लिए तीन वर्ष के स्थान पर एक वर्ष

से अधिक वाले कार्पोरेट बॉन्डों में एफपीआई निवेश की अनुमति दिया जाना भी शामिल था। इसके अलावा, दीर्घावधि एफपीआई निवेश को बढ़ावा देने के प्रयोजन से, रिजर्व बैंक ने 'स्वैच्छक प्रतिधारण मार्ग' स्कीम आरंभ की है जिसके तहत ऋण बाजार में एफपीआई द्वारा किए गए निवेशों पर समष्टि विवेकपूर्ण और अन्य नियामक मानदण्ड लागू नहीं होते, बशर्ते वे भारत में अपने निवेश का एक अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत कम-से-कम तीन साल की अवधि के लिए प्रतिधारित करने का स्वेच्छा से वचन दें।

II.6.23 वित्तीय प्रवाहों के अन्य प्रकारों में से भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी)²⁹ ने वर्ष 2018-19 में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्प्रवाह दर्ज किया, जबकि विगत वर्ष में 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर बहिर्वाह था। विद्यमान ईसीबी नीतिगत व्यवस्था को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए, जिनमें शामिल थे - (i) ट्रेक-I और II को समामेलित करके विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित ईसीबी और रुपया मूल्यवर्गित ईसीबी करना; (ii) स्वचालित मार्ग के तहत 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक की उधार सीमा की अनुमति देना; (iii) एफडीआई प्राप्त करने की पात्र सभी संस्थाओं, सूक्ष्म-वित्तपोषण क्रियाकलापों में संलग्न पंजीकृत

²⁹ एफडीआई कंपनियों के अंतर-कारपोरेट उधारियों को छोड़कर।

संस्थाओं, पंजीकृत सोसायटियों/ट्रस्टों/सहकारिताओं और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने हेतु पात्र उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार; (iv) पात्र उधारकर्ताओं हेतु अनिवार्य हेजिंग से रियायत हेतु समयावधि को 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करना; (v) अंतिम-प्रयोग प्रतिबंधों को सहज करना ; (vi) अवसंरचना क्षेत्र में उधारियों हेतु न्यूनतम औसत परिपक्वता अपेक्षा को घटाकर तीन वर्ष करना; और (vii) कार्यशील पूंजी प्रयोजनों हेतु ईसीबी जुटाने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल-विपणन कंपनियों को अनुमति प्रदान करना। इसके अलावा वर्तमान बाजार कीमतों पर जीडीपी के 6.5 प्रतिशत पर बकाया ईसीबी की उच्चतम सीमा निर्धारित करके नियम –आधारित डायनामिक सीमा की शुरुआत की गई। ईसीबी करारों में मूल्य का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जिन शीर्ष पांच क्षेत्रों को गया वे थे वित्तीय सेवाएँ, पेट्रोलियम, लौह और इस्पात, दूर संचार, पॉवर ट्रांसमिशन और वितरण। एक वर्ष पहले के 32.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल ईसीबी करार का (रुपया मूल्यवर्गित बॉन्डों/कर्जों के अलावा) 45.6 प्रतिशत की हेजिंग की जानी थी। यद्यपि कुल ईसीबी करार की राशि का 21 प्रतिशत हिस्सा रुपया मूल्यवर्गित कर्जों/बॉन्डों (आरडीबी) के माध्यम से जुटाने का अभिप्राय था, लेकिन वास्तविक आरडीबी अंतर्प्रवाह एक वर्ष पहले के 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 0.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही रहा।

11.6.24 मार्च 2018 में वचन-पत्रों/सुविधा-पत्रों का समापन करने के पश्चात क्रेता के क्रेडिट का आयातकों द्वारा सहारा लेने में तेजी से गिरावट आई, इसके स्थान पर आपूर्तिकर्ता द्वारा लिए जाने वाले क्रेडिट बढ़ गए। कच्चे तेल, कोयला और तांबे के आयातों के वित्तपोषण हेतु घरेलू कंपनियों द्वारा मुख्य रूप से व्यापारिक क्रेडिट प्राप्त किया गया, जो कि वर्ष के दौरान जुटाए गए कुल अल्पावधिक व्यापारिक क्रेडिट का लगभग 45 प्रतिशत है। व्यापार हेतु वित्तपोषण स्थितियों को सहज बनाने के प्रयोजन से मार्च 2019 में स्वचालित मार्ग के तहत व्यापार क्रेडिट सीमा को तेल/गैस शोधन और विपणन आयात सौदों, एयरलाइन और शिपिंग कंपनियों के लिए बढ़ाकर 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा इसके समतुल्य तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर अथवा प्रति आयात

सौदे के समतुल्य किया गया। सब कुछ लागत में शामिल के लिए लिबोर सीमा से होने वाले आधिक्य को पहले के 350 आधार अंकों से घटाकर 250 आधार अंक कर दिया गया।

11.6.25 वर्ष 2018-19 में अनिवासी जमाराशियों के निवल संचयन में 7.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई, इसमें अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई) और अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खातों में अंतर्प्रवाह बढ़ा। एनआरई योजना के तहत जमाराशियों ने वर्ष के दौरान अनिवासी जमाराशियों की कुल बढ़ोतरी में 70 प्रतिशत का योगदान किया। रुपए के मूल्यहास तथा अनिवासियों के गृह-देशों में आय की उन्नत स्थितियों ने इस प्रवाह को बढ़ाया (सारणी 11.6.3)

5. सुभेद्यता के संकेतक

11.6.26 भारत के बाह्य ऋण में मार्च 2018 के अंत के स्तर की तुलना में मार्च 2018 के अंत में 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अर्थात 2.6 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई, यह बढ़ोतरी मुख्यतया अल्पावधि ऋणों, वाणिज्यिक उधारियों और अनिवासी जमाराशियों में बढ़ोतरी के कारण रही। भारतीय रुपए की तुलना में अमेरिकी डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के मूल्यवर्धन से 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्यांकन लाभ हुआ। यदि इस मूल्यांकन प्रभाव को शामिल नहीं किया जाए तो बाह्य ऋण में मार्च 2018 के अंत की स्थिति की तुलना में मार्च 2019 के अंत में 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्थान पर 30.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी होती। वाणिज्यिक उधारियाँ बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक रहीं इनका हिस्सा 38.0 प्रतिशत रहा, इसके बाद अनिवासी

सारणी 11.6.3: अनिवासी जमा खातों के अंतर्गत प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4
1. अनिवासी बाह्य (रुपया) खाता	9.8	7.1	7.3
2. अनिवासी सामान्य खाता	2.2	1.5	1.9
3. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	-24.3	1.0	1.1
अनिवासी जमाराशियां (1+2+3)	-12.4	9.7	10.4

स्रोत : आरबीआई।

सारणी II.6.4: प्रभावित करने वाले बाह्य क्षेत्र के संकेतक (मार्च के अंत तक)

(प्रतिशत, जब तक अन्यथा इंगित नहीं किया गया हो)

संकेतक	2013	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1. जीडीपी अनुपात की तुलना में बाह्य कर्ज	22.4	19.9	20.1	19.7
2. कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधि कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	23.6	18.7	19.3	20.0
3. कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	42.1	41.6	42.0	43.4
4. कुल कर्ज की तुलना में रियायती कर्ज का अनुपात	11.1	9.4	9.1	8.7
5. कुल कर्ज की तुलना में आरक्षित निधियों का अनुपात	71.3	78.5	80.2	76.0
6. आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि कर्ज का अनुपात	33.1	23.8	24.1	26.3
7. आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता) कर्ज का अनुपात	59.0	53.0	52.3	57.0
8. आयात के लिए आरक्षित कवर (महीनों में)	7.0	11.3	10.9	9.6
9. कर्ज सेवा अनुपात (चालू प्राप्तियों की तुलना में कर्ज सेवा)	5.9	8.3	7.5	6.4
10. बाह्य कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	409.4	471.0	529.3	543.0
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (बिलियन अमेरिकी डॉलर)	-326.7	-388.1	-418.5	-436.4
12. एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात	-17.8	-16.4	-15.9	-15.9
13. सीएडी/जीडीपी अनुपात	4.8	0.6	1.8	2.1

स्रोत : आरबीआई और वित्त मंत्रालय (भारत सरकार)।

जमाराशियाँ (24.0 प्रतिशत) और अल्पावधि व्यापार क्रेडिट (18.9 प्रतिशत) रहे। जीडीपी के अनुपात के तौर पर बाह्य ऋण मार्च 2018 के अंत के 20.1 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 के अंत में 19.7 प्रतिशत पर आ गए। इस अनुकूल विकास के बावजूद वर्ष के दौरान बाह्य सुभेद्यता के कुछ संकेतक बदतर हो गए। कुल बाह्य ऋण में अल्पावधि ऋणों (मूल और अवशिष्ट परिपक्वता दोनों आधार पर) का हिस्सा बढ़ गया, जबकि आयातों के लिए रिज़र्व कवर और अल्पावधि ऋणों (मूल और अवशिष्ट परिपक्वता दोनों आधारों पर) में गिरावट रही जो कि आंशिक रूप से वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों में गिरावट को प्रकट करता है। परिणामस्वरूप, भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) में 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हास हुआ। हालांकि समग्र रूप से देखा जाए तो मार्च 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार बाह्य क्षेत्र के संकेतक 'प्री-टेपर' वार्ता अवधि के स्तरों की तुलना में प्रबल थे। (सारणी II.6.4 और परिशिष्ट सारणी 1 एवं 8)।

II.6.27 मार्च 2019 में रुपया चलनिधि बढ़ाने हेतु 3 साल के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हेतु रिज़र्व बैंक की क्रय/विक्रय स्वैप नीलामियों के साथ ही 2018-19 की चौथी तिमाही में पूंजीगत अंतःप्रवाह फिर से आरंभ हुआ, और उससे इस तिमाही के दौरान विदेशी मुद्रा रिज़र्व का संचयन हो सका।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जो 9.6 माह के आयातों के समतुल्य था। इसी प्रकार अब तक अप्रैल 2019 में हुई स्वैप नीलामी ने 2019-20 में विदेशी मुद्रा भंडार में और बढ़ोतरी की है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अगस्त, 2019 को 430.5 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें मार्च, 2019 के अंत की तुलना में 17.6 अमरीकी डालर की वृद्धि हुई।

II.6.28 अंत में, कहा जा सकता है कि 2018-19 के दौरान सीएडी बढ़ जाने के कारण भारत का बाह्य क्षेत्र दबाव में आ गया, बाह्य वित्तपोषण स्थितियाँ सख्त हुईं और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया। बाह्य मांग की स्थितियों पर वैश्विक व्यापार, निवेश और आउटपुट का तो प्रभाव पड़ा ही, यहां तक कि व्यापारिक तनाव भी बढ़ गया। यद्यपि, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों से जुड़ा जोखिम संतुलित रहा लेकिन ईरान और वेनेजुएला के विरुद्ध प्रतिबंधों के कारण भू-राजनैतिक जोखिम बढ़ गए। यद्यपि बाह्य वित्तपोषण की स्थितियों में 2019 के आरंभ से ही सहजता आई है, तथापि निवेशकों का मनोभाव वैश्विक घटना-प्रभावों के प्रति सजग और संवेदनशील बना हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रबल समष्टि आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना और संवृद्धि-हितैषी संरचनागत सुधारों को आगे बढ़ाने तथा रिज़र्व बफर बरकरार रखने को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

भाग दो - भारतीय रिज़र्व बैंक की
कार्यप्रणाली और परिचालन

III

मौद्रिक नीति परिचालन

कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और वर्ष की पहली छमाही में मुद्रा के मूल्य में हुई गिरावट के कारण महंगाई के बढ़ते जाने का दबाव दूसरी छमाही में कच्चे तेल की कीमतों में आयी नरमी और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हुई भारी गिरावट के परिणामस्वरूप कम होता गया। मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी-जून 2019 में नीतिगत रिपो दर में 75 आधार अंकों की कटौती की। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा परिचालनों और परिचालनगत मुद्रा में हुई व्यापक वृद्धि से प्रणाली स्तर पर चलनिधि का दबाव बढ़ा जिससे चलनिधि प्रबंधन की ओर अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता महसूस की गयी। नीतिगत रिपो दर में परिवर्तन का बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण हुआ, हालांकि यह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मात्रा में हुआ।

III.1 वर्ष 2018-19 में मौद्रिक नीति निर्माण का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देते हुए मध्यावधि लक्ष्य हासिल करना था जिसके तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर को +/-2 प्रतिशत के सहनीय अंतराल के साथ 4 प्रतिशत तक रखा जाना था। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और वर्ष की पहली छमाही में मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण महंगाई के बढ़ते जाने का दबाव दूसरी छमाही में कच्चे तेल की कीमतों में आयी नरमी और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हुई भारी गिरावट के परिणामस्वरूप कम होता गया। वर्ष 2018-19 के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति औसतन 3.4 प्रतिशत रही; पहली छमाही में 4.3 प्रतिशत और दूसरी छमाही में 2.5 प्रतिशत। यह भिन्नता मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा किए गए मतदान के स्वरूप में भी दिखाई पड़ी।

III.2 वर्ष 2018-19 के दौरान रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों और परिचालनगत मुद्रा में हुई व्यापक वृद्धि ने प्रणाली स्तर पर चलनिधि का दबाव बढ़ाया जिससे विभिन्न उपायों के जरिए चलनिधि प्रबंधन की दिशा में अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता का अनुभव किया गया, जैसे- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नियमित रूप से दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की रिपो और रिवर्स रिपो सुविधा; रिपो और रिवर्स रिपो दोनों के अंतर्गत परिवर्तनशील दरों पर नीलामी का बेहतर समायोजन; खुले बाजार में प्रतिभूतियों का सीधा क्रय-विक्रय (ओएमओ); और विदेशी मुद्रा स्वैप। नीतिगत रिपो दर में परिवर्तन का प्रभाव बैंकों की जमा और उधार दरों

पर दिखायी पड़ा, हालांकि इसका संचरण अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मात्रा में हुआ जो ऋण की मांग एवं ऋण जोखिम में भिन्नता का परिचायक है।

III.3 इसी पृष्ठभूमि में, 2018-19 के लिए बनायी गयी कार्यनीति के क्रियान्वयन की स्थिति भाग 2 में प्रस्तुत की गयी है, जबकि भाग 3 में वर्ष 2019-20 के दौरान मौद्रिक नीति विभाग की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गयी है।

2. वर्ष 2018-19 के लिए कार्य-योजना: क्रियान्वयन की स्थिति मौद्रिक नीति

III.4 वर्ष 2018-19 के प्रथम द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (5 अप्रैल 2018) में एमपीसी ने एलएएफ के तहत नीतिगत रिपो दर में कोई परिवर्तन न करते हुए इसे 6 प्रतिशत बनाए रखने का निर्णय लिया जिसके समर्थन में पाँच सदस्यों ने मतदान किया जबकि एक सदस्य का मत रिपो दर में 25 आधार अंकों (आधार अंकों) की वृद्धि करने का था। मौद्रिक नीति का तटस्थ रुख बनाए रखा गया। मुख्य सीपीआई महंगाई दर का पूर्वानुमान 2018-19 की पहली छमाही में 4.7-5.1 और दूसरी छमाही में 4.4 प्रतिशत था और साथ ही, इसके बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की गयी थी। नीतिगत दर को यथावत रखने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि महंगाई दर के उतार-चढ़ाव को लेकर बहुत सी अनिश्चितताएं थीं, यथा- खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का संशोधित फार्मूला, केंद्र और राज्यों के स्तर पर राजकोषीय स्थिति में होने वाले विचलन से उत्पन्न जोखिम; निवेश और

उत्पादन कीमत पर बढ़ता दबाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव। एमपीसी ने इस बात की ओर इशारा किया कि वह मकान किराया भत्ते (एचआरए) में हुए संशोधनों के सांख्यिकीय प्रभाव का अध्ययन करेगी और इसके किसी भी प्रकार के दूसरे चरण के प्रभावों के प्रति सचेत रहेगी।

III.5 जून 2018 में एमपीसी के दूसरे द्विमासिक वक्तव्य के समय तक महंगाई थोड़ी बढ़ चुकी थी। खाद्य-वस्तुओं और ईंधन की कीमतों को छोड़ अन्य चीजों की कीमतों का बढ़ जाना जिसका कारण था। हालांकि, सब्जियों की कीमतों में उतनी वृद्धि नहीं हुई थी जितनी कि गर्मी के मौसम में सामान्यतया होती है। फिर भी, अप्रैल के संकल्प में मूलभूत मुद्रास्फीति के बढ़ने के जिस जोखिम- कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ जाना - की चर्चा की गयी थी, वह अब आ खड़ा हुआ था। इन कारणों के साथ-साथ वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि और निविष्टि लागत पर बढ़ते दबाव के फलस्वरूप 2018-19 की दूसरी छमाही में 4.7 प्रतिशत सीपीआई मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान में ऊर्ध्वगामी संशोधन देखने को मिला। वैश्विक वित्तीय बाजार की हलचलें, हाउसहोल्ड मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में उल्लेखनीय वृद्धि और खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी फार्मूले में संशोधन के कारण पड़ने वाले प्रभावों से जुड़ी अनिश्चितता - वे प्रधान कारण थे जिनसे मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम था। इन बातों के मद्देनजर, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि करने का निर्णय लिया लेकिन अपना रुख अनिर्दिष्ट ही बनाए रखा। एमपीसी ने इस बात को भी नोट किया कि घरेलू आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवन मिला है और उनमें लंबे समय से तेजी बनी हुई है और उत्पादन-अंतराल लगभग समाप्त हो चुका है।

III.6 अगस्त 2018 माह में तीसरे द्विमासिक वक्तव्य का समय करीब आते-आते, मई और जून 2018 में मुद्रास्फीति का वास्तविक ग्राफ पहले व्यक्त किए गए पूर्वानुमानों से थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि गर्मी के मौसम में सब्जियों के दामों में आने वाला उछाल कम रहा तथा फलों की कीमतों में मंदी आयी। मुद्रास्फीति पूर्वानुमान में थोड़ा संशोधन हुआ और 2018-19 की दूसरी तिमाही में यह घटकर 4.6 प्रतिशत हो गयी, जबकि 2018-19 की दूसरी छमाही में इसमें आंशिक वृद्धि हुई और यह 4.8 प्रतिशत रही; तथा 2019-20 की पहली तिमाही में यह 5.0 प्रतिशत हो गयी। मूलभूत महंगाई दर के समक्ष जून माह में गिनाए गए जोखिमों के अलावा कच्चे तेल और वित्तीय आस्तियों की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और विनिर्माण क्षेत्र में निविष्टि लागत पर बने हुए दबाव को प्रमुख जोखिमों के रूप

में देखा गया। इस पृष्ठभूमि में एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि करने का निर्णय लिया जिसके समर्थन में पाँच सदस्यों ने मतदान किया जबकि एक सदस्य का मत यथास्थिति को बनाए रखने का था।

III.7 अक्टूबर 2018 में जब वर्ष 2018-19 की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति निर्माण का समय आया तब तक खाद्य वस्तुओं की कीमतें तेजी से घटने के कारण सीपीआई मुख्य मुद्रास्फीति जून के 4.9 प्रतिशत से गिरकर अगस्त में 3.7 प्रतिशत हो गयी। मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों में संशोधन हुआ और ये कम होकर 2018-19 की दूसरी छमाही के लिए 3.9 - 4.5 प्रतिशत और 2019-20 की पहली तिमाही के लिए 4.8 प्रतिशत व्यक्त किए गए और मुद्रास्फीति के थोड़ा और बढ़ने का जोखिम महसूस किया गया। यद्यपि, मुद्रास्फीति परिदृश्य पर अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं के बादल मंडरा रहे थे यथा कच्चे तेल की अभी भी बढ़ी हुई और निरंतर घटती-बढ़ती कीमतों से निविष्टि लागत में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप खुदरा कीमतों पर पड़ने वाले असर का अपेक्षाकृत अधिक हो जाना। इस परिदृश्य को देखते हुए एमपीसी ने नीतिगत रिपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया परंतु उसने अपना रुख बदल कर नपी-तुली सख्ती का रुख अपना लिया। पाँच सदस्यों ने नीतिगत दर में कोई परिवर्तन न करने के पक्ष में मतदान किया और एक सदस्य ने नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि का मत व्यक्त किया। इसके अलावा, पाँच सदस्यों ने मौद्रिक नीति के रुख में परिवर्तन करते हुए नपी-तुली सख्ती वाला रुख अपनाने के पक्ष में मतदान किया जबकि एक सदस्य ने तटस्थ रुख बनाए रखने के पक्ष में मत व्यक्त किया।

III.8 जैसे-जैसे दिसंबर 2018 की पाँचवें द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य का समय नजदीक आया, सितंबर-अक्टूबर 2018 में मुद्रास्फीति में उम्मीद से अधिक कमी आयी जिसका मुख्य कारण था अक्टूबर में खाद्य कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट के बाद उनका अपस्फीति के स्तर तक चले जाना, जबकि इस दौरान खाद्येतर वस्तुओं की कीमतें मोटे तौर पर बढ़ी थीं। नवंबर 2018 में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें तेजी से गिरीं। तदनुसार, मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों में संशोधन हुआ और यह कम होकर 2018-19 की दूसरी छमाही में 2.7-3.2 प्रतिशत तक आ गयी और 2019-20 की पहली तिमाही के लिए 3.8-4.2 प्रतिशत रह गयी परंतु इसके पुनः बढ़ने का जोखिम बना रहा। शीघ्र खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमतों के अचानक बढ़ने लगने, वित्तीय बाजारों में विद्यमान अस्थिरता और हाउसहोल्डों की बढ़ी हुई मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के अलावा भी मुद्रास्फीति परिदृश्य पर अनेक प्रकार

की अनिश्चितताओं के बादल अब भी मंडरा रहे थे जिनका जिक्र पहले भी किया जा चुका है। खाद्येतर मुद्रास्फीति लगातार बढ़े हुए स्तर पर बनी रही। इन उतार-चढ़ावों के मद्देनजर, एमपीसी ने तय किया कि नीतिगत रिपो दर को यथावत बनाए रखा जाए और नपी-तुली सख्ती के रुख को जारी रखा जाए। नीतिगत रिपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय जहाँ सर्वसम्मति से लिया गया, वहीं एक सदस्य ने रुख में बदलाव करते हुए इसे तटस्थ रखने का मत व्यक्त किया।

III.9 फरवरी 2019 माह में छठी द्विमासिक नीति के लिए आयोजित एमपीसी की बैठक में यह देखा गया कि दिसंबर 2018 में लगातार तीसरे माह खाद्य वस्तुओं के दाम तेजी से गिरे थे और अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, ईंधन समूह की वस्तुओं की महँगाई दर में उल्लेखनीय मंदी आयी थी और खाद्य और ईंधन से इतर महँगाई में कमी आयी थी। ऐसे में, मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों में संशोधन हुआ और यह कम होकर 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए 2.8 प्रतिशत और 2019-20 की पहली छमाही के लिए 3.2-3.4 प्रतिशत और 2019-20 की तीसरी तिमाही के लिए 3.9 प्रतिशत दर्शायी गयी। साथ ही, जोखिम मोटे तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति के इर्द-गिर्द संतुलित रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया। संवृद्धि की बात करें तो, घरेलू क्रेडिट में फिलहाल आए उछाल, वैश्विक मांग से जुड़ी अनिश्चितता और घरेलू क्षेत्र की संवृद्धि के सम्मुख आने वाली संभावित बाधाओं के मद्देनजर 2019-20 के लिए जीडीपी वृद्धि-दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था - पहली छमाही में 7.2-7.4 प्रतिशत, और तीसरी तिमाही में 7.5 प्रतिशत – जिसमें जोखिम को एकसमान रूप से संतुलित किया जाना था। उत्पादन अंतराल धीरे-धीरे दोबारा उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में, एमपीसी ने 4-2 के बहुमत से नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 6.25 प्रतिशत कर दिया। दो सदस्यों का मत था कि रिपो दर में बदलाव न किया जाए। यद्यपि सभी सदस्यों ने मौद्रिक नीति के नपी-तुली सख्ती वाले रुख को बदलकर तटस्थ रुख अपनाने के पक्ष में मतदान किया।

III.10 वर्ष 2019-20 के दौरान अप्रैल 2019 का पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य ऐसे समय में आया जब सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं (एई) तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार मंद पड़ रही थी। घरेलू मोर्चे पर देखें तो खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी 2019 में लगातार पांचवें माह अपस्फीति की अवस्था में रही और खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट और तीव्र हो गयी। खाद्य और ईंधन से इतर सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर के अपने स्तर से नीचे बनी रही। इन बातों के मद्देनजर और वर्ष 2019 में मानसून की स्थिति सामान्य मानते हुए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान में

संशोधन करके 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए इसे 2.4 प्रतिशत तक नीचे लाया गया और 2019-20 की पहली छमाही के लिए इसे 2.9-3.0 प्रतिशत के बीच रखा गया तथा 2019-20 की दूसरी छमाही के लिए इसके 3.5-3.8 प्रतिशत के बीच रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया एवं जोखिम को मोटे तौर पर संतुलित माना गया। हालांकि, कई ऐसे कारक थे जिनकी मौजूदगी से मुद्रास्फीति परिदृश्य में अनिश्चितता बनी हुई थी : अल नीनो की संभावना को दर्शाने वाली कुछ प्रारंभिक रिपोर्टें; खाद्य वस्तुओं की गिरती हुई कीमतों में अचानक वृद्धि प्रारंभ हो जाने से संभावित जोखिम; ईंधन मुद्रास्फीति के धीमी रफ्तार से लगातार बढ़ते रहने का जोखिम; कच्चे तेल की कीमतों के बारे में बनी हुई अनिश्चितता और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता। एमपीसी ने इस बात को लक्षित किया कि उत्पादन अंतराल ऋणात्मक बना हुआ है और घरेलू अर्थव्यवस्था के समक्ष कई बाधाएं आ रही हैं, विशेष रूप से वैश्विक मोर्चे पर। ऐसे माहौल में एमपीसी ने 4-2 के बहुमत से नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 6.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। दो सदस्यों ने यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में मतदान किया। एमपीसी ने 5-1 के बहुमत से तटस्थता का रुख बनाए रखने का निर्णय लिया, जिसमें एक एमपीसी सदस्य ने रुख को बदलकर समायोजनकारी करने का मत व्यक्त किया।

III.11 जून 2019 माह में आयोजित मौद्रिक नीति समिति की दूसरी द्विमासिक बैठक में, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 5.75 प्रतिशत करने तथा मौद्रिक नीति के रुख को तटस्थ से बदलकर समायोजनकारी बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय का आधार यह था कि अप्रैल 2019 की मौद्रिक नीति के समय से ही कमजोर पड़ती संवृद्धि के लक्षण दिखने लगे थे जिसका कारण था निजी उपभोग वृद्धि के कम रहने के साथ-साथ निवेश गतिविधियों में तेजी से आयी मंदी और उत्पादन अंतराल का बढ़ना। मुख्य मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान 2019-20 की पहली छमाही के लिए 3.0-3.1 प्रतिशत और दूसरी छमाही के लिए 3.4-3.7 प्रतिशत व्यक्त किए गए जो कि पिछली दो मौद्रिक नीतियों में नीतिगत दर घटाए जाने के फलस्वरूप प्रत्याशित संचरण को दृष्टिगत रखने के बाद भी लक्ष्य से कम थे। ऐसे परिदृश्य में एमपीसी को नीतिगत दरों में और अधिक कटौती करने की आवश्यकता प्रतीत हुई ताकि निवल माँग में वृद्धि की जा सके और साथ ही मुद्रास्फीति नियंत्रण की लचीली नीति को जारी रखा जा सके।

III.12 उत्पादन अंतराल – उत्पादन के संभावित स्तर से वास्तविक उत्पादन का विचलन – जो मांग और आपूर्ति में

बेमेल को दर्शाने वाला एक प्रतीकात्मक चर होता है और मध्यम-अवधि में मुद्रास्फीति की गतिशीलता के आकलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालिया अनुसंधानों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि आर्थिक और वित्तीय चक्रों

के बीच अंतःसंबंध स्थापित करने वाला कोई व्यापक-वित्तीय मॉडल तैयार करते हुए मांग की स्थितियों, संभावित उत्पादन और स्वाभाविक ब्याज-दरों का अपेक्षाकृत अधिक समग्र आकलन प्रस्तुत किया जा सकेगा (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1

वित्तीय और आर्थिक चक्रों के बीच अंतःसंबंध

इस बात पर बहुत अधिक लिखा जा रहा है कि आर्थिक चक्रों/उत्पादन अंतराल के आकलन में वित्तीय चक्र से जुड़ी सूचनाओं को शामिल करते हुए काफी सुधार लाया जा सकता है, विशेष रूप से तेजी/मंदी वाली अवधि में। मौद्रिक नीति मॉडल में विस्तार करते हुए इसे वित्तीय ब्लॉक (ज्यूसलियस एवं अन्य, 2017) वाले एक वृहद-वित्तीय मॉडल (एमपीएमओडी)¹ (अलीची एवं अन्य, 2018) का रूप देने से भारत में वित्तीय और आर्थिक चक्रों के बीच अंतः संबंध को समझने में सहायता मिलती है (चार्ट 1)।


इस फ्रेमवर्क में वित्तीय चक्र, जिसका आकलन करने के लिए दो संकेतक - लीवरेज अंतराल और कर्ज चुकोती अंतराल² - हैं, वास्तविक आर्थिक गतिविधि पर एक लैग के साथ प्रभाव डालते हैं। लीवरेज अंतराल की गणना ब्याज दर की सहायता से की जाती है - वास्तविक ब्याज-दर अंतराल के बढ़ने से आस्तियों की कीमतें कम हो जाती हैं। कर्ज चुकोती अंतराल दीर्घावधि ब्याज-दरों पर निर्भर होता है - सांकेतिक उधार दर में होने वाली वृद्धि से ब्याज-भुगतान का भार बढ़ जाता है और

परिणामस्वरूप कर्ज चुकोती अंतराल भी बढ़ता है। लीवरेज अंतराल और कर्ज चुकोती अंतराल का दोतरफा संबंध होता है जो नये कर्ज से कर्ज चुकोती की ओर, और वहाँ से आस्तियों की कीमतों की ओर जाता है तथा वापस लीवरेज अंतराल पर आकर रुकता है। कर्ज चुकोती अंतराल का नकारात्मक प्रभाव आस्तियों की कीमत में वृद्धि पर पड़ता है, और इसीलिए, इससे लीवरेज अंतराल बढ़ जाता है। चक्रिय चरों के अलावा, इस मॉडल में दीर्घावधि रुझान वाले चर भी अंतःसंबद्ध हैं। स्वाभाविक ब्याज दर (r^*) और संभावित उत्पादन की वृद्धि दर के बीच सकारात्मक संबंध होता है।

इस अध्ययन में 2008-09 की दूसरी तिमाही से 2018-19 की दूसरी तिमाही तक की अवधि के तिमाही आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, और समीकरणों की प्रणाली का आकलन एक बेयस फ्रेमवर्क के तहत किया जाता है। अनुभवाश्रित अनुमानों से यह पता चलता है कि (1) कर्ज भार में वृद्धि का आस्तियों की कीमतों में होने वाली वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और इससे लीवरेज अंतराल बढ़ता है, वित्तीय सख्ती की स्थितियाँ बनती हैं और उत्पादन अंतराल घटता है (चार्ट 2ए) जिसके फलस्वरूप ब्याज दरों में कमी करनी पड़ती है और कर्ज भार में फिर से स्थिरता आ जाती है; (2) लीवरेज में वृद्धि से ऋण के विस्तार में कमी आती है और ऋण-जीडीपी अनुपात गिरता है, जिससे वित्तीय हालात में सख्ती आती है और उत्पादन अंतराल भी कम होता है (चार्ट 2बी); और (3) नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि से दीर्घावधि ब्याज-दरें बढ़ती हैं जिससे आस्तियों की कीमतों पर भी थोड़ा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है; परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई सख्त वित्तीय स्थितियाँ ऋणात्मक उत्पादन अंतराल में वृद्धि करती हैं (चार्ट 2 सी)।

एमपीएमओडी एवं वृहद वित्तीय मॉडल दोनों से प्राप्त उत्पादन अंतराल अनुमानों का तुलनात्मक विश्लेषण इस ओर इशारा करता है कि 2012 से 2017 के बीच अनर्जक आस्तियों के उच्च अनुपात के साथ-साथ ऋण वृद्धि में तीव्र गिरावट ने सख्त वित्तीय स्थितियाँ उत्पन्न करने में योगदान


(जारी...)



¹ एमपीएमओडी मॉडल उत्पादन अंतराल और संभावित उत्पादन का आकलन करने के लिए बहुरूपी फिल्टर पद्धति अपनाता है।

² वित्तीय चक्र की विशेषताओं का निरूपण लंबे समय तक बने रहने वाले ऐसे दो संबंधों पर निर्भर करती है जो आपस में मिलकर वांछित क्रेडिट-जीडीपी अनुपात को दीर्घावधि तक बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। ऐसा पहला संबंध है - क्रेडिट-जीडीपी अनुपात और वास्तविक आस्तिक कीमतों के बीच संबंध जो संपार्श्विक संबंधी बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस संबंध के इसकी दीर्घावधि प्रवृत्ति के साथ विचलन को लीवरेज अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा संबंध क्रेडिट-जीडीपी अनुपात और सांकेतिक उधार दर के बीच होता है जो कि हाउसहोल्डों द्वारा ब्याज का भुगतान किए जाने के कारण उनके समक्ष आने वाले नकदी संबंधी अभाव के प्रभाव का परिचायक है। इस संबंध के इसकी दीर्घावधि प्रवृत्ति के साथ विचलन को ऋण चुकोती अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है (ज्यूसलियस एवं अन्य, 2017)।

चार्ट 2: एक मानक विचलन वाले जोखिमों के प्रति उत्पादन अंतराल की प्रतिक्रिया



टिप्पणी : पीपीटी - प्रतिशतता बिंदु।
स्रोत : आरबीआई स्टाफ अनुमान।


किया जिसके परिणामस्वरूप मांग में कमी आयी (चार्ट 3)। बाद में, समय के साथ जैसे-जैसे इस विन्यास का प्रभाव कम होता गया, इससे क्रेडिट बाजारों में बहाली को थोड़ी गति मिली और आस्ति बाजारों को पुनर्जीवन मिला, जिससे वर्ष 2017 के बाद से उत्पादन अंतराल अपेक्षाकृत अधिक गति से कम हुआ।

वर्ष 2012 से 2017 के दौरान वित्तीय चक्र को शामिल करते हुए प्राप्त किए गए उत्पादन अंतराल अनुमान इसे छोड़कर प्राप्त हुए अनुमानों से कम थे। इस प्रकार, समग्र उत्पादन के किसी दिए हुए स्तर के लिए व्यक्त किए गए संभावित उत्पादन संबंधी अनुमान, वित्तीय जानकारी को

शामिल किए बिना व्यक्त किए गए अनुमानों से अपेक्षाकृत अधिक पाये गए। परिणामस्वरूप, उस अवधि के लिए स्वाभाविक ब्याज दर के अनुमान भी अपेक्षाकृत अधिक थे। दूसरी ओर, वर्ष 2017 से उत्पादन अंतराल अनुमान अपेक्षाकृत अधिक थे; संभाव्य उत्पादन और स्वाभाविक ब्याज दर भी वित्तीय चक्रों को शामिल किए बिना व्यक्त किए गए अनुमानों की अपेक्षा कम रहे।

संदर्भ:

1. एलीची ए., अल-मशात, आर. ए., एवेटिसियन, एच., बेन्स, जे., बिजिमाना, ओ., बुटाव्यान, ए., (2018). 'एस्टिमेट्स ऑफ पोर्टेंशियल आउटपुट एण्ड द न्यूट्रल रेट फॉर दि यूएस इकॉनॉमी', अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्किंग पेपर नंबर डब्लू पी /18/152.
2. जुसेलियस, एम., बोरियो, सी., डिसाटैट, पी., और डीरेडमैन, एम. (2017). 'मॉनिटरी पॉलिसी, दि फाइनेंशियल साइकिल, एण्ड अल्ट्रा लो इंटेरेस्ट रेट्स', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग, 13 (3), 55-89.
3. रथ, डी. पी., मित्रा, पी., और जॉन, जे. (2019). 'इंटरलिकेज बिटविन फाइनेंशियल एण्ड इकॉनॉमिक साइकिल्स – सम एविडेंसेज यूजिंग अ माइक्रो-फाइनेंशियल मॉडल फॉर इंडिया, मिमेयो.



परिचालन फ्रेमवर्क : चलनिधि प्रबंधन

III.13 मौद्रिक नीति के परिचालन फ्रेमवर्क का लक्ष्य मौद्रिक नीति के रुख के अनुसरण में किए गए अग्रसक्रिय चलनिधि प्रबंधन द्वारा परिचालन लक्ष्य – भारित औसत कॉल दर (डब्लूएसीआर) - को नीतिगत रिपो दर के अनुरूप बनाना होता है। अल्पकालिक और टिकारू दोनों प्रकार की चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए रिजर्व बैंक ने 2018-19 के दौरान

कई मौद्रिक उपायों का सहारा लिया। जहाँ एक ओर नियमित 14-दिवसीय रिपो के साथ-साथ एकदिवसीय से लेकर 56 दिवसीय वैरिएबल रेट रिपो के माध्यम से ₹6.4 ट्रिलियन चलनिधि अंतर्वेशित की गयी, वहीं ₹42.8 ट्रिलियन की चलनिधि एकदिवसीय से लेकर 14-दिनों की रिवर्स रिपो के माध्यम से अवशोषित की गयी। रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान कुल मिलाकर ₹3.0 ट्रिलियन के समतुल्य राशि के 27 खुला


बाज़ार क्रय सौदे भी किए गए। वित्तीय बाजारों की स्थितियों के आकलन के आधार पर रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएलएलसीआर)³ को 2018-19 में दो बार में कुल मिलाकर एनडीटीएल के 13 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, हर बार एनडीटीएल के 2 प्रतिशतता बिंदुओं के समतुल्य, जिसने उच्च गुणवत्ता वाले संपार्श्विक के बदले रिपो बाजार से चलनिधि जुटाने की अलग-अलग बैंकों की क्षमता बढ़ाने में पूरक का कार्य किया। इसके अलावा, कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में, जनवरी 2019 से प्रारंभ करके, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 25 आधार अंकों की कटौती तक तब तक की जाती रही जब तक यह एनडीटीएल के 18 प्रतिशत तक नहीं पहुंच गया, ताकि चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) संबंधी अपेक्षा के साथ एसएलआर का सामंजस्य बनाया जा सके। बैंकों की चलनिधि जरूरतों को एलसीआर के और अधिक सामंजस्य में लाने के लिए एफएलएलसीआर को चार चरणों में 50 आधार अंक बढ़ाते हुए अप्रैल 2020 तक इसे एलडीटीएल के 15 प्रतिशत तक पहुंचाने का एक रोडमैप अप्रैल 2019 में तैयार किया गया।

चलनिधि के निर्धारक और इसका प्रबंधन

III.14 प्रणालीगत चलनिधि में वर्ष 2018-19 के बीच काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला जो घरेलू और वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थितियों का परिचायक था। वैश्विक व्यापार में मौजूद तनावपूर्ण स्थितियों से प्रेरित पूंजी बहिर्वाह और यूएस मौद्रिक नीति के उम्मीद से पहले ही सामान्य हो जाने से घरेलू मुद्रा पर अवमूल्यन का दबाव बना। इसका परिणाम यह हुआ कि रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने वाले विदेशी मुद्रा परिचालनों ने घरेलू चलनिधि को अवशोषित किया। इस वर्ष की एक अन्य विशेषता परिचालनगत मुद्रा में हुई व्यापक वृद्धि थी जिससे प्रणालीगत चलनिधि की स्थिति बदतर हुई।

III.15 बढ़े हुए सरकारी व्यय के परिणामस्वरूप 2018-19 की पहली तिमाही में सामान्यतः चलनिधि अधिशेष बना रहा। इसके कारण प्रणाली में आने वाली चलनिधि दो स्वतंत्र

चार्ट III.1: चलनिधि के वाहक और उसका प्रबंधन करने वाले कारक





कारकों – परिचालनगत मुद्रा में ₹743 बिलियन की वृद्धि और ₹160 बिलियन की विदेशी मुद्रा बिक्री – द्वारा अवशोषित की गयी चलनिधि से अधिक रही (चार्ट III.1)। मई और जून में विदेशी मुद्रा बिक्री की मात्रा बढ़ी और मुद्रा प्रसार सामान्य से अधिक बना रहा जिसके कारण जून के मध्य से लेकर जुलाई 2018 तक थोड़े समय के लिए प्रणाली में चलनिधि की कमी हो गयी तथा अग्रिम करों के भुगतान के कारण हालात और भी खराब हो गए। इसलिए रिज़र्व बैंक को चलनिधि में आयी इस अल्पकालिक कमी से निपटने के लिए कुछ मौकों पर 14 दिवसीय रिपो के अलावा एकदिवसीय परिवर्तनशील दरों वाली रिपो के माध्यम से चलनिधि का अंतर्वेशन करना पड़ा। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने मई और जून 2018 में दो ओएमओ खरीदारियाँ भी कीं जिनमें से प्रत्येक ₹100 बिलियन की थी ताकि प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशित की जा सके। कुल मिलाकर, एलएएफ के अंतर्गत निवल चलनिधि अवशोषण में इस तिमाही के दौरान धीरे-धीरे कमी आती गयी और अप्रैल के ₹496 बिलियन की दैनिक औसत निवल स्थिति से घटकर यह जून में ₹140 बिलियन हो गयी।

³ बैंकों के एलसीआर की गणना हेतु लेवल 1 उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में स्वीकृत आस्तियों में अन्य के साथ-साथ ये भी शामिल हैं - एसएलआर अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद बची हुई सरकारी प्रतिभूतियाँ और एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर भी, उस सीमा (वर्तमान में बैंक की एनडीटीएल का 2 प्रतिशत) तक सरकारी प्रतिभूतियाँ जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और एफएलएलसीआर के अंतर्गत अनुमति दी है।

III.16 वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही के दौरान, चलनिधि की स्थिति घाटे और अधिशेष के बीच झूलती रही। जुलाई में सरकारी खर्च में आयी कमी (विशेष रूप से दूसरे पखवाड़े में) और रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा बिक्री के कारण ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिनमें प्रतिदिन एलएफ के तहत औसतन ₹107 बिलियन का अंतर्वेशन आवश्यक हो गया। माह के दौरान ₹100 बिलियन की ओएमओ खरीद भी की गयी। अगस्त (19 अगस्त तक) में एक बार पुनः प्रणाली में चलनिधि अवशोषण के हालात तैयार हुए जिसका कारण सरकार का बढ़ा हुआ खर्च था जिसे पूरा करने के लिए उसे रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (डब्लूएमए) भी लेना पड़ा, हालांकि अल्पावधि के लिए आयी इस अतिरिक्त चलनिधि को अप्रत्यक्ष करों के भुगतान ने धीरे-धीरे कम कर दिया। इस माह के दौरान रिज़र्व बैंक ने प्रतिदिन औसतन ₹30 बिलियन निवल चलनिधि का अवशोषण किया, यहाँ तक कि 20 से 30 अगस्त के बीच प्रणाली में चलनिधि की कमी हो गयी जिससे चलनिधि अंतर्वेशन करना पड़ा। 31 अगस्त और 10 सितंबर के बीच एक बार फिर से प्रणाली में चलनिधि अधिशेष की स्थिति आयी क्योंकि सितंबर के पूर्वार्द्ध में सरकारी खर्च बढ़ गया; हालांकि अग्रिम करों के भुगतान के चलते जल्दी ही प्रणाली में चलनिधि की कमी हो गयी। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए सितंबर के उत्तरार्द्ध में दो ओएमओ खरीदारियों के माध्यम से कुल मिलाकर ₹200 बिलियन और एलएफ के

जरिए प्रतिदिन ₹406 बिलियन की चलनिधि प्रणाली में डाली गयी (चार्ट III.2)।

III.17 वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही के दौरान चलनिधि की कमी सामान्यतया बरकरार रही। अक्टूबर 2019 के दूसरे सप्ताह में त्योहारों के कारण करेंसी की मांग बढ़ने और रिज़र्व बैंक द्वारा की गयी विदेशी मुद्रा बिक्री के फलस्वरूप चलनिधि की कमी हो गयी जो पूरे माह बनी रही। केंद्र सरकार द्वारा डब्लूएमए का सहारा लिए जाने के कारण नवंबर के प्रारंभ में यह कमी और गंभीर हुई परंतु त्योहारों के इस मौसम में लगातार हुए मुद्रा-प्रसार के कारण आगे चलकर चलनिधि में वृद्धि हुई। चलनिधि की कमी दिसंबर माह के उत्तरार्द्ध में और अधिक गंभीर हो गयी जिसका प्रधान कारण अग्रिम करों का भुगतान था। रिज़र्व बैंक ने विभिन्न समयावधियों वाली वैरिएबल रेट रिपो नीलामियाँ कीं जिनमें 14 दिवसीय नियमित मीयादी रिपो के अलावा अपेक्षाकृत अधिक अवधि (28 दिवसीय और 56 दिवसीय) रिपो शामिल थीं। साथ ही, अक्टूबर में ओएमओ के जरिए ₹360 बिलियन टिकाऊ चलनिधि का अंतर्वेशन भी किया गया जिसे बाद में बढ़ाकर नवंबर और दिसंबर प्रत्येक माह में ₹500 बिलियन कर दिया गया। फलस्वरूप, इस तिमाही के दौरान ओएमओ के माध्यम से कुल टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशन लगभग ₹1.4 ट्रिलियन हो गया (चार्ट III.3)। अतिरिक्त चलनिधि के अवशोषण के लिए परिवर्तनशील दरों वाली रिवर्स रिपो नीलामियाँ की गयीं।



III.18 लगातार हो रहे मुद्रा-प्रसार और सरकार के नकदी शेष बढ़ने के परिणामस्वरूप 2018-19 की चौथी तिमाही में भी चलनिधि की कमी बनी रही, हालांकि जनवरी और फरवरी महीनों के कुछ प्रारंभिक दिनों को छोड़कर जब सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट (ओडी)/ डब्लूएमए लिए जाने के कारण चलनिधि के अधिशेष वाली स्थितियां बनीं। टिकाऊ चलनिधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिज़र्व बैंक ने ओएमओ खरीदारियाँ कीं - जनवरी में ₹500 बिलियन, फरवरी में ₹375 बिलियन और मार्च में ₹250 बिलियन। साथ ही साथ, अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 दिवसीय नियमित मीयादी रिपो के अलावा विभिन्न समयावधियों वाली परिवर्तनशील दरों वाली रिपो का सहारा लिया गया।

III.19 रिज़र्व बैंक द्वारा टिकाऊ चलनिधि की आवश्यकता पूरी करने के लिए नियमित आधार पर ओएमओ का सहारा लिया गया। परिणामस्वरूप, ज्यादातर समय एलएएफ की स्थिति ने सरकारी खर्च में उतार-चढ़ाव प्रदर्शित किया (चार्ट III.4)।

III.20 कुल मिलाकर, मुद्रा-प्रसार और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा परिचालन वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि के प्रमुख वाहक रहे, जबकि अल्पकालिक चलनिधि में कमी या अधिकता का प्रमुख निर्धारक सरकारी खर्च रहा। परिवर्तनशील दरों वाली नीलामियों के ज़रिए किए गए सूक्ष्म समायोजन ऐसे प्रमुख उपाय थे जिनके माध्यम से


सारणी III.1: वर्ष 2018-19 के दौरान परिवर्तनशील दर नीलामियों के माध्यम से सूक्ष्म समायोजन परिचालन

मद	बारंबारता (दिनों की संख्या)	औसत मात्रा (₹ बिलियन)
1	2	3
रिपो (परिपक्वता अवधि दिनों में)		
1-3	11	199.9
7	5	219.3
8	1	250.0
14	2	126.9
21	2	325.0
28	4	250.0
55-56	4	237.5
रिवर्स रिपो (परिपक्वता अवधि दिनों में)		
1	44	390.6
2	6	382.0
3	16	371.3
4	6	248.0
6	2	186.4
7	110	135.5
11	1	40.8
13	1	26.3
14	13	44.0

स्रोत : आरबीआई।

अल्पकालिक चलनिधि का प्रबंधन किया गया। चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न परिपक्वता अवधियों वाली रिपो/रिवर्स रिपो नीलामियाँ कई बार की गयीं (सारणी III.1)।


III.21 प्रत्येक वर्ष मार्च में वर्षान्त से जुड़े कारकों के कारण चलनिधि की माँग में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने नियमित 14-दिवसीय परिवर्तनशील दरों वाली मीयादी रिपो नीलामियों के अतिरिक्त अपेक्षाकृत अधिक अवधि की चार परिवर्तनशील दरों वाली रिपो नीलामियाँ (14 दिवसीय से 56 दिवसीय तक की भिन्न-भिन्न अवधियों वाली) कीं। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने अपने चलनिधि प्रबंधन उपायों में वृद्धि करते हुए लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा खरीद/ बिक्री स्वैपों के माध्यम से रुपये में चलनिधि अंतर्वेशित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, बैंक ने 26 मार्च 2019 को 3 वर्षों की अवधि के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डालर की यूएस\$/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी कीं ताकि ₹345.6 बिलियन की टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशित की जा सके।




III.22 पूरे अप्रैल माह और मई के अधिकांश समय प्रणाली में चलनिधि की कमी बनी रहने के उपरांत जून में अधिशेष की स्थिति आयी, जिसका प्रमुख कारण आम चुनावों के बाद सरकारी खर्च में हुई भारी बढ़ोतरी थी। रिज़र्व बैंक द्वारा जहाँ एलएएफ के तहत प्रतिदिन निवल औसत आधार पर अप्रैल में ₹700 बिलियन और मई में ₹334 बिलियन चलनिधि अंतर्वेशित की गयी, वहीं जून में ₹517 बिलियन निवल चलनिधि अवशोषित की गयी। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान रिज़र्व बैंक ने चार ओएमओ खरीद नीलामियाँ की - मई और जून प्रत्येक महीने में ₹250 बिलियन और ₹275 बिलियन राशि की दो-दो नीलामियाँ। बैंक ने प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि के अंतर्वेशन के लिए 23 अप्रैल को ₹348.7 बिलियन राशि वाली 3 वर्ष अवधि के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डालर की खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी भी की।

परिचालन लक्ष्य और नीतिगत दर

III.23 जैसा कि पहले भी कहा गया, चलनिधि प्रबंधन का उद्देश्य डब्लूएसीआर – जो कि परिचालन लक्ष्य है – का सामंजस्य नीतिगत रिपो दर के साथ स्थापित करना है। वर्ष 2018-19 के दौरान, डब्लूएसीआर ने जनवरी 2019 तक आम तौर पर नीतिगत रिपो दर से नीचे स्तर पर कारोबार किया लेकिन इसके बाद रुक-रुक कर यह मजबूत होती रही तथा वर्ष के अंत में तेजी से ऊपर चढ़ी (चार्ट III.5)। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान, डब्लूएसीआर नीतिगत रिपो दर से ऊपर- नीचे होती रही।



चार्ट III.6: रिपो दर के ऊपर डब्लूएसीआर का औसत स्प्रेड



स्रोत : आरबीआई।

III.24 रिपो दर पर डब्लूएसीआर का ऋणात्मक स्प्रेड अप्रैल के 11 आधार अंकों से घटते हुए अक्टूबर 2018 में 5 आधार अंक तक रह गया परंतु उसके बाद बढ़कर जनवरी में 12 आधार अंक हो गया (चार्ट III.6)। दिनांक 7 फरवरी 2019 को रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा के बाद डब्लूएसीआर फरवरी और मार्च 2019 में मोटे तौर पर रिपो दर के अनुरूप हो गयी। कुल मिलाकर, 2018-19 में डब्लूएसीआर नीतिगत दर से 8 आधार अंक नीचे रही (पहली छमाही में 10 आधार अंक और दूसरी छमाही में 6 आधार अंक)। वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान डब्लूएसीआर का औसत रिपो दर के आसपास ही रहा।

मौद्रिक नीति संचरण

III.25 नीतिगत रिपो दर में जून-अगस्त 2018 के दौरान 50 आधार अंकों की वृद्धि (वर्ष 2018 के जून और अगस्त प्रत्येक महीने में 25 आधार अंक) के बाद, बैंकों ने अपनी जमा और उधार ब्याज दरें बढ़ा दीं (सारणी III.2)। बैंकों ने तो इससे पहले -दिसंबर 2017 से- ही अपनी मीयादी जमा दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया था - क्योंकि प्रणाली में अधिशेष चलनिधि कम हो गई थी। सावधि जमा दरों में वृद्धि से बैंकों के वित्तपोषण की लागत पर दबाव बढ़ गया, जिससे उनकी निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दरें (एमसीएलआर) कम हुईं।

सारणी III.2: नीतिगत दर का जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रिपो दर	सावधि जमा दर		उधार दरें		
		माध्यिका सावधि जमा दर	डब्ल्यूएडीटीडीआर	1-वर्ष माध्यिका एमसीएलआर	डब्ल्यूएलआर-बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर-नया रुपया ऋण
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	-25	-25	-30	-20	-55	-40
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	25	19	22	35	10	39
जनवरी 2018 से जनवरी 2019	50	27	38	50	2	56
सख्ती वाला चक्र :						
जून 2018 से जनवरी 2019	50	16	20	32	13	57
नरमी वाला चक्र :						
फरवरी 2019-जून 2019	-75	-7	-7	-10	5	-29


डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर। डब्ल्यूएलआर : भारत औसत उधार दर।
एमसीएलआर : सीमांत निधियों की लागत आधारित उधार दर।
स्रोत : विशेष मासिक विवरणी VI एबी, आरबीआई और बैंकों की वेबसाइटें।

नतीजतन, मौद्रिक नीति चक्र की मौद्रिक सख्ती वाली अवधि (जून 2018 - जनवरी 2019) में बैंकों द्वारा स्वीकृत नये रुपया ऋणों पर भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) 57 आधार अंक बढ़ी। हालांकि बकाया रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में वृद्धि काफी कम रही (चार्ट III.7ए)।

III.26 नीतिगत रिपो दर में फरवरी - जून 2019 के दौरान 75 आधार अंकों की कमी की प्रतिक्रिया यह हुई कि इसी अवधि में नये रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में 29 आधार अंकों की गिरावट देखी गयी (चार्ट III.7 बी)। तथापि, बकाया

रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में 5 आधार अंकों की वृद्धि हुई जिसके मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला, उधार ब्याज दरें आम तौर पर 1-वर्ष एमसीएलआर से जुड़ी होती हैं; फलस्वरूप, ऐसे ऋणों पर ब्याज दरें नियत तिथियों पर सालाना निर्धारित की जाती हैं। दूसरा, जुलाई 2010-मार्च 2016 के बीच अनुबंधित और अभी बकाया ऋणों का एक हिस्सा आज भी बेस रेट से जुड़ा हुआ है, जो व्यावहारिक रूप से मौद्रिक नीति की सख्ती और नरमी दोनों ही चरणों में अपरिवर्तित रही है।

चार्ट III.7: एससीबी की जमा और उधार दरों में अंतर



पीएसबी : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक; पीवीटी : निजी क्षेत्र के बैंक; विदेशी : विदेशी बैंक; एससीबी : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।
स्रोत : आरबीआई।

क्षेत्रवार उधार दरें

III.27 मौद्रिक संचरण अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रहा जो क्रेडिट की माँग और ऋण जोखिम में भिन्नता को दर्शाता है। सख्ती वाली स्थितियों (जून 2018-जनवरी 2019) के दौरान कृषि, आवास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के बकाया ऋणों पर ब्याज दरों में वृद्धि हुई, जबकि उद्योग, व्यापार और पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में ब्याज दरों में गिरावट आयी (सारणी III.3)। फरवरी 2019 से प्रारंभ हुए मौद्रिक नरमी वाले चक्र के दौरान अधिकांश क्षेत्रों में उधार दरें कम हुईं।

III.28 रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2018 में प्रस्ताव दिया था कि 1 अप्रैल 2019 से बैंकों द्वारा परिवर्तनशील दरों पर दिए जाने वाले सभी व्यक्तिगत / खुदरा ऋणों (आवास, ऑटो, आदि)

तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को परिवर्तनशील दरों पर दिए जाने वाले ऋणों की बेंचमार्किंग बाह्य मानदण्डों अर्थात (i) नीतिगत रिपो दर; अथवा (ii) फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमि. (एफबीआईएल) द्वारा प्रस्तावित किसी भी बेंचमार्क बाजार ब्याज दर के आधार पर की जाएगी, ट्रेजरी बिल दरों सहित। ऐसे मामलों - जैसे (i) बैंकों द्वारा नियत ब्याज दर से संबद्ध देयताओं वाली व्यवस्था से परिवर्तनशील ब्याज दर से संबद्ध देयताओं वाली व्यवस्था में आने से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन; और (ii) आईटी प्रणाली के उन्नयन के लिए आवश्यक लीड टाइम - पर हितधारकों के साथ चर्चा करते हुए और उनसे प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2019 में निर्णय लिया गया था कि हितधारकों के साथ

सारणी III.3: एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) के सेक्टरवार डब्ल्यूएलआर – बकाया रुपया ऋण
(जिस पर कारोबार में संकुचन 60 प्रतिशत या उससे भी अधिक होता है)

(प्रतिशत)

माह की समाप्ति	कृषि	उद्योग एमएसएमई (बड़े)	इन्फ्रा-स्ट्रक्चर	व्यापार	पेशेवर सेवाएं	व्यक्तिगत ऋण					रुपया निर्यात क्रेडिट	
						आवास	वाहन	शिक्षा	क्रेडिट कार्ड	अन्य*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिसं-14	10.93	12.95	13.05	13.05	13.09	12.39	10.76	11.83	12.90	37.86	14.24	12.16
मार्च-18	10.71	11.03	11.41	11.40	11.08	10.87	9.38	10.74	11.29	37.79	12.48	10.08
मार्च-18	10.65	11.17	11.36	11.30	11.57	10.80	9.40	10.64	11.30	38.23	12.71	9.99
जून-18	10.67	11.23	11.30	11.28	11.00	10.73	9.43	10.66	11.29	38.55	12.66	10.07
सितं-18	10.73	10.42	11.55	10.88	11.17	10.50	9.58	10.62	11.61	38.79	12.05	9.76
दिसं-18	10.69	10.70	11.23	10.90	10.97	10.65	9.48	10.64	11.36	38.74	11.56	10.04
जन-19	10.70	10.57	11.02	10.98	10.59	10.59	9.54	10.60	11.40	37.97	11.59	9.92
मार्च-19	10.56	10.41	11.42	10.70	10.86	10.72	9.41	10.48	11.35	38.91	12.20	9.51
जून-19	10.48	10.20	11.26	10.68	9.98	10.42	9.44	10.45	11.34	38.63	12.39	9.73
भिन्नता (प्रतिशतता बिंदु)												
2018-19	-0.15	-0.62	0.01	-0.70	-0.22	-0.15	0.03	-0.26	0.06	1.12	-0.28	-0.57
नरमी वाली अवधि (जन 2015 - मई 2018)	-0.28	-1.78	-1.69	-1.75	-1.52	-1.59	-1.36	-1.19	-1.60	0.37	-1.53	-2.17
सख्ती वाली अवधि (जून 2018 - जन 2019)	0.05	-0.60	-0.34	-0.32	-0.98	-0.21	0.14	-0.04	0.10	-0.26	-1.12	-0.07
नरमी वाली अवधि (फर 2019 - जून 2019)	-0.22	-0.37	0.24	-0.30	-0.61	-0.17	-0.10	-0.15	-0.06	0.66	0.80	-0.19

*: आवास, वाहन, शिक्षा और क्रेडिट कार्ड से भिन्न ऋण।

एमएसएमई : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।

स्रोत : विशेष मासिक विवरणी VIएबी, आरबीआई।

दोबारा परामर्श किया जाएगा और दरों के संचरण के लिए एक प्रभावी प्रणाली तैयार की जाएगी।

III.29 वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसे अनेक मुद्दों का अध्ययन किया गया जिनसे मौद्रिक नीति के संचरण के लिए प्राप्त होने वाले विश्लेषणात्मक इनपुट में सुधार किया जा सके : निवेश चक्रों के वाहकों का परीक्षण जिनसे निवेश चक्रों की अवधि और इन्फ्लेक्शन बिंदुओं/ स्ट्रक्चरल ब्रेक्स को समझा जा सके; आर्थिक गतिविधि के नियामक तत्वों और मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों की भूमिका; मौद्रिक-राजकोषीय इंटरफेस की बेहतर समझ के लिए तिमाही पूर्वानुमान मॉडल में एक राजकोषीय ब्लॉक शामिल करना; माँग की स्थिति का आकलन करने में वित्तीय कारकों (बैंक क्रेडिट, इक्विटी की कीमतें और नीतिगत रिपो दर) की भूमिका को शामिल करने वाले वित्त-निरपेक्ष उत्पादन अंतराल से जुड़े अनुमान; न्यूनतम समर्थन मूल्यों और आवास किराया भत्तों के मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन; कच्चे तेल की कीमतों का समष्टि अर्थशास्त्र; और, विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन तथा चलनिधि प्रबंधन। सीपीआई में आवासन सुविधाओं से जुड़े मुद्दों और बॉण्डों के प्रतिफलों में होने वाले उतार-चढ़ाव में मौद्रिक नीति की भूमिका के आकलन पर भी शोधपरक अध्ययन किया गया।

3. वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

III.30 वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्य रूप से जिन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा वे हैं – चलनिधि पूर्वानुमान फ्रेमवर्क को परिष्कृत करना, विभिन्न समयावधियों (जैसे कि वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक) पर परिचालनगत मुद्रा के आकलन को और अधिक सटीक बनाना तथा चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के परिचालन से जुड़े पहलुओं की समग्र समीक्षा करना जिसमें संरचनात्मक चलनिधि संतुलन तथा चलनिधि के वितरण में आने वाली विषमता से जुड़े पहलू भी शामिल होंगे।

III.31 हाल के समय में खाद्य मुद्रास्फीति में हुए उतार-चढ़ाव का विश्लेषण किया जाएगा ताकि इसमें रही अस्थिरता के मूल कारणों को समझा जा सके और इसके पीछे कार्य कर रहे चक्रीय और संरचनात्मक कारकों की सापेक्ष भूमिका का परीक्षण किया जा सके। इसके अलावा, सभी प्रमुख समूहों / उप-समूहों पर प्रभावी मुद्रास्फीति की दरों में भिन्नता और समय के साथ इनमें आने वाले अंतर की बेहतर समझ विकसित करने के उद्देश्य से मुद्रास्फीति के स्थानिक आयामों का अध्ययन किया जाएगा। मौद्रिक संचरण की समझ बढ़ाने के लिए, ऋण के क्षेत्र-वार प्रवाह का विश्लेषण किया जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए जाने वाले क्रेडिट के संदर्भ में उनकी आस्तियों की गुणवत्ता/स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का परीक्षण भी किया जाएगा।

रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी लाभप्रद क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने की योजना जारी रखते हुए बैंक रहित क्षेत्रों में औपचारिक वित्तीय सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। वर्ष के दौरान कतिपय नई पहल की गई जिसमें एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्रों में ऋण प्रवाह से जुड़े मुद्दों को परखने के लिए विशेषज्ञ समिति/कार्य-दल का गठन, तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण सुपुर्द करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के साथ मिलकर ऋण प्रदान करने की अनुमति देना शामिल है। साथ ही, देश में वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे उपायों के अतिरिक्त वित्तीय समावेशन 2019-2024 के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई गई।

IV.1 रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के सभी लाभप्रद क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में पर्याप्त तथा समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ऋण सुपुर्द करने की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और साथ ही देश में सभी वर्गों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। इन क्षेत्रों में ऋण प्रवाह की समीक्षा करने के उद्देश्य से एमएसएमई को लेकर एक विशेषज्ञ समिति एवं इसके साथ-साथ कृषि ऋण की समीक्षा हेतु एक आंतरिक कार्य-दल का गठन किया गया। साथ ही, रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) के तत्वावधान में वित्तीय समावेशन 2019-2024 के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) तैयार की है, जिससे सभी नागरिकों को एक सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसका मूल उद्देश्य है कि वित्तीय रूप से वंचित लोगों को वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो सके।

IV.2 संवहनीय एवं समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करने तथा सेवा से वंचित एवं कम सेवा प्राप्त जनसंख्या को सेवा पहुंचाने के लिए बैंकिंग प्रणाली की भेद्यता के स्तर में वृद्धि करने हेतु कई नवोन्मेषी उपाय किए गए। सह-उत्पत्ति मॉडल प्रारंभ किया गया जिसकी मदद से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत

रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के साथ मिलकर ऋण प्रदान कर सकते हैं। चूंकि वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन से पहले आती है, इसलिए दो-टिअर 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें' कार्यक्रम बनाया गया ताकि बुनियादी स्तर पर कारगर रूप से वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) की क्षमता एवं कौशल का निर्माण किया जा सके। इसी प्रकार, क्षमता एवं कौशल निर्माण, तथा आधारभूत स्तर पर बुनियादी वित्तीय साक्षरता लाने के लिए वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) के सलाहकारों और ग्रामीण बैंकों के शाखा प्रबंधकों को संवेदनशील बनाने हेतु वित्तीय साक्षरता को लेकर दो-टिअर कार्यक्रम बनाया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफआई) के अनुरूप जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए देश भर में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिहाज से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र (एनसीएफई) की स्थापना की गई। इस संदर्भ में, रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग (एफआईडीडी) देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति निरूपण एवं कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

IV.3 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के विरुद्ध, 2018-19 की कार्य योजना के कार्यान्वयन की स्थिति को भाग 2 में स्पष्ट किया गया है जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के कार्य-निष्पादन तथा वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता को

लेकर हुए विकास को दर्शाया गया है। भाग 3 में 2019-20 की कार्य योजना का उल्लेख है।

2. वर्ष 2018-19 के लिए कार्य योजना - कार्यान्वयन की स्थिति

IV.4 बीसी मॉडल को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मार्च 2019 में कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे के साथ समन्वय करते हुए बीसी के क्षमता निर्माण के लिए 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बैंक के जिन संकाय सदस्यों ने इस कार्यक्रम के टिअर-I में भाग लिया था उन्हें अपने-अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों में ग्रामीण शाखा प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम का टिअर-II चरण शुरू करने को कहा गया। इन शाखा प्रबंधकों से आगे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शाखाओं से जुड़े बीसी को संवेदनशील बनाएं तथा उन्हें सहारा दें। आधारभूत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है जो प्रायोगिक वित्तीय साक्षरता केन्द्र (सीएफएल) परियोजना के प्रभाव के आकलन का हिस्सा बनता है। इसी भांति, वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआईपी) को स्वचालित डेटा निष्कर्षण परियोजना (एडीईपीटी) के साथ एकीकृत करने की वांछित प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काश्तकार किसानों को ऋण सुपुर्द करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के कार्य को कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए गठित आंतरिक कार्य-दल में शामिल किया गया है।

ऋण सुपुर्दगी

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

IV.5 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) का अति महत्वपूर्ण सिद्धान्त है कि समाज के उन संवेदनशील वर्गों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाया जाए जो ऋण के लिए पात्र होने के बावजूद विशेष वितरण व्यवस्था के अभाव में समय पर एवं पर्याप्त ऋण से वंचित रह जाते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों, एमएसएमई, आवास, शिक्षा तथा अन्य निम्न-आय समूहों और कमजोर वर्गों के लिए छोटे मूल्य के ऋण आते हैं। पीएसएल के दायरे में सामाजिक अवसंरचना एवं अक्षय ऊर्जा को भी लाया गया है। सारणी IV.1 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने

सारणी IV.1: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में कार्य-निष्पादन

(₹ बिलियन)

मार्च के अंत में	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2018	20,723 (39.9)	8,046 (40.8)	1,402 (38.3)
2019	23,060 (42.55)	10,190 (42.49)	1,543 (43.41)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित समूहों में समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के ऋण समतुल्य (सीईओबीई), जो भी अधिक है, के प्रतिशत को दर्शाता है।

स्रोत : एससीबी द्वारा प्रस्तुत की गई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

को लेकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में एससीबी का कार्य-निष्पादन दर्शाया गया है।

IV.6 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) योजना अप्रैल 2016 में उन बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जिन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों को उधार देने संबंधी अपने लक्ष्यों को पार किया है। पीएसएलसी की मदद से बाजार प्रक्रिया भिन्न-भिन्न बैंकों की तुलनात्मक शक्ति का लाभ उठाने के जरिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार का संचालन करती है। रिजर्व बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) पोर्टल (ई-कुबेर) के माध्यम से इन प्रमाणपत्रों की ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है।

IV.7 वर्ष 2018-19 के दौरान पीएसएलसी प्लेटफार्म में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) एवं लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) सहित सभी पात्र इकाइयों की सक्रिय सहभागिता देखी गई। पीएसएलसी की कुल ट्रेडिंग मात्रा 31 मार्च 2019 में गत वर्ष की इसी अवधि के ₹1,843.3 बिलियन की तुलना में लगभग 78 प्रतिशत बढ़कर ₹3,274.3 बिलियन हो गई। पीएसएलसी की चार श्रेणियों में पीएसएलसी-सामान्य एवं पीएसएलसी-लघु और सीमांत किसानों के मामले में सर्वाधिक ट्रेडिंग दर्ज की गई, जिनकी लेनदेन मात्राएं क्रमशः ₹1,324.8 बिलियन तथा ₹1,125.0 बिलियन थीं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दिशानिर्देशों की समीक्षा

IV.8 वर्ष 2015-16 से, एससीबी को कहा गया था कि वे सुनिश्चित करें कि गैर-कॉर्पोरेट किसानों को संपूर्ण उधार गत तीन वर्षों के प्रणाली-व्यापी औसत से नीचे न गिरे। एससीबी को यह भी कहा गया था कि वे उन लाभार्थियों को 13.50 प्रतिशत स्तर तक सीधे उधार दें जिन्होंने कृषि हेतु पहले ही सीधे उधार दिया है। वर्ष 2018-19 के लिए 11.99 प्रतिशत का प्रणाली-व्यापी औसत लक्ष्य लागू था।

IV.9 एससीबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएफबी को छोड़कर) को जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के साथ मिलकर ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई थी जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण सुपुर्द करने के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से पात्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आस्तियों का निर्माण किया जा सके। इस व्यवस्था के अनुसार दोनों उधारदाताएं सुविधा स्तर पर संयुक्त रूप से ऋण का योगदान करेंगे तथा जोखिमों और प्रतिफल का बंटवारा बैंक और एनबीएफसी के बीच आपसी निर्णय से हुए करार के मुताबिक उनके अपने समुचित कारोबारी उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। इस संबंध में बैंकों और एनबीएफसी को सितंबर 2018 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

कृषि के लिए ऋण प्रवाह

IV.10 भारत सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि ऋण हेतु लक्ष्य निर्धारित करती रही है। 2018-19 के दौरान, भारत सरकार

सारणी IV.3: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

(संख्या मिलियन में, राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	क्रियाशील केसीसी की संख्या	बकाया फसल ऋण	बकाया मीयादी ऋण
1	2	3	4
2017-18	23.52	3,906.02	407.20
2018-19*	23.63	4,136.70	414.09

*: अंतिम।

स्रोत : सरकारी क्षेत्र के बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंक।

ने कृषि ऋण हेतु ₹11,000 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 31 मार्च 2019 को यथास्थिति वाणिज्यिक बैंकों ने 119.9 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया, जबकि सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने क्रमशः 93.26 प्रतिशत एवं 105.78 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया (सारणी IV.2)। 2019-20 के लिए ₹13,500 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है।

IV.11 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), उपभोग, निवेश एवं बीमा सहित किसानों को उनकी खेती एवं अन्य जरूरतों के लिए एकल विंडो के अंतर्गत पर्याप्त एवं समय पर बैंक ऋण प्रदान करने के लिए एक नवोन्मेषी ऋण सुपुर्द करने की प्रक्रिया के रूप में बनकर उभरा है। केसीसी योजना में अब पशु पालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी शामिल किया गया है जिससे वे अपनी कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस योजना के गत दो वर्षों के कार्य-निष्पादन को सारणी IV.3 में दर्शाया गया है।

सारणी IV.2: कृषि ऋण के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ बिलियन)

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक		सहकारी बैंक		आरआरबी		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-18	7,040	8,711	1,560	1,503	1,400	1,412	10,000	11,626
2018-19*	7,920	9,496	1,650	1,539	1,430	1,513	11,000	12,548

*: अंतिम।

स्रोत : राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

सारणी IV.4: राष्ट्रीय आपदाओं के लिए राहत उपाय

(संख्या मिलियन में, राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	पुनर्गठित/ पुनर्निर्धारित ऋण		प्रदत्त नये वित्त/पुनर्वित्त	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
2017-18	0.36	26.38	1.04	36.01
2018-19*	0.39	103.49	0.55	109.83

*: अन्तिम।

स्रोत : राज्य स्तरीय बैंकर समितियां (एसएलबीसी)।

राष्ट्रीय आपदाओं के लिए राहत उपाय

IV.12 फिलहाल, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के दायरे में 12 प्रकार की राष्ट्रीय आपदाओं को शामिल किया गया है यथा, चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सूनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला और शीत लहर/ठंड। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने बैंकों को अधिदेश दिया है कि जहां राष्ट्रीय आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में 33 प्रतिशत या अधिक की फसल हानि हुई है वहां राहत उपाय करें। राहत उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान ऋणों का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण एवं उधारकर्ताओं की उभरती आवश्यकता के अनुसार नए ऋणों को मंजूरी देना

सारणी IV.5: एमएसई को ऋण प्रवाह

वर्ष	खातों की संख्या (मिलियन)	बकाया राशि (₹ बिलियन)	एनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
1	2	3	4
2017-18	25.9	11,493.5	14.6
2018-19	31.8	13,132.3	15.05

स्रोत : एससीबी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विवरणियां।

शामिल है। 2018-19 के दौरान, सात राज्यों द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई, जिनके नाम हैं, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं गुजरात। 2018-19 में राष्ट्रीय आपदाओं के समय बैंकों द्वारा जितने राहत उपाय किए गए उसके लिए सारणी IV.4 देखें।

एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह

IV.13 एमएसएमई में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों एवं पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की बदौलत एमएसई को ऋण प्रवाह बढ़ा (सारणी IV.5)।

IV.14 एमएसएमई क्षेत्र रोजगार निर्माण एवं क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक असंतुलनों को कम करने, दोनों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है (बॉक्स IV.1)। तथापि,

बॉक्स IV.1

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संबंध में विशेषज्ञ समिति

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम रोजगार निर्माण, नवोन्मेषण, निर्यात तथा अर्थव्यवस्था की समावेशी वृद्धि में योगदान के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। सरकार और रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र के समर्थन में समय-समय पर कई उपाय किए हैं। तथापि, एमएसएमई को, औपचारिक रूप देने, प्रौद्योगिकी को अपनाने, क्षमता निर्माण, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज, ऋण तक पहुंच की कमी, जोखिम पूंजी एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा विपणन तक पहुंच को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है। इसलिए, 2018-19 (05 दिसंबर 2018) हेतु पांचवे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के दौरान घोषणा की गई थी कि रिजर्व बैंक 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंध में विशेषज्ञ समिति' का गठन करेगा जो एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय संवहनीयता के लिए कारणों का पता लगाएगी तथा दीर्घकालिक हल

सुझाएगी। तदनुसार, (अध्यक्ष: श्री यू.के.सिन्हा), इस समिति का गठन किया गया। समिति ने केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य सरकारों, बहुपक्षीय संस्थाओं, उद्योग संघों, एमएसएमई उद्यमियों एवं विविध अन्य हितधारकों के साथ सलाह मशविरा किया तथा क्षमता निर्माण, नीति परिवर्तन एवं वित्तीय जरूरतों जैसे मामलों पर गौर किया ताकि इस क्षेत्र की संभाव्य क्षमताओं का पता लगाया जा सके। इसकी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को 18 जून 2019 को पेश की गई। समिति ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए वैधानिक एवं संस्थागत फ्रेमवर्क, वित्त तक पहुंच, क्षमता निर्माण और नए प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों जैसे मामलों को लेकर विभिन्न सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु परखा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट व्यापक प्रसार हेतु आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वित्त तक पहुंच एवं ऋण की लागत क्षेत्र के लिए चिंता का विषय रहा है। इस मुद्दे से निपटने के लिए, भारत सरकार ने 02 नवंबर 2018 को एमएसएमई क्षेत्र के लिए 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान घोषित किया, जो वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए लागू है। सभी नई कार्यशील पूंजी या वृद्धिशील राशि या इस क्षेत्र में केवल ₹10 मिलियन तक के नए मीयादी ऋण इस योजना की अवधि के दौरान ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत वे सभी एमएसएमई पात्र हैं जिनके पास वैध उद्योग आधार संख्या (यूएन) एवं जीएसटीएन संख्या है। साथ ही, योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के ऋण खाते, दावा करने की तारीख को, इस संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए घोषित नहीं किए गए हों। पात्र लाभार्थी उस अवधि में कोई ब्याज अनुदान प्राप्त नहीं कर सकेंगे जिस दौरान उनके ऋण खाते एनपीए श्रेणी में रहते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को योजना के राष्ट्रीय स्तरीय कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना के कार्यान्वयन को लेकर रिजर्व बैंक ने फरवरी 2019 में एससीबी को परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किया है।

वित्तीय समावेशन

IV.15 रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन कार्य योजना को पूरा करने के अपने प्रयासों को लगातार जारी रखा है जिससे अभिप्रेत आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस दिशा में, 2018-19 के दौरान कई नई पहल की गई।

अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) का पुनर्निर्माण

IV.16 रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशकों की एक समिति गठित की गई ताकि अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की प्रभावकारिता का अध्ययन किया जा सके और उसके सुधार के लिए उपाय किए जा सकें। समिति की सिफारिशों के आधार पर, 06 अप्रैल 2018 को सभी राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) संयोजक बैंकों/ अग्रणी बैंकों को अग्रणी बैंक योजना के पुनर्निर्माण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए एवं

साथ ही सभी अग्रणी बैंकों को कतिपय कार्य बिंदुओं के साथ अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की प्रभावकारिता बढ़ाने के संबंध में अलग से दिशानिर्देश जारी किए गए। दिशानिर्देशों में सुझाए गए कार्य बिंदुओं के अनुसार, सभी राज्यों/यूटी में एसएलबीसी/यूटी स्तरीय बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) की एक संचालन उप-समिति का गठन किया गया और सभी एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों के लिए संशोधित कार्य योजना अपनाई गई। शाखाओं, ब्लॉक्स, जिलों और राज्यों के लिए कॉर्पोरेट बिजनेस लक्ष्यों को वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के साथ मिलाने, सूचना/डेटा के मानकीकरण, एवं एलबीएस के अंतर्गत डेटा प्रवाह के प्रबंधन से जुड़े कार्य बिंदु कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं।

अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपना

IV.17 एलबीएस के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में एक बैंक को नेतृत्व की भूमिका सौंपी गई है और वह उस जिले में बैंकों के प्रयासों के समन्वय के लिए संघ के नेता के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से शाखा विस्तार एवं जिले की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण आयोजना जैसे मामलों में। रिजर्व बैंक प्रत्येक जिले में नामित बैंक को अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपने का कार्य करता है। जून 2019 को यथास्थिति, देश भर के 717 जिलों में 18 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी)

IV.18 वित्तीय समावेशन के लिए योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से बैंकों को बोर्ड-अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआईपी) बनाने को कहा गया। इन एफआईपी के जरिए विभिन्न पैरामीटरों जैसे, आउटलेट की संख्या (शाखाओं और बीसी), बुनियादी बचत बैंक जमा खातों (बीएसबीडीए), ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, केसीसी एवं सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) खातों तथा आईसीटी-बीसी खातों में लेनदेन के संबंध में बैंकों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। एफआईपी के तहत उपर्युक्त पैरामीटरों के संबंध में बैंकों की प्रगति को सारणी IV.6 में दर्शाया गया है।

सारणी IV.6: वित्तीय समावेशन योजना : प्रगति रिपोर्ट

विवरण	मार्च 2010 के अंत में	मार्च 2018 के अंत में	मार्च 2019 के अंत में*
1	2	3	4
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स - शाखाएं	33,378	50,805	52,489
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स > 2000-बीसी	8,390	100,802	130,687
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स < 2000-बीसी	25,784	414,515	410,442
गांवों में कुल बैंकिंग आउटलेट्स - बीसी	34,174	515,317	541,129
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स - अन्य प्रकार	142	3,425	3,537
गांवों में बैंकिंग आउटलेट्स - कुल	67,694	569,547	597,155
बीसी के जरिए समावेशित शहरी क्षेत्र [§]	447	142,959	447,170
बीएसबीडीए - शाखाओं के जरिए (संख्या मिलियन में)	60	247	255
बीएसबीडीए - शाखाओं के जरिए (राशि बिलियन में)	44	731	878
बीएसबीडीए - बीसी के जरिए (संख्या मिलियन में)	13	289	319
बीएसबीडीए - बीसी के जरिए (राशि बिलियन में)	11	391	532
बीएसबीडीए - कुल (संख्या मिलियन में)	73	536	574
बीएसबीडीए - कुल (राशि बिलियन में)	55	1,121	1,410
बीएसबीडीए में प्राप्त ओडी सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.2	6	6
बीएसबीडीए में प्राप्त ओडी सुविधा (राशि बिलियन में)	0.1	4	4
केसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	24	46	49
केसीसी - कुल (राशि बिलियन में)	1,240	6,096	6,680
जीसीसी - कुल (संख्या मिलियन में)	1	12	12
जीसीसी - कुल (राशि बिलियन में)	35	1,498	1,745
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (संख्या मिलियन में) [#]	27	1,489	2,084
आईसीटी-खाता-बीसी-कुल लेनदेन (राशि बिलियन में) [#]	7	4,292	5,884

*: अंतिम।

[§]: यह रिपोर्ट किया गया है कि 447,170 आउटलेट में से 388,868 आउटलेट सीमित सेवाएँ देते हैं जैसे, केवल विप्रेषण या ऋण के स्रोत उपलब्ध कराना आदि।

[#]: वित्त वर्ष के दौरान के लेनदेन।

स्रोत : बैंकों द्वारा जैसा सूचित किया गया।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति

IV.19 देश में संवहनीय तरीके से वित्तीय समावेशन के स्तर को व्यवस्थित रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से एफआईएसी के तत्वावधान में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति बनाई गई और यह भारत सरकार एवं अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों से प्राप्त जानकारियों एवं सुझावों पर आधारित है (बॉक्स IV.2)।

बैंकिंग सेवाओं की भेद्यता

IV.20 देश में बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं मध्यवर्ती संस्थाओं की बढ़ती किराया लागत पर बैंकिंग सेवाओं के आउटरीच, स्तर एवं गहराई में वृद्धि कर पाना संभव हो पाया। एसएलबीसी संयोजक बैंकों को कहा

गया कि टिअर 5 और 6 केन्द्रों में आनेवाले बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों (यूआरसी) में नए बैंकिंग आउटलेट खोलते समय बैंकों द्वारा 5,000 से अधिक आबादी वाले (अर्थात् टिअर 5 केन्द्र) यूआरसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, एसएलबीसी संयोजक बैंकों को कहा गया कि 2,000 से कम आबादी वाले अभी भी बैंक रहित गांवों में सीबीएस योग्य बैंकिंग आउटलेट या अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट खोले जाने पर विचार किया जाए। बैंकों (एसएफबी सहित) को अपने आउटलेट खोलने में सुविधा हो, इस उद्देश्य से एसएलबीसी को यह भी कहा गया कि राज्य में सभी यूआरसी की अद्यतन सूची का समेकन एवं रखरखाव किया जाए और एसएलबीसी बैठकों में प्रगति की समीक्षा की जाए। 30 सितंबर 2018 को यथास्थिति देश भर में 5,000 से अधिक आबादी वाले 8,018

बॉक्स IV.2

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति

वित्तीय समावेशन को दुनिया भर में आर्थिक संवृद्धि एवं गरीबी उन्मूलन के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में पहचाना जा रहा है। औपचारिक वित्त तक पहुंच से रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता में कमी आती है और मानव पूंजी में निवेश बढ़ता है। वृहद स्तर पर, अधिकाधिक वित्तीय समावेशन से सभी के लिए संवहनीय एवं समावेशी सामाजिक-आर्थिक संवृद्धि को बल मिलता है।

उपर्युक्त लक्ष्यों को एक समन्वित एवं समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) का निरूपण अनिवार्य है। वैश्विक स्तर पर, पिछले दशक में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति (एनएसएफआई) को अपनाने में काफी गति मिली। 2018 के मध्य में, 35 से अधिक देशों ने, जिसमें ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, पेरू और नाइजीरिया शामिल हैं, एनएसएफआईएस शुरू की एवं 25 अन्य देशों में कार्यनीति निरूपण की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, कई देशों ने अपनी मूल एनएसएफआईएस को अद्यतन भी किया है (वर्ल्ड बैंक, 2018)।

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) के तत्वावधान में भारत के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति 2019-2024 बनाई है और यह भारत सरकार एवं अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों, जैसे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से प्राप्त जानकारियों एवं सुझावों पर आधारित है। इस दस्तावेज में राष्ट्रीय

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), वाणिज्यिक बैंक, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) तथा स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) आदि सहित विभिन्न प्रकार के हितधारकों एवं बाजार भागीदारों के साथ भिन्न-भिन्न स्तर पर किए गए परामर्शों के निष्कर्षों को भी प्रस्तुत किया गया है।

दस्तावेज में भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति एवं अड़चनों, वित्तीय समावेशन संबंधी विशिष्ट लक्ष्यों, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य योजना तथा प्रगति मापने की पद्धति का विश्लेषण शामिल है। कार्यनीति में प्रगतिशील सिफारिशें करते हुए **समावेशी एवं आघात सहनीय** बहु-हितधारक आधारित वृद्धि को समर्थन प्रदान करने के लिए सभी नागरिकों को एक **सुरक्षित एवं पारदर्शी** तरीके से औपचारिक वित्तीय सेवाएं **उपलब्ध, सुलभ एवं किफायती** होने की परिकल्पना की गई है ताकि बीसी मॉडल का लाभ उठाते हुए कई बुनियादी वित्तीय सेवाओं के जरिए वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुंच, आजीविका और कौशल विकास तक पहुंच, वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा, ग्राहक सुरक्षा तथा शिकायत निवारण के साथ प्रभावकारी समन्वय में मदद हो सके। जहां विभिन्न पहलों के माध्यम से समाज के अब तक के वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में आसानी हुई, वहीं कार्यनीति का लक्ष्य वित्तीय समावेशन की पहुंच को और गहरा करने, तथा उसके उपयोग एवं संवहनीयता पर केंद्रित है। इस दस्तावेज का अनुमोदन वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद उप-समिति द्वारा 14 मार्च 2019 को किया गया था।

अभिचिन्हित गांवों में से 6,054 (75.51 प्रतिशत) गांवों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। साथ ही, देश भर में 2,000 से कम आबादी वाले 4,91,879 अभिचिन्हित गांवों में से 4,81,303 (97.85 प्रतिशत) गांवों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई गईं (30 सितंबर 2018)।

कारोबार प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण हेतु 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें' कार्यक्रम

IV.21 विभाग द्वारा बुनियादी स्तर पर वित्तीय सेवाएं प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य से कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) की क्षमता और कौशल निर्माण हेतु दो टिआर 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें' कार्यक्रम, 'संसाधनों के कार्य-निष्पादन हेतु कौशल उन्नयन – बीसी' (एसयूपीईआर-बी) तैयार किया गया : (ए) ऐसे प्रेरित प्रशिक्षकों के समूह को

प्रशिक्षण देना जो बीसी के साथ व्यवहार करने वाले अपने क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व लेगा; (बी) एक पेशेवर बीसी कार्यबल का निर्माण करना ताकि पारंपरिक वित्तीय उत्पादों से बढ़कर जनता की जरूरतों को पूरा किया जा सके; और (सी) एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां बीसी फ्रेमवर्क तथा भिन्न-भिन्न बैंकों के बीच संभावित सम्मिलन को लेकर बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा किया जा सके और उन्हें बीसी नेटवर्क के तेजी से फैलने के कारण प्राप्त होने वाले संभाव्य अवसरों तथा उनके जोखिमों से अवगत कराया जा सके।

IV.22 कार्यक्रम के प्रथम टिआर में, बैंकों के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से संकाय सदस्यों तथा रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिकारियों को सीएबी, पुणे में जागरूक किया जाता है।

कार्यक्रम के द्वितीय टिअर में बैंक शाखा प्रबंधकों (ग्रामीण बैंक शाखाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए) के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला शामिल है जिसे कार्यक्रम के प्रथम चरण के लाभार्थियों द्वारा संचालित किया जाना है। अंततः, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षणाधीन बैंक प्रबंधकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शाखाओं से जुड़े बीसी को जागरूक करें एवं सहारा दें।

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना (एनसीएफई)

IV.23 एनसीएफई की स्थापना ₹1,000 मिलियन की शेयर पूंजी (आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई एवं पीएफआरडीए के बीच क्रमशः 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के अनुपात में हिस्सेदारी) के साथ वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद – उप समिति (एफएसडीसी-एससी) के निदेशों के मुताबिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत की गई है। एनसीएफई ने राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति के तत्वावधान में वित्तीय जागरूकता एवं सशक्तिकरण लाने के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों व अभियानों आदि के रूप में पूरे देश में वित्तीय शिक्षा अभियान चलाने के जरिए जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए पूरे भारत में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया हुआ है।

वित्तीय साक्षरता

IV.24 वित्तीय साक्षरता रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन पहलों को प्रभावशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिशा में, 2018-19 के दौरान कई नई पहल की गई।

वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (सीएफएल) के संबंध में प्रायोगिक परियोजना के प्रभाव का आकलन

IV.25 वर्ष के दौरान आधारभूत सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है जो सीएफएल के संबंध में प्रायोगिक परियोजना के प्रभाव के आकलन का हिस्सा बनता है। आधारभूत सर्वेक्षण के कतिपय निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

ए. सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े कई समुदायों की वित्तीय साक्षरता पहलों तक पहुंच अपेक्षाकृत रूप से बहुत कम है इसलिए इन समुदायों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।

बी. वित्तीय शिक्षा संबंधी विभिन्न पहलों में से व्यक्तिगत चर्चा एवं सामूहिक प्रशिक्षण या जागरूकता निर्माण कार्यक्रम प्रभावशाली पाया गया।

सी. संदेशों के प्रसार हेतु मीडिया/चैनल के उपयोग की प्रभावशीलता के संबंध में दूरदर्शन की अपने ऑडीओ और विजुअल दोनों सामग्रियों को प्रसारित करने की योग्यता की बढ़ौलत लक्षित ग्रामीण जनसंख्या में पहुंच सर्वाधिक है और इससे अधिक दृश्यता के साथ संदेशों का प्रसार होता है और लंबे समय तक याद रहता है।

IV.26 सर्वेक्षण में यह भी सुझाव दिया है कि डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग को व्यवहार में लाने तथा शिकायत निवारण प्रक्रिया के प्रति जागरूकता लाने को लेकर अनिवार्यतः पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए जिससे डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में लोगों को सुविधा हो सके। साथ ही, वर्तमान प्रशिक्षण सामग्री की समय-समय पर समीक्षा करने और उसे समुदाय की जरूरतों के अनुरूप बनाने की जरूरत है ताकि वांछित व्यवहार बेहतर तरीके से अपनाया जा सके।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019

IV.27 वित्तीय साक्षरता सप्ताह रिजर्व बैंक की एक नई पहल है जो प्रत्येक वर्ष एकाग्र अभियान के जरिए प्रमुख विषयों पर जागरूकता लाता है। इस वर्ष, 03-07 जून 2019 के दौरान 'किसान' एवं औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा होने से उन्हें कैसे लाभ होता है विषय पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया। कृषक समुदाय में जागरूकता लाने तथा वित्तीय साक्षरता संबंधी संदेशों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार उधार एवं कृषि वित्त पर पोस्टर/लीफ्लेट एवं ऑडीओ विजुअल के रूप में सामग्री तैयार की गई। बैंकों

को कहा गया कि वे अपनी ग्रामीण बैंक शाखाओं, एफएलसी, एटीएम तथा वेबसाइट में पोस्टर तथा सामग्री प्रदर्शित करें। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने जून 2019 माह के दौरान किसानों को वित्तीय जागरूकता के संबंध में अत्यावश्यक संदेश प्रसारित करने हेतु दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर एक केन्द्रीकृत जन माध्यम अभियान भी चलाया।

ग्रामीण शाखा प्रबंधकों और वित्तीय साक्षरता सलाहकारों के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दें कार्यक्रम

IV.28 क्षमता एवं कौशल निर्माण, तथा आधारभूत स्तर पर बुनियादी वित्तीय साक्षरता लाने के लिए एफएलसी के सलाहकारों और ग्रामीण बैंकों के शाखा प्रबंधकों को संवेदनशील बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता को लेकर दो-टिअर कार्यक्रम बनाया गया। कार्यक्रम के प्रथम टिअर में, बैंकों के मुख्य साक्षरता अधिकारियों (सीएलओ) तथा अग्रणी साक्षरता अधिकारियों (एलएलओ) को सीएबी, पुणे में प्रत्येक वर्ष जागरूक किया जाता है। कार्यक्रम के द्वितीय टिअर में बैंकों के एलएलओ द्वारा एफएलसी सलाहकारों, बैंक के ग्रामीण शाखा प्रबंधकों तथा प्रायोजित आरआरबी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एलएलओ को कहा गया है कि वे बैंकों के क्षेत्रीय /स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ समन्वय करने के जरिए टिअर II कार्यक्रम आयोजित करें।

एफएलसी द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता गतिविधियां

IV.29 मार्च 2019 की समाप्ति को यथास्थिति, देश में 1,483 एफएलसी परिचालन में थे। वर्ष 2018-19 के दौरान, एफएलसी द्वारा 145,427 वित्तीय साक्षरता संबंधी गतिविधियां आयोजित की गईं जबकि गत वर्ष में इसी अवधि के दौरान 129,280 गतिविधियां हुई थीं।

3. वर्ष 2019-20 हेतु कार्य योजना

IV.30 भविष्य में, रिज़र्व बैंक ऋण सुपुर्दगी एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की दिशा में निम्नलिखित उपाय करेगा : (ए) सीएफएल परियोजना को राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश राज्यों में 20 आदिवासी ब्लॉक तक बढ़ाया गया है और यह दो वर्षों की अवधि के लिए चलेगी; (बी) एमएसएमई के संबंध में विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : श्री यू.के. सिन्हा) द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु परखा जाएगा; और (सी) रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2019 में कृषि ऋण की समीक्षा हेतु एक आंतरिक कार्य दल (अध्यक्ष : श्री एम.के. जैन, उप गवर्नर) का गठन किया। यह संभावना है कि कार्य दल कृषि ऋण वितरण को लेकर क्षेत्रीय असमानता संबंधी मुद्दों की जांच करे और संबद्ध गतिविधियों एवं पूंजी निर्माण के संवर्धन सहित कृषि हेतु असमान ऋण वितरण का हल करने के लिए व्यावहारिक समाधान पर पहुंचे तथा नीतिगत पहल करे।

वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय बाजारों में भागीदारी को बढ़ाने, प्रतिभागियों की पहुँच को सुलभ करने और लेनदेन संबंधी मानदंडों को आसान बनाने, वित्तीय उत्पादों की श्रेणियों की संख्या बढ़ाने, वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने और बाजार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने हेतु कठोर निगरानी करते रहने के लिए रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं। रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली में चलनिधि का उचित स्तर बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन संबंधी परिचालन (विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामियों सहित) किए तथा विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए परिचालनों के माध्यम से हस्तक्षेप भी किया है। विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास के साथ-साथ व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने की कोशिश करते हुए विनियमों को सरल बनाने और उन्हें वर्तमान आर्थिक और व्यापारिक परिदृश्य के अनुरूप अनुकूल बनाने के प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार की व्यवस्था को भी तर्कसंगत बनाया गया है।

V.1 रिजर्व बैंक वर्ष के दौरान तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की संसाधनात्मक जरूरतों को पूरा करने हेतु वित्तीय बाजारों के विकास में जुटा रहा। वित्तीय प्रणाली में आवश्यक चलनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कीमत निर्धारण में संभावित अस्थिरता को कम करने के लिए प्रयास करते हुए वर्ष के दौरान बैंक ने बाजार प्रतिभागियों के लिए परिचालनगत लचीलेपन को बढ़ाने पर मुख्य रूप से ज़ोर दिया तथा बाजार गतिविधियों में उनकी भागीदारी को व्यापक बनाने का भी कार्य किया। विनियमों को कारगर बनाने तथा विनियामकीय लागत को कम करके उन्हें मौजूदा कारोबार एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए भी प्रयास किए गए। इस दिशा में शुरू की गई मुख्य पहल में से एक है - विदेशी निवेशों की रिपोर्टिंग हेतु विदेशी निवेश रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (फर्म्स) नामक एप्लिकेशन के तहत सिंगल मास्टर फ़ॉर्म (एसएमएफ) के माध्यम से रिपोर्टिंग का कार्यान्वयन। इस दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) व्यवस्था को भी अधिक तर्कसंगत बनाया गया है।

V.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में, इस अध्याय के खंड 2 में ऊपर उल्लिखित बातों के अलावा वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) द्वारा वर्ष के दौरान वित्तीय बाजारों में भागीदारी बढ़ाने, वित्तीय उत्पादों की श्रेणियों को विस्तृत करने और वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए किए गए कई उपायों को शामिल किया गया है। इस अध्याय के खंड-3 में, वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी) द्वारा किए गए चलनिधि प्रबंधन और विदेशी मुद्रा बाजार के संचालन संबंधी की गई गतिविधियों का ब्योरा दिया गया है। खंड-4 में, वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) द्वारा विदेशी मुद्रा

बाजार के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देते हुए व्यापार और भुगतान की सुविधा हेतु शुरू की गई विभिन्न पहलों को शामिल किया गया है। इन सभी विभागों ने संबंधित खंडों में वर्ष 2019-20 हेतु अपनी-अपनी कार्ययोजना भी प्रस्तुत की है।

2. वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.3 वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) द्वारा मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव बाजारों के विकास, उनके विनियमन एवं निगरानी संबंधी दायित्व का निर्वाह किया जाता है। विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान घरेलू और विदेशी दोनों वित्तीय बाजारों में सहभागिता को बढ़ाने, प्रतिभागियों के लिए पहुँच सुलभ करने एवं लेनदेन संबंधी मानदंडों को आसान बनाने, वित्तीय उत्पादों की शृंखला को बढ़ाने, वित्तीय बाजार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने तथा बाजार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए कठोर निगरानी जैसे कई कदम उठाए हैं।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

V.4 नीलामी के जोखिम के बेहतर प्रबंधन और वितरण के जरिए कर्ज़ प्रतिभूतियाँ जारी करने संबंधी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने हेतु मई 2006 में सरकारी प्रतिभूतियों में 'जब जारी' (वेन इशू) बाजार का आरंभ किया गया। सरकारी प्रतिभूति बाजार को और भी सघन बनाने के उद्देश्य से, जुलाई 2018 में 'जब जारी' निदेशों को संशोधित किया गया, ताकि पात्र प्रतिभागियों के आधार को उदार बनाया जा सके। इसके साथ

ही संस्था-वार सीमाओं को भी शिथिल किया गया है, ताकि वे उचित पोजीशन ले सकें।

V.5 सरकारी प्रतिभूतियों में मंदड़िया बिक्री की शुरुआत फरवरी 2006 में की गई थी, ताकि प्रतिभागियों को ब्याज दरों के संबंध में दो-तरफा विचार करने हेतु उचित साधन मिल सकें और इसके माध्यम से वे बेहतर कीमत निर्धारण कर सकें। जुलाई 2018 में प्रतिभागियों के आधार को उदार बनाया गया तथा सरकारी प्रतिभूति एवं रिपो बाजार को और भी विकसित करने एवं उसे सघन बनाने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों में मंदड़िया बिक्री हेतु संस्था-वार एवं प्रतिभूति श्रेणी-वार सीमा में ढील दी गई।

V.6 विभिन्न प्रकार के संपार्श्विकों में विनियमों को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों एवं कॉर्पोरेट ऋण में रिपो के लिए जुलाई 2018 में विस्तृत निदेश जारी किए गए, ताकि व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, विशेषकर कॉर्पोरेट ऋण रिपो को प्रोत्साहित किया जा सके।

V.7 भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंकों को मांग मुद्रा बाजार (कॉल मनी मार्केट) में उधारकर्ता और उधारदाता दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई, जिससे मांग मुद्रा बाजार (कॉल मनी मार्केट) में भागीदारी का आधार विस्तृत होगा और इन संस्थाओं को चलनिधि प्रबंधन हेतु एक नया आयाम प्राप्त होगा।

V.8 अनिवासियों को हेजिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए ऑन-शोर ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) रुपया ब्याज-दर डेरिवेटिव बाजार तक पहुंच स्थापित करने की अनुमति दी गई है, ताकि भागीदारी के आधार को व्यापक बनाते हुए एक गहरा और तरल ब्याज-दर डेरिवेटिव बाजार विकसित किया जा सके। अनिवासी व्यक्ति हेजिंग के लिए किसी भी उत्पाद में व्यापार कर सकते हैं और हेजिंग के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अपनी निर्धारित विनियामक सीमा के अधीन रहते हुए ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) बाजार में लेनदेन कर सकते हैं।

V.9 विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए निर्धारित कॉर्पोरेट बॉण्ड पोर्टफोलियो एक्सपोजर की प्रति-कॉर्पोरेट 20 प्रतिशत की सीमा को फरवरी 2019 से समाप्त कर दिया गया है ताकि एफपीआई निवेशकों को उनके ऋण निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके। एफपीआई द्वारा निवेश के लिए बेहतर पूर्वानुमान केन्द्रित व्यवस्था लाने के उद्देश्य से, एफपीआई सीमा को अब मध्यावधि फ्रेमवर्क

(एमटीएफ) के तहत छमाही आधार पर संशोधित किया जा रहा है, जैसा कि पहले आर्थिक समीक्षा संबंधी अध्याय के खंड-II.4 में बताया गया था। तदनुसार, मार्च 2019 में एफपीआई के लिए निवेश सीमा को संशोधित किया गया है।

V.10 विदेशी संविभाग निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक आधार पर ऋण-निवेश को संचालित करने के लिए लिखतों के विकल्प एवं विनियामकीय सीमाओं में छूट इन दोनों के माध्यम से प्रचालनगत लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) नामक एक अलग चैनल का प्रारम्भ किया गया है। (बॉक्स V.1)।

V.11 निवासियों और अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए हेज सुविधाओं पर निदेशों का मसौदा फरवरी 2019 में आम जनता की प्रतिक्रिया के लिए जारी किया गया था। इन मसौदा निदेशों में निवासियों और अनिवासियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक समान एकीकृत सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें उन्हें किसी भी उपलब्ध साधन का उपयोग कर के अपने जोखिम को हेज करने की अनुमति शामिल है। उपयोगकर्ता अपने प्रत्याशित जोखिम को भी हेज कर सकते हैं। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारियों के लिए विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

V.12 अनिवासियों को अपनी हेजिंग आवश्यकताओं के लिए घरेलू बाजारों में आने हेतु प्रोत्साहित करने और ऑनशोर हेजिंग गतिविधियों हेतु बाजार की तरलता में सुधार लाने के उद्देश्य से फरवरी 2019 में ऑफशोर रुपया बाजार के अध्ययन हेतु एक कार्यदल का गठन किया गया था। यह कार्यदल ऑफशोर रुपया बाजार के विकास हेतु आवश्यक कारणों का पता लगाएगा और घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिए नीतिगत उपायों, यदि कोई हों, की सिफारिश करेगा।

V.13 बाजार के दुरुपयोग संबंधी विनियमों को मार्च 2019 में जारी किया गया था, जो उच्च कोटि के नैतिक मानकों के आधार पर निष्पक्ष, खुले और पारदर्शी बाजार के संस्थापन के प्रयोजन से जारी किए गए हैं, और जो इस दिशा में प्रचलित सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप हैं। बाजार में हेरफेर, बेंचमार्क में हेरफेर, सूचना का दुरुपयोग या इनके समान ऐसे कई अन्य तौर-तरीके इन विनियमों के दायरे में शामिल होंगे।

बॉक्स V.1

ऋण-निवेश में विदेशी संविभाग निवेश हेतु स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक दीर्घावधि स्थिर विदेशी संविभाग निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है। इस दिशा में, दीर्घावधि दूरदर्शिता के तहत एफपीआई के लिए सामान्य निवेश सीमा से हटा कर अलग निवेश सीमाएं बनाई गई हैं। रिज़र्व बैंक ने 1 मार्च 2019 को ऋण निवेशों में एक स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) शुरू किया है, जिसके तहत विदेशी संविभाग निवेशक (एफपीआई) स्वेच्छा से एक निश्चित प्रतिधारण अवधि (तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि या रिज़र्व बैंक द्वारा तय की गई कोई अवधि) के लिए प्रतिबद्ध पोर्टफोलियो आकार (सीपीएस) में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। इस प्रकार के निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में (राज्य विकास ऋण सहित) और ट्रेजरी बिल (वीआरआर-सरकार) अथवा फेमा के तहत अनुमत कॉर्पोरेट बॉण्ड लिखतों में (वीआरआर-कॉर्प) अथवा वीआरआर-सरकार और वीआरआर-कॉर्पोरेट दोनों (वीआरआर-सम्मिलित) के तहत पात्र सभी लिखतों में निवेश कर सकते हैं।

प्रतिभागी एफपीआई को इसके तहत कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे वे अपने नकदी प्रबंधन के लिए रिपो / रिवर्स रिपो लेनदेन का संचालन कर सकते हैं तथा मुद्रा / ब्याज-दर संबंधी जोखिम को हेज करने के लिए वे मुद्रा / ब्याज दर डेरिवेटिव का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें सीपीएस के 75-100 प्रतिशत के बीच अपने निवेश को संशोधित करने की भी छूट दी गई है। इसके अलावा, वीआरआर के माध्यम से किए गए निवेश कुछ सूक्ष्म-विवेकपूर्ण उपायों, यथा: न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की आवश्यकता, निवेशों की संकेन्द्रण सीमा तथा एकल / समूह निवेशक-वार सीमा, से भी मुक्त हैं। प्रतिधारण अवधि की समाप्ति पर कोई एफपीआई

निवेशक : (ए) अपने पोर्टफोलियो का परिसमापन करते हुए बाहर निकल सकता है; अथवा (बी) वीआरआर के तहत समरूप प्रतिधारण अवधि के लिए अपना निवेश जारी रख सकता है; अथवा (सी) अपना निवेश सामान्य निवेश सीमा की श्रेणी में उपलब्ध सीमाओं के अनुरूप अंतरित कर सकता है; अथवा (डी) अपने निवेश को उसकी परिपक्वता या बिक्री की तारीख, जो भी पहले हो, तब तक उसे धारित कर सकता है। एफपीआई अपने निवेश को उसकी निश्चित प्रतिधारण अवधि पूरी होने से पूर्व भी उसे पूरी तरह अथवा आंशिक रूप में किसी अन्य एफपीआई निवेशक/ निवेशकों को समान नियम और शर्तों का पालन करने की शर्त पर बेच कर स्वयं बाहर निकल सकता है। कोई एफपीआई अपने निवेश से प्राप्त आय का अपने विवेक से उचित मार्ग चुन कर निवेश कर सकता है और ऐसे निवेश को सीपीएस की निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में भी अनुमति दी जाएगी।

11 मार्च 2019 से 30 अप्रैल 2019 के बीच निवेश सीमा की पहली शृंखला (वीआरआर-सरकार के लिए ₹400 बिलियन और वीआरआर-कॉर्प के लिए ₹350 बिलियन) को "ऑन टैप" आधार पर आबंटन के लिए उपलब्ध कराया गया था। उपर्युक्त शृंखला में वीआरआर-कॉर्प के तहत एफपीआई को ₹203.93 बिलियन की राशि आबंटित की गई। दिनांक 27 मई 2019 को निवेश सीमाओं की दूसरी शृंखला (वीआरआर-सम्मिलित के लिए ₹546.06 बिलियन) खोली गई है और यह 31 दिसंबर 2019 तक अथवा निर्धारित आबंटन सीमा समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, तब तक खुली रहेगी।

V.14 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार लिखतों संबंधी ईटीपी के अनुमोदन हेतु फ्रेमवर्क बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) संबंधी दिशा-निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार करना, लेन-देन के समय और लागत को कम करना, कुशल लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करना, जोखिम नियंत्रण प्रणाली में सुधार और बाजार की निगरानी को कारगर बनाना है। इसमें व्यापक पात्रता मानदंड, प्रौद्योगिकीय आवश्यकताएं और रिपोर्टिंग मानक भी शामिल हैं। इस नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी नए ईटीपी सहित मौजूदा ईटीपी को रिज़र्व बैंक से अधिप्रमाणित कराना आवश्यक है।

V.15 रुपया ब्याज-दर डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव एवं क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए ओवर द काउंटर (ओटीसी) बाजारों में गैर-व्यक्ति प्रतिभागियों के लिए जून 2017 में विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) प्रणाली लागू की गई थी। नवंबर 2018 से उक्त विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) प्रणाली

को अनिवासी संस्थाओं सहित गैर-व्यक्ति प्रतिभागियों द्वारा मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार एवं विदेशी मुद्रा बाजार, जिनका विनियमन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है, में किए जाने वाले लेनदेनों पर भी लागू किया गया है। इस प्रणाली के सुचारु क्रियान्वयन हेतु एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें ₹2000 मिलियन से अधिक की निवल मालियत (नेटवर्थ) वाली संस्थाओं को 31 दिसंबर 2019 से पूर्व एलईआई प्राप्त करना होगा, इससे कम निवल मालियत वाली संस्थाओं को 31 मार्च 2020 तक समयावधि प्रदान की गई है।

V.16 रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में बेंचमार्क प्रक्रियाओं के संचालन को कारगर बनाने के उद्देश्य से बैंक ने फरवरी 2019 में वित्तीय बेंचमार्क प्रशासकों पर मसौदा निदेश जारी किए थे, जिन्हें आम जनता की टिप्पणियों हेतु सार्वजनिक किया गया था। उक्त मसौदा निर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2014 में गठित वित्तीय बेंचमार्क समिति (अध्यक्ष: श्री पी. विजय भास्कर) की रिपोर्ट पर आधारित थे

और इन निदेशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं; जैसे - प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) द्वारा निर्धारित वित्तीय बेंचमार्क सिद्धांतों सहित अन्य क्षेत्रों में प्रचलित विधियों / विनियमावलियों से भी प्रेरणा ली गई है।

वर्ष 2019-20 हेतु कार्ययोजना

V.17 अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (आईसीएसडी) द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाधान (सेटलमेंट) को कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि आईसीएसडी के अनिवासी ग्राहक केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का ऑफशोर लेनदेन करने में सक्षम हो सकें। अनिवासियों को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए इससे एक नया आयाम खुलेगा।

V.18 विभिन्न बाजारों के प्रचालन समय की व्यापक समीक्षा करने और आवश्यक भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा बाजार के समय में संशोधन हेतु सुझाव देने के लिए अगस्त 2018 में एक आंतरिक समूह का गठन किया गया था। इस समूह की सिफारिशों के आधार पर, बाजार में विभिन्न उत्पादों के बीच कारोबारी समय में संशोधन एवं बाजारों के निधियन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार के टकराव से बचा जा सके।

V.19 यह विभाग मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और विशेष रूप से ब्याज-दर तथा मुद्रा-डेरिवेटिव बाजारों को विकसित करने और उन्हें अधिक व्यापक बनाने के अपने प्रयास को जारी रखेगा, ताकि बैंकों व बाजार के अन्य प्रतिभागियों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। बाजार में प्रतिभागियों की संख्या बढ़ाने, नए उत्पादों को शामिल करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वित्तीय बाजारों की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और बाजार के दुरुपयोग को खत्म करना भी इस विभाग की प्राथमिकता होगी।

V.20 विभाग ने अपनी निगरानी क्षमताओं के परिवर्धन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित समन्वित बाजार निगरानी प्रणाली (आईएमएसएस) विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों की निगरानी करना, रुझानों का विश्लेषण करना तथा अनुपालन का नियंत्रण करना इस प्रस्तावित प्रणाली के व्यापक लक्ष्य हैं।

3. वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.21 वित्तीय बाजार परिचालन विभाग को मुख्यतः दो दायित्व सौंपे गए हैं; जिनमें प्रथम है - वित्तीय प्रणाली में चलनिधि का उपयुक्त स्तर बनाए रखने के लिए चलनिधि प्रबंधन को संचालित करना; और दूसरा- स्पोर्ट, वायदा और फ्यूचर्स क्षेत्र में परिचालनों के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में स्वच्छ माहौल सुनिश्चित करना।

वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना- कार्यान्वयन की स्थिति

मुद्रा बाजार और चलनिधि प्रबंधन

V.22 वर्ष के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष से निकल कर घाटे में बदल गई, क्योंकि विमुद्रीकरण के कारण आई अधिकता का प्रभाव कम हो गया। बड़े पैमाने पर पूंजी के बहिर्वाह के कारण जिससे संचलनगत मुद्रा के ऊर्ध्व-प्रवृत्ति विस्तार के साथ चलनिधि की स्थिति पर दबाव बढ़ा, विशेष रूप से वर्ष की पहली छमाही के दौरान। रिजर्व बैंक ने अल्पकालिक चलनिधि असंतुलन का प्रबंध करने के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) का संचालन किया। इसके परिणामस्वरूप, मांग मुद्रा बाजार में भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति के परिचालनगत लक्ष्य के, मोटे तौर पर नीतिगत रिपो दर के दायरे में रही।

V.23 चलनिधि के टिकाऊ प्रबंधन के संबंध में, रिजर्व बैंक ने स्थायी चलनिधि परिचालन की गति को ठीक कर के उसे बाजार की स्थितियों के साथ अनुकूल बनाया। प्रणाली की चलनिधि जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के दौरान खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) की बारंबारता और मात्रा में वृद्धि की गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, रिजर्व बैंक ने ₹3.0 ट्रिलियन तक की ओएमओ खरीद संबंधी नीलामियां की, जिसमें से सिर्फ दूसरी छमाही (एच 2) में ही ₹2.5 ट्रिलियन मूल्य की ओएमओ खरीद की गई।

V.24 रिजर्व बैंक ने टिकाऊ चलनिधि प्रबंधन के एक साधन के रूप में विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी को जोड़कर अपने चलनिधि प्रबंधन के साधनों को बढ़ाने का फैसला किया (बॉक्स V.2)। दिनांक 26 मार्च 2019 को इस प्रकार के प्रथम खरीद / बिक्री स्वैप की नीलामी की गई और रिजर्व बैंक ने तीन वर्षों की अवधि हेतु सिस्टम में ₹345.6 बिलियन का अंतर्वेशन किया। इस

बॉक्स V.2

यूएसडी / आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप:

भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन साधनों में एक नया उपाय

विदेशी मुद्रा स्वैप (एफएक्स स्वैप) में किन्हीं दो पक्षों के बीच किसी एक मुद्रा का किसी दूसरी मुद्रा में, दोनों पक्षों द्वारा सहमत तारीख, कीमत और अवधि के लिए किए जाने योग्य विनिमय शामिल है, जिसमें इन दोनों मुद्राओं की परिपक्वता तिथि पर पुनर्विनिमय किया जाता है। विदेशी मुद्रा स्वैप को वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे लोकप्रिय ओवर-द-काउंटर विदेशी मुद्रा लिखत माना जाता है। इन विदेशी मुद्रा स्वैप्स में किसी एक मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा लगभग 91 प्रतिशत रहा।¹

विनिमय दर जोखिम का उन्मूलन विदेशी मुद्रा स्वैप के लोकप्रिय होने का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि करार के समय प्रारंभिक तथा अंतिम (टर्मिनल) विनिमय दरों पर सहमति हो जाती है। विदेशी मुद्रा स्वैप आम तौर पर बैंकों / वित्तीय संस्थानों और उनके ग्राहकों (बहुराष्ट्रीय कंपनियों), संस्थागत निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो अपनी विदेशी मुद्रा पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, और / अथवा विदेशी मुद्रा की अटकलबाजी में शामिल होते हैं।


केंद्रीय बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा स्वैप का प्रयोग

उन्नत और उभरती हुई दोनों अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने अलग-अलग परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग किया है। स्विस् नेशनल बैंक ने अपने आरक्षित निधि प्रबंधन के लिए इसे मुख्य साधन के रूप में इस्तेमाल किया है, जिसका मुख्य कारण अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों की कमी है। मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) भी उधार लेने / उधार देने तथा सिंगापुर गवर्नमेंट सिक्क्योरिटीज (एसजीएस) और एमएएस बिलों पर रिपो लगाने के अतिरिक्त अपने चलनिधि प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है। सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन ने रूस के क्रेडिट संस्थानों को डॉलर में चलनिधि सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2014 में यूएसडी/ आरयूबी की खरीद/ बिक्री हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप की शुरुआत की थी। सऊदी अरब ने क्षेत्रीय संकट के दौरान आपातकालीन चलनिधि प्रदान करने हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका भी समय-समय पर बैंकों के साथ विशेष मुद्रा स्वैप संचालित करता है। बहरीन ने भी विशेष परिस्थितियों में चलनिधि बनाए रखने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का उपयोग किया है। ऐसे अन्य

देश जिन्होंने चलनिधि प्रबंधन हेतु विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग किया है, उनमें नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं।

रिजर्व बैंक ने 26 मार्च 2019 और 23 अप्रैल 2019 को प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-1 बैंकों² के साथ यूएसडी/ आईएनआर की खरीद / बिक्री के दो स्वैप आयोजित किए, जिनमें से प्रत्येक की अधिसूचित राशि 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और उन्हें 3 वर्षों की अवधि हेतु जारी किया गया था। दो नीलामियों में प्राप्त बोलियाँ, क्रमशः यूएसडी 16.3 बिलियन और यूएसडी 18.7 बिलियन थी, जो उक्त स्वैप की अधिसूचित राशि, अर्थात्- यूएसडी 5 बिलियन से तीन गुना से भी अधिक है। रिजर्व बैंक ने क्रमशः ₹7.76 और ₹8.38 बिलियन के कट-ऑफ प्रीमियम के साथ प्रत्येक नीलामी में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बोलियों को स्वीकार किया और बैंकिंग प्रणाली में क्रमशः ₹345.6 बिलियन और ₹348.7 बिलियन का अंतर्वेशन किया। स्वैप नीलामी के माध्यम से अमेरिकी डॉलर के रूप में जुटाई गई राशि उक्त स्वैप के कार्यकाल की अवधि तक रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार संबंधी आंकड़ों में दिखाई गई है, इसके साथ-साथ वह रिजर्व बैंक की वायदा देनदारियों में भी परिलक्षित होती है।

स्वैप की घोषणा के बाद आईएनआर माईफोर³ वक्र 3 वर्षीय बकेट में अलग अलग अवधियों के बीच अधिकतम नरमी के साथ निचले स्तर पर बना रहा (चार्ट 1: पैनल-ए)। पहली नीलामी के समय दीर्घकालिक




(जारी...)

¹ “निवल-निवल आधार पर” अप्रैल-2016 में विदेशी मुद्रा स्वैप का दैनिक औसत टर्नओवर 2.4 ट्रिलियन यूएसडी रहा।

² प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 ऐसे बैंक हैं, जिन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(1) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सभी चालू तथा पूंजी-खाते से संबंधित लेनदेन संचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

³ मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित वायदा दर (माईफोर) एक अंतर-बैंक बेंचमार्क है, जिसमें 02 घटक, नामतः: डॉलर में उधार लेने की दर एवं संबंधित अवधि हेतु अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)/भारतीय रुपया (आईएनआर) वायदा प्रीमियम, शामिल हैं।

गैर-वितरण योग्य वायदा (एनडीएफ) दरों तथा दो नीलामी तिथियों के आसपास कैश-टॉम दरों में कुछ अस्थिरता देखी गई थी (चार्ट 1: पैनल बी)।



संदर्भ:

1. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2016), त्रिवाषिक सर्वेक्षण, अप्रैल 2016, https://www.bis.org/statistics/d11_1.pdf पर उपलब्ध
2. सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन – फोरेक्स स्वैप www.cbr.ru/eng/hd_base/swapinfo/swapinfosellusdvol/.
3. होयमैन, सी. (1994), 'द यूज ऑफ फ़ोरेन एक्सचेंज स्वैप्स बाई सेंट्रल बैंक्स', स्टाफ पेपर्स (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष), 41 (1), पीपी. 149-162.
4. मोनेटरी ऑथोरिटी ऑफ सिंगापुर – मोनेटरी पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक्स <http://www.mas.gov.sg/Monetary-Policy-and-Economics/Central-Bank-Operations-and-Liquidity-Management.aspx>.
5. स्विस् नेशनल बैंक - फाइनेंशियल मार्केट www.snb.ch/en/ifor/finmkt/operat/id/qas_swaps_1#.

नीलामी का मुद्रा बाजार की दरों पर मंद प्रभाव पड़ा और बैंकिंग प्रणाली को वर्ष के अंत में जो निधियों की आवश्यकता थी, उसके लिए यह पूरक साबित हुआ।

विदेशी मुद्रा बाजार

V.25 वर्ष के दौरान, मुख्य रूप से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा भू-राजनीतिक मामलों के कारण अक्टूबर माह के मध्य तक रुपये में सामान्य गिरावट का रुख देखा गया। तथापि, तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद आगे चल कर रुपये की स्थिति में सुधार हुआ और शेष वर्ष के दौरान रुपए में बढ़ोत्तरी का रुख रहा। रिजर्व बैंक ने ऑनशोर / ऑफशोर ओवर द काउंटर (ओटीसी) और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) खंडों में परिचालन के माध्यम से विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करते हुए अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए कदम उठाए।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना

V.26 मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप प्रभावी ढंग से चलनिधि प्रबंधन का कार्य करना इस विभाग का प्रमुख लक्ष्य है। विभाग नयी उभरती हुई चलनिधि स्थितियों की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा और नीतिगत रिपो दर के साथ भारित औसत माँग दर (डबल्यूएसीआर) के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए वह अपने परिचालनों को संशोधित करेगा। इसके अलावा, विनिमय दरों में अनुचित अस्थिरता को रोकने के लिए विभाग

द्वारा विदेशी मुद्रा परिचालनों का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि विभाग वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान कार्य जारी रखेगा।

V.27 घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में 'एफ एक्स ग्लोबल कोड' के सिद्धांतों को अपनाए जाने के प्रति रिजर्व बैंक की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भारत के लिए 'पब्लिक रजिस्टर' की शुरुआत करने हेतु विभाग द्वारा भारतीय विदेशी-मुद्रा समिति (आईएफएक्ससी) के साथ समन्वय का कार्य किया जाएगा। यह 'पब्लिक रजिस्टर' सूचना भंडार की तरह कार्य करेगा, जिससे बाजार के प्रतिभागियों को अपने 'एफ एक्स ग्लोबल कोड' के प्रतिबद्धता-विवरणों के प्रकाशन की सुविधा मिलेगी और यह सभी इच्छुक पार्टियों को बाजार के उन प्रतिभागियों की पहचान करने में भी मदद करेगा, जिन्होंने पहले ही ऐसा कर दिया है।

4. विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.28 विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने हेतु व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने वर्तमान व्यापार और आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) के परिचालनगत फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास जारी रखा है। विभाग द्वारा कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने और विनियामकीय लागत को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। विदेशी निवेश रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (फर्म्स) में सिंगल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) के

तहत विदेशी निवेशों की रिपोर्टिंग की शुरुआत इस दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति है। वर्ष के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) की व्यवस्था को भी अधिक तर्कसंगत बनाया गया है।

वर्ष 2018-19 की कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

V.29 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में, अपने मिशन के तहत एफईडी ने कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर कार्रवाई शुरू की थी। इन उद्देश्यों में मुख्यतः भारत में कारोबार हेतु सुलभ परिवेश उपलब्ध कराने के अलावा बहिर्गामी विप्रेषणों को सुविधा प्रदान करते हुए विदेशी निवेशों के अंतर्वाह संबंधी सूचना प्रबंधन को कारगर बनाना तथा सीमा-पार से उधार लेने एवं उधार देने संबंधी विनियमों को तर्कसंगत बनाना शामिल है।

सीमा-पार से उधार लेने एवं उधार देने संबंधी व्यवस्था को सरल बनाना

V.30 निवासियों और अनिवासियों के बीच उधार लेने और उधार देने से संबंधित विनियमों को सरल बनाने और उन्हें समेकित करने के उद्देश्य से दिनांक 17 दिसंबर 2018 को एक नया सॉफ्ट-कोड निर्देश लागू किया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: (ए) फेमा 3, 4 और फेमा-120 के एक हिस्से (विनियमन 21) के तहत विनियमों को समेकित करते हुए सभी कर्ज लिखतों को एक ही अधिसूचना के अंतर्गत लाना; (बी) लेन-देन संबंधी तीन अनुसूचियों की रूपरेखा बनाना, जिसमें: ईसीबी; व्यापार ऋण;

और बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं; और (सी) विनियमों को सिद्धांत-आधारित बनाना, जिससे निरंतर संशोधनों की आवश्यकता समाप्त हो।

V.31 ईसीबी से शुरू किया जाए, तो बकाया स्टॉक के लिए, भारत सरकार के परामर्श से, एक नियम-आधारित गतिशील सीमा को अपनाया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत (वर्ष 2018-19 के लिए 160 बिलियन यूएसडी) है। कारोबारी परिवेश को सुगम बनाने के लिए ईसीबी तथा रुपये में मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड (आरडीबी) के फ्रेमवर्क को तर्कसंगत बनाया गया है (बॉक्स V.3)। इसके अलावा, रिपोर्टिंग के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ईसीबी की रिपोर्टिंग को अधिक सरल बनाया गया है। सही समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए देरी से की जाने वाली रिपोर्टिंग पर दंड स्वरूप विलंब-शुल्क लगाने की भी शुरुआत की गयी है।

विदेशी निवेश सूचना प्रबंधन

V.32 विदेशी निवेश की विभिन्न सीमाओं की निगरानी के लिए 2 जून 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सेबी के साथ परामर्श करते हुए, एक नयी निगरानी प्रणाली शुरू की है, ताकि सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को विदेशी निवेश संबंधी विभिन्न सीमाओं का पालन करने में सक्षम बनाया जा सके। इस निगरानी प्रणाली का परिचालन करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रणालियों को सेबी द्वारा तैयार किया गया है। तदनुसार, निक्षेपागारों (एनएसडीएल और सीडीएसएल) ने सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में एनआरआई

बॉक्स V.3

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति संबंधी नया फ्रेमवर्क

16 जनवरी 2019 को घोषित नए ईसीबी फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- **लिखत निरपेक्ष उधार व्यवस्था:** उधार की दो तरफा रूपरेखा बनाई गई, यथा: एक विदेशी मुद्रा में उधार व्यवस्था और दूसरी भारतीय रूप में उधार (आईएनआर-ईसीबी) व्यवस्था (आईएनआर ईसीबी ट्रेक तथा आरडीबी)।
- **भारतीय रूपयों (आईएनआर) में मूल्यवर्गीकृत ईसीबी का उदारीकरण:** ईसीबी की देयता-इक्विटी संबंधी अनुपात की अप्रयोज्यता: विदेशों में जारी किए गए रूपय में मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड (आरडीबी) पर टैक्स को रोके रखने को कम करना।
- **पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं का विस्तार:** सभी भागधारकों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईसीबी जुटाने संबंधी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को हटा दिया गया है। एफडीआई जुटाने के लिए पात्र सभी संस्थाओं को अब ईसीबी जुटाने की भी अनुमति दी गई है।

- **विदेशी ऋणदाताओं का विस्तार:** वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) अथवा प्रतिभूति आयोगों के अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) के अनुपालक देशों की सभी संस्थाओं को शामिल करना; धन-शोधन निवारण तथा आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने (एएमएल / सीएफटी) संबंधी ढांचे को मजबूत बनाना।
- **सभी ईसीबी के लिए सामान्य न्यूनतम औसत परिपक्वता:** पूर्ववर्ती ईसीबी व्यवस्था में प्रचलित विभिन्न स्लैबों को मिलाकर सभी ईसीबी के लिए न्यूनतम तीन वर्षों का एक एकल स्लैब निर्धारित किया गया।
- **तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए ईसीबी:** कार्यशील पूंजी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कॉर्पोरेट दीवलियापन समाधान प्रक्रिया के तहत समाधान आवेदकों के लिए।

/ एफपीआई द्वारा निवेश की समग्र सीमा अथवा क्षेत्र-विशेष के लिए निर्धारित सीमाओं (सेक्टरल कैप) के भीतर उपलब्ध निवेश संभावनाओं पर सूचना के प्रसार के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर और आईटी प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली किसी कंपनी के लिए निर्धारित की गई कुल एनआरआई / एफपीआई निवेश-सीमा अथवा सेक्टरल कैप का उल्लंघन होने पर एफपीआई/ एनआरआई द्वारा आगे की खरीद को प्रतिबंधित कर देगी। अतिरिक्त होल्डिंग के मामले में एनआरआई / एफपीआई द्वारा अनिवार्य विनिवेश के प्रावधान को भी लागू किया गया है।

V.33 दिनांक 01 सितंबर 2018 से एक नई ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली - विदेशी निवेश रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली (फर्म्स) लागू की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की नौ विवरणियाँ (अर्थात्, एफसी-जीपीआर, एफसी-टीआरएस, एसोप, डीआई, डीआरआर, एलएलपी-I, एलएलपी-II, सीएन तथा इनवी) सिंगल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) के माध्यम से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है।

V.34 इसके अलावा, 1 सितंबर 2018 से पूंजीगत लिखतों के निर्गम के लिए एफडीआई रिपोर्टिंग को एक स्तरीय रिपोर्टिंग (पहले की द्विस्तरीय रिपोर्टिंग के स्थान पर) के तहत सिंगल मास्टर फॉर्म (एसएमएफ) में बदल दिया गया है। इस एप्लिकेशन में एक इनबिल्ट डेटाबेस है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है और इससे एंटीटी मास्टर के रूप में एक अनूठी अवधारणा को शामिल करने में मदद मिली है, जिससे किसी भी समय किसी संस्था में किए जाने वाले कुल विदेशी निवेश के लिए लागू क्षेत्रीय सीमाओं के संदर्भ में की जाने वाली निगरानी में भी मदद मिलती है।

वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) द्वारा विदेश में निवेश

V.35 सेबी की सिफारिशों पर, वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) / जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) द्वारा विदेश में निवेश की समग्र सीमा को दिनांक 2 जून 2018 से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ा कर 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर किया गया है। सेबी ने वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) के समग्र बकाया अनुमोदनों की निगरानी हेतु एक उपयुक्त रिपोर्टिंग एवं निपटान प्रणाली लागू की है, जिसके साथ सेबी ने उन्हें रिपोर्टिंग दिशा-निर्देशों के संबंध में भी अनुदेश जारी किए हैं। विदेश में किए जाने वाले ऐसे निवेशों से संबंधित निर्धारित सीमाओं की निगरानी हेतु रिजर्व बैंक और सेबी के बीच एक नियमित सूचना साझेदारी तंत्र भी स्थापित किया गया है।

विदेशी मुद्रा विनिमय के उदारीकरण संबंधी अन्य उपाय

V.36 उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेश में शिक्षा के प्रयोजनार्थ गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा (भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों के माध्यम से) किए जाने वाले छोटे मूल्य के लेनदेन (प्रति लेनदेन 5000 अमेरिकी डॉलर से अनधिक) संबंधी जावक विप्रेषणों की सीमा को अब प्रति लेनदेन 10000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया गया है, जो 2,50,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष की समग्र सीमा के भीतर होगा।

V.37 केरल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष- केरल में एक्सचेंज हाउस के माध्यम से निधियाँ प्राप्त करने के लिए अनुमति दे दी गई है; बशर्ते कि इस तरह के विप्रेषण उन बैंकों द्वारा किए जाए, जो धन-प्रेषकों के पूरे ब्योरे रखते हों और उन्हें सीधे उस निधि में क्रेडिट किया जाए।

V.38 ₹1000 और ₹500 के मौजूदा करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के पश्चात, नेपाल अथवा भूटान में ले जाने के लिए अनुमत मुद्राओं की स्थिति की समीक्षा की गई। अब, भारत से नेपाल या भूटान की यात्रा करने वाले व्यक्ति को रिजर्व बैंक द्वारा जारी महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के करेंसी नोटों में से ₹200 और / अथवा ₹500 मूल्यवर्ग के नोट ले जाने की अनुमति है, जोकि कुल ₹25,000 की समग्र सीमा के अधीन है। ₹100 तक के मूल्यवर्ग में किसी भी राशि तक भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोट ले जाने संबंधी निर्देश पूर्ववत बने रहेंगे।

V.39 दिनांक 28 मार्च 2019 से उन संस्थाओं को भारत में अपने शाखा कार्यालय (बीओ) / संपर्क कार्यालय (एलओ) परियोजना कार्यालय (पीओ) अथवा किसी अन्य कारोबारी स्थल की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है, जिन आवेदकों का प्रमुख कारोबार रक्षा, दूर-संचार, निजी-सुरक्षा तथा सूचना और प्रसारण के क्षेत्र से जुड़ा है; और जिन्हें इस प्रकार के कार्यालयों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन दिया गया है अथवा संबंधित मंत्रालय / विनियामक संस्था द्वारा उन्हें ऐसे कार्यालय खोलने के लिए पूर्व में ही लाइसेन्स / अनुमति दी गई है।

V.40 रक्षा क्षेत्र से संबंधित परियोजना कार्यालय खोलने संबंधी प्रस्तावों के मामले में, यदि उस आवेदक को रक्षा मंत्रालय अथवा सर्विस हैडक्वार्टर्स अथवा रक्षा क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों द्वारा पूर्व में ही कोई संविदा दी गयी हो / अथवा इस संबंध में कोई करार किया गया हो, तो ऐसे मामलों को भारत सरकार को संदर्भित करने अथवा उससे अलग से कोई अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

V.41 सेबी में पंजीकृत विदेशी संविभाग निवेशकों / विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों (एफपीआई/एफवीसीआई) को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 के अनुसरण में निवेश के प्रयोजन से ब्याज-रहित विदेशी मुद्रा खाता खोलने और रखने की अनुमति दी गई है।

V.42 बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के ऐसे नागरिक, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) दिया गया है, वे भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक में अपना अनिवासी साधारण खाता (एनआरओ) खोल सकते हैं, यह सुविधा कुछ शर्तों के साथ उन व्यक्तियों को भी होगी जिन्होंने दीर्घावधि वीजा (एलटीवी) के लिए आवेदन किया है और उनका आवेदन केंद्र सरकार के विचाराधीन है।

V.43 भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा खोले गए विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाते, जिनमें सेबी में पंजीकृत निवेशकों द्वारा भारत में निवेश के प्रयोजन से खोले गए खाते भी शामिल हैं, को दिनांक 28 मार्च 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से सात वर्षों की निर्धारित अवधि के बाद भी परिचालन में रखा जा सकता है।

V.44 दिनांक 28 मार्च 2019 से निवासियों और अनिवासियों द्वारा पूंजीगत लिखतों/ परिवर्तनीय नोटों के अधिग्रहण / अंतरण हेतु एस्क़्रो खाते खोले जा सकते हैं तथा उन्हें गारंटी(यों) के द्वारा भी वित्तपोषित किया जा सकता है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना

V.45 वर्ष 2019-20 के लिए विभाग की रणनीति उभरती हुई परिस्थितियों के साथ फेमा के परिचालनात्मक फ्रेमवर्क को निरंतर समकालीन बनाने पर जोर देते हुए इन सभी प्रयासों को समेकित करने और उन्हें आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें मुख्यतः मुद्रा परिवर्तन संबंधी क्रियाकलापों एवं व्यापारिक गतिविधियों को तर्कसंगत बनाना, विनियमित संस्थाओं की व्यापक समीक्षा एवं उनकी रिपोर्टिंग संबंधी जरूरतों का सरलीकरण तथा लेनदेन संबंधी लागत को कम करने हेतु

प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) की भूमिका का विस्तार करना आदि बातें शामिल हैं। इस रणनीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्रवाई बिंदु नीचे दिए गए हैं :-

- सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रवेश मानदंडों की समीक्षा करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना, जिसमें एफएफएमसी/ अपग्रेड किए गए एफएफएमसी (एडी श्रेणी-II) की लाइसेंसिंग, नवीकरण, निरीक्षण, रिपोर्टिंग और निरसन हेतु एक ऑनलाइन पैकेज विकसित करना शामिल है।
- केवल वास्तविक लेनदेनों को ही अनुमत किए जाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए गारंटियों के निर्गम संबंधी मामलों से निपटने के लिए फेमा का समेकन करना एवं उसे तर्कसंगत बनाना तथा एक सुसंगत और एकीकृत जावक प्रत्यक्ष निवेश नीति बनाना।
- बाह्य वाणिज्यिक उधार और व्यापार ऋणों की रिपोर्टिंग तथा अनुमोदन हेतु सॉफ्टवेयर प्लैटफॉर्म (स्पेक्ट्रा) को कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें किसी आवेदन के प्राप्त होने से लेकर उस पर लिए गए अंतिम निर्णय के सम्प्रेषण तक उस मामले में हुई किसी भी प्रगति संबंधी विवरण शामिल होगा तथा उसमें लेनदेनों की रिपोर्टिंग की जा सकेगी।
- व्यापारिक कारोबार लेनदेन (एमटीटी) से संबंधित दिशा-निर्देशों को तर्कसंगत बनाना और निर्यात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस)/ आयात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) में एमटीटी की रिपोर्ट करने का प्रावधान करना और आयात खंड में सारख-पत्र (एलसी) जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना।
- विभिन्न हितधारकों (सरकार सहित) की विविध जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी।
- आईटी पैकेजों में संशोधनों के माध्यम से एक मानकीकृत फ्रेमवर्क के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए लेनदेन की लागत को कम करने और प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के स्तर पर उनके क्षमता निर्माण के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।
- फेमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार करना एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना और इसके लिए निरंतर डिजिटल सामग्री तैयार करते रहना।

बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं की पृष्ठभूमि में बैंक-ऋण की सुपुर्दगी के लिए उधार-व्यवस्था पर दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि बड़े उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन बढ़ाया जा सके। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के प्रयासों को आगे ले जाने के उद्देश्य से तथा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय के प्रकाश में, जिसमें उन्होंने तत्कालीन फ्रेमवर्क को निष्प्रभावी करार दिया था, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान लिए संशोधित विवेकसम्मत फ्रेमवर्क बनाया गया। वर्ष के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का निर्धारण चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के अनुसार किया जाना, चलनिधि मानकों और बसेल III के अंतर्गत पूंजी विनियमन का क्रियान्वयन करने संबंधी नये दिशा-निर्देश जारी करना, डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाना, डिजिटल लेन-देन संबंधी लोकपाल योजना (ओएसडीटी) और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की विभिन्न श्रेणियों के लिए बनाए गए विनियमों के बीच तालमेल स्थापित करना जैसे कार्य किए गए। सहकारी बैंकों के लिए विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए बनीं विनियामकीय और पर्यवेक्षी नीतियों के अनुकूल बनाया गया।

VI.1 इस अध्याय में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष के दौरान किए गए विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों तथा 2019-20 के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई है। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए उस समय विद्यमान फ्रेमवर्क को अक्षम पाए जाने संबंधी भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में संशोधित फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता में सुधार करने, बड़े उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन बढ़ाने, एसएलआर का एलसीआर अपेक्षाओं के साथ संरेखण करने के साथ-साथ बसेल III मानदंडों के अधीन चलनिधि मानकों और पूंजी विनियमन के नये दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन तथा डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा मानदंडों को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष के दौरान डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) का क्रियान्वयन किया गया।

VI.2 अन्य क्षेत्रों की बात करें तो, एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के लिए विनियमन को सुसंगत बनाने, एनबीएफसी द्वारा चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन, एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर का रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार मूल्यांकन करने, सरकार के स्वामित्व वाली सभी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी एनडी-एसआई) तथा सरकार के स्वामित्व वाली जमाराशियां स्वीकार करने वाली

एनबीएफसी को रिजर्व बैंक की ऑन-साइट निरीक्षण संरचना तथा ऑफ-साइट निगरानी के अंतर्गत लाने संबंध में नीतिगत ध्यान दिया गया।

VI.3 सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) का स्वेच्छा से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में बदलना, तथा कपटपूर्ण प्रस्तावों, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग जैसे विषयों पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रिजर्व बैंक के एसएमएस हैंडल 'आरबीआई कहता है' सहित) के माध्यम से पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाना हमारी प्राथमिकताएं रहीं।

VI.4 इस अध्याय के शेष भाग को चार भागों में बांटा गया है। भाग 2 में वित्तीय स्थिरता इकाई के अधिदेश और कार्यों पर चर्चा की गई है। भाग 3 में बैंकिंग विनियमन विभाग, सहकारी बैंक विनियमन विभाग तथा गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न विनियामकीय उपायों का वर्णन किया गया है। भाग 4 में वर्ष के दौरान बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग तथा गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा किए गए उपायों तथा प्रवर्तन विभाग द्वारा की गई प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों को शामिल किया गया है। भाग 5 में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, जागरूकता

फैलाने, और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए निभायी गयी भूमिका को रेखांकित किया गया है। इन विभागों ने उनसे संबंधित भागों में वर्ष 2019-20 के लिए अपनी कार्य-योजना भी निर्धारित की है।

2. वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.5 वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) का अधिदेश वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों की जांच द्वारा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता पर निगरानी रखना, प्रणालीगत दबाव-

परीक्षण करना, वित्तीय नेटवर्क के विश्लेषण के माध्यम से समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी करना (बॉक्स VI.1) तथा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के माध्यम से जानकारी और विश्लेषण का प्रसार करना है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी), जो देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और समष्टि विवेकपूर्ण की निगरानी के लिए एक समन्वयक परिषद है, की उपसमिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

बॉक्स VI.1

वित्तीय नेटवर्कों के माध्यम से जोखिम का प्रसार

परस्पर-संबद्ध वित्तीय संस्थाओं की दुनिया में जोखिमों के प्रसार को समझने के लिए नेटवर्क अध्ययनों का महत्व बढ़ रहा है।

इसमें विभिन्न कारकों की जटिल अंतःक्रिया शामिल है : क) नेटवर्क टोपोलॉजी; (ख) नोड से जुड़ी विशेषताएं जो नेटवर्क को पॉपुलेट करती हैं; और (ग) आघातों का स्वरूप।

क) नेटवर्क टोपोलॉजी

नेटवर्क टोपोलॉजी का संबंध नेटवर्क में वित्तीय संस्थाओं की व्यवस्था से है। नेटवर्क टोपोलॉजी निर्देशित या अनिर्देशित हो सकती है। किसी अनिर्देशित नेटवर्क टोपोलॉजी में, यदि नोड आई और जे जुड़े हुए हों, तो यह माना जाता है कि नोड जे से आई तक तथा आई से जे तक पहुंचा जा सकता है। निर्देशित नेटवर्क में जोड़ (कनेक्शन) की दिशा महत्वपूर्ण हो जाती है। मित्रता/भागीदारी अनिर्देशित नेटवर्क के उदाहरण हैं जबकि क्रेडिट एक्सपोजर निर्देशित नेटवर्क का उदाहरण है। नेटवर्क टोपोलॉजी को सामान्यतः नोड्स {1, ..., एन} और लिंक्स के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो नोड्स के युग्मों को जोड़ते हैं। इस विश्लेषण को सहजसंपाद्य बनाए रखने के लिए सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि ये नोड्स अन्य सभी दृष्टियों से - जैसे आकार, लीवरेज, और आस्ति गुणवत्ता - एकसमान हैं। डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन अन्य नोड्स के साथ लिंक्स की संख्या है, जो नोड के महत्व की एक सरल माप है; पास-पास होने की ईजेनवैल्यू सेन्ट्रैलिटी¹ तथा देयता मैट्रिक्स अन्य माप हैं।

ख) नोड की विशेषताएं

नोड की विशेषताओं का आशय आकार, लीवरेज और आस्ति गुणवत्ता जैसी विशेषताओं से हैं (ग्लासमैन एंड यंग, 2015)। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान जो बैंक विफल हुए, उनका लीवरेज अधिक था, पूंजी बफर कम था, अल्पकालिक निधीयन पर उनकी निर्भरता अत्यधिक थी तथा ऐसे जटिल व्युत्पन्नी उत्पादों के प्रति उनका एक्सपोजर था जिनके जोखिमों

को समुचित रूप से समझा नहीं गया था। नेटवर्क टोपोलॉजी से बिलकुल निरपेक्ष होकर ये संक्रामक रूप से फैले, और इसलिए उनके प्रभाव का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

ग) आघातों का स्वरूप

इस संक्रमण को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो प्रायः वित्तीय संकट की शुरुआत के मूल में होता है, वह है - एक ऋणशोधन क्षमता पर लगने वाला आघात (अर्थात् वह आघात जो स्थावर आस्तियों में हानि से उत्पन्न होता है, उदाहरणार्थ- किसी ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में मंदी, जिसमें बैंक का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है); चलनिधि आघात (अर्थात् वह आघात जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक से जमाराशियों के आहरण के लिए मारामारी से उत्पन्न होता है); एक विचित्र आघात; या कोई समष्टि आर्थिक आघात। एक ऋणशोधन क्षमता आघात के प्लवन (स्पिल-ओवर) प्रभाव की हानियों के द्वारा प्रसारित होगा। चलनिधि आघात के परिणामस्वरूप आनन-फानन में बिक्री हो सकती है, जिससे संक्रमण फैलेगा।

प्रसारण मॉडल

नोड की विशेषताओं और नेटवर्क टोपोलॉजी संबंधी डाटा तथा आघात के स्वरूप के संबंध में सूचना को फीडबैक प्रणालियों तथा भुगतान के वरीयता क्रम में अंतर की गणना के साथ एक प्रसारण (ट्रांसमिशन) मॉडल में फीड किया जाता है। इसके परिणामों का सूक्ष्म विवेचन अस्थिरता के स्रोतों का पता लगाने में सहायता कर सकता है, ताकि एक उचित नीतिगत प्रतिसाद विकसित किया जा सके।

संदर्भ :

ग्लासमैन, पी एंड यंग, एच पी (2015) "हाउ लाइकली इज कंटेजियन इन फाइनेंशियल नेटवर्क्स ?" जर्नल आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, 50, 383-399.

¹ किसी नोड की ईजेनवैल्यू सेन्ट्रैलिटी उच्च होती है यदि यह उच्च सेन्ट्रैलिटी वाले अन्य नोड्स से जुड़ा होता है।

वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.6 एफएसआर का प्रकाशन दिसंबर 2018 तथा जून 2019 में किया गया। जून 2019 के एफएसआर में प्रमुख एनबीएससी के संदर्भ में संक्रामक प्रभाव संबंधी विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया।

VI.7 एफएसडीसी की उपसमिति ने 2018-19 में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें क्रेडिट रेटिंग की गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां और आवास वित्त कंपनियों तथा हाउसिंग डेवलपर्स के बीच परस्पर संबंध सहित वित्तीय स्थिरता संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता विषयक अध्ययन तथा वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) पर भी चर्चा की गई।

VI.8 अंतर-नियामक तकनीकी समूह (आईआरटीजी) एफएसडीसी की उपसमिति का उप-समूह है। वर्ष के दौरान इसकी दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में लेखा समूहों के लिए तकनीकी मानकों तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमों में संशोधन के परिणामस्वरूप आईआरटीजी ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दे, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंडों का प्रणालीगत जोखिम तथा पियर-टु-पियर (पी2पी) लेंडिंग प्लेटफार्म के लिए सेबी के मान्यताप्राप्त निवेशक फ्रेमवर्क को लागू करने पर भी ध्यान दिया गया।

वर्ष 2019-20 की कार्य-योजना

VI.9 आगामी वर्ष में, एफएसयू द्वारा समष्टि-विवेकसम्मत निगरानी, एफएसआर के प्रकाशन और एफएसडीसी उप-समिति की बैठकों के आयोजन का कार्य किया जाता रहेगा। इसके अलावा, वर्तमान दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क / कार्य-प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा, ताकि प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सके।

3. वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

वाणिज्यिक बैंक : बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)

VI.10 बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर) वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन के लिए नोडल विभाग है, जो किफायती और समावेशी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंकिंग प्रणाली को स्वस्थ तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाना सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए विनियामकीय फ्रेमवर्क को भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप समायोजित किया जाता है।

वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना – कार्यान्वयन की स्थिति

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान - विवेकसम्मत फ्रेमवर्क

VI.11 रिज़र्व बैंक ने 12 फरवरी 2018 के परिपत्र के द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसके केंद्र में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 थी। विशेष रूप से, इस फ्रेमवर्क में बैंकों से अपेक्षा की गई है कि वे बड़े उधारकर्ताओं (जिनके प्रति उस समय बैंकिंग प्रणाली का एक्सपोजर ₹20 बिलियन या उससे अधिक था) की चूक को चूक की तारीख से 180 दिनों के भीतर सुधारें, अन्यथा ऐसे उधारकर्ताओं के विरुद्ध शोधन कार्यवाही प्रारंभ करनी पड़ेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2 अप्रैल 2019 के निर्णय के द्वारा उक्त फ्रेमवर्क को बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अनुसार शक्ति से बाहर पाया गया। इसके परिणामस्वरूप, 7 जून 2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु एक संशोधित विवेकसम्मत फ्रेमवर्क बनाया गया।

VI.12 उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसरण में समाधान योजना लागू करने में विफल होने पर अनिवार्य दिवाला कार्यवाही के स्थान पर संशोधित विवेकसम्मत फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें समाधान योजना के कार्यान्वयन में विलंब होने पर अतिरिक्त प्रावधानीकरण को अनिवार्य बनाने अथवा दिवाला कार्यवाही शुरू करने की व्यवस्था की गयी। विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क

में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विनियामक विधि में अंतर्निहित निम्नलिखित मूल सिद्धांत भी सम्मिलित किए गए हैं :-

- ए. बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एनबीएफसी द्वारा बड़े उधारकर्ताओं के संबंध में चूक की शीघ्र पहचान और रिपोर्टिंग;
- बी. पहले की समाधान योजनाओं (एस 4 ए, एसडीआर, 5/25 आदि) का अधिक्रमण करते हुए विनिर्दिष्ट समय सीमा और स्वतंत्र मूल्यांकन के अधीन ऋणदाताओं को समाधान योजनाओं के स्वरूप और कार्यान्वयन के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार दिए गए;
- सी. पुनर्चना के समय आस्ति वर्गीकरण में दी जाने वाली रियायत को वापस लेना। उचित समय के लिए संतोषजनक कार्य निष्पादन के सार्थक प्रदर्शन के आधार पर भावी उन्नयन किए जाएंगे;
- डी. पुनर्चना के प्रयोजन से वित्तीय कठिनाई की परिभाषा को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाया गया; तथा
- ई. सभी उधारकर्ताओं द्वारा अंतर-ऋणदाता करार (आईसीए) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाया गया, जो बहुमत से निर्णय प्रक्रिया मानदंड उपलब्ध कराएगा।

VI.13 उपर्युक्त फ्रेमवर्क में निहित बातों के होते हुए भी, जहां भी आवश्यक हो, रिजर्व बैंक कुछ विशिष्ट प्रकार की चूकों के लिए उधारकर्ताओं के विरुद्ध ऋणशोधन कार्यवाही शुरू करने के निदेश देगा, ताकि प्रभावी समाधान के अभियान के साथ कोई समझौता न करना पड़े। यह अपेक्षा की जाती है कि मौजूदा परिपत्र से ऋण संस्कृति में वह सुधार बना रहेगा, जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक के अब तक के प्रयासों से लाया गया है, और जो भारत में मजबूत और आघात-सहनीय वित्तीय प्रणाली को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

ऋण अनुशासन

VI.14 बड़े उधारकर्ताओं के मध्य अनुशासन बढ़ाने की दृष्टि से, बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए कर्ज प्रणाली संबंधी दिशा-निर्देश 5 दिसंबर 2018 को जारी किए गए। इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली से ₹1500 मिलियन या उससे अधिक की निधि-आधारित कार्यशील पूंजी वाले उधारकर्ताओं के लिए 'ऋण घटक' की मंजूर की गई सीमा के 40 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 से उक्त बड़े उधारकर्ताओं को मंजूर की गई क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट सीमाओं के अनाहृत हिस्से पर 20 प्रतिशत क्रेडिट संपरिवर्तन कारक लगाया जाएगा, चाहे वह बिना शर्त निरस्त करने योग्य हो, या नहीं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के मौजूदा ऋणों की एकबारगी पुनर्चना

VI.15 एमएसएमई के मौजूदा ऋण, जो 1 जनवरी 2019 को डिफॉल्ट में थे, किंतु जिनकी गुणवत्ता मानक है, के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा घटाए बिना एकबारगी पुनर्चना की अनुमति दी गयी। उक्त योजना ऐसे एमएसएमई के लिए उपलब्ध है जो अन्य बातों के साथ-साथ 1 जनवरी 2019 को बैंक और एनबीएफसी में ₹250 मिलियन का अधिकतम एक्सपोजर रखते हैं और वस्तुनिष्ठ मानदंडों की अर्हता पूर्ण करते हैं। उक्त पुनर्चना को 31 मार्च 2020 तक कार्यरूप देना होगा तथा इस योजना के अंतर्गत पुनर्चित खातों के संबंध में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान बनाए रखना होगा।

एनबीएफसी पर एक्सपोजर के लिए जोखिम भार

VI.16 कॉर्पोरेट को एक्सपोजर की पद्धति के समान ही उच्च रेटिंग वाली एनबीएफसी को ऋण प्रवाह उपलब्ध कराने हेतु मौजूदा नियमों के अधीन तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए मानकीकृत विधि के अंतर्गत कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी एनबीएफसी में निवेश को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार जोखिम भार दिया गया है। सीआईसी रेटेड हो चाहे अनरेटेड, के प्रति एक्सपोजर को 100 प्रतिशत जोखिम भारित किया जाना जारी रहेगा।

पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियों (डबल्यूओएस) के माध्यम से विदेशी बैंकों का बैंकिंग परिचालन

VI.17 एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड (एसबीएम समूह, मॉरीशस की अनुषंगी) तथा डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीएस बैंक लिमिटेड, सिंगापुर की अनुषंगी) को पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी (डबल्यूओएस) के रूप में भारत में बैंकिंग कारोबार करने के लिए क्रमशः 6 दिसंबर 2017 तथा 4 अक्टूबर 2018 को लाइसेंस जारी किए गए। उन्होंने क्रमशः 1 दिसंबर 2018 और 1 मार्च 2019 को डबल्यूओएस के रूप में अपना परिचालन प्रारंभ किया।

बैंकों के लिए बने पारिश्रमिक संबंधी दिशा-निर्देश

VI.18 रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों में पूर्णकालिक निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ के पारिश्रमिक के संबंध में 2012 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। प्राप्त अनुभव तथा प्रचलित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर इन दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गयी तथा फरवरी 2019 में एक विमर्श-पत्र जारी किया गया जिस पर हितधारकों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गयीं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच की जा रही है तथा शीघ्र ही संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

बाहरी संस्था द्वारा ऋणों की बेंचमार्किंग

VI.19 विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर 5 दिसंबर 2018 के वक्तव्य में यह घोषित किया गया था कि बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2019 से दिए जाने वाले अस्थिर दर वाले सभी नये वैयक्तिक या खुदरा ऋण (आवास, वाहन आदि) तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले अस्थिर दर वाले ऋणों की बेंचमार्किंग रिजर्व बैंक की रिपो दर या फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज-दर जैसे बाहरी बेंचमार्क में से किसी एक के आधार पर की जाएगी। दिनांक 4 अप्रैल 2019 के विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य में की गयी घोषणा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि हितधारकों के साथ फिर से चर्चा करते हुए दरों के संचरण हेतु एक प्रभावी प्रणाली तैयार की जाए।

बड़ी जमाराशियां

VI.20 बड़ी जमाराशियां जुटाने के लिए बैंकों की परिचालनगत स्वतंत्रता बढ़ाने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लघु वित्त बैंक (एसएफबी) को छोड़कर अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए 22 फरवरी 2019 से बड़ी जमाराशियों की परिभाषा को 'दो करोड़ और उससे ऊपर की रुपये में की गयी एकबारगी मीयादी जमा' के रूप में संशोधित किया गया है।

राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) का मूल्यन

VI.21 दिनांक 27 जुलाई 2018 को बैंकों को सूचित किया गया कि एसडीएल का वस्तुनिष्ठ मूल्यन किया जाएगा जिसमें उनका मूल्य दर्शाने के लिए प्रेक्षित कीमतों / प्रतिलाभ को आधार बनाया जाएगा जिसे एफबीआईएल उपलब्ध कराएगा। अब एफबीआईएल द्वारा 15 अप्रैल 2019 से इस नई पद्धति के आधार पर एसडीएल की कीमत/प्रतिलाभ को प्रकाशित किया जा रहा है।

एनबीएफसी तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा जारी बॉण्डों पर आंशिक ऋण वृद्धि

VI.22 दिनांक 2 नवंबर 2018 को बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी-एनडी-एसआई और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के पास पंजीकृत एचएफसी द्वारा जारी बॉण्डों पर आंशिक ऋण वृद्धि (पीसीई) उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई।

एसएलआर का एलसीआर के साथ संरेखण

VI.23 वर्तमान रोडमैप के अनुसार, बासेल III मानदंडों के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को 1 जनवरी 2019 तक 100 प्रतिशत के न्यूनतम एलसीआर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना था। एसएलआर को एलसीआर के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि एसएलआर, जो एनडीटीएल का 19.5 प्रतिशत था, को 5 जनवरी 2019 से प्रारंभ प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में 25 आधार अंक घटाते हुए एनडीटीएल के 18 प्रतिशत तक लाया जाए।

केंद्रीय प्रतिभूतीकरण आर्स्टि पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री (सरसाई) में अचल, चल और अमूर्त आस्तियों के संबंध में प्रतिभूति हित फाइल करना

VI.24 दिनांक 27 दिसंबर 2018 को सभी एससीबी (आरआरबी सहित), एसएफबी, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी),

सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को सूचित किया गया कि वे वर्तमान में जारी लेन-देनों के संबंध में 31 मार्च 2019 तक तथा सभी चालू लेन-देनों के संबंध में निरंतर आधार पर सरसाई के साथ प्रभार फाइलिंग पूर्ण कर लें।

चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क - एनबीएफसी और एचएफसी को संवितरित ऋण पर एलसीआर/ चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि लेने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) - 31 मार्च 2019 तक के लिए सुविधा

VI.25 अक्टूबर 2018 में, बैंकों को यह अनुमति दी गई थी की 19 अक्टूबर 2018 के बाद एनबीएफसी और एचएफसी को वृद्धिशील उधार देने के संबंध में बैंक के एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत तक अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के भीतर वे एफएलसीसीआर के अंतर्गत श्रेणी 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचयूएलए) में सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) की गणना कर सकते हैं। दिनांक 31 दिसंबर 2018 तक उपलब्ध इस सुविधा को 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि बैंक एनबीएफसी और एचएफसी को ₹600 बिलियन की अतिरिक्त राशि उधार दे सकें। एनबीएफसी के लिए एकल उधारकर्ता सीमा (इन्फ्रास्ट्रक्चर का वित्तपोषण नहीं), जिसे 31 दिसंबर 2018 तक पूंजीगत निधियों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया था, को 31 मार्च 2019 तक उपलब्ध कराया गया।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

VI.26 भारत सरकार द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 में संशोधन किए जाने के अनुरूप 9 जनवरी 2019 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली धर्मार्थ संस्थाएं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्ववाली अन्य कोई संस्था को योजना के अंतर्गत जमा करने के लिए पात्र व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है।

बासेल III पूंजी विनियमावली के अंतर्गत संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा

VI.27 पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी), जो फिलहाल 1.875 प्रतिशत है, को 31 मार्च 2016 से 0.625 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक 2.50

प्रतिशत करने का लक्ष्य था, क्योंकि अनेक बैंक दबाव के दौर से गुजर रहे थे, जैसा कि उनकी कमजोर वित्तीय स्थिति में प्रतिबिंबित हो रहा था। इसलिए, जनवरी 2019 में यह निर्णय लिया गया कि 0.625 प्रतिशत के अंतिम चरण को लागू करने की संक्रमण अवधि को 1 वर्ष से, अर्थात् 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया जाए। (एटी1) लिखतों को राइट डाउट करने / बदलने के लिए सामान्य इक्विटी टिअर (सीईटी 1) स्तर में 5.50 प्रतिशत से 6.125 प्रतिशत की वृद्धि को भी 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए आस्थगित कर दिया गया है।

व्यापारिक निर्यातों को शामिल करने हेतु वह पोत लदान पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना

VI.28 भारत सरकार ने पोतलदान पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में 2 नवंबर 2018 से ऐसे क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा निर्यातों के संबंध में ब्याज समतुल्यीकरण दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बैंकों को इसकी सूचना दे दी गयी है।

इंड एस का कार्यान्वयन

VI.29 दिनांक 5 अप्रैल 2018 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) के लिए इंड एस के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए आस्थगित कर दिया गया क्योंकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में जरूरी विधायी संशोधन लंबित था तथा बहुत से बैंक इसके लिए तैयारी का अपेक्षित स्तर अभी प्राप्त नहीं कर सके थे। चूंकि उक्त विधायी संशोधन अभी भारत सरकार के विचाराधीन है, अतः बैंकों के लिए इंड एस का कार्यान्वयन अग्रिम सूचना मिलने तक आस्थगित किया गया है।

वित्तीय विवरणों के 'लेखा पर टिप्पणियों' में प्रकटीकरण

VI.30 दिनांक 18 अप्रैल 2017 को बैंकों को सूचित किया गया कि जहां कहीं (क) संदर्भाधीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आकलित अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षाएं कराधान के बाद प्रकाशित निवल लाभ के 15 प्रतिशत से अधिक हों, अथवा (ख) संदर्भाधीन अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए) प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक

हों, या दोनों स्थितियां हों, तो आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानदंडों से विचलन के ब्योरे का प्रकटीकरण करें। दिनांक 1 अप्रैल 2019 के परिपत्र के अनुसार प्रकटीकरण अपेक्षाओं को रिपोर्ट किए गए निवल लाभ के बजाय प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ से जोड़ा गया है। बैंकों से अपेक्षा की गई कि जब निम्नलिखित में से एक या दोनों शर्तें पूरी की जाए तब विचलन संबंधी प्रकटीकरण करें: (क) रिजर्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण संदर्भाधीन अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक हो, तथा (ख) रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भाधीन अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक हो।

चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क

VI.31 बैंकों के लिए एलसीआर की गणना के प्रयोजन से एचक्यूएलए श्रेणी 1 के रूप में अनुमत आस्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ (क) न्यूनतम एसएलआर अपेक्षाओं से अधिक जी-सेक तथा (ख) अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर (i) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [बैंक के एनडीटीएल का 2 प्रतिशत] तथा (ii) एफएलसीएलएलसीआर [बैंक के एनडीटीएल का 11 प्रतिशत] के भीतर रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक जी-सेक शामिल हैं। ये दोनों दरें 25 जून 2018 से प्रभावी हैं। उसके बाद, 1 अक्टूबर 2018 से एफएलएलसीआर के अंतर्गत एसएलआर से निकासी (कार्व आउट) को 2 प्रतिशत से बढ़ाया गया। बैंकों को सूचित किया गया कि एलसीआर की गणना के प्रयोजन से 4 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 तक उनके द्वारा अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर एफएलएलसीआर के अंतर्गत एचक्यूएलए श्रेणी 1 के रूप में धारित अतिरिक्त 2 प्रतिशत जी-सेक को हिस्साब में लें (प्रत्येक चार माह में 50 आधार अंक की वृद्धि जिससे एफएलएलसीआर की दर एनडीटीएल के 13 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत, और एसएलआर से कुल एचक्यूएलए निकासी एनडीटीएल के 15 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी)।

केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन

VI.32 भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 में संशोधन

की अधिसूचना तथा “आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019” द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन के परिणामस्वरूप 29 मई 2019 के परिपत्र द्वारा केवाईसी पर मास्टर निदेश में परिवर्तन किए गए। प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बैंकों को व्यक्तियों की पहचान के लिए स्वैच्छिक रूप से उनके आधार क्रमांक का प्रयोग करके आधार अधिप्रमाणन / ऑफलाइन सत्यापन की अनुमति देना; (ii) आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) की सूची में “आधार क्रमांक धारण करने का प्रमाण” जोड़ना; (iii) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत कोई लाभ या आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों के ई-केवाईसी अधिप्रमाणन हेतु ग्राहकों का आधार क्रमांक प्राप्त करना; तथा (iv) बैंकों से इतर विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहकों की पहचान के लिए आधार अधिनियम के अंतर्गत ऑफलाइन सत्यापन का प्रावधान करना, यदि स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त, उक्त मास्टर निदेश में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) तथा भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) श्रेणी के ग्राहकों के ओवीडी को प्रमाणित करने हेतु अतिरिक्त प्रमाणनकर्ता प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का अधिग्रहण

VI.33 अगस्त 2018 में, भारत सरकार ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को यह सूचित किया कि उक्त बैंक में उसकी शेयरधारिता को 50 प्रतिशत से नीचे लाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है, और इसके द्वारा सरकार ने प्रबंध नियंत्रण का त्याग किया। सरकार ने बैंक के प्रवर्तक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एलआईसी) द्वारा नियंत्रक हिस्से के अधिग्रहण को भी अनुमोदन दिया। एलआईसी ने ₹216.24 बिलियन की पूंजी लगाकर 21 जनवरी 2019 को अधिग्रहण पूर्ण किया। इसके पश्चात रिजर्व बैंक द्वारा विनियामकीय प्रयोजनों से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया।

देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सम्मेलन

VI.34 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का समेकन करने की दृष्टि से भारत सरकार ने “विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में सम्मेलन योजना, 2019” को मंजूरी दी,

जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा अंतरिती बैंक और विजया बैंक और देना बैंक अंतरणकर्ता बैंक के रूप में हैं। उक्त योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू की गई।

इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फायनैशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एण्ड एफएस) तथा इसकी समूह-संस्थाओं में एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

VI.35 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा वित्तीय संस्थाओं पर एनसीएलएटी की पूर्व अनुमति के बगैर आईएल एण्ड एफएस या इसकी समूह संस्थाओं के खातों को 'एनपीए' के रूप में वर्गीकृत करने पर लगी रोक के आलोक में, बैंकों तथा एआईएफआई को 24 अप्रैल 2019 के परिपत्र द्वारा सूचित किया गया कि वे अपनी लेखा-टिप्पणियों में उस राशि का प्रकटीकरण करें जो आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड के अनुसार एनपीए हो, लेकिन जिसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो और तदनु रूप आईआरएसी मानदंडों का अनुसरण करते हुए प्रावधानीकरण न किया गया हो। एनसीएलएटी के 2 मई 2019 के आदेश द्वारा पहले के आदेशों को हटाए जाने के बाद ये अनुदेश वापस ले लिए गए।

शाखा प्राधिकार नीति को युक्तिसंगत बनाना –

आरआरबी

VI.36 शाखा प्राधिकार नीति को युक्तिसंगत बनाने संबंधी 31 मई 2019 के संशोधित अनुदेशों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए मौजूद बैंकिंग आउटलेट (बीओ) की अवधारणा संबंधी अनुदेशों को आरआरबी के लिए भी लागू किया गया है। संशोधित अनुदेशों के अनुसार, आरआरबी टिअर 1 से 4 केंद्रों (2011 की जनगणना के अनुसार) में केवल पूर्व अनुमोदन के साथ शाखाएं खोल सकते हैं परंतु इसके लिए उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे।

वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) - संशोधन

VI.37 एलईएफ पर 3 जून 2019 के परिपत्र ने 1 दिसंबर 2016 और 1 अप्रैल 2019 के पहले के परिपत्रों को हटाकर उनका स्थान लिया। एक्सपोजर तथा संकेंद्रण जोखिम को और बेहतर ढंग से पहचानने के लिए तथा इस फ्रेमवर्क को अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान बनाने के लिए इस परिपत्र में निम्नलिखित

संशोधन शामिल किए गए: (i) सरकार से संबद्ध संस्थाओं को संबंधित प्रतिपक्षकारों के समूह की परिभाषा से बाहर करना यदि वे अन्यथा संबद्ध न हों, (ii) ऐसी संस्थाओं के लिए जहां किसी बैंक का प्रत्येक संस्था में एक्सपोजर अपने पात्र पूंजी आधार के 5 प्रतिशत से अधिक हो, उनके लिए 1 अप्रैल 2020 से संबद्ध प्रतिपक्षकारों की परिभाषा में परस्पर आर्थिक निर्भरता मानदंड की शुरुआत, और (iii) सामूहिक निवेश उपक्रम, प्रतिभूतीकरण माध्यम तथा अन्य संरचनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों के निर्धारण में आर-पार दृष्टि वाले नजरिए (एलटीए) का अनिवार्य प्रयोग। इसके अलावा, एक संक्रमणकालीन उपाय के तौर पर, 31 मार्च 2020 तक बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क की परिधि से गैर-केंद्रित समाशोधित डेरिवेटिव को बाहर रखा गया है। साथ ही, एलईएफ के प्रयोजन से, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी वैश्विक बैंकों (जी-एसआईबी) की भारतीय शाखाओं को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों के रूप में नहीं माना जाएगा (बॉक्स VI.2)।

बैंकों द्वारा निवेश संविभाग (पोर्टफोलियो) के वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड – परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री

VI.38 बैंकों द्वारा निवेश संविभाग (पोर्टफोलियो) के वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड के बारे में वर्तमान मास्टर परिपत्र के अनुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम में/से निवेश में तब्दीली की अनुमति वर्ष में एक बार दी जा सकती है। यह तब्दीली सामान्यतः लेखा वर्ष की शुरुआत में की जा सकती है और इसके बाद लेखा वर्ष के शेष भाग के दौरान एचटीएम में/से तब्दीली नहीं की जा सकेगी। रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्टतया अनुमति दिए जाने पर यह शर्त लागू नहीं होगी। यह निर्णय लिया गया कि 05 प्रतिशत की निर्धारित सीमा (कैप) में शामिल किए जाने से पहले से छूट प्राप्त पाँच तरह के लेन-देन के अलावा संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की पुनः खरीद को भी छूट प्रदान की जाएगी।

वित्तीय समावेशन – बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता – मूलभूत बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)

VI.39 बीएसबीडीए से संबद्ध सुविधाओं की समीक्षा की गई और 10 जून 2019 के परिपत्र के माध्यम से विशिष्ट सुधार किए गए हैं। बैंकों द्वारा अनुमत न्यूनतम सुविधाओं के अलावा मूल्य-वर्धित सेवाएं प्रभार सहित या उनके बिना उपलब्ध कराई जा

बॉक्स VI.2

01 अप्रैल 2019 से वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) का कार्यान्वयन

वैश्विक वित्तीय संकट से मालूम होता है कि बैंक अपनी बहियों और परिचालनों में एकल प्रतिपक्षकारों या संबद्ध प्रतिपक्षकार समूहों में एक्सपोजर की माप, समुच्चयन और नियंत्रण हमेशा दृढ़ता से नहीं करते। रिजर्व बैंक ने व्यावहारिक प्रगतिशील कदम उठाते हुए बहुत पहले 1989 में ही एक्सपोजर मानदंड निर्धारित करते हुए विवेकसम्मत विनियम लागू किए हैं। एक्सपोजर मानदंडों के अंतर्गत, एकल उधारकर्ता एवं उधारकर्ता समूहों में बैंक के एक्सपोजर को क्रमशः पूंजीगत निधि (टिअर 1 + टिअर 2 पूंजी) के 15 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत तक सीमित किया गया। मानदंड में कतिपय क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार एक्सपोजर, एनबीएफसी को एक्सपोजर एवं अंतर-समूह एक्सपोजर के लिए सीमा भी निर्धारित किया है।

वृहत एक्सपोजर के मामले में व्यापक रूप से भिन्न राष्ट्रीय विनियमों में अभिसरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने अप्रैल 2014 में 'वृहत एक्सपोजर की माप एवं नियंत्रण हेतु पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क' के संबंध में मानक जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने इन मानकों को भारत में बैंकों पर समुचित रूप से अपनाने का निर्णय लिया तथा, तदनुसार, दिसंबर 2016 में बैंकों के वृहत एक्सपोजर के संबंध में अनुदेश जारी किए गए, जिसके कार्यान्वयन की तारीख 01 अप्रैल 2019 रखी गई।

समय सीमा एवं प्रमुख विशेषताएं

वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क (एलईएफ) के संबंध में दिनांक 03 जून 2019 के परिपत्र के माध्यम से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे जो पूर्व में जारी परिपत्रों को शामिल करते हुए उसका अधिग्रहण करता है। संशोधित एलईएफ 01 अप्रैल 2020 से संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह का पता लगाने के लिए आर्थिक अंतरनिर्भरता मानदंड लागू करता है, सरसरी दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार देता है, और सरकार से संबद्ध संस्थाओं को संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह की परिभाषा में शामिल नहीं करता है, यदि अन्यथा न संबद्ध हो। यह दिशा-निर्देश भारतीय फ्रेमवर्क को बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणालियों के समरूप बनाता है और संकेन्द्रण जोखिम की पैमाइश, समुच्चयन तथा निगरानी में सुधार करता है। एलईएफ की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- एकल उधारकर्ता की एक्सपोजर सीमा को टिअर I पूंजी के 20 प्रतिशत तक सीमित किया है जिसे बैंकों के बोर्ड के अनुमोदन से अपवादात्मक परिस्थितियों में टिअर I पूंजी के 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।
- संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह की एक्सपोजर सीमा को टिअर I पूंजी के 25 प्रतिशत तक सीमित किया है।

- फ्रेमवर्क में आवश्यक है कि नियंत्रण मानदंड के आधार पर संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह का पता लगाया जाए, जो स्वामित्व, मतदान अधिकार, मतदान करार, किसी संस्था के प्रशासनिक, प्रबंधन या पर्यवेक्षी समूह की नियुक्ति तथा बर्खास्तगी पर पर्याप्त प्रभाव एवं वरिष्ठ प्रबंधन पर पर्याप्त प्रभाव जैसे कारकों पर आधारित हो। इसके अतिरिक्त, बैंकों को चाहिए कि वे 01 अप्रैल 2020 से संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह का पता लगाने में आर्थिक अंतरनिर्भरता मानदंड शामिल करें।
- अंतरबैंक एक्सपोजर को टिअर I पूंजी के 25 प्रतिशत तक सीमित करने के साथ वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) में एक्सपोजर को गंभीर रूप से सीमित किया है; फ्रेमवर्क के अंतर्गत विदेशी जी-एसआईबी की भारतीय शाखाओं को जी-एसआईबी के रूप में नहीं माना जाएगा तथा अंतरबैंक एक्सपोजर सीमा, विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं के समुद्रपारीय शाखाओं/अनुषंगियों सहित उनके प्रधान-कार्यालय में एक्सपोजर पर भी लागू होगी।
- सभी प्रकार की एनबीएफसी की एक्सपोजर सीमा को टिअर I पूंजी के 15 प्रतिशत तक सीमित किया है।
- केन्द्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए अर्हताप्राप्त केन्द्रीय प्रतिपक्षकारों (क्यूसीसीपी) में समाशोधन संबंधी एक्सपोजर को फ्रेमवर्क से छूट प्राप्त है।
- फ्रेमवर्क में सरसरी दृष्टिकोण अपनाने पर विचार किया गया है ताकि म्युचुअल फंड्स तथा प्रतिभूतीकरण जैसी संरचनाओं के जरिए प्रतिपक्षकारों में एक्सपोजर का समुच्चयन किया जा सके।
- ऋण जोखिम कम करने (सीआरएम) तथा ऋण संपरिवर्तन कारकों (सीसीएफ) के प्रयोग की अनुमति के जरिए एक्सपोजर मापन को बासेल III विनियमों के समरूप किया गया है।
- बैंक उपयुक्त पूंजी आधार का परिकलन करने के लिए बासेल III दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष के दौरान पूंजी अंतर्वेशन और तिमाही लाभ की गणना कर सकता है।
- सरकार से संबद्ध संस्थाओं को संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, यदि अन्यथा न संबद्ध हो (या तो नियंत्रण मानदंड एवं/या आर्थिक अंतरनिर्भरता मानदंड द्वारा, जो 01 अप्रैल 2020 से लागू है)।
- गैर-केन्द्रीय समाशोधित डेरिवेटिव्स को 31 मार्च 2020 तक इस फ्रेमवर्क से छूट प्राप्त है।

सकती हैं। उपलब्ध कराई जाने वाली इन अतिरिक्त सुविधाओं के कारण कोई खाता गैर-बीएसबीडी नहीं माना जाएगा। बैंकों को उपभोक्ता से यह घोषणा-पत्र प्राप्त करना होगा कि किसी अन्य बैंक में उनका दूसरा बीएसबीडी नहीं है। ये अनुदेश 1 जुलाई 2019 से प्रभावी होगा।

फिनटेक संबंधी गतिविधियां और विनियामकीय पहल

VI.40 फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग से संबंधित आईआरटीजी (अध्यक्ष : श्री सुदर्शन सेन) की 08 फरवरी 2018 को जारी रिपोर्ट की प्रमुख अनुसंशाओं में से एक यह थी कि सुपरिभाषित क्षेत्र और अवधि के अंतर्गत “विनियामकीय सैंडबॉक्स/नवोन्मेष केंद्र” के लिए फ्रेमवर्क की स्थापना की जाए और वित्तीय क्षेत्र के विनियामक अपेक्षित विनियामकीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। ‘विनियामकीय सैंडबॉक्स को सक्षम बनाने वाले फ्रेमवर्क’ के मसौदे को हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक की वेबसाइट में 18 अप्रैल 2019 को डाला गया। प्राप्त हुए फीडबैक की वर्तमान में जांच जारी है और संबंधित फ्रेमवर्क को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

बासेल III के अंतर्गत पूंजी विनियमन – बैंकों के लिए लिवरेज अनुपात लागू करना

VI.41 बासेल III मानदंडों की अनुरूपता की ओर कदम बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 28 जून 2019 को अनुदेश जारी किए गए, जिनमें बैंकों को सूचित किया गया कि घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के लिए न्यूनतम लिवरेज अनुपात 4 प्रतिशत होगा और अन्य बैंकों के लिए यह अनुपात 3.5 प्रतिशत होगा। लिवरेज अनुपात के साथ में पूंजीगत उपाय तथा एक्सपोजर उपाय - दोनों की घोषणा तिमाही के अंत में की जानी होगी। हालांकि, बैंकों को न्यूनतम लिवरेज अनुपात की अपेक्षाओं को हर समय पूर्ण करना होगा। ये दिशानिर्देश 01 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हो रही तिमाही से प्रभावी होंगे।

बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) के तहत बैंक/बैंकिंग केंद्र (बीओ) के विवरण संबंधी रिपोर्ट भेजने के प्रपत्र में संशोधन

VI.42 भारत स्थित सभी बैंकिंग केंद्रों/आउटलेटों (बीओ) / बैंक के कार्यालयों की निर्देशिका (डायरेक्टरी) से संबंधित

मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) रिजर्व बैंक द्वारा संधारित की जाती है। इस फाइल के माध्यम से मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर) कोड आबंटित किए जाते हैं। एमओएफ को वेब-आधारित नई रिपोर्टिंग प्रणाली नामतः सीआईएसबीआई (<https://cisbi.rbi.org.in>) से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रपत्र होता है। पहले की समस्त सूचनाओं को सीआईएसबीआई में अंतरित कर दिया गया है और आगे से सभी संस्थाएं/बैंक नई प्रणाली के तहत रिपोर्ट करेंगी। नई प्रणाली में बैंकों/एआईएफआई के पूर्ण विवरणों को समय दर्शाते हुए संधारित करने का प्रावधान किया गया है।

एकमुश्त और दीर्घावधिक वित्त (डब्ल्यूएलटीएफ) बैंक

VI.43 वर्ष 2016-17 के पहले द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (5 अप्रैल 2016) में यह घोषणा की गई थी कि रिजर्व बैंक डब्ल्यूएलटीएफ बैंकों जैसे अन्य विशेषीकृत बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगाएगा। इस विषय पर चर्चा पत्र रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर 07 अप्रैल 2017 को डाला गया। प्राप्त हुए सुझावों/फीडबैक पर विचार करने और बहुराष्ट्रीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से चर्चा के बाद यह निष्कर्ष निकला कि डब्ल्यूएलटीएफ बैंकों के लिए टिकाऊ एवं वहनीय मॉडल तैयार करने के मार्ग में बहुत सी चुनौतियां हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव का अनुसरण नहीं किया जाएगा।

2019-20 की कार्य-योजना

VI.44 विभाग विवेकपूर्ण विनियामकीय फ्रेमवर्क को प्रचलित बीसीबीएस तथा वैश्विक मानकों/ प्रथाओं के अनुरूप बनाने का कार्य करना जारी रखेगा, जिसमें आवश्यक वैधानिक संशोधनों के अधीन बैंकों के लिए इंड-एस का कार्यान्वयन करना शामिल है। मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क को सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए रिजर्व बैंक बैंकों के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, परिचालनगत जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता की गणना के लिए संशोधित मानकीकृत उपागम, तथा ऋण जोखिम पर संशोधित दिशा-निर्देशों का प्रारूप जारी किया जाएगा। प्रतिभूतीकरण तथा बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया जाएगा।

VI.45 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के लिए अंतिम विवेकसम्मत विनियमन जारी किए जाएंगे, जिसमें

एक्सपोजर मानदंडों पर संशोधित अनुदेश, निवेश मानदंड, जोखिम प्रबंधन संरचना तथा बासेल III पूंजी फ्रेमवर्क के चुनिंदा तत्व शामिल होंगे। एआईएफआई के लिए इंड-एसएस का कार्यान्वयन आस्थगित किया गया है तथा उसे एससीबी के लिए कार्यान्वयन के साथ ही लागू किया जाएगा। उभरते हुए फिनटेक क्षेत्र में विनियामकीय सैंडबॉक्स को परिचालित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

VI.46 बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष की अपेक्षाओं तथा उसे बनाए न रखने पर दंड संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। ब्याज समतुल्यीकरण योजना से संबंधित दावों के निपटान के लिए एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफार्म में स्वचालित डेटा प्रवाह का प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रणाली में आरंभिक ऋण जोखिम का निदान करने हेतु समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन पर एक चर्चा-पत्र जारी किया जाएगा। बड़े उधारकर्ताओं को बाजार तंत्र के माध्यम से ऋण आपूर्ति करने हेतु एक संरचना लागू करने के प्रयोजन से बैंकों / वृहत् ऋणों पर सूचना का केंद्रीय निधान (सीआरआईएलसी) से मिले डेटा के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। धनशोधन निवारण नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए वीडियो-आधारित केवाईसी प्राप्त करने हेतु बैंक के ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा दी जाएगी।

सहकारी बैंक: सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर)

VI.47 रिजर्व बैंक सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बना कर इस क्षेत्र को मजबूत बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। इस संदर्भ में, 2018-19 में सहकारी बैंकों के विवेकपूर्ण विनियमन के लिए जिम्मेदार सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर) ने अनेक कदम उठाए हैं।

वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर में बिना लाइसेंस वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी)

VI.48 जम्मू और कश्मीर राज्य में तीन अलाइसेंसकृत डीसीसीबी के संबंध में राज्य सरकार, भारत सरकार और

नाबार्ड द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार, राज्य सरकार ने मार्च 2018 में ₹2.56 बिलियन का अपना हिस्सा प्रदान किया (उक्त को आगे प्रेषण के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के सहकारी विभाग में रखा गया)। भारत सरकार / राज्य सरकार / नाबार्ड द्वारा मंजूर किए गए पुनरुत्थान पैकेजों को लागू करने के लिए जम्मू और कश्मीर सहकारी समितियां संशोधन अध्यादेश, 2018 की धारा 30-बी की उप-धारा (1)(ए) के अनुसार राज्य सरकार ने इन तीन बिना लाइसेंस वाले बैंकों के व्यावसायिक बोर्डों के गठन को मंजूरी दी है। इन डीसीसीबी द्वारा अपेक्षित सीआरएआर को हासिल करने की शर्त को पूरा किए जाने के बाद इन तीनों डीसीसीबी को लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जाएगा।

यूसीबी का एसएफबी में स्वेच्छा से परिवर्तन

VI.49 यूसीबी पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति (एचपीसी) (अध्यक्ष: श्री आर गांधी) ने अन्य बातों के साथ-साथ बड़े बहु-राज्यीय यूसीबी का संयुक्त शेयर कंपनी (ज्वाइंट स्टॉक कंपनी) में, तथा कतिपय मानदंडों को पूर्ण करने वाले एससीबी में स्वेच्छा से परिवर्तन करने की सिफारिश की थी। ₹500 मिलियन की न्यूनतम निवल मालियत वाले यूसीबी, जो 9 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखते हों तथा अन्य पात्रता मानदंडों को पूर्ण करते हों, के लिए स्वैच्छिक परिवर्तन की अनुमति देने वाले दिशा-निर्देश 27 नवंबर 2018 को जारी किए गए।

शहरी सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीए) का कार्यान्वयन

VI.50 दिनांक 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार 1545 यूसीबी में से 1436 यूसीबी ने सीबीएस लागू कर दिया है।

सहकारी बैंकों को अनुसूचित करना, लाइसेंस प्रदान करना और विलय

VI.51 त्रिपुरा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, त्रिपुरा तथा दिल्ली राज्य सहकारी बैंक को क्रमशः जनवरी 2019 और मई 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। 2018-19 के दौरान विभाग द्वारा यूसीबी के विलय के छह प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई।

इनमें से विलय के दो प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया, जिन पर संबंधित सहकारी समितियों के पंजीयकों का अंतिम अनुमोदन प्रतीक्षित है, तथा एक प्रस्ताव को नामंजूर किया गया। शेष तीन विलय प्रस्ताव फिलहाल प्रक्रियाधीन हैं। समीक्षाधीन अवधि में चार कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस निरस्त किए गए।

वर्ष 2019-20 की कार्य-योजना

VI.52 वर्ष 2019-20 की महत्वपूर्ण गतिविधियों में यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी कार्य-योजना की रूपरेखा पर संशोधित दिशा-निर्देश, यूसीबी क्षेत्र में समेकन को बढ़ावा देने के लिए नीति निरूपण और छत्र संगठन (यूओ) की स्थापना शामिल हैं (बॉक्स VI.3)। जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के तौर पर यह यूओ स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) को विनियामक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

एनबीएफसी : गैर बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर)

VI.53 एनबीएफसी वाणिज्यिक बैंकों के पूरक के रूप में ऋण उपलब्ध कराने तथा विशिष्ट क्षेत्रों को सेवा देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) को एनबीएफसी क्षेत्र के विनियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना - कार्यान्वयन की स्थिति

एकल प्राथमिक व्यापारी (एसपीडी)

VI.54 एसपीडी को उनके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ग्राहकों को उनकी गैर-प्रमुख गतिविधियों के एक भाग के रूप में 27 जुलाई 2018 से विदेशी मुद्रा सेवाओं की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे विवेकसम्मत विनियमों का अनुपालन करें और रिजर्व बैंक से विनिर्दिष्ट रूप से अनुमति प्राप्त करें।

एनबीएफसी : प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए न्यूनतम धारिता अवधि (एमएचपी)

VI.55 एनबीएफसी को उनकी पात्र आस्तियों को प्रतिभूतिकृत / निर्दिष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पांच वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता वाले ऋणों के संबंध में नवंबर 2018 में मूल एनबीएफसी को एमएचपी अपेक्षा में छूट दी गई। यह एमएचपी छूट छह मासिक किस्तों अथवा दो तिमाही किस्तों (यथा लागू) की चुकौती की प्राप्ति के संबंध में है, बशर्ते कि ऐसे प्रतिभूतीकरण निर्दिष्ट लेनदेन के लिए विवेकपूर्ण अपेक्षा, कि न्यूनतम धारण अपेक्षा (एमआरआर) प्रतिभूतीकरण किए जाने वाले ऋण के बही मूल्य के 20 प्रतिशत अथवा निर्दिष्ट की जाने वाली आस्तियों के नकद प्रवाहों के 20 प्रतिशत होगी, को पूर्ण किया जाए। यह व्यवस्था प्रारंभ में 6 माह की अवधि अर्थात् मई

बॉक्स VI.3

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए छत्र संगठन की स्थापना

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पास पूंजीगत निवेश जुटाने के अवसर कम हैं, क्योंकि वे न तो पब्लिक इश्यू के माध्यम से पूंजी जुटा सकते हैं, न ही प्रीमियम पर शेयर जारी कर सकते हैं। उनके पास अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन भी सीमित हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक के चलनिधि सहायता विंडो तक केवल अनुसूचित बैंकों की ही सीधी पहुंच है।

एक छत्र संगठन (यूओ) के रूप में सहकारी घनिष्ठता और पारस्परिक सहायता प्रणाली इस क्षेत्र की गतिशीलता में योगदान करेगी, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव से सिद्ध हुआ है। छत्र संगठन (यूओ) से यह अपेक्षित होगा कि वह सदस्य बैंकों को चलनिधि और पूंजी सहायता उपलब्ध कराएगा। यूओ से यह भी अपेक्षित होगा कि वह सदस्यों द्वारा साझा उपयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) इन्फ्रास्ट्रक्चर की

स्थापना करेगा, ताकि वे अपेक्षाकृत कम लागत पर अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ा सकें।

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक छत्र संगठन का विचार सबसे पहले 2006 में यूसीबी के पूंजी संवर्धन के लिए रिजर्व बैंक के कार्य दल (अध्यक्ष: श्री एन. एस. विश्वनाथन) द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद, 2008 में रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र संगठन तथा पुनरुत्थान निधि की स्थापना के संबंध में कार्य दल (अध्यक्ष: श्री वी. एस. दास) का गठन किया। नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष श्री वार्ड. एच. मालेगाम) ने भी वर्ष 2011 में एक छत्र संगठन की स्थापना की सिफारिश की थी, तथा 2015 में शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भी इसका समर्थन किया था।

2019 तक के लिए की गई थी, जिसे आगे 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ाया गया है।

एमएसएमई के लिए ब्याज छूट योजना

VI.56 भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए ब्याज छूट योजना, 2018 को सभी एनबीएफसी- एनडी-एसआई के लिए लागू किया है। उन्हें सूचित किया गया कि वे योजना को लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करें तथा नोडल कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से संपर्क करें।

एनबीएफसी को सुसंगत बनाना

VI.57 आस्ति वित्त कंपनियों (एएफसी), ऋण कंपनियों (एलसी) और निवेश कंपनियों (आईसी) को शासित करने वाले विनियमों को सुसंगत बनाया गया तथा संस्था आधारित विनियमन करने के बजाय गतिविधि आधारित विनियमन की ओर जाने की दृष्टि से 22 फरवरी 2019 से इनका एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनियों (एनबीएफसी- आईसीसी) नामक एक नई श्रेणी में विलय किया गया, ताकि एनबीएफसी को अधिक परिचालनगत स्वतंत्रता उपलब्ध कराई जा सके।

एआरसी के प्रवर्तकों के लिए उपयुक्त और यथोचित मानदंड

VI.58 रिजर्व बैंक ने एआरसी को मजबूत बनाने के लिए 25 अक्टूबर 2018 को एआरसी के प्रायोजकों के लिए उपयुक्त और यथोचित मानदंडों के बारे में निदेश जारी किए।

आस्ति पुनर्चना कंपनियों (एआरसी) द्वारा अन्य एआरसी की आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति

VI.59 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 में संशोधन के मद्देनजर एआरसी को अन्य एआरसी से आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि वे कतिपय शर्तों को पूरा करें।

प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-II के रूप में पात्र एनबीएफसी - एनडी - एसआई

VI.60 रिजर्व बैंक ने 16 अप्रैल 2019 से प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी -आईसीसी को एडी श्रेणी-II का लाइसेंस प्राप्त करने की

अनुमति दी है, ताकि जनता के रोजमर्रा के व्यापारेत्तर चालू खाता लेनदेन की सेवाओं तक पहुंच और कुशलता बढ़ाई जा सके। पात्र एनबीएफसी को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा तथा रिजर्व बैंक से विशेष अनुमति लेनी होगी।

एनबीएफसी के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति

VI.61 एनबीएफसी क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के संवर्धन हेतु ₹50 बिलियन से अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति करें, जिसकी भूमिका और जिम्मेदारियां विनिर्दिष्ट हों। उनसे अपेक्षित होगा कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे ताकि जोखिम प्रबंधन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

एनबीएफसी के लिए चलनिधि फ्रेमवर्क

VI.62 एनबीएफसी के आस्ति - देयता प्रबंधन (एएलएम) फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए जमा स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी-एनडी-एसआई) सहित ₹1 बिलियन और उससे अधिक आस्ति आकार वाले एनबीएफसी तथा आस्ति आकार पर ध्यान न देते हुए सभी एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई तथा एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के प्रारूप को मई 2019 में जनता की टिप्पणियों के लिए रिजर्व बैंक वेबसाइट पर डाला गया (बॉक्स VI.4)

2019-20 के लिए कार्ययोजना

प्रकटीकरण अपेक्षाएं

VI.63 एनबीएफसी के लिए अधिक पारदर्शिता लाने और एक प्रभावी तथा सुदृढ़ प्रकटीकरण फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से मौजूदा प्रकटीकरण अपेक्षाओं की समीक्षा की जाएगी।

एनबीएफसी की श्रेणियों को सुसंगत बनाना

VI.64 एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों के लिए विनियामकीय ढांचे को सुसंगत बनाने का कार्य, जो वर्ष के दौरान प्रारंभ किया गया था, को एनबीएफसी की श्रेणियों की संख्या में कमी लाने की दृष्टि से आगे जारी रखा जाएगा, जिससे गतिविधि आधारित विनियमन का बेहतर कार्यान्वयन किया जा सके।

एआरसी के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता (एफपीसी)

VI.65 एआरसी को हितधारकों के साथ व्यवहार करते समय उचित प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एफपीसी के रूप में सिद्धान्तों का एक सेट जारी किया जाएगा।

4. वित्तीय मध्यस्थता करने वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण

बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस)

VI.66 बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) को ऑफ-साइट निगरानी तथा ऑन-साइट निरीक्षणों से प्राप्त पर्यवेक्षी

सूचना के आधार पर एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), एलएबी, भुगतान बैंकों (पीबी), एसएफबी, साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) एवं एआईएफआई के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्य योजना : कार्यान्वयन की स्थिति विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

VI.67 फरवरी 2018 में गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री वाई.एच. मालेगाम) ने रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन की तुलना में बैंकों द्वारा आर्स्टि वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण में अत्यधिक

बॉक्स VI.4

एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

सार्वजनिक निधियों तक पहुँच रखने एवं प्रणालीगत जोखिमों के प्रभावों के साथ ऋण मध्यस्था में भागीदारी के मामले में एनबीएफसी ने शेष वित्तीय क्षेत्र के साथ उल्लेखनीय संपर्क स्थापित किया है। इसकी वजह से एनबीएफसी के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की गई।

मौजूदा एएलएम दिशा-निर्देश जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाले उन एनबीएफसी जिनका आर्स्टि आकार ₹1 बिलियन और उससे अधिक है, और जमाराशि स्वीकार करने वाले वैसे एनबीएफसी पर लागू हैं जिनका जमाराशि आधार ₹200 मिलियन और उससे अधिक है:

- एएलएम फ्रेमवर्क के तीन स्तंभों यथा, एएलएम सूचना प्रणाली, एएलएम संगठन {आर्स्टि-देयता समिति (एएलसीओ) के गठन, इसके संविधान आदि सहित} और एएलएम प्रक्रियाओं से संबंधित अनुदेश।
- ढांचागत एवं अल्पावधि गतिशील चलनिधि तथा ब्याज दर संवेदनशीलता की निगरानी।
- 30/31 दिन के टाइम बकेट पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए परिपक्वता अंतराल का विश्लेषण जिसमें ऋणात्मक अंतराल नकदी बहिर्वाह का 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- ₹5 बिलियन और उससे अधिक के आर्स्टि आकार वाले सीआईसी को आर्स्टि एवं देयताओं के परिपक्वता स्वरूप का खुलासा करना।

प्रस्तावित बदलाव

ए. चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए सामान्य फ्रेमवर्क का संवर्धन

i) **एएलएम दिशा-निर्देश** : को बैंकों पर लागू एएलएम दिशा-निर्देशों की तर्ज पर इसे फिर से नया रूप दिया गया है, जिसमें (ए) तुलन-पत्रेत्तर और आकस्मिक देयताएं; (बी) दबाव परीक्षण; (सी) आकस्मिक निधीयन योजना; (डी) अंतर-समूह निधि अंतरण; (ई) संपार्श्विक स्थिति प्रबंधन; और (एफ) वित्त पोषण का विविधीकरण शामिल हैं।

ii) **परिपक्वता बकेट्स में संशोधन किया गया** : परिपक्वता बकेट्स को तीन छोटे हिस्सों में बांटकर 1 से 30/31 दिनों के बकेट को 1-7 दिन, 8-14 दिन और 15 से 30 दिन कर दिया गया है, जिसमें संचयी अंतराल सीमा संबंधित बहिर्वाह की क्रमशः 10 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं। इससे नकदी प्रवाह दबाव के प्रारंभिक चरण में ही पकड़ में आ जाएगा और समय से इसका निराकरण होने की उम्मीद है।

iii) **चलनिधि जोखिम निगरानी के साधन** : एनबीएफसी से अपेक्षित होगा वे इनकी निगरानी करें (ए) निधीयन का संकेंद्रण (प्रतिपक्षकार, लिखत, मुद्रा द्वारा); (बी) उपलब्ध भार-रहित आर्स्टियां (जिसे धन जुटाने के लिए संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है); और (सी) बाजार संबंधी निगरानी सूचना (इक्विटी की कीमतें, जुटाए गए कर्ज पर कूपन, नियामकीय जुर्माना और इसी तरह के अन्य विषय)।

iv) **चलनिधि जोखिम प्रबंधन के प्रति स्टॉक दृष्टिकोण** : एनबीएफसी के बोर्ड से अपेक्षित है कि वे महत्वपूर्ण अनुपात की पहचान करें और आंतरिक रूप से निर्धारित अधिकतम सीमा (सांकेतिक सूची में कुल आर्स्टियों की तुलना में अल्पकालिक देयता, दीर्घकालिक आर्स्टियों की तुलना में अल्पकालिक देयता; कुल आर्स्टियों की तुलना में एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता की प्रक्राम्य जमा-प्रमाणपत्र (एनसीडी); कुल देयताओं की तुलना में अल्पकालिक देयताएँ; कुल आर्स्टियों की तुलना में दीर्घकालिक आर्स्टियां शामिल हो सकती हैं) के अनुसार उनकी निगरानी करें।

बी. बड़ी एनबीएफसी के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात का प्रारंभ।

प्रस्तावित एलसीआर फ्रेमवर्क जमाराशि स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफसी तथा ₹50 बिलियन और उससे अधिक के आर्स्टि आकार वाले एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर लागू होगा।

(जारी...)

- एलसीआर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) का स्टॉक
आगामी 30 कलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद प्रवाह
- एनबीएफसी को 1 अप्रैल, 2020 से न्यूनतम 60 प्रतिशत एलसीआर बनाए रखना होगा और धीरे-धीरे इसे बराबर सोपान में तब तक बढ़ाना होगा जब तक कि यह 1 अप्रैल, 2024 तक 100 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच जाता है, और 1 अप्रैल 2024 से इसे निरंतर न्यूनतम 100 प्रतिशत बनाए रखना होगा।
- दबाव कि स्थिति में अगले 30 दिनों की अवधि के दौरान निवल नकदी बहिर्वाह को कवर करने के लिए एनबीएफसी को एचक्यूएलए रखना होगा।
- एचक्यूएलए की गणना उपयुक्त आस्तियों पर लागू निर्धारित हेयरकट पर आधारित होगी।
- 30 दिनों की अवधि में निवल नकदी बहिर्वाह की गणना के लिए, 15 प्रतिशत तक बहिर्वाह का अधिक अनुमान करके तथा 25 प्रतिशत तक अंतर्वाह का कम अनुमान करके दबाव परिदृश्य तैयार किया जाता है।

भिन्नता; बैंकों में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं (आईटी हस्तक्षेपों सहित); तथा विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं की भूमिका तथा कारगरता की जांच संबंधी अपनी रिपोर्ट जुलाई 2018 में पेश की। जहां कहीं आवश्यक हो वहाँ कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।

साइबर सुरक्षा

VI.68 छह सहकारी बैंकों सहित सत्तावन बैंकों की सूचना प्रौद्योगिकी की जांच की गई ताकि साइबर सुरक्षा को लेकर उनकी तैयारी के स्तर एवं रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, परामर्शों तथा चेतावनियों के अनुपालन का आकलन किया जा सके। बैंकों की लक्षित विषय-क्षेत्र-संबंधी जांच भी की गई जिसमें उनके द्वारा उपयोग में लाए गए एप्लिकेशन, इनफ्रास्ट्रक्चर तथा प्रणालियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वर्ष के दौरान, टेबल टॉप अभ्यास के रूप में परिकल्पित परिदृश्यों पर तीन साइबर ड्रिल किए गए ताकि साइबर संकट प्रबंध योजनाओं/ घटना प्रतिक्रिया तंत्र के संबंध में बैंकों के भावी अध्ययनों की जानकारी दी जा सके।

VI.69 वर्ष के दौरान, मुख्य जोखिम संकेतकों में संशोधन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक साइबर जोखिम के रुख तथा बैंकों द्वारा कार्यान्वित साइबर नियंत्रणों की पर्याप्तता का अधिक अचूक मात्रात्मक संकेत दे सकें। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि बोर्ड के सदस्य, वरिष्ठ प्रबंध तंत्र तथा सीएक्सओ (अर्थात् मुख्य सूचना अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी) सूचना प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा में अनिवार्य प्रमाणन लेते हैं।

अन्य गतिविधियां

धोखाधड़ी का विश्लेषण

VI.70 वर्ष 2018-19 में, बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों से संबंधित मामलों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.1) और इसमें शामिल राशि में 73.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि यह राशि अधिकांशतः पिछले वर्ष कि घटनाओं से संबंधित थी। घटना की तारीख तथा बैंकों द्वारा उसका पता लगाने के बीच का औसत समय अंतराल 22 महीने था। वर्ष 2018-19 के दौरान रिपोर्ट की गई कुल ₹522 बिलियन की बड़ी धोखाधड़ियों अर्थात् ₹1 बिलियन तथा उससे अधिक राशि, के संबंध में औसत समय अंतराल 55 महीने था। बैंक समूहों में पीएसबी में, जिनके बैंक उधार का बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा है, 2018-19 में रिपोर्ट की गई धोखा धड़ियों में सबसे अधिक धोखाधड़ी हुई है। इनके बाद क्रमशः निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक आते हैं।

VI.71 परिचालन के क्षेत्र के अनुसार अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ियों का वर्ष 2018-19 में हुई धोखाधड़ियों में शामिल कुल राशि में बड़ा हिस्सा था, जबकि तुलन पत्रेतर मर्दों में धोखाधड़ियों का हिस्सा एक वर्ष पहले की तुलना में कम हुआ है (सारणी VI.2)। धोखाधड़ियों की संख्या के संदर्भ में भी अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ियां अत्यधिक थीं एवं उनके बाद क्रमशः कार्ड / इंटरनेट संबंधी धोखाधड़ियों तथा जमाराशि संबंधी धोखाधड़ियों की संख्या अधिक थी। कार्ड / इंटरनेट तथा जमाराशि संबंधी धोखाधड़ियां 2018-19 में हुई धोखाधड़ियों के कुल मूल्य का केवल 0.3 प्रतिशत थी।

VI.72 धोखाधड़ी और जालसाजी का हिस्सा सर्वाधिक था और उसके बाद क्रमशः दुर्विनियोजन एवं भरोसा तोड़ने के आपराधिक मामले आते हैं। वर्ष 2018-19 में धोखाधड़ियों की

कुल राशि में से ₹0.10 मिलियन से कम (अर्थात्, कम मूल्य की धोखाधड़ियां) राशियों वाली धोखाधड़ियों के मामलों का प्रतिशत केवल 0.1 प्रतिशत रहा।

सीमा-पारीय पर्यवेक्षण

VI.73 रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षी सहयोग के लिए विभिन्न अधिकार क्षेत्रों से 48 बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के साथ समझौते स्थापित किए। सीमा पारीय पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, तथा आईसीआईसीआई बैंक के लिए मेजबान पर्यवेक्षकों एवं घरेलू विनियामकों के साथ पर्यवेक्षी महाविद्यालयों की बैठकें आयोजित की गईं।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

VI.74 जोखिम तथा पूंजी के मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के अंतर्गत आरबीएस को भारत

में परिचालन करने वाले बैंकों के लिए छह पर्यवेक्षी चक्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। एसएफबी के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को विकसित किया गया तथा प्रायोगिक तौर पर लागू कर दिया गया। वर्ष के दौरान बैंकों के बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंध तंत्र के लिए संवेदीकरण सत्र संचालित किए गए।

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक (एससीए)

VI.75 रिज़र्व बैंक ने तिमाही अंतरालों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षकों तथा पर्यवेक्षित बैंकों के एससीए के बीच संरचित बैठकों की व्यवस्था स्थापित की है ताकि सूचना के आदान-प्रदान, चिंताओं तथा व्यापक चर्चाओं हेतु पर्यवेक्षकों तथा लेखापरीक्षकों के बीच के संबंध की कारगरता में सुधार लाया जा सके।

सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले – परिचालन क्षेत्र

बैंक समूह/ संस्था	2017-18		2018-19	
	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि (₹ मिलियन)	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि (₹ मिलियन)
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2,885 (48.8)	382,608.7 (92.9)	3,766 (55.4)	645,094.3 (90.2)
निजी क्षेत्र के बैंक	1,975 (33.4)	24,782.5 (6.0)	2,090 (30.7)	55,151.4 (7.7)
विदेशी बैंक	974 (16.5)	2,560.9 (0.6)	762 (11.2)	9,553.0 (1.3)
वित्तीय संस्थाएं	12 (0.2)	1,647.0 (0.4)	28 (0.4)	5,534.1 (0.8)
लघु वित्त बैंक	65 (1.1)	61.9 (0.0)	115 (1.7)	75.2 (0.0)
भुगतान बैंक	3 (0.1)	9.0 (0.0)	39 (0.6)	21.1 (0.0)
स्थानीय क्षेत्र बैंक	2 (0.0)	0.4 (0.0)	1 (0.0)	0.2 (0.0)
कुल	5,916 (100.0)	411,670.4 (100.0)	6,801 (100.0)	715,429.3 (100.0)

नोट : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. उपर्युक्त आंकड़े उक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई ₹0.1 मिलियन तथा उससे अधिक राशि की धोखाधड़ियों के संबंध में हैं। "शामिल राशि" बैंकों को हुई हानि के समतुल्य नहीं है। कुछ धोखाधड़ियों के मामलों में, उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन में, कोई हानि नहीं भी हो सकती है।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

परिचालन क्षेत्र	2017-18		2018-19	
	धोखाधड़ियों की संख्या (₹ मिलियन)	शामिल राशि (₹ मिलियन)	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि (₹ मिलियन)
1	2	3	4	5
अग्रिम	2,525 (42.7)	225,583.2 (54.8)	3,606 (53.0)	645,481.7 (90.2)
तुलन पत्रेतर	20 (0.3)	162,876.7 (39.6)	33 (0.5)	55,375.2 (7.7)
विदेशी मुद्रा लेनदेन	9 (0.2)	14,258.0 (3.5)	13 (0.2)	6,953.8 (1.0)
कार्ड/ इंटरनेट	2,059 (34.8)	1,095.6 (0.3)	1,866 (27.4)	713.8 (0.1)
जमाराशियाँ	697 (11.8)	4,622.7 (1.1)	596 (8.8)	1,483.1 (0.2)
अंतर-शाखा खाते	6 (0.1)	11.9 (0.0)	3 (0.0)	1.1 (0.0)
नकद	218 (3.7)	403.4 (0.1)	274 (4.0)	555.4 (0.1)
चेक / मांग ड्राफ्ट, आदि	207 (3.5)	341.2 (0.1)	189 (2.8)	336.6 (0.0)
समाशोधन खाते, आदि	37 (0.6)	56.2 (0.0)	24 (0.4)	2,088.1 (0.3)
अन्य	138 (2.3)	2,421.5 (0.6)	197 (2.9)	2,440.5 (0.3)
कुल	5,916 (100.0)	411,670.4 (100.0)	6,801 (100.0)	715,429.3 (100.0)

नोट : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. उपर्युक्त आंकड़े उक्त अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई ₹0.1 मिलियन और इससे अधिक की धोखाधड़ियों के संबंध में हैं।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

VI.76 बैंकों (एससीबी और सहकारी बैंक) एवं एनबीएफसी के बीच के प्रणालीगत लिंकेज तथा उनकी परस्पर संबद्धता को समझने के उद्देश्य से पर्यवेक्षी विभागों के कतिपय कार्यों को एकीकृत करने पर विचार किया गया है ताकि (ए) प्रणालीगत जोखिमों को समग्र रूप से समझा जा सके; (बी) प्रभावशाली ऑफ-साइट निगरानी के लिए विभिन्न संस्थाओं में लिंकेज, संक्रामकता एवं जोखिम में बढ़ती को समझा जा सके; (सी) संस्था-निरपेक्ष विषयगत अध्ययनों पर आधारित प्रणालीगत पूर्व चेतावनी संकेत का पता लगाया जा सके। बैंकों के लिए एक अधुनातन पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क सुनिश्चित करने के लिए समर्पित और विशेषज्ञ अधिकारियों का एक संवर्ग तैयार करने का भी प्रस्ताव है। पर्यवेक्षण के तहत प्रभावी तरीके से जोखिम का पता लगाने और लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर ऑफ-साइट निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

VI.77 वित्तीय स्थिरता के लिए होने वाले खतरों में साइबर जोखिम एक और खतरा बनकर उभरने के मद्देनजर डीबीएस का विचार है कि एससीबी, एफआई तथा सीआईसी के अतिरिक्त सहकारी बैंकों एवं एनबीएफसी का साइबर सुरक्षा संबंधी पर्यवेक्षण किया जाए।

VI.78 आईएफआरएस/इंड एस के कार्यान्वयन के संबंध में विनियामकीय दिशा-निर्देशों के विकास के क्रम में बैंकों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक रिपोर्टिंग पर प्रभाव की समीक्षा की जाएगी तथा उस पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाया जाएगा एवं उसके साथ एकीकृत किया जाएगा।

VI.79 आरबीएस के अंतर्गत निरीक्षण की आवधिकता एवं कार्यक्रमों, आईटी जांच तथा इस प्रकार के कार्यों को देखने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण रखने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समाधान (आईसीएमटीएस-एकीकृत अनुपालन प्रबंधन एवं ट्रेकिंग प्रणाली) की परिकल्पना की गई है। उसमें अंतर्निर्मित सुधारात्मक कार्य प्रगति, टाइम ट्रेकिंग, ई-मेल आधारित सूचना एवं चेतावनी, प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट तथा डैशबोर्ड जैसी सामर्थ्य होगा ताकि संपूर्ण प्रगति का आकलन किया जा सके।

VI.80 भारतीय रिजर्व बैंक धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था को सुधारने तथा आवश्यक सुधारात्मक विनियामकीय तथा पर्यवेक्षी कार्रवाई करने हेतु विभिन्न डेटाबेस तथा सूचना प्रणालियों को परस्पर जोड़ने की संभाव्यता की जांच करने के लिए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा। बैंकों के लिए धोखाधड़ी प्रबंधन फ्रेमवर्क में सुधार करने हेतु : (ए) धोखाधड़ी पर मास्टर निदेश में संशोधन करते हुए अनुभव के आधार पर उसमें नये अनुदेश शामिल किए जाएंगे; (बी) व्यापक स्तर पर की गयी समीक्षाओं के आलोक में बैंकों के लिए धोखाधड़ी पर कार्यशालाएं आयोजित करते हुए उन्हें धोखाधड़ी की रोकथाम, उसकी त्वरित/सटीक रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में संवेदनशील बनाया जाएगा; (सी) धोखाधड़ी रजिस्ट्री को उपयोक्ता-सुगम बनाया जाएगा; और (डी) धोखाधड़ी विश्लेषण-शास्त्र में सुधार किया जाएगा।

सहकारी बैंक : सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)

VI.81 सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) का प्राथमिक उत्तरदायित्व प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का पर्यवेक्षण करना और सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का निर्माण सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डीसीबीएस यूसीबी की आवधिक ऑन-साइट निगरानी एवं सतत ऑफ-साइट निगरानी करता है। मार्च 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार, देश में 1,542 यूसीबी काम कर रहे थे, जिनमें से 46 यूसीबी की निवल मालियत ऋणात्मक रही और 26 यूसीबी रिजर्व बैंक के निर्देशों के अधीन रहे।

2018-19 के लिए कार्य योजना - कार्यान्वयन की स्थिति

यूसीबी को सीबीएस अनुकूल बनाने के प्रयास

VI.82 कतिपय यूसीबी में सीबीएस प्रणाली के लिए टेक्नालॉजिकल प्लैटफॉर्म को अपनाने के कार्य में विशेषज्ञता के अभाव तथा/ अथवा पूंजीगत अथवा आवर्ती हानि के कारण विलंब हुआ। रिजर्व बैंक ने उपाय किए हैं तथा ऐसे यूसीबी को पर्याप्त समर्थन देने हेतु राज्य सरकारों के साथ समन्वय भी किया है ताकि वे सीबीएस को कार्यान्वित कर सकें। परिणामस्वरूप, ऋणात्मक निवल मालियत वाले कुछ यूसीबी को छोड़कर उन

सभी यूसीबी ने अब सीबीएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है जो पिछले एक वर्ष तक सीबीएस से लैस नहीं थे।

निरीक्षण प्रक्रिया समीक्षा

VI.83 यूसीबी की निरीक्षण प्रक्रिया पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने तथा वित्तीय तथा कार्यात्मक मानदंडों में सन्निहित जोखिमों को पकड़ने के लिए उसकी समीक्षा की गई तथा संशोधन किया गया। वित्तीय मानदंडों में हुए परिवर्तनों को सटीक तरीके से प्रतिबिंबित करने के लिए निरीक्षण रेटिंग मॉडल में भी संशोधन किया गया।

साइबर सुरक्षा नीति

VI.84 सभी यूसीबी को सूचित किया गया कि वे अपने बोर्ड/ प्रशासक द्वारा विधिवत अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति स्थापित करें जिसमें कारोबार की जटिलताओं के स्तर तथा जोखिम के स्वीकार्य स्तरों के आधार पर साइबर खतरों को रोकने के लिए फ्रेमवर्क तथा कार्यनीति बनी हो। यह नीति उक्त यूसीबी की आईटी/ सूचना प्रणालियों (आईएस) नीति से भिन्न होनी चाहिए ताकि वह साइबर खतरों से उभरने वाले जोखिमों तथा इन जोखिमों से निपटने/ कम करने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रकाश डालती है। साइबर- हमले की घटनाओं के संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए एक पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी स्थापित किया गया है (बॉक्स VI.5)।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

केंद्रीकृत धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) का कार्यान्वयन

VI.85 शहरी सहकारी बैंकों के बीच धोखाधड़ी से संबन्धित जानकारी को शेयर करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के लिए स्थापित सीएफआर की तरह ही एक व्यवस्था तैयार करने का प्रस्ताव है। इससे समस्त क्षेत्र में समय पर और समरूपी तरीके से धोखाधड़ी संबंधी जानकारी शेयर की जा सकेगी।

विसंगतियों का समय रहते आकलन और सामयिक पर्यवेक्षण योजना बनाने हेतु बहुकार्यसाधक रिपोर्ट तैयार करना।

VI.86 पर्यवेक्षी इनपुट के लिए उपलब्ध डेटा का इष्टतम उपयोग करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है कि ओएसएस डेटा का प्रयोग करते हुए चुनिन्दा वित्तीय पैरामीटरों से प्राप्त संशोधित आरंभिक संकेतकों पर आधारित मानकीकृत रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि विसंगतियों का समय रहते आकलन और सामयिक पर्यवेक्षी कार्रवाई हो सके।

चुनिन्दा शहरी सहकारी बैंकों के लिए विभेदीकृत पर्यवेक्षण व्यवस्था

VI.87 यह परिकल्पना की गई है कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों हेतु जोखिम आधारित मूल्यांकन कर शहरी सहकारी बैंकों के लिए विभेदीकृत पर्यवेक्षण व्यवस्था आरंभ की जाए। यह प्रयास निरीक्षकों के स्किल-सेट में सुधार और बैंकों में जोखिम आकलन हेतु प्रक्रियाओं की शुरुआत की दिशा में ले जाएगा।

बॉक्स VI.5

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क

बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने तथा सेवाएँ प्रदान करने, लेखा विधि तथा एमआईएस में सुविधा हो इस उद्देश्य से यूसीबी क्षेत्र ने अपने दैनंदिन परिचालनों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया है। तथापि उससे यूसीबी को आईटी तथा साइबर खतरों से संबद्ध जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च प्रोफाइल वाले साइबर हमलों, ग्राहक से संबंधित सूचना की चोरी, नेट बैंकिंग का छलपूर्ण उपयोग तथा डेबिट/ क्रेडिट कार्ड पर स्टोर की गई सूचना की चोरी (स्कीमिंग) की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य हो गया है कि यूसीबी को साइबर खतरों से होने वाले जोखिम से सुरक्षित रखने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाए।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर 19 अक्तूबर 2018 के परिपत्र के अनुसार सभी यूसीबी

को सूचित किया गया था कि वे एक ऐसी साइबर सुरक्षा नीति तैयार करें जिसमें सगठनात्मक व्यवस्थाएं, सभी हितधारकों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता निर्माण करने, ग्राहक संबंधी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, तथा बुनियादी साइबर सुरक्षा नियंत्रणों को कार्यान्वित करने संबंधी दिशा-निर्देश शामिल हो। नीति ने यह भी अपरिहार्य किया कि बिजनस आईटी परिसंपत्ति का इवेंट्री प्रबंधन, पर्यावरण नियंत्रण, नेटवर्क प्रबंध तथा सुरक्षा, सुरक्षित कॉन्फिगरेशन, यूसर एक्सैस नियंत्रण/ प्रबंध, वेंडर/ आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन तथा यूसरस / कर्मचारी/ प्रबंध तंत्र के लिए जागरूकता निर्माण करने का कार्य समय-बद्ध रूप में पूरा हो। यूसीबी के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी सभी असाधारण घटनाओं (अनधिकृत प्रवेश की कोशिश सहित) की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को करने के लिए एक पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

एनबीएफसी: गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)

VI.88 गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जमाकर्ताओं तथा ग्राहकों का संरक्षण करने का अधिदेश दिया गया है। जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी को उनके प्रणालीगत महत्व के आधार पर ऑन-साइट तथा ऑफ-साइट कड़ी निगरानी रखी जाती है। ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए 2006 में उचित व्यवहार संहिता तैयार की। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (अर्थात् ₹5 बिलियन तथा उससे अधिक राशि की आस्तियां), जिनकी वर्तमान संख्या 276 है और जो क्षेत्र की आस्ति के आकार का 85 प्रतिशत हिस्सा है, की कड़ी निगरानी के माध्यम से वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का दायित्व सुनिश्चित किया जाता है। जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई की निगरानी के लिए पर्यवेक्षण के सभी चार स्तंभों [अर्थात् ऑन-साइट परीक्षण; ऑफ- साइट निगरानी; बाज़ार आसूचना; तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त वार्षिक प्रमाण-पत्र] का उपयोग किया जाता है। छोटी एनबीएफसी की ऑफ-साइट निगरानी, बाज़ार आसूचना तथा ऑन-साइट संवीक्षा दौरे के माध्यम से निगरानी की जाती है। अक्टूबर 2018 से अर्थ दंड लगाए जाने की प्रक्रिया को पर्यवेक्षी कार्य से अलग कर दिया गया है ताकि स्वतंत्र तथा निरपेक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। एनबीएफसी के मामले में अर्थ दंड का निर्णय अब प्रवर्तन विभाग द्वारा लिया जाता है।

2018-19 की कार्ययोजना - कार्यान्वयन की स्थिति

VI.89 एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए अपनाए गए 'स्वामित्व-निरपेक्षता' सिद्धान्त के एक भाग के रूप में सरकार के स्वामित्व वाली सभी एनबीएफसी-एनडी-एसआई (उक्त क्षेत्र की आस्तियों में जिनका 30 प्रतिशत है) तथा सरकारी स्वामित्व वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (उक्त क्षेत्र की आस्तियों में जिनका 1.4 प्रतिशत है) को 2018-19 के निरीक्षण चक्र से रिज़र्व बैंक के ऑन-साइट निरीक्षण फ्रेमवर्क तथा ऑफ-साइट निगरानी के अंतर्गत लाया गया है। सभी एनबीएफसी के साथ-साथ फिन-टेक आधारित पी2पी एनबीएफसी को भी रिज़र्व बैंक के एक्स्टेंसिबल बिज़नस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लैटफ़ॉर्म के माध्यम से ऑफ-साइट रिपोर्टिंग के अंतर्गत लाया गया है।

VI.90 इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन तथा उनकी निगरानी के मामले में एनबीएफसी क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की निगरानी में वृद्धि हुई है तथा उसे 1 अप्रैल 2019 से डीबीएस के साइबर सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण (सीएसआईटीई) कक्ष में केंद्रीकृत किया गया है। सभी एनबीएफसी को यह सूचित किया गया है कि वे साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार की असाधारण घटनाओं को एक विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में जेनेरिक ई-मेल आईडी (cybersecuritynbfcc@rbi.org .in) के माध्यम से डीबीएस के सीएसआईटीई कक्ष को रिपोर्ट करें।

VI.91 अनुपालन नहीं करने वाली कमजोर एनबीएफसी को समाप्त (वीड-आउट) करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में ₹20 मिलियन की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि की अपेक्षा के मानदंड को पूर्ण नहीं करने वाली 1604 एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किए गए। आईएनडी एस के कार्यान्वयन की तैयारी के लिए फरवरी 2019 में उक्त विषय पर मुंबई में एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

2019-20 की कार्ययोजना

VI.92 वर्ष 2019-20 के दौरान एनबीएफसी के चार पर्यवेक्षी स्तंभों को और मजबूत बनाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे।

ऑन-साइट पर्यवेक्षण

VI.93 सभी विनियमित संस्थाओं (अर्थात्, बैंक/एनबीएफसी) का निरीक्षण एक साथ किया जाएगा ताकि अंतर/अंतः – समूह लेनदेन तथा एक्सपोजरों को बेहतर समझा जा सके तथा किसी एनबीएफसी, जिसका उसी समूह में अन्य एनबीएफसी/बैंक है, का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। एकल बड़े एनबीएफसी/एनबीएफसी समूह के लिए संपर्क के केंद्रीय बिन्दु के रूप में वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक की संकल्पना को बड़ी संस्थाओं/समूहों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऑन-साइट निरीक्षण प्रणाली तथा ऑफ-साइट निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाया जा रहा है तथा बाज़ार से निधियों का दोहन करके उन्हें समूह कंपनियों में निवेश करने/ उधार देने वाली मूलभूत निवेश कंपनियों (सीआईसी) की कड़ी निगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सीआईसी के पर्यवेक्षी/विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा की जाएगी।

ऑफ-साइट निगरानी

VI.94 एनबीएफसी के लिए ऑफ-साइट विवरणियों में संशोधन किया जा रहा है तथा प्राप्त किए जा रहे सूचनाओं के समुच्चय को अधिक गहन तथा विस्तृत बनाया जा रहा है। इन विवरणियों को तर्कसंगत बनाते हुए 21 से घटाकर 17 तक कम किया गया है। विवरणियों को एक्सबीआरएल में सन्निहित प्रमाणन जांच सहित विकसित किया जा रहा है। रिपोर्टिंग की यथार्थता सहित विनियमित संस्था में कमजोरी के प्रारंभिक सावधानी संकेतों की पहचान करने तथा आंकड़ों की समय पर प्रस्तुति की जांच करने के लिए विभिन्न रिपोर्टें तैयार की गई हैं।

बाजार आसूचना

VI.95 जमाराशि का अनधिकृत संग्रहण तथा पोंजी योजनाओं को रिपोर्ट करने के लिए वर्ष 2016 में दो भाषाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी) में सचेत पोर्टल की शुरुआत की गई। यह पोर्टल 2019-20 में पहले से उपलब्ध हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के अतिरिक्त 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पोंजी योजनाओं तथा अनधिकृत निकायों द्वारा जमा संग्रहण से संबंधित सूचना प्राप्त करने में सुविधा होगी। इससे वित्तीय साक्षरता के प्रसार में भी मदद मिलेगी क्योंकि पोर्टल में कई भाषाओं में वित्तीय साक्षरता संबंधी सामग्री भी शामिल है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) द्वारा वार्षिक रिपोर्टों की प्रस्तुति

VI.96 एसए के लिए एक टेम्पलेट तैयार किया जाएगा ताकि वे लेखा परीक्षित डेटा को एक्सबीआरएल के माध्यम से रिजर्व

बैंक के डेटाबेस में सीधे अपलोड कर सकें, जो एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत ऑफ-साइट डेटा की तुलना करने के लिए मानदंड (बेंचमार्क) भी निर्धारित करेगा।

अन्य हितधारकों के साथ बातचीत

VI.97 डीएनबीएस पर्यवेक्षण के पांचवें स्तंभ के विकास की दिशा में कार्य करेगा अर्थात्, एनबीएफसी, उनके एसए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, अन्य विनियामकों और इस क्षेत्र में बड़े एक्सपोजर वाले बैंकों सहित इस क्षेत्र के हितधारकों के साथ सहभागिता करेगा; ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्र में उभरते जोखिमों और गतिविधियों को पहचान कर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.98 प्रवर्तन विभाग (ईएफडी) अप्रैल 2017 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, जन-हित तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण सिद्धान्त के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं से अधिक अनुपालन प्राप्त करने के लिए सभी बैंकों में विनियमों को समान रूप से प्रवर्तित करना है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) द्वारा अनुमोदित प्रवर्तन नीति तथा फ्रेमवर्क, प्रवर्तन करने में निष्पक्ष, सुसंगत तथा निष्पक्ष होने की आवश्यकता पर जोर देता है (बॉक्स VI.6)।

2018-19 की कार्य-योजना : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.99 3 अक्टूबर 2018 से सहकारी बैंकों तथा एनबीएफसी से संबंधित प्रवर्तन कार्य को विभाग के अंतर्गत लाया गया। वर्ष

बॉक्स VI.6

प्रवर्तन नीति तथा फ्रेमवर्क

विश्वसनीय बैंकिंग विनियामक तथा पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के लिए प्रभावी, सुसंगत तथा पूर्वानुमेय प्रवर्तन फ्रेमवर्क अपरिहार्य है। प्रवर्तन कार्रवाई का विनियमित संस्था (आरई) के लिए धन तथा प्रतिष्ठा के संबंध में निवारक प्रभाव पड़ता है तथा किसी प्रवर्तन कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्रभाव भी सूत्रलेखित है। अध्ययन द्वारा यह पता चला है कि कार्रवाई के परिणाम स्वरूप न केवल प्रतिबंधित बैंकों के मामले में बल्कि गैर-प्रतिबंधित बैंकों का व्यवहार भी अनुकूल बनता है। (डेलीस, स्टाइकौरस तथा त्सौमस, 2016)

प्रवर्तन, पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में अनुपालन प्राप्त करने के लिए वास्तविक अथवा बैंकों / व्यक्तियों पर दंड लगाने के लिए औपचारिक हो

सकता है; अथवा, विनियामक द्वारा जारी स्पष्टीकरण / सतर्कता सूचना के संबंध में अनौपचारिक हो सकता है। प्रवर्तन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण में दोनों तत्व, सतत/ आवर्ती शामिल हैं जिसके अनुपालन नहीं करने के लिए कठोर औपचारिक कार्रवाई की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव

अमरीका में फेडरल डिपॉजिट इन्शुरेंस (एफडीआई) एक्ट तथा फेडरल डिपॉजिट इन्शुरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) नियम और विनियम, फ्राइनेशियल इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म, रिकवरी और एन्फोर्समेंट एक्ट (जारी...)

(एफआईआरआईए), 1989 तथा यूएस सिविल कोड, कुछ ऐसे कानून हैं जो वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करते हैं। पर्यवेक्षी तथा प्रवर्तन शक्तियों को फेडरल तथा स्टेट स्तर पर विभिन्न एजेंसियों तथा चार एजेंसियों जैसे कि फेडरल रिजर्व सिस्टम (फेडरल रिजर्व) के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स, एफडीआईसी, ऑफिस ऑफ कॉम्पट्रोल ऑफ करेंसी (ओसीसी) तथा कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो (सीएफपीबी)² के बीच विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) आपराधिक जुर्म तथा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार से संबंधित दुराचार का प्रवर्तन करता है। उसकी गंभीरता के आधार पर उल्लंघनों को टिआर 1, टिआर 2, तथा टिआर 3 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा प्रवर्तन कार्रवाई में गैर-मौद्रिक कार्रवाई जैसे सार्वजनिक वक्तव्य, समाप्ति तथा रुकने के आदेश, प्राधिकारों का प्रत्याहार तथा प्रबंध तंत्र पर अस्थायी प्रतिबंध, मौद्रिक दंड तथा आपराधिक दंड शामिल होते हैं।

यूरोपियन यूनियन (ईयू) में, बैंकिंग पर्यवेक्षण एक सिंगल सुपरवाइजरी मेकनिज्म द्वारा किया जाता है, जो कि ईयू बैंकिंग यूनियन के दो स्तंभों में से एक है और दूसरा है सिंगल रेसोल्यूशन मेकनिज्म और उसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी), तथा सहभागी सदस्य राज्यों की नेशनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज (एनसीए) शामिल हैं। ईसीबी तथा एनसीए का पर्यवेक्षी दायरा किसी संस्था के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित होता है, जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का पर्यवेक्षण ईसीबी द्वारा और कम महत्व वाली संस्थाओं का पर्यवेक्षण एनसीए द्वारा किया जाता है। ईसीबी अथवा एनसीए महत्वपूर्ण संस्थाओं तथा कम महत्व वाली संस्थाओं पर उनके द्वारा किए गए उल्लंघन (ईयू कानून, ईसीबी विनियमन, तथा निर्णयों अथवा राष्ट्रीय कानून का) के स्वरूप के आधार पर मौद्रिक दंड लगा सकता है। यह दंड प्राप्त लाभ अथवा बचाई गई हानि की राशि के दुगुनी राशि तक अथवा पिछले कारोबारी वर्ष में महत्वपूर्ण संस्था के कुल वार्षिक टर्नओवर के 10 प्रतिशत तक *कास्गरता, समानुपातिकता* तथा *निवर्तनीयता* के सिद्धान्तों के आधार पर उल्लंघन की तीव्रता तथा मामले के उत्तेजक तथा गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में लेते हुए लगाया जाता है। परिसीमन की अवधि (उल्लंघन की तारीख से) जिसके भीतर दंड लगाने का निर्णय लेना है तथा जिस अवधि के भीतर दंड की वसूली करनी है - दोनों को विनियम में निर्धारित किया गया है।

भारत

रिजर्व बैंक के पास बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र³ को प्रभावित करने वाले विभिन्न कानूनों के अंतर्गत दंड लगाने की शक्तियाँ हैं। जहाँ रिजर्व बैंक इन संविधियों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है, यह प्रक्रिया विभिन्न पर्यवेक्षी / विनियामक विभागों के बीच फैली हुई थी और प्रवर्तन

कार्रवाई को पर्यवेक्षी प्रक्रिया से अलग रखने की अंतरराष्ट्रीय उत्तम प्रथा के अनुरूप नहीं थी। तदनुसार, उल्लंघनों की पहचान करने तथा प्रवर्तन की कार्रवाई को पर्यवेक्षी प्रक्रिया से अलग रखने की दृष्टि से तथा प्रवर्तन कार्रवाई के लिए एक स्वस्थ फ्रेमवर्क तथा प्रक्रिया स्थापित करने तथा प्रवर्तन करने के लिए रिजर्व बैंक के भीतर अप्रैल 2017 में प्रवर्तन विभाग (ईएफडी) की स्थापना की गई।

प्रवर्तन नीति तथा उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, जन हित तथा उपभोक्ता सुरक्षा को सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण सिद्धान्त के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा इस नीति के अंतर्गत जारी संविधियों तथा विनियम/ निदेशों का अधिक अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस नीति के अंतर्गत मनमानी को कम से कम रखने के लिए सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू *भौतिकता, अनुपातिकता*, तथा *आशय* के सुपरिभाषित सिद्धान्तों के आधार पर पर्यवेक्षी विभागों द्वारा अंतिम रूप दिए गए निरीक्षण रिपोर्टों और संवीक्षा रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई शुरू करना अपेक्षित है। इसके अंतर्गत विवेक (निरपेक्ष, सुसंगत तथा पूर्वानुमेय) भी अपेक्षित है और उच्चतर घटना तथा अधिक प्रणालीगत प्रभाव वाले उल्लंघनों पर कठोर कार्रवाई (प्रतिक्रियाशील, जोखिम केन्द्रित तथा आनुपातिक) अपेक्षित है।

प्रवर्तन का दायरा

जहाँ विभिन्न संविधि रिजर्व बैंक को मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक दोनों प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्तियाँ प्रदान करते हैं, वहाँ प्रवर्तन नीति में ऐसे उल्लंघनों को संबोधित किया गया है, जिन पर मौद्रिक दंड लागू किया जाता है। जिन उल्लंघनों पर गैर-मौद्रिक दंड आकर्षित होगा अथवा दंडात्मक ब्याज लागू किया जाना है वे दंड संबंधित विनियामक तथा पर्यवेक्षी विभागों द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे। यह नीति न तो व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई करना परिकल्पित करती है न ही प्रवर्तन शिकायत निवारण का एक तंत्र है। प्रवर्तन कार्रवाई पर्यवेक्षी अनुपालन प्रक्रिया के लिए ऐवजी व्यवस्था भी नहीं है।

प्रवर्तन का आधार

कार्रवाई योग्य उल्लंघनों को निम्नलिखित के आधार पर निर्धारित किया जाता है: (ए) उल्लंघन का तथ्य, तथा (बी) उल्लंघन की *भौतिकता*। उल्लंघन के तथ्य को सांविधिक प्रावधान के अस्तित्व तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए निदेश/ दिशा-निर्देश तथा उसके उल्लंघन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उल्लंघन की *भौतिकता* को (जारी...)

² फेडरल रिजर्व, बैंक होल्डिंग कंपनियों, स्टेट चार्टर्ड बैंक जो कि फेडरल रिजर्व सिस्टम के सदस्य हैं तथा अमरीका में परिचालन करने वाली विदेशी बैंकों का पर्यवेक्षण करता है; एफडीआईसी उन स्टेट चार्टर्ड बैंकों का विनियमन करता है जो फेडरल रिजर्व सिस्टम तथा स्टेट चार्टर थ्रिप्ट्स के सदस्य नहीं हैं; ओसीसी सभी राष्ट्रीय बैंकों तथा फेडरल सेविंग एसोसिएशन तथा विदेशी बैंकों की शाखाओं का विनियमन तथा पर्यवेक्षण करता है; और सीएफपीबी फेडरल उपभोक्ता वित्तीय अभिरक्षा विधियों का प्रवर्तन करता है।

³ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; सरफेसी अधिनियम, 2002; फेक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011; ऋण आसूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005; आदि

उल्लंघन के दायरे⁴, बारंबारता⁵ तथा गंभीरता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उल्लंघन की गंभीरता को उल्लंघन में शामिल राशि की निवल संख्या अथवा कारोबार के आकार के अनुपात के रूप में निर्धारित किया जाता है। उल्लंघनों की पुनरावृत्ति/ सातत्य तथा मिथ्या अनुपालन, यदि कोई हो, जैसे उत्तेजक कारकों को भी भौतिकता को निर्धारित करने में विचार में लिया जाता है।

न्यायनिर्णयन प्रक्रिया

प्रवर्तन कार्रवाई की प्रक्रिया में विनियमित संस्था (आरई) को कारण बताओ नोटिस जारी करना और उक्त संस्था को लिखित में और यदि अनुरोध करें तो मौखिक सुनवाई का भी उचित अवसर प्रदान करना शामिल होता है। एक तीन सदस्यों की समिति⁶ मामले का न्यायनिर्णयन करती है तथा आरई को तर्कयुक्त सकारण आदेश जारी करती है जिसमें की जाने वाली प्रवर्तन कार्रवाई तथा उसके कारणों को निर्दिष्ट किया जाता है। जहां किसी उल्लंघन के लिए दंड के रूप में लगाई जाने वाली अधिकतम राशि को संबंधित संविधि में निर्धारित किया गया है वहाँ प्रत्येक मामले में उस सीमा के भीतर लगाए जाने वाले दंड को उस मामले की गंभीरता जो कि अनुपातिकता, आशय तथा गंभीरता को कम करने वाले कारकों, यदि कोई हो, के सिद्धांतों पर आधारित है, के आधार पर अभिकलित किया जाता है। लगाया गया दंड आरई द्वारा संबंधित संविधियों में निर्धारित अवधि के भीतर देय है। वर्तमान में संविधियाँ रिजर्व बैंक को केवल आरई पर ही दंड लगाने के अधिकार देती हैं और


संस्था के प्रभारी व्यक्ति अथवा उल्लंघन के लिए प्रकट रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों पर नहीं। सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मौद्रिक दंड लगाने के मामलों को छोड़कर रिजर्व बैंक के पास कार्यपालक निदेशकों की समिति (ईडीसी) के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार करने अथवा उसकी समीक्षा करने का अधिकार नहीं है।

संदर्भ:

1. सियाज्जा, एस., कोटुगनों, एम., फिओर्डेलिसी, एफ., तथा स्टेफनेली, वी.,(2018) "द स्पिलओवर इफेक्ट ऑफ एन्फॉर्समेंट एक्शनस ऑन बैंक रिस्क टेकिंग", जर्नल ऑफ बैंकिंग अँड फ़ाइनेंस, 91, 146-159.
2. डेलीस, एम.डी., स्टाइकौरस, पी., तथा त्सौमस, सी. (2016)" फॉर्मल एन्फॉर्समेंट एक्शनस एन्ड बैंक बिहेव्यर", मैनेजमेंट साइन्स, 63(4).
3. डेलीस, एम.डी. तथा स्टाइकौरस, पी. (2011) "सूपर्वाइजरी इफेक्टिवनेस तथा बैंक रिस्क" रिव्यू ऑफ फ़ाइनेंस, 15 (3), 511-543.
4. कालेंटी, ई. (2017) "फ़ाइनेंस फॉर मिस्कन्डक्ट इन द बैंकिंग सैक्टर –वॉट इज़ द सिचुएशन इन ईयू?" मार्च (<http://www.europarl.europa.eu/committees/en/ECON/home.html> पर उपलब्ध है)
5. आरबीआई (2017) "विकासत्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य" फ़रवरी।

जुलाई 2018 से जून 2019 तक (चार्ट VI.1) विभाग ने 47 बैंकों (नौ विदेशी बैंक, एक भुगतान बैंक, तथा एक सहकारी बैंक सहित) पर प्रवर्तन कार्रवाई की तथा धोखाधड़ी के वर्गीकरण तथा उनकी रिपोर्टिंग पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने/ उल्लंघन करने; चालू खाता खोलते समय अनुशासन का पालन नहीं करने; आरबीएस के अंतर्गत सीआरआईएलसी प्लेटफ़ार्म को रिपोर्ट नहीं करने; रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए केवाईसी मानदंडों, आईआरएसी मानदंडों, एटीएम-संबंधी ग्राहक की शिकायतों के समाधान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन; नए खाते खोलने पर रोक संबंधी सर्व – समावेशी निदेशों तथा विशिष्ट निदेशों का उल्लंघन; साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तथा स्विफ्ट-संबंधी परीचालनगत नियंत्रणों के समयबद्ध कार्यान्वयन तथा

चार्ट VI.1: बैंकारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लगाए गए मौद्रिक दंड



* मीडिया के रिपोर्टों के मद्देनजर प्रारंभ की गई संवीक्षा के आधार पर केवाईसी संबंधी उल्लंघनों के लिए 31 बैंकों पर लगाए गए दंड शामिल हैं।

नोट : प्रति वर्ष 31 मार्च से संबंधित आंकड़े।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

⁴ विनियामकीय सीमा का किस स्तर अथवा प्रतिशत में उल्लंघन किया गया है; यदि अल्प प्रतिशत/ स्तर में है फिर भी उल्लंघन है, और वह कितना फैला है (भौगोलिक रूप से)।

⁵ किसी विशिष्ट नमूने में उसी उल्लंघन की एकाधिक घटनाएं।

⁶ केंद्रीय कार्यालय स्तर पर इसमें तीन कार्यपालक निदेशक तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर इसमें क्षेत्रीय निदेशक तथा क्षेत्रीय कार्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।

उन्हें मजबूत बनाने संबंधी निदेशों का अननुपालन; थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेकों से संबंधित निदेशों का उल्लंघन तथा नोट सॉर्टिंग पर निदेशों, जोखिम कम करने की योजना (आरएमपी) में निहित निदेशों; सूचना प्रस्तुत करने संबंधी निदेशों तथा 'गारंटी तथा सह-स्वीकृतियों' पर निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए ₹1,238.6 मिलियन का समग्र दंड लगाया।

वर्ष 2019-20 कार्य-योजना

VI.100 प्रवर्तन नीति तथा फ्रेमवर्क जिसे वाणिज्यिक बैंकों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने के विभाग के दायित्व की पृष्ठभूमि में विकसित किया गया था, अब सहकारी बैंकों तथा एनबीएफसी के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने के उनके विस्तारित दायित्व के परिप्रेक्ष्य में इसमें संशोधन किया जाएगा। इस विस्तारित दायित्व के अनुसरण में ईएफडी क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) जिन्हें 2018-19 में स्थापित किया गया था, को वर्ष के दौरान पर्याप्त स्टाफ देकर मजबूत बनाया जाएगा। उल्लंघनों को पकड़ने तथा प्रवर्तन कार्रवाई और अनुपालन को अभिलेखित करने के लिए और एमआईएस जेनेरेट करने के लिए एक डेटाबेस प्रबंध प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है।

5. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.101 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) अन्य बातों के साथ-साथ विनियमित संस्थाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए नितिगत दिशा-निर्देश तैयार करने, रिजर्व बैंक की लोकपाल योजनाओं की कार्यपद्धति की निगरानी करने, तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवाओं तथा सुरक्षा संबंधी वर्तमान विनियमों, और ग्राहक शिकायतों के निवारण के मार्गों के बारे में आम जनता के बीच शिक्षा/ जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया।

2018-19 के लिए कार्ययोजना : कार्यान्वयन की स्थिति

डिजिटल लेनदेन के संबंध में लोकपाल योजना (ओएसडीटी) का प्रारंभ

VI.102 रिजर्व बैंक ने अपने प्रयासों के अनुक्रम में बैंकिंग लोकपाल (बीओ) के सभी विद्यमान कार्यालयों में 31 जनवरी 2019 को ओएसडीटी कार्यान्वित की। उक्त योजना भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के अंतर्गत प्रारंभ की गई। लोकपाल डिजिटल लेनदेन के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत/ विनियमित गैर-बैंक जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। यह योजना बैंकिंग लोकपाल योजना के समान मध्यस्थता/ समझौता के माध्यम से शिकायतों के निवारण के लिए एक निशुल्क तथा त्वरित शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है (बॉक्स VI.7)।

एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना की व्याप्ति को बढ़ाना

VI.103 फरवरी 2018 में एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना कार्यान्वित की गई। एनबीएफसी लोकपाल के कार्यालयों ने चार मेट्रो केंद्रों – चेन्नै, कोलकाता, मुंबई एवं नई दिल्ली में कार्य प्रारंभ कर दिया है; और प्रत्येक कार्यालय द्वारा क्रमशः दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर अंचल के अंतर्गत आने वाली एनबीएफसी के ग्राहकों की शिकायतों का निपटान किया जाता है। यह योजना आरंभिक तौर पर रिजर्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी पर लागू की गई तथा बाद में 4 अप्रैल 2019 की विकासात्मक तथा विनियामक नीतियों पर वकतव्य में घोषित किए गए अनुसार 26 अप्रैल 2019 से इसे ग्राहक इंटरफ़ेस तथा ₹1 बिलियन तथा उससे अधिक राशि की आस्तियों वाली एनएनबीएफसी-एनडी को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।

शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) का प्रारंभ

VI.104 जून 2019 में रिजर्व बैंक ने सीएमएस का शुभारंभ किया जो विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने तथा उनकी स्थिति को ट्रैक करने में

बॉक्स VI.7

प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण के साधनों के रूप में मध्यस्थता तथा समझौता

बैंकिंग लोकपाल (बीओ) योजना, 2006; यथासंशोधित 1 जुलाई 2017, निपटान के माध्यम से शिकायतों के समाधान पर जोर देती है। योजना के खंड 11(1) के अनुसार बीओ समझौता अथवा मध्यस्थता के माध्यम से शिकायतकर्ता तथा बैंक के बीच समझौते द्वारा शिकायतों के निपटान को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। बीओ दस्तावेजी साक्ष्यों तथा लिखित प्रस्तुतियों के आधार पर निपटान करने के प्रयास करता है। तथापि, यदि बैंक तथा शिकायतकर्ता के बीच किसी सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उनके बीच बैठक की आवश्यकता है, तो बीओ समझौताकारी बैठकें आयोजित करता है। ये बैठकें समान्यतः मध्यस्थता से शुरू होती हैं और यदि कोई समाधान नहीं मिलता है तो समझौता किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां आपसी निपटान नहीं होता है, वहाँ बीओ एक 'अधिनिर्णय' जारी करता है, जो कि बैंक

पर बाध्यकारी है। बीओ के कार्यालयों में बड़ी संख्या में प्राप्त समाधान योग्य शिकायतों को परस्पर निपटान तथा समझौतों के माध्यम से निपटाया जा रहा है। समाधान योग्य शिकायतों में 2015-16 के दौरान 35.93 प्रतिशत (18,031 शिकायतें) तथा वर्ष 2018-19 में 70.5 प्रतिशत (64,171 शिकायतें) की वृद्धि हुई।

एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना, 2018 तथा डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को बीओ योजना, 2006 के अनुसार तैयार किया गया है। इन योजनाओं में भी लोकपाल समझौते द्वारा शिकायतों के समाधान का प्रयास करता है।

संदर्भ:

राव, एम.जे. (2019) "कान्सेप्ट्स ऑफ कंसिलिएशन एन्ड मीडियेशन एन्ड देयर डिफरेंसेस"।

सहायता प्रदान करने वाला एक वेब-आधारित सॉफ्टवेयर है। यह प्रणाली तीन लोकपाल योजनाओं- बैंकिंग लोकपाल योजना; एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना; और ओएसडीटी तथा उपभोक्ता शिक्षा और सुरक्षा कक्षा के अंतर्गत शिकायतें दर्ज करने के लिए एकल प्लैटफॉर्म प्रदान करती है। सीएमएस में एक उन्नत एमआईएस होगी जिसका उपभोक्ता सुरक्षा के साथ-साथ पर्यवेक्षी/ विनियामक हस्तक्षेप, यदि कोई हों को सुधारने के लिए नीतिगत सहयोग के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

बैंकों में आंतरिक लोकपाल योजना का परिचालन(आईओ)

VI.105 रिज़र्व बैंक द्वारा 2015 में घोषित तब की आईओ व्यवस्था की पुनः समीक्षा की गई तथा बैंकों में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने की दृष्टि से आईओ योजना, 2018 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत तैयार की गई। इसके अंतर्गत भारत में 10 बैंकिंग आउटलेट से अधिक आउटलेट वाले सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी को छोड़कर) शामिल हैं। यह योजना 3 सितंबर 2018 से कार्यान्वित की गई है।

संतुष्टता सर्वेक्षण

VI.106 रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपभोक्ता सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के लिए एक विशेषीकृत थर्ड पार्टी

एजेंसी के माध्यम से एक अखिल भारतीय स्तर का ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष व्यवस्था की पर्याप्तता/ अपर्याप्तता को दर्शाएँगे तथा कोई अतिरिक्त हस्तक्षेप यदि हो, की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।

शिक्षा/ जागरूकता पहल

VI.107 वर्ष 2018-19 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने देश-भर में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से फर्जी ऑफर, बीएसबीडीए, वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग जैसे विभिन्न विषयों पर जागरूकता अभियान चलाए। रिज़र्व बैंक का एसएमएस हैंडल, 'आरबीआई कहता है' का भी इस प्रकार के विषयों पर टेक्स्ट संदेश भेजने के लिए व्यापक उपयोग किया गया। उपर्युक्त के अलावा अन्य जागरूकता पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ने जनता के लिए एक इंटरैक्टिव वॉइस रिसर्च प्रणाली उपलब्ध कराई। वर्ष के दौरान, बीओ कार्यालयों ने, मुख्य रूप से टियर II शहरों में, 259 टाउन हाल/ जागरूकता/ आउटरिच कार्यक्रम भी आयोजित किए।

वर्ष 2019-20 की कार्य-योजना

VI.108 शिकायत निवारण उपभोक्ता संरक्षण फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिशा में, यह निर्णय लिया गया है कि निवारण प्रक्रिया और उपभोक्ता संरक्षण फ्रेमवर्क के निरोधात्मक पहलुओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएं ताकि वित्तीय सेवाओं के ग्राहकों का विश्वास बना रहे : (i) एनबीएफसी को एक्सटेंशन प्रदान करने के लिए आईओ योजना, 2018 की समीक्षा, (ii) उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्षाओं की समीक्षा करते हुए उनमें बीओ की तर्ज पर सुधार करना, (iii) बैंकिंग लोकपाल योजना को अद्यतन बनाने और उसका प्रभावी कार्यान्वयन, जिसमें संकेंद्रण माध्यम भी शामिल होगा, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी समीक्षा करना, और (iv) शिकायत के प्रमुख क्षेत्रों के मूल कारणों के विश्लेषण के आधार पर बनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए नीति तैयार करना।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.109 निक्षेप बीमा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा तथा जनता के विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ावा देता है (बॉक्स VI.8)। रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) सभी वाणिज्यिक बैंकों सहित एलएबी, पीबी, एसएफबी, आरआरबी एवं सहकारी बैंकों में रखी जमाशियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।

VI.110 दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 2,098 थी, जिसमें 157 वाणिज्यिक बैंक (इनमें 51 आरआरबी, 3 एलएबी, 7 पीबी एवं 10 एसएफबी शामिल हैं) एवं 1,941 सहकारी बैंक (33 राज्य सहकारी बैंक, 364 डसीसीबी और 1,544 यूसीबी) शामिल हैं। भारत में निक्षेप बीमा की वर्तमान सीमा ₹0.1 मिलियन होने के साथ, मार्च 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या (2000 मिलियन) कुल खातों की संख्या (2,174 मिलियन) का 92 प्रतिशत रही, जबकि

इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क⁷ 80 प्रतिशत था। राशि के रूप में देखा जाए तो, मार्च 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार, कुल बीमाकृत जमाशियां ₹33,700 बिलियन थीं, जो मूल्यांकन-योग्य ₹120,051 बिलियन की जमाशियां के 28.1 प्रतिशत के तुल्य रही, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानदंड 20 से 30 प्रतिशत का है। वर्तमान स्थिति में, 2018-19 के लिए बीमा सुरक्षा की गणना प्रति व्यक्ति आय की 0.8 गुना है।

VI.111 डीआईसीजीसी अपने अधिशेष के अंतरण के जरिए निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगने वाले निवल कर को घटाकर व्यय (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान एवं संबंधित व्यय) की तुलना में अधिशेष आय (मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेशों से प्राप्त ब्याज आय और असफल बैंकों की आस्तियों से वसूल की गई नकदी) का अंतरण किया जाता है। यह निधि उन बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए उपलब्ध होती है जिनका परिसमापन/समामेलन हुआ हो। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, डीआईएफ का आकार ₹937.5 बिलियन रहा। 2018-19 के दौरान, निगम द्वारा ₹0.37 बिलियन के कुल दावे मंजूर किए गए जबकि विगत वर्ष ₹0.43 बिलियन की राशि मंजूर की गई थी। वर्ष के दौरान चार सहकारी बैंकों का परिसमापन किया गया जिनके संबंध में जमाकर्ताओं के दावे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

VI.112 राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को आवास वित्त की एक शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की स्थापना की गई थी। एनएचबी का प्राथमिक कार्य आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का पंजीकरण, विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना है। हालांकि, भारत सरकार के 2019-20 के केंद्रीय बजट में आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) से संबंधित विनियामक शक्तियों को एनएचबी से रिज़र्व बैंक में अंतरित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, एचएफसी, एससीबी, आरआरबी और सहकारी ऋण संस्थाओं को आवास ऋणों के लिए एनएचबी पुनर्वित्त भी

⁷ जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ (2013), "एन्हैन्स्ड गाइडन्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इन्शुरन्स सिस्टम्स: डिपॉजिट इन्शुरन्स कवरेज", गाइडन्स पेपर, मार्च।(www.iadi.org पर उपलब्ध)

बॉक्स VI.8

जमा बीमाकर्ताओं की आकस्मिक आयोजना तथा संकट प्रबंधन में भूमिका

जमा बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) के मूल प्रिंसिपल 6 के अनुसार "जमा बीमाकर्ता के पास यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आकस्मिक आयोजना तथा संकट प्रबंधन नीतियाँ तथा क्रियाविधियाँ स्थापित होनी चाहिए कि वह बैंक की असफलता तथा अन्य घटनाओं के जोखिम और वास्तविकता पर कारगर ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। प्रणाली – स्तर पर संकट से निपटने की तत्परता की कार्यनीतियों तथा प्रबंधन नीतियों को विकसित करना प्रणाली-स्तर पर संकट से निपटने की तत्परता तथा प्रबंधन से जुड़े सभी सुरक्षा जाल सहभागियों की संयुक्त जिम्मेदारी होनी चाहिए।"

सभी जमा बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास वे सभी साधन तथा क्रियाविधियाँ स्थापित हैं जो कि संकट का सामना करते समय अपने दायित्व के अनुसार सामान्य परिचालन निष्पादित करने के लिए आवश्यक हैं। जमा बीमाकर्ताओं के अन्य वित्तीय सुरक्षा जाल (एफएसएन) सदस्यों के साथ संकटों के दौरान सूचना की अधिकाधिक साझेदारी तथा समन्वयन के आधार के रूप में विधि निर्माण अथवा अन्य विधिक प्रावधानों के माध्यम से स्पष्टरूप से अधिकृत की गई सूचना साझा करने की कारगर व्यवस्थाएँ स्थापित होनी चाहिए।

आईएडीआई के वर्ष 2018 के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व भर के जमा बीमाकर्ताओं में से 31 प्रतिशत पे बॉक्स थे, 40 प्रतिशत पे बॉक्स प्लस, 14 प्रतिशत हानि को कम करने वाले और 13 प्रतिशत जोखिम कम करने वाले⁸ थे। लगभग 60 प्रतिशत किसी न किसी स्वरूप में आकस्मिक आयोजन करते हैं। जिन तेईस अधिकार क्षेत्रों से संबंधित सूचना उपलब्ध है उनमें से लगभग दो तिहाई संबंधित समाधान प्राधिकरणों ने एक वसूली तथा समाधान आयोजना (आरआरपी) फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया है। कतिपय जोखिम/ हानि कम करने वाले जैसे चीनी ताइपेई, कोरिया तथा मलेशिया में आरआरपी को विकसित किया जा

रहा है। जी-20 के 11 आईएडीआई सदस्य-क्षेत्राधिकार ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं के लिए आरआरपी फ्रेमवर्क स्थापित किए हैं।

भारत में, डीआईसीजीसी मुख्यतः पे बॉक्स संस्था अर्थात् असफल हुए सदस्य बैंकों के जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति करने का कार्य करता है, हालांकि समाधान कार्य में उसकी कुछ भूमिका है जिसके अंतर्गत वे सुदृढ़ बैंकों में विलीन होने वाले कमजोर बैंकों के जमाकर्ताओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करते हैं। डीआईसीजीसी ने 1985 से विलयन योजना के तहत 19 बैंकों (9 वाणिज्यिक बैंक तथा 10 सहकारी बैंक) के जमाकर्ताओं को वित्तीय समर्थन प्रदान किया है। जमाकर्ताओं के लिए पे-आउट अनुपात अधिग्राहक बैंक तथा डीआईसीजीसी के बीच निर्धारित किया जाता है। अपने पे बॉक्स के कार्य के अनुरूप डीआईसीजीसी अपनी निधियों को तरल प्रतिभूतियों में निवेश करने की विवेकसम्मत निवेश नीति का पालन करता है ताकि चलनिधि संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निधियों का नियमित अंतर्वाह सुनिश्चित हो सके। भारत में वर्तमान आकस्मिक आयोजना तथा संकट प्रबंधन व्यवस्थाओं में रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व संकेतक पर्यवेक्षी कार्रवाई तथा चलनिधि का प्रबंध, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) द्वारा समष्टि विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण तथा अंतर-विनियामक समन्वयन और वित्त मंत्रालय द्वारा संकट-संबंधी घटनाओं को कम करना शामिल है।

संदर्भ:

1. आईएडीआई (2014), "आईएडीआई कोर प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव डिपॉजिट इन्शुरेंस सिस्टम्स", नवंबर।
2. आईएडीआई (2019), "डिपॉजिट इन्शुरेंस रोल इन कंटिजेंसी प्लानिंग एन्ड सिस्टम-वाइड क्राइसिस प्रीपेरेंडनेस अँड मैनेजमेंट", गाइडेंस पेपर, मई।

प्रदान करता है और सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उधारकर्ताओं को सीधे उधार (परियोजना वित्तपोषण) भी देता है। कई वर्षों से, एनएचबी का ध्यान सेवा से वंचित आबादी एवं अल्प सेवा-प्राप्त क्षेत्रों के आवास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देने

पर केंद्रित था। इसके अलावा, एनएचबी द्वारा निम्न-आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास का प्रबंधन करता है। रिज़र्व बैंक द्वारा एनएचबी की ₹14.5 बिलियन की समग्र पूंजी 19 मार्च 2019 को भारत सरकार को निर्निहित की गई।

⁸ इन दायित्वों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- i) "पे बॉक्स": जमाराशि के बीमाकर्ता पर केवल बीमाकृत जमाराशियों की प्रतिपूर्ति का दायित्व है।
- ii) "पे बॉक्स प्लस": जमाराशि बीमाकर्ता के कुछ अतिरिक्त दायित्व हैं जैसे कि कतिपय समाधान कार्य (उदाहरण: वित्तीय समर्थन);
- iii) "हानि कम करने वाला (मिनीमाइज़र)": बीमाकर्ता सक्रिय रूप से अल्पतम-लागत समाधान रणनीतियों के चयन का कार्य करता है।
- iv) "जोखिम कम करने वाला (मिनीमाइज़र)": बीमाकर्ता के पास व्यापक जोखिम कम करने का कार्य है जिनमें जोखिम मूल्यांकन/ प्रबंधन, शीघ्र हस्तक्षेप तथा समाधान संबंधी समग्र शक्तियाँ तथा कतिपय मामलों में विवेकपूर्ण निरीक्षण के दायित्व भी शामिल हैं।

ऋण प्रबंधन के उद्देश्यों नामतः कम लागत, जोखिम न्यूनीकरण तथा बाजार विकास को पूरा करने के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने 2018-19 के दौरान वैश्विक स्पिलओवर, अस्थिर वित्तीय बाजार और बाजार प्रतिभागियों में पेपर की अधिक आपूर्ति की अवधारणा के बीच केंद्र तथा राज्यों के बाजार उधारी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न किया।

VII.1 रिज़र्व बैंक का आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार के घरेलू ऋण और द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप, जैसाकि इस अधिनियम की धारा 21ए में प्रावधान किया गया है, 29 राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के घरेलू ऋण का प्रबंधन करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) में निर्धारित किए गए अनुसार रिज़र्व बैंक केंद्र और राज्य सरकार दोनों को तीन महीने तक की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के रूप में अल्पावधि ऋण भी प्रदान करता है ताकि वे अपने नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम कर सकें।

VII.2 इस अध्याय के शेष भाग में निम्न प्रकार चर्चा की गई है: भाग 2 में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के संबंध में 2018-19 की कार्य योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का वर्णन किया गया है। भाग 3 में 2019-20 में किए जाने वाले प्रमुख प्रयासों को शामिल किया गया है ताकि केंद्र तथा राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधन में सुधार हो सके।

2. 2018-19 की कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

VII.3 चुनौतिपूर्ण घरेलू एवं वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय स्थितियों के बीच ऋण प्रबंधन कार्यनीति के तहत बाजार उधारी कार्यक्रम संपन्न हुआ जो कम लागत, जोखिम न्यूनीकरण तथा बाजार विकास पर केंद्रित था। विशेष रूप से, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्ग में रखी गई प्रतिभूतियों तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी आवश्यकताओं में

कमी, वित्तीय बाजार में अस्थिरता, कच्चे तल की उंची कीमतें और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति सामान्यीकरण के कारण प्रतिभूतियों की बाजार मांग प्रभावित हुई। इसके अलावा, 2018-19 के दौरान, केंद्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त सकल बाजार उधारियों में पिछले वर्ष के मुकाबले 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह बढ़कर ₹10,493 बिलियन हो गई, जिससे प्रतिफलों पर एक अपसाइड दबाव पड़ा।

VII.4 समेकन की कार्यनीति को जारी रखते हुए, भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों के 212 निर्गमों में से 206 पुनः निर्गमित हुए, जबकि एक साल पहले कुल 159 निर्गमों में से 156 पुनः निर्गमित हुए थे। 2018-19 के दौरान भारत सरकार की प्रतिभूतियों में स्विच ऑपरेशन के सात अंश संपन्न हुए जिसके तहत पिछले वर्ष के ₹580.8 बिलियन के मुकाबले इस वर्ष ₹280.6 बिलियन अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को लंबी अवधि वाली प्रतिभूतियों में बदला गया। 2018-19 में वापसी खरीद के संशोधित बजट आकलन को घटाकर शून्य कर दिया गया, जबकि पिछले वर्ष ₹415.6 बिलियन की वापसी खरीद की गई थी। केंद्र ने निर्गमों की फ्रंट लोडिंग¹ की अपनी सामान्य कार्यनीति से खुद को रोका और इसके स्थान पर 2018-19 की दूसरी छमाही में उधारियों की तरफ रुख किया। तदनुसार, केंद्र तथा राज्यों के उधारी कार्यक्रम समायोजित किए गए ताकि प्रतिफल पर पड़ने वाले दबाव को बराबर किया जा सके।

VII.5 निवेशकों की विविध जरूरतों को पूरा करने तथा प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग

¹ फ्रंट लोडिंग का मतलब है कि पहली छमाही के दौरान बाजार उधार का अधिकांश भाग जुटाना।

ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) को बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप करने के प्रयोजन से, स्ट्रिप्स के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश 3 मई 2018 को जारी किए गए। स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन हेतु पात्र प्रतिभूतियों पर लगे रोक तथा साथ ही स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन हेतु सभी अनुरोध को प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) द्वारा प्राधिकृत किए जाने की आवश्यकता को हटा दिया गया। वर्तमान में, भारत सरकार द्वारा जारी स्थिर कूपन वाली सभी प्रतिभूतियां, फिर चाहे उनका परिपक्वता वर्ष जो भी हो, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन हेतु इस मानदंड के अधीन पात्र हैं कि ये प्रतिभूतियां एसएलआर प्रयोजन हेतु पात्र समझी गई हैं तथा वे हस्तांतरणीय हैं।

VII.6 निवेशक आधार को बढ़ाने के प्रयोजन से वर्ष के दौरान लंबी अवधि वाले अस्थिर दर बॉण्डों (एफआरबी) के अलावा 2 वर्ष {(6.65 प्रतिशत जीएस 2020) एवं (7.00 प्रतिशत जीएस 2021)} और 5 वर्ष {(7.37 प्रतिशत जीएस 2023) एवं (7.32 प्रतिशत जीएस 2024)} की नई सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) निर्गमित की गईं।

VII.7 अप्रैल 2019 में 7 वर्ष की नई प्रतिभूति जारी की गई ताकि प्रतिफल कर्ब में एक बेंचमार्क निर्मित किया जा सके। इसके अलावा, मई 2018 में 10-14 वर्ष के परिपक्वता बकेट में एफआरबी 2031 जारी किया गया और वर्ष के कुछ महीनों को छोड़कर, इसे वैकल्पिक सप्ताहों में मध्यमावधि कर्ज कार्यनीति (एमटीडीएस) में तय की गई सीमा के अधीन फिर से जारी किया गया। कुल निर्गमों में एफआरबी का हिस्सा एक वर्ष पहले के 10.2 प्रतिशत की तुलना में 9.10 प्रतिशत रहा।

VII.8 पीडी की गतिविधियों को बढ़ाने तथा उनके नेटवर्क को मजबूत करने के प्रयोजन से एक अंतर-विभागीय समूह ने स्टैण्ड अलोन पीडी की गतिविधियों की समीक्षा की। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, 6 जून 2018 की विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में 27 जुलाई 2018 के परिपत्र द्वारा इन प्राथमिक व्यापारियों को सीमित विदेशी विनिमय लाइसेंस की अनुमति प्रदान की गई।

VII.9 विदेशी केंद्रीय बैंक (एफसीबी) योजना के तहत, एफसीबी को जी-सेक बाजार में पात्र निवेशक माना गया। केंद्र

सरकार के परामर्श से, वर्ष के दौरान बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं जैसे कि न्यू डेवेलपमेंट बैंक तथा विश्व बैंक संस्थाओं को इस योजना में शामिल किया गया। इसके अलावा, इस योजना में खजाना बिलों (टी-बिल) को भी पात्र लिखतों के रूप में शामिल किया गया। फरवरी 2019 में एनडीबी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया गया तथा मार्च 2019 से एनडीबी ने जी-सेक में निवेश करना शुरू कर दिया। अप्रैल 2019 में चार विश्व बैंक संस्थाओं - अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी); आईबीआरडी ट्रस्ट; बहुपक्षीय निवेश और गारंटी एजेंसी (एमआईजीए); तथा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के साथ भी जी-सेक में निवेश करने हेतु हस्ताक्षर किए गए।

VII.10 वर्ष के दौरान निर्गमों के संबंध में अपनायी गई कार्यनीति की बदौलत 2018-19 में जी-सेक के प्राथमिक निर्गमों की भारत औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) को बढ़ाकर 14.73 वर्ष करने में मदद मिली।

VII.11 बिडिंग पैटर्न में राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) के स्प्रेड तथा राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बीच सहसंबंध के अभाव के चलते, एसडीएल की रेटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सभी राज्य सरकारों की उधारियों की लागत में विभेदक जोखिम परिलक्षित हो सके (बॉक्स VII.1)।

VII.12 आंतरिक तथा बाह्य लोक ऋण सूचना के संबंध में विभिन्न कड़ियों को समेकित किया गया तथा इसे रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर एकल वेब लिंक के रूप में प्रदर्शित किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान पांच राज्यों नामतः, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, गुजरात में राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

केंद्र सरकार के लिए कर्ज प्रबंधन

VII.13 वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधार ₹6,055.4 बिलियन होने का आकलन किया गया है। 2018-19 की दूसरी छमाही में उधार कार्यक्रम में संशोधन के चलते, 2019-20 के अंतरिम बजट में, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए सकल

बॉक्स VII.1

राज्य विकास ऋणों में जोखिम असममिति

राज्य सरकारों की बाजार उधारियों की लागत प्रतिफल से परिलक्षित होती है तथा आदर्श रूप में इसके द्वारा जारीकर्ता की अंतर्निहित ऋण पात्रता प्रदर्शित होनी चाहिए। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि एसडीएल के उधार स्प्रेड तथा राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बीच कोई सुस्पष्ट एवं महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप बिडिंग पैटर्न में सममिति उत्पन्न होती है और राज्य समान अवधि के एसडीएल के लिए इसी या लगभग इसी प्रतिफल पर निधि जुटाने लगते हैं। (सारणी 1)।

इस संदर्भ में, अन्य उभरती बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में राज्य सरकारों, प्रांतों, तथा नगरपालिकाओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों प्रकार के बॉण्ड प्रस्तावों के निर्गमों के संबंध में सबनैशनल क्रेडिट रेटिंग की ओर झुकाव बढ़ रहा है। इससे बाजार समुचित रूप से जोखिम का मूल्यांकन कर सकेगा और परिणामस्वरूप कारगर रूप से कीमत निर्धारित कर पाएगा। उदाहरण के लिए, कोलंबिया में ऋण वहनीयता कारकों के आधार पर सबनैशनल को रेटिंग दी गई। मेक्सिको में नए बैंकिंग विनियमों में बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे सबनैशनल क्रेडिट रेटिंग के अनुसार क्रेडिट एक्सपोजर का जोखिम भार तय करें और संघीय सरकार तथा सबनैशनल के बीच निर्धारित किए गए रेटिंग गैप के अनुसार अलग से पूंजी रखें। इंडोनेशिया में, रेटिंग हेतु आर्थिक कारक, वित्तीय प्रबंधन, बजटीय लचीलापन, बजटीय कार्य-निष्पादन, चलनिधि, ऋण बोझ और आकस्मिक कारकों पर विचार किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में, मात्रात्मक कार्य-पद्धतियों का उपयोग किया गया है, जबकि अर्जेंटीना में, पारदर्शिता के लिहाज से, नगरपालिकाओं के लिए रेटिंग आवश्यक माना गया है।

भारत में, बाजार को विकसित करने के उपाय के तौर पर, राज्य सरकारों के लिए एक स्वचालित नामे प्रक्रिया (एडीएम) शुरू की गई, ताकि निवेशकों का विश्वास बढ़े और एसडीएल को एक जोखिम-मुक्त

सारणी 1: एसडीएल का अंतर राज्य स्प्रेड

वर्ष	राज्यों की सकल उधारियां (₹ बिलियन)	भारत सरकार की सकल उधारियां (₹ बिलियन)	भारत सरकार से अधिक भारित औसत स्प्रेड (आधार अंक)	अंतर-राज्य औसत स्प्रेड (आधार अंक)
1	2	3	4	5
2014-15	2,408	5,920	38	4
2015-16	2,946	5,850	50	7
2016-17	3,820	5,820	59	7
2017-18	4,191	5,880	59	6
2018-19	4,783	5,710	65	6

स्रोत : भारिबैं।

दर्जा प्राप्त हो। तथापि, इसके चलते बेहतर कीमत निर्धारण प्रक्रिया की वजह से बाजार के एसडीएल सेगमेंट के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। परिणामस्वरूप, राजकोषीय रूप से सुव्यवस्थित राज्यों तथा अन्य राज्यों के बीच प्रति सहायता की प्रक्रिया घटित हो जाती है।

रिजर्व बैंक एसडीएल के मूल्य निर्धारण में जोखिम असममिति के अभाव के मुद्दे को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न प्रयास करता रहा है। अक्टूबर 2017 से एसडीएल की साप्ताहिक नीलामियों के अलावा, रिजर्व बैंक अब राज्यों की बाजार उधारियों, एसडीएल/डब्ल्यूएमए/ओडी के जरिए वित्तीय निभाव के आंकड़ों और राज्यों द्वारा खजाना बिलों की नीलामी के साथ-साथ आरक्षित निधियों नामतः समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) तथा गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) में किए गए निवेश से संबंधित मासिक डेटा प्रकाशित कर रहा है। इसके अलावा, जून 2018 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति संबंधी वक्तव्य में घोषित किया गया कि एलएएफ विंडो (रिपो) में रेटेड एसडीएल के लिए आरंभिक मार्जिन अपेक्षा को इसी परिपक्वता बकेट अर्थात् 1.5 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत के दायरे के अन्य एसडीएल से

सारणी 2: प्रतिभूतियों का विनियामकीय बर्ताव

विनियामकीय बर्ताव	जी-सेक	एसडीएल	कॉर्पोरेट बॉण्ड
एसएलआर	हां	हां	नहीं
एलएएफ	हां	हां	नहीं
बैंक के बही खातों में जोखिम भार	शून्य	शून्य	उनकी रेटिंग पर आधारित
उचित मूल्यन	ट्रेडेड प्रतिभूतियों के लिए ट्रेडेड मूल्य, अन्यथा एफबीआईएल मूल्य	जी-सेक से 25 आधार अंक अधिक #	ट्रेडेड मूल्य
एलएएफ में हेयरकट	4 प्रतिशत	6 प्रतिशत	पात्र नहीं
ट्रेप्स में मार्जिन	पेपर की तरलता के आधार पर, जैसाकि ट्रेडेड मात्रा से पता चलता है, विभिन्न जी-सेक के लिए हेयरकट अलग-अलग होता है।	ट्रेप्स में शामिल करने के लिए हाल ही में अनुमोदित किया गया है।	ट्रेप्स में अनुमति नहीं।

ट्रेप्स: त्रिपक्षीय रिपो।

#: 2018-19 की द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति के परिणामस्वरूप, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने 26 मार्च 2019 को अपना एक नया मूल्यन कार्य-पद्धति ईजाद किया है।

(जारी...)

1.0 प्रतिशत नीचे निर्धारित किया जाए, ताकि राज्य एसडीएल की रेटिंग हेतु प्रोत्साहित हों। ऐसे भी उपाय किए गए हैं जिससे बैंकों के बही-खातों में वित्तीय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में पाए गए मूल्य के अनुसार एसडीएल के मूल्यन में विभेद किया जा सके।

राज्यों के बीच विभिन्न संरचनागत तथा आर्थिक विशेषताओं और कॉर्पोरेट बॉण्डों की तुलना में उनको मिले तरजीही बर्ताव के आलोक में एसडीएल की रेटिंग चुनौतिपूर्ण हो सकती हैं (सारणी 2)। अन्य चुनौतियों में उच्च आवृत्ति वाले डेटा की अनुपलब्धता, वित्तीय रिपोर्टिंग की खराब गुणवत्ता, लेखांकन प्रणाली, प्रकटीकरण मानक, तथा सबनैशनल के लिए दिवालियापन प्रणाली का अभाव शामिल है। बाजार की दृष्टि से, एडीएम सुविधा को हटाना, कई कदमों में एक कदम हो सकता है, जिससे बेहतर कीमत निर्धारित की जा सकती है।

संदर्भ:

1. गिउगाले, एम., एफ.एच. ट्रिलो तथा जे. सी. ओलीवीएरा (2000), 'सबनैशनल बॉरोइंग्स ऐंड डेट मैनेजमेंट: वर्ल्ड बैंक, अचीवमेंट्स ऐंड चैलेंजेज ऑफ फिस्कल डीसेंट्रलाइजेशन: लेसन्स फ्रॉम मेक्सिको'
2. कॅनुतो ओ. एवं एल. लिउ (2010), 'सबनैशनल डेट फाइनेंस: मेक इट सस्टेनबल', वर्ल्ड बैंक
3. लिउ एल. एवं के.एस. टैन (2009), 'सब-नैशनल क्रेडिट रेटिंग, ए कम्परेटिव रिव्यू', वर्ल्ड बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर 5013.
4. कानुनगो बी.पी. (2018), 'राज्य सरकार बाजार उधारियां - मुद्दे एवं संभावनाएं' आरबीआई बुलेटिन, सितंबर।
5. राज्य सरकार गारंटियों के राजकोषीय जोखिम का आकलन करने के लिए ग्रुप की रिपोर्ट, भारिबैं, जुलाई 2002.

बाजार उधार को कम करके ₹5,710 बिलियन और निवल उधार को कम करके ₹4,227 बिलियन किया गया, जबकि पिछले वर्ष सकल उधार तथा निवल बाजार उधार क्रमशः ₹5,880 बिलियन तथा ₹4,484 बिलियन रहा था। 2018-19 में भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल उधार में 2.9 प्रतिशत की कमी आई, जबकि इसी अवधि में निवल बाजार उधार में 5.7 प्रतिशत की कमी हुई। 2018-19 के दौरान नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) के जरिए भारत सरकार के निवल बाजार उधार को कम करते हुए ₹356 बिलियन किया गया, जबकि गत वर्ष में यह ₹504.8 बिलियन था (सारणी VII.1)।

सारणी VII.1: केंद्र सरकार की निवल बाजार उधारियां

(₹ बिलियन)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
1	2	3	4	5
निवल उधारियां	3,783	4,989	4,583	2,636
i. दिनांकित प्रतिभूतियां [ⓐ]	4,082	4,484	4,227	1,518
ii. 91-दिवसीय-खजाना बिल	-260	319	-465	973
iii. 182-दिवसीय-खजाना बिल	76	14	329	174
iv. 364-दिवसीय-खजाना बिल	-115	172	492	-29

*: 30 जून 2019 तक। ⓐ : वापसी खरीद एवं स्विचेज के लिए समायोजित नहीं किए गए।

नोट : वापसी खरीद एवं निवल स्विचेज के लिए, 2018-19 के दौरान निवल उधारियां ₹4,232.7 बिलियन रही, जबकि 2017-18 में यह ₹4,102.6 बिलियन थी।

स्रोत : भारिबैं।

कर्ज प्रबंधन परिचालन

VII.14 वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिनांकित प्रतिभूतियों के भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) में 81 आधार अंकों की वृद्धि हुई तथा यह बढ़कर 7.78 प्रतिशत हो गया, और समूचे ऋण स्टॉक की दिनांकित प्रतिभूतियों के भारित औसत कूपन में गत वर्ष के मुकाबले 5 आधार अंकों की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 7.81 प्रतिशत हो गया। 2018-19 में बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता 10.40 वर्ष रही, जबकि पिछले वर्ष यह 10.62 वर्ष थी (सारणी VII.2)।

VII.15 2018-19 के दौरान, बाजार उधार का लगभग 53.5 प्रतिशत 10 वर्ष तथा 10 वर्ष से अधिक अवशिष्ट परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए जुटाए गए थे, जबकि पिछले वर्ष यह प्रतिशत 53.6 था, जिससे 10 वर्ष से कम की परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई। इसके अलावा, लंबी अवधि के निवेशकों जैसे बीमा कंपनियों तथा पेंशन निधियों की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान 35 वर्ष एवं 40 वर्ष अवधि वाली प्रतिभूतियां फिर से निर्गमित की गईं (सारणी VII.3)।

भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों का निर्गमन

VII.16 पुनर्पूजीकरण की दिशा में नकद न्यूट्रल आधार पर 14 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) तथा एक्विजम बैंक को 10 भागों में कुल ₹1,105 बिलियन राशि की भारत सरकार की विशेष

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी VII.2: केंद्र सरकार का बाजार ऋण - एक प्रोफाइल*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्ष में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में वाईटीएम का दायरा			वर्ष के दौरान निर्गत			बकाया स्टॉक	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारत औसत प्रतिफल	परिपक्वता की रेंज @	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत परिपक्वता	भारत औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013-14	7.22-9.00	7.16-9.40	7.36-9.40	8.41	6-30	14.23	10.00	7.98
2014-15	-	7.66-9.28	7.65-9.42	8.51	6-30	14.66	10.23	8.08
2015-16	-	7.54-8.10	7.59-8.27	7.89	6-40	16.03	10.50	8.08
2016-17	6.85-7.46	6.13-7.61	6.46-7.87	7.16	5-38	14.76	10.65	7.99
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.78	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20**	6.22-7.38	6.87-7.44	6.76-7.77	7.22	1-40	15.86	10.48	7.81

नोट : वाईटीएम: परिपक्वता प्रतिफल. - : लागू नहीं। @: अवशिष्ट परिपक्वता वाले निर्गम।

*: भारत सरकार की प्रतिभूतियों तथा विशेष प्रतिभूतियों में वापसी खरीद/स्विच को छोड़कर।

** : 30 जून 2019 तक।

स्रोत : भारिबैं।

प्रतिभूतियां (गैर-हस्तांतरणीय) निर्गत की गईं। इन प्रतिभूतियों पर कूपन 7.30 प्रतिशत से लेकर 8.11 प्रतिशत के दायरे में था।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.17 वाणिज्यिक बैंक (पीडी क्षेत्र सहित) दिनांकित प्रतिभूतियों के सबसे बड़े धारक बने रहे, मार्च 2019 के अंत तक उनकी धारिता का हिस्सा 39.1 प्रतिशत था, इसके बाद

बीमा कंपनियों और भविष्य निधियों की धारिता आती है जो क्रमशः 26.2 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत रही। रिज़र्व बैंक की धारिता की हिस्सेदारी 9.9 प्रतिशत रही जबकि बकाया स्टॉक के 2.1 प्रतिशत पर विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) की धारिता रही। अन्य धारकों में सहकारी बैंक, म्यूच्युअल फंड, वित्तीय संस्थाएं और कॉर्पोरेट शामिल हैं।

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गमन प्रतिभूतियां – परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ बिलियन में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2017-18		2018-19		2019-20*	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	90	1.5	1,089	19.1	510	23.1
5 -9.99 वर्ष	2,640	44.9	1,570	27.5	560	25.3
10-14.99 वर्ष	1,550	26.4	980	17.2	360	16.3
15 -19.99 वर्ष	740	12.6	711	12.5	20	0.9
20 वर्ष और अधिक	860	14.6	1,360	23.8	760	34.4
कुल	5,880	100	5,710	100	2,210	100

*: 30 जून 2019 तक।

टिप्पणी : संख्याओं के पूर्णांकित किए जाने के कारण कॉलमों में दी गई संख्याओं के योग कुल योग से भिन्न हो सकते हैं।

स्रोत : भारिबैं।

प्राथमिक व्यापारी और न्यागमन

VII.18 मार्च 2019 के अंत में प्राथमिक व्यापारियों की संख्या 21 [14 बैंक-पीडी तथा 7 स्टैंड अलोन पीडी (एसपीडी)] रही। वर्ष के दौरान सभी प्राथमिक व्यापारियों ने जोखिम-भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) को 15 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षा से ऊपर बनाए रखा। प्राथमिक व्यापारियों को अधिदेश है कि वे केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में हामीदारी करें और खजाना बिलों/नकद प्रबंधन बिलों (सीबीएम) के संबंध में बोली प्रतिबद्धता/सफलता अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करें। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी 2018-19 में 50.6 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 53.7 प्रतिशत थी। प्राथमिक व्यापारियों को 2018-19 के दौरान ₹1.40 बिलियन हामीदारी कमीशन अदा किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹0.61 बिलियन था, जो यह दर्शाता है कि बाजार में स्थितियां अस्थिर थीं। 2018-19 में प्राथमिक व्यापारियों पर केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के न्यागमन संबंधी ₹146 बिलियन राशि के सात मामले सामने आए, जबकि पिछले वर्ष ₹103 बिलियन राशि के चार मामले थे।

सरकारी स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) योजना

VII.19 रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार के परामर्श से, 2018-19 के दौरान, कुल ₹5.88 बिलियन (1.84 टन) राशि के सरकारी स्वर्ण बॉण्ड (एसजीबी) छः हिस्सों में जारी किए। एसजीबी योजना का लक्ष्य यह है कि निवेशकों के लिए विकल्प बढ़ाए जाएं और साथ ही निवेशक आधार को भी बढ़ाया जाए। वर्ष 2017-18 में निवेशकों को दिए गए प्रोत्साहन जैसे व्यक्तियों/हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए अधिकतम धारिता सीमा को प्रति राजकोषीय वर्ष 4 किलो ग्राम तथा ट्रस्ट के लिए 20 किलो ग्राम तक बढ़ाया जाना और ऑनलाइन आवेदन तथा डिजिटल भुगतान पर सांकेतिक मूल्य पर प्रति ग्राम ₹50 छूट की अनुमति को 2018-19 में भी जारी रखा गया। नवंबर 2015 में इस योजना की शुरुआत से लेकर कुल ₹74.83 बिलियन (25.3 टन) राशि जुटायी गई है।

कर्ज प्रबंधन रणनीति (डीएमएस)²

VII.20 सरकार के उधार कार्यक्रम को सुगम बनाने तथा इसे एक चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के प्रयोजन से भारत सरकार के परामर्श से 2015 में कर्ज प्रबंधन रणनीति (डीएमएस) आरंभ की गई। डीएमएस की वार्षिक समीक्षा की जाती है तथा इसे अगले तीन वर्ष के लिए रोल ओवर किया जाता है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि हेतु वर्तमान डीएमएस के अनुसार, आंतरिक कर्ज, लघु बचत योजनाओं तथा बाह्य ऋणों की अवधि के कुछ पहलुओं के अलावा, ऋण की अवधि एवं चुकौती शर्तें आदि को डीएमएस के दायरे में लाया गया। डीएमएस तीन विस्तृत पिलरों के इर्द-गिर्द घूमता है, जैसे कि लागत कम करना, जोखिम घटाना और बाजार का विकास। कम लागत उद्देश्य की पूर्ति योजनाबद्ध निर्गमों, मध्यम से दीर्घ अवधि में उपयुक्त लिखतों तथा बाजार के हालात एवं विभिन्न निवेशक क्षेत्रों की प्राथमिकताओं पर विचार करके की जाती है, इसमें जी-सेक एवं टी-बिलों हेतु एक विस्तृत निर्गम कैलेण्डर तैयार करने पर भी ध्यान दिया जाता है। ऋण वहनीयता संकेतकों जैसे कि जीडीपी की तुलना में ऋण, परिपक्वता की तुलना में औसत समय तथा जीडीपी की तुलना में ब्याज व्यय का अनुमान किया जाता है। आर्थिक तथा वित्तीय आघातों के आलोक में ऋण वहनीयता मापने हेतु दबाव परीक्षण भी किया जाता है।

खजाना बिल

VII.21 सरकार की अल्पावधि नकदी जरूरतों तथा उसके प्रबंधन को खजाना बिल के निर्गमन से पूरा किया जाता है। 2018-19 के दौरान खजाना बिलों के जरिए सरकार की निवल अल्पावधि बाजार उधारियां कम होकर ₹356 बिलियन हो गई, जबकि पिछले वर्ष ये ₹504.8 बिलियन थी। प्राथमिक व्यापारियों ने वैयक्तिक रूप से खजाना बिलों की बोली में 40 प्रतिशत का निर्धारित सफलता अनुपात प्राप्त कर लिया। 2018-19 के दौरान, खजाना बिलों की नीलामी में प्राथमिक व्यापारियों की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 66.5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 71.4 प्रतिशत हो गई।

² सरकारी ऋण पर स्टेटस पेपर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जनवरी 2019।

केंद्र सरकार का नकदी प्रबंधन

VII.22 सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 की शुरुआत ₹1,676 बिलियन के नकदी शेष के साथ की गई। पहली तथा दूसरी तिमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा क्रमशः ₹600 बिलियन तथा ₹700 बिलियन निर्धारित की गई, जबकि अक्तूबर 2018 से फरवरी 2019 के बीच दूसरी छमाही में यह ₹350 बिलियन थी, और मार्च 2019 ₹250 बिलियन थी। वर्ष की पहली छमाही के दौरान मुख्य रूप से उच्च मोचन दबावों के चलते सरकारी की नकदी की स्थिति दबाव में बनी रही। इसलिए, सरकार ने 2018-19 में 173 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए का सहारा लिया, जबकि पिछले वर्ष यह 106 दिनों के लिए था और इसी अवधि में 50 दिनों के ओवरड्राफ्ट का सहारा लिया, जबकि पिछले वर्ष यह 6 दिनों के लिए था। सरकार द्वारा नकदी प्रवाह में अल्पावधि असंतुलन को दूर करने के लिए 12 से 70 दिन की अवधि के ₹1,900 बिलियन राशि के नकद प्रबंधन बिल निर्गमित किए गए। 2018-19 की दूसरी छमाही के दौरान भारत सरकार की नकदी स्थिति में सुधार हुआ तथा वर्ष अंत में यह ₹1,227 बिलियन के नकद शेष के साथ समाप्त हुआ। 2019-20 की पहली छमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा ₹750 बिलियन निर्धारित की गई (चार्ट VII.1)।

राज्य सरकारों का कर्ज प्रबंधन


VII.23 कुछ वर्षों में, विशेषकर 2017-18 से, चौदहवें वित्त आयोग (एफसी) की इन सिफारिशों के बाद कि राज्यों को

राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा (दिल्ली, मध्य प्रदेश, केरल, तथा अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर) से बाहर कर दिया जाए, राज्यों की बाजार उधारियों पर निर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, सकल राजकोषीय घाटा के वित्तपोषण में बाजार उधारियों की हिस्सेदारी 2016-17 के 65.8 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 (बीई) में 90.6 प्रतिशत हो गई और ऐसा मुख्य रूप से वित्तपोषण के अन्य स्रोतों के खत्म हो जाने के कारण हुआ।

VII.24 राज्य सरकारों की सकल तथा निवल बाजार उधारियां क्रमशः ₹4,783 बिलियन तथा ₹3,486 बिलियन रही। राज्य सरकारों की सकल बाजार उधारियों में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निवल उधारियों में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान मोचन अधिक हुआ। 2018-19 में 467 सफल निर्गमन हुए, जिसमें से 59 पुनः निर्गमन थे, जो यह दर्शाता है कि राज्यों ने ऋण के समेकन की दिशा में प्रयास किए (सारणी VII.4)।

VII.25 राज्य विकास ऋणों का भारित औसत कट-ऑफ प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 7.67 प्रतिशत से बढ़कर 8.32 प्रतिशत रहा, जो यह दर्शाता है कि बाजार के हालात अस्थिर बने रहे। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में एसडीएल निर्गमों का भारित औसत स्प्रेड 2017-18 के 59 आधार अंकों के मुकाबले 65 आधार अंक रहा। 2018-19 में, सोलह राज्यों ने 2 से 30 वर्ष तक की अवधि की गैर-मानक प्रतिभूतियां जारी कीं। उच्चतर स्प्रेड स्थिति से रणनीतिक

चार्ट: VII.1: भारत सरकार की नकदी शेष



स्रोत : भारिबैं।

सारणी VII.4: राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के माध्यम से राज्यों की बाजार उधारियां

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वताएं	393	788	1,297	226
अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत सकल स्वीकृति	4,000	4,825	5,501	5,139
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	3,820	4,191	4,783	8,15
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	3,427	3,403	3,486	589
कुल स्वीकृति की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिफल)	96	87	87	16
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में)#	20,896	24,298	27,785	28,375

*: 30 जून 2019 तक। #: उदय एवं अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित।

स्रोत : भारिबैं।

रूप से निपटने के लिए, 11 राज्यों ने कुछ नीलामियों में सभी बोलियों को अस्वीकृत कर दिया। निष्क्रिय समेकन की नीति को अपनाते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडू जैसे राज्यों ने 2018-19 के दौरान ₹599 बिलियन राशि का पुनः निर्गमन किया, जिससे द्वितीयक बाजार में इन प्रतिभूतियों की तरलता सुधरने में मदद मिली। 2018-19 के दौरान अंतर-राज्य स्प्रेड पिछले वर्ष की ही भांति 6 आधार अंक रहा, जिससे यह परिलक्षित होता है कि एसडीएल के स्प्रेड तथा जारीकर्ता राज्यों के राजकोषीय स्थिति के बीच संबंध असंगत रहे। मार्च 2019 में संपन्न 31वें राज्य वित्त सचिव सम्मेलन (एसएफएस) में इन मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

VII.26 जैसाकि 6 जून 2018 की दूसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी, बैंकों द्वारा अपने निवेश संविभाग में धारित एसडीएल का मूल्यांकन अब आगे से संप्रक्षित मूल्य पर किया जाएगा, अर्थात् वह वास्तविक मूल्य जिस पर बाजार में प्रतिभूतियों का लेनदेन किया गया है ताकि एसडीएल के मूल्य को प्रचलित बाजार भाव के समान एक सीध में लाया जा सके। राज्य सरकार की ऐसी प्रतिभूतियों के मामले में, जिनका लेनदेन नहीं होता है, उनके मूल्यांकन के संबंध में फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने हाल ही में मूल्यांकन की एक नई प्रणाली ईजाद की है।

राज्य सरकारों का नकदी प्रबंधन

VII.27 राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम योजना पर गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री सुमित बोस) द्वारा की

गई सिफारिशों के अनुसरण में राज्यों की डब्ल्यूएमए सीमा की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि डब्ल्यूएमए की मौजूदा सीमा (एकसाथ सभी राज्यों के लिए ₹322.25 बिलियन) को अगली समिति (2020-21 से प्रभावी) द्वारा इसकी समीक्षा किए जाने तक कायम रखा जाए। वर्ष 2018-19 में चौदह राज्यों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया, 10 राज्यों ने ओवरड्राफ्ट सुविधा और 9 राज्यों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठाया।

VII.28 राज्यों द्वारा हाल के वर्षों में मध्यवर्ती खजाना बिलों (आईटीबी) और एटीबी के रूप में काफी अधिक नकदी अधिशेष जमा की जाती रही है। मार्च 2019 के अंत में आईटीबी में राज्यों का बकाया निवेश ₹1,221 बिलियन रहा, जबकि एटीबी में राज्यों का बकाया निवेश ₹739 बिलियन था (सारणी VII.5)।

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	31 मार्च तक बकाया				
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	1,206	1,561	1,509	1,221	1,127
एटीबी	383	366	621	739	818
कुल	1,589	1,927	2,130	1,960	1,945

*: 30 जून 2019 तक।

स्रोत : भारिबैं।

समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ)/गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.29 राज्य सरकारें अपनी देयताओं की चुकौती के लिए बफर के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) तथा गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) बनाए रखती हैं। राज्य रिज़र्व बैंक से संपार्श्विक के रूप में सीएसएफ एवं जीआरएफ में निवेशित वृद्धिशील निधियों के विरुद्ध रियायती दर पर एसडीएफ सुविधा का भी लाभ ले सकती हैं। इसे प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से कि राज्य सरकारें इनमें पर्याप्त निधि बनाए रखें तथा वे इन निधियों की मात्रा को बढ़ाएं, जून 2018 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीति वक्तव्य में एसडीएफ पर ब्याज दर जो पहले रिपो दर से 100 आधार अंक नीचे था, उसे रिपो दर से 200 आधार अंक नीचे करने की घोषणा की गई।

VII.30 वर्तमान में, 24 राज्य सीएसएफ योजना के सदस्य हैं, जबकि 18 राज्य जीआरएफ योजना के सदस्य हैं। राज्यों द्वारा मार्च 2019 के अंत में सीएसएफ तथा जीआरएफ में बकाया निवेश क्रमशः ₹1,147 बिलियन तथा ₹65 बिलियन रहा, जबकि मार्च 2018 में यह क्रमशः ₹993 बिलियन तथा ₹54 बिलियन था। 2018-19 में सीएसएफ/जीआरएफ में कुल निवेश ₹254 बिलियन था, जबकि एक वर्ष पहले यह ₹194 बिलियन था। राज्यों द्वारा 2018-19 के दौरान सीएसएफ तथा जीआरएफ में कुल विनिवेश ₹12 बिलियन रहा (2017-18 में ₹4 बिलियन)।

3. 2019-20 की कार्य योजना

VII.31 अंतरिम केंद्रीय बजट 2019-20 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए ₹7,100 बिलियन की सकल बाजार उधारियां का आकलन किया गया जो 2018-19 में किए गए ₹5,710 बिलियन के आकलन की तुलना में लगभग 24.3 प्रतिशत अधिक था और ऐसा मुख्य रूप से अधिक मोचन की वजह से हुआ। ₹4,481 बिलियन की निवल बाजार उधारियों (₹250 बिलियन की निवल अल्पावधि उधारियों सहित) से 2019-20 (बीई) में राजकोषीय घाटे के 63.7 प्रतिशत के वित्तपोषण होने की परिकल्पना की गई है, जबकि 2018-19 (आरई) में यह 70.6 प्रतिशत था।

VII.32 केंद्र और राज्य सरकारों के बाजार उधार कार्यक्रम निम्नलिखित रणनीतिक उपायों से निर्देशित होते रहेंगे जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों और साथ ही एसडीएल के लिए एक गहन एवं लिक्विड बाजार विकसित करने का उद्देश्य समाहित है:

- i. स्विचेज तथा वापसी खरीद परिचालन पर आधारित एक नीलामी कैलेण्डर के जरिए ऋण का समेकन करके जी-सेक बाजार में समग्र तरलता बढ़ाई जाएगी।
- ii. एसजीबी के अर्धवार्षिक कैलेण्डर के साथ ही 2, 5, 7 एवं 10 वर्ष अवधि वाली भारत सरकार की बेंचमार्क प्रतिभूतियां निर्गमित की जाएंगी।
- iii. द्वितीयक बाजार में चलनिधि बढ़ाने के प्रयोजन से, यह प्रस्ताव किया जाता है कि बाजार निर्धारित एक योजना तैयार की जाए तथा इसे प्राथमिक व्यापारियों के जरिए लागू किया जाए; और जी-सेक बाजार (प्राथमिक बाजार तथा द्वितीयक बाजार) के बाजार डेटा के आधार पर प्राथमिक व्यापारियों के खुदरा एवं मध्य संविभाग टर्नओवर के लक्ष्यों में संशोधन किया जाए।
- iv. जी-सेक बाजार में विदेशी केंद्रीय बैंकों के अलावा, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय विकासात्मक बैंकों की सहभागिता बढ़ाते हुए निवेशक आधार में विस्तार किया जाएगा।
- v. राज्य सरकारों की नकदी तथा कर्ज प्रबंधन प्रथाओं में सुधार लाने के लिए उनके साथ सूक्ष्म समन्वय किया जाएगा। एसडीएल के गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में बोली के लिए एग्रीगेटर योजना में विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को भी अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, एसडीएल के नाम को बदलकर राज्य सरकार प्रतिभूति रखने की संभावना का पता लगाया जाएगा।
- vi. राज्य सरकारों के लिए विभिन्न निवेश अवसर तलाशे जाएंगे, जिनमें सीएसएफ/जीआरएफ योजना की समीक्षा भी शामिल है।

- vii. केंद्र सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा निर्धारित करने हेतु एक नियम-आधारित तरीका विकसित करने तथा राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमए सीमा के संशोधन पर विचार किया जाएगा।
- viii. डेटा की गुणवत्ता तथा सटीकता में सुधार लाने के लिए डेटा रिपोर्टिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी विचार किया जाएगा। आंतरिक प्रसार एवं प्रयोग के लिए डेटा के कवरेज को विस्तृत किया जाएगा।
- ix. राज्य सरकारों की उधारियों की लागत में जोखिम असममिति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाएगा।
- x. राज्य सरकारों को नकदी एवं कर्ज प्रबंधन के विवेकपूर्ण उपायों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, राज्यों तथा निवेशकों के बीच बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

अर्थव्यवस्था में विभिन्न मूल्यवर्ग के स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के अंतर्गत ₹100 एवं ₹20 के करेंसी नोटों का निर्गम, नोट वापसी नियमावली में संशोधन और रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों का उन्नयन मुद्रा प्रबंध की उल्लेखनीय विशेषताएँ रही।

VIII.1 रिज़र्व बैंक का मुद्रा प्रबंध कार्य अर्थव्यवस्था में विभिन्न मूल्यवर्ग के स्वच्छ बैंकनोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य से संचालित होता है। वर्ष 2018-19 के दौरान महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के अंतर्गत ₹100 और ₹20 मूल्यवर्ग के नोट जारी करना, नोट वापसी नियमावली, 2009 में संशोधन और रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणालियों (सीवीपीएस) का उन्नयन मुद्रा प्रबंध की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ रही। रंग बदलने वाली स्याही के घरेलू स्तर पर उत्पादन की दिशा में सुव्यवस्थित प्रयास भी किए गए हैं। उन्नत मुद्रा प्रबंध मॉड्यूल वाला समन्वित कंप्यूटराइज्ड मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आईसीसीओएमएस) एप्लिकेशन तथा मुद्रा प्रबंध के कार्य को रिज़र्व बैंक की कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) से एकीकृत करने का काम प्रगति पर है। रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2018 में मुंबई में अत्याधुनिक बैंकनोट गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला की स्थापना की है।

VIII.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में शेष अध्याय को इस प्रकार संयोजित किया गया है: भाग 2 में संचलनगत मुद्रा में हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। भाग 3 में 2018-19 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन की स्थिति को शामिल किया गया है और भाग 4 में 2019-20 के लिए कार्ययोजना की चर्चा की गयी है।

2. संचलनगत मुद्रा में हुई गतिविधियाँ

VIII.3 संचलनगत मुद्रा (सीआईसी) में बैंकनोट और सिक्के शामिल हैं। वर्तमान में, रिज़र्व बैंक ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500, और ₹2000 मूल्यवर्ग के नोट जारी

करता है। संचलनगत सिक्कों में 50 पैसे और 1, 2, 5 और 10 रुपए मूल्यवर्ग शामिल हैं। मूल्य के रूप में देखें तो कुल संचलनगत मुद्रा में बैंकनोट की प्रमुख हिस्सेदारी है (लगभग 99 प्रतिशत)।

बैंकनोट

VIII.4 वर्ष 2018-19 के दौरान संचलनगत बैंकनोटों के मूल्य में 17.0 प्रतिशत और मात्रा में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो क्रमशः ₹21,109 बिलियन रही और नोटों की संख्या 108,759 मिलियन रही। मूल्य की बात करें तो ₹500 और ₹2000 के बैंकनोटों की हिस्सेदारी बढ़कर मार्च 2019 के अंत तक 82.2 प्रतिशत पहुँच गयी जबकि मार्च 2018 के अंत में यह दोनों मिलकर 80.2 प्रतिशत ही थे। संचलनगत ₹500 के बैंकनोटों के मूल्य में वर्ष के दौरान तेज वृद्धि हुई थी जो 42.9 प्रतिशत से बढ़कर 51.0 प्रतिशत हो गयी थी। मात्रा पर गौर करें तो, ₹10 और ₹100 के बैंकनोट मार्च 2018 के अंत में 51.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2019 के अंत तक कुल संचलनगत मुद्रा के 47.2 प्रतिशत थे (सारणी VIII.1)।

सिक्के

VIII.5 संचलनगत सिक्कों के कुल मूल्य में विगत वर्ष की 2.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2018-19 में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कुल मात्रा में पिछले वर्ष में हुई 2.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2019 के आँकड़ों के अनुसार, संचलनगत सिक्कों की कुल

सारणी VIII.1: संचलनगत बैंक नोट (मार्च के अंत तक)

मूल्यवर्ग (₹)	संख्या (मिलियन नोटों की संख्या)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
2 एवं 5	11,557 (11.5)	11,425 (11.2)	11,302 (10.4)	45 (0.3)	44 (0.2)	44 (0.2)
10	36,929 (36.8)	30,645 (29.9)	31,260 (28.7)	369 (2.8)	307 (1.7)	313 (1.5)
20	10,158 (10.2)	10,016 (9.8)	8,713 (8.0)	203 (1.5)	200 (1.1)	174 (0.8)
50	7,113 (7.1)	7,343 (7.2)	8,601 (7.9)	356 (2.7)	367 (2.0)	430 (2.0)
100	25,280 (25.2)	22,215 (21.7)	20,074 (18.5)	2,528 (19.3)	2,222 (12.3)	2,007 (9.5)
200	-	1,853 (1.8)	4,000 (3.7)	-	371 (2.1)	800 (3.8)
500	5,882 (5.9)	15,469 (15.1)	21,518 (19.8)	2,941 (22.5)	7,734 (42.9)	10,759 (51.0)
1000	89 (...)	66 (...)	-	89 (0.7)	66 (0.4)	-
2000	3,285 (3.3)	3,363 (3.3)	3,291 (3.0)	6,571 (50.2)	6,726 (37.3)	6,582 (31.2)
कुल	100,293 (100.0)	102,395 (100.0)	108,759 (100.0)	13,102 (100.0)	18,037 (100.0)	21,109 (100.0)

- : लागू नहीं। ... : नगण्य।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : भारिबैं।

मात्रा में 83.6 प्रतिशत ₹1, ₹2, और ₹5 के सिक्के थे, वहीं मूल्य की दृष्टि से इन मूल्यवर्गों की हिस्सेदारी 78.3 प्रतिशत थी (सारणी VIII.2)।

मुद्रा प्रबंध इन्फ्रास्ट्रक्चर

VIII.6 मुद्रा (बैंकनोट और सिक्के दोनों) के निर्गमन संबंधी कार्यकलाप एवं प्रबंधन रिज़र्व बैंक द्वारा देश भर में फैले अपने निर्गम कार्यालयों, करेंसी चेस्टों और छोटे सिक्कों के डिपो के माध्यम से किया जाता है। मार्च 2019 के अंत तक भारतीय स्टेट बैंक के पास सर्वाधिक लगभग 63 प्रतिशत करेंसी चेस्ट हैं और उसके बाद लगभग 31 प्रतिशत करेंसी चेस्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास हैं (सारणी VIII.3)।

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के (मार्च के अंत तक)

मूल्यवर्ग (₹)	संख्या (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	14,788 (12.7)	14,788 (12.4)	14,788 (12.3)	7 (2.8)	7 (2.7)	7 (2.7)
1	48,347 (41.6)	49,636 (41.7)	50,326 (41.8)	48 (19.2)	50 (19.5)	50 (19.4)
2	32,059 (27.6)	32,855 (27.6)	33,154 (27.6)	64 (25.6)	66 (25.8)	66 (25.6)
5	15,783 (13.6)	16,650 (14.0)	17,151 (14.2)	79 (31.6)	83 (32.4)	86 (33.3)
10	5,205 (4.5)	5,049 (4.2)	4,905 (4.1)	52 (20.8)	50 (19.5)	49 (19.0)
कुल	116,182 (100.0)	118,978 (100.0)	120,324 (100.0)	250 (100.0)	256 (100.0)	258 (100.0)

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण यह संभव है कि कोष्ठक में दी गयी संख्याओं का योग 100 न हो।

स्रोत : भारिबैं।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.7 वर्ष 2018-19 के लिए बैंकनोटों की मांग पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत कम रही। हालांकि, वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकनोटों की आपूर्ति पिछले वर्ष से ज्यादा थी। इस अवधि के दौरान सिक्कों की आपूर्ति में भी पिछले वर्ष के मुकाबले 4.8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई (सारणी VIII.4 एवं VIII.5)।

सारणी VIII.3: करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो (31 मार्च 2019 के अंत तक की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	2,408	2,303
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,186	1,006
निजी क्षेत्र के बैंक	197	193
सहकारी बैंक	5	5
विदेशी बैंक	4	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7	7
उप राजकोष कार्यालय (एसटीओ)	4	0
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	3,812	3,519

स्रोत : भारिबैं।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी VIII.4: बैंक नोटों की मांग और बीआरबीएनएमपीएल एवं एसपीएमसीआईएल द्वारा उसकी आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(मिलियन नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2016-17		2017-18		2018-19	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5
10	3,000	2,785	4,237	4,313	3,920	4,289
20	6,000	4,118	2,458	2,051	46	210
50	2,125	2,700	3,784	2,793	4,233	4,040
100	5,500	5,738	8,068	3,170	6,330	6,407
200	-	-	2,694	2,832	2,615	2,730
500 (महात्मा गांधी श्रृंखला)	5,725	2,013	-	-	-	-
500 (नया डिजाइन)	-	7,260	9,213	9,693	11,692	11,468
1000	2,200	925	-	-	-	-
2000	3,500	3,504	151	151	47	47
कुल	28,050	29,043	30,605	25,003	28,883	29,191

.. : लागू नहीं। .. : नगण्य
 टिप्पणी : बीआरबीएनएमपीएल: भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड।
 एसपीएमसीआईएल: सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
 स्रोत : भारिबैं।

गंदे नोटों का निपटान

VIII.8 मार्च 2018 तक विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की प्रोसेसिंग पूर्ण करने के बाद रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2017-18 के दौरान एसबीएन की प्राथमिकता की वजह से जमा हुए अन्य मूल्यवर्ग के गंदे नोटों पर ध्यान केंद्रित किया। मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कुल निपटान किए गए गंदे बैंकनोटों

में ₹10 और ₹100 मूल्यवर्ग के 83.3 प्रतिशत बैंकनोट थे (सारणी VIII.6)।

जाली नोट

VIII.9 वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में पकड़े गए कुल जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) में से 5.6 प्रतिशत नोट रिज़र्व बैंक में पकड़े गए और 94.4 प्रतिशत नोट अन्य बैंकों द्वारा पकड़े गए (सारणी VIII.7)।

सारणी VIII.5: सिक्कों की मांग और टकसालों द्वारा उसकी आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग	2016-17		2017-18		2018-19	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
50 पैसे	30	30
₹1	6,300	3,548	1,830	2,008	2,000	2,555
₹2	4,200	2,461	1,184	1,539	1,000	1,286
₹5	2,270	2,429	1,698	1,545	1,132	678
₹10	2,200	1,223	3,000	760	2,000	1,613
कुल	15,000	9,691	7,712	5,852	6,132	6,132

.. : नगण्य
 स्रोत : भारिबैं।

**सारणी VIII.6: गंदे बैंक नोटों का निपटान
(अप्रैल – मार्च)**

(मिलियन नोटों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4
2000	1
1000	1,514	6,847	2
500	3,506	20,024	15
200	-	-	..
100	2,586	105	3,795
50	778	83	835
20	546	114	1,163
10	3,540	497	6,524
5 तक	34	8	59
कुल	12,503	27,678	12,393

-: लागू नहीं। ..: नगण्य

टिप्पणी : संख्याओं के पूर्णांकन के कारण यह संभव है कि कॉलम में दी गयी संख्याओं का योग कुल न हो।

स्रोत : भारिबैं।

**सारणी VIII.8: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट
मूल्यवर्ग के अनुसार
(अप्रैल-मार्च)**

(संख्या : नग में)

मूल्यवर्ग (₹)	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4
2 और 5	80	1	..
10	523	287	345
20	324	437	818
50	9,222	23,447	36,875
100	177,195	239,182	221,218
200	-	79	12,728
500 (महात्मा गांधी श्रृंखला)	317,567	127,918	971
500 (नए डिजाइन)	199	9,892	21,865
1000	256,324	103,611	717
2000	638	17,929	21,847
कुल	762,072	522,783	317,384

-: लागू नहीं। ..: नगण्य

स्रोत : भारिबैं।

VIII.10 पिछले वर्ष की तुलना में ₹10, ₹20, एवं ₹50 मूल्यवर्ग में पाए गए जाली नोटों में क्रमशः 20.2 प्रतिशत, 87.2 प्रतिशत और 57.3 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। ₹100 मूल्यवर्ग में पकड़े गए जाली नोटों में 7.5 प्रतिशत की कमी आयी थी। ₹200 के मूल्यवर्ग, जिसे अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, में पिछले वर्ष के दौरान पाए गए 79 के मुकाबले 12,728 जाली नोट पाए गए। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹500 (नई डिजाइन वाले नोट) मूल्यवर्ग में जाली नोटों में 121.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई

**सारणी VIII.7: पकड़े गए जाली नोटों की संख्या
(अप्रैल-मार्च)**

(नोटों की संख्या)

वर्ष	रिज़र्व बैंक में पकड़े गए	अन्य बैंकों में	कुल
1	2	3	4
2016-17	32,432 (4.3)	729,640 (95.7)	762,072 (100.0)
2017-18	188,693 (36.1)	334,090 (63.9)	522,783 (100.0)
2018-19	17,781 (5.6)	299,603 (94.4)	317,384 (100.0)

नोट : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

2. इसमें पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।

स्रोत : भारिबैं।

थी जबकि ₹2000 के मूल्यवर्ग में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VIII.8)।

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.11 दिनांक 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक प्रतिभूति मुद्रण पर कुल ₹48.11 बिलियन व्यय हुआ था जबकि पिछले वर्ष यह व्यय ₹49.12 बिलियन था।

3. वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) के साथ मुद्रा प्रबंध कार्य का एकीकरण

VIII.12 इनवेंटरी प्रबंधन और करेंसी चेस्ट में लेन-देन के लेखांकन के साथ-साथ रिज़र्व बैंक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में मुद्रा प्रबंध परिचालन के लिए आईसीसीओएमएस एप्लिकेशन का उपयोग अपने मुद्रा प्रबंध समाधान के रूप में करता रहा है। आईसीसीओएमएस के स्थान पर एक उन्नत मुद्रा प्रबंध मॉड्यूल लाया जा रहा है जिसमें मुद्रा प्रबंध का कार्य रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) से एकीकृत होगा। नए मॉड्यूल की कुछ मुख्य विशेषताओं में उन्नत इनवेंटरी प्रबंधन, करेंसी चेस्ट लेनदेन का सन्निकट तत्काल लेखांकन, पारगमन

लेखांकन और संचलनगत मुद्रा पर बेहतर नज़र रखना शामिल हैं। एकीकरण परियोजना को तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाना है: क्षेत्रीय कार्यालय – निर्गम विभाग मॉड्यूल (पहला चरण); करेंसी चेस्ट पोर्टल के साथ बाह्य लेखांकन मॉड्यूल (दूसरा चरण); और एमआईएस-अनुषंगी मॉड्यूल (तीसरा चरण)। पहला चरण लागू हो गया है तथा दूसरा चरण कार्यान्वयन के अंतिम दौर में है।

बैंकनोट गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला

VIII.13 बैंक नोट उत्पादन से संबंधित प्रणाली और प्रसंस्करण की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञों के समूह (अध्यक्ष: श्री सी. कृष्णन) की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न प्रेसों में मानकीकरण और बैंकनोटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में मुंबई में अत्याधुनिक बैंकनोट गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला की स्थापना की।

बैंकनोट हैंडलिंग प्रक्रिया का स्वचालन

VIII.14 सीवीपीएस के जरिए बैंकनोटों की प्रोसेसिंग की मौजूदा स्वचालित प्रणाली के अतिरिक्त, मुद्रा प्रबंध के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कार्यविधि का उन्नयन करने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठापित करने और बैंकनोट हैंडलिंग की कार्यविधि को स्वचालित बनाने पर सक्रियता से विचार कर रहा है।

करेंसी चेस्टों (सीसी) के लिए न्यूनतम मानक

VIII.15 मुद्रा संचलन से संबंधित समिति (सीसीएम) (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सिफारिश की है कि रिज़र्व बैंक को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं वाले बड़े करेंसी चेस्ट स्थापित करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तदनुसार, करेंसी चेस्टों के लिए संशोधित न्यूनतम मानक 8 अप्रैल 2019 को जारी किया गया, जिसमें निर्धारित किया गया है कि स्ट्रॉंग रूम/वॉल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 1500 वर्ग मीटर होना चाहिए तथा उसकी प्रति दिन 660,000 पीस बैंकनोटों के प्रसंस्करण की क्षमता होनी चाहिए। पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में करेंसी चेस्टों के स्ट्रॉंग रूम/वॉल्ट का क्षेत्रफल कम से कम 600 वर्ग फीट होना चाहिए तथा 210,000 पीस बैंकनोटों के प्रसंस्करण की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन करेंसी चेस्टों में इन्फ्रास्ट्रक्चर

इस प्रकार होने चाहिए कि वे स्वचालन और आईटी सोल्यूशन्स के कार्यान्वयन को अपना सकें।

बैंकनोटों के लिए नई सुरक्षा विशेषताएं

VIII.16 बैंकनोटों के लिए सुरक्षा विशेषताओं की खरीद हेतु भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकाता देते हुए) आदेश, 2017 के अनुसार “मेक इन इंडिया” उपबंध को (जहाँ तक संभव हो) शामिल करते हुए जुलाई 2017 में एक वैश्विक अर्हता-पूर्व बोली की सूचना जारी की गयी थी। रिज़र्व बैंक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

महात्मा गांधी (नई) शृंखला (एमजीएनएस) के बैंकनोट

VIII.17 देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए वर्ष 2016 में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के अंतर्गत बैंकनोट प्रारंभ किए गए थे। इस वर्ष के दौरान उसी शृंखला में ₹100 और ₹20 मूल्यवर्ग के भी बैंकनोट जारी किए गए (सारणी VIII.9)।

सीवीपीएस की खरीद

VIII.18 वर्ष 2017-18 के दौरान 50 पुरानी सीवीपीएस मशीनों को बदलने के लिए वैश्विक निविदा जारी की गयी, और इन मशीनों की खरीद के लिए आदेश दिए गए। मशीनों की आपूर्ति और उसे लगाने का काम जारी है तथा दिसंबर 2019 तक यह कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद है। विभिन्न कार्यालयों में पंद्रह मशीनों का परिचालन शुरू हो गया है।

नोट वापसी नियमावली, 2009 में संशोधन

VIII.19 पहले की शृंखला की तुलना में छोटे आकार वाले महात्मा गांधी (नई) शृंखला के कटे-फटे नोटों को बैंक शाखाओं

सारणी VIII.9: महात्मा गांधी (नई) शृंखला के अंतर्गत बैंक नोट प्रारंभ करना

मूल्यवर्ग (₹)	पृष्ठभाग-थीम	आधार रंग	आकार
1	2	3	4
100	रानी की वाव	लैवेंडर	66 मिमी*142 मिमी
20	एल्लोरा गुफाओं का चित्र	हरा सा पीला	63 मिमी*129 मिमी

स्रोत : भारिबैं।

और भा.रि.बैं. के कार्यालयों में बदलने हेतु आम जनता को अधिकार देने के लिए रिज़र्व बैंक ने नोट वापसी नियामावली, 2009 में संशोधन किया है (बॉक्स VIII.1)।

मुद्रा प्रबंध समिति की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति VIII.20 दिनांक 7 फरवरी 2018 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों पर जारी वक्तव्य में की गयी घोषणा के

बॉक्स VIII.1

नोट वापसी नियामावली, 2009 में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58(1) के साथ पठित धारा 28 के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से भारतीय रिज़र्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड अनुग्रह के रूप में किसी भी कटे-फटे अथवा दोषपूर्ण करेंसी नोट का मूल्य वापस करने के लिए नियामावली बनाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियामावली के अंतर्गत इस तरह के नोट भा.रि.बैं. कार्यालयों और बैंक शाखाओं में बदले जाते हैं। पूर्व की शृंखला की तुलना में विभिन्न आकार वाले नई शृंखला के नोट जारी होने और ₹2000 एवं ₹200 के नए मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियामावली, 2009 में संशोधन किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधन नियामावली, 2018 को भारत के राजपत्र में 6 सितंबर 2018 को अधिसूचित किया गया तथा यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। नई नोट वापसी नियामावली के अनुसार ₹50 और इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों के लिए पूर्ण मूल्य के भुगतान हेतु आवश्यक नोट के एकल सबसे बड़े अविभाजित टुकड़े के न्यूनतम क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है।

यदि नोट के बड़े एकल टुकड़े का अविभाजित क्षेत्र सारणी 1 में बताए गए अनुसार है, तो ₹50 मूल्यवर्ग से कम के कटे-फटे नोट का पूरा मूल्य वापस किया जा सकता है।

सारणी 1: ₹50 से कम के नोट के पूरे मूल्य के भुगतान के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र

मूल्यवर्ग (₹)	लंबाई (सें.मी.)	चौड़ाई (सें.मी.)	क्षेत्र (वर्ग सें.मी.)	पूर्ण मूल्य भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)*
1	2	3	4	5
1	9.7	6.3	61.11	31
2	10.7	6.3	67.41	34
5	11.7	6.3	73.71	37
10	13.7	6.3	86.31	44
10 (नई महात्मा गांधी शृंखला)	12.3	6.3	77.49	39
20	14.7	6.3	92.61	47
20 (नई महात्मा गांधी शृंखला)	12.9	6.3	81.27	41

*: प्रत्येक मूल्यवर्ग में नोटों के क्षेत्र के आधे के बाद अगले पूर्ण उच्चतर वर्ग सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया गया है।

यदि नोट के बड़े एकल टुकड़े का अविभाजित क्षेत्र सारणी 2 में बताए गए अनुसार है तो ₹50 और इससे अधिक के मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोट का पूरा या आधा मूल्य वापस किया जा सकता है।

₹50 और इससे अधिक मूल्यवर्ग के कटे फटे नोट अगर उसी नोट के दो टुकड़ों से बने हो और प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्र, अलग-अलग, उस मूल्यवर्ग के नोट के कुल क्षेत्र का 40 प्रतिशत से अधिक अथवा समान हो तो नोट का पूरा मूल्य वापस किया जा सकता है।

सारणी 2: ₹50 और अधिक के नोटों के पूर्ण या आधे मूल्य के भुगतान के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र

मूल्यवर्ग (₹)	लंबाई (सेंटीमीटर)	चौड़ाई (सेंटीमीटर)	क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)	पूर्ण भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)®	आधा भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)**
1	2	3	4	5	6
50	14.7	7.3	107.31	86	43
50 (नई महात्मा गांधी शृंखला)	13.5	6.6	89.10	72	36
100	15.7	7.3	114.61	92	46
100 (नई महात्मा गांधी शृंखला)	14.2	6.6	93.72	75	38
200	14.6	6.6	96.36	78	39
500	15.0	6.6	99.00	80	40
2000	16.6	6.6	109.56	88	44

®: विशेष मूल्यवर्ग के नोट के क्षेत्र के 80 प्रतिशत से अगले पूर्ण उच्च वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित।

*: विशेष मूल्यवर्ग में नोट के क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अगले पूर्ण उच्च वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित।

अनुसार इंटर-एजेंसी समितियों यथा : मुद्रा भंडारण और संचलन से संबंधित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीसीएसएम) (अध्यक्ष: श्री एन. एस. विश्वनाथन) और मुद्रा संचलन समिति (सीसीएम) (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहंती), की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया। सभी प्रेसों और पेपर मिलों में कच्ची सामग्री की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन, नोट मुद्रण प्रक्रियाओं, सुरक्षा विशेषताओं आदि के मानकीकरण से संबंधित विशेषज्ञ समूह (अध्यक्ष: श्री सी. कृष्णन) द्वारा की गयी सिफारिशों को लागू करने के लिए भी कार्य किया गया। सीसीएम की सिफारिशों के मुताबिक नकद प्रबंधन गतिविधियों के लिए सेवा प्रदाताओं को रखने, एटीएम में लॉक करने योग्य कैसेट के प्रयोग, नोट सॉर्टिंग मशीनों पर नोटों के प्रसंस्करण के लिए न्यूनतम मानकों तथा करेंसी चेस्टों में भंडारण सुविधाओं के मानकीकरण, एटीएम नकदी पुनःपूर्ति के लेनदेन का समय से समाधान करने और भारत में मुद्रा संचलन को दक्ष एवं सुरक्षित बनाने के लिए करेंसी चेस्ट रहित शाखाओं द्वारा अत्याधुनिक करेंसी चेस्ट में नकदी जमा करने पर सेवा शुल्क बढ़ाने के संबंध में रिज़र्व बैंक ने परिपत्र/अनुदेश जारी किया है। आधुनिक सुविधाओं वाले बड़े करेंसी चेस्ट खोलने के लिए भी मानदंड जारी किए गए हैं। एचएलसीसीएसएम (अंतरिम रोपोर्ट), सीसीएम और विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरण में हैं।

4. वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना

वार्निश किए गए बैंकनोट की शुरुआत – क्षेत्र परीक्षण

VIII.21 भारतीय बैंकनोटों की आयु बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक प्रायोगिक आधार पर ₹100 मूल्यवर्ग में वार्निश किया गया बैंकनोट शुरू करेगा।

बैंकनोटों के मूल्यवर्ग को पहचानने में दृष्टि बाधितों की सहायता करना

VIII.22 बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टि बाधितों की सहायता करने के लिए रिज़र्व बैंक एक तंत्र/उपकरण

विकसित करेगा। दृष्टि बाधितों (रंग पहचानने में अक्षम, आंशिक दृष्टि और दृष्टिहीन लोग) को नोट को पहचानने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय बैंकनोटों में कई विशेषताएँ हैं यथा : उत्कीर्ण मुद्रण एवं स्पर्शी चिन्ह, अलग-अलग आकार के बैंकनोट, बड़े-बड़े अंक, परिवर्ती रंग, मोनोक्रोमेटिक रंग, और पैटर्न। एक बार जब पुरानी शृंखला के बैंकनोट संचलन से वापस आ जाएंगे तो दृष्टि बाधितों के लिए नई शृंखला के बैंकनोटों की पहचान करना स्वतः आसान हो जाएगा। 6 जून 2018 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में दिए गए संकेत के मुताबिक रिज़र्व बैंक बैंकनोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टि बाधितों की सहायता करने के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकीय समाधान तलाशने पर भी काम कर रहा है।

ध्यान दिए जाने वाले अन्य क्षेत्र

VIII.23 मध्यावधि कार्यनीति फ्रेमवर्क के तहत बैंकनोटों के उत्पादन को बढ़ाना एवं उसका स्वदेशीकरण, मुद्रा के दक्ष इनवेंटरी प्रबंधन के लिए प्रसंस्करण क्षमता तथा लॉजिस्टिक्स में सुधार को अमल में लाना और बैंकनोटों एवं सिक्के की मांग का अनुमान करने के लिए बने मॉडलों का परिष्करण, ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर वर्ष 2019-20 के दौरान विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड

VIII.24 बीआरबीएनएमपीएल ने मैसूर में 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला स्याही कारखाना स्थापित किया है जिसने अगस्त 2018 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके फलस्वरूप, बैंकनोटों की छपाई में प्रयुक्त होने वाले ड्राई ऑफसेट इंक, क्विकसेट इंटेग्लिओ इंक (क्यूएसआई), नंबरिंग इंक और कलर शिफ्टिंग इंक का निर्माण मैसूर कारखाने में किया जा रहा है। स्वदेशीकरण की दिशा में हासिल की गयी यह उल्लेखनीय उपलब्धि है।

रिजर्व बैंक का प्रयास यह सुनिश्चित करना रहा है कि भारत के पास 'अत्याधुनिक' भुगतान और निपटान प्रणालियां हों जो न केवल संरक्षित व सुरक्षित हों बल्कि सक्षम, तेज और किफायती भी हों और इनमें नवोन्मेष, साइबर सुरक्षा, वित्तीय समावेश, ग्राहक संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा पर निरंतर जोर दिए जाने की जरूरत का भी ध्यान रखा जाए। इतना ही नहीं, विज्ञान 2021 में प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और भरोसा जैसे निर्धारित लक्ष्यों के जरिये 'अत्यंत डिजिटल' (हाइली डिजिटल) और 'अत्यल्प-नकदी' (कैश-लाइट) वाले समाज की स्थापना और इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को ई-भुगतान के विविध विकल्पों की शक्ति देने की परिकल्पना है।

IX.1 रिजर्व बैंक का प्रयास ऐसी सक्षम और सुरक्षित भुगतान व निपटान प्रणालियों का विकास करना रहा है जिन्हें किफायती व उपयोक्ता-सुगम प्लेटफॉर्मों के जरिये उपलब्ध कराकर उनकी और गहरी पैठ बनाने पर फोकस हो। भुगतान प्रणाली विज्ञान 2021 दस्तावेज में भी भविष्य की राह इसी दिशा में निर्धारित की गई है। इस पृष्ठभूमि के साथ, नीचे दिए जा रहे खंडों में भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में वर्ष के दौरान हुई गतिविधियों को दर्शाया गया है और साथ ही 2018-19 की कार्यसूची के अनुपालन की स्थिति का भी जायजा लिया गया है। खंड 3 में वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के जिक्र के साथ 2018-19 की कार्ययोजना के लिहाज से इसके प्रदर्शन का आकलन भी किया गया है। इन विभागों ने संबंधित खंड में 2019-20 का अपनी कार्ययोजना भी रखा है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस)

IX.2 भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग ने 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियां : विज्ञान 2018' के मार्गदर्शन में भुगतान प्रणालियों का सुनियोजित विकास करने की दिशा में कार्य जारी रखा। इस प्रयत्न को दिशा देने वाले लक्ष्य निम्नलिखित थे – (क) कागज-आधारित समाशोधन लिखतों में कमी लाना; (ख) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) एवं कार्ड से लेनेदेने जैसी खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के अलग-अलग हिस्से में निरंतर वृद्धि ; (ग) मोबाइल बैंकिंग के

लिए पंजीकृत ग्राहकों की संख्या में वृद्धि ; (घ) समन्वित भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) एवं भारत क्यूआर (बीक्यूआर) जैसे नए उत्पादों की शुरुआत; (ड.) स्वीकृति संबंधी (एक्सेप्टेंस) इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, एवं (च) भुगतान प्रणालियों में 'आधार' के प्रयोग में तीव्रता।

IX.3 15 मई 2019 को विभाग ने भुगतान प्रणाली विज्ञान 2021 जारी किया, जिसमें निम्नलिखित द्वि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है : (क) असाधारण ग्राहक अनुभव; एवं (ख) ग्राहकों को ऐसा अनुभव देने वाला परितंत्र सक्रिय करना। इस विज्ञान का लक्ष्य भुगतान प्रणाली को चलाने (ऑपरेट करने) वालों तथा सेवा प्रदाताओं को सशक्त बनाना और जोखिम-केंद्रित पर्यवेक्षण समर्थित प्रगतिशील विनियम लागू करना है। विज्ञान में प्रतिस्पर्धा, लागत, सुविधा और भरोसे के चार तत्त्व समाहित हैं। भुगतान प्रणालियों के परिदृश्य के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा को शामिल करने के लिए विनियामकीय सेंडबॉक्स तैयार करने एवं नए सहभागियों को प्राधिकृत करने जैसे विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। प्रत्याशा है कि यह ग्राहकों के लिए किफायती होगा। कभी भी-कहीं भी विविध भुगतान प्रणालियों की मुफ्त उपलब्धता का उद्देश्य सुविधा देना है और भुगतान प्रणालियों की संरक्षा (सेफ्टी) से 'कोई-समझौता-नहीं' का नजरिया सुरक्षा संबंधी कमजोरियों से निपटेगा और ग्राहकों का भरोसा बना रहेगा।

भुगतान प्रणालियां

IX.4 वर्ष 2018-19 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों में बेहतरीन वृद्धि हुई। मात्रा और मूल्य की दृष्टि से

इस वर्ष क्रमशः 54.3 प्रतिशत और 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2017-18 में इनमें हुई क्रमशः 44.6 प्रतिशत और 11.9 प्रतिशत वृद्धि के अतिरिक्त है। वर्ष 2018-19 में हुए खुदरा भुगतानों की मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का अंश पिछले वर्ष के 92.6 प्रतिशत से बढ़कर 95.4 प्रतिशत हो गया (सारणी IX.1)।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

IX.5 भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में से, 2018-19 में तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के अंतर्गत ₹1,357 ट्रिलियन मूल्य के 137 मिलियन लेनदेन किए गए, जो विगत वर्ष ₹1,167 ट्रिलियन मूल्य के हुए 124 मिलियन लेनदेन से अधिक रहे। मार्च 2019 के अंत में, 216 बैंकों की

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली के सूचक - वार्षिक कारोबार

मद	मात्रा (मिलियन)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7
प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एसआईएफएमआई)						
1. आरटीजीएस	107.8	124.4	136.6	981,904	1,167,125	1,356,882
वित्तीय बाजार का कुल समाशोधन (2 से 4)	3.7	3.5	3.6	1,056,173	1,074,802	1,165,510
2. सीबीएलओ	0.2	0.2	0.1	229,528	283,308	181,405
3. सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.5	1.1	1.1	404,389	370,364	509,316
4. विदेशी मुद्रा समाशोधन	1.9	2.2	2.4	422,256	421,131	474,790
कुल एसआईएफएमआई (1 से 4)	111.5	127.9	140.2	2,038,077	2,241,927	2,522,392
खुदरा भुगतान						
कुल कागजी समाशोधन (5+6)	1,206.7	1,170.6	1,123.8	80,958	81,893	82,461
5. सीटीएस	1,111.9	1,138.00	1,111.7	74,035	79,451	81,536
6. गैर-एमआईसीआर समाशोधन	94.8	32.6	12.1	6,923	2,442	925
कुल खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन (7 से 12)	4,222.9	6,382.3	12,466.7	132,324	193,113	267,515
7. ईसीएस डेबिट	8.8	1.5	0.9	39	10	12.6
8. ईसीएस क्रेडिट	10.1	6.1	5.4	144	115	132.35
9. एनईएफटी	1,622.1	1,946.4	2,318.9	120,040	172,229	227,936
10. आईएमपीएस	506.7	1,009.8	1,752.9	4,116	8,925	15,903
11. यूपीआई	17.9	915.2	5,353.4	69	1,098	8,770
12. एनएसीएच	2,057.3	2,503.3	3,035.2	7,916	10,736	14,762
कार्ड से हुआ कुल भुगतान (13 से 15)	5,450.1	8,207.6	10,781.2	7,421	10,607	14,097
13. क्रेडिट कार्ड	1,087.1	1,405.2	1,762.6	3,284	4,590	6,033
14. डेबिट कार्ड	2,399.3	3,343.4	4,414.3	3,299	4,601	5,935
15. पीपीआई	1,963.7	3,459.0	4,604.3	838	1,416	2,129
कुल खुदरा भुगतान (5 से 15)	10,879.7	15,760.5	24,371.6	220,703	285,613	364,073
कुल योग (1 से 15)	10,991.2	15,888.4	24,511.9	2,258,780	2,527,540	2,886,465

टिप्पणी: 1. आरटीजीएस में सिर्फ ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।

2. सीबीएलओ, सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से होता है। सरकारी प्रतिभूतियों में एकमुश्त व्यापार (आउटराइट ट्रेड) और रिपो लेनदेन के दोनों चरण तथा त्रिपक्षीय रिपो लेनदेन शामिल हैं।

3. सीसीआईएल ने सीबीएलओ का परिचालन 05 नवंबर 2018 से बंद कर दिया। सीसीआईएल ने प्रतिभूतियों के खंड के तहत त्रिपक्षीय रिपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 को प्रारंभ किया गया।

4. कार्डों से संबंधित आंकड़ों में सिर्फ बिक्री केंद्र (पीओएस) मशीनों से हुए लेनदेन को दर्शाया गया है, जिसमें ऑनलाइन लेनदेन शामिल हैं।

5. कॉलमों में दिये गए आंकड़ों का जोड़ पूर्णांकन के कारण कुल जोड़ से भिन्न हो सकता है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

142,975 शाखाओं के माध्यम से आरटीजीएस की सुविधा उपलब्ध थी। वर्ष 2018-19 में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली के अंतर्गत लगभग ₹228 ट्रिलियन मूल्य के 2.3 बिलियन लेनदेन किए गए। इनमें पिछले वर्ष में ₹172 ट्रिलियन मूल्य के 1.9 बिलियन लेनदेन की तुलना में मात्रा की दृष्टि से 19.1 प्रतिशत तथा मूल्य की दृष्टि से 32.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। मार्च 2019 के अंत की स्थिति के अनुसार, एनईएफटी की सुविधा बड़ी संख्या में कारोबारी प्रतिनिधि केंद्रों (बीसी आउटलेट) के अलावा 209 बैंकों की 144,927 शाखाओं के माध्यम से उपलब्ध थी।

IX.6 वर्ष 2018-19 के दौरान, कार्ड भुगतान के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन की संख्या क्रमशः 1.8 बिलियन और 4.4 बिलियन थी। प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) के माध्यम से लगभग 4.6 बिलियन लेनदेन हुए जिनका मूल्य ₹2,129 बिलियन था।

IX.7 स्वीकृति संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी काफी वृद्धि हुई। मार्च 2019 के अंत में बिक्री केंद्र (पीओएस) मशीनों की संख्या 21 प्रतिशत बढ़कर 3.72 मिलियन हो गई, जो मार्च 2018 के अंत में 3.08 मिलियन थी। हालांकि, इसी अवधि के दौरान एटीएम की संख्या 222,247 से घटकर 221,703 रह गई।

भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत किया जाना

IX.8 डिजिटल भुगतान (पेमेंट) की सुविधा 82 (जून 2018 के 84 से कम होकर) प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ताओं (ऑपरेटर्स) ने उपलब्ध कराई। इनमें भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ पीपीआई जारीकर्ता, सीमा-पार मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता, व्हाइट लेबल एटीएम (डब्लूएलए) परिचालनकर्ता, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के परिचालनकर्ता, एटीएम नेटवर्क, तत्काल मुद्रा अंतरण सेवा प्रदाता, कार्ड भुगतान नेटवर्क तथा भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां (बीबीपीओयू) शामिल थीं। प्रीपेड भुगतान लिखत संबंधित परिचालन करने के लिए प्राधिकृत गैर-बैंक संस्थाओं की संख्या विगत वर्ष के 49 के स्तर से घटकर 47 रह गई क्योंकि कुछ परिचालनकर्ताओं

ने स्वेच्छा से प्राधिकार त्याग दिए। जून 2019 की समाप्ति तक, पीपीआई जारी करने हेतु 61 बैंकों को अनुमोदन प्रदान किया गया, जबकि मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति 490 बैंकों को दी गई।

2018-19 की कार्ययोजना : अनुपालन की स्थिति

IX.9 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली : विज्ञान 2018' में विभाग ने अपने विज्ञान को साकार करने के लिए चार कार्यनीतिक स्तंभों की पहचान की है।

प्रतिसादमुखी विनियमन

भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान समूहकों (एग्रीगेटर्स) का विनियमन

IX.10 रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2009 में भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं और भुगतान समूहकों जैसे मध्यस्थों के नोडल खातों के मेटेनेंस के संबंध में निदेश जारी किया। 'भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली : विज्ञान 2018' में रिज़र्व बैंक ने संकेत दिया है कि इस तरह की संस्थाओं की बढ़ती भूमिका और महत्व के मद्देनजर इन दिशा-निदेशों को संशोधित किया जाएगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक भुगतान गेटवे सेवा प्रदाताओं और भुगतान समूहकों के विनियमन की जरूरत और व्यवहार्यता की जांच करता रहा है। 07 फरवरी 2019 के विकासात्मक और विनियामकीय नीति वक्तव्य में यह संकेत दिया गया कि हितधारकों की टिप्पणियां और फीडबैक प्राप्त करने हेतु इन संस्थाओं की भुगतान संबंधी गतिविधियों पर व्यापक चर्चा पत्रों को सार्वजनिक किया जाएगा।

केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) से संबंधित नीतिगत ढांचा

IX.11 केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) का कामकाज सक्षमतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 'सीसीपी के लिए निदेश' जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं : (i) घरेलू केंद्रीय प्रतिपक्षकारों के अभिशासन (गवर्नेंस) के संबंध में निदेश; (ii) केंद्रीय प्रतिपक्षकारों की निवल मालियत संबंधी अपेक्षाओं तथा स्वामित्व के संबंध में निदेश; (iii) विदेशी केंद्रीय प्रतिपक्षकारों की मान्यता के संबंध में निदेश। ये निदेश भुगतान और निपटान

प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भारत में परिचालन के लिए प्राधिकृत घरेलू केंद्रीय प्रतिपक्षियों, रिज़र्व बैंक से प्राधिकार की मांग कर रहे केंद्रीय प्रतिपक्षकारों तथा रिज़र्व बैंक से मान्यता की मांग करने वाले विदेशी केंद्रीय प्रतिपक्षकारों पर लागू होंगे।

व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा

IX.12 व्हाइट लेबल एटीएम परिचालनकर्ताओं की चुनौतियों का निपटारा करने तथा इनके परिचालनों को सुचारू बनाने हेतु व्हाइट लेबल एटीएम से संबंधित दिशानिर्देशों की समग्र रूप से समीक्षा की गई, और तदनुसार 'भारत में व्हाइट लेबल एटीएम – दिशानिर्देश की समीक्षा' पर 07 मार्च 2019 को एक परिपत्र जारी किया गया। इसके अनुसार सभी व्हाइट लेबल एटीएम परिचालनकर्ताओं (डब्ल्यूएलएओ) को सीधे रिज़र्व बैंक (निर्गम कार्यालय) एवं मुद्रा तिजोरियों से एकमुश्त नकदी की खरीद करने, किसी भी अनुसूचित बैंक से नकदी प्राप्त करने, तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने और एनपीसीआई द्वारा प्रमाणन की शर्त पर बिल भुगतान और अंतर-परिचालनीय नकदी जमा करने की सेवाएं प्रदान करने और डब्ल्यूएलए परिसर के भीतर (मुख्य साइनबोर्ड को छोड़कर) कहीं भी गैर-वित्तीय उत्पादों/सेवाओं से संबंधित विज्ञापन लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। खुदरा आउटलेटों से नकदी प्राप्त करने संबंधी डब्ल्यूएलएओ को पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त कर दी गई है। बैंक, प्राधिकृत डब्ल्यूएलएओ के साथ साझेदारी में सह-ब्रांड वाले (को-ब्रांडेड) एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं और 'हम-पर' (ऑन-अस) लेनदेन के लाभ उनके डब्ल्यूएलएओ को भी प्रदान कर सकते हैं।

मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर

एनईएफटी के तहत संदेश भेजने के लिए आईएसओ को अपनाया जाना

IX.13 आरटीजीएस एवं एनईएफटी प्रणालियों में संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस) का प्रयोग किया जाता है। अगली पीढ़ी की तत्काल सकल निपटान (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली के अंतर्गत एसएफएमएस हेतु आईएसओ 20022 संदेश मानकों का प्रयोग किया जाता है। एक भुगतान प्रणाली के लेनदेन को दूसरी भुगतान प्रणाली में प्रोसेस करने

की क्षमता विकसित करने के विज्ञान के अनुरूप रिज़र्व बैंक एनईएफटी के लिए भी एसएफएमएस में आईएसओ 20022 मानकों को अपनाने की व्यवहार्यता और समय-सीमाओं की जांच कर रहा है। ऐसा होने से, आरटीजीएस प्रणाली में एनईएफटी लेनदेन का संसाधन करने की जरूरी क्षमता का निर्माण होगा और इसके विपरीत क्रिया भी संभव होगी तथा आघात-सहनीयता में वृद्धि होगी।

प्रभावी पर्यवेक्षण

आघात सहनीयता की जांच का ढांचा

IX.14 इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के वैकल्पिक माध्यमों की शुरुआत होने से वित्तीय बाजारों तथा कारोबारों एवं व्यक्तियों -दोनों के लिए भुगतान प्रणालियों की आघात सहनीयता को महत्व प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में, देश में खुदरा और बड़े मूल्य वाली -दोनों प्रणालियों में आघात सहनीयता की जांच करने की व्यवस्था की जा रही है।

भुगतान प्रणालियों में होने वाली धोखाधड़ियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करना

IX.15 धोखाधड़ी से संबंधित आंकड़े अभी भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ताओं से एकत्र किए जाते हैं। भुगतान प्रणालियों पर भरोसे को और अधिक मजबूती प्रदान करने तथा धोखाधड़ी की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत हो रही धोखाधड़ी के प्रकारों की निगरानी की जरूरत है। तदनुसार, भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत धोखाधड़ी से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए इस उद्योग जगत से विचार-विमर्श करते हुए समग्र ढांचा तैयार किया जाएगा।

प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों की निगरानी व्यवस्था (ढांचा)

IX.16 भुगतान प्रणालियों की निगरानी से संबंधित नीतिगत व्यवस्था (ढांचा) को भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) ने सितंबर 2009 में अनुमोदन प्रदान किया। इस नीति की समीक्षा के उपरांत वर्तमान तथा नई भुगतान प्रणालियों से संबंधित निगरानी व्यवस्था (ढांचा) का मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे में, प्रणालीगत जोखिम, अथवा भुगतान प्रणाली या परिचालनकर्ता या प्रतिभागी के कारण पूरी व्यवस्था पर पड़ने वाले जोखिम के अनुपात में निगरानी की गंभीरता निर्धारित की गई है। इस

व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान के इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं महत्वपूर्ण सेवा प्रदाताओं की आघात सहनीयता का ध्यान रखा गया है। प्रस्तावित ढांचे के अनुरूप, विभाग ने गैर-बैंक पीपीआई के निरीक्षण की प्रक्रिया को सुचारु बनाया है। इस प्रक्रिया के तहत, अन्य बातों के अलावा, निरीक्षण की समय-सारणी, बारंबारता, व्याप्ति (कवरेज) एवं निरीक्षण रिपोर्टें तैयार करने, और जोखिम के वर्गीकरण को शामिल किया गया है। इसके अलावा, सीसीआईएल के ऑन-साइट निरीक्षण की बारंबारता को 2 वर्षों से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है।

भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ताओं (पीएसओ) द्वारा एक्सबीआरएल फॉर्मेट में आंकड़ों की रिपोर्टिंग

IX.17 विभाग ने एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) में तैयार की गई अधिकांश विवरणियों का परीक्षण पूर्ण कर लिया है। बैंक और गैर-बैंक संस्थाओं के लिए उपयोगकर्ताओं की जानकारी तैयार की गई और उन्हें एक्सबीआरएल के यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (यूएटी) प्लेटफॉर्म में विवरणियां प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग में निर्विघ्न संक्रमण के लिए विभाग लगा हुआ है। एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म के स्थिर हो जाने पर, भुगतान प्रणाली संबंधी सभी रिपोर्टों को एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाए जाने का विचार है।

ग्राहक केंद्रीयता

ग्राहक सर्वेक्षण

IX.18 डीपीएसएस की ओर से सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) ने छह शहरों: - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बेंगलूरु एवं गुवाहाटी में व्यक्तियों की खुदरा भुगतान आदतों से संबंधित सर्वेक्षण (एसआरपीएचआई) किया जिसमें लगभग 6000 लोगों (प्रतिसादियों)के विचार जाने गए। सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यक्तियों की खुदरा भुगतान आदतों को समझना था, जिसके अंतर्गत डिजिटल भुगतानों संबंधी उनकी जागरूकता, उनका उपयोग तथा संबंधित जोखिमों के बारे में उनकी समझ पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सर्वेक्षण के कुछ परिणाम इस प्रकार हैं : 96.3 प्रतिसादियों को डिजिटल भुगतान की जानकारी थी; अधिक शिक्षित और बैंक खाता धारकों में जागरूकता का स्तर भी अपेक्षाकृत अधिक था;

भुगतान का सर्वाधिक पसंदीदा माध्यम नकदी रहा, उसके बाद डिजिटल माध्यम – मुख्यरूप से डेबिट कार्ड का स्थान रहा; जोखिम की समझ के संबंध में यह पाया गया कि 8 प्रतिशत प्रतिसादियों ने यदाकदा अपने पासवर्ड अन्य लोगों को बताए; 45 प्रतिशत प्रतिभागियों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी पासवर्ड/पिन/ओटीपी नहीं बदला तथा अन्य 6 प्रतिशत लोगों ने कहे जाने पर ही बदला।

गैर-बैंक प्राधिकृत पीपीआई जारीकर्ताओं से संबंधित ग्राहकों की देयता को सीमित करने हेतु व्यवस्था (ढांचा)

IX.19 रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंक, सहकारी बैंकों एवं गैर-बैंक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं के माध्यम से होने वाले अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के संबंध में ग्राहकों की देयता को पहले ही सीमित कर दिया है। इस व्यवस्था का विस्तार करते हुए, 01 मार्च 2019 से ऐसे अनधिकृत लेनदेन पर भी इसे लागू किया गया जिनमें प्राधिकृत गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए पीपीआई शामिल हैं। ये दिशानिर्देश साझा धोखाधड़ी (कंटीब्यूटरी फ्रॉड), गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं की ओर से लापरवाही/चूक, तीसरे पक्ष की चूक जिसमें न तो जारीकर्ता की और न ही ग्राहक की कोई भूल हो, और ग्राहक की लापरवाही से हुई हानि वाली परिस्थितियों में ग्राहक देयता की सीमा निर्धारित करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को रिपोर्ट करने की समय सीमा निर्धारित की गई है और तदनुसार देयता भी निर्धारित की गई है। इन दिशानिर्देशों से ग्राहक शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और डिजिटल भुगतानों पर भरोसा कायम होगा।

अन्य गतिविधियां

टोकन आधारित बनाना (टोकनाइजेशन) – कार्ड से लेनदेन

IX.20 जनवरी 2019 में, रिजर्व बैंक ने 'टोकनाइजेशन -कार्ड से लेनदेन' के संबंध में परिपत्र जारी किया, जिसके अंतर्गत सभी प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्कों को विशिष्ट शर्तों के अधीन, एप्प देने वाला, यूज केस और टोकन भंडारण इन्तजाम (टोकन स्टोरेज मेकेनिज्म) जो भी हो, टोकनाइजेशन सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई थी (बॉक्स IX.1)।

बॉक्स IX.1

टोकन आधारित बनाना (टोकनाइजेशन)

रिज़र्व बैंक भुगतान प्रणालियों में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करता रहा है और साथ ही व्यक्तिगत लेनदेन के संरक्षित और सुरक्षित होने पर भी ध्यान देता रहा है। कार्ड, भुगतान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं : जनता का बड़ा तबका क्रेडिट एवं डेबिट कार्डों का प्रयोग करता है। अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक (एएफए) का प्रयोग, एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से लेनदेन का एलर्ट जेनरेट होने और इसी तरह के अन्य उपायों से इन कार्डों से होने वाले लेनदेन को अधिक संरक्षित और सुरक्षित बनाया जाता है।

कार्ड से लेनदेन करते समय, ग्राहक या तो स्वयं कार्ड के विवरण दर्ज करता है (ई-कामर्स लेनदेन के लिए) या बिक्री केंद्र (पीओएस) मशीन में कार्ड स्वाइप/डिप करता है। इस प्रक्रिया में कार्ड धारक की जानकारी जोखिम में हो सकती है और जालसाजों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। 'टोकनाइजेशन' एक प्रक्रिया है जिसमें कार्ड की 16-अंकीय प्राथमिक खाता संख्या (पीएन) को विशिष्ट वैकल्पिक कोड (जिसे 'टोकन' कहा गया) से प्रतिस्थापित किया गया है और व्यापारी की ओर से कार्ड की वास्तविक जानकारी मांगे या उसे अपने कब्जे में लेने के

स्थान पर इस टोकन का प्रयोग करते हुए भुगतान संबंधी लेनदेन किया जाता है। यह कार्ड लेन-देन को अधिक संरक्षित व सुरक्षित बनाता है।

08 जनवरी 2019 को रिज़र्व बैंक ने सभी प्राधिकृत कार्ड नेटवर्कों को, एप्प प्रदाता एवं उपयोग के मामले में भेद किए बगैर, टोकनाइजेशन सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी है। ये सेवाएं विशिष्ट शर्तों और सूचीबद्ध जिम्मेदारियों के अधीन होंगी। एएफए से संबंधित विद्यमान अनुदेशों में कोई शिथिलता नहीं बरती गई है। टोकनाइजेशन सेवाओं का पंजीकरण कराना ग्राहकों के लिए पूर्णतः स्वैच्छिक है और इस सेवा का लाभ लेने के लिए उन्हें कोई प्रभार अदा नहीं करना है। वर्तमान में, यह सुविधा मोबाइल फोन/टैबलेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। परिपत्र में टोकनाइजेशन से संबंधित ढांचे की, यथा - डी-टोकनाइजेशन सेवा, कार्ड जारीकर्ता/प्राप्तकर्ता की प्रणालियों का प्रमाणन, टोकन के अनुरोधकर्ताओं एवं उनके एप्प इत्यादि, ग्राहक द्वारा पंजीकरण, टोकन का सुरक्षित संग्रहण, ग्राहक सेवा तथा विवाद निपटान, और लेनदेन की संरक्षा व सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

भारत में पीपीआई जारी करने एवं परिचालन से संबंधित मास्टर दिशानिर्देशों की समीक्षा

IX.21 आधार-कार्ड-आधारित अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न हितधारकों के समक्ष आने वाली समस्याओं के संबंध में प्राप्त अनुरोधों के आधार पर न्यूनतम विवरण वाले पीपीआई की केवाईसी पूर्ण करने की समय-सीमा को फरवरी 2019 में 12 से बढ़ाकर 18 माह कर दिया गया है।

प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) – अंतरपरिचालनीयता के बारे में दिशानिर्देश

IX.22 पीपीआई की अंतरपरिचालनीयता के बारे में दिशानिर्देश 16 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए, ताकि बैंकों और प्राधिकृत गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग अन्य भुगतान प्रणालियों वाले सभी व्यापारी कर सकें और साथ ही पीपीआई और बैंक खातों के बीच निधियों का अंतरण करने में भी इनका प्रयोग किया जा सके। उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। वॉलेट के रूप में जारी पीपीआई की अंतरपरिचालनीयता को समन्वित भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से लागू किया जाएगा, जबकि कार्ड के रूप में जारी किए गए पीपीआई की अंतरपरिचालनीयता प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क के माध्यम से लागू की जाएगी।

ईएमवी चिप कार्ड एवं एटीएम/माइक्रो-एटीएम में उनकी प्रोसेसिंग

IX.23 रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2015 में बैंकों के लिए यह अनुदेश जारी किया था कि सिर्फ चुंबकीय पट्टी (मैग्नेटिक स्ट्रिप) वाले मौजूदा कार्डों के स्थान पर यूरोपे, मास्टरकार्ड एवं वीजा (ईएमवी) चिप और पिन (पीआईएन) आधारित कार्ड दिसंबर-2018 के अंत तक जारी करें। साथ ही, यह अनुदेश भी जारी किया गया कि एटीएम/माइक्रो एटीएम में ईएमवी चिप आधारित प्रसंस्करण करने की क्षमता विकसित की जाए। ये उपाय कार्ड से होने वाले लेनदेन को संरक्षित और सुरक्षित बनाने के लिए किए गए। बैंकों से चुंबकीय पट्टी वाले कार्डों के प्रतिस्थापन में काफी प्रगति होने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। एटीएम/माइक्रो-एटीएम को भी ईएमवी चिप आधारित लेनदेन के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।

ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) से संबंधित दिशानिर्देश

IX.24 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) में सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट एवं अन्य खरीदकर्ताओं द्वारा एमएसएमई के ट्रेड रिसीवेबल्स के वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराने की संस्थागत व्यवस्था होती है। यह व्यवस्था विभिन्न वित्तपोषकों

के माध्यम से की जाती है। इसके पूर्व, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीडीएस) में वित्तपोषक के रूप में सहभागिता करने की अनुमति सिर्फ बैंकों और एनबीएफसी-फैक्टर्स को ही होती थी। रिजर्व बैंक की अनुमति से वित्तपोषकों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थानों को इसमें जोड़ कर जुलाई 2018 में इस समूह का विस्तार किया गया।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह (एनईटीसी)

IX.25 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह (एनईटीसी) एक अंतरपरिचालनीय इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह प्रणाली अनेक जारीकर्ता-अनेक प्राप्तकर्ताओं की प्रणाली) है। इस प्रणाली में, ग्राहक को पथ-कर अदा करने के लिए एनईटीसी टैग का उपयोग करने की अनुमति होती है। ऐसा करने के लिए ग्राहकों को इन टैगों को अपने बैंक खातों (बचत/चालू/प्रीपेड खाता) से जोड़ना पड़ता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई को एनईटीसी के परिचालन की अनुमति दी।

नई खुदरा भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करने के संबंध में नीतिगत दस्तावेज (पॉलिसी पेपर)

IX.26 रिजर्व बैंक ने 06 जून 2018 के विकासात्मक एवं विनियामकीय नीतियों से संबंधित अपने वक्तव्य में यह घोषणा की कि यह अधिक खिलाड़ियों की सहभागिता को प्रोत्साहन एवं भुगतान संबंधी अखिल भारतीय प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देगा तथा इसमें तथा इस मामले में जनता के परामर्श हेतु नीतिगत दस्तावेज जारी करेगा। इसका लक्ष्य वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से खुदरा भुगतान बाजार में जोखिम संकेंद्रण को कम करना तथा नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना था। तदनुसार, 21 जनवरी 2019 को विभाग ने 'नई भुगतान प्रणालियों को प्राधिकृत करने' के संबंध में रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर नीतिगत दस्तावेज डाला गया और उस पर 20 फरवरी 2019 तक जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। प्राप्त टिप्पणियों/फीडबैक के आधार पर इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

डिजिटल भुगतानों के गहनीकरण संबंधी समिति

IX.27 रिजर्व बैंक ने 08 जनवरी 2019 को भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने के विचार से डिजिटल

भुगतानों के गहनीकरण के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष : श्री नंदन निलेकणी) का गठन किया। समिति के विचाराधीन मुद्दों में डिजिटल भुगतानों के गहनीकरण की मध्यावधि कार्यनीति पर सुझाव देना शामिल था। इस समिति ने मई 2019 में अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंप दी है। रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली – सकारात्मक पुष्टि (पॉजिटिव कन्फर्मेशन) का कार्यान्वयन

IX.28 एनईएफटी प्रणाली में प्रेषकों को निधि अंतरण पूर्ण होने की पुष्टि की जाती है, जिससे प्रेषक को यह आश्वासन मिलता है कि निधि का अंतरण लाभार्थी के खाते में सफलतापूर्वक हो गया है। रिजर्व बैंक ने नवंबर 2018 में आरटीजीएस प्रणाली में सकारात्मक पुष्टि को जनवरी 2019 के मध्य तक लागू करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया, ताकि निधि अंतरण हेतु आरटीजीएस प्रणाली का प्रयोग करने वाले ग्राहकों को भी इसी प्रकार भरोसा दिया जा सके। आरटीजीएस में सकारात्मक पुष्टि वाली विशेषता प्रारंभिक रूप से उन सदस्य बैंकों के लिए उपलब्ध है, जहाँ पर प्रेषक और लाभार्थी बैंक -दोनों थिक क्लॉएंट इंटरफेस/सट्रक्चर्ड फाइनेंसियल मैसिजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) मेंबर इंटरफेस के माध्यम से आरटीजीएस को एक्सेस करते हैं। बाद में यही व्यवस्था अन्य माध्यमों से आरटीजीएस के संपर्क में आने वाले सदस्य बैंकों के लिए भी सक्रिय की जाएगी।

सीसीआईएल का निरीक्षण

IX.29 बीपीएसएस के निदेशानुसार विभाग ने सीसीआईएल के वार्षिक निरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की है। तदनुसार, वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 24 सिद्धांतों (पीएफएमआई) पर अक्टूबर 2018 में ऑन-साइट निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में भुगतान एवं बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति (सीपीएमआई) – अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) [(सीपीएमआई-आईओएससीओ)] की आकलन कार्यपद्धति टैपलेट का प्रयोग किया गया। यह पाया गया कि सीसीआईएल ने 18 सिद्धांतों का पालन किया और 04 सिद्धांतों का सामान्यतः 'पालन किया' किया। 02 सिद्धांत इस पर 'लागू नहीं' होते थे।

आरटीजीएस ग्राहकों के कट ऑफ टाइम का बढ़ाया जाना

IX.30 ग्राहकों की बढ़ती मांग और बैंक जगत की तैयारी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने 1 जून 2019 से ग्राहकों के लिए आरटीजीएस लेनदेन की समाप्ति का समय अपराह्न 4:30 बजे से बढ़ाकर अपराह्न 6:00 बजे कर दिया है। हालांकि, आरटीजीएस की अंतिम समय-सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

भारत की भुगतान प्रणालियों की बेंचमार्किंग

IX.31 रिजर्व बैंक ने मानक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं और ब्रिक्स राष्ट्रों की भुगतान प्रणालियों के मिले-जुले समूह में प्रचलित भुगतान प्रणालियों के मुकाबले भारत की भुगतान प्रणालियों की बेंचमार्किंग का कार्य प्रारंभ किया, ताकि तुलनीय भुगतान प्रणालियों तथा प्रमुख देशों में उपयोग की प्रवृत्तियों की तुलना में भारत के भुगतान परितंत्र में मजबूतियों और कमजोरियों को रेखांकित किया जा सके। यह विश्लेषण 41 सूचकों के अधीन करने का प्रयत्न किया गया, जिसके अंतर्गत विनियमन, निगरानी, भुगतान प्रणालियां, भुगतान लिखत, भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी भुगतान, सरकारी भुगतान, ग्राहक संरक्षण एवं शिकायत निपटान, प्रतिभूतियों का निपटान और समाशोधन प्रणालियां तथा सीमा पार से निजी विप्रेषण सहित 21 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) एवं तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणालियां – प्रभार माफी

IX.32 रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस एवं एनईएफटी प्रणालियों की प्रोसेसिंग के लिए सदस्य बैंकों पर स्वयं द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रभारों की समीक्षा की। डिजिटल रूप में फंड की आवाजाही में तेजी लाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग करते हुए किए जाने वाले बहिर्गामी लेनदेन के संबंध में बैंकों पर प्रोसेसिंग चार्ज एवं टाइम वैरिंग चार्ज और इसके साथ ही एनईएफटी प्रणाली के अंतर्गत प्रक्रमण किए गए लेनदेन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए जाने वाले प्रोसेसिंग चार्ज 1 जुलाई 2019 से रिजर्व बैंक द्वारा माफ कर दिए जाएंगे। बैंकों से कहा गया है कि

वे आरटीजीएस एवं एनईएफटी प्रणालियों के माध्यम से लेनदेन करने वाले ग्राहकों को भी यह लाभ अंतरित करें।

2019-20 की कार्ययोजना

एटीएम प्रभारों (चार्ज) और शुल्क (फीस) की संशोधित व्यवस्था

IX.33 एटीएम से मुफ्त किए जाने वाले लेनदेन की संख्या के साथ ही मुफ्त लेनदेन की निर्धारित सीमा से अधिक बार एटीएम का प्रयोग करने के प्रभारों को युक्तिसंगत बनाए जाने के बारे में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर रिजर्व बैंक ने एटीएम के सभी प्रकार के प्रभारों और शुल्कों की जांच करने के लिए जून 2019 में एक समिति का गठन किया है।

ग्राहक शिकायत निवारण और हर्जाना के संबंध में प्रतिवर्तन काल (टीएटी) को सुसंगत बनाने का ढांचा

IX.34 समय के साथ, खुदरा लेनदेन में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के प्रयोग में काफी वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बढ़ते प्रयोग के साथ ही ग्राहक शिकायतों में भी तेजी आई है। यह पाया गया कि ग्राहक शिकायत के निवारण की समय सीमा सभी भुगतान प्रणालियों में अलग-अलग है। हालांकि, बहुत कम भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत ढांडिक प्रावधान किए गए हैं जो संस्थाओं को ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए बाध्य करते हैं। ग्राहक सेवाओं में सुधार लाने के लिए असफल लेनदेन के मामलों में राशि वापसी में लगने वाले समय को सुसंगत बनाया जाना आवश्यक है। इसकी शुरुआत करते हुए रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियों के अंतर्गत होने वाले असफल लेनदेन के प्रतिवर्तन काल (टीएटी) की जांच करेगा, ताकि असफल लेनदेन से संबंधित राशि की विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर वापसी सुनिश्चित हो और ग्राहक को असफल लेनदेन से संबंधित राशि की वापसी में होने वाले विलंब, चाहे ग्राहक ने शिकायत की हो अथवा न की हो, का हर्जाना दिए जाने से संबंधित ढांचा तैयार हो।

एनईएफटी की 24 x 7 उपलब्धता

IX.35 निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए आधे-आधे घंटे के बैच में चलने वाली एनईएफटी प्रणाली का स्वामित्व और परिचालन रिजर्व बैंक के पास है। भुगतान प्रणालियों के उपयोग को बढ़ाने और ग्राहकों की सुविधा में सुधार लाने की

दृष्टि से रिज़र्व बैंक एनईएफटी की उपलब्धता बढ़ाकर रात-दिन सात दिन (24 x 7) करने की व्यवहार्यता की जांच करेगा, ताकि बैंकिंग के कामकाज के समय की समाप्ति के उपरांत भी निधि अंतरण की सुविधा प्राप्त हो सके।

भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुंच (ग्लोबल आउटरीच)

IX.36 हमारी भुगतान प्रणालियों एवं विप्रेषण सेवाओं में, अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय मंचों में मानक व्यवस्था में सहयोग और योगदान के माध्यम से सक्रिय प्रतिभागिता और मिलकर कार्य करते हुए, वैश्विक पहुंच बढ़ाने की संभावना निहित है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक वित्तीय स्वियों के बीच नेटवर्क-टू-नेटवर्क संपर्क स्थापित करने और भूटान के शाही मौद्रिक प्राधिकरण (रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान) तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के बीच लेनदेन का सुचारु प्रवाह, सुरक्षा प्रमाणन इत्यादि सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा।

प्रणाली की क्षमता और मापनीयता

IX.37 भुगतान प्रणाली ने लंबा सफर तय कर लिया है, और प्रणाली के मजबूत और आघात सहनीय (रेज़ीलिएंट) होने की अपेक्षा बढ़ती जा रही है। इसके लिए, खुदरा भुगतान प्रणालियों के कार्यनिष्पादन के निरंतर मूल्यांकन हेतु एक ढाँचा तैयार किया जाएगा। आगमन के पारदर्शी मानकों (पॉइंट-ऑफ एराइवल मेट्रिक्स) के आधार पर रिज़र्व बैंक, भुगतान प्रणालियों और भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ताओं के निकल जाने (एक्जिट) संबंधी स्पष्ट मानदंड निर्धारित करने की जरूरत को भी खंगालेगा।

ई-अधिदेश/स्थायी अनुदेश

IX.38 रिज़र्व बैंक खुदरा भुगतान प्रणालियों से संबंधित ई-अधिदेशों/स्थायी अनुदेशों को लागू करने पर विचार करेगा। ऐसा किया जाना ग्राहक संरक्षण एवं भुगतान लिखत पंजीकरण को प्राधिकृत करने, लेनदेन की सीमाओं के निर्धारण, खंडों (सेगमेंट) इत्यादि जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अधीन होगा।

IX.39 सुरक्षा मानक और सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा

भुगतान प्रणालियों की सत्यनिष्ठा को और मजबूत बनाने की अपेक्षा के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक मोबाइल बैंकिंग के लिए सुरक्षा

मानक निर्धारित करने और विनियमित संस्थाओं की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा के दायरे को बढ़ाए जाने की जरूरत की जांच करेगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.40 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को सक्षम तथा किफायती ढंग से दिशा प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखे, ताकि देश में संवेदनशील और प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण भुगतान और निपटान प्रणाली का कामकाज सुचारु रूप से सुनिश्चित किया जा सके। रिज़र्व बैंक के लिए प्रभावी और सक्षम सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं (आईटी सॉल्यूशन) का विकास करने के क्षेत्र में विभाग ने सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को अपनाने का भी प्रयास किया।

IX.41 ऐसी परिस्थितियों में, जब उत्पादों का जीवन-चक्र संक्षिप्त होता जा रहा है, अधिक तेज गणना के लिए मजबूत तकनीकी प्लेटफॉर्म, सक्षम भंडारण के साथ अधिक तेज संचार बैंडविड्थ का होना भी अनिवार्य है। आंतरिक नियंत्रण और निगरानी में आंतरिक व्यवधानों से बचने, आंतरिक और बाह्य खतरों को नियंत्रित करने तथा रिज़र्व बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रक्रियाओं की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण पद्धतियों और निगरानी प्रणालियों का होना आवश्यक है।

2018-19 की कार्ययोजना : अनुपालन की स्थिति

IX.42 डीआईटी ने, अपने मिशन के अनुसार, विगत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए थे। मुद्रा प्रबंध प्रणाली में सुधार, जीएसटी लेनदेन का सुचारु मिलान, एनहांस्ड एंटरप्राइस एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के समन्वित प्रयास उन लक्ष्यों में से प्रमुख थे।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए ई-कुबेर

IX.43 वर्ष के दौरान, मिलान को त्रुटि रहित बनाने हेतु त्रुटि ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एरर/ एमओई) का परीक्षण किया गया। एमओई वस्तु एवं सेवा कर संबंधी लेनदेन के लिए एक स्वचालित मिलान व्यवस्था है।

मुद्रा प्रबंध प्रणाली

IX.44 ई-कुबेर में, समन्वित कंप्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन एवं प्रबंधन प्रणाली (आईसीसीओएमएस) के बदले क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) मॉड्यूल – मुद्रा प्रबंध (सीवाईएम) आ गया। ई-कुबेर में परिवर्द्धन के कारण परिचालनगत नोटों और सिक्कों का तत्काल लेखांकन किया जा सकता है। चूंकि, मुद्रा प्रबंध विभाग (डीसीएम), क्षेत्रीय कार्यालय, संपर्क कार्यालय (एलओ) और मुद्रा तिजोरियां (सीसी) अब एक ही प्लेटफॉर्म में हैं, इसलिए एकल प्रविष्टि बिंदु के साथ समन्वित कार्यप्रवाह (वर्कफ्लो) प्रबंध के कारण तत्काल लेखांकन और मालसूची प्रबंध के मिलान संबंधी समस्याओं में कमी आई है। नई प्रणाली से रिजर्व बैंक को मुद्रा तिजोरियों में शेष राशियों की लगभग तत्काल स्थिति की जानकारी हो पाती है और प्रक्रियाओं के स्वचालन से मुद्रा के सक्षम प्रबंधन की सुविधा मिल पाती है। आने वाले समय में यह प्रणाली नोट छपाई मुद्राणालयों से भी जोड़ी जाएगी और मार्गस्थ मुद्रा की जानकारी पाने का भी प्रावधान किया जाएगा।

तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) को नवीनतम प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म में लाया जाना

IX.45 तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस), जो प्रणालीगत महत्व की भुगतान प्रणाली है और महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) है, में प्रतिभागियों की संख्या और लेन-देन की मात्रा की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह प्रणाली लगभग 220 प्रतिभागियों को सेवाएं प्रदान करती है और इसमें प्रतिदिन औसतन ₹10 ट्रिलियन मूल्य के 0.45 मिलियन लेनदेन किए जाते हैं। आरटीजीएस को कारोबारी जरूरतों के अनुरूप बनाने और अद्यतन प्रौद्योगिकी

से लैस करने के लिए इसे अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर स्टैक सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। ऐसा किए जाने से, अधिक मापनीयता, निष्पादन और सुरक्षा के रूप में इस एप्लिकेशन की भविष्य के लिए सुदृढ़ता सुनिश्चित कर ली गई है। देश के वित्तीय संदेश भेजने संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर, अर्थात् संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस) को मजबूत प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने से इसकी आघात सहनीयता सुनिश्चित हुई है और भुगतान और निपटान परितंत्र की सुरक्षा मजबूत हुई है। वर्तमान में इंडियन फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाएड सर्विसेज (आइएफटीएस) एसएफएमएस को देख रहा है। वर्ष के दौरान, विभाग ने आईएफटीएस को संगठनात्मक स्तर पर पुनर्गठित किया (बॉक्स IX.2)।

एंटरप्राइस एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस)

IX.46 रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में नवीन वर्धित एंटरप्राइस एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस), जिसमें आगंतुकों और वेंडर प्रबंधन को भी समाहित किया गया है, लागू किए जाने के अंतिम चरण में है। बैंक के कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस प्रणाली को समाधान से भी जोड़ा जाएगा।

सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (आईएसएमएस) का आईएसओ 27001 प्रमाणन

IX.47 सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एप्लिकेशनों की शुरुआत किए जाने से कारोबारी परिचालनों को सुचारू ढंग से सक्षमतापूर्वक संचालित करने की सुविधा प्राप्त हुई है, किंतु इसके साथ ही सुरक्षा, उपलब्धता, सूचना प्रणालियों में रखी सूचना की गोपनीयता और प्रतिबद्धता से संबंधित नए प्रकार की चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के

बॉक्स IX.2

भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं सहबद्ध सेवाओं (आईएफटीएस) की संगठनात्मक पुनर्रचना

भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं सहबद्ध सेवाओं (आईएफटीएस) की स्थापना बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) ने रंगराजन समिति (2009) की अनुशंसाओं के अनुपालन में की। इसकी स्थापना फरवरी 2015 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गैर-लाभ कंपनी के रूप में की गई। आईएफटीएस रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों तथा सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर सेवाएं (अंतर-बैंक/

जीएसटी/केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के भुगतान एवं प्राप्ति के लेनदेन से संबंधित इनफिनेट एवं एसएफएमएस) प्रदान करता है। आईएफटीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा विकसित एनईएफटी एप्लिकेशनों के संबंधन में सेवा प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है। रिजर्व बैंक ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से आईएफटीएस में 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर अधिगृहीत किए हैं।

लिए रिज़र्व बैंक ने बहुत से कदम उठाए हैं, और यह सुनिश्चित किया है कि सुविधा और सक्षमता की मूल बातों तथा सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की निरापदता एवं सुरक्षा तालमेल बना रहे। आईएसओ 27001 प्रमाणन से रिज़र्व बैंक की आईसीटी संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मानदंडों के अनुरूप प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित होती है, और बैंक के भीतर विकसित की गई सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईएस) की व्यवस्था (ढांचे) पर भरोसा कायम होता है। वर्तमान में रिज़र्व बैंक आईएसओ 27001 प्रमाणन हासिल करने की प्रक्रिया में है। विभाग और रिज़र्व बैंक के तीन डेटा केंद्र 06 अगस्त 2019 से आईएसओ 27001:2013 अनुप्रमाणित हैं।

सीमा-शुल्क और उपकर (सेस) के लिए ई-कुबेर

IX.48 रिज़र्व बैंक ने ई-कुबेर को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) भारतीय सीमा-शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य/इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदान-प्रदान (ईसी/ईडीआई) गेटवे एवं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भारतीय सीमा-शुल्क ईडीआई गेटवे (आईसीईजीएटीई) को एकीकृत करने का कार्य हाथ में लिया है। एकीकरण से सर्वनिष्ठ पोर्टल पहचान संख्या (सीपीआईएन) मिलान के माध्यम से स्वचालित मिलान सुनिश्चित होता है। यह 01 जुलाई 2019 से काम कर रहा है।

साइबर सुदृढ़ता एवं साइबर-सुरक्षा संस्कृति का विकास

IX.49 साइबर-हमलों का जवाब देने की तैयारी और उनसे उबरने की क्षमता को साइबर आघात सहनीयता कहते हैं। इस संदर्भ में, साइबर सुरक्षा प्लेबुक (सीएसपी) किसी घटना की जवाबी योजना एवं साइबर-सुरक्षा मानकों के प्रति प्रमुख व्यक्तियों की जवाबदेही तथा साइबर-सुरक्षा घटना के पहले, दौरान और उसके बाद की स्वीकृत तौर तरीकों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराती है। सीएसपी का लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं कारोबारी निरंतरता योजना (बीसीपी) को समरूप बनाना और किसी करतूत की कोशिश / करतूत के घटित हो जाने की किसी स्थिति में संचार के विशिष्ट संपर्क बिंदुओं, अद्यतन परिस्थितियों की आवधिक जानकारी और अग्रसक्रिय होकर उसके प्रभाव को कम करने के विकल्पों को परिभाषित करना है। विभाग रिज़र्व बैंक के भीतर साइबर-

सुरक्षा संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से कदम उठाता रहा है।

2019-20 की कार्ययोजना

IX.50 रिज़र्व बैंक उन्नत इंटरप्राइज आर्किटेक्चर एप्लिकेशन का एकीकरण एवं समेकन करेगा। कार्यनीति के रूप में इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म रिज़र्व बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी परिदृश्य में विभिन्न एप्लिकेशनों के समेकन एवं उनके एकीकरण की ओर ले जाता है। इसके कारण सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर का सक्षम इस्तेमाल हो सकेगा, जिससे परिचालनों का इष्टतम उपयोग, और आईसीटी उत्पादों एवं कारोबारी जरूरतों की बेहतर एकरूपता सुनिश्चित होगी। रिज़र्व बैंक जीरो ट्रस्ट फ्रेमवर्क को अपनाए जाने पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यत्न करेगा।

रक्षा सेवाओं के पेंशनभोगियों के लिए ई-कुबेर

IX.51 रक्षा सेवाओं के पेंशनभोगियों के लिए रिज़र्व बैंक ई-कुबेर को समग्र पेंशन पैकेज (सीपीपी) से एकीकृत करेगा और ई-कुबेर में ई-भुगतान मॉड्यूल के मानकीकृत संस्करण के माध्यम से स्वचालित ढंग से मासिक पेंशन जमा कराने की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल का लाभ रक्षा सेवाओं के लगभग 30 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। पेंशन भोगियों की संख्या में प्रत्येक वर्ष 80,000 की वृद्धि हो रही है।

अगली पीढ़ी का राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)

IX.52 एनईएफटी देश की प्रणालीगत महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली एवं महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) है। रिज़र्व बैंक शुरुआत से इसको परिचालित और मंटेन करता आया है। अगली-पीढ़ी में वैश्विक मानकों के अनुरूप एनईएफटी बेहतर स्वचालन एवं नवोन्नत विशेषताएं होंगी। एनईएफटी में आईएसओ 20022 मेसेजिंग फॉर्मेट की शुरुआत से सभी भुगतान और निपटान प्रणालियों में संदेशों (मेसेज) का मानकीकरण होगा और भुगतान प्रणालियों की अंतरपरिचालनीयता सुनिश्चित होगी। रिज़र्व बैंक अधिक आसान प्रबंधनीयता एवं नियंत्रण के लिए अपने नेटवर्क और स्टोरेज को समेकित करेगा।

वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपनी संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अनुसंधान, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन को बेहतर बनाया है तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों को और भी मजबूत किया है। राज्य सरकारों के लिए प्रभावी नकदी प्रबंधन तथा विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के प्रबंधन हेतु भी प्रयास किए गए। अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ और सक्षम वित्तीय क्षेत्र तैयार करने के लिए विधिक ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान विधायी पहलें / संशोधन भी किए गए।

X.1 इस अध्याय में वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्य-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ अनुसंधान, सांख्यिकी, संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बैंकिंग सेवाओं, विदेशी मुद्रा प्रबंध और वित्तीय प्रणाली के लिए विधिक ढांचे संबंधी क्षेत्रों में हुई अन्य प्रमुख गतिविधियों पर चर्चा की गई है। यह अध्याय इन कार्यक्षेत्रों में वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित कार्य-योजना की रूपरेखा भी बनाता है। भाग-2 रिज़र्व बैंक द्वारा इसकी संचार कार्यनीति तथा प्रक्रियाओं के संबंध में उठाए गए प्रमुख कदमों को प्रस्तुत करता है। भाग-3 कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई की गतिविधियों के बारे में बताता है। भाग-4 में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा की गई। भाग-5 सरकार के बैंक तथा बैंकों के बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक की गतिविधियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। भाग-6 सुरक्षा, चलनिधि तथा प्रतिफलों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन के संचालन की समीक्षा करता है। भाग-7 में सांख्यिक रिपोर्टों तथा महत्वपूर्ण अनुसंधानपरक प्रकाशनों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक की अनुसंधान गतिविधियों के बारे में उल्लेख करता है। भाग-8 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग से संबंधित गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भाग-9 विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत करता है।

2. संचार प्रक्रियाएं

X.2 रिज़र्व बैंक के संचार विभाग (डीओसी) ने पारदर्शिता, समयबद्धता तथा विश्वसनीयता के समन्वय द्वारा जनता के साथ दोतरफा संप्रेषण पर जोर दिया है। इन रणनीतिक लक्ष्यों ने विभिन्न साधनों तथा माध्यमों द्वारा नीतिगत गतिविधियों/

की गई महत्वपूर्ण पहलों और उनके औचित्य का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ इन पर निरंतर फीडबैक प्राप्त करने की भी कोशिश की है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन स्थिति वेबसाइट

X.3 रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<https://www.rbi.org.in>) को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाया गया और सर्च फंक्शन को अधिक सक्षम बनाया गया ताकि उपयोगकर्ता आसानी से वेबसाइट तक पहुँच सकें। वेबसाइट पर अनुसंधान संबंधी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित किया गया तथा इन्हें एक 'अनुसंधान' टैब के अंतर्गत रखा गया। मेल बॉक्स स्पष्टीकरण सेवाओं को भी तर्कसंगत बनाया गया। एंड्रॉइड तथा आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध रिज़र्व बैंक की एप को 30 जून 2019 तक प्ले स्टोर से 1,90,580 बार डाउनलोड किया गया और एप स्टोर से 19,550 बार डाउनलोड किया गया। रिज़र्व बैंक के ट्विटर खाते के 430,000 फॉलोवर्स हैं और इसके यू ट्यूब चैनल के उक्त दिनांक तक 30,000 सब्सक्राइबर्स रहे हैं।

मौद्रिक नीति संचरण

X.4 अक्टूबर 2016 से लागू नए मौद्रिक नीति ढांचे के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के द्विमासिक संकल्पों को प्रेस कान्फ्रेंस के उपरांत प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित किया जिसे बाद में रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और बिजनेस टेलीविज़न चैनलों पर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ-साथ यू ट्यूब के माध्यम से भी प्रसारित किया गया। वर्ष के दौरान ट्विटर पर तीन लाइव प्रेस कान्फ्रेंस भी प्रसारित की गईं।

नीतिगत घोषणाओं के दिन रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सामग्री (फ़ीड्स) और प्रतिलेखन (ट्रांस्क्रिप्ट्स) को अपलोड करने के साथ-साथ अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषकों के साथ टेलीकॉन्फ़्रेंस भी की जाती है। एमपीसी की बैठकों के कार्यवृत्तों को भी इसकी प्रत्येक बैठक के बाद 14वें दिन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल में प्रावधान किया गया है।

मिंट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम)

X.5 दिनांक 11 अगस्त 2017 से प्रारंभ किए गए एमएसएम समसामयिक और प्रासंगिक विषयों पर संक्षिप्त रिपोर्टों और विश्लेषणों के रूप में होते हैं जिनका उपयोग जन-सामान्य द्वारा किया जा सकता है। जून 2018 तक 12 एमएसएम प्रकाशित किए गए थे। चालू वर्ष में, जुलाई 2018 से लेकर जून 2019 तक 7 एमएसएम प्रकाशित किए गए थे।

क्षेत्रीय मीडिया के लिए कार्यशाला

X.6 वर्ष के दौरान, संचार विभाग ने देश भर में अपने जागरूकता कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय मीडिया के लिए

अहमदाबाद, कोलकाता, रांची और भोपाल में चार कार्यशालाएं आयोजित कीं। केंद्रीय बैंकिंग कार्यप्रणाली पर आयोजित इन कार्यशालाओं के चर्चापरक सत्रों में मौद्रिक नीति, बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण, ग्राहक शिक्षण और संरक्षण, मुद्रा प्रबंध, भुगतान और निपटान प्रणालियां, रिज़र्व बैंक की वेबसाइट की रूपरेखा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस (डीबीआईई)' नामक रिज़र्व बैंक का डेटा वेयरहाउस, विदेशी मुद्रा प्रबंध, प्रेस प्रकाशनी और मीडिया संबंध तथा इनसे जुड़े स्थानीय मुद्दे जैसे विषयों को शामिल किया गया।

जन जागरूकता अभियान

X.7 वर्ष 2018-19 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमों और कार्यप्रणालियों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए 'आरबीआई कहता है' नाम से एक बहु-मीडिया बहुभाषी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई (बॉक्स X.1)।

आरबीआई संग्रहालय

X.8 आरबीआई के 6, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता स्थित संग्रहालय को 11 मार्च 2019 को जनता के लिए खोल दिया गया। फलस्वरूप, इसमें भ्रमण करने के लिए पहले की

बॉक्स X.1

जन जागरूकता अभियान

रिज़र्व बैंक का जन जागरूकता अभियान 2017 में शुरू किया गया तथा 2018 में इसमें तेजी से वृद्धि हुई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, एशियाई खेल, कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी), प्रो-कबड्डी लीग, प्रो-बैंडमिंटन लीग तथा इंडिया-न्यूजीलैंड एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, सीमित देयता तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुगमता पर विज्ञापन दिए गए।

बीएसबीडीए पर एक फिल्म बनायी गई जो इस प्रकार का खाता खोलने पर न्यूनतम शेष की आवश्यकता जरूरी नहीं होने के बारे में बताती है। सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग पर एक फिल्म ऑनलाइन लेन-देन करते समय कार्ड और पिन संबंधी जानकारी साझा न करने के संबंध में जनता को जागरूक करती है। सीमित देयता पर दूसरी फिल्म कार्ड संबंधी धोखाधड़ी होने की घटना

में उपलब्ध सहायता पर प्रकाश डालती है। 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुगमता' पर फिल्म वरिष्ठ नागरिकों के लिए द्वारस्थ बैंकिंग जैसी सुविधाओं के बारे में बताती है। इन फिल्मों को ऐसे क्रिकेटर और बैंडमिंटन खिलाड़ी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी हैं, के माध्यम से मीडिया विज्ञापनों में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

जन जागरूकता अभियान की एक विशिष्ट विशेषता मिस्ड कॉल सुविधा होना है। कॉल सेंटर से संपर्क न होने अथवा इसकी अति व्यस्तता की स्थिति में नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल देने पर कॉलर एक प्री-रिकॉर्डेड इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से सूचना प्राप्त करेगा। वे क्षेत्र जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां मोबाइल सब्सक्राइबर्स अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में संदेश प्राप्त करते हैं (सारणी 1)।

(जारी...)

सारणी 1: अभियान का विस्तार (वर्ष के दौरान भेजे गए संदेश)

(मिलियन में)

ब्योरा	एसएमएस 1 (14 जून - 9 जुलाई 2018)	एसएमएस 2 (1-18 अगस्त 2018)	एसएमएस 3 (30 अगस्त - 13 सितंबर 2018)	वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग सुगमता (17 फरवरी - 19 मार्च 2019)	बैंकिंग लोकपाल योजना (10-28 जून 2019)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
भेजे गए कुल संदेश	553.57	575.50	606	कोई एसएमएस	682.31	2,417.38
पहुंचे कुल संदेश	408.79	420.84	425.66	प्रेषित नहीं किया गया	412.63	1,667.92
प्राप्त कुल मिस्ड कॉल	5.22	3.31	2.58	0.25	2.71	14.07
कुल सफल कॉल बैंक	3.69	2.32	1.79	0.15	1.14	9.09

- : कोई एसएमएस नहीं भेजा गया।

- एसएमएस 1:** क्या आपके बैंक खाते में फर्जी लेनदेन हुए हैं ? अपनी हानि को सीमित करें। तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल करें।
- एसएमएस 2:** क्या आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग करते हैं ? एसएमएस/ईमेल अलर्ट के लिए स्वयं को रजिस्टर करें तथा किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर अपने बैंक को सूचित करें। अधिक जानकारी के लिए नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दें।
- एसएमएस 3:** क्या आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं ? केवल https; वाली साइट का उपयोग करें; फ्री नेटवर्क पर पर बैंकिंग करने से बचे; पासवर्ड /पिन को नियमित रूप से बदलते रहे तथा किसी को साझा न करें। अधिक जानकारी के लिए नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दें।
- एसएमएस 4:** क्या बैंक द्वारा एक महीने के भीतर बैंकिंग सेवा में गड़बड़ी की शिकायत का समाधान किया गया है ? सहायता के लिए बैंकिंग लोकपाल /bainkingombudsman@rbi.org.in पर जाएं। नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दें।

स्रोत : आरबीआई।


तुलना में जनता की रुचि काफी अधिक बढ़ी है (चार्ट X.1)। यह संग्रहालय¹ मुद्रा, सोना तथा रिज़र्व बैंक की स्थापना से संबंधित रोचक जानकारी कलाकृतियों तथा इंटरैक्टिव प्रदर्शनी

के माध्यम से संक्षेप में प्रस्तुत करता है। संग्रहालय के मेजेनाइन फ्लोर पर एक इंटरैक्टिव गेम ज़ोन है, जिसमें छोटे बच्चों को 'साँप सीढ़ी' तथा 'कैरम' जैसे सरल खेलों के माध्यम से वित्तीय जानकारी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

X.9 संचार विभाग पिछले वर्ष में कवर न किए जा सके क्षेत्रीय केन्द्रों तथा मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरीय केन्द्रों में महत्वपूर्ण विनियामकीय और बैंकिंग विषयों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना जारी रखेगा। वेबसाइट की कुछ विशेषताओं में आवश्यक संशोधन करके तथा कुछ नई विशेषताएं जोड़कर इसे और अधिक सूचनाप्रद तथा सुगम नैविगेशन वाली बनाया जाएगा।

X.10 वर्ष 2019-20 के दौरान 360 डिग्री मास मीडिया जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए सार्वजनिक जागरूकता अभियान को आगे ले जाने की आशा की जा रही है। इसके अलावा, प्रत्येक अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार



¹ आरबीआई संग्रहालय की वेबसाइट (<https://therbimuseum.rbi.org.in>)

सुनिश्चित करने, इसकी अवधि को बढ़ाने तथा युवाओं से जुड़ने के लिए ट्विटर तथा फेसबुक जैसे लोकप्रिय सामाजिक मीडिया माध्यमों का दो तरफा संचार के लिए किया।

X.11 वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसे टाउन हाल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें अर्थ जगत से जुड़े संपादक शीर्ष प्रबंधन के साथ मिलते हैं। रिज़र्व बैंक की संचार नीति को भी वर्ष के दौरान संशोधित किया जाएगा।

3. कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई

X.12 फरवरी 2016 में स्थापित कार्यनीतिक अनुसंधान इकाई (एसआरयू) को रिज़र्व बैंक के विभिन्न वर्टिकलों के लिए अनुसंधान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वर्ष के दौरान, एसआरयू ने प्रमुख समष्टि आर्थिक संकेतकों का अध्ययन किया और रिज़र्व बैंक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान किया तथा इनमें पाई गई कमियों को शीर्ष प्रबंधन के सम्मुख रखा। इस इकाई के अनुसंधानकर्ताओं ने अनुसंधान के दौरान पाई गई कमियों को नियमित रूप से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुत किया तथा प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.13 एसआरयू मौद्रिक नीति निर्माण कार्यनीति (एमपीएस) संबंधी बैठकों में द्विमासिक आर्थिक संकेतक नियमित रूप से प्रस्तुत करती है। इस संकेतक में भारत के लिए एक संपाती (कोइसीडेंट) आर्थिक संकेतक शामिल था और इसने वित्तीय बाजारों और बाह्य क्षेत्रों से संबंधित इनपुट उपलब्ध कराया। इस इकाई ने विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालिक अनुसंधान की शुरुआत भी की जिसे रिज़र्व बैंक कि वार्षिक रिपोर्ट तथा मिनट स्ट्रीट मेमो (एमएसएम) में बॉक्स मद के रूप में प्रकाशित किया गया था। इनमें से कुछ एमएसएम थे 'भारत के चालू खाता घाटे, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे पर कच्चे तेल के कीमत आघात का प्रभाव' और 'ऑटोमोबाइल बिक्री को कौन परिचालित करता है ? यह क्रेडिट नहीं है'।

X.14 एसआरयू ने केंद्रीय बजट, मुद्रास्फीति पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभाव, बाह्य क्षेत्रों की संवेदनशीलता, व्यापार और विदेशी निवेश पर विपरीत वैश्विक स्थितियों का प्रभाव, फसल की कीमतों पर कीमत-अंतराल का भुगतान, हाउसहोल्डों द्वारा आरिस्त संचयन की गतिकी, वित्तीय बाजारों पर मुद्रास्फीति लक्ष्य का प्रभाव, जीडीपी के तात्कालिक अनुमान तथा उच्च

बारंबारता वाले डाटा का उपयोग करते हुए खाद्य मुद्रास्फीति पर नज़र रखने जैसे मुद्दों पर विभिन्न अल्पकालिक योजनाएं तैयार की। इन अनुसंधान अध्ययनों में पाई गई कमियों को नियमित रूप से शीर्ष प्रबंध-तंत्र को प्रस्तुत किया गया। इनमें से कुछ अध्ययनों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भी प्रस्तुत किया गया। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2018 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के वार्षिक सम्मेलन में 'फार्म सपोर्ट एंड मार्केट डिस्टॉर्शन' शीर्षक पर्चों को प्रस्तुत किया गया और जून 2019 में एशिया और पैसिफिक अर्थव्यवस्था पर सुजौ तथा चीन में आयोजित एडीबी सेमिनार में 'डू हाउसहोल्ड केयर अबाउट कैश?' पर्चा प्रस्तुत किया गया।

X.15 इस इकाई के अनुसंधानकर्ता अपने द्वारा किए गए अनुसंधान को प्रतिष्ठित शैक्षणिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2019 में *मैक्रोइकनॉमिक डाइनेमिक्स* में 'टैक्स पॉलिसी एंड फूड सिक्योरिटी' शीर्षक लेख प्रकाशित किया गया। इसके अलावा ऐसे भी लेख हैं जो प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु समीक्षाधीन हैं, जैसे 'कैश एंड ड इकॉनमी' और 'दिविसा मॉनेटरी मॉडल ऑफ एक्चेंज रेट डिटरमिनेशन'।

X.16 अनुसंधान गतिविधियां करने और इनके व्यापक प्रसार के लिए एसआरयू अन्य विभागों/समूहों के साथ समन्वय कर रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान एसआरयू के अधिकारियों ने बासेल III के कार्यान्वयन और परिचालनगत जोखिम प्रतिरूपण के संबंध में अंतर-विभागीय कार्य समूह के अनुसंधान (आईडीडबल्यूजी) में सक्रिय रूप से सहयोग/योगदान दिया। वे भारत के लिए वित्तीय संवेदनशीलता सूचकांक से संबंधित अनुसंधान कार्य से भी जुड़े हुए थे।

X.17 अनुसंधान क्षमता को ओर अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से एसआरयू ने अगस्त 2018 में अनुसंधान उन्मुख कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें एसआरयू के अनुसंधानकर्ताओं ने विदेश के ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों के साथ मिलकर अपने द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों से जुड़ी प्रस्तुतियाँ दीं। एसआरयू जनवरी 2019 से एक मासिक सेमिनार शृंखला भी आयोजित कर रहा है जिसमें रिज़र्व बैंक के लिए प्रासंगिक विषयों पर लेख प्रस्तुत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से विदेशी शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया। इस शृंखला में अब तक नए कीनेसियन

मॉडल, वित्तीय नेटवर्क, प्लांट स्तरीय उत्पादकता, क्रेडिट मिसएलकेशन एंड उत्पादन हानि आदि विषयों को शामिल किया गया। इस तरह के सभी सेमिनारों से संबंधित फीडबैक रिपोर्टों को मौद्रिक नीति निर्माण के उद्देश्य शीर्ष प्रबंधन को भी प्रस्तुत किया जाता है। हाल ही में, रिज़र्व बैंक के अंदर हुई कुछ अनुसंधान गतिविधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए एसआरयू ने एक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत, एसआरयू के अधिकारियों ने जून 2019 के दौरान एक विश्वविद्यालय का दौरा किया तथा युवा विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं से वैचारिक आदान-प्रदान करने के लिए एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। अनुसंधान सहयोग को अधिक गहन बनाने तथा देश के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एसआरयू ने कैफरल के साथ संयुक्त रूप से ब्राउन-बैग सेमिनार की एक श्रृंखला आयोजित की। वर्ष 2018-19 की ब्राउन-बैग श्रृंखला में प्रस्तुत कुछ लेखों में 'हाउसहोल्ड फाइनेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज', 'गेन्स फ्रॉम ट्रेड विद हेटरोजीनिअस एजेंट्स अंडर फाइनेंशियल कन्स्ट्रेंट्स' तथा 'कन्जेशन एंड कम्यूट शेडुलिंग इन ए मोनोसेंट्रिक सिटी' शामिल थे।

2019-20 के लिए कार्य-योजना

X.18 आगामी वर्षों में एसआरयू से अपेक्षा है कि वह नीतिगत अनुसंधान से जुड़े प्रश्नों का समाधान सुझाए, समष्टि आर्थिक विकास की निगरानी जारी रखे, महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को गहराई से समझने का प्रयास करें और उपयुक्त नीतिगत इनपुट प्रदान करें। एसआरयू ने अपने दीर्घकालिक एजेंडे में डेटा-आधारित नीतिगत अनुसंधान अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने तथा आंतरिक और बाह्य प्रस्तुतियों और समकक्ष-समीक्षित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के माध्यम से अनुसंधान कार्य को प्रसारित करने को शामिल किया है।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.19 वर्ष 2018-19 के दौरान रिज़र्व बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया है, विशेषरूप से अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ केंद्रीय बैंक पारस्परिक सहयोग तथा इस क्षेत्र में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई पहलों पर बल दिया गया। बैंक ने अनेक द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्तालापों में हिस्सा लिया है।

वर्ष 2018-19 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

जी 20 और इसके कार्यदल

X.20 रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतरराष्ट्रीय विभाग ने केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर जी20 के विभिन्न कार्यदलों जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए), रूपरेखा कार्यदल (एफडब्ल्यूजी) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) की बैठकों में भागीदारी की। इसने अर्जेन्टीना की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक गवर्नरों और जी-20 के प्रतिनियुक्त प्रतिनिधियों की बैठकों में भारत की स्थिति पर इनपुट भी प्रदान किए। इन बैठकों का समापन नवंबर 2018 में जी20 के नेताओं की घोषणाओं के साथ हुआ। कार्य के भविष्य, आर्स्टि श्रेणी के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने, क्रिप्टो-आर्स्टि संबंधी जोखिम, समष्टि विवेकसम्मत उपायों (एमपीएम) का वर्गीकरण, पूंजी प्रवाह प्रबंधन (सीएफएम) उपाय, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन और वैश्विक वित्तीय शासन पर जी 20 ख्यातिप्राप्त व्यक्ति समूह (ईपीजी) की रिपोर्ट पर राय जैसे मुद्दों को भी इन बैठकों में शामिल किया गया।

X.21 इसके बाद जब जापान जी 20 का अध्यक्ष बना तब विभाग ने वैश्विक चालू खाता असंतुलन, काल-प्रभाव और इसके नीतिगत पहलू, गुणवत्तापूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश, बाज़ार विखंडन तथा वित्तीय नवाचार जैसे मुद्दों पर इनपुट प्रदान किए। जी 20 ओसाका नेताओं की घोषणाओं ने पेरिस क्लब के साथ स्वैच्छिक रूप से मामला-दर-मामला आधार पर इसके कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु भारत का स्वागत किया। अंतरराष्ट्रीय विभाग द्वारा निर्धारित जी 20 / एफएसबी / बीआईएस संबंधी विनियामकीय मुद्दों पर सभी छह अंतर-विभागीय कार्य समूहों (आईडीडब्ल्यूजी) ने 2018-19 के दौरान अपनी रिपोर्टें पूरी कीं। ये (i) फिनटेक और डिजिटल नवाचार; (ii) बासेल III का कार्यान्वयन और इसके शेष भाग को अंतिम रूप देना; (iii) वैश्विक वित्तीय विनियामकीय सुधारों के प्रभाव; (iv) वित्तीय फर्मों के लिए समाधान और जमा बीमा फ्रेमवर्क; (v) ओवर-दि-काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव्स सुधार और (vi) भारत में समष्टि आर्थिक फ्रेमवर्क को संस्थागत बनाने से संबंधित है। वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) पर आईडीडब्ल्यूजी का कार्य

जिसने फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग (अध्यक्ष: श्री सुदर्शन सेन) पर कार्यदल की रिपोर्ट, 2017 का अनुसरण करते हुए 'ड्राफ्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन फिनटेक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स' पर एक सहयोगी पत्र को भी शामिल किया। आरबीआई के बैंकिंग विनियमन विभाग ने 'रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क' को अंतिम रूप दिया और अगस्त 2019 में इसे सार्वजनिक डोमेन पर रखा। इसके अलावा, विभाग ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए एक आईडीडब्ल्यूजी की स्थापना भी की है, जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना संबंधी मुद्दे

X.22 विभाग ने आईएमएफ के 2018 के अनुच्छेद IV मिशन के साथ-साथ आईएमएफ और विश्व बैंक से संबंधित आईएमएफ से जुड़े मुद्दों पर कार्य करना जारी रखा। आईएमएफ के 15 वें जनरल रिव्यू ऑफ कोटास (जीआरक्यू) आवश्यक वोटिंग शेयरों के लिए समर्थन न मिलने के चलते अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आईएमएफ स्प्रिंग 2019 की बैठकों में यह विचार व्यक्त किया कि उन्हें कोटा वृद्धि की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। पूंजी प्रवाह से संबंधित संचलन के लिए, विशेषरूप से समष्टि विवेक सम्मत उपायों (एमपीएम) के उपयोग के संबंध में, ओईसीडी कोड को संशोधित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की बैठकें

X.23 आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्री शक्तिकांत दास ने बीआईएस जिसमें 60 केंद्रीय बैंक सदस्य हैं, के 18 सदस्यीय बोर्ड में पदभार ग्रहण करने की पेशकश को स्वीकार किया। विभाग ने बीआईएस की गवर्नरों की द्विमासिक बैठकों तथा वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति (सीजीएफसी) की अन्य बैठकों के संबंध में विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान किए, इन समितियों की विषय वस्तुओं में गैर-परंपरागत मौद्रिक नीति, जाली बैंकनोट संबंधी जोखिम तथा खरीद संबंधी मुद्दे, विधिक संस्था पहचानकर्ता (एलईआई) का भविष्य, तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक बाजारों की निगरानी और बिग टेक के विकास से जुड़े लाभ और जोखिम शामिल

हैं। विभाग ने प्रमुख जोखिम कारकों तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। इसने केंद्रीय बैंक गवर्नेंस समूह (सीबीजीजी) के तत्वावधान में बीआईएस द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे सहयोग में समन्वयक का कार्य भी किया। अंतरराष्ट्रीय विभाग ने 'अर्थक्षम पूंजी बाजारों की स्थापना' पर सीजीएफएस के दूसरे कार्यदल (सह अध्यक्ष: डॉ. विरल वी. आचार्य) के लिए सक्रिय योगदान दिया (बॉक्स X.2)।

वित्तीय स्थिरता संबंधी मुद्दे

X.24 उप गवर्नर श्री एन एस विश्वनाथन ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) क्षेत्रीय परामर्श समूह (आरसीजी), एशिया के सह-अध्यक्ष का पदभार संभाला, इन्हें वित्तीय प्रणालियों को प्रभावित करने वाली संवेदनशीलता के मामले पर एफएसबी सदस्य और गैर-सदस्यीय देशों के वित्तीय प्राधिकारियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान और एशियाई क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के संबंध में पहल करने के लिए कहा गया है। विभाग ने उन मुद्दों पर भारत के रुझान संबंधी इनपुट तैयार किए जिनकी चर्चा एफएसबी की बैठकों में और कान्फ्रेंस कॉलों में की गई थी। इसके अलावा, इसने एफएसबी सर्वेक्षण जैसे एफएसबी / जी 20 सुधारों के लिए निगरानी नेटवर्क का कार्यान्वयन (आईएमएन), एसएमई वित्तीयन पर वित्तीय विनियामकीय सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन, ओटीसी डेरिवेटिव बाजार संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन में प्रगति और क्षतिपूर्ति निगरानी पर इनपुट प्रदान किए।

X.25 विभाग ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक और घरेलू बैंकों के संबंध में संकल्प योजना मानकों के कार्यान्वयन पर चल रहे एफएसबी विषय क्षेत्र से संबंधित समकक्ष समीक्षा में भी योगदान दिया और एलईआई के कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति की सूचना प्रदान की।

X.26 विभाग ने गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) के माध्यम से वैश्विक प्रवृत्तियों और जोखिमों का आकलन के लिए एफएसबी के वार्षिक निगरानी कार्य में योगदान दिया और 2018 की इसकी रिपोर्ट के लिए डाटा/इनपुट प्रदान किए।

बॉक्स X.2

उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर पूंजी बाजार का झुकाव

वर्ष 2018 में स्थापित अर्थक्षम पूंजी बाजारों की स्थापना के संबंध में वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति (सीजीएफएस) के कार्यदल ने जनवरी 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बाजार के आकार (चार्ट 1), उभरते और परिपक्व पूंजी बाजारों की पहुँच, चलनिधि की स्थिति और समुत्थानशीलता जैसे मानकों पर इनकी तुलना की गई है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में लिखतों के विकल्पों में वृद्धि हुई, जबकि सरकारी प्रतिभूति बाजार में गहनता आई है और चलनिधि बढ़ी है। ईएमई के कॉरपोरेट प्रतिभूति बाजारों का व्यापक गहनता आई हुआ है। हालांकि, वे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एआई) के बाजारों की तुलना में औसतन छोटे बने हुए हैं और खासतौर से राज्य के स्वामित्व वाली फर्मों के मामले में उन्हें कॉरपोरेट गवर्नेंस और अल्पांश हिस्सेदारी वाले शेयरधारकों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों से जूझना पड़ता है। एआई की तुलना में लंबी अवधि की परिपक्वता तथा स्थानीय करेंसी डेट प्रतिभूतियों का उपयोग अपेक्षाकृत कम है और कुछ छोटी फर्में ईएमई इक्विटी बाजारों का उपयोग करती हैं। कुछ देशों में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कोटे के माध्यम से स्टॉक कीमतों के पैतृक प्रबंधन को एक बाधक कारक के रूप में देखा जाता है। ईएमई बाजार के समक्ष उनमें विद्यमान अस्थिरता के प्रभाव-विस्तार से जुड़े मुद्दों भी होते हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है।

रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि घरेलू पूंजी बाजारों का खुलापन उन्हें वैश्विक प्रभावों के प्रति और अधिक संवेदनशील बना सकता है। इसमें अधिक गहन पूरक बाजार जैसे डेरिवेटिव, रिपो तथा प्रतिभूति उधार के लिए प्रेरक चलनिधि और पूंजी बाजार की स्थितियों में हेजिंग और फंडिंग की सुविधा द्वारा व्यापक भागीदारी शामिल है। मजबूत और कुशल बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर चलनिधि को बढ़ावा देते हैं तथा व्यापार को सुरक्षित और सस्ता बनाते हैं।


यह रिपोर्ट निष्कर्ष स्वरूप छह व्यापक नीतिगत सिफारिशें करती हैं: (i) बढ़ी हुई बाजार स्वायत्तता; (ii) निवेशक की सुरक्षा के लिए विधिक और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना; (iii) विनियामकीय स्वतन्त्रता और प्रभावशीलता को बढ़ाना; (iv) घरेलू संस्थागत निवेशक आधार की गहनता और विविधीकरण को बढ़ाना; (v) पूंजी बाजारों की व्यापक और द्विदिशात्मक शुरुआत; और (vi) डेरिवेटिव, रिपो और प्रतिभूति उधार के लिए अधिक गहन पूरक बाजारों का विकास करना।

यह रिपोर्ट बताती है कि कई कई चर्चाओं के बावजूद ईएम और एई इक्विटी बाजार के बीच मतभेद बने रहे। ईएम का निवेशयोग्य वैश्विक इक्विटी पूंजीकरण (10.8 प्रतिशत) हिस्सा उनके वैश्विक जीडीपी (40 प्रतिशत) के हिस्से की तुलना में वस्तुतः कम है (बेकेट और हार्वे, 2017)। ईएम शार्पे अनुपात (वित्तीय पोर्टफोलियो के जोखिम-समायोजित प्रतिफल की माप) एई के शार्पे अनुपातों से सामान्यतः 50 प्रतिशत अधिक थे। हालांकि, ईएम की इक्विटी जो कभी वैश्विक इक्विटी से परस्पर संबंधित नहीं थी, अब लगभग 1.25 (ईएमई की स्टॉक अस्थिरता को वैश्विक स्टॉक बाजार की अस्थिरता से अधिक मानते हुए) उच्चतर बेटा रखती है तथा इनके चक्र एई इक्विटी के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। ईएम के करेंसी प्रतिफल 0.1 और 0.5 के बीच के अंतराल के साथ सकारात्मक रूप से ईएम इक्विटी प्रतिफल से परस्पर जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत, एई के लिए स्थानीय करेंसी इक्विटी प्रतिफल और करेंसी प्रतिफल औसतन आधार पर परस्पर संबंधित नहीं है, इसका तात्पर्य है कि ईएम इक्विटी निवेशकों के लिए करेंसी जोखिम प्रासंगिक है। ईएम के लिए गवर्नेंस संकेतक सामान्यतः बेहतर हुए हैं किन्तु एई बाजारों के लिए वे कमतर बने हुए हैं। खुलापन कानूनी तौर पर बढ़ा है लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ईएम के संविभागों में उल्लेखनीय कमी आई है और अब वह एई के 25 वर्ष पहले के स्तर के करीब है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय दबाव में कमी ने भारतीय बॉण्ड बाजारों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। कुछ ईएमई में बोली प्रस्तावित दर का दायरा और व्यापार के मूल्य प्रभाव का अनुमान अधिक तरलता वाले एई सरकारी बॉण्ड बाजारों के समान है। हालांकि, ऐसी अधिकांश ईएमई में बोली प्रस्तावित दर का दायरा उच्चतर है, जिनका भारत में 10 वर्षीय बेंचमार्क सरकारी बॉण्ड प्रमुख एई की तुलना में केवल 2 आधार अंक था

संदर्भ:

1. सीजीएफएस (2019), 'एस्टैब्लिशिंग वाइअबल कैपिटल बाजार', सीजीएफएस पेपर संख्या 62 <https://www.bis.org/publ/cgfs62.pdf> पर उपलब्ध है।
2. बेकेट, ग्रीट और केम्पबेल आर. हार्वे (2017) की 'इमर्जिंग इक्विटी मार्केट इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड' <https://ssrn.com/abstract=2344817> पर उपलब्ध है।

चार्ट 1 : प्रतिभूति बाजारों के आकार के बॉक्स और विस्कर प्लोट्स



स्रोत : सीजीएफएस पेपर सं. 62, बीआईएस।

ब्रिक्स, सार्क और द्विपक्षीय सहयोग

X.27 जनवरी 2018 में ब्रिक्स की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका से ब्राज़ील के पास आ गई। विभाग ने उनकी अध्यक्षता में ब्रिक्स एजेंडे के लिए पूरी तरह से योगदान देना जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में दी जाने वाली प्रस्तुतियों के एक भाग के रूप में ब्रिक्स के केंद्रीय बैंकों ने जुलाई 2018 में सफलतापूर्वक प्रथम आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (सीआरए) टेस्ट रन आयोजित किया गया जिसमें डीलिंगड लिक्विडिटी इन्सट्रूमेंट शामिल था, फंड के वास्तविक अंतरण किया गया एवं टेस्ट रन के समापन पर पूर्णतया वापस कर दिया। ब्रिक्स के केंद्रीय बैंकों द्वारा फिनटेक और क्रिप्टो-आस्तियों पर जुलाई से अक्टूबर 2018 के प्रारम्भ में एक वस्तु स्थिति आकलन किया गया। यह अभ्यास इनके अभिमुखता स्तर के मूल्यांकन के साथ-साथ आगे के सहयोग की गुंजाइश के लिए था।

X.28 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के तहत रिज़र्व बैंक ने सार्क के कुछ केंद्रीय बैंकों को चलनिधि सहायता प्रदान की और उनके क्षमता निर्माण में प्रमुख रूप से योगदान दिया। भारत सरकार के अनुमोदन से फ्रेमवर्क में वर्तमान स्वैप व्यवस्था पर एक परिशिष्ट भी जोड़ा गया था ताकि वित्त मंत्री के अनुमोदन से अलग-अलग देशों के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से ऊपर 400 मिलियन यूएस डॉलर तक की अतिरिक्त स्वैप राशि प्रदान की जा सके। इसके लिए की सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध कुल 2 बिलियन यूएस डॉलर की निधि में से अप्रयुक्त राशि का इस्तेमाल किया गया।

X.29 वर्ष के दौरान, सार्क फाइनेंस सहयोग संबंधी निम्नलिखित अध्ययन किए गए थे – (i) सार्क क्षेत्र में बुनियादी ढांचा संबंधी वित्तीयन; (ii) सार्क क्षेत्र में विनियामकीय व्यवस्था; और (iii) सार्क क्षेत्र में सीमा पार धन-प्रेषण की लागत को कम करना। भारत में एम. फिल/डॉक्टरेट करने के लिए द अफगानिस्तान बैंक और बांग्लादेश बैंक से दो अधिकारियों को सार्क फाइनेंस छात्रवृत्ति की पेशकश की गई। सार्क फाइनेंस डेटाबेस पर कार्यदल का पाँचवाँ सेमिनार और तीसरी बैठक नेपाल राष्ट्र बैंक और रिज़र्व बैंक द्वारा

15-16 मई 2019 को संयुक्त रूप से काठमांडू में आयोजित की गई।

X.30 रिज़र्व बैंक और यूरोपीयन केंद्रीय बैंक ने अपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) के एक भाग के रूप में 20 नवंबर 2019 को मुंबई में 'वित्तीय स्थिरता और वैश्विक प्रभाव-विस्तार' पर एक संयुक्त सेमिनार आयोजित किया। अंतरराष्ट्रीय विभाग सेमिनार शृंखला मीमांसा के अंतर्गत 'फिनटेक और वैश्विक वित्तीय विनियमन' पर दिनांक 14 जून 2019 को एक सेमिनार आयोजित किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान अंतरराष्ट्रीय विभाग ने विदेशी केंद्रीय बैंकों/विनियामकीय प्राधिकारियों / विदेश मंत्रालयों तथा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के लिए क्षमता निर्माण हेतु रिज़र्व बैंक में 45 एकपोज़र दौरे / अटैचमेंट आयोजित किए। आईडी ने एसईएसीईएन के साथ परस्पर संबंध में वृद्धि को भी बनाए रखा। इसके अलावा, आईडी ने अपनी क्षमता निर्माण और टीए मिशन संबंधी अपेक्षाओं के लिए आईएमएफ एसएआरटीटीएसी को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

X.31 अंतरराष्ट्रीय विभाग जी 20 में वित्तीय मार्ग संबंधी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखेगा। वर्ष 2019-20 के दौरान यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संचलन के कार्य-योजना से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करेगा। यह आईएमएफ के साथ अनुच्छेद IV 2019 संबंधी चर्चाओं को भी सफलतापूर्वक पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

X.32 विभाग वैश्विक वित्तीय विनियामकीय सुधारों के क्षेत्र में विभिन्न विभागों तथा विनियामकों के साथ सहयोग में एनबीएफआई द्वारा वैश्विक प्रवृत्ति और जोखिमों तक पहुँचने के लिए 2019 में एफएसबी के वार्षिक निगरानी अभ्यास के लिए अपना इनपुट देना जारी रखेगा। यह एफएसबी के बाज़ार विभाजन संबंधी अपडेट्स पर आगे की कार्यवाही करेगा जिनके अक्टूबर 2019 में मिलने की संभावना है।

X.33 विभाग बीआईएस और सीजीएफएस की बैठकों में विश्लेषणात्मक नीति को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना जारी रखेगा। ब्रिक्स के संबंध में ब्रिक्स सीआरए की समष्टि आर्थिक

अनुसंधान क्षमता को और मजबूत करेगा। दूसरे सीआरए टेस्ट रन में उन मूलतत्वों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें प्रथम टेस्ट रन में जांचे नहीं गए थे। विभाग अक्तूबर 2019 में भारत के सार्क फाइनेंस के अध्यक्ष बनने के साथ सार्क फाइनेंस-एसीयू के गवर्नरों की संगोष्ठी (बाह्य निवेश और परिचालन विभाग के सहयोग से) का आयोजन करेगा। यह देखते हुए कि सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप समझौते से संबंधित वर्तमान ढांचा नवंबर 2019 में समाप्त हो रहा है, अन्य सार्क बैंकों तथा भारत सरकार के साथ परामर्श करके 2019-22 की अवधि के लिए एक संशोधित ढांचे के निर्माण पर विचार किया जाएगा। विभाग क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता प्रदान करने, सहयोगपूर्ण अध्ययन संबंधी कार्य तथा सार्क क्षेत्रों के लिए एक मजबूत और व्यापक डेटाबेस विकसित करने के संबंध में सार्कफाइनेंस रोडमैप का कार्य-योजना आगे भी निरंतर काम करता रहेगा।

5. सरकारी एवं बैंक लेखा

X.34 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) रिजर्व बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा संबंधी नीतियां बनाने के अलावा बैंकों के बैंकर एवं सरकार के बैंकर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की निगरानी करता है।

वर्ष 2018-19 के लिए कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

राज्य सरकारों की प्रणाली को ई-कुबेर के साथ एकीकृत करना

X.35 वर्ष के दौरान चार राज्य सरकारों को ई-भुगतानों के लिए तथा एक राज्य सरकार को ई-प्राप्तियों के लिए ई-कुबेर के साथ जोड़ा गया। दिनांक 30 जून 2019 तक 28 राज्यों में से ऐसे 16 राज्य जिनके लिए रिजर्व बैंक बैंकर के रूप में कार्य करता है, को मानकीकृत ई-प्राप्तियों के लिए तथा 16 राज्यों को मानकीकृत ई-भुगतानों के लिए ई-कुबेर के साथ जोड़ा गया था। इसके अलावा, चार राज्य सरकारों ने भी

ई-भुगतान के उन्नत वर्शन को अपना लिया। रिजर्व बैंक ई-प्राप्तियों और ई-भुगतानों को सक्षम बनाने के लिए शेष राज्य सरकारों की प्रणालियों को ई-कुबेर के साथ जोड़ने के संबंध में सक्रिय है।

कागज बाद में (पी2एफ) व्यवस्था

X.36 रिजर्व बैंक वर्तमान पी2एफ व्यवस्था में किए जाने वाले चेक के उपयोग को बंद करने के संबंध में राज्य सरकारों पर दबाव बना रहा है और अब तक 13 राज्यों ने पी2एफ को बंद करने के संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के परामर्श से यह समाधान निकला है कि सभी राज्य सरकारों द्वारा सहमति दिए जाने का इंतजार किए बिना इनके चैकों के लिए पी2एफ को चरणबद्ध ढंग से बंद किया जा सकता है। इस संबंध में बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

X.37 सरकारी बैंकिंग की लागत पर गठित समिति की सिफारिशों के साथ-साथ कारोबार प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में बने कार्य दल की सिफारिशों को लागू करने की व्यवहार्यता के संबंध में आंतरिक जांच की गई तथा एजेंसी कमीशन की संशोधित दरों पर एक परिपत्र जारी किया गया है।

वर्ष 2019-20 के लिए कार्य-योजना

X.38 विभाग रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान पोर्टल (ई-कुबेर) के साथ केंद्रीय सरकार के साथ-साथ शेष राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों की प्रणाली को एकीकृत करने तथा इनके द्वारा वर्तमान में ई-कुबेर के माध्यम से किए जा रहे लेन-देन में वृद्धि करने के लिए इन्हें सहमत करने का प्रयास जारी रखेगा (बॉक्स X.3)। एजेंसी बैंकों पर निगरानी को पुनः सशक्त किया जाएगा तथा इन्हें आरबीआई से संग्रहीत सरकारी प्राप्तियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए भी ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया जाएगा। भविष्य में केंद्रीय सरकार की वर्तमान त्रुटिज्ञापन संबंधी ऑनलाइन प्रक्रिया का सभी राज्य

बॉक्स X.3

रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के लेन-देनों के प्रत्यक्ष संचालन हेतु
प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल²

रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में अपनी संवैधानिक भूमिका के तहत भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अपने कार्यालयों के माध्यम से अथवा अपने द्वारा नियुक्त एजेंसी बैंकों के माध्यम से सरकारी भुगतान तथा सरकारी प्राप्तियों के संग्रहण की सुविधा प्रदान करता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में, रिजर्व बैंक तीव्रतर तथा कुशल लेखांकन के लिए और सरकारी निधियों के निपटान के लिए प्रौद्योगिकियों को अधिकाधिक अपनाने पर जोर दे रहा है। इनमें लेन-देन की रिपोर्टिंग तथा प्रोसेसिंग के लिए मानकीकृत मॉडल के रूप में स्ट्रेट-थ्रू -प्रोसेसिंग (एसटीपी) आधारित प्रणालियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए गए सरकारी लेन-देनों का प्रत्यक्ष संचालन, सही समय पर भुगतान और तत्काल आधार पर प्राप्तियों के प्रत्यक्ष संग्रहण द्वारा रिजर्व बैंक के पास मौजूद निधियों के बेहतर उपयोग हेतु सरकार को सक्षम बनाता है। ये अपेक्षाएं मानकीकृत संप्रेषण प्रोटोकॉल तथा डेटा सुरक्षा के उपयोग द्वारा रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के साथ सरकार की विभिन्न प्रणालियों के शुरू से अंत तक के एकीकरण के माध्यम से पूरी हो रही हैं।

भुगतान के संबंध में, केंद्र सरकार के विभागों तथा मंत्रालयों और विभिन्न राज्य सरकारों के लिए मानकीकृत ई-भुगतान मॉडल को लागू किया गया है। यह मॉडल डेटा विनिमय के साथ-साथ लेन-देन की स्थिति और लेखांकन संबंधी सूचना की रिपोर्टिंग के लिए आईएसओ 20022 फॉर्मेट को अपनाते हुए एसटीपी आधारित भुगतानों को सक्षम बना रहा है। रिजर्व बैंक लाभार्थियों को सीधे भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली का उपयोग कर रहा है। लेखा नियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-कुबेर के एकीकरण के माध्यम से विभिन्न केंद्रीय सिविल मंत्रालय ई-भुगतान कर रहे हैं। वर्तमान में 16 राज्य सरकारों की ट्रेजरी प्रणाली अपने ई-भुगतानों की प्रोसेसिंग के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत हैं।

प्राप्तियों की बात करें, तो मानकीकृत ई-प्राप्ति संबंधी मॉडल एक तरफ सरकारी प्रणालियों को और दूसरी तरफ एजेंसी बैंकों को ई-कुबेर के

साथ एकीकृत करता है। यह इन बैंकों द्वारा सरकारी प्राप्तियों की मानकीकृत ऑनलाइन रिपोर्टिंग को कुशल तरीके से प्रस्तुत करने को आसान बनाती है ताकि इन लेन-देनों के समेकित इनपुट को संबंधित सरकारी विभागों को उपलब्ध कराया जा सके। 16 राज्य सरकारों की ट्रेजरी प्रणाली ई-भुगतान मॉडल के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत है।

रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सरकारी प्राप्तियों के संग्रहण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पूरे देश में जीएसटी के संग्रहण के लिए 'संकलक' के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ एकीकृत है। प्राप्तियों के संबंध में, यह एनईएफटी / आरटीजीएस भुगतान विकल्पों का उपयोग करते हुए रिजर्व बैंक के साथ अपने खातों में सरकार की प्राप्तियों के प्रत्यक्ष संग्रहण को संभव बनाता है। इसके द्वारा, ग्राहक किसी भी सहभागी बैंक शाखा से एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन धन-प्रेषण व रिजर्व बैंक के साथ सरकारी खातों में सीधे भुगतान कर सकते हैं। इस एनईएफटी / आरटीजीएस आधारित भुगतान विकल्प को केंद्रीय सरकार के जीएसटी प्रेमवर्क और भारत कोष या गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (एनटीआरपी) के लिए सफलतापूर्वक लागू किया गया है। तीन राज्य सरकारों ने भी अपनी ई-प्राप्ति प्रणाली को ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया है और इसके लिए अपने संबंधित प्राप्ति पोर्टलों पर एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान का विकल्प प्रदान किया है।

इसके भविष्य के कार्य-योजना में, इन संस्थाओं को और इनके द्वारा सही समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए पीएफएमएस के माध्यम से स्वायत्त निकायों के भुगतान के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट प्रेमवर्क को प्रक्रिया में लाना, डिफेंस पेंशनरों को सीधे भुगतान की सुविधा देने हेतु रक्षा मंत्रालय की पेंशन प्रणाली को एकीकृत करना, अंतर-सरकारी समायोजन सलाह प्रेषित करने के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल, बकाया अप्रत्यक्ष करों के सीधे संग्रहण के लिए सरकारी प्रणालियों के साथ एकीकरण तथा सभी राज्य सरकारों को जीएसटी के लिए त्रुटि ज्ञापन संबंधी ऑनलाइन प्रक्रिया का विस्तार आदि शामिल है।

सरकारों तक विस्तार करके वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रेमवर्क को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकारों के लिए पी2एफ व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा।

6. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंधन

X.39 देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर) का प्रबंधन बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) करता है, जिसमें सुरक्षा, तरलता और प्रतिफलों पर विशेष

ध्यान दिया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जून 2019 तक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि विगत वर्ष की समरूप अवधि में 5.0 प्रतिशत की

वृद्धि हुई थी और एफईआर के प्रबंधन में व्यापक विविधता लाने के उद्देश्यों के मद्देनजर एफईआर में स्वर्ण को जोड़ा गया (बॉक्स X.4)।

बॉक्स X.4

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में सोना - हालिया रुझान

वैश्विक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि (एफईआर) का स्टॉक दिसंबर 2018 में 11.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर था। हाल के वर्षों में, केंद्रीय बैंकों ने अपने एफईआर को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विविधता प्रदान की है। नतीजतन, अमेरिकी डॉलर के शेयर में लगातार गिरावट आई है, हालांकि 2018 की चौथी तिमाही में आबंटित संसाधनों के लगभग 62 प्रतिशत के साथ, इसकी यूरो, स्टर्लिंग और येन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार के संघटन में प्रभावी हिस्सेदारी है। सोना एफईआर (सारणी 1) का एक महत्वपूर्ण घटक है। जून 2018 के अंत में, केंद्रीय बैंकों ने सामूहिक रूप से 1.36 ट्रिलियन डॉलर के सोने का भंडारण किया, जो वैश्विक एफईआर(डब्ल्यूजीसी) 2018 का लगभग 10 प्रतिशत था।

विश्व अर्थव्यवस्था में खरीदे गए सोने की मात्रा वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) की अवधि से पहले लगातार गिर रही थी। हालांकि, वर्तमान में स्थिति इसके बिलकुल विपरीत हो गई है और इसके बाद सोने की खरीदारी बढ़ी है (चार्ट 1)। सोने के भंडारण में हालिया वृद्धि मुख्य रूप से उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) द्वारा संचालित है, जिसके कारण हैं : (ए) जीएफसी के बाद भंडार के स्तर में सामान्य वृद्धि; (बी) अमेरिकी डॉलर से दूर जाने वाली विविधीकरण




रणनीति; और (सी) उन देशों द्वारा वैकल्पिक संपत्ति के रूप में सोने का उपयोग किया गया है, जिन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं (अमूंडी, 2019)।

विदेशी भंडार में सोने की हिस्सेदारी में वृद्धि (चार्ट 2) मुख्य रूप से 2009-12 की अवधि के दौरान सोने की कीमतों में वृद्धि (चार्ट 3) के


सारणी 1: आधिकारिक तौर पर सोने का भंडारण करने वाले विश्व के शीर्ष दस देश

	टन	विदेशी आरक्षित निधि में हिस्सेदारी
1 यूनाइटेड स्टेट	8,133.5	74.9
2 जर्मनी	3,369.7	70.6
3 इटली	2,451.8	66.9
4 फ्रांस	2,436.0	61.1
5 रूसी संघ	2,150.5	19.1
6 चीन, पी आर : मेन लैंड	1,874.3	2.5
7 स्विट्जरलैंड	1,040.0	5.5
8 जापान	765.2	2.5
9 नीदरलैंड	612.5	65.9
10 भारत	608.7	6.4

स्रोत : अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, अप्रैल 2019, डब्ल्यूजीसी।



(जारी...)



कारण हुई है। टन में खरीद की बात करें, तो यह वृद्धि 2009 में लगभग 30,000 मीट्रिक टन से 2012 में लगभग 32,000 मीट्रिक टन हो गई थी। सोने की खरीद के मामले में शीर्ष पांच देश हैं - रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्की और भारत (चार्ट 4)।

संदर्भ:

1. मार्केट अपडेट: 'सेंट्रल बैंक बाईंग एक्टिविटी', वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी), सितंबर 2018
2. अमूण्डी एसेट मैनेजमेंट(2019), 'गोल्ड इन सेंट्रल बैंक' एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट इंसाइट ब्लू पेपर, मार्च 2019

2018-19 के लिए कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.40 विभाग ने साइबर जोखिमों से आईटी सुरक्षा और बचाव के लिए अंतरराष्ट्रीय बेहतरीन कार्यप्रणाली की तरह अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिव) कदम उठाए हैं। ब्याज दर फ्यूचर्स लेन-देन के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है जो उन्नत चरण में है और जिसके 2019-20 में पूरा होने की उम्मीद है। विदेशी आरक्षित निधि पर प्रतिफल बढ़ाने के उद्देश्य से एक नियमित आधार पर रिपो लेन-देन किया गया।

2019-20 के लिए कार्य योजना

X.41 विभाग जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की समीक्षा करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट जोखिम को मापने के वैकल्पिक तरीकों की खोज शामिल होगी। रिपो और विदेशी मुद्रा स्वैप क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि और साइबर जोखिमों के लिए सुरक्षा उपाय भी जारी रहेंगे।

7. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.42 रिजर्व बैंक के ज्ञान केंद्र के रूप में अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) नीति निर्माण के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान इनपुट उपलब्ध कराने और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से

जुड़ी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में प्रयत्नशील रहता है। यह विभाग, राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण प्राथमिक आंकड़ों का स्रोत होने के अलावा, रिजर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टों और प्रमुख अनुसंधान प्रकाशनों के साथ ही बाहरी विशेषज्ञों के साथ नीति-उन्मुख अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देता है तथा परिचालन से जुड़े विभिन्न विभागों तथा बैंक द्वारा स्थापित तकनीकी समूहों/समितियों को सहायता भी मुहैया कराता है।

2018-19 के लिए कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.43 वर्ष के दौरान, विभाग ने रिजर्व बैंक के प्रमुख प्रकाशनों², मुख्यतः - वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिनों तथा भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी की हैंडबुक के चौथे संस्करण का उच्च गुणवत्ता के साथ समय से प्रकाशन किया। विभाग ने 'राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के लिए बजट का एक अध्ययन' भी प्रकाशित किया - एक वार्षिक प्रकाशन जो राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है और 2015-16, 2016-17 के वास्तविक परिणामों के अलावा, 2018-19 के लिए बजट अनुमानों को कवर करके समय अंतराल को समाप्त कर दिया और 2017-18 के संशोधित अनुमानों को प्रकाशित किया। राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के मासिक

² भारतीय रिजर्व बैंक की सांविधिक रिपोर्टें (वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट) तथा मासिक भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करते हुए द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

आंकड़ों को इस वर्ष पहली बार 2018-19 के लिए 24 राज्यों की छमाही राजकोषीय स्थिति के साथ समेकित और प्रकाशित किया गया था। विभाग ने आरबीआई समसामयिक पर्चा, जो कि बैंक का एक समकक्ष समीक्षित अनुसंधान जर्नल है, के दो अंकों (खण्ड 38 और 39) का प्रकाशन किया। विभाग ने निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए और गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप वर्ष के दौरान मौद्रिक समुच्चयों, भुगतान संतुलन, विदेशी कर्ज, प्रभावी विनिमय दरों, संयुक्त सरकारी वित्त, हाउसहोल्डों की वित्तीय बचत तथा निधि प्रवाह से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों का समेकन और प्रसार किया।

X.44 2018-19 के दौरान, विभाग ने पैंतालीस शोध पत्र / लेख प्रकाशित किए, जिनमें से 16 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में रिज़र्व बैंक के बाहर प्रकाशित हुए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान पांच वर्किंग पेपर प्रकाशित किए गए। साथ ही साथ, एक विभाग स्तरीय चर्चा मंच, डीईपीआर स्टडी सर्कल ने विविध अनुसंधान विषयों पर वर्ष के दौरान 40 सेमिनार / प्रस्तुतियां की।

X.45 केंद्रीय पुस्तकालय और भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार (आरबीआईए) डीईपीआर की दो प्रमुख इकाइयाँ हैं जो रिज़र्व बैंक के इतिहास सहित अनुसंधान और प्रकाशन रिपोर्टों के संचालन के लिए विभिन्न विषयों पर आवश्यक संदर्भ सामग्री प्रदान करती हैं। पुस्तकालय में कुछ दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं/ई-पत्रिकाओं और बैंकिंग, अर्थशास्त्र और वित्त पर ऑनलाइन डेटाबेस सहित पुस्तकों/ई-पुस्तकों का व्यापक संग्रह है। लाइब्रेरी ने सभी 200 प्रिंट पत्रिकाओं / 23 पत्रिकाओं को एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में बदल दिया है ताकि पूरे भारत में आसान पहुँच की सुविधा मिल सके। इनका उद्देश्य 1997 से पहले के सभी आरबीआई प्रकाशनों, समितियों की रिपोर्टें, वार्षिक रिपोर्टें, बुलेटिनों, अन्य दुर्लभ पुस्तकों को डिजिटल रूप से संरक्षित करते हुए इन तक पहुँचना आसान बनाना है। रिज़र्व बैंक में पुरालेख और अभिलेख प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन के लिए आरबीआईए जिम्मेदार है। यह देश के विभिन्न हिस्सों और विदेश से आने वाले विद्वानों को अनुसंधान सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

X.46 विभाग ने वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें चार स्मारक व्याख्यान भी शामिल थे। 2 अगस्त 2018 को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट रिगोबॉन द्वारा दूसरा सुरेश तेंदुलकर मेमोरियल व्याख्यान दिया गया; 5वां पी. आर. ब्रह्मानंद स्मारक व्याख्यान प्रो. देवेश कपूर, जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय द्वारा 19 अक्टूबर 2018 को दिया गया था; 16वां एल. के. झा स्मारक व्याख्यान 14 दिसंबर 2018 को लंदन बिजनेस स्कूल के प्रो. हेलेने रे द्वारा दिया गया और 17वें सी. डी. देशमुख मेमोरियल लेक्चर 25 अप्रैल 2019 को बीआईएस के महाप्रबंधक श्री ऑगस्टीन कास्टेंस ने दिया था।

X.47 वर्ष के दौरान विभाग द्वारा आयोजित अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में श्री क्लाउडियो बोरियो, बीआईएस के मौद्रिक और आर्थिक विभाग के प्रमुख द्वारा 'मॉनीटरी पॉलिसी इन द ग्रिप ऑफ ए पिंचर मूवमेंट'; प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग द्वारा 'कृषि क्षेत्र में मुद्दों और आउटलुक' और श्री राजीव खेर, डिस्टिग्विश फेलो, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली द्वारा 'भारत की व्यापार नीति: उभरती चुनौतियाँ और अवसर' पर व्याख्यान आयोजित किए गए। विभाग ने भारत- केएलईएमएस [राजधानी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाओं (एस)] अनुसंधान परियोजना पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें केएलईएमएस डेटाबेस का उपयोग करते हुए अध्ययनों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं।

X.48 विभाग का वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन 1-3 मार्च, 2019 के दौरान जयपुर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य प्रोफेसर बी.एन. गोदर की अध्यक्षता में 'जीडीपी बैंक-सीरीज़' पर एक पैनल चर्चा भी शामिल थी। सिटी बैंक में प्रबंध निदेशक और उभरते बाजारों के अर्थशास्त्र के प्रमुख श्री डेविड लुबिन ने 'इज कैपिटल एकाउंट फंडामेंटलिज़्म डेड?' पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। सम्मेलन में भारतीय राज्य सांख्यिकी पुस्तिका के चौथे संस्करण का भी विमोचन किया गया।

2019-20 के लिए कार्य योजना

X.49 मानक सांविधिक और गैर-सांविधिक प्रकाशनों तथा प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के संकलन और प्रसार के अलावा डीईपीआर विजन 2022 का अनुसरण करते हुए विभाग 2019-20 के दौरान विश्लेषण और शोध पर ध्यान केंद्रित करेगा। विभाग मुद्रास्फीति और संवृद्धि से जुड़े पूर्वानुमानों में सुधार लाने के लिए बिग डाटा के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशेगा। यह समसामयिक महत्व के क्षेत्रों का अध्ययन करेगा उदाहरणार्थ, बैंक की उधार देने की प्रवृत्ति में पूंजी की भूमिका, गैर-वित्तीय फर्मों की बैंकों पर निर्भरता; भुगतान प्रणालियों में नवाचार और मुद्रा की मांग; चलनिधि की वैश्विक स्थिति और निर्यात पर व्यापार से जुड़े नीतिगत उपायों का प्रभाव, वित्तीय चक्रों से जुड़े आकलन, भारत में कुल फैक्टर उत्पादकता के निर्धारक तत्व, आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य मुद्रास्फीति गतिकी, उदय/उदय बॉण्ड का प्रदर्शन और निहितार्थ तथा ऋण स्थिरता के लिए गारंटी का निहितार्थ। विभाग भारतीय अर्थव्यवस्था पर नई विश्लेषणात्मक जानकारी भी मुहैया कराएगा जैसे आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता सूचकांक, बाहरी भेद्यता और आर्थिक गतिविधि के समग्र उच्च आवृत्ति संकेतक।

X.50 वर्ष 1997-2008 से संबंधित रिज़र्व बैंक के इतिहास का पाँचवाँ खंड 2019-20 के दौरान पूरा किया जाएगा। केंद्रीय पुस्तकालय ने डिजिटल सामग्री तक पहुंच बढ़ाने की योजना बनाई है। आरबीआईए वर्ष के दौरान आरबीआई संग्रहालय, कोलकाता की पहली मंजिल पर एक पुरालेख संग्रहालय स्थापित करेगा।

8. सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.51 सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) बैंकिंग, मौद्रिक, कॉर्पोरेट और बाहरी क्षेत्र; पर ध्यान देने के साथ उच्चतम गुणवत्ता के राष्ट्रीय-स्तर के समष्टि आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को एकत्र करने, संसाधित करने और प्रसार करने तथा रिज़र्व बैंक के सभी कार्यों में सर्वेक्षण, आंकड़ा प्रबंधन और अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय अनुसंधान के माध्यम से सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने के दो अतिव्यापी लक्ष्यों द्वारा संचालित है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के

लिए, डीएसआईएम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रिज़र्व बैंक के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस का रखरखाव करता है, जो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) प्लेटफॉर्म पर विवरणियों की केंद्रीकृत रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है और सूचना प्रबंधन संबंधी अनेक प्रकार की सहायता सेवाएं प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक की नीति और परिचालन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह विभाग सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक अनुसंधान में भी सतत सक्रिय है।

2018-19 के लिए कार्य योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.52 वर्ष के दौरान विभाग ने अपने नियमित प्रकाशन सफलतापूर्वक निकाले यथा - भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2017-18; भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणियाँ 2017-18; भारत में एससीबी की बुनियादी सांख्यिकीय विवरणी, मार्च 2018; एससीबी (बीएसआर 1) का तिमाही बकाया क्रेडिट; और 2018-19 के लिए एससीबी (बीएसआर 7) के जमा और साख पर तिमाही आंकड़े। साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक (डब्ल्यूएसएस) और रिज़र्व बैंक बुलेटिन के 'करंट स्टैटिस्टिक्स' हिस्से को निर्धारित आवृत्ति के अनुसार, मौजूदा डेटा वेयरहाउस, भारतीय अर्थव्यवस्था (डीबीआईई) पर डेटाबेस से जनरेट किया गया। मौद्रिक नीति निर्माण में इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले सर्वेक्षण समयानुसार कराए गए। सर्वेक्षण पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में प्रतिक्रियादाता इकाइयों के आकार और नमूना अनुपात को भारांक देते हुए भारित निवल प्रतिक्रियायों (डब्ल्यूएनआर) का दक्षता परीक्षण सर्वेक्षण के परिणामों के विश्लेषण को परिष्कृत करने के लिए शुरू किया गया। सितंबर 2018 से घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) के लिए कोटा नमूने के स्थान पर दो-चरण की संभाव्यता के नमूने की शुरुआत की गई। आईईएसएच और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के लिए शहर-वार नमूना आकार को शहर में घरों की संख्या के अनुपात के आधार पर संशोधित किया गया था। मौजूदा आईईएसएच प्रश्नावली की समीक्षा करने और चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण का विस्तार करने के तरीके सुझाने के लिए आईईएसएच पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया

गया था। नमूने के लिए (i) इंडियन स्टार्ट अप सेक्टर सर्वेक्षण (एसआईएसएस) और (ii) सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स (एसआरपीएचआई) किया गया।

X.53 खाता स्तर आंकड़े (बीएसआर 1) का उपयोग करके तिमाही आधार पर आवास और व्यक्तिगत ऋणों के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित की गई थी। (i) चुनिंदा बैंकों में मौजूद वेतन खातों की जानकारी; (ii) नियोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी आंकड़े; और (iii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से किए गए वेतन भुगतान का इस्तेमाल रोजगार सूचकांक बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए किया गया था।

X.54 केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) का कार्यान्वयन, अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस पर काम चल रहा है। बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) अतिसंवेदनशीलता मूल्यांकन और पैठ परीक्षण और पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन के बाद वेब पर शुरू की गई थी। भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया है जो भारत के मानचित्र पर बैंकिंग इकाइयों को आंतरिक उपयोग के लिए है

X.55 सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) स्थापित करने के लिए गठित कार्यान्वयन कार्यदल (आईटीएफ) के मार्गदर्शन में व्यावसायिक आवश्यकताओं, सूचना संरचना और उच्च-स्तरीय तकनीकी डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक एजेंसी का चयन, एक व्यापक पीसीआर अधिनियम का मसौदा तैयार करना और कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के साथ परामर्श करते हुए पीसीआर के दायरे में कॉर्पोरेट डेटाबेस को जोड़ने की दिशा में कार्य प्रगति पर है।

X.56 मात्रात्मक प्रतिगमन (क्वांटाइल रिग्रेशन) का उपयोग करके खाद्य मुद्रास्फीति व्यवहार का आकलन करने संबंधी अनुसंधानपरक कार्य, उपयुक्त रूप से चुने गए तनावपूर्ण परिदृश्यों के आधार पर सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों की जोखिम प्रोफाइल विकसित करना, भारतीय

कॉर्पोरेट क्षेत्रों का अध्ययन और बिग डाटा विश्लेषिकी और संबंधित सांख्यिकीय और मशीनीकृत अधिगम तकनीकों का उपयोग करके मीडिया लेखों (न्यूज़फ्रीड) का भावनात्मक विश्लेषण भी किया गया।

X.57 सार्कफाइनेंस डेटाबेस (एसएफडीबी) को दक्षेस पर अनुसंधान और विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए डीबीआईई में होस्ट किया गया है ताकि सार्क अर्थव्यवस्थाओं पर अनुसंधान और विश्लेषण को प्रोत्साहन दिया जा सके। एक नया वेब-पोर्टल विकसित किया गया था, जो डायनेमिक डैशबोर्ड की सुविधा भी प्रदान करता है, ताकि सदस्य देशों से डेटा रिलीज कैलेंडर के अनुसार समय पर डाटा प्राप्त किया जा सके और उसकी गुणवत्ता जांच भी हो सके।

X.58 भारत के बाह्य खाते के आंकड़ों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत, मूल स्रोत/अंतिम गंतव्य देश के अनुसार सेवाओं के व्यापार से संबंधित वित्तीय प्रवाह पर जानकारी एकत्र करने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई जो सेवाओं के उद्गम/अंतिम सुपुर्दगी के स्थान के अनुसार संबंधित अनुमानों के संकलन की सुविधा प्रदान करेगी। विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) की वार्षिक जनगणना की रिपोर्टिंग को वेब-आधारित प्रस्तुति प्लेटफॉर्म के विकास के साथ और अधिक परिष्कृत किया गया है।

2019-20 के लिए कार्य योजना

X.59 सीआईएमएस के कार्यान्वयन को सिस्टम-से-सिस्टम एकीकरण, मौजूदा डेटाबेस से डेटा माइग्रेशन और घटक-आधारित डेटा रिपॉजिटरी के निर्माण के माध्यम से पूर्णता की दिशा में आगे ले जाया जाएगा। एक मेटाडेटा संचालित डेटा रखरखाव और प्रसार प्रणाली, सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा ईएक्सचेंज (एसडीएमएक्स) मानकों के बाद सीआईएमएस संरचना के हिस्से के रूप में लागू किया जाएगा। एक ग्रैनूलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएल) (बॉक्स X.5) और एक विनियामक सैंडबॉक्स परिदृश्य भी सीआईएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

X.60 सीआईएसबीआई के कवरेज का विस्तार सहकारी बैंकों के साथ उनके भौगोलिक स्थानों को शामिल करके किया जाएगा। एक पीसीआर के निर्माण के लिए प्रणाली विकास को

बॉक्स X.5

ग्रेन्यूलर डाटा एक्सेस लैब (जीडीएएल)

ग्रेन्यूलर डेटा एक्सेस लैब (जीडीएएल) केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अतिरिक्त सेवा है, जो (निजता/गोपनीयता की सुरक्षा के लिए पहचान संबंधी विवरणों को छिपाने के साथ) एक सुरक्षित कंप्यूटिंग वातावरण के भीतर सूक्ष्म(ग्रेन्यूलर) स्तर डेटा पर अनुसंधान की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को कारगर और नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। यह डेटा शृंखला की पहचान करेगा जिसे जीडीएएल परिवेश के माध्यम से जारी/साझा किया जा सकता है।

जीडीएएल पहल की प्रेरणा वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2009 की जी-20 बैठक से मिली, जिसमें वित्तीय संकट से संबंधित डेटा अंतराल को रोकने से संबंधित कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए पहले डेटा गैप्स इनिशिएटिव (पहल) (डीजीआई-1) का समर्थन किया था II (डीजीआई-2) (2015) का उद्देश्य मेटाडेटा के साथ-साथ डेटा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और ग्रेन्यूलर डाटा तक पहुंच बनाना है। ग्रेन्यूलर डाटा के सांख्यिकीय हैंडलिंग के संबंध में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंस (आईएनईएक्सडीए) ड्यूश बुंडेसबैंक के रिसर्च डाटा एंड सर्विस सेंटर (आरडीएससी) और बैंको डी पुर्तगाल पहले से ही इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिनकी शुरुआत 2017 में ऐसे पांच बैंकों ; बैंका डी इटालिया, बैंको डी पुर्तगाल, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंके डी फ्रांस और ड्यूश बुंडेसबैंक द्वारा की गई। यूरोपियन केंद्रीय बैंक, बैंको डी एस्पाना, बैंको सेंट्रल डे चिली और तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक ने 2018 में आईएनईएक्सडीए से जुड़े।

ग्रेन्यूलर डाटा अनुसंधान डाटा समर्थित नीतिगत जानकारी (इनपुट) प्रदान करेगा।

संदर्भ:

1. बेन्डर, स्टेफन एवं पेट्रीसिया स्टाब, (2015). गेटवे टु ट्रीज़र ऑफ माइक्रो डेटा ऑन द जर्मन फाइनेंसियल सिस्टम', द बुंडेसबैंक रिसर्च डेटा एवं सर्विस सेंटर(आरडीएससी)-यह <https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb411.pdf> पर उपलब्ध है।
2. प्रो. क्लोडिया बूच, उपाध्यक्ष, ड्यूश बुंडेसबैंक (2018). 'कैन टेक्नोलोजी एंड इन्नोवेशन हेल्प? न्यू डेटा जेनेरेटिंग पोसीबिलिटीज़'. सांख्यिकी से संबंधित पर यूरोपियन केंद्रीय बैंक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया भाषण। यह <https://www.bundesbank.de/en/press/speeches/can-technology-and-innovation-help-new-data-generating-possibilities-750868>. पर उपलब्ध है।
3. बैंको डी पुर्तगाल की वार्षिक रिपोर्ट 2017। यह रिपोर्ट https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/relatorio_atividade_contas_2017_en.pdf पर उपलब्ध है।
4. आईएनईएक्सडीए नेटवर्क के सदस्य (2018)। आईएफसी वर्किंग पेपर संख्या 18: आईएनईएक्सडीए – द ग्रेन्यूलर डेटा नेटवर्क। यह <https://www.bis.org/ifc/publ/ifcwork18.pdf> पर उपलब्ध है।

मॉड्यूलर और चरणबद्ध तरीके से लिया जाएगा। कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित आंकड़ों के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए, विभाग रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हस्तांतरण को स्वचालित बनाने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है। परियोजना के 2019-20 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है।

X.61 उद्यम सर्वेक्षण के लिए एक वेब-आधारित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म लागू किया जाएगा। मार्च 2015 से पहले सीसीएस के ऐतिहासिक इकाई-स्तरीय डाटा के संबंध में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए डीबीआई के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। एक विशेषज्ञ समूह आईईएसएच के कवरेज को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विस्तारित करने के मुद्दे की जांच कर रहा है। टीएसीएस के मार्गदर्शन में सर्वेक्षण के परिणामों की सटीकता को बढ़ाने के लिए मौजूदा सर्वेक्षणों

और अनुमान प्रक्रियाओं को और अधिक युक्तियुक्त बनाने की समीक्षा की जाएगी।

X.62 एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत वैधानिक विवरणी के लिए डिजिटल हस्ताक्षर करने की शुरुआत की जाएगी। शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय बिचौलियों के लिए डेटा संग्रह प्रणाली (डीसीएस-एनबीएफआई) और केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) डेटाबेस विकसित की जाएगी, जो डीबीआई के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाएगी। विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक के डेटा वेयरहाउस में जीएसटी प्राप्तियों के डेटा को संग्रहीत करने के भी प्रयास किए जाएंगे।

X.63 विभाग नीति इनपुट के लिए मैक्रोइकॉनॉमिक विकास के लिए तात्कालिक अनुमान पूर्वानुमान और आकलन के लिए

उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणालियों को परिष्कृत करना निरंतर जारी रखेगा। समष्टि-आर्थिक संकेतक के लिए मनोभाव विश्लेषण करने के लिए बिग डाटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करने वाले अनुसंधान और विश्लेषण को और मजबूत बनाया जाएगा।

9. विधिक मुद्दे

X.64 विधि विभाग परामर्शी विभाग है, जिसकी स्थापना विधिक मामलों की जांच करने और परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। विधि विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से संबंधित परिपत्रों, विनियमों और करार-नामों की भली प्रकार जांच करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि रिज़र्व बैंक के निर्णय विधिक दृष्टि से सुदृढ़ हों। विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को सचिवालयीन सहायता उपलब्ध कराता है तथा संबंधित परिचालन तक विभागों की सहायता से केंद्रीय सूचना आयोग के सामने मामलों की सुनवाई में हाजिर होता है। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), कैफरल तथा रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाली अन्य संस्थाओं को भी विधिक मुद्दों, मुकदमों तथा अदालती मामलों में सहायता और सलाह देता है।

2018-19 की कार्य-योजना: कार्यान्वयन की स्थिति

X.65 वर्ष के दौरान वित्तीय क्षेत्र से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण विधानों/विनियमों को लागू किया गया/उनमें संशोधन किया गया। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 21 अप्रैल 2018 को प्रवृत्त हुआ, यह अधिनियम भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारतीय विधि प्रक्रिया से बच निकलने की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए उपाय निर्धारित करता है। यह अधिनियम कम से कम ₹100 करोड़ के आर्थिक अपराध में शामिल उस व्यक्ति पर लागू होगा जो विधिक कार्रवाई से बचने के लिए देश से बाहर चला जाता है। अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए

अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अध्यादेश, 2019 दिनांक 21 फरवरी 2019 को प्रख्यापित किया गया।

X.66 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी, 2016) में कॉरपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फ़र्मों तथा व्यक्ति विशेष के लिए दिवालियापन के समाधान की एक समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत खरीददारों को वित्तीय लेनदार माने जाने की स्थिति स्पष्ट करने हेतु यह अधिनियम 2018 में संशोधित किया गया। लेनदारों की समिति द्वारा कॉरपोरेट दिवालियापन की समाधान प्रक्रिया अवधि के संबंध में मतदान सीमा को 75 प्रतिशत से 66 प्रतिशत करने के लिए आईबीसी, 2016 की धारा 12 को भी संशोधित किया गया। केंद्र सरकार को जनहित में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश देने का अधिकार है कि आईबीसी, 2016 के कोई भी प्रावधान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर लागू नहीं होंगे अथवा संशोधन के साथ उन पर लागू होंगे।

X.67 रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत डिजिटल लेन-देनों के लिए लोकपाल योजना, 2016 अधिसूचित किया है ताकि डिजिटल लेन-देनों से संबंधित सेवाओं में कमी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निपटान हेतु लोकपाल की व्यवस्था की जाए।

X.68 सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम, 2016 की संवैधानिक वैधता को बहुमत के साथ बरकरार रखा जो विशिष्ट सीमाओं के अधीन है।

वर्ष 2019-20 की कार्य-योजना

X.69 वर्ष 2019-20 में, विधि विभाग रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों को विधिक मामलों में सलाह देना और मांगे जाने पर विशिष्ट विधिक अभिमत उपलब्ध कराना जारी रखेगा। विभाग, रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमा प्रबंधन के प्रयास और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी को सचिवालयीन सहायता प्रदान करना भी जारी रखेगा। वर्ष के दौरान, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और मानकों के अनुरूप तथा मौजूदा प्रावधानों को स्पष्ट करने के मद्देनजर रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न अधिनियमों में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने मानव संसाधन के कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। रिज़र्व बैंक के वर्तमान पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के परामर्श से विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत दी है। एक व्यापक कार्यनीति फ्रेमवर्क अर्थात्, रिज़र्व बैंक के मध्यावधि दृष्टिकोण और कार्यनीति को निर्धारित करने के लिए उत्कर्ष 2022 शुरू किया गया। बैंक द्वारा किए गए राजभाषा से संबंधित कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया ने रिज़र्व बैंक के हिन्दी जर्नल को

XI.1 यह अध्याय 2018-19 के दौरान गवर्नेस, मानव संसाधन, जोखिम निगरानी और कॉर्पोरेट कार्यनीति के क्षेत्रों में उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करता है तथा 2019-20 के लिए कार्ययोजना निर्धारित करता है। ये उपलब्धियां आंतरिक तथा बाह्य प्रशिक्षण, प्रोत्साहन योजनाएं और ई-लर्निंग मॉड्यूल, संगठन में कौशलपूर्ण कार्य की रक्तियां भरने के लिए नयी प्रतिभाओं की भर्ती, नेतृत्व और कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम जैसी नयी पहल और मध्य करिअर विकास कार्यक्रम तथा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए समान अवसर नीति के माध्यम से कौशल उन्नयन द्वारा मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों से संबंधित है।

XI.2 रिज़र्व बैंक के जोखिम प्रबंधन और लेखा परीक्षा परिचालन में कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण पर महत्व दिया गया। उद्यम वार जोखिम प्रबंधन (इआरएम) फ्रेमवर्क के अंतर्गत वर्ष के दौरान जोखिम रिपोर्टिंग, जोखिम मॉडेलिंग और जोखिम विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) के मध्य कार्यालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर जोखिम के लिए उत्तरदायी सुरक्षा अधिकारी को, तालमेल तथा बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंध विभाग (आरएमडी) के साथ जोड़ा गया। वित्तीय जोखिम की व्याप्ति तथा वेब आधारित जोखिम निगरानी के संदर्भ में जोखिम सहनीयता सीमा की समीक्षा की गयी तथा घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) कार्यान्वित की जा रही है। जनवरी 2019 से रिज़र्व बैंक के सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी),

क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), प्रशिक्षण संस्थानों में लेखा परीक्षा प्रबंधन तथा जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) में समवर्ती लेखा परीक्षा कार्य को लागू किए जाने से लेखा परीक्षा स्वचालन की प्रक्रिया को और गति मिली।

XI.3 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के विजन मिशन तथा मूल उद्देश्य की व्यापक समीक्षा की गयी तथा मध्यावधि कार्यनीति दस्तावेज "उत्कर्ष 2022" बनाया गया। दिसंबर 2018 से अवरोध/ संकट के दौरान समय-संवेदनशील महत्वपूर्ण परिचालन सुरक्षित रखने के लिए रिज़र्व बैंक में व्यापक कारोबारी निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रणाली लागू की गयी।

XI.4 राजभाषा अधिनियम 1963 के संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन हेतु वर्ष 2018-19 में राजभाषा विभाग ने हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित की। परिसर विभाग ने रिज़र्व बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, रख-रखाव और उन्नयन के लिए अपने प्रयास जारी रखे। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौंसिल ने (आईजीबीसी) अपनी नयी और विद्यमान भवनों को ग्रीन कंप्लायंट बनाने के लिए रिज़र्व बैंक को "ग्रीन चैंपियन अवॉर्ड" से सम्मानित किया।

XI.5 इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय को आगे दिए गए अनुसार संयोजित किया गया है। इसके तुरंत बाद आनेवाले भाग में रिज़र्व बैंक के गवर्नेस ढांचे के बारे में बताया गया है। वर्ष के दौरान मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) द्वारा की

गयी पहलों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। भाग 4 में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए जोखिम प्रबंधन उपायों का उल्लेख किया गया है। भाग 5 में वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग की गतिविधियों के बारे में वर्णन किया है। रिज़र्व बैंक की कार्यनीति तथा वार्षिक कार्ययोजना का समन्वय और विकास करनेवाले कॉर्पोरेट नीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) के बारे में भाग 6 में बताया गया है। भाग 7 में कॉर्पोरेट सेवा विभाग के बारे में चर्चा की गयी है जो संगठन को आंतरिक सेवा देने में सुविधा प्रदाता का कार्य करता है। राजभाषा विभाग तथा परिसर विभाग की गतिविधियां और उनकी उपलब्धियों के बारे में क्रमशः भाग 8 और 9 में वर्णन किया गया है। वर्ष के दौरान विभागों की उपलब्धियों के साथ-साथ इन विभागों ने वर्ष 2019-20 के लिए अपनी कार्ययोजनाएं भी निर्धारित की हैं।

2. गवर्नेंस फ्रेमवर्क

XI.6 रिज़र्व बैंक के गवर्नेंस ढांचे में निदेशक मंडल यह शीर्षस्थ समूह है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उपगवर्नर, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक और सरकारी निदेशक आते हैं। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए चार स्थानीय बोर्ड हैं, जो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसरण में भारत सरकार (जीओआई) केंद्रीय बोर्ड / स्थानीय बोर्ड में निदेशकों को नामित / नियुक्त करता है।

XI.7 केन्द्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं: केन्द्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय बोर्ड में चार उप-समितियां भी होती हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)। इन उप-समितियों की अध्यक्षता मुख्यतः बाह्य निदेशक करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड और सीसीबी की बैठकें

XI.8 जुलाई-जून 2018-19 के दौरान केन्द्रीय बोर्ड की छह बैठकें पटना, मुंबई (तीन बैठकें), नयी दिल्ली और चेन्नै में सम्पन्न हुईं। भारत सरकार द्वारा अंतिम बजट प्रस्तुत करने के बाद भारत के वित्त मंत्री ने 8 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड को संबोधित किया।

XI.9 वर्ष के दौरान सीसीबी की 45 बैठकें हुईं जिनमें से 33 बैठकें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित की गईं। सीसीबी की बैठक में रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके मौजूदा कारोबार पर चर्चा की गई। सीसीबी बैठकों में बाह्य निदेशकों को बारी-बारी से आमंत्रित किया जाता है।

XI.10 वर्ष के दौरान पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ने क्रमशः पांच, चार और तीन बैठकें आयोजित की तथा दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ने एक बैठक आयोजित की।

XI.11 वर्ष 2014-15 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), मुद्रा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों एवं जिन क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी हैं उन क्षेत्रों के अन्य मुद्दों की जांच करने हेतु केन्द्रीय बोर्ड की स्थायी समिति का गठन किया गया था। वर्ष के दौरान उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के लिए स्थायी समिति की प्रत्येकी एक बैठक आयोजित की।

निदेशकों की उपस्थिति

XI.12 केन्द्रीय बोर्ड, इसकी समितियों और उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित निदेशकों/सदस्यों की प्रतिभागिता संबंधी विवरण अनुबंध (सारणी 1 से 4) में दिया गया है। स्थानीय बोर्ड की बैठकों में उपस्थित सदस्यों की प्रतिभागिता संबंधी विवरण अनुबंध सारणी 5 में दिया गया है।

केन्द्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड : परिवर्तन

XI.13 केंद्र सरकार ने 11 दिसंबर 2018 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल का त्यागपत्र स्वीकार किया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा

8(1)(ए) के तहत आर्थिक कार्य विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री शक्तिकांत दास को तीन वर्षों के लिए गवर्नर के रूप में नियुक्ति किया।

XI.14 दिनांक 26 जून 2019 को केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. विरल वी. आचार्य का 23 जुलाई 2019 से त्यागपत्र स्वीकार किया।

XI.15 केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2019 से श्री एन.एस. विश्वनाथन को रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनर्नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति 3 जुलाई 2020 या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक होगी।

XI.16 आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8(1) (डी) के तहत 29 जुलाई 2019 से श्री सुभाष चंद्र गर्ग के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में अगले आदेश तक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

XI.17 श्री सतीश काशीनाथ मराठे और श्री स्वामीनाथन गुरुमूर्ति को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(सी) के तहत 07 अगस्त 2018 से चार वर्षों की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में नामित किया गया है।

XI.18 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) के तहत सुश्री रेवती अय्यर को चार वर्षों के लिए उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी) के तहत 19 सितंबर 2018 से चार वर्षों के लिए डॉ. नचिकेत एम. मोर के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया।

XI.19 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) के तहत प्रो सचिन चतुर्वेदी को चार वर्षों के लिए पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(बी) के तहत 19 सितंबर 2018 से डॉ. नचिकेत एम. मोर के स्थान पर भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड में चार वर्षों के लिए निदेशक के रूप में नामित किया गया।

XI.20 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(1) के तहत केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2018 से श्री राघवेंद्र नारायण दुबे तथा श्री राकेश जैन को क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

XI.21 केंद्र सरकार ने पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड से श्री नचिकेत मोर का 13 अक्टूबर 2018 से तथा दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड से श्री राकेश जैन का 11 मार्च 2019 से त्यागपत्र स्वीकार किया।

कार्यपालक निदेशक – परिवर्तन

XI.22 श्री ए. के. मिश्रा, कार्यपालक निदेशक 31 जुलाई 2018 को सेवानिवृत्त हुए। श्री दिपक सिंहल, कार्यपालक निदेशक तथा श्री सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक 31 जनवरी 2019 को सेवानिवृत्त हुए। श्रीमती रोजमेरी सेबेस्टियन और श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम को 14 अगस्त 2018 से कार्यपालक निदेशकों के रूप में पदोन्नत किया गया। श्री ई.ई.कार्थक तथा श्रीमती लिलि वडेरा को 1 फरवरी 2019 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। श्रीमती रोजमेरी सेबेस्टियन, कार्यपालक निदेशक 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त हुईं। डॉ. रबि एन. मिश्रा को 14 जून 2019 से कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। श्री इ. इ. कार्थक, कार्यपालक निदेशक 30 जून 2019 को सेवानिवृत्त हुए तथा श्रीमती सुरेखा मरांडी, कार्यपालक निदेशक, 31 जुलाई 2019 को सेवानिवृत्त हुईं। श्रीमती नंदा एस. दवे तथा श्री अनिल कुमार शर्मा को क्रमशः 1 जुलाई 2019 तथा 1 अगस्त 2019 से कार्यपालक निदेशकों के रूप में पदोन्नत किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में गवर्नेस पर विचार विमर्श

XI.23 स्थानीय बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारियों की समीक्षा करने के लिए 21 जनवरी 2019 को स्थानीय बोर्ड के सदस्यों की उप गवर्नर के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में हुई चर्चा के आधार पर केंद्रीय बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि स्थानीय बोर्ड रिज़र्व बैंक में एक महत्वपूर्ण गवर्नेस फ्रेमवर्क है

तथा अधिक अर्थपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु स्थानीय बोर्ड को दी जानेवाली जानकारी में सुधार किया जाना चाहिए।

XI.24 विभाग की कार्यनीति के भाग के रूप में आंतरिक वर्कफ्लो को स्वचालित बनाने तथा कागज के प्रयोग को कम करने के लिए केंद्रीय बोर्ड और उसकी समिति तथा रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन की सभी समितियों की सभी बैठकों के आयोजन के लिए एक साफ्टवेयर सोल्यूशन लागू किया गया है। यह प्रस्ताव है कि वर्ष 2019-20 के दौरान सभी चार स्थानीय बोर्डों की बैठकों को भी स्वचालित बना दिया जाए।

3. मानव संसाधन संबंधी पहलें

XI.25 व्यक्तिगत और संगठनात्मक उत्कृष्टता की खोज एक निरंतर प्रयास है। मानव संसाधन का सावधानीपूर्वक प्रबंधन, मौजूद क्षमता का उपयोग करने तथा लर्निंग कर्व के साथ निरंतर गति के लिए प्रेमवर्क तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एचआरएमडी) रिज़र्व बैंक के मानव संसाधनों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.26 रिज़र्व बैंक अपने कर्मचारियों की तकनीकी और व्यावहारिक कुशलताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल उन्नयन प्रदान करने का प्रयास करता है। बैंक के प्रशिक्षण संस्थान, यथा: आरबीआई अकादमी, रिज़र्व बैंक स्टाफ-कॉलेज (आरबीएससी), चेन्नै; कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे; और चार आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नै इसकी प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाएं पूरा करते हैं (सारणी XI.1)।

बाह्य संस्थाओं में प्रशिक्षण

XI.27 भारतीय रिज़र्व बैंक अपने कर्मचारियों को विशिष्ट कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त करता है ताकि बाह्य संस्थाओं में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ लिया जा सके। वर्ष 2018-19 के दौरान, बाह्य संस्थाओं में 952 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। वर्ष के दौरान तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भारत में, बाह्य संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए भी प्रतिनियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न देशों में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए 378 अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया था। (सारणी XI.2)।

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान – आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण संस्थान	2016-17 (जुलाई-जून)		2017-18 (जुलाई-जून)		2018-19 (जुलाई-जून)	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीआई एकेडमी	9	317 (20)	18	620 (24)	22	546 (38)
आरबीएससी, चेन्नई	129	3,346 (172)	147	3,583 (281)	152	3,125 (499)
सीएबी पुणे	173	5,788 (56)	184	6,448 (42)	179	5,542 (51)
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी I)	101	1,934	115	2,271	116	2,227
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी III)	104	2,130	100	2,109	76	1,877
आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र (श्रेणी IV)	33	758	36	802	46	1,158

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विदेशी और/ या बाह्य संस्थानों से संबंधित प्रतिभागियों के हैं।

स्रोत : आरबीआई

सारणी XI.2: भारत और विदेशों में बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाह्य संस्थान)	विदेशों में प्रशिक्षित
1	2	3
2016 – 17	816	506
2017 – 18	1,041	410
2018 – 19	952	378
स्रोत : आरबीआई		

अध्ययन छुट्टी योजना और स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप

XI.28 वर्ष के दौरान बैंक के 9 अधिकारियों ने विदेशों में उच्च शिक्षा योजनाओं (बैंक की स्वर्ण जयंती योजना के

अतिरिक्त) का लाभ लिया। बैंक की प्रोत्साहन योजना के तहत चुनिंदा अंश-कालिक/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में कुल 318 कर्मचारियों ने लाभ लिया। वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप योजना के तहत 8 अधिकारी प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा का लाभ लेने के लिए चुने गए।

अन्य पहलें

XI.29 अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास के प्रति रिजर्व बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए वर्ष के दौरान कई पहलें की गईं। (बॉक्स XI.1).

बॉक्स XI.1

रिजर्व बैंक में प्रशिक्षण और विकास: नयी पहलें

सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के प्रयोजन से रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं:

i) नेतृत्व और कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम (एलईईपी):

भारतीय रिजर्व बैंक अपने अधिकारियों को उचित अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से चुनिंदा प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों/विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित नेतृत्व और कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम (एलईईपी) के लिए असाधारण कार्यनिष्पादन और नेतृत्व कौशल के ट्रैक रिकॉर्ड वाले ग्रेड 'एफ' अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करता है। वर्ष 2018-19 के लिए चुने गए दस मुख्य महाप्रबंधकों ने योजना के अंतर्गत उनके द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश ले लिया है। वर्ष के दौरान चयन किए गए मुख्य महाप्रबंधकों ने व्हाटसन, कोलंबिया और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा अप्रैल-जून 2019 के दौरान शुरू होने वाले के पाठ्यक्रमों को चुना है।

ii) मध्य-कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीएमटीपी):

रिजर्व बैंक द्वारा मध्य प्रबंधन के लिए मध्य-कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम – स्तर 1 शुरू किया गया। बैंक, ग्रेड 'सी' (एजीएम) अधिकारियों को जिन्होंने रिजर्व बैंक में 10 साल और ग्रेड सी में कम से कम 3 साल पूरे किए हैं, रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में उच्च जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार करना चाहता है। यह कार्यक्रम अगस्त 2018 से लगभग 80 अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था और तीन बैचों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। पात्र ग्रेड ई (जीएम)

अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम स्तर 2 विचाराधीन है।

iii) उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना - कौशल की कमी को पूरा करना

(ए) विभिन्न कौशल की कमी को पूरा करने के अपने निरंतर प्रयास में, रिजर्व बैंक अपने कर्मचारियों को उच्चतर और विशिष्ट शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है। कर्मचारियों को नए और उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन करने की अनुमति दी जाती है ताकि उन्हें रिजर्व बैंक से संबंधित बाजार की गतिविधियों के बारे में जानकारी रहे। रिजर्व बैंक में साइबर सुरक्षा और धन-शोधन निवारण क्षेत्रों में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पाठ्यक्रमों सहित साइबर सुरक्षा और सुरक्षित बैंकिंग परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

(बी) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए सीएफए विनियामक छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव के लिए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए) संस्थान के साथ गठबंधन किया है। इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने में कर्मचारियों द्वारा दिखाई गई बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए, सीएफए संस्थान ने रिजर्व बैंक के अनुरोध पर छात्रवृत्तियों को 20 से बढ़ाकर 25 कर दिया है। प्रत्येक वर्ष प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या उपलब्ध छात्रवृत्तियों से अधिक होती है और शेष कर्मचारियों को सामान्य पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकरण करने की अनुमति दी जाती है। वर्ष के दौरान जून और दिसंबर 2019 में आयोजित होने वाली सीएफए परीक्षा देने के लिए कर्मचारियों से 103 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

संरचित ई-अध्ययन

XI.30 स्टाफ-सदस्यों के बड़े समूह को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर संरचित ई-अध्ययन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया है। बैंक के इंटरनेट पर आरबीएससी, चैनै द्वारा 23 ई-अध्ययन मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के अधिकारियों को ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि क्षमता विकास के लिए आईएमएफ संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम।

XI.31 बैंक की ग्रीष्मकालीन इंटरशिप योजना के एक भाग के रूप में वर्ष के दौरान 158 विद्यार्थियों को चुना गया और उन्हें बैंक में इंटरशिप प्रदान की गई।

अनुदान और वृत्तिदान

XI.32 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी अनुसंधान विकास संस्थान को ₹272.82 मिलियन; उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र (सीएएफआरएएल), मुंबई को ₹105.3 मिलियन; राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹10.70 मिलियन; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹8.76 मिलियन, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया आब्जर्वेटरी और आई. जी. पटेल चेयर को ₹6.84 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की।

औद्योगिक संबंध

XI.33 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में मोटे तौर पर औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। रिज़र्व बैंक ने अधिकारियों और कर्मचारियों/स्टाफ-सदस्यों की मान्यता-प्राप्त एसोसिएशनों/ फेडरेशनों के साथ सेवा स्थितियों और कर्मचारी कल्याण उपायों के विविध मामलों के संबंध में आवधिक बैठकें करना जारी रखा।

भारतीय रिज़र्व बैंक नीति चुनौती

XI.34 भारतीय रिज़र्व बैंक नीति चुनौती, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का चौथा संस्करण अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ। यह प्रतियोगिता स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों के बीच मौद्रिक नीति निर्माण के बारे में ज्ञान वृद्धि करने के लिए तैयार की गई है। देश भर की शैक्षिक संस्थाओं से 300 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (उत्तर अंचल); सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मुंबई (पश्चिम अंचल); टी.ए. पै मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मणिपाल (दक्षिण अंचल); और जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर (पूर्वी अंचल) की टीम ने 22 अप्रैल, 2019 को केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय निर्णायक मुकाबले के लिए पात्रता हासिल की जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के छात्र विजयी हुए। विजेताओं को एक लाख रुपये के नकद पुरस्कार के साथ-साथ एक ट्रॉफी दी जाती है और तीन महीने की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक के साथ इंटरशिप करने का विकल्प भी दिया जाता है।

भर्ती और स्टाफ-संख्या

XI.35 वर्ष 2018 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान रिज़र्व बैंक ने विविध संवर्गों में कुल 543 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

सारणी XI.3: 2018* में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई भर्ती

भर्ती श्रेणी	श्रेणी-वार संख्या						
	कुल	जिसमें से			कुल का प्रतिशत		
		अज	अजज	अपिव	अज	अजज	अपिव
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी I	152	19	11	44	12.50	7.24	28.95
श्रेणी III	27	-	-	6	-	-	22.22
श्रेणी IV							
(ए) कार्यालय सहायक	364	25	33	106	6.87	9.07	29.12
(बी) रखरखाव सहायक	-	-	-	-	-	-	-
(सी) अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	543	44	44	156	8.10	8.10	28.73

*: जनवरी से दिसंबर 2018 - : शून्य.

स्रोत : आरबीआई

सारणी XI.4: रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
	2017	2018	अज		अजज		अपिव		अज	अजज	अपिव
			2017	2018	2017	2018	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6,955	6,522	1,052	988	444	415	850	949	15.15	6.36	14.55
श्रेणी III	3,831	3,497	572	537	211	195	892	840	15.36	5.58	24.02
श्रेणी IV	3,999	3,774	1,190	1,027	328	321	573	635	27.21	8.51	16.83
कुल	14,785	13,793	2,814	2,552	983	931	2,315	2,424	18.50	6.75	17.57

*: दिसंबर अंत की स्थिति।
स्रोत : आरबीआई

XI.36 दिनांक 31 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की कुल स्टाफ संख्या एक वर्ष पूर्व के 14,785 की तुलना में 13,793 थी जो 6.70 प्रतिशत घट दर्शाती है (सारणी XI.4)।

XI.37 रिज़र्व बैंक की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 2018 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान प्रबंध-तंत्र और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बुद्धिस्ट फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच चार बैठकें संपन्न हुईं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी दो बैठकें आयोजित की गईं।

XI.38 रिज़र्व बैंक में दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार भूत-पूर्व सैनिकों की कुल संख्या 921 है और दिव्यांग

कर्मचारियों की कुल संख्या 347 है (सारणी XI.5)। वर्ष के दौरान 52 भूत-पूर्व सैनिकों और 43 दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) की भर्ती की गई (सारणी XI.6)।

XI.39 दिनांक 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक के पूर्णकालिक कर्मचारियों की संख्या 13012 है जिसमें 6,434 श्रेणी I, 3,075 श्रेणी III, 3,503 श्रेणी IV कर्मचारी शामिल हैं।

कर्मचारी कल्याण

XI.40 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के लिए अपने निरंतर प्रयासों के भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्टूबर 2018 में एक समान अवसर नीति तैयार की है। (बॉक्स XI.2)

सारणी XI.6: भूत-पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की 2018* में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई भर्ती

सारणी XI.5: भूत-पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों की कुल संख्या*

श्रेणी	दिव्यांग (अक्षम व्यक्ति)					
	कुल संख्या	भूत-पूर्व सैनिक (ईएसएम)	दृष्टि बाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	आर्थो-पेडिक दिव्यांग (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांग (आईडी)
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी I	6,522	211	30	10	124	-
श्रेणी III	3,497	186	29	12	60	4
श्रेणी IV	3,774	524	10	8	60	-

*: 2018 के दिसंबर अंत की स्थिति
स्रोत : आरबीआई।

श्रेणी	दिव्यांग (अक्षम व्यक्ति)				
	भूत-पूर्व सैनिक (ईएसएम)	दृष्टि बाधित (वीआई)	श्रवण बाधित (एचआई)	आर्थोपेडिक दिव्यांग (ओएच)	बौद्धिक दिव्यांग (आईडी)
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	2	1	1	1	-
श्रेणी III	-	7	6	8	4
श्रेणी IV	50	7	2	6	-

*: जनवरी से दिसंबर
स्रोत : आरबीआई।

बॉक्स XI.2

समान अवसर नीति

दिव्यांगजन को प्रभावी ढंग से अपने कार्यालयीन कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के लिए इस नीति में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ तकनीकी सहायता, बाधा-मुक्त प्रवेश, भर्ती के बाद और पदोन्नति

पूर्व प्रशिक्षण, स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित मामलों, विशेष छुट्टी, आवास के आबंटन से संबंधित प्रावधान हैं। इस नीति में शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

XI.41 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए वर्ष 1998 से स्थापित किए गए एक औपचारिक शिकायत निवारण तंत्र को 2014-15 में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम एवं नियम, 2013 के अनुसरण में नए व्यापक दिशानिर्देश जारी कर और मजबूत किया गया है। जनवरी – दिसंबर 2018 के दौरान दो शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका निवारण किया गया। स्टाफ को इन मामलों से संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों (क्ष.का.) में कर्मचारियों के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। यौन उत्पीड़न के रोकथाम के विषय में जागरूकता लाने के लिए कर्मचारियों, नव नियुक्त अधिकारियों, वेंडर और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न के रोकथाम के विषय में जागरूकता लाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। आरबीएससी, चेन्नै द्वारा रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में तैनात सलाहकारों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.42 वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए 15,526 अनुरोध एवं 1,512 अपील प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान, आरटीआई अधिनियम के विषय में आरबीएससी चेन्नै में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अधिवर्षिता लाभ

XI.43 रिज़र्व बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन अपडेशन के प्रस्ताव को भारत सरकार ने अनुमोदन दिया।

संगठनात्मक परिवर्तन

XI.44 भारतीय वित्तीय क्षेत्र में बढ़ती विविधता, जटिलताओं और परस्पर संबंध के संदर्भ में और वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण और विनियमन को मजबूत करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक में एक विशेष पर्यवेक्षी और विनियामक संवर्ग बनाने का निर्णय लिया गया है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

XI.45 रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2018 में मध्य प्रबंधन (ग्रेड 'सी') में पात्र अधिकारियों के लिए मध्य-कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

XI.46 अप्रैल 2019 में रिज़र्व बैंक ने उत्तराधिकार आयोजना पर एक सुपरिभाषित व्यापक नीति जारी की। एक औपचारिक उत्तराधिकारी प्रणाली स्थापित करना, विशेष रूप से उन महत्वपूर्ण कार्यों के मामलों में जहां पर्याप्त प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक होता है, उत्तराधिकारी को कार्य सौंपना सुविधाजनक हो यह इसका उद्देश्य था।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.47 रिज़र्व बैंक कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य की समग्र रूप से देखभाल करने के प्रयोजन से एक "वेलनेस नीति" शुरू करना प्रस्तावित करता है। ग्रेड 'ई' में पात्र अधिकारियों के लिए मध्य कैरियर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम - स्तर 2 (एमसीएमटीपी-II) की योजना शुरू की जाएगी। विशेषीकृत पर्यवेक्षी तथा विनियामकी संवर्ग के गठन के लिए आधारभूत कार्य शुरू किया जाएगा। आंतरिक प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा ताकि नियंत्रण और संतुलन के महत्व को कम किए बिना क्षमता का अधिकतम एवं प्रभावशाली

उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक के भीतर कागज-रहित, उपस्थिति-रहित और नकदी-रहित व्यापक एच आर इंटरफेस तरीका लाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

XI.48 जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के निर्माण और परिचालन के लिए नोडल विभाग है। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक

में जोखिम रिपोर्टिंग, जोखिम मॉडलिंग और जोखिम विश्लेषण निर्माण पर विभाग ने अपना ध्यान केंद्रित किया है।

आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क पर विशेषज्ञ समिति

XI.49 रिज़र्व बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार के परामर्श से एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : डॉ. बिमल जालान) का गठन किया गया था। समितिने अपनी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर दी है। जोखिम प्रावधानीकरण और अधिशेष वितरण से संबंधित प्रमुख सिफारिशें (बॉक्स XI.3) में दी गई हैं।

बॉक्स XI.3

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति-सिफारिशें और उनका कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारिबैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2014-15 और 2015-16 के बीच एक उद्देश्यपूर्ण, नियम आधारित, पारदर्शी पद्धति के रूप में आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ईसीएफ) विकसित किया है ताकि यथोचित स्तर के जोखिम प्रावधान किए जाने का निर्धारण किया जा सके। यह फ्रेमवर्क मालेगाम समिति की सिफारिशों के लगभग साथ-साथ क्रियान्वित किया गया जो तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 2013-14 से 2015-16 तक के लिए वैध थी। भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 19 नवंबर, 2018 को आयोजित बैठक के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से भूतपूर्व गवर्नर डॉ. बिमल जालान की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान ईसीएफ की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। डॉ. राकेश मोहन, भूतपूर्व उप गवर्नर समिति के उपाध्यक्ष थे और श्री भरत दोशी, केंद्रीय बोर्ड निदेशक, श्री सुधीर मांकड, केंद्रीय बोर्ड निदेशक, श्री सुभाष चंद्र गर्ग, वित्त सचिव, भारत सरकार और श्री एन.एस. विश्वनाथन, उप गवर्नर समिति के सदस्य थे। श्री गर्ग के स्थानांतरण के फलस्वरूप श्री राजीव कुमार, वित्त सचिव, भारत सरकार को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

समिति इस बात से पूरी तरह सहमत थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक, वित्तीय और बाह्य स्थिरता बनाए रखने का प्राथमिक प्रतिरक्षक है। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की समुत्थानशीलता उसकी लोक नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हो और उसका स्तर उसके समकक्ष केंद्रीय बैंकों के स्तर से ऊपर हो, क्योंकि विश्व की सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक से इसकी आशा भी की जाती है।

समिति की सिफारिशें केंद्रीय बैंक की भूमिका, वित्तीय समुत्थानशीलता, सीमापार-राष्ट्रों की प्रथाएँ, सांविधिक प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व

बैंक का लोक नीति अधिदेश और इसके तुलन पत्र के परिचालनगत परिवेश एवं निहित जोखिम की मान्यताओं पर आधारित हैं। समिति का निष्कर्ष यह है कि केंद्रीय बैंकों में, उनकी भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों में अत्यधिक अंतर, उनके परिचालनगत परिवेश, सरकार के साथ उनके वित्तीय संबंध तथा उनके लेखांकन ढांचे को देखते हुए केंद्रीय बैंकों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई जोखिम पूंजी फ्रेमवर्क निर्धारित नहीं है। अतः केंद्रीय बैंक अपनी स्वयं की विशिष्ट परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप जोखिम प्रबंधन/पूंजी फ्रेमवर्क विकसित करते हैं और उसका अनुकूलन करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने से केवल वैश्विक प्रवृत्तियों और अनुमानों का ही पता लगाया जा सकेगा न कि सामान्य तौर पर सहमत अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का।

समिति की जोखिम प्रावधानीकरण और अधिशेष संवितरण के संबंध में प्रमुख सिफारिशें

भारतीय रिज़र्व बैंक की आर्थिक पूंजी: समिति ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरक्षित विभिन्न प्रकार की आरक्षित राशियों, जोखिम प्रावधानों एवं जोखिम बफर की स्थिति, आवश्यकता और उसके औचित्य की समीक्षा की और यह सिफारिश की कि उन्हें जारी रखा जाए। समिति द्वारा आर्थिक पूंजी के दो घटकों (विमोचित इक्विटी और पुनर्मूल्यन शेष) के बीच स्पष्ट अंतर रखने की भी सिफारिश की गई है, क्योंकि विमोचित इक्विटी का इस्तेमाल सभी प्रकार के जोखिमों/हानियों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए कि ये मुख्यतया प्रतिधारित उपार्जन से पैदा होते हैं, जबकि पुनर्मूल्यन शेष की गणना बाजार जोखिमों की तुलना में मात्र जोखिम बफर के रूप में की जा सकती है क्योंकि वे अप्राप्य मूल्यांकन लाभ को दर्शाते हैं और इसलिए वितरण योग्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, उनमें केवल एक तरफा प्रतिमोच्यता है जिसका आशय यह है कि यदि पुनर्मूल्यन शेष की तुलना में बाजार जोखिम प्रावधानीकरण की

(जारी...)

आवश्यकता में कोई कमी होती है तो उसे निवल आय में बढ़ाकर किए गए जोखिम प्रावधानीकरण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, वहीं इसके विपरीत अर्थात् अन्य जोखिमों हेतु किए गए प्रावधान की कमी को पूरा करने के लिए बाजार जोखिम प्रावधानीकरण की आवश्यकता की तुलना में पुनर्मूल्यन शेष की अधिशेष राशि के उपयोग की अनुमति नहीं है। समिति यह सिफारिश करती है कि इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तुलनपत्र के देयता पक्ष में की गई प्रस्तुतियों को संशोधित किया जाए।

बाजार जोखिम हेतु जोखिम प्रावधानीकरण: समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बाजार जोखिम को मापने के लिए दबाव की स्थिति में प्रत्याशित न्यूनता (ईएस) पद्धति (वर्तमान दबावग्रस्त-जोखिम पर मूल्य) को अपनाया जाए जिसके बारे में हाल के वर्षों में केंद्रीय बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच परस्पर सहमति बढ़ती जा रही थी। जहाँ यह देखा गया है कि केंद्रीय बैंक ईएस, 99 प्रतिशत विश्वसनीयता स्तर (सीएल) पर अपना रहे हैं, वहीं समिति ने समष्टि-आर्थिक स्थिरता अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ईएस 99.5 प्रतिशत सीएल के लक्ष्य को अपनाने की सिफारिश की है। भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्मूल्यन शेष की चक्रीय अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए 97.5 प्रतिशत सीएल की अधोमुखी जोखिम सहन-सीमा (आरटीएल) को भी जोड़ा गया है। समिति द्वारा उनकी पर्याप्तता हेतु दोनों स्तरों पर दबाव-परीक्षण किया गया है।

विमोचित इक्विटी का आकार: समिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक, वित्तीय एवं बाह्य स्थिरता संबंधी जोखिम के लिए किया गया प्रावधान 'मुश्किल दिनों' (मौद्रिक/वित्तीय स्थिरता संकट) में देश की बचत के रूप में काम आता है, जो रिजर्व बैंक के पास मौद्रिक प्राधिकारी एवं अंतिम उपाय ऋणदाता की भूमिका की दृष्टि से सजग रूप से रखा गया है। विमोचित इक्विटी, ऋण जोखिम एवं परिचालनगत जोखिम के लिहाज से भी आवश्यक होती है। जोखिम संबंधी इन प्रावधानों को संचयी आधार पर आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) के रूप में जाना जाता है, जो प्रमुख रूप से प्रतिधारित अर्जन से होता है और यह सिफारिश की गई है कि उसे रिजर्व बैंक के तुलन पत्र के 6.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत के बीच रखा जाए, जिसमें मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिम के लिए 5.5 से 4.5 प्रतिशत तथा ऋण एवं परिचालनगत जोखिम के लिए 1.0 प्रतिशत निर्धारित है। साथ ही, बाजार जोखिम की तुलना में पुनर्मूल्यन राशियों में कोई कमी होने की दशा में प्राप्त इक्विटी की आवश्यकता में आरटीएल जुड़ जाएगा। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि फोरेक्स पोर्टफोलियो के संकेद्रण जोखिम के साथ-साथ रिजर्व बैंक के बाजार-ऋण जोखिम का संयुक्त रूप से आकलन करने के लिए कार्यप्रणालियां विकसित की जाएं।

अधिशेष संवितरण नीति: समिति ने अधिशेष संवितरण नीति की सिफारिश की है जिसमें रिजर्व बैंक के पास रखी जाने योग्य विमोचित इक्विटी के स्तर को लक्ष्य बनाया गया है, जो उसकी पिछली नीति,

जिसका लक्ष्य कुल आर्थिक पूंजी स्तर मात्र था, की तुलना में आर्थिक पूंजी के संपूर्ण स्तर के अंदर हो। केवल, यदि प्राप्त इक्विटी आवश्यकता से अधिक होती है तो क्या समग्र निवल आय सरकार को अंतरणीय होगी। यदि वह आवश्यकता के लोअर बाउंड के नीचे है, तो जोखिम के संबंध में जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान किया जाएगा तथा केवल अवशिष्ट निवल आय (यदि कोई) ही सरकार को अंतरित की जाएगी। केंद्रीय बोर्ड सीआरबी के दायरे के अंदर जोखिम के प्रावधान के स्तर का निर्णय करेगा, अर्थात् तुलन पत्र का 6.5 से 5.5 प्रतिशत।

अन्य टिप्पणियाँ/ सिफारिशें

रिजर्व बैंक पूंजी की अवसर लागत: समिति ने यह स्वीकार किया कि रिजर्व बैंक की पूंजी की अवसर लागत न्यूनतम है क्योंकि इसकी विमोचित इक्विटी के बदले धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के प्रमुख भाग को अधिशेष अंतरण के एक अंश के तौर पर सरकार को लौटा दिया जाता है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र की संघटना और आकार का निर्धारण लोक नीति प्रतिलाभों से किया जाता और इसकी सहनशीलता अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बाह्य-कारकों का सृजन करती है।

रिजर्व बैंक के वित्तीय वर्ष और सरकार के राजकोषीय वर्ष और अंतरिम लाभांश का संरेखण: समिति ने सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक के वित्तीय वर्ष का संरेखण सरकार के राजकोषीय वर्ष के साथ कर दिया जाए ताकि रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अनुमानों और प्रकाशनों में अधिकाधिक सामंजस्य हो सके। इसके अलावा, आगामी वर्षों में सरकार को लाभांश का भुगतान अपवादस्वरूप परिस्थितियों में किया जाए।

फ्रेमवर्क की समीक्षा: समिति ने सिफारिश की है कि इस फ्रेमवर्क की आवधिक समीक्षा प्रत्येक पांचवें वर्ष की अवधि पर की जाए। इसके बावजूद, यदि रिजर्व बैंक के जोखिमों और परिचालन परिवेश में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता हो, तो मध्यावधि समीक्षा की जाए।

समिति की सिफारिशों को लागू करना

केंद्रीय बोर्ड ने समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 2018-19 के लिए रिजर्व बैंक के लेखा को जोखिम प्रावधान करने और अधिशेष अंतरण को निर्धारित करने के लिए संशोधित व्यवस्था का प्रयोग करते हुए अंतिम रूप दे दिया है। इस निर्णय के निहितार्थ निम्नानुसार हैं:

(i) **विमोचित इक्विटी:** यह देखते हुए कि उपलब्ध विमोचित इक्विटी तुलन-पत्र के 6.8 प्रतिशत पर रही, जबकि समिति की सिफारिश के अनुसार अपेक्षा 6.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत थी, सीआरबी की उच्चतर सीमा पर जोखिम प्रावधान के आधिक्य से ₹11,608 करोड़ की सीमा तक और सीआरबी की न्यूनतम सीमा ₹52,637 करोड़ थी। केंद्रीय बोर्ड ने विमोचित इक्विटी को तुलनपत्र के 5.5 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने का निर्णय किया और इसके परिणामस्वरूप हुआ ₹52,637 करोड़ के बेशी जोखिम प्रावधान जिसका प्रतिलेखन किया गया।

(जारी...)

(ii) आर्थिक पूंजी स्तर: यद्यपि संशोधित फ्रेमवर्क तकनीकी रूप से रिज़र्व बैंक की आर्थिक पूंजी स्तरों को 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के 24.5 प्रतिशत से 20.0 प्रतिशत के दायरे में रखेगा (यह विमोचित इक्विटी के बरकरार स्तर और पुनर्मूल्यांकन की शेष राशियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है), 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार आर्थिक पूंजी तुलन-पत्र के 23.3 प्रतिशत पर रही। वित्तीय सहनशीलता अपेक्षित दायरे में थी, इसलिए वर्ष 2018-19 हेतु ₹1,23,414 करोड़ की समग्र निवल आय भारत सरकार को अंतरित की जाएगी, जिसमें

से ₹28,000 करोड़ की रकम अंतरिम लाभांश के तौर पर पहले ही दी जा चुकी है। यह रकम ₹52,637 करोड़ के जोखिम प्रावधान आधिक्य के अलावा है जिसे प्रतिलिखित किया जा चुका है और परिणामस्वरूप सरकार को अंतरित की जाएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार वैश्विक स्तर पर ऐसे केंद्रीय बैंकों में से एक है जिनकी वित्तीय समुत्थान शीलता उच्चतम स्तर पर है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

विदेशी मुद्रा भंडार, आईटी और साइबर जोखिम के जोखिम प्रबंधन का एकीकरण

XI.50 रिज़र्व बैंक में जोखिम से संबंधित कार्य पूरी तरह से विकसित होने के साथ, विदेशी मुद्रा भंडार जोखिम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) का मध्य कार्यालय और आईटी तथा साइबर जोखिमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार मुख्य सूचना और सुरक्षा अधिकारी को तालमेल और बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आरएमडी के साथ एकीकृत किया गया।

जोखिम सहनीयता फ्रेमवर्क

XI.51 वित्तीय जोखिमों से रिज़र्व बैंक का बचाव करने के लिए डीईआईओ और एफएमओडी में जोखिम सहनीयता फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए शुरु की गयी प्रायोगिक परियोजना के पर्यवेक्षण हेतु आंतरिक समिति का गठन किया गया। समिति ने आंतरिक जोखिम सहनीयता के प्रति रुझान के अनुरूप इन कारोबारी क्षेत्रों में मौजूदा जोखिम सहनीयता सीमा की समीक्षा की। परिचालनात्मक जोखिमों के लिए, पहचान की गई 'उच्च' और 'महत्वपूर्ण' जोखिम प्रक्रियाओं के लिए संबंधित कारोबारी क्षेत्रों द्वारा कार्ययोजनाएं तैयार की गई थीं।

वेब आधारित एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस)

XI.52 सभी घटनाओं और जोखिमों को रिपोर्ट करने, प्रबंधन करने और ट्रैक करने के लिए एक उद्यम उपाय वेब-आधारित स्व-सेवा पोर्टल, एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) कार्यान्वित की जा रही

है। यह प्रणाली घटना रिपोर्टिंग और जोखिम रजिस्टर की प्रक्रिया से दर्शाए गए जोखिमों को कोड प्रदान करेगी। इसके बाद पहचान किए गए जोखिम क्षेत्रों पर जोखिम डैशबोर्ड बनाया जाएगा, जिससे शीर्ष प्रबंधन को जोखिम रिपोर्टिंग में सुधार होगा।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

रिज़र्व बैंक में क्रेडिट जोखिम तथा परिचालन जोखिम का मॉडल तैयार करना

XI.53 समग्र क्रेडिट जोखिम और परिचालन जोखिम का आकलन करने के लिए मॉडल विकसित करने हेतु रिज़र्व बैंक में आंतरिक समितियां गठित की गई हैं। क्रेडिट जोखिम की मात्रा निर्धारित करने के लिए आंतरिक समितियों ने विभिन्न मॉडलों की उपयोगिता की जांच की गयी जबकि परिचालन जोखिम मूल्यांकन के लिए नए मानकीकृत दृष्टिकोण की उपयोगिता की जांच की गयी।

जोखिम रिपोर्टिंग के लिए जोखिम डैशबोर्ड

XI.54 शीर्ष प्रबंधन को जोखिम रिपोर्टिंग में सुधार करने के उद्देश्य से, बेहतर जोखिम निगरानी के लिए 2019-20 के दौरान महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों के लिए डैशबोर्ड तैयार किए जाएंगे।

5. रिज़र्व बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण

XI.55 रिज़र्व बैंक का निरीक्षण विभाग आंतरिक नियंत्रण और गवर्नेस प्रक्रियाओं का परीक्षण, मूल्यांकन करता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करता है तथा शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचे के तहत जोखिम से निपटने का आश्वासन प्रदान करता है।

विभाग केंद्रीय बोर्ड के लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करने वाले कार्यपालक निदेशकों की समिति (इडीसी) के लिए भी सचिवालय का कार्य करता है। विभाग रिजर्व बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए) प्रणाली और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा(सीएसए) के कामकाज पर भी निगरानी रखता है। सीएसए के स्वचालन से प्रसंस्करण और अनुपालन प्रस्तुत करने में सुविधा होगी, जिसके परिणामस्वरूप विश्लेषण और कुशल निगरानी के लिए सूचना संग्रहण से जानकारी प्राप्त करना आसान होने के साथ-साथ बेहतर जोखिम प्रबंधन होगा (बॉक्स XI.4)।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

XI.56 जनवरी 2019 से रिजर्व बैंक में सभी केंद्रीय कार्यालय विभाग / क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रशिक्षण संस्थानों में लेखा परीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) से समवर्ती लेखा परीक्षा कार्य लागू करने से विभिन्न लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के स्वचालन की प्रक्रिया सक्रिय हुई। एएमआरएमएस का मुख्य कार्य अर्थात्, आरबीआईए पहले से ही सक्रिय है और रिजर्व बैंक में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एएमआरएमएस के सीएसए कार्य का विकास पूर्ण हो गया है तथा उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक के सभी कार्यालयों में

बॉक्स XI.4

परिचालन जोखिम प्रबंधन: स्व-मूल्यांकन का महत्व

नियंत्रित स्व-मूल्यांकन (सीएसए) परिचालन, जोखिम प्रबंधन में सुरक्षा के पहले उपाय के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके माध्यम से सभी व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा किए जाने के उचित आश्वासन प्रदान करने के प्रयोजन से आंतरिक नियंत्रण प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है।

सीएसए की अवधारणा गल्फ कनाडा (एक तेल कंपनी) के लिए 1987 में ब्रूस मैक क्यूएग द्वारा विकसित की गयी थी। इसकी कार्यप्रणाली अब विकसित हो गयी है और बड़े पैमाने पर यूएस, यूरोपीय संघ और अन्य देशों में बैंकिंग क्षेत्र सहित उद्योग भर में इसका प्रयोग किया जा रहा है। सीएसए के लिए आमतौर पर तीन दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा रहा है, बैठकें करना, प्रश्रवली का उपयोग तथा प्रबंधन जनित विश्लेषण। सीएसए कारोबारी इकाइयों में ऑपरेटिंग स्टाफ द्वारा स्वयं आयोजित किया जाता है, जिसे रक्षा का पहला उपाय भी कहा जाता है।

नियंत्रित स्व मूल्यांकन प्रक्रिया:

- संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आंतरिक नियंत्रण की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाकर एक संगठन के आंतरिक नियंत्रण वातावरण में सुधार करता है;
- नियंत्रण, और प्रबलित गवर्नेंस व्यवस्था के लिए जवाबदेही की एक स्पष्ट रेखा बनाता है, जो कारोबारी संचालन (प्रबंधन और परिचालन स्टाफ दोनों द्वारा) की बेहतर समझ देता है;
- कर्मचारियों को नियंत्रण प्रक्रियाओं को सावधानीपूर्वक डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए और परिचालन नियंत्रण प्रक्रियाओं में लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करता है ;

- अपनी व्याप्ति का विस्तार करते हुए निगरानी गतिविधियों की लागत को कम करने में प्रबंधन की सहायता करता है; तथा
- जोखिम और नियंत्रण के बारे में प्रासंगिक जानकारी जुटाने में आंतरिक लेखा परीक्षकों की सहायता करता है; उच्च जोखिम और असामान्य क्षेत्रों पर लेखा परीक्षा के कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, और परिचालन प्रबंधकों और कार्य समूहों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करता है

रिजर्व बैंक में 1999 में सीएसए लेखा परीक्षा शुरू की गई थी और यह छमाही अंतराल पर आयोजित की जाती है। कार्यालय स्तर पर ही निवारक और उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं और केन्द्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा उप-समिति को सूचित किया जाता है और केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर अति स्थूल स्तर की निगरानी की जाती है।

संदर्भ:

1. फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन: श्री जोशुआ रोजेनबर्ग, कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा 15 मार्च 2016 को, न्यूयॉर्क शहर में आयोजित 18 वें एनुअल ऑपरिस्क नार्थ अमेरिका 2016 कॉन्फ्रेंस में की गयी टिप्पणी
2. व्यावसायिक आचरण पुस्तिका 98-2 ए, नियंत्रण स्व मूल्यांकन लेखा परीक्षा का दृष्टिकोण (इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर: अलमांटे, फ्लोरिडा, 1998)
3. नियंत्रण स्व-मूल्यांकन - सीजीआईएआर इंटरनल ऑडिट युनिट (जुलाई 2017) द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर नोट।

सफल उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण और व्यापक उपयोगकर्ता जागरूकता प्रशिक्षण के बाद अक्टूबर 2019 के अंत तक इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू करने की आशा है। विभाग द्वारा नियंत्रित रिज़र्व बैंक की आईटी संपत्तियों का जोखिम मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीए-पीटी) अभ्यास, अब जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। परियोजना जोखिम के प्रबंधन के लिए रिज़र्व बैंक में परियोजना लेखा परीक्षा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.57 एएमआरएमएस एप्लिकेशन में आरबीआईए, सीए और सीएसए कार्यों के सफल कार्यान्वयन के बाद शीर्ष प्रबंध तंत्र को प्रभावी आश्वासन देने के लिए उसके लाभों को डाटा माइनिंग, एनालिटिक्स और एमआईएस रिपोर्ट के माध्यम से लिवरेज करते हुए, विभाग पूरे रिज़र्व बैंक में ज्ञान और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। आरबीआईए टिप्पणियों के अनुपालन की गुणवत्ता, पर्याप्तता और निर्वाह सुनिश्चित करने के लिए, कुछ चुनिंदा कार्यालयों की अनुपालन लेखा परीक्षा की जाएगी। तैयार किए गए नए परियोजना लेखा परीक्षा दिशानिर्देश संपूर्ण रिज़र्व बैंक में लागू किए जाएंगे। वर्ष के दौरान आरबीआईए के लिए अपनाई गई जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग पद्धति की भी समीक्षा की जाएगी। विभाग का यह प्रयास होगा कि वह परिचालनगत जोखिम हेतु जोखिम मूल्यांकन पद्धति (आरएम-ओआर) और आरबीआईए से संबंधित निरीक्षण विभाग पद्धति के अनुसार जोखिम-रेटिंग का 80 प्रतिशत कन्वर्जेंस प्राप्त करे।

6. कॉर्पोरेट नीति और बजट प्रबंधन विभाग

XI.58 कॉर्पोरेट नीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) रिज़र्व बैंक के लिए समन्वयन का कार्य करता है और कार्यनीति एवं वार्षिक कार्ययोजना का और विकास करता है; गतिविधि-आधारित बजटिंग को अपनाते हुए अपना वार्षिक बजट तैयार करता है; और कारोबारी निरंतरता योजनाओं (बीसीपी) के माध्यम से संस्था के कारोबारी निरंतरता प्रबंधन फ्रेमवर्क के

लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए बाह्य वित्त पोषित संस्थानों (ईएफआई) के कामकाज की देखरेख करता है कि वे एक प्रभावी और कुशल तरीके से कार्य कर रहे हैं।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

XI.59 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक के वर्तमान कार्यनीतिगत ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई, और 2019-2022 की अवधि के लिए 'उत्कर्ष 2022' नामक एक मध्यावधि कार्यनीति दस्तावेज तैयार किया गया तथा नई दिल्ली में 08 जुलाई 2019 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में केंद्रीय बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने पर अब इसे जारी किया गया है (बॉक्स XI.5)।

XI.60 वर्ष के दौरान, गवर्निंग बोर्ड तथा उनकी बाह्य वित्तपोषित संस्था की उप-समितियों की बैठके सुचारु रूप से आयोजित की गयी। भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) के निदेशक की चयन प्रक्रिया तथा उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र (सीएफएआरएएल), इंदिरा गांधी अनुसंधान विकास संस्थान (आईजीआईडीआर), आईआईबीएम के लिए समीक्षा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी आदि अन्य गतिविधियां की गयी। इसके अलावा, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) के कार्यनिष्पादन और भविष्य की योजनाओं के विकास का आकलन करने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया गया।

XI.61 ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में टियर 3 कार्यालय खोलने के लिए सैद्धांतिक अनुमति दी गयी।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.62 वर्ष 2019-20 के लिए बजट तैयार करते समय केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) में कार्यनीति कार्यबिंदु एवं उनके बजटों के बीच लिंकेज स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। कार्यनीति और बजट दोनों के संदर्भ में लक्ष्यों और प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों के बीच की दूरी को कम करने के लिए

बॉक्स XI.5

उत्कर्ष 2022 – रिज़र्व बैंक की मध्यावधि कार्यनीति

कार्यनीति प्रबंधन आरबीआई में हमेशा गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण उपाय रहा है, इसलिए रिज़र्व बैंक के मूल उद्देश्य, मूल्यों और विजन वक्तव्य को पुनः स्पष्ट करने के लिए अप्रैल 2015 में एक कार्यनीतिक प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया था ताकि समकालीन संदर्भों में अपने कार्यनीतिगत उद्देश्यों को चित्रित करते हुए एक फ्रेमवर्क तथा पृष्ठभूमि प्रदान की जा सके जिसके अनुसार तथा समक्ष उसकी नीतियां तैयार की जाएगी। ये मुख्य उद्देश्य (देश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धताओं को दर्शाते हैं) और मूल्य (सार्वजनिक हित, अखंडता और स्वतंत्रता, जवाबदेही और नवीनता, विविधता और विशिष्टता, और आत्मनिरीक्षण और उत्कृष्टता की खोज) अभी भी प्रासंगिक और वैध हैं; तथापि एक ऐसे मध्यावधि गतिशील विजन वक्तव्य की आवश्यकता महसूस हो रही है जिसमें हम जिस आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी परिवेश में कार्य कर रहे हैं उसमें उभरने वाली चुनौतियों तथा अत्यधिक तेज परिवर्तनों के प्रति रिज़र्व बैंक की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबिंबित किया गया हो। 'उत्कर्ष 2022', भारतीय रिज़र्व बैंक का मध्यावधि कार्यनीति फ्रेमवर्क विकसित होनेवाले व्यापक आर्थिक परिवेश के अनुरूप है। किसी संगठन का कार्यनीति फ्रेमवर्क उसे अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम बनाता है ताकि वह आगे के अवसरों का लाभ उठा सके।

बैंक के शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय कार्यालय विभागों की सक्रिय सहभागिता के साथ टॉप-डाउन दृष्टिकोण में 'उत्कर्ष 2022' तैयार किया गया है। इसकी रूपरेखा में, अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के मिशन, इसकी स्थापना के उद्देश्यों जिनमें इसके सभी हितधारकों का विश्वास हो, संशोधित प्रमुख उद्देश्य, मूल्य और विजन वक्तव्य, राष्ट्र के प्रति रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता का पुनर्कथन भी शामिल हैं।

मध्यावधि विजन वक्तव्य में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

विजन 1: सांविधिक एवं अन्य कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता

विजन 2: नागरिकों एवं अन्य संस्थाओं का रिज़र्व बैंक में दृढ़ विश्वास

विजन 3: राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता एवं महत्व


विजन 4: पारदर्शी, जवाबदेह एवं आचारनीति संचालित आंतरिक अभिशासन

विजन 5: सर्वोत्कृष्ट व पर्यावरण अनुकूल डिजिटल एवं भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

विजन 6: नवोन्मेषी, गतिशील एवं कुशल मानव संसाधन

ये विजन वक्तव्य परस्पर पूरक हैं और विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से मध्यावधि (2019-22) के दौरान रिज़र्व बैंक का संचालन चलाएंगे। ये कार्यनीतियां उभरते अवसरों का फायदा उठाने और रिज़र्व बैंक हित के लिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के प्रयोजन से अच्छी तरह से सोची-समझी कार्रवाई है।

निम्नलिखित फ्लो चार्ट में दिखाए गए अनुसार एक या अधिक मूर्त और समयबद्ध उपलब्धि से वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जाएगा:



बैंक का शीर्ष प्रबंधन केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति के माध्यम से 'उत्कर्ष 2022' के कार्यान्वयन और प्रगति की समय-समय पर निगरानी करेगा।

आंतरिक नियंत्रण कार्य विकसित करना यह निरंतर प्रक्रिया है। साथ ही इससे वार्षिक कार्यनीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता भी बढ़ती है।

XI.63 कार्यनीति कार्यान्वयन की शीर्ष स्तर की निगरानी के लिए, एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जो कार्यनीति लक्ष्यों को प्राप्त न करने पर प्रारंभिक चेतावनी भी देगा।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अभ्यास

XI.64 एक संगठन में आंतरिक गवर्नेंस ढांचे को मजबूत करने और व्यय को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से वित्तीय नियंत्रण कार्यों को स्थापित किया जाता है ताकि बजट और व्यय

प्रक्रियाओं से अंततः संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकें।

XI.65 रिज़र्व बैंक में निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण किया जाता है:

ए. व्यय नियमावली 2018: रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने विस्तृत व्यय नियमों (ईआर) को निर्धारित किया है, जिसमें विभिन्न व्यय को दो प्रमुख बजट श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् पूंजी और राजस्व। इन नियमों के अंतर्गत व्यय करने के लिए विभिन्न संस्वीकृति और अनुमोदन देने वाले विभिन्न प्राधिकारी निर्धारित

किये हैं। ये नियम वित्तीय अनुमोदनों के लिए एक पदानुक्रमित फ्रेमवर्क स्थापित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि बजट और व्यय गतिविधियां संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

- बी. केंद्रीकृत आईटी आधारित लेखांकन मॉड्यूल:** रिजर्व बैंक की बजट प्रक्रिया इसके कोर बैंकिंग सोल्यूशन(सीबीएस), ई-कुबेर के माध्यम से काफी हद तक स्वचालित और केंद्रीकृत है। रिजर्व बैंक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने, एमआईएस में सुधार और मैनुअल त्रुटियों के दायरे को कम करने के उद्देश्य से लेखांकन प्रक्रिया और सूचना प्रणाली के स्वचालन की दिशा में प्रयास कर रहा है।
- सी. वार्षिक बजट अभ्यास:** रिजर्व बैंक का वार्षिक बजट केंद्रीय बोर्ड द्वारा जुलाई के महीने में अनुमोदित किया जाता है। रिजर्व बैंक का बजट गतिविधि संचालित शून्य बजट है।
- डी. वार्षिक / तिमाही बजट समीक्षा:** सभी लेखा इकाइयों के व्यय की समीक्षा क्रमशः केंद्रीय बोर्ड (सीसीबी) और रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की समिति द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर की जाती है, जहाँ महत्वपूर्ण विचलनों का विश्लेषण किया जाता है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाते हैं।
- इ. दक्ष बजट प्रबंधन को प्रोत्साहन देने के लिए फ्रेमवर्क:** रिजर्व बैंक रेटिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखकर विभिन्न आंतरिक इकाइयों के बीच बजटीय अनुशासन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इस फ्रेमवर्क के तहत, सभी इकाइयों का बजट तैयार करने और उपयोग करने की दक्षता और प्रभावशीलता के लिए मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

7. कॉर्पोरेट सेवा विभाग

XI.66 कॉर्पोरेट सेवा विभाग (डीसीएस) का उद्देश्य रिजर्व बैंक के विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों/ क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं के अनुसार आंतरिक कॉर्पोरेट सेवा प्रदान करना तथा उसका समन्वयन सुविधाजनक बनाना है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

XI.67 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम (ईडीएमएस) परियोजना के संबंध में, केंद्रीय कार्यालय विभागों द्वारा उनके मुख्य कार्य क्षेत्रों के लिए अभिलेखों के संरक्षण की अवधि निर्धारित की गई है।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.68 आगामी वर्ष के लिए विभाग की कार्ययोजना में रिजर्व बैंक में रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की कमजोरियों को संबोधित करना और मौजूदा रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करके एक संस्थागत स्मृति बनाना शामिल है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों / केंद्रीय कार्यालय विभागों में सभी पुराने रिकॉर्ड की पहचान और उनको नष्ट करने का कार्य जनवरी 2020 तक पूर्ण हो जाएगा। हालांकि, 10 जुलाई, 2019 के प्रशासनिक परिपत्र संख्या 1 के अनुसार कॉर्पोरेट सेवा विभाग बंद होने के कारण उपरोक्त कार्ययोजना 2019-20 डीआईटी और एचआरएमडी, केंद्रीय कार्यालय को अंतरित की गयी है।

8. राजभाषा

XI.69 वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयोजन से राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन स्थिति

XI.70 वर्ष के दौरान, 162 स्टाफ सदस्यों ने प्राज्ञ¹ परीक्षा और 189 स्टाफ सदस्यों ने पारंगत² परीक्षा उत्तीर्ण

¹ यह परीक्षा उनके लिए आयोजित की गई थी जिनको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है।

² हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उच्चतम परीक्षा।

की। कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए, स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। टिप्पण और पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए, रिजर्व बैंक में 153 (जुलाई 2018 - जून 2019) कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें केंद्रीय कार्यालय विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित हिंदी कार्यशालाएं भी शामिल हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय विभागों में 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया और कई हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

XI.71 क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी सीखने के लिए इस वर्ष पंजाबी में शिक्षण सामग्री तैयार की गई। अन्य दस भाषाओं (अर्थात् तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगू, ओडिया, बांग्ला, असमिया, कोंकणी, गुजराती और मराठी) में ऐसी सामग्री पहले से ही तैयार की जा चुकी है।

प्रशिक्षण

XI.72 प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजभाषा अधिकारियों के दो बैच को प्रशिक्षण दिया गया। विधिक दस्तावेजों, वित्तीय और बैंकिंग शब्दावली के अनुवाद के संबंध में आरबीएससी में एक अनुवाद कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।

XI.73 भारतीय रिजर्व बैंक की हिंदी पत्रिका, बैंकिंग चिन्तन अनुचिंतन को एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) की ओर से अपने दो लेखों के लिए रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के सांविधिक प्रकाशन, जैसे वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक और भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के मासिक प्रकाशन भी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए गए हैं और रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रिजर्व बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर राजभाषा समाचार प्रकाशित किया गया। स्टाफ सदस्यों के बीच राजभाषा नीति के बारे में

सूचना प्रसारित करने के लिए एक ई-कार्टून बुकलेट प्रकाशित की गई है।

प्रोत्साहन

XI.74 बैंकिंग पर हिन्दी में उत्कृष्ट पुस्तकें लिखने के लिए एक प्रोत्साहन योजना विद्यमान है जिसमें हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए 1.25 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों के लिए एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.75 भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं और राजभाषा संबंधी संसदीय राजभाषा समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019-20 के लिए एक वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गई है। नई राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली के शेष मॉड्यूलों का कार्यान्वयन भी 2019-20 के लिए कार्ययोजना में शामिल है।

9. परिसर विभाग

XI.76 रिजर्व बैंक के भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन, अनुरक्षण और उन्नयन परिसर विभाग का दायित्व है। 2018-19 के दौरान, नई गतिविधियों की शुरुआत सहित इस दिशा में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।

2018-19 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

निर्माण परियोजनाएं

XI.77 वर्ष के दौरान ऐजवाल में जहां रिजर्व बैंक किराए के परिसर में कार्य कर रहा है कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए केंद्रीय बोर्ड समिति का अनुमोदन प्राप्त हुआ। मुंबई में सामान्य सुविधाओं सहित वरिष्ठ अधिकारियों के क्वार्टर्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अधिकारियों को आबंटित किया गया है और चेन्नै में आंशिक रूप से

आबंटित किया गया है। नई दिल्ली तथा मुंबई; और मुंबई में केफरल के अधिकारियों के लिए रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण प्रगति पर है।

हरित पहल

XI.78 पर्यावरण को बनाए रखने और ऊर्जा, जल और अन्य गैर-नवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, सौर ऊर्जा और जल जैसे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया गया है। क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यालय परिसरों में ग्रिड इंटरैक्टिव सौर विद्युत उत्पादन सुविधाएं संस्थापित की गई हैं और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1440 किलोवाट के स्तर तक पहुंच गई है। जल संरक्षण और उनके कुशल उपयोग के लिए रिजर्व बैंक के विभिन्न परिसरों में वर्षा जल संचयन और सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। रिजर्व बैंक के कई कार्यालय और आवासीय परिसरों में जैविक अपशिष्ट परिवर्तक भी स्थापित किए गए हैं।

XI.79 नए और मौजूदा भवनों को ग्रीन कंप्लायंट बनाने के लिए की गई पहलों की सराहना करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग कौंसिल द्वारा 'भारत में ग्रीन बिल्डिंग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सरकारी संगठन' श्रेणी के अंतर्गत रिजर्व बैंक को "ग्रीन चैंपियन पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

प्रमुख नीति दिशानिर्देश

XI.80 रेट्रोफिटिंग उपायों सहित रिजर्व बैंक के कार्यालय और आवासीय भवनों की संरचनात्मक स्थिरता और सुरक्षा के बारे में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों को कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2019-20 के लिए कार्ययोजना

XI.81 अमरावती में प्रस्तावित कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देहरादून और रायपुर में नए कार्यालय भवनों का निर्माण और देहरादून में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण कार्य शुरू होना अपेक्षित है और नई दिल्ली तथा चेन्नै में 2019-20 के दौरान क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है। जम्मू में आवासीय कालोनी निर्माण की योजना बन रही है। विभाग ने उत्कर्ष 2022 के माध्यम से वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य और हासिल की जाने वाली उपलब्धियां निर्धारित की हैं : (ए) कम से कम वर्तमान दो आवासीय भवनों के लिए एलएबीसी/गृह से संबंधित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करना, (बी) भारतीय रिजर्व बैंक के समस्त परिसरों द्वारा उपयोग की जा रही बिजली का कम से कम 1.5 प्रतिशत* नवीकृत स्रोतों से (सी) कम से कम 1.25 प्रतिशत* ऊर्जा की बचत की जाए; तथा (डी) कम से कम 2.5 प्रतिशत* जल संरक्षण किया जाए/बचत की जाए।

* लक्ष्यों के लिए आधार जून 2018 तक किया गया उपभोग है।

सारणी 1: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
ऊर्जित आर. पटेल*	8(1)(ए)	3	3
शक्तिकान्त दास**	8(1)(ए)	3	3
एन. एस. विश्वनाथन	8(1)(ए)	6	6
विरल वी. आचार्य	8(1)(ए)	6	6
बी.पी. कानूनगो	8(1)(ए)	6	6
एम. के. जैन	8(1)(ए)	6	6
नचिकेत एम. मोर [^]	8(1)(बी)	2	2
प्रसन्न कुमार मोहंती	8(1)(बी)	6	5
दिलीप एस. शंघवी	8(1)(बी)	6	5
रेवती अय्यर [@]	8(1)(बी)	4	4
सचिन चतुर्वेदी [@]	8(1)(बी)	4	4
नटराजन चंद्रसेकरन	8(1)(सी)	6	3
भरत एन. दोशी	8(1)(सी)	6	6
सुधीर मांकड	8(1)(सी)	6	6
अशोक गुलाटी	8(1)(सी)	6	2
मनीष सभरवाल	8(1)(सी)	6	6
सतीश काशीनाथ मराठे [#]	8(1)(सी)	5	5
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति [#]	8(1)(सी)	5	5
सुभाष चंद्र गर्ग	8(1)(डी)	6	6
राजीव कुमार	8(1)(डी)	6	4

* 11 दिसंबर 2018 को गवर्नर के रूप में पदभार त्याग दिया।

** 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया।

[^] 19 सितंबर 2018 तक निदेशक।

[@] 19 सितंबर 2018 से निदेशक।

[#] 7 अगस्त 2018 से निदेशक।

गवर्नेस, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

सारणी 2: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
ऊर्जित आर. पटेल*	8(1)(a)	19	17
शक्तिकान्त दास**	8(1)(a)	26	23
एन. एस. विश्वनाथन	8(1)(a)	45	34
विरल वी. आचार्य	8(1)(a)	45	33
बी.पी. कानूनगो	8(1)(a)	45	31
एम. के. जैन	8(1)(a)	45	35
नचिकेत एम. मोर [^]	8(1)(b)	4	2
प्रसन्न कुमार मोहंती	8(1)(b)	15	13
दिलीप एस. शंघवी	8(1)(b)	12	10
रेवती अय्यर [@]	8(1)(b)	9	7
सचिन चतुर्वेदी [@]	8(1)(b)	7	2
नटराजन चंद्रसेकरन	8(1)(c)	14	4
भरत एन. दोशी	8(1)(c)	24	24
सुधीर मांकड	8(1)(c)	14	11
अशोक गुलाटी	8(1)(c)	15	7
मनीष सभरवाल	8(1)(c)	17	13
सतीश काशीनाथ मराठे [#]	8(1)(c)	12	9
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति [#]	8(1)(c)	10	1
सुभाष चंद्र गर्ग	8(1)(d)	23	23
राजीव कुमार	8(1)(d)	2	2

* 11 दिसंबर 2018 को गवर्नर के रूप में पदभार त्याग दिया।

@ 19 सितंबर 2018 से निदेशक।

** 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया।

7 अगस्त 2018 से निदेशक।

[^] 19 सितंबर 2018 तक निदेशक।

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)

ऊर्जित आर. पटेल	अध्यक्ष	4	4
शक्तिकान्त दास	अध्यक्ष	6	6
एन. एस. विश्वनाथन [@]	उपाध्यक्ष	10	10
महेश कुमार जैन [#]	उपाध्यक्ष	10	10
विरल वी. आचार्य	सदस्य	10	9
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	10	8
नचिकेत एम. मोर [*]	सदस्य	1	1
भरत एन. दोशी	सदस्य	10	9
सुधीर मांकड	सदस्य	10	6
अशोक गुलाटी	सदस्य	10	7
सतीश काशीनाथ मराठे [^]	सदस्य	8	8

* 19 सितंबर 2018 तक सदस्य।

@ 18 फरवरी 2019 तक उपाध्यक्ष।

[^] 17 अक्तूबर 2018 से सदस्य।

18 फरवरी 2019 से उपाध्यक्ष।

(जारी...)

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 2: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
III. भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण (बीपीएसएस) बोर्ड			
शक्तिकान्त दास*	अध्यक्ष	1	1
ऊर्जित आर. पटेल**	अध्यक्ष	1	1
बी. पी. कानूनगो	उपाध्यक्ष	2	2
एन. एस. विश्वनाथन	सदस्य	2	1
विरल वी. आचार्य	सदस्य	2	1
एम. के. जैन**	सदस्य	2	2
नटराजन चंद्रसेकरन	सदस्य	2	2
मनीष सभरवाल	सदस्य	2	2

* 12 दिसंबर 2018 से गवर्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया।

** 11 दिसंबर 2018 से गवर्नर के रूप में पदभार त्याग दिया।

गवर्नेस, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

सारणी 3: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की उप-समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
I. लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
भरत एन. दोशी	अध्यक्ष	7	7
सुधीर मांकड	सदस्य	7	6
नचिकेत एम. मोर [^]	सदस्य	2	1
रेवती अय्यर	सदस्य	5	5
एन. एस. विश्वनाथन	सदस्य	7	7
विरल वी. आचार्य	आमंत्रिती	7	7
बी. पी. कानूनगो	आमंत्रिती	7	7
एम. के. जैन	आमंत्रिती	7	7
^ 19 सितंबर 2018 तक सदस्य			
II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
दिलीप एस. शंघवी	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	शून्य	शून्य
III. मानव संसाधन प्रबंधन उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
मनीष सभरवाल	अध्यक्ष	6	6
दिलीप एस. शंघवी	सदस्य	6	3
विरल आचार्य	सदस्य	6	6
एन. एस. विश्वनाथन	आमंत्रिती	1	1
बी. पी. कानूनगो	आमंत्रिती	1	1
एम. के. जैन	आमंत्रिती	1	1
IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
मनीष सभरवाल	अध्यक्ष	4	4
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	2	2
बी. पी. कानूनगो	सदस्य	4	4

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 4: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समितियों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3
बी. पी. कानूनगो, अध्यक्ष	2	2
अशोक गुलाटी, उत्तरी क्षेत्र	1	1
प्रसन्न कुमार मोहन्ती, दक्षिणी क्षेत्र	1	1

सारणी 5: 01 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 के दौरान आयोजित स्थानीय बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
नचिकेत एम. मोर, ईएएलबी [^]	धारा 9(1)	1	1
सचिन चतुर्वेदी, ईएएलबी	धारा 9(1)	3	3
सुनील मित्रा, ईएएलबी	धारा 9(1)	4	4
दिलीप एस. शंघवी, डब्लूएएलबी	धारा 9(1)	5	5
वी. आर. भंसाली, डब्लूएएलबी	धारा 9(1)	5	5
रेवती अय्यर, एनएएलबी	धारा 9(1)	3	3
आर. एन. दुबे, एनएएलबी	धारा 9(1)	3	3
पी.के.मोहंती, एसएएलबी	धारा 9(1)	1	1
राकेश जैन, एसएएलबी [#]	धारा 9(1)	1	1

[^] 13 अक्टूबर 2018 तक सदस्य।
ईएएलबी: पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।
एनएएलबी: उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।

[#] 11 मार्च 2019 तक सदस्य।
डब्लूएएलबी : पश्चिमी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।
एसएएलबी: दक्षिणी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड।

रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का आकार 30 जून 2019 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार 13.42 प्रतिशत बढ़ा। जहां वर्ष 2018-19 में आय में 146.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहीं व्यय में 39.72 प्रतिशत की कमी आई। यह वर्ष, गत वर्ष के ₹500 बिलियन की अपेक्षा ₹1,759.87 बिलियन के कुल अधिशेष के साथ समाप्त हुआ, जो 251.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

XII.1 देश की अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक का तुलन-पत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है इससे सामान्यतया उन गतिविधियों की झलक मिलती है जिन्हें मुद्रा निर्गम कार्य के साथ मौद्रिक नीति तथा आरक्षित निधि के प्रबंधन उद्देश्यों के अनुसरण में किया जाता है। वर्ष 2018-19 (जुलाई-जून) के दौरान रिज़र्व बैंक के परिचालनों के मुख्य वित्तीय परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं।

XII.2 वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के तुलन-पत्र के आकार में वृद्धि हुई। तुलन-पत्र में ₹4,853.11 बिलियन अर्थात् 13.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार इसका आकार ₹36,175.94 बिलियन था जो 30 जून 2019 को बढ़कर ₹41,029.05 बिलियन हो गया। आस्ति पक्ष में वृद्धि के मुख्य कारण घरेलू और विदेशी निवेश में क्रमशः 57.19 प्रतिशत और 5.70 प्रतिशत की वृद्धि तथा स्वर्ण में 16.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना था। देयता पक्ष में हुई वृद्धि निर्गत नोटों, अन्य देयताओं और प्रावधानों तथा जमाराशियों में क्रमशः 13.43 प्रतिशत, 11.10 प्रतिशत और 17.21 प्रतिशत बढ़ोतरी के कारण हुई। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियों में से घरेलू आस्तियां 28.03 प्रतिशत जबकि विदेशी मुद्रा आस्तियां और स्वर्ण (भारत में धारित स्वर्ण सहित) 71.97 प्रतिशत थीं, जबकि इसकी तुलना में 30 जून 2018 को ये क्रमशः 23.18 प्रतिशत और 76.82 प्रतिशत थीं।

XII.3 बैंक ने 2014-15 एवं 2015-16 के बीच आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ईसीएफ) को एक उद्देश्यपरक, नियम-आधारित, पारदर्शी कार्यप्रणाली के रूप में विकसित किया है ताकि भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के प्रावधानों के तहत

जोखिम के लिए किए जा रहे प्रावधान के समुचित स्तर का निर्धारण किया जा सके। 19 नवंबर 2018 को आयोजित रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक के पश्चात, रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से, डॉ. बिमल जालान, पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में रिज़र्व बैंक के वर्तमान ईसीएफ की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति ने रिज़र्व बैंक के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2019 को आयोजित बैठक में उक्त रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के बाद समिति की सभी सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया तथा जोखिम संबंधी प्रावधान एवं अधिशेष अंतरण के निर्धारण हेतु संशोधित फ्रेमवर्क को अपनाते हुए वर्ष 2018-19 के लिए रिज़र्व बैंक के लेखा को अंतिम रूप दिया। चूंकि रिज़र्व बैंक की वित्तीय आघातसहनीयता वांछित अंतराल में बनी हुई थी, अतः ₹526.37 बिलियन के अतिरिक्त जोखिम प्रावधान का आकस्मिकता निधि (सीएफ) से प्रतिलेखन करते हुए इसे आय में शामिल कर लिया गया।

XII.4 इसके अलावा, आस्ति विकास निधि (एडीएफ) के लिए भी ₹0.64 बिलियन प्रावधान किया गया जो रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) एवं भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं (आईएफटीएस) में नये सिरों से किए गए निवेश के कारण था।

XII.5 उपर्युक्त समायोजनों के पूर्व अधिशेष की राशि ₹1,234.14 बिलियन थी। उपर्युक्त समायोजनों के परिणामस्वरूप भारत सरकार को अंतरण योग्य अधिशेष की राशि ₹1,759.87 बिलियन हो गयी (जिसमें भारत सरकार को इस वर्ष के दौरान पहले ही अंतरित की जा चुकी ₹280 बिलियन की राशि शामिल है)।

सारणी XII.1 : आय, व्यय और निवल प्रयोज्य आय की प्रवृत्ति

(₹ बिलियन)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
ए) आय	792.56	808.70	618.18	782.81	1,930.36
बी) कुल व्यय ¹	133.56 ²	149.90 ³	311.55 ⁴	282.77 ⁵	170.45 ⁶
सी) निवल प्रयोज्य आय (ए-बी)	659.00	658.80	306.63	500.04	1,759.91
डी) निधियों में अंतरण ⁷	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ई) सरकार को अंतरित अधिशेष (सी-डी)	658.96	658.76	306.59	500.00	1,759.87

टिप्पणी: 1. 30 जून, 2015 से सीएफ और एडीएफ में अंतरण को आय विवरण में प्रावधान शीर्ष के जरिए किया जा रहा है।

2. इसमें एनएचबी के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

3. इसमें बीआरबीएनएमपीएल के लिए अतिरिक्त पूंजी अंशदान हेतु ₹10 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

4. इसमें नवगठित भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुषंगी आरईबीआईटी के लिए पूंजी अंशदान हेतु ₹0.50 बिलियन का प्रावधान और सीएफ में अंशदान हेतु ₹131.40 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

5. इसमें सीएफ में अंतरण के लिए अतिरिक्त ₹141.90 बिलियन का प्रावधान शामिल है।

6. इसमें एडीएफ में ₹0.64 बिलियन के प्रावधान का अंतरण शामिल है।

7. पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में हरेक को ₹10 मिलियन की राशि राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि, राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में अंतरित की गई।

XII.6 आय, व्यय, निवल प्रयोज्य आय और भारत सरकार को अंतरित किए गये अधिशेष के रुझान सारणी XII.1 में दिये गये हैं।

XII.7 वर्ष 2018-19 के लिए तैयार तुलन-पत्र और आय-विवरण, सभी अनुसूचियों, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा लेखा-समर्थित टिप्पणियों सहित नीचे प्रस्तुत है:

2018-19 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

भारतीय रिज़र्व बैंक
30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

देयताएं	अनुसूची	2017-18	2018-19	आस्तियां	अनुसूची	2017-18	2018-19
पूंजी		0.05	0.05	बैंकिंग विभाग (बैं.वि.) की आस्तियां			
आरक्षित निधि		65.00	65.00	नोट, रुपया सिक्का, छोटे सिक्के	5	0.09	0.09
अन्य आरक्षित निधि	1	2.28	2.30	स्वर्ण सिक्के और बुलियन	6	696.74	882.98
जमाराशियाँ	2	6,525.97	7,649.22	निवेश-विदेशी - बीडी	7	7,983.89	6,964.53
अन्य देयताएं और प्रावधान	3	10,463.04	11,624.51	निवेश-घरेलू - बीडी	8	6,297.45	9,898.77
				खरीदे तथा भुनाये गए बिल		0.00	0.00
				ऋण और अग्रिम	9	1,638.55	931.87
				सहयोगी संस्थाओं में निवेश	10	33.70	19.64
				अन्य आस्तियां	11	405.92	643.20
निर्गम विभाग की देयताएं				निर्गम विभाग (निवि) की आस्तियां			
जारी किए गए नोट	4	19,119.60	21,687.97	सोने के सिक्के और बुलियन (नोट निर्गम के समर्थन के रूप में)	6	743.49	792.04
				रुपये सिक्के		9.26	8.28
				निवेश-विदेशी-आईडी	7	18,366.85	20,887.65
				निवेश-घरेलू-आईडी	8	0.00	0.00
				घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्य-पत्र		0.00	0.00
	कुल देयताएं	36,175.94	41,029.05		कुल आस्तियां	36,175.94	41,029.05

निर्मल चंद
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

एम. के. जैन
उप गवर्नर

बी. पी. कानूनगो
उप गवर्नर

एन. एस. विश्वनाथन
उप गवर्नर

शक्तिकांत दास
गवर्नर

वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2019 को समाप्त वर्ष का आय विवरण

(राशि ₹ बिलियन में)

आय	अनुसूची	2017-18	2018-19
ब्याज	12	738.71	1,068.37
अन्य आय	13	44.10	861.99
	कुल	782.81	1,930.36
व्यय			
नोटों का मुद्रण		49.12	48.11
करेंसी विप्रेषण पर व्यय		1.15	0.88
एजेंसी प्रभार	14	39.03	39.10
कर्मचारी लागत		38.48	68.51
ब्याज		0.01	0.01
डाक और दूर संचार प्रभार		0.87	1.03
मुद्रण और लेखन-सामग्री		0.23	0.22
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि		1.27	1.26
मरम्मत और रखरखाव		1.03	0.98
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड सदस्यों के शुल्क और व्यय		0.02	0.02
लेखा-परीक्षकों के शुल्क और व्यय		0.06	0.05
विविध प्रभार		0.09	0.17
विविध व्यय		8.08	7.97
मूल्यहास		1.43	1.50
प्रावधान		141.90	0.64
	कुल	282.77	170.45
उपलब्ध शेष राशि		500.04	1,759.91
घटाएं:			
(ए) निम्नलिखित में अंशदान :			
i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि		0.01	0.01
(बी) नाबार्ड को अंतरण योग्य:			
i) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ¹		0.01	0.01
ii) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि ¹		0.01	0.01
(सी) अन्य			
वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को अंतरित राशि		100.00	280.00
	केंद्र सरकार को देय अधिशेष	400.00	1,479.87

1. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास हैं।

निर्मल चंद
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

एम. के. जैन
उप गवर्नर

बी. पी. कानूनगो
उप गवर्नर

एन. एस. विश्वनाथन
उप गवर्नर

शक्तिकांत दास
गवर्नर

अनुसूचियां जो तुलन-पत्र और आय विवरण का हिस्सा हैं

(राशि ₹ बिलियन में)

		2017-18	2018-19
अनुसूची 1:	अन्य आरक्षित निधियाँ		
	(i) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	0.27	0.28
	(ii) राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	2.01	2.02
	कुल	2.28	2.30
अनुसूची 2:	जमाराशियां		
	(ए) सरकार		
	(i) केंद्र सरकार	1.01	1.01
	(ii) राज्य सरकारें	0.42	0.42
	उप-योग	1.43	1.43
	(बी) बैंक		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	4,744.18	5,129.26
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	35.20	39.98
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	84.01	90.29
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	19.15	24.91
	(v) अन्य बैंक	188.41	209.64
	उप-योग	5,070.95	5,494.08
	(सी) भारत से बाहर की वित्तीय संस्थाएं		
	(i) रिपो उधार – विदेशी	0.00	0.00
	(ii) रिवर्स रिपो मार्जिन – विदेशी	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00
	(डी) अन्य		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भ.नि. खाता के प्रशासक	46.81	46.38
	(ii) जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि	195.67	257.47
	(iii) विदेशी केंद्रीय बैंकों की शेष राशियां	18.80	19.05
	(iv) भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	2.40	2.13
(v) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शेष राशियां	3.20	3.38	
(vi) म्यूचुअल फंड	0.01	0.01	
(vii) अन्य	1,186.70	1,825.29	
उप-योग	1,453.59	2,153.71	
कुल	6,525.97	7,649.22	
अनुसूची 3:	अन्य देयताएं और प्रावधान		
	(i) आकस्मिकता निधि (सीएफ)	2,321.08	1,963.44
	(ii) आस्तित विकास निधि (एडीएफ)	228.11	228.75
	(iii) मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा (सीजीआरए)	6,916.41	6,644.80
	(iv) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस)	0.00	157.35
	(v) निवेश पुनर्मूल्यन लेखा - रुपए प्रतिभूतियां (आईआरए-आरएस)	132.85	494.76
	(vi) विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन लेखा (एफसीवीए)	32.62	13.04
	(vii) वायदा संविदा मूल्यन लेखा हेतु प्रावधान (पीएफसीवीए)	0.00	0.00
	(viii) देयराशियों के लिए प्रावधान	27.88	22.81
	(ix) ग्रेच्युटी और अधिवर्षिता निधि	175.13	206.10
	(x) भारत सरकार को अंतरणयोग्य अधिशेष	500.00	1,759.87
	(xi) देय बिल	0.05	0.08
	(xii) विविध	128.91	133.51
कुल	10,463.04	11,624.51	

वार्षिक रिपोर्ट

		2017-18	2018-19
अनुसूची 4:	जारी नोट		
	(i) बैंकिंग विभाग में धारित नोट	0.09	0.09
	(ii) संचलन में नोट	19,119.51	21,687.88
	कुल	19,119.60	21,687.97
अनुसूची 5:	नोट, रुपये सिक्के, छोटे सिक्के (भारिबैंक के पास)		
	(i) नोट	0.09	0.09
	(ii) रुपये सिक्के	0.00	0.00
	(iii) छोटे सिक्के	0.00	0.00
कुल	0.09	0.09	
अनुसूची 6:	स्वर्ण सिक्के और बुलियन		
	(ए) बैंकिंग विभाग		
	(i) स्वर्ण सिक्के और बुलियन	696.74	882.98
	(ii) जमा स्वर्ण	0.00	0.00
	उप-योग	696.74	882.98
	(बी) निर्गम विभाग (जारी नोट के समर्थन के रूप में)	743.49	792.04
कुल	1,440.23	1,675.02	
अनुसूची 7:	निवेश-विदेशी		
	(i) निवेश-विदेशी - बीडी	7,983.89	6,964.53
	(ii) निवेश-विदेशी - आईडी	18,366.85	20,887.65
कुल	26,350.74	27,852.18	
अनुसूची 8:	निवेश-घरेलू		
	(i) निवेश-घरेलू - बीडी	6,297.45	9,898.77
	(ii) निवेश-घरेलू - आईडी	0.00	0.00
कुल	6,297.45	9,898.77	
अनुसूची 9:	ऋण और अग्रिम		
	(ए) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम :		
	(i) केंद्र सरकार	554.35	265.31
	(ii) राज्य सरकारें	14.93	26.66
	उप-योग	569.28	291.97
	(बी) निम्नलिखित को ऋण और अग्रिम :		
	(i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,006.90	572.00
	(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.00
	(v) नाबार्ड	0.00	0.00
	(vi) अन्य	62.37	67.90
	उप-योग	1,069.27	639.90
	(सी) भारत से बाहर वित्तीय संस्थाओं को ऋण और अग्रिम :		
	(i) रिपो उधार- विदेशी	0.00	0.00
(ii) रिपो मार्जिन - विदेशी	0.00	0.00	
उप-योग	0.00	0.00	
कुल	1,638.55	931.87	
अनुसूची 10:	अनुबंधी/सहयोगी संस्थाओं में निवेश		
	(i) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	0.50
	(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14.50	0.00
	(iii) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	0.00
	(iv) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	18.00
	(v) रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमि. (आरईबीआईटी)	0.50	0.50
	(vi) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	0.00	0.30
	(vii) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएस)	0.00	0.34
कुल	33.70	19.64	

2018-19 के लिए रिजर्व बैंक का लेखा

		2017-18	2018-19
अनुसूची 11:	अन्य आस्तियां		
	(i) अचल आस्तियां (कुल मूल्यहास को घटाकर)	4.41	6.51
	(ii) उपचित आय (ए+बी)	232.99	330.81
	ए. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	3.16	3.27
	बी. अन्य मदों पर	229.83	327.54
	(iii) स्वेप परिशोधन खाता	23.10	0.00
	(iv) वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)	32.62	13.04
	(v) विविध	112.80	292.84
	कुल	405.92	643.20
अनुसूची 12:	ब्याज		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) रुपया प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	479.68	583.43
	(ii) एलएएफ परिचालन पर निवल ब्याज	-95.41	10.46
	(iii) एमएसएफ परिचालन पर ब्याज	1.25	1.35
	(iv) ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	7.79	14.98
	उप-योग	393.31	610.22
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों की धारिता पर ब्याज	234.28	278.11
	(ii) रिपो/रिवर्स रिपो लेन-देन पर निवल ब्याज	0.00	-0.04
	(iii) जमाराशियों पर ब्याज	111.12	180.08
	उप-योग	345.40	458.15
	कुल	738.71	1,068.37
अनुसूची 13:	अन्य आय		
	(ए) घरेलू स्रोत		
	(i) विनिमय	0.00	0.00
	(ii) डिस्काउंट	0.00	0.00
	(iii) कमीशन	20.35	22.72
	(iv) प्राप्त किराया	0.05	0.07
	(v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	60.36	0.40
	(vi) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास	-0.08	-0.27
	(vii) रुपया प्रतिभूतियों के प्रीमियम / डिस्काउंट का परिशोधन	31.13	21.45
	(viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से लाभ/हानि	0.01	0.01
	(ix) प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं और विविध आय	3.67	526.18
	उप-योग	115.49	570.56
	(बी) विदेशी स्रोत		
	(i) विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम / डिस्काउंट का परिशोधन	-36.08	-15.31
	(ii) विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और मोचन पर लाभ/हानि	5.36	16.76
	(iii) विदेशी मुद्रा कारोबार से प्राप्त विनिमय लाभ / हानि	-40.67	289.98
	उप-योग	-71.39	291.43
	कुल	44.10	861.99
अनुसूची 14:	एजेंसी प्रभार		
	(i) सरकारी लेन-देन पर एजेंसी कमीशन	37.60	38.17
	(ii) प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हमीदारी कमीशन	1.13	0.74
	(iii) विविध (राहत /बचत बांडों के अभिदान; एसबीएलए आदि के लिए बैंकों को अदा किया गया हैंडलिंग प्रभार और टर्नओवर कमीशन)	0.08	0.02
	(iv) बाहरी आस्त-प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क	0.22	0.17
	कुल	39.03	39.10

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवार्थ

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

दृष्टिकोण

हम, भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'बैंक' कहा गया है) के अधोहस्ताक्षरी लेखा-परीक्षक, इसके द्वारा केंद्र सरकार को 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक का तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' कहा गया है) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और बैंक की लेखा-बहियों में दर्ज महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और निष्पक्ष है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के सभी आवश्यक प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यकलापों की सच्ची और वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जा सके।

दृष्टिकोण का आधार

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों (एसए) के अनुरूप हमने यह लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में उल्लिखित लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक के दायित्व विषय के तहत विस्तृत रूप में दिया गया है। लेखा-परीक्षा की नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार हम संस्था-निरपेक्ष हैं, जो हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा हेतु प्रासंगिक हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसरण में अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे दृष्टिकोण के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और उसके साथ संलग्न लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य सूचनाओं की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। अन्य सूचनाओं में लेखांकन की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करती है और हम किसी भी रूप में किसी निष्कर्ष का आश्वासन नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और इस प्रक्रिया में यह देखें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी तात्विक रूप से असंगत है अथवा लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी सूचनाएँ अथवा अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती हैं। हमने जो कार्य किया है, यदि उसके आधार पर यह पाया जाता है कि इस अन्य जानकारी में दी गई जानकारी तात्विक रूप से गलत है, तो उन तथ्यों को यहाँ रिपोर्ट करना हमारे लिए आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने लायक ऐसी कोई सूचना हमें इस लेखापरीक्षा में नहीं मिली है।

प्रबंधन के दायित्व एवं वित्तीय विवरणों की गवर्नेन्स करने वालों के दायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंध-तंत्र तथा इन विवरणों की गवर्नेन्स करने वाले व्यक्तियों का है और जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों की अपेक्षाओं तथा उसके अंतर्गत बनायी गयी विनियमावली और बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार बैंक के कार्यों की और बैंक के कार्य परिणामों की सही और सटीक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व के तहत डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण बनाए रखना शामिल है जिससे ऐसे वित्तीय विवरण तैयार करना और उनकी प्रस्तुति संभव हो सके जो सत्य और सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों तथा किसी भी प्रकार की तात्विक गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह किसी धोखाधड़ी के इरादे से की गयी हो या त्रुटिवश।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, संस्था के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथालागू, प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था आधार पर करने के लिए संस्था का प्रबंधतंत्र उत्तरदायी होगा जब तक कि प्रबंधतंत्र का इरादा संस्था का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख की जिम्मेदारी उनकी है, जिन्हें इसके गवर्नेन्स का प्रभार दिया गया है।

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा-परीक्षक के दायित्व

इस बारे में हमारा उद्देश्य यथेष्ट रूप से यह आश्वस्त करना है कि वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा इस बारे में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे अलग-अलग अथवा समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

इस लेखापरीक्षा के एक प्रतिभागी रूप में लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम :

- वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिसादी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और यथेष्ट लेखा-परीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, आंतरिक चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखा-परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखा-परीक्षा क्रियापद्धति तैयार की जा सके लेकिन इसका प्रयोग संस्था के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में अभिमत व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्टता तथा प्रबंध-तंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंध-तंत्र द्वारा कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो संस्था की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपने अभिमत में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखा-परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। लेकिन भावी घटनाएँ अथवा स्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कार्यशील संस्था अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।

हम गवर्नेन्स का प्रभार संभालने वालों के साथ विचार-विमर्श करते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की वे महत्वपूर्ण विसंगतियाँ भी शामिल होती हैं, जिनकी शिनाख्त हम लेखा-परीक्षा के दौरान करते हैं।

अन्य मामले

हम सूचित करते हैं कि लेखा-परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक समझी गई जो भी जानकारी और स्पष्टीकरण रिज़र्व बैंक से हमने माँगा, उस समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि इस वित्तीय विवरण में रिज़र्व बैंक की बाईस लेखांकन इकाइयों का लेखा-जोखा शामिल है, जिसकी लेखा-परीक्षा सांविधिक शाखा-लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी और इस बारे में हमने उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

कृते छाजेड़ और दोशी
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.101794 डब्ल्यू)

कृते जी.पी. कपाड़िया ऐन्ड कं.
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.104768 डब्ल्यू)

अरुणा धनेशा
भागीदार
सदस्यता सं.107863

निमेश भिमानी
भागीदार
सदस्यता सं.30547

स्थान : मुंबई

दिनांक : 26 अगस्त, 2019

30 जून 2019 को समाप्त वर्ष के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण

(ए) सामान्य

1.1 अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य "बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना है।"

1.2 बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- ए) बैंक नोटों को जारी करना।
- बी) मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन।
- सी) बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- डी) अंतिम ऋणदाता की भूमिका का निर्वहन।
- ई) भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण।
- एफ) देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अनुरक्षण और प्रबंधन।
- जी) बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करना।
- एच) सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में कार्य करना।
- आई) विदेशी मुद्रा बाजार का विनियमन और विकास करना।
- जे) ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन सहित विकासात्मक कार्य करना।

1.3 अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि बैंक नोटों का निर्गमन बैंक के निर्गम विभाग द्वारा किया जाना चाहिए जो एक अलग विभाग होगा और इसे बैंकिंग विभाग से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए और निर्गम विभाग की आस्तियों में निर्गम विभाग की

देयताओं को छोड़कर अन्य कोई देयताएं शामिल नहीं होंगी। अधिनियम में अपेक्षा की गई है कि निर्गम विभाग की आस्तियों में सोने के सिक्के, स्वर्ण बुलियन, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपया सिक्के और रुपया प्रतिभूतियां शामिल होंगी और इनकी समग्र राशि निर्गम विभाग की कुल देयताओं से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की अपेक्षा है कि निर्गम विभाग की देयताएं यथा समय संचलनगत भारत सरकार के करेंसी नोटों और बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर होंगी।

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 परंपरा

वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 द्वारा निर्धारित फार्म में तैयार किये गये हैं। पुनर्मूल्यन को दर्शाने हेतु किए गए संशोधनों को छोड़कर, ये विवरण पारंपरिक लागत पर आधारित हैं। विवरणों को तैयार करने में अपनायी गयी लेखांकन-नीतियां, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, गत वर्ष के लिए अपनायी गई नीतियों के अनुरूप हैं।

2.2 राजस्व निर्धारण

(ए) दंडात्मक ब्याज जिसकी गणना प्राप्ति सुनिश्चित होने पर ही की जाती है, को छोड़कर, आय और व्यय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है। प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाने के बाद उपचित आधार पर शेरों पर लाभांश आय को निर्धारित किया जाता है।

(बी) देय ड्राफ्ट लेखा, भुगतान आदेश लेखा, फुटकर जमा लेखा- विविध, विप्रेषण समाशोधन लेखा, बयाना जमाराशि लेखा तथा प्रतिभूति जमा लेखा सहित कतिपय अस्थायी लेखों में लगातार तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए गैर-दावाकृत और बकाया शेष का पुनरीक्षण किया जाता है और उसे आय में शामिल किया

जाता है। यदि कोई दावा होता है, तो उस पर विचार किया जाता है और भुगतान के वर्ष में इसे आय में से घटा दिया जाता है।

(सी) विदेशी मुद्रा में आय और व्यय को यथा प्रयोज्य सप्ताह/माह/वर्ष के अंतिम कारोबारी दिवस को लागू विनिमय दरों के आधार पर दर्शाया जाता है।

2.3 स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

स्वर्ण और विदेशी मुद्रा आस्तियों तथा देयताओं के लेनदेन को निपटान तिथि के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ए) स्वर्ण

विदेशों में रखे गए स्वर्ण सहित स्वर्ण का पुनर्मूल्यन निर्धारण माह के अंत में, उस माह के लिए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन द्वारा कोट किए गए औसत स्वर्ण मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य पर किया जाता है। उसके समकक्ष रुपये का निर्धारण उक्त माह के अंतिम कारोबार के दिन लागू विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। अप्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाते (सीजीआरए) में जमा/नामे किया जाता है।

बी) विदेशी मुद्रा आस्तियां और देयताएं

विदेशी मुद्रा की सभी आस्तियां और देयताएं (स्वैप के तहत रेपो के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा और उन संविदाओं जहां दरें संविदागत रूप में निर्धारित होती हैं, को छोड़कर) कारोबार के अंतिम सप्ताह/माह/वर्ष के आखिरी कारोबारी दिवस में प्रचलित विनिमय दरों पर दर्शायी जाती हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं के इस प्रकार के अंतरण से उत्पन्न होने वाले लाभों/हानियों को सीजीआरए में डाला जाता है।

विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण खज़ाना बिलों, कमर्शियल पेपर और कतिपय "परिपक्वता तक धारित" प्रतिभूतियों (जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नोटों तथा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी

(आईआईएफसी), यू.के. द्वारा जारी बांड जिनका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है, में निवेश को छोड़कर, प्रत्येक माह के अंतिम कारोबार के दिन प्रचलित बाजार-मूल्य (एमटीएम) पर किया जाता है। पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरए-एफएस) में दर्ज किया जाता है। आईआरए-एफएस के जमा शेष को बाद के वर्ष में ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए-एफएस के नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि से लिया जाता है और इसे अनुवर्ती लेखा वर्ष के पहले कारोबारी दिवस को आकस्मिकता निधि में वापस जमा कर दिया जाता है।

विदेशी ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पेपर्स को डिस्काउंट/प्रीमियम का परिशोधन करके यथा समायोजित लागत पर रखा जाता है। विदेशी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम अथवा डिस्काउंट का परिशोधन प्रतिदिन किया जाता है। विदेशी मुद्रा आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/हुई हानि को बही मूल्य के संदर्भ में मान्य किया जाता है। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन पर, आईआरए-एफएस में रखी प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यन से हुए लाभ/हानि को आय-खाते में अंतरित किया जाता है।

सी) वायदा / स्वैप संविदाएं

बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का पुनर्मूल्यन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है। जिसमें, बाजार मूल्य पर लाभ को 'विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता' (एफसीवीए) में जमा किया जाता है और इसे वायदा संविदा पुनर्मूल्यन खाता (आरएफसीए) में प्रति-प्रविष्टि के रूप में नामे किया जाता है। बाजार मूल्य पर हानि को एफसीवीए में नामे डाला जाता है इसका प्रति-प्रविष्टि क्रेडिट 'वायदा संविदा मूल्यन खाता' (पीएफसीवीए) में जमा किया जाता है। संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वास्तविक लाभ या हानि को आय विवरण खाते में दर्शाया

जाना अपेक्षित होता है तथा एफसीवीए, आरएफसीए एवं पीएफसीवीए में पहले दर्ज किए गए अप्राप्त लाभ/हानि की प्रतिप्रविष्टि की जाएगी। अर्धवार्षिक पुनर्मूल्यन के समय, उस दिन तक एफसीवीए और आरएफसीए या पीएफसीवीए में मौजूद शेष राशि की प्रतिप्रविष्टि कर दी जाती है और सभी बकाया वायदा संविदाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यन किया जाता है।

30 जून को एफसीवीए में नामे शेष, यदि कोई हो, को आकस्मिक निधि के लिए प्रभारित किया गया है और अगले वर्ष के पहले कार्य दिवस को इसकी प्रतिप्रविष्टि की जाएगी। आरएफसीए और पीएफसीवीए की शेष राशि वायदा संविदाओं के मूल्यन संबंधी क्रमशः लाभ या हानि को दर्शाएगी।

बाजार से भिन्न दरों पर, जो रिपो के रूप में होती हैं, स्वैप किए जाने की स्थिति में भावी संविदा दर तथा संविदा किए जाने की तय दर में अंतर का परिशोधन संविदा की अवधि के दौरान किया जाता है और उसे आय विवरण में दर्ज किया जाता है जिसकी प्रतिपक्षी प्रविष्टियां 'स्वैप परिशोधन खाते' (एसएए) में की जाती हैं। एसएए में दर्ज राशि को अंतर्निहित संविदा की अवधि पूर्ण होने पर वापस कर दिया जाता है। इसके अलावा, इस तरह के स्वैप के माध्यम से प्राप्त राशि का आवधिक पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

एफसीवीए एवं पीएफसीवीए 'अन्य देयताओं' का हिस्सा होते हैं, किंतु आरएफसीए और एसएए 'अन्य आस्तियों' का हिस्सा होते हैं।

2.4 शेयर बाजार में व्यापार किए जाने वाले मुद्रा व्युत्पन्नियों का लेन-देन (ईटीसीडी)

ईटीसीडी लेन-देन का कार्य बैंक द्वारा इसके हस्तक्षेपी कार्य के रूप में किया जाता है जो दैनिक आधार पर बाजार मूल्य पर तय किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज किया जाता है।

2.5 घरेलू निवेश

(ए) रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों, नीचे (डी) में दर्शाई गई प्रतिभूतियों को छोड़कर, का मूल्य माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पुनर्मूल्यन पर हुए लाभ/हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाता -रुपया प्रतिभूति (आईआरए-आरएस) में दर्ज किया जाता है। आईआरए- आरएस में जमा शेष को आगामी लेखा वर्ष के लिए ले जाया जाता है। वर्ष के अंत में आईआरए में नामे शेष, यदि कोई हो, का प्रभार आकस्मिकता निधि पर डाला जाता है और आगामी लेखा वर्ष के प्रथम कार्य दिवस को यह राशि वापस कर दी जाती है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों की बिक्री/मोचन करने पर बेची गई/मोचित रुपया प्रतिभूति/तेल बांडों संबंधी मूल्यन लाभ/हानि जो आईआरए-आरएस में दर्ज है, को आय खाते में अंतरित किया जाता है। रुपया प्रतिभूतियों और तेल बांडों का परिशोधन दैनिक आधार पर किया जाता है।

(बी) खजाना बिलों का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(सी) अनुषंगियों के शेयरों में किए गए निवेश का मूल्य-निर्धारण लागत मूल्य पर किया जाता है।

(डी) तेल बांडों और रुपया प्रतिभूतियां जिन्हें विभिन्न प्रकार की स्टाफ निधियों (यथा अभिदान एवं अधिवर्षिता, भविष्य निधि, छुट्टी का नकदीकरण, चिकित्सा सहायता निधि) और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) के लिए चिह्नित किया गया है उन्हें 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और इन्हें परिशोधित लागत पर धारित किया जाता है।

(ई) घरेलू निवेश के तहत किए गए लेन-देन का लेखांकन निपटान तारीख के आधार पर किया जाता है।

2.6 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), रिपो/रिवर्स रिपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

एलएएफ और एमएसएफ के अंतर्गत रिपो लेन-देन को ऋण माना जाता है और तदनुसार, इनको 'ऋण और अग्रिम' के तहत दर्शाया जा रहा है जबकि एलएएफ के तहत रिवर्स रिपो लेन-देनों को जमा राशियां माना जा रहा है और इन्हें 'जमाराशि-अन्य' के तहत दर्शाया गया है।

2.7 अचल आस्तियां

- (ए) कला तथा पेंटिंग्स जो कि लागत पर रखी जाती है, के अलावा अचल आस्तियों को उनकी लागत में से मूल्यहास को घटाते हुए दर्शाया जाता है।
- (बी) वर्ष (1 जुलाई से 30 जून तक) के दौरान अधिग्रहित तथा पूंजीकृत भूमि तथा भवन के अलावा अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास पूंजीकरण महीने से आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर माना जाएगा और प्रयुक्त आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर निर्धारित दरों के साथ वार्षिक आधार पर प्रभावी होगा।
- (सी) नीचे दी हुई अचल आस्तियों (₹0.10 मिलियन से अधिक की लागत वाली) पर मूल्यहास निम्न तरीके से आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी कटौती द्वारा किया जाता है।

आस्ति श्रेणी	उपयोगी जीवन (मूल्यहास की दर)
बिजली के उपकरण, यूपीएस, मोटर वाहन, फर्नीचर, जुड़नार, सीवीपीएस/एसबीएस मशीनें इत्यादि	5 वर्ष (20 प्रतिशत)
कम्प्यूटर, सर्वर, माइक्रोप्रोसेसर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, ई-बुक रीडर/आई-पैड इत्यादि	3 वर्ष (33.33 प्रतिशत)

- (डी) ₹0.10 मिलियन तक की लागत वाली अचल आस्तियां (आसानी से कहीं ले जाने योग्य इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप / ई-बुक रीडर को छोड़कर) अधिग्रहण के वर्ष में आय पर प्रभारित की जाती हैं। लैपटॉप जैसी आसानी से कहीं ले जाने योग्य ₹10,000 से अधिक लागत वाली इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों को लागू दरों पर पूंजीकृत किया जाता है और मूल्यहास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।
- (ई) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की विशिष्ट मदों, जिनकी लागत ₹0.10 मिलियन या उससे अधिक हो, को पूंजीकृत किया जाता है और उनके मूल्यहास की गणना लागू दरों पर आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर की जाती है।
- (एफ) मूल्यहास का प्रावधान, छमाही की समाप्ति पर मौजूद अचल आस्तियों की शेष राशि पर प्रति माह आनुपातिक

आधार पर किया जाता है। भूमि और भवन को छोड़कर अन्य आस्तियों के बढ़ने या घटने की स्थिति में मूल्यहास मासिक आनुपातिक आधार पर किया जाता है जिसमें इस प्रकार की आस्ति के बढ़ने या कम होने का माह भी शामिल किया जाता है।

(जी) अनुवर्ती व्यय के संबंध में मूल्यहास:

- वर्तमान अचल आस्ति के संबंध में किए जाने वाले उस अनुवर्ती व्यय, जिसका मूल्यहास पूर्णरूप से लेखा बही में नहीं दर्शाया गया हो, के मूल्यहास की गणना मूल आस्ति के शेष उपयोगी जीवन-अवधि के आधार पर की जाती है;
- वर्तमान अचल आस्तियों के आधुनिकीकरण/जोड़े किए जाने/मरम्मत करने पर होने वाले अनुवर्ती व्यय, जिनका मूल्यहास पहले ही लेखा बहियों में पूर्ण रूप से दर्शाया जा चुका हो, को पहले पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद उसका मूल्यहास पूर्णरूप से उस वर्ष किया जाता है जिसमें व्यय किया गया हो।

(एच) भूमि एवं भवन: भूमि एवं भवन के संबंध में लेखांकन सुविधा निम्नानुसार है:

भूमि

- 99 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि के संबंध में यह माना जाता है कि यह सदा के लिए पट्टे के आधार पर ली गई हैं। ऐसे पट्टों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति माना जाता है और तदनुसार इनका परिशोधन नहीं किया जाता है।
- 99 वर्ष तक पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन पट्टा की अवधि के दौरान किया जाता है।
- पूर्ण स्वामित्व आधार पर ली गई भूमि का किसी प्रकार का परिशोधन नहीं किया जाता है।

भवन

- सभी भवनों का जीवन-चक्र तीस वर्ष का माना जाता है और इनके मूल्यहास का प्रभार तीस वर्षों के दौरान

‘स्ट्रेट-लाइन’ आधार पर लगाया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि (जहां पट्टे की अवधि 30 वर्षों से कम है) पर बनाए गए भवनों के संबंध में मूल्यहास का प्रभार भूमि के पट्टे की अवधि के दौरान ‘स्ट्रेट-लाइन’ आधार पर लगाया जाता है।

ii) भवनों की क्षति: क्षति के आंकलन के लिए भवनों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

ए. ऐसे भवन जो प्रयोग में लाए जा रहे हों किंतु भविष्य में ढहाए जाने के लिए चिह्नित हों/जिनको भविष्य में छोड़ दिया जाएगा : ऐसे भवनों की प्रयोग में लाई जा रही कीमत, उसके छोड़े जाने/ढहाए जाने की संभावित तारीख तक की भावी अवधि के लिए समग्र मूल्यहास होगी। बही में दर्ज मूल्य और उक्त प्रकार से परिकलित मूल्यहास के अंतर को मूल्यहास के रूप में प्रभारित किया जाता है।

बी. जिन भवनों को हटाया/छोड़ दिया गया है: ऐसे भवनों को बेच कर मूल्य (निवल बिक्री मूल्य - यदि भविष्य में आस्ति को बेचे जाने की संभावना है) प्राप्त करने योग्य अथवा ढहाए जाने की कीमत को घटा कर स्क्रेप मूल्य (यदि भवन को ढहाया जाना हो) दर्शाया जाता है। यदि यह परिणामी राशि ऋणात्मक हो, तो इस प्रकार के भवनों का रखाव मूल्य ₹1 दर्शाया जाता है। बही में दर्ज मूल्य और बेचकर प्राप्त होने योग्य मूल्य के बीच अंतर (निवल बिक्री मूल्य)/ ढहाए जाने की लागत को स्क्रेप मूल्य से घटाकर शेष राशि को मूल्यहास के रूप में प्रभारित की जाती है।

2.8 कर्मचारी लाभ

दीर्घावधि कर्मचारी लाभों से संबंधित देयता ‘अनुमानित इकाई ऋण’ प्रणाली के अंतर्गत बीमांकिक मूल्य निर्धारण के आधार पर दी जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

XII.8 बैंक की देयताएं

XII.8.1 बैंकिंग विभाग की देयताएं

i) पूंजी

रिज़र्व बैंक की स्थापना निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में 1935 में की गई थी जिसकी प्रारंभिक चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन थी। बैंक को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया और इसके साथ ही उसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास बना रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अनुसार बैंक की चुकता पूंजी ₹0.05 बिलियन बनी हुई है।

ii) आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46 के अनुसार ₹0.05 बिलियन की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिग्रहीत तत्कालीन सरकार की मुद्रा देयताओं के प्रति केंद्र सरकार से अंशदान लेकर किया गया था। उसके पश्चात अक्तूबर 1990 तक स्वर्ण के आवधिक पुनर्मूल्यन से प्राप्त होने वाले ₹64.95 बिलियन की लाभ राशि को इस निधि में जमा किया गया जिससे यह निधि बढ़कर ₹65 बिलियन हो गई। उसके बाद से इस निधि में राशि जमा नहीं की गई है क्योंकि स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा के मूल्यन से होने वाले अप्राप्त लाभ-हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में तब से दर्ज किया जाता रहा है जो कि तुलन-पत्र में ‘अन्य देयताओं’ की मद का एक हिस्सा है।

iii) अन्य आरक्षित निधियां

इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि शामिल हैं।

ए. राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

इस निधि का सृजन जुलाई 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 46सी के अनुसार

₹100 मिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ किया गया था। इस निधि में रिज़र्व बैंक द्वारा पात्र वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वार्षिक अंशदान दिया जाता है। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष ₹10 मिलियन की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार इस निधि की राशि ₹0.28 बिलियन थी।

बी. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि

यह निधि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46डी के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 1989 में स्थापित की गई थी। ₹500 मिलियन की आरंभिक पूंजी को रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले वार्षिक सहयोग के माध्यम से बाद में बढ़ाया गया। वर्ष 1992-93 से, बैंक की आय में से प्रतिवर्ष सिर्फ ₹10 मिलियन की सांकेतिक राशि का ही अंशदान किया जा रहा है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार इस निधि में ₹2.02 बिलियन की शेष राशि थी।

टिप्पणी : अन्य निधियों में अंशदान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ए के तहत दो अन्य निधियों, नामतः राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि की स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में है। इन दोनों निधियों के लिए प्रति वर्ष 10 मिलियन रुपयों की टोकन राशि अलग रखी जाती है, जिसे नाबार्ड को अंतरित किया जाता है।

iv) जमाराशियां

इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक में रखी जाने वाली - बैंकों, केंद्र और राज्य सरकारों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, जैसे, निर्यात-आयात बैंक (एक्विजम बैंक) और नाबार्ड

इत्यादि, विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमा राशि, और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ), रिवर्स रिपो, चिकित्सा सहायता निधि आदि के बदले बकाया जमाराशियां शामिल होती हैं।

कुल जमाराशि में 17.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2018 के ₹6,525.97 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹7,649.22 बिलियन हो गयी।

ए. जमाराशियां - सरकार

रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 और 21 के तहत केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में तथा धारा 21ए के तहत हुए आपसी समझौते के तहत राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। तदनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें रिज़र्व बैंक के पास जमाराशियां रखती हैं। 30 जून 2019 और 30 जून 2018 को केंद्र और राज्य सरकारों की धारित शेषराशियां क्रमशः ₹1.01 बिलियन और ₹0.42 बिलियन थीं।

बी. जमाराशियां - बैंक

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भुगतान और निपटान संबंधी दायित्वों का निर्वाह हेतु कार्यशील पूंजी बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक में धारित चालू खातों में बैंक राशि जमा रखते हैं। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा धारित जमाराशि में 8.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2018 के ₹5,070.95 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹5,494.08 बिलियन हो गयी।

सी. जमाराशियां-अन्य

‘जमाराशियां - अन्य’ में भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासक की जमाराशियां, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) की जमाराशियां, विदेशी केंद्रीय बैंकों,

भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, चिकित्सा सहायता निधि, बकाया रिवर्स रिपो की राशियां आदि शामिल होती हैं। 'जमाराशियां-अन्य' जो कि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹1,453.59 बिलियन थी, इसमें 48.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2019 को ₹2,153.71 बिलियन हो गयी जिसका प्रमुख कारण आरबीआई के पास रिवर्स रिपो जमा में हुई वृद्धि थी।

v) अन्य देयताएं और प्रावधान

'अन्य देयताओं और प्रवाधानों' के प्रमुख घटक प्रावधान और पुनर्मूल्यन शीर्ष हैं। आकस्मिक निधि (सीएफ) और आस्ति विकास निधि (एडीएफ) क्रमशः अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के प्रावधान और सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए अलग से रखी गई राशि और आंतरिक पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं। बाजार मूल्य पर अप्राप्त लाभ/हानि को पुनर्मूल्यन शीर्ष जैसे मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए), निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए), विदेशी और रुपया प्रतिभूतियाँ और विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) में रखा गया है। 'अन्य देयताएं और प्रावधान' की राशि 30 जून 2018 के अनुसार ₹10,463.04 बिलियन थी, इसमें 11.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 30 जून 2019 को ₹11,624.51 बिलियन हो गयी जिसका प्रधान कारण निवेश पुनर्मूल्यन खाते – विदेशी और रुपया प्रतिभूतियाँ और भारत सरकार को अंतरित किए जाने वाले अधिशेष-में हुई वृद्धि थी।

ए. आकस्मिक निधि (सीएफ)

आकस्मिक निधि एक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बैंक द्वारा किए गए प्रावधान को दर्शाती है। इस विशिष्ट प्रावधान में अप्रत्याशित और अनदेखी आकस्मिकताओं से निपटने के साथ प्रतिभूतियों के हुए मूल्यहास, मौद्रिक/विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम, प्रणालीगत जोखिम तथा बैंक को दिए गए विशेष

उत्तरदायित्वों के कारण पैदा होने वाले जोखिम शामिल हैं। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, ₹526.37 बिलियन के अतिरिक्त जोखिम प्रावधान का सीएफ से प्रतिलेखन किया गया।

उपर्युक्त के आधार पर 30 जून 2019 को सीएफ शेष ₹1,963.44 बिलियन बचा जो कि 30 जून 2018 को ₹2,321.08 बिलियन था।

बी. आस्ति विकास निधि (एडीएफ)

आस्ति विकास निधि 1997-98 में बनाई गई और उसकी शेष राशि उस तारीख तक विशेष रूप से अनुषंगियों और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने तथा आंतरिक पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए किए गए प्रावधानों को दर्शाती है। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) और भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएस) में नए निवेश के लिए ₹0.64 बिलियन का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त के आधार पर एडीएफ में शेष 30 जून 2019 को 228.75 बिलियन हो गया जबकि 30 जून 2018 को यह ₹228.11 बिलियन था (सारणी XII.2)।

सी. मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए)

रिज़र्व बैंक के समक्ष आए बाजार जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं- मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और स्वर्ण की कीमतों में उतार-चढ़ाव। विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) एवं स्वर्ण के मूल्यन से संबंधित अप्राप्त लाभ/हानि को आय खाते में दर्ज न करके सीजीआरए में दर्ज किया जाता है। इसीलिए, सीजीआरए में निवल शेष आस्ति आधार के आकार, इसके मूल्यन और विनिमय दरों तथा स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के साथ परिवर्तन होता रहता है। सीजीआरए विनिमय दर / स्वर्ण की कीमतों में घट-बढ़ के लिए एक बफर प्रदान करता है। अगर रुपया अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में महंगा होता

सारणी XII.2 : आकस्मिक निधि (सीएफ) एवं आस्ति विकास निधि (एडीएम) में शेष राशियां

(₹बिलियन)

30 जून की स्थिति के अनुसार	सीएफ में शेषराशि	एडीएम में शेषराशि	कुल	कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सीएफ एवं एडीएम
1	2	3	4=(2+3)	5
2015	2,216.14*	217.61	2,433.75	8.4
2016	2,201.83*	227.61	2,429.44	7.5
2017	2,282.07#	228.11	2,510.18	7.6
2018	2,321.08@	228.11	2,549.19	7.05
2019	1,963.44§	228.75	2,192.19	5.34

* 30 जून 2015 और 30 जून 2016 की स्थिति के अनुसार वायदा संविदा पर हुई एमटीएम हानि को वायदा संविदा मूल्यन खाते के नामे शेष प्रभारित करने के कारण आकस्मिक निधि में गिरावट हुई।

30 जून 2017 की स्थिति के अनुसार ₹65.85 बिलियन की राशि का आईआरएस और एफसीवीए के नामे शेष प्रभारित करने तथा ₹131.40 बिलियन प्रावधान का निवल प्रभाव से आकस्मिक निधि की राशि में वृद्धि हुई।

@ 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹168.74 बिलियन की राशि का आईआरएस-एफएस के नामे शेष प्रभारित करने और ₹141.90 बिलियन प्रावधान का निवल प्रभाव से आकस्मिक निधि में वृद्धि हुई।

§30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार सीएफ में आयी गिरावट ₹526.37 बिलियन के अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन किए जाने के कारण है।

है, या स्वर्ण की कीमतों में गिरावट आती है, तो इस पर दबाव आ सकता है। यदि विनिमय घाटे को पूरा करने के लिए सीजीआरएस पर्याप्त नहीं होता, तो इसकी भरपायी आकस्मिकता निधि से की जाती है। 2018-19 के दौरान, सीजीआरएस शेष में 3.93 प्रतिशत की कमी आयी और यह 30 जून 2018 के ₹6,916.41 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹6644.80 बिलियन हो गया जिसका मुख्य कारण यूएस डालर की तुलना में प्रमुख मुद्राओं का अवमूल्यन था जिसकी आंशिक क्षतिपूर्ति स्वर्ण की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से हुई।

डी. निवेश पुनर्मूल्यन खाता- विदेशी प्रतिभूतियां (आईआरएस-एफएस)

दिनांकित विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों (एमटीएम) के अनुसार किया जाता है और उससे

होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को आईआरएस में अंतरित किया जाता है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार आईआरएस-एफएस का खाता शेष ₹157.35 बिलियन था।

ई. निवेश पुनर्मूल्यन खाता - रुपया प्रतिभूति (आईआरएस-आरएस)

बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में धारित रुपया प्रतिभूतियां और ऑयल बॉन्डों (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के तहत यथा उल्लिखित अपवाद सहित) का मूल्यन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिवस के बाजार मूल्यों के अनुसार किया जाता है और उससे होने वाले अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश आईआरएस-आरएस में दर्ज किया जाता है। आईआरएस-आरएस में शेष राशि 30 जून 2018 के ₹132.85 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹494.76 बिलियन हो गयी क्योंकि इस वर्ष के दौरान रुपया प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में वृद्धि हुई थी और बैंक द्वारा धारित भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफलों में गिरावट आयी थी।

एफ. विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यन खाता (एफसीवीए) और वायदा संविदा मूल्यन खाता (पीएफसीवीए) हेतु प्रावधान

30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया वायदा संविदा का बाजार पर मूल्यन (एमटीएम) करने पर निवल ₹13.04 बिलियन का अप्राप्त लाभ हुआ जिसे एफसीवीए में क्रेडिट करते हुए इसकी प्रतिप्रविष्टि वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए) को डेबिट करके की गयी। वर्तमान नीति के अनुसार, संविदा अवधि पूर्ण होने पर इन खातों में प्रविष्ट राशियों की प्रतिप्रविष्टि की जाती है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, एफसीवीए में शेष ₹13.04 बिलियन था।

पिछले पाँच वर्षों में सीजीआरएस, आईआरएस-विदेशी प्रतिभूतियां, एफसीवीए और पीएफसीवीए में शेष राशि की स्थिति नीचे सारणी XII.3 में दी गई है।

सारणी XII.3: सीजीआरए, एफसीवीए, पीएफसीवीए, आईआरए-एफएस और आईआरए-आरएस में शेष राशियां

(₹ बिलियन)

30 जून की स्थिति	सीजीआरए	एफसीवीए	पीएफसीवीए	आईआरए-एफएस	आईआरए-आरएस
1	2	3	4	5	6
2015	5,591.93	0.00	0.39	32.14	0.00
2016	6,374.78	0.00	14.69	132.66	391.46
2017	5,299.45	0.00	29.63	0.00	570.90
2018	6,916.41	32.62	0.00	0.00	132.85
2019	6,644.80	13.04	0.00	157.35	494.76

जी. देय राशि के लिए किए गए प्रावधान

इस मद के तहत, किए गए खर्च जिसकी अदायगी न की गयी हो और अग्रिम के रूप में प्राप्त/देय राशि के रूप में प्राप्त आय, यदि कोई हो, के लिए वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाया जाता है। देय राशियों के लिए किया गया प्रावधान 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹27.88 बिलियन था, जो 18.19 प्रतिशत घटकर 30 जून 2019 में ₹22.81 बिलियन रह गया।

एच. भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य अधिशेष

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अंतर्गत, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यहास, स्टाफ और अधिवर्षिता निधि में अंशदान और उन सभी मामलों के लिए जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अंतर्गत प्रावधान किए जाने हैं या जो बैंकर्स द्वारा प्रायः प्रदान किए जाते हैं, हेतु प्रावधान करने के बाद बैंक के लाभ की शेष राशि को केंद्र सरकार को भुगतान करना अपेक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के अंतर्गत बैंक को किसी प्रकार के आयकर अथवा अपनी आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर किसी प्रकार के अधिकार का भुगतान नहीं करना है। तदनुसार, व्यय समायोजित करने के बाद वर्ष सीएफ और एडीएफ के लिए प्रावधान तथा चार सांविधिक निधियों के प्रति ₹0.04 बिलियन अंशदान के बाद 2018-19

के लिए भारत सरकार को अंतरित किए जाने योग्य कुल राशि ₹1,759.87 बिलियन है (इसमें पिछले वर्ष के ₹8.49 बिलियन की तुलना में ₹7.16 बिलियन शामिल है जो विशेष प्रतिभूतियों को बिक्री योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने पर सरकार द्वारा वहन किए गए ब्याज व्यय-अंतर के रूप में देय है)। वर्ष के दौरान ₹1,759.87 बिलियन में से ₹280 बिलियन की राशि केंद्र सरकार को अंतरित की गयी।

आई. देय बिल

रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को मांग ड्राफ्टों (डीडी) और भुगतान आदेशों (पीओ) (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अतिरिक्त) के जरिए विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराता है। इस मद के तहत शेष बिना दावे के डीडी/पीओ दर्शाता है। इस मद के तहत बकाया कुल राशि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹0.05 बिलियन से बढ़कर 30 जून 2019 को ₹0.08 बिलियन हो गयी।

जे. विविध

यह अवशिष्ट मद है जिसमें निश्चित प्रतिभूतियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण के कारण देय राशियां, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, वैश्विक प्रावधान आदि मदें शामिल हैं। इस मद के तहत शेष राशि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹128.91 बिलियन थी जो बढ़कर 30 जून 2019 को ₹133.51 बिलियन हो गयी।

XII.8.2 निर्गम विभाग की देयताएं - जारी किए गए नोट

- i. निर्गम विभाग की देयताओं से संचलनगत करेंसी नोटों की मात्रा का पता चलता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 34 (1) में अपेक्षा की गई है कि 1 अप्रैल, 1935 से रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सभी बैंक नोटों तथा रिज़र्व बैंक का संचालन प्रारम्भ होने से पहले भारत सरकार द्वारा जारी करेंसी नोटों को निर्गम विभाग की

देयताओं में शामिल किया जाना चाहिए। जारी किए गए नोटों संख्या 13.43 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2018 के ₹19,119.60 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹21,687.97 बिलियन हो गयी। यह वृद्धि जनसाधारण की लेन-देन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त संख्या में बैंक नोट उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनवरत किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप हुई थी।

साथ ही, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के मूल्य को दर्शाने वाली ₹107.20 बिलियन की राशि, जिसका 30 जून 2018 तक भुगतान नहीं किया गया था, उसे 'अन्य देयताएँ तथा प्रावधान' में अंतरित कर दिया गया। 12 मई 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹0.13 बिलियन राशि के विनिमय मूल्य की अदायगी पात्र नोट प्रस्तुतकर्ताओं को की।

XII.9 रिज़र्व बैंक की आस्तियां

XII.9.1 बैंकिंग विभाग की आस्तियां

i) नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के

इस मद के तहत रिज़र्व बैंक बैंकिंग कार्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग विभाग के वाल्ट में रखे बैंक नोटों, एक रुपया के नोटों, 1, 2, 5 और 10 रुपयों के रुपया सिक्कों तथा छोटे सिक्कों की राशि है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार शेष राशि ₹0.09 बिलियन थी जो 30 जून 2018 की शेष राशि के बराबर थी।

ii) स्वर्ण सिक्के और बुलियन

रिज़र्व बैंक के पास 30 जून 2018 के 566.23 मीट्रिक टन की तुलना में 30 जून 2019 को 618.16 मीट्रिक टन स्वर्ण है। यह वृद्धि वर्ष के दौरान 51.93 मीट्रिक टन अतिरिक्त स्वर्ण शामिल करने के कारण है।

30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार उक्त 618.16 मीट्रिक टन में से 292.30 मीट्रिक स्वर्ण जारी किए गए नोटों के समर्थन में धारित किया जाता है और उसे निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। 30 जून 2018 के शेष 273.93 मीट्रिक टन

की तुलना में 30 जून 2019 को धारित 325.86 मीट्रिक टन स्वर्ण बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में माना जाता है (सारणी XI.6)। बैंकिंग विभाग के पास धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2018 के ₹696.74 बिलियन से 26.73 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹882.98 बिलियन हो गया, इसका प्राथमिक कारण वर्ष के दौरान 51.93 मीट्रिक टन सोने के जुड़ने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत का बढ़ना रहा है।

iii) खरीदे और भुनाए गए बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बिलों की खरीद तथा उनको भुनाने का कार्य कर सकता है किन्तु 2018-19 में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक की बही में इस प्रकार की कोई भी आस्ति उपलब्ध नहीं है।

iv) निवेश – विदेशी बैंकिंग विभाग (बीडी)

रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफ़सीए) में (i) अन्य केंद्रीय बैंकों में जमाराशियाँ (ii) अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) में जमाराशियाँ (iii) वाणिज्य बैंकों की विदेशी शाखाओं में जमाराशियाँ (iv) विदेशी खजाना बिलों और प्रतिभूतियों में निवेश तथा (v) भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) शामिल हैं।

एफ़सीए को तुलन-पत्र में दो शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया है: (क) 'निवेश-विदेश-बीडी' जिसे बैंकिंग विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है तथा (ख) 'निवेश-विदेश-आईडी' जिसे निर्गम विभाग की आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

'निवेश-विदेशी-आईडी' भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (6) के अनुसार पात्र एफ़सीए है जो जारी नोटों को सहारा देने के लिए उपयोग की जाती है। विदेशी मुद्रा आस्तियों के शेष से 'निवेश-विदेशी-बीडी' तैयार होता है।

पिछले दो वर्षों से संबंधित रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों की स्थिति सारणी XII.4 में दी गई है।

सारणी XII.4: विदेशी मुद्रा आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

विवरण	30 जून की स्थिति	
	2018	2019
1	2	3
I निवेश-विदेश-आईडी	18,366.85	20,887.65
II निवेश- विदेश-बीडी*	7,983.89	6,964.53
कुल	26,350.74	27,852.18

*: इसमें बीआईएस और स्विफ्ट के शेयर और 30 जून 2018 के ₹104.79 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹103.21 पर मूल्यांकित भारत सरकार से अंतरित एसडीआर शामिल है।

टिप्पणी :

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईएमएफ की उधार के लिए नई व्यवस्था (एनएबी) के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराने पर सहमत दी है। वर्तमान में एनएबी के तहत भारत की प्रतिबद्धता 4.44 बिलियन एसडीआर(₹425.48 बिलियन/यूएस\$ 6.17 बिलियन) बैठती है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार एनएबी के तहत एसडीआर 0.29 बिलियन (₹27.85 बिलियन/यूएस\$.0.40 बिलियन) राशि का निवेश किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में राशि, जो कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर (₹344.59 बिलियन) से अधिक नहीं होगी, के निवेश के लिए सहमत हो गया है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे बांडों में यूएस\$ 1.86 बिलियन (₹128.39 बिलियन) का निवेश किया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आईएमएफ के साथ किए गए नोट खरीद करार, 2016 के अनुसार, रिज़र्व बैंक यूएस\$ 10 बिलियन (₹689.18 बिलियन) के समतुल्य राशि हेतु एसडीआर में अंकित आईएमएफ नोट्स की खरीद करेगा।
- वर्ष 2013-14 के दौरान रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ जिसके अनुसार चरणबद्ध तरीके से एसडीआर का अंतरण भारत सरकार से रिज़र्व बैंक में किया जाएगा। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पास एसडीआर 1.05 बिलियन (₹100.36 बिलियन यूएस\$ 1.46 बिलियन) की धारिता थी।
- रिज़र्व बैंक ने सार्क स्वैप करार के तहत सार्क सदस्य देशों के क्षेत्रीय आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग सुदृढ़ करने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में मिलाकर यूएस \$2 बिलियन की राशि की पेशकश करने पर सहमति दर्शाई है। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार भूटान के साथ यूएस \$ 0.1 बिलियन; (₹6.89 बिलियन) बकाया स्वैप है।

v) निवेश- घरेलू - बैंकिंग विभाग (बीडी)

निवेश में दिनांकित सरकारी रूपया प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल और विशेष ऑयल बॉन्ड शामिल हैं। 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास कोई घरेलू ट्रेजरी बिल धारित नहीं थे। रिज़र्व बैंक द्वारा धारित घरेलू प्रतिभूतियाँ जो कि 30 जून 2018 को ₹6,297.45 बिलियन थी वे 57.19 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹9,898.77 बिलियन हो गई। यह वृद्धि 3,311.12 बिलियन (अंकित मूल्य) की सरकारी प्रतिभूतियों की निवल खरीद के

माध्यम से किए गए चलनिधि प्रबंधन परिचालनों के कारण हुई थी।

'निवेश-घरेलू-बीडी' के एक भाग को पैरा 2.5 (डी) में वर्णित के अनुसार बहुत सी स्टाफ निधियों तथा डीईए निधि के लिए भी रखा गया है। 30 जून 2019 के अनुसार ₹565.50 बिलियन (अंकित मूल्य) को एक साथ लिए गए स्टाफ निधि तथा डीईए निधि के लिए रखा गया है।

vi) ऋण और अग्रिम

ए) केंद्र और राज्य सरकारें

ये ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अनुसार अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) के रूप में प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार के मामले में सीमाएं भारत सरकार से विचार-विमर्श करके समय-समय पर तय की जाती हैं। राज्य सरकारों के मामले में सीमाएं, इस प्रयोजन हेतु गठित सलाहकार समिति/ समूह की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती हैं। केंद्र सरकार का ऋण और अग्रिम 30 जून 2018 के ₹554.35 बिलियन से घटकर 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹265.31 बिलियन हो गया। जबकि राज्य सरकारों के ऋण और अग्रिम 30 जून 2018 के ₹14.93 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को ₹26.66 बिलियन हो गए।

बी) वाणिज्यिक, सहकारी बैंकों, नाबार्ड और अन्य को ऋण और अग्रिम

- वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम :

इसमें मुख्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रेपो के प्रति बकाया राशि शामिल हैं। बकाया राशि 30 जून 2018 की ₹1,006.90 बिलियन से घटकर 30 जून

2019 को ₹572 बिलियन हो गई, इसका मुख्य कारण बैंकों के लिए रेपो के एवज में बकाया राशि में कमी रही।

- **नाबार्ड को ऋण और अग्रिम :** रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17(4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण प्रदान कर सकता है। 30 जून 2018 और 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार कोई ऋण बकाया नहीं है।

- **अन्य को ऋण और अग्रिम :**

इस मद के तहत शेष में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को दिए गए ऋण और अग्रिम, प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उपलब्ध कराई गई चलनिधि सहायता तथा प्राथमिक व्यापारियों के साथ संचालित बकाया रेपो/मीयादी रेपो शामिल रहते हैं। इस मद के अंतर्गत शेष राशि 30 जून 2018 की ₹62.37 बिलियन से 8.87 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹67.90 बिलियन हो गई, जिसका प्रमुख कारण पीडी के लिए रिपो के एवज में बकाया राशि का बढ़ना था।

vii) सहयोगी संस्थाओं/ एसोशिएट में निवेश

30 जून 2018 और 30 जून 2019 के अनुसार सहयोगी/ सहायक संस्थाओं में किए गए निवेश की तुलनात्मक जानकारी सारणी XII.5 में दी गई है। दिनांक 30 जून 2018 के ₹33.70 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को कुल धारिता 19.64 बिलियन थी। इस निवल कमी का कारण निम्नलिखित हैं:

- ए) **वर्ष के दौरान किए गए नए निवेश :** वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) में ₹0.30 बिलियन और

सारणी XI.5: सहयोगी संस्थाओं / एसोशिएट में धारिता

(₹ बिलियन)

अनुषंगी/सहायक संस्थाएं	2017-18	2018-19	30 जून 2019 तक प्रतिशत धारिता
	1	2	3
ए) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)	0.50	0.50	100
बी) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	14.50	0.00	-
सी) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	0.20	0.00	-
डी) भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्रा. लि. (बीआरबीएनएमपीएल)	18.00	18.00	100
ई) भारतीय रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (पी) लि. (आरईबीआईटी)	0.50	0.50	100
एफ) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)	0.00	0.30	30
जी) भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएएस)	0.00	0.34	100
कुल	33.70	19.64	

भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएँ (आईएफटीएएस) में ₹0.34 बिलियन का निवेश क्रमशः 30 प्रतिशत और 100 प्रतिशत शेयरधारिता के लिए किया है।

- बी) **वर्ष के दौरान विनिवेश :** इसके अलावा, वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में किए गए संशोधन और नाबार्ड संशोधन अधिनियम, 2018 के अनुसार रिज़र्व बैंक की एनएचबी (100 प्रतिशत) और नाबार्ड (0.40 प्रतिशत) में कुल शेयरधारिता जो क्रमशः ₹14.50 बिलियन और ₹0.20 बिलियन के समतुल्य थी, उसे भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

viii) अन्य आस्तियां

‘अन्य आस्तियों’ में अचल आस्तियां (मूल्यहास का निवल), उपचित आय, धारित शेष (i) स्वैप परिशोधन

खाता (एसएए), (ii) वायदा संविदा खाते का पुनर्मूल्यांकन (आरएफसीए) तथा विविध आस्तियां होती हैं। विविध आस्तियों में मुख्य रूप से स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम, अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय, अदा की गई प्रतिभूति जमाराशि, केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित अन्तरिम राशि आदि होती हैं। अन्य आस्तियों के तहत बके राशि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹405.92 बिलियन थी जो 58.45 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹643.20 बिलियन हो गयी, जिसका प्रमुख कारण वर्ष के दौरान केंद्र सरकार को किया गया अंतरिम अंतरण है।

ए. स्वैप परिशोधन खाता (एसएए)

स्वैप के मामले में, जिसकी दरें बाजार की दरों से कम हैं और उसका स्वरूप रेपो जैसा है, वायदा संविदा दर को उस दर से, जिसके आधार पर संविदा किया गया है, घटाकर संविदा की संपूर्ण अवधि में परिशोधित किया जाता है और इसे स्वैप परिशोधन खाते (एसएए) में धारण किया गया है। इस खाते में धारित राशियों को बकाया संविदाएं परिपक्व हो जाने पर रिवर्स किया जाना है। 30 जून 2019 तक कोई भी बकाया संविदाएँ नहीं हैं। एसएए में 30 जून 2018 की ₹23.10 बिलियन की तुलना में 30 जून 2019 को कोई भी राशि बकाया नहीं है।

बी) वायदा संविदा खाता पुनर्मूल्यन (आरएफसीए)

मौजूदा नीति के अनुसार वायदा संविदाओं को बाजार भाव पर अर्धवार्षिक आधार पर दर्शाया जाता है और इससे हुए निवल लाभ को एफसीवीए में दर्ज करना होता है और उसकी प्रति-प्रविष्टि (कान्ट्रा एंट्री) आरएफसीए में की जाती है। आरएफसीए में 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार शेष ₹32.62 बिलियन था और 30 जुलाई 2019 की स्थिति के अनुसार यह 13.04 बिलियन हो गया। यह शेष बकाया वायदा संविदाओं पर हुए लाभ को बाजार भाव पर दर्शाता है।

XII.9.2 निर्गम विभाग की आस्तियां

जारी किए गए नोटों को सहारा प्रदान करने के लिए निर्गम विभाग द्वारा धारित पात्र आस्तियों में स्वर्ण सिक्के और बुलियन, रुपया सिक्का, निवेश - विदेशी आईडी, भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां तथा देशी विनिमय पत्र शामिल किए जाते हैं। रिज़र्व बैंक के पास 618.16 मीट्रिक टन स्वर्ण है जिसमें से 292.30 मीट्रिक टन भारत में 30 जून 2019 के स्थिति के अनुसार जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए रखा गया है (सारणी XII.6)। जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित स्वर्ण का मूल्य 30 जून 2018 को ₹743.49 बिलियन था, जो 6.53 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹792.04 बिलियन हो गया। जारी किए गए नोटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, जारी किए गए नोटों को सहारा देने के लिए धारित 'निवेश-विदेशी-आईडी' 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹18,366.85 बिलियन थी, जो 13.72 प्रतिशत बढ़कर 30 जून 2019 को ₹20,887.65 बिलियन हो गई। निर्गम विभाग द्वारा धारित 'रुपया सिक्कों' की शेष राशि 30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार ₹9.26 बिलियन थी, जो 10.58 प्रतिशत घटकर 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार ₹8.28 बिलियन हो गई।

विदेशी मुद्रा भंडार

XII.10 विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) में स्वर्ण के अलावा मुख्य रूप से एफसीए, एसडीआर एवं रिज़र्व ट्रान्च स्थिति (आरटीपी) शामिल है। विशेष आहरण अधिकार, (भारत सरकार से प्राप्त राशि के अलावा और निवेश-विदेशी-बीडी में शामिल) रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का हिस्सा नहीं होते हैं। इसी प्रकार, रिज़र्व ट्रान्च स्थिति आईएमएफ में बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में अंशदान के

सारणी XII.6: स्वर्ण की वास्तविक धारिता

	30 जून, 2018 के अनुसार मात्रा मेट्रिक टन में	30 जून, 2019 के अनुसार मात्रा मेट्रिक टन में
1	2	3
जारी किए गए नोटों को सहारा देने हेतु (धारित स्वर्ण (भारत में धारित)	292.30	292.30
बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में (धारित स्वर्ण (विदेश में धारित)	273.93	325.86
कुल	566.23	618.16

2018-19 के लिए रिज़र्व बैंक का लेखा

सारणी XII.7 (ए): विदेशी मुद्रा भंडार

(बिलियन ₹)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2018	2019	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां ((एफसीए	26,098.07*	27,616.45*	1,518.38	5.82
स्वर्ण	1,440.23 ^०	1,675.02*	234.79	16.30
विशेष आहरण (अधिकार (एसडीआर	101.92	100.36	(-) 1.56	(-) 1.53
आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति	170.40	231.69	61.29	35.97
विदेशी मुद्रा भंडार ((एफआईआर	27,810.62	29,623.52	1,812.90	6.52

^: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक की एसडीआर धारिताएं जो ₹101.92 बिलियन के समतुल्य हैं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, और (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹144.01 बिलियन का निवेश और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध करायी गयी करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को ₹6.74 बिलियन का उधार।

#: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की ₹100.36 बिलियन की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में ₹128.39 बिलियन का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को दिए गए ₹6.98 बिलियन उधार।

@: इसमें से ₹743.49 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹696.4 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

*: इसमें से ₹792.04 बिलियन कीमत के स्वर्ण को निर्गम विभाग की आस्ति के रूप में और ₹882.98 बिलियन कीमत के स्वर्ण को बैंकिंग विभाग की आस्ति के रूप में रखा गया है।

सारणी XII.7 (बी): विदेशी मुद्रा भंडार

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

घटक	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2018	2019	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां ((एफसीए	380.77*	400.71**	19.94	5.24
स्वर्ण	21.00	24.30	3.30	15.71
विशेष आहरण अधिकार ((एसडीआर	1.49	1.46	(-) 0.03	(-) 2.01
आईएमएफ में रिज़र्व की स्थिति	2.48	3.36	0.88	35.48
विदेशी मुद्रा भंडार ((एफआईआर	405.74	429.83	24.09	5.94

*: निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की 1.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में 2.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश। और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य 2.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।

** : निम्नलिखित को छोड़कर (ए) रिज़र्व बैंक के पास की 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसडीआर की धारिताएं, जिसे एसडीआर धारिताओं में शामिल किया गया है, (बी) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी बॉण्डों में 1.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश, और (सी) सार्क देशों के लिए उपलब्ध कराएं गई करेंसी स्वैप व्यवस्था के तहत भूटान को रुपये में दी गई करेंसी के समतुल्य 0.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार।

रूप में है और वह बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। 30 जून 2018 एवं 30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के लिए मूल्यमान मुद्रा है, के रूप में निम्नानुसार (सारणी XII.7 (ए) एवं (बी) है।

आय और व्यय का विश्लेषण

आय

XII.11 रिज़र्व बैंक की आय के मुख्य घटकों में 'ब्याज से होने वाली प्राप्तियां', जो आय का प्रमुख भाग है तथा 'अन्य आय' हैं, जिनमें (i) डिस्काउंट (ii) विनिमय- घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से, (iii) कमीशन, (iv) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों से मिलने वाले प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन (v) विदेशी और रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं विमोचन से हुआ लाभ/हानि (vi)

रुपया प्रतिभूतियां अंतर पोर्टफोलियों हस्तांतरण पर मूल्यहास (vii) प्राप्त किराया, (viii) बैंक की संपत्ति की बिक्री से हुआ लाभ अथवा हानि, एवं (ix) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय शामिल हैं। वर्ष के दौरान विनिमय लाभ/हानि की गणना भारत औसत लागत पध्ति का प्रयोग करते हुए किया गया जिसका प्रभाव ₹214.64 बिलियन के रूप में देखा गया है। आय की कतिपय मदें, जैसे, एलएफ रेपो से प्राप्त ब्याज, विदेशी प्रतिभूति में रेपो और विनिमय लाभ निवल आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं।

विदेशी स्रोतों से आय

XII.12 विदेशी स्रोतों से होने वाली आय 2017-18 में ₹274.01 बिलियन थी, जो 173.56 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹749.58 बिलियन हो गई, जो मुख्यता सभी मुद्राओं में प्रतिलाभ / ब्याज दरों में सामान्य बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण हुए। इसलिए, विदेशी

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी XII.8: विदेशी स्रोतों से आय

(बिलियन ₹)

मद	30 जून के अनुसार		घट-बढ़	
	2017-18	2018-19	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए)	26,350.74	27,852.18	1,501.44	5.70
औसत एफसीए	25,170.70	26,896.92	1,726.22	6.86
एफसीए से अर्जन (ब्याज, डिस्काउंट, विनिमय लाभ/हानि, प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ / हानि)	274.01	749.58	475.57	173.56
औसत एफसीए के प्रतिशत के रूप में एफसीए से अर्जन	1.09	2.79	1.70	155.96

मुद्रा आस्तियों से होने वाली आय की दर 2017-18 की 1.09 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 2.79 प्रतिशत उच्चतर थी।

घरेलू स्रोतों से आय

XII.13 घरेलू स्रोतों से होने वाली आय 2017-18 में ₹508.80 बिलियन थी, जो 132.07 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹1,180.78 बिलियन हो गई, जो मुख्य रूप से (क)

रुपया प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी के कारण कूपन आय में बढ़ोतरी (ख) बैंकिंग प्रणाली में निवल चलनिधि डालने में बढ़ोतरी के कारण एलएएफ / एमएसएफ परिचालनों के तहत ब्याज से निवल आय में बढ़ोतरी और (ग) आकस्मिकता निधि से अतिरिक्त जोखिम प्रावधानों को राइट बैक की वजह से हुआ (सारणी XII.9)।

सारणी XII.9: घरेलू स्रोतों से आय

(₹ बिलियन में)

मद	2017-18	2018-19	घट-बढ़	
			समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
अर्जन (I+II+III)	508.80	1,180.78	671.98	132.07
I. रुपया प्रतिभूतियों से अर्जन				
i) रुपया प्रतिभूतियों और तेल बॉण्ड की धारिता पर ब्याज	479.68	583.43	103.75	21.63
ii) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री एवं मोचन पर लाभ	60.36	0.40	-59.96	-99.34
iii) रुपया प्रतिभूतियों के अंतर पोर्टफोलियो अंतरण पर मूल्यहास	-0.08	-0.27	-0.19	237.50
iv) रुपया प्रतिभूतियों और तेल बॉण्ड पर प्रीमियम/डिस्काउंट का परिशोधन	31.13	21.45	-9.68	-31.10
v) एलएएफ परिचालनों पर निवल ब्याज	-95.41	10.46	105.87	110.96
vi) एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज	1.25	1.35	0.10	8.00
उप जोड़ (i+ii+iii+iv+v+vi)	476.93	616.82	139.89	29.33
II. ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज				
i) सरकार (केन्द्र और राज्य)	5.86	12.85	6.99	119.28
ii) बैंक और वित्तीय संस्थाएं	1.35	1.47	0.12	8.89
iii) कर्मचारी	0.58	0.66	0.08	13.79
उप जोड़ (i+ii+iii)	7.79	14.98	7.19	92.30
III. अन्य अर्जन				
i) बट्टा	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) विनिमय	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) कमीशन	20.35	22.72	2.37	11.65
iv) वसूला गया किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध	3.73	526.26	522.53	14,008.85
उप जोड़ (i+ii+iii+iv)	24.08	548.98	524.90	2179.82

XII.14 रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को धारण करने से होने वाला ब्याज 2017-18 में ₹479.68 बिलियन था, जो 21.63 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹583.43 बिलियन हो गया। जो कि 2018-19 में रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता में ₹3,311.12 बिलियन की निवल खरीद से हुई बढ़ोतरी के कारण हुआ।

XII.15 चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) / सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) परिचालनों से होने वाली निवल ब्याज आय 2017-18 में (-)₹94.16 बिलियन थी, जो 2018-19 में बढ़कर ₹11.81 बिलियन हो गई, जिसका कारण बैंकिंग प्रणाली में निवल चलनिधि में बढ़ोतरी करना था।

XII.16 रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और शोधन पर होने वाला लाभ 2017-18 के ₹60.36 बिलियन से घटकर 2018-19 में ₹0.40 बिलियन हो गया जो 2018-19 में ₹0.60 बिलियन (अंकित मूल्य) की रुपया प्रतिभूतियों की कम बिक्री के कारण रहा, जबकि इसकी तुलना में 2017-18 में ₹900.00 बिलियन (अंकित मूल्य) की बिक्री हुई थी।

XII.17 घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन से प्राप्त होने वाला प्रीमियम/डिस्काउंट: बैंक द्वारा धारित रुपया प्रतिभूतियों और ऑयल बॉन्डों को अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के दौरान दैनिक आधार पर परिशोधित किया जाता है और प्रीमियम/ डिस्काउंट को आय शीर्ष में जमा किया जाता है। घरेलू प्रतिभूतियों के परिशोधन पर प्रीमियम/डिस्काउंट से होने वाली निवल आय 2017-18 में ₹31.13 बिलियन थी जो 31.10 प्रतिशत घटकर 2018-19 में ₹21.45 बिलियन हो गई।

XII.18 ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज

ए. केंद्र और राज्य सरकार :

केंद्र और राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट (ओडी) पर ब्याज से प्राप्त होने वाली आय 2018-19 के दौरान ₹5.86 बिलियन थी, जो 2018-19 में 119.28 प्रतिशत बढ़कर ₹12.85 बिलियन हो गई। केंद्र से अर्थोपाय अग्रिमों / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज से होने वाली आय 2017-18 के दौरान ₹4.34 बिलियन थी, जो 2018-19 में बढ़कर ₹10.65 बिलियन हो गई और

राज्यों से अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) पर ब्याज से होने वाली आय 2017-18 के दौरान ₹1.52 बिलियन थी, जो 2018-19 में बढ़कर ₹2.20 बिलियन हो गई। यह बढ़ा हुआ अर्जन 2018-19 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी सुविधा का उच्चतर प्रयोग करने के कारण रहा।

बी. बैंक और वित्तीय संस्थाएं :

बैंक और वित्तीय संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2017-18 में ₹1.35 बिलियन था, जो 2018-19 में 8.89 प्रतिशत बढ़कर ₹1.47 बिलियन हो गया।

सी. कर्मचारी :

कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त ब्याज 2017-18 में ₹0.58 बिलियन था, जो 2018-19 में 13.79 प्रतिशत बढ़कर ₹0.66 बिलियन हो गया।

XII.19 कमीशन: कमीशन आय 2017-18 में ₹20.35 बिलियन थी, जो 2018-19 में 11.65 प्रतिशत बढ़कर ₹22.72 बिलियन हो गई, जिसकी प्रमुख वजह बचत बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, खजाना बिलों और नकदी प्रबंधन बिलों सहित केंद्र और राज्य सरकार ऋणों की बकाया के लिए प्राप्त मैनेजमेंट कमीशन में बढ़ोतरी रही।

XII.20 प्राप्त किराया, बैंक की संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ या हानि, प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय: आय की उपर्युक्त मदों से अर्जन 2017-18 में ₹3.73 बिलियन था, जो 2018-19 में बढ़कर ₹526.26 बिलियन हो गया, जो कि इन 'प्रावधानों की और जरूरत नहीं' को अग्रलिखित से होने वाले जोखिम प्रावधान के अतिरेक को प्रतिलेखन करने के कारण हुआ।

व्यय

XII.21 रिज़र्व बैंक अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने में अनेक प्रकार के व्यय करता है जैसे, एजेंसी प्रभार/कमीशन, नोटों का मुद्रण, खजाने के विप्रेषण पर व्यय और साथ ही स्टाफ संबंधी एवं अन्य व्यय। बैंक का कुल व्यय 2017-18 में

सारणी XII.10: व्यय

(₹ बिलियन में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
i. ब्याज भुगतान	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ii. कर्मचारी लागत	40.58	44.77	46.21	38.48	68.51
iii. एजेंसी प्रभार/कमीशन	30.45	47.56	40.52	39.03	39.10
iv. नोटों का मुद्रण	37.62	34.21	79.65	49.12	48.11
v. प्रावधान	10.00	10.00	131.90	141.90	0.64
vi. अन्य	14.90	13.35	13.26	14.23	14.08
कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	133.56	149.90	311.55	282.77	170.45

₹282.77 बिलियन के मुकाबले 2018-19 में 39.72 प्रतिशत की गिरावट के कारण ₹170.45 बिलियन रहा (सारणी XII.10)।

i) ब्याज भुगतान

वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज के रूप में ₹0.01 बिलियन डॉ. बी.आर. अंबेडकर निधि (जिसकी स्थापना स्टाफ के संतानों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए की गई है) एवं कर्मचारी हितकारी निधि में जमा किया गया।

ii) कर्मचारी लागत

कर्मचारी लागत 2017-18 में ₹38.48 बिलियन थी, जो 2018-19 में 78.04 प्रतिशत बढ़कर ₹68.51 बिलियन हो गई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से वर्ष 2018-19 में विभिन्न अधिवर्षिता निधियों की संचित देयताओं के लिए बैंक के व्यय में बढ़ोतरी के कारण रही जो 2017-18 के ₹6.48 बिलियन से बढ़कर 2018-19 में ₹36.10 बिलियन हो गया। अधिवर्षिता निधियों में योगदान इन निधियों के तहत देयताओं के बीमांकक मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

iii) एजेंसी प्रभार/कमीशन

ए. सरकारी लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन

रिजर्व बैंक, एजेंसी बैंक शाखाओं के बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से सरकार के बैंक के रूप में

कार्य करता है। ये शाखाएं सरकारी लेनदेनों के लिए खुदरा आउटलेट के रूप में कार्य करती हैं। रिजर्व बैंक एजेंसी बैंकों को निर्धारित दरों पर कमीशन अदा करता है जिसे पिछली बार 01 जुलाई 2012 से संशोधित किया गया था। सरकारी कारोबार के लिए इन बैंकों को अदा किया गया एजेंसी प्रभार 2017-18 में ₹37.60 बिलियन था, जो 2018-19 में 1.52 प्रतिशत बढ़कर ₹38.17 बिलियन हो गया। अंतर्निहित सरकारी लेनदेन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के कारण ₹0.57 बिलियन की यह मामूली बढ़ोतरी रही। लेकिन एजेंसी कमीशन में व्यय के एक भाग का समंजन करने से हुई यह बचत ई-कुबेर इंटीग्रेशन के माध्यम से लेनदेन प्रक्रिया के करा रही।

बी. प्राथमिक व्यापारियों को अदा किया गया हामीदारी कमीशन

रिजर्व बैंक द्वारा 2018-19 के दौरान कुल हामीदारी कमीशन के रूप में ₹0.74 बिलियन का भुगतान किया गया, जबकि 2016-17 में ₹1.13 बिलियन का भुगतान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जी-सेक उधार कार्यक्रम में वृद्धि होने के बावजूद मुद्रा में अस्थिरता, चलनिधि में कमी की घटनाएँ, कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें तथा एस.एल.आर. में कटौती, हामीदारी कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में कम था। इन कारकों द्वारा प्रतिफल पर संभवतः पड़ने वाले ऊर्ध्वगामी दबाव को स्थिर बाजार की केंद्र सरकार की अपेक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई निवल रिपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती, डॉलर स्वैप तथा ओएमओ के माध्यम से चलनिधि का अंतर्वेशन, बॉण्डों में वैश्विक उछाल, फेडरल रिजर्व तथा ईसीबी दोनों से अपेक्षाकृत डोविष संकेत तथा समग्र रूप से नियंत्रित मुद्रास्फीति जैसे कारकों का प्रभाव पर्याप्त रूप से अधिक रहा। जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान प्रतिफल की मात्रा में कमी आई (10

वर्षों के बेंचमार्क प्रतिफल में लगभग 102 आधार अंकों की कमी आई। इसलिए, जैसे ही शुद्ध बाजार की स्थिति अनुकूल हुई और विचलन का जोखिम कम हुआ, वैसे-ही पीडी ने पिछले वर्ष की तुलना में अपने हामीदारी कमीशन की मांग को घटाया क्योंकि उस वक्त सरकारी उधार में आशोधन, बाजार की चलनिधि में उतार-चढ़ाव और बैंकिंग क्षेत्र के विकास में बदलाव के कारण बाजार की स्थिति अस्थिर हो गई थी।

सी. विविध खर्च

इस व्यय में हैंडलिंग प्रभार, 'टर्नओवर कमीशन राहत बांड/बचत बांड पर बैंकों को भुगतान और प्रतिभूति उधार और उधार प्रबंध (एसबीएलए) शामिल है। इस शीर्षक के अंतर्गत भुगतान किया गया कमीशन 2017-18 के ₹0.08 बिलियन से घटकर 2018-19 में ₹0.02 बिलियन हो गया।

डी. बाह्य आस्ति प्रबंधकों, अभिरक्षकों आदि को अदा किया गया शुल्क

2018-19 के दौरान अभिरक्षा सेवाओं के लिए अदा किया गया शुल्क घटकर ₹0.17 बिलियन रह गया, जो 2017-18 में ₹0.22 बिलियन था।

iv) नोट मुद्रण

वर्ष 2018-19 के दौरान नोटों की आपूर्ति 29,191 मिलियन नग थी जो कि वर्ष 2017-18 (25,003 मिलियन नग) की तुलना में 16.75 प्रतिशत अधिक है। तथापि, 2017-18 में नोटों के मुद्रण पर ₹49.12 बिलियन खर्च हुआ, जो 2018-19 में 2.06 प्रतिशत घटकर ₹48.11 बिलियन रह गया। यह कमी मुख्य रूप से बीआरबीएनएमपीएल प्रेस द्वारा आपूर्त बैंक नोटों के मुद्रण में कमी किए जाने के कारण रही।

v) अन्य

अन्य खर्च 2017-18 के ₹14.23 बिलियन से 3.44 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹14.72 बिलियन हो गया,

जिनमें खज़ाना के विप्रेषण, मुद्रण और लेखन-सामग्री, लेखापरीक्षा शुल्क और संबंधित व्यय, विविध व्यय, आदि शामिल हैं।

vi) प्रावधान

2018-19 में ₹0.64 बिलियन को आस्ति विकास निधि (एडीएफ) में अंतरित करने का प्रावधान किया गया था।

आकस्मिक देयताएं

XII.22 बैंक की कुल आकस्मिक देयताएं ₹9.94 बिलियन हो गईं, जिसका मुख्य घटक हैं रिज़र्व बैंक, एसडीआर मूल्यवर्ग में, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर धारण करता है। बीआईएस के आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के संबंध में अनाहूत देयता 30 जून 2019 को ₹8.55 बिलियन थी। शेष देयताएं, बीआईएस के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार तीन माह की सूचना पर मांगी जा सकती हैं।

पूर्व अवधि के लेनदेन

XII.23 पूर्व अवधि के लेनदेनों के प्रकटीकरण के लिए केवल ₹0.01 मिलियन और उससे अधिक के लेनदेनों पर विचार किया गया है। व्यय एवं आय के अंतर्गत पूर्व अवधि के लेनदेन क्रमशः ₹(-)0.06 बिलियन एवं ₹0.01 बिलियन थे।

पिछले वर्ष के आंकड़े

XII.24 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा वर्ष के साथ उनकी तुलना की जा सके।

लेखा-परीक्षक

XII.25 बैंक के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2018-19 की लेखा-बहियों की लेखा-परीक्षा मेसर्स छाजेड एंड दोशी, मुंबई एवं मेसर्स जी. पी. कपाड़िया एंड कंपनी, मुंबई द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों के रूप में और मेसर्स कोठारी एंड कंपनी, कोलकाता, मेसर्स सूरी एंड कंपनी, चेन्नै तथा मेसर्स बंसल एंड कंपनी, एलएलपी नई दिल्ली द्वारा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में की गई।

अनुबंध

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम : जुलाई 2018 से जून 2019*

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
मौद्रिक नीति विभाग	
1 अगस्त 2018	नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर इसे 6.50 प्रतिशत कर दिया गया।
5 अक्टूबर 2018	मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ से बदल कर नपा-तुला (कैलिब्रेटेड) कर दिया गया।
7 फरवरी 2019	नीतिगत रिपो दर 25 आधार अंक कम करके 6.25 प्रतिशत कर दी गई और मौद्रिक नीति रुख को नपा-तुला (कैलिब्रेटेड) बदलकर तटस्थ कर दिया गया।
4 अप्रैल 2019	नीतिगत रिपो दर 25 आधार अंक की कमी करके 6.0 प्रतिशत कर दी गई।
6 जून 2019	नीतिगत रिपो दर में 25 आधार अंकों की कमी कर इसे 5.75 प्रतिशत कर दिया गया और मौद्रिक नीति रुख को तटस्थ से बदलकर समायोजनकारी बना दिया गया।
वित्तीय समावेशन और विकास विभाग	
21 सितंबर 2018	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति (को-ओरिजिनेशन) संबंधी दिशानिर्देश जारी किया गया।
17 अक्टूबर 2018	एससीबी के लिए प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय से संबंधित मास्टर निदेश (एमडी) को अद्यतन किया गया और आरआरबी के लिए राहत उपाय से संबंधित मास्टर निदेश जारी किया गया।
2 जनवरी 2019	श्री यू.के.सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई से संबंधित विशेषज्ञ समिति गठित की गयी।
4 फरवरी 2019	पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित किसानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केसीसी योजना का लाभ उनके लिए बढ़ा दिया गया।
7 फरवरी 2019	<ul style="list-style-type: none"> संपार्श्विक रहित कृषि ऋण की मौजूदा ₹1 लाख की सीमा को बढ़ा कर ₹1.6 लाख कर दिया गया। कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्यदल (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया।
21 फरवरी 2019	“एमएसएमई के लिए ब्याज सबवेंशन योजना” से संबंधित परिपत्र जारी किया गया जिसमें इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु बैंकों को सूचित किया गया था।
7 मार्च 2019	वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान संशोधन के साथ ₹3 लाख तक के अल्प कालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना को जारी रखने के संबंध में बैंकों को सूचित किया गया।
6 मई 2019	आरआरबी और एसएफबी के लिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण हेतु पात्रता मानदंड संशोधित किए गए।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग	
24 जुलाई 2018	<ul style="list-style-type: none"> सभी प्रकार के संपार्श्विक के बीच सामंजस्य स्थापित करने तथा उसके विनियमन को सरल बनाने और व्यापक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों (जी सेक) में रिपो, कापरेट बॉन्ड और तृतीय पक्ष रिपो को शामिल करते हुए व्यापक रिपो निर्देश जारी किए गए। पात्र सहभागियों के आधार को उदार बनाए जाने के साथ-साथ “जब निर्गत” (हवेन इश्यूड) बाजार में संव्यवहार हेतु संस्थावार सीमाओं में रियायत देते हुए केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए ‘जब निर्गत’ से संबंधित निदेश जारी किया गया।
25 जुलाई 2018	सरकारी प्रतिभूतियों में अधिविक्रय हेतु पात्र सहभागियों के आधार को उदार बनाने के साथ-साथ संस्थावार एवं प्रतिभूति श्रेणीवार सीमाओं में रियायत देते हुए सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अधिविक्रय संबंधी निदेश जारी किए गए।
5 अक्टूबर 2018	रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार लिखतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) को प्राधिकृत करने हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2018 जारी किया गया।
29 अक्टूबर 2018	भुगतान बैंक और एसएफबी को मांग मुद्रा बाजार में उधारकर्ता और देनदार दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी।
29 नवंबर 2018	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी वित्तीय बाजारों में सहभागिता के लिए गैर-वैयक्तिक संस्थाओं हेतु विधिक पहचान संख्या (एलईआई) संहिता लागू की गई।
7 फरवरी 2019	अनिवासियों को अपनी हेजिंग आवश्यकताओं हेतु घरेलू बाजार का रुख करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा ऑनशोर हेजिंग कार्यकलाप को बढ़ावा देने हेतु बाजार चलनिधि में सुधार लाने के लिए ऑफशोर रुपया बाजार से संबंधित कार्यदल गठित किया गया।

* यह सामग्री सांकेतिक स्वरूप की है और भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
15 मार्च 2019	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों में दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रथाओं की तर्ज पर भारतीय रिजर्व बैंक (बाजार दुरुपयोग रोकथाम) दिशानिर्देश, 2019 जारी किया गया।
27 मार्च 2019	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2019-20 में एफपीआई सीमा को बढ़ाकर जी -सेक और एसडीएल के बकाया स्टॉक का क्रमशः 6 प्रतिशत और 2 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा, कार्पोरेट बॉण्ड में एफपीआई सीमा को बकाया स्टॉक का 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया। हेजिंग और हेजिंग से इतर अन्य प्रयोजनों के लिए अनिवासियों को भारत में ऑनशोर ओटीसी रुपया आईआरडी बाजार में प्रवेश की अनुमति दी गयी।
25 अप्रैल 2019	भारत में ऋण लिखतों तक अनिवासी निवेशकों के पहुँच को व्यापक बनाने के लिए एसडीएल के लिए निर्धारित सीमा के भीतर म्यूनिसिपल बॉण्ड में निवेश करने के लिए एफपीआई की अनुमति दी गयी।
24 मई 2019	एफपीआई के लिए वीआरआर नामक एक अलग चैनल प्रारंभ किया गया जिसमें भारत में दीर्घ कालिक ऋण निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अधिक परिचालनगत ढील दी गयी है।
20 जून 2019	बैंकों (विदेशी मुद्रा-खुदरा) के खुदरा ग्राहकों द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद/बिक्री के लिए सीसीआईएल द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गयी जिसका परिचालन 5 अगस्त 2019 से शुरू किया जाएगा।
26 जून 2019	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु एक परिपूर्ण वातावरण तैयार करने के मुख्य उद्देश्य से पहुँच में निरंतरता और सुगमता हासिल करने के लिए सभी ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों (ओटीसी एवं एक्सचेंज में की गयी खरीद-बिक्री दोनों) को शामिल करते हुए ब्याज दर डेरिवेटिव से संबंधित दिशानिर्देश जारी किया गया। रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बाजार में बेंचमार्क प्रक्रियाओं के अभिशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से वित्तीय बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर (एफबीए) के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क लागू किया गया।
वित्तीय बाजार परिचालन विभाग	
13 मार्च 2019	रिजर्व बैंक ने अपनी चलनिधि प्रबंधन टूलकिट में वृद्धि की और रुपए चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए दीर्घ-कालिक विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी आरंभ की। इस तरह की पहली स्वैप खरीद/बिक्री नीलामी 26 मार्च 2019 को की गयी।
विदेशी मुद्रा विभाग	
29 अगस्त 2018	भारत सरकार के परामर्श से, यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष – केरल में विनिमय गृहों के माध्यम से विप्रेषण प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि बैंक विप्रेषणों को सीधे कोष में जमा करेंगे तथा बैंक विप्रेषणकर्ताओं के पूर्ण ब्यौरे अपने पास बनाए रखेंगे।
1 सितंबर 2018	भारत में प्राप्त विदेशी निवेशों के लिए फेमा के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग ढांचा, जिसके अनुसार इन निवेशों को भिन्न-भिन्न प्रकार से विभिन्न प्लेटफॉर्मों, फार्मेट तथा माध्यमों पर फाइल किया जाता था को एकीकृत करने के उद्देश्य से फर्मस एप्लिकेशन के माध्यम से एक एकल मास्टर फॉर्म को लागू किया गया है।
7 सितंबर 2018	भारत में एडी (श्रेणी I) बैंकों के माध्यम से गैर बैंक संस्थाओं द्वारा बाहरी विप्रेषण सेवाओं को विदेशी शिक्षा के लिए निर्धारित सीमा को प्रति लेन-देन 10,000 अमरीकी डालर तक बढ़ाकर संशोधित किया गया है।
19 सितंबर 2018	विदेशों से पूंजी जुटाने पर विनिर्माण क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को कम करने तथा रुपये में मूल्यवर्गित बॉन्डों के लिए द्वितीयक बाजार में चलनिधि स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि ईसीबी नीति के कुछ पहलुओं का उदारीकरण किया जाए।
3 अक्टूबर 2018	आयात की उच्चतर आवश्यकताओं के मद्देनजर विदेशी मुद्रा उधार तक पहुँच आसान हो इस उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को कार्यशील पूंजी हेतु स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सभी मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से 3/5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के लिए ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई।
6 नवंबर 2018	इनफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जुटाए गए ईसीबी के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम औसत परिपक्वता अपेक्षा को घटाकर 3 वर्ष किया गया तथा पूर्व में निर्धारित 10 वर्ष के बजाय 5 वर्ष की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले ईसीबी पर इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के लिए 100 प्रतिशत अनिवार्य हेजिंग से छूट दी गई।
12 नवंबर 2018	भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों के अधीन "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" आधार पर सभी प्रकार के बैंक खातों में संयुक्त धारक/ धारकों के रूप में नजदीकी अनिवासी (एनआरआई) भारतीय रिश्तेदार/ रिश्तेदारों को शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई।
26 नवंबर 2018	इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 3 तथा 5 वर्ष के बीच की परिपक्वता के लिए जुटाए गए ईसीबी के लिए अनिवार्य हेजिंग अपेक्षा को 100 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत किया गया।
16 जनवरी 2019	ईसीबी तथा रुपए में मूल्यवर्गित बॉन्ड के फ्रेमवर्क को तर्कसंगत बनाया गया ताकि कारोबारी सुगमता बेहतर हो।

वार्षिक रिपोर्ट

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
5 फरवरी 2019	भारत में विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित सभी नौ फॉर्मों को फर्म एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध कराया गया।
7 फरवरी 2019	अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत लक्ष्य कंपनी के रुपया सावधि ऋणों की चुकौती के लिए कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत समाधान के आवेदकों के लिए अंतिम-उपयोग संबंधी प्रतिबंधों को शिथिल किया गया और उन्हें भारतीय बैंकों की शाखाओं/ समुद्रपारीय अनुषंगी कंपनियों को छोड़कर मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई।
27 फरवरी 2019	यदि कोई गैर-सरकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन, किसी विदेशी सरकार की निकाय/ एजेंसी / विभाग यदि अंशतः अथवा पूर्णतः विदेशी अंशदान(विनियम) अधिनियम, 2010(एफसीआरए) के अंतर्गत आने वाली किसी एक गतिविधि में लिप्त है, द्वारा भारत में शाखा कार्यालय अथवा कोई संपर्क कार्यालय अथवा कोई परियोजना कार्यालय अथवा अन्य कोई कारोबारी स्थान खोलने के मामले में छूट प्रदान की गई।
13 मार्च 2019	कारोबार करने में आसानी हो और आयातकों की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सुसंगत और सुगठित रूपरेखा बनाने के लिए व्यापार ऋण नीति को युक्तिसंगत बनाया गया था।
20 मार्च 2019	<ul style="list-style-type: none"> • भारत से नेपाल या भूटान की यात्रा करने वाला एक व्यक्ति महात्मा गाँधी (नई) श्रृंखला के भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को ₹25000 की कुल सीमा तक ₹200 और / या ₹500 के मूल्यवर्ग में ले जा सकता है। • सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार के अनुमानों के संकलन की सुविधा के लिए एफईटीईआरएस के तहत बीओपी फाइल प्रारूप में अंतिम निर्यातक/ आयातक के देश कोड को दर्ज करने के लिए एक अतिरिक्त फील्ड शामिल करने का निर्णय लिया गया था।
28 मार्च 2019	<ul style="list-style-type: none"> • जिस रक्षा, दूरसंचार, निजी सुरक्षा और सूचना और प्रसारण केंद्र के क्षेत्र में आवेदक का कारोबार है वहां बीओ / एलओ / पीओ या भारत में किसी अन्य स्थान पर कारोबारी स्थल खोलने के लिए यदि संबंधित मंत्रालय / नियामक द्वारा सरकारी अनुमोदन या लाइसेंस / अनुमति पहले से ही प्राप्त की गई है, तो रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। • सेबी के पास पंजीकृत एफपीआई / एफवीसीआई तथा लंबी अवधि के लिए वीजा प्राप्त भारत में निवास करनेवाले बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते खोलने के लिए कतिपय संशोधन किए गए हैं।
11 अप्रैल 2019	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) में पंजीकृत पुनर्बीमा तथा मिश्रित बीमा ब्रोकर अपने कारोबार के सामान्य क्रम में लेनदेन करने के प्रयोजन हेतु भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक में ब्याज रहित विदेशी मुद्रा खाते खोल तथा बनाए रख सकते हैं।
बैंकिंग विनियमन विभाग	
12 जुलाई 2018	डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताओं और धनशोधन हेतु इसके संभावित दुरुपयोग को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि जारीकर्ता बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक आदि के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाएगा। ये अनुदेश 15 सितंबर 2018 को या उसके बाद जारी लिखतों के लिए प्रभावी होंगे।
1 अगस्त 2018	बैंक दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे तत्काल प्रभाव से 6.75 प्रतिशत किया गया।
2 अगस्त 2018	बैंकों को सूचित किया गया कि फॉर्म 'ए' (सीआरआर) रिटर्न और फॉर्म VIII (एसएलआर) रिटर्न में रिपोर्टिंग के लिए विदेशी मुद्रा आस्तियों, आईएनआर / यूएसडी में देयताओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को परिवर्तित करने के उद्देश्य से एफबीआईएल द्वारा घोषित परिवर्तन दर का 20 जुलाई 2018 को समाप्त रिपोर्टिंग पखवाड़े से उपयोग करें।
2 नवंबर 2018	बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण, जमाराशि न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) और राष्ट्रीय आवास बैंक के पास पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा जारी किए गए बॉन्डों को आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) प्रदान करने की अनुमति दी गई।
29 नवंबर 2018	बैंकों को सूचित किया गया कि एनएसएफआर दिशा-निर्देश 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे।
5 दिसंबर 2018	<ul style="list-style-type: none"> • एसएलआर को एलसीआर के अनुरूप बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि एसएलआर, जो कि एनडीटीएल का 19.5 प्रतिशत था, को 5 जनवरी 2019 से प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में 25 आधार अंक से घटाया जाए जब तक कि यह 11 अप्रैल 2020 को एनडीटीएल के 18 प्रतिशत पर न पहुंच जाए। • कार्यशील पूंजी उधारकर्ताओं के बीच ऋण अनुशासन बढ़ाने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश (1 अप्रैल 2019 से प्रभावी) जारी किए गए जिसमें बैंकिंग प्रणाली से ₹1500 मिलियन या उससे अधिक की निधि- आधारित कार्यशील पूंजी सीमा वाले बड़े उधारकर्ताओं के लिए कार्यशील पूंजी में 40 प्रतिशत (1 जुलाई 2019 से 60 प्रतिशत की वृद्धि) आवश्यक ऋण घटक और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अनाहरित हिस्से पर 20 प्रतिशत क्रेडिट संपरिवर्तन कारक निर्धारित किए गए।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
27 दिसंबर 2018	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित), एसएफबी, स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी), सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को सूचित किया गया कि वे विद्यमान लेन-देनों के संबंध में 31 मार्च 2019 तक तथा सभी चालू लेन-देनों पर निरंतर आधार पर सरसाई (CERSAI) के साथ प्रभार फाइलिंग पूर्ण कर लें।
28 दिसंबर 2018	सुविधाओं का विस्तार – (क) बैंकों को अनुमति दी गई कि वे 31 मार्च 2019 तक एनबीएफसी और एचएफसी को अपने वृद्धिशील उधार देने के संबंध में बैंक के एनडीटीएल के 0.5 प्रतिशत तक अनिवार्य एसएलआर अपेक्षा के भीतर एफएलसीसीआर के तहत श्रेणी 1 एचक्यूएलए के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों की गणना कर सकते हैं। (ख) एनबीएफसी के लिए एकल उधारकर्ता सीमा को 31 मार्च 2019 तक पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।
9 जनवरी 2019	स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 के अंतर्गत 'धर्मादाय संस्थाएं', केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली अन्य कोई संस्था को जमा करने के लिए पात्र व्यक्ति के रूप में शामिल करने के लिए इस योजना से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के बारे में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) को सूचित किया गया।
10 जनवरी 2019	यह निर्णय लिया गया कि पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के अंतिम चरण को लागू करने की संक्रमण अवधि को 1 वर्ष, अर्थात् 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया जाए। एटी 1 लिखतों को राइट डाउन करने / बदलने के लिए सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) स्तर में 5.50 प्रतिशत से 6.125 प्रतिशत तक की वृद्धि को भी 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक स्थगित कर दिया गया है।
11 जनवरी 2019	बैंकों को सूचित किया गया कि पोतलदान पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माताओं द्वारा निर्यातों के संबंध में ब्याज समतुल्यीकरण दर में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ सभी पात्र निर्यातकों को दिया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2015 से 5 वर्ष के लिए प्रभावी है जिसमें पहचान किए गए 416 टैरिफ लाइनों के निर्यात तथा एमएसएमई के निर्यात शामिल हैं और 2 जनवरी 2019 से पोत निर्यातकों को शामिल किया जाएगा। इन्हें पहचान की गई टैरिफ लाइनों के अंतर्गत शामिल किए गए उत्पादों के निर्यात के संबंध में ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज समतुल्यीकरण की अनुमति दी गई है।
7 फरवरी 2019	बैंक दर को 25 आधार अंक से घटाकर तत्काल प्रभाव से 6.5 प्रतिशत किया गया।
22 फरवरी 2019	<ul style="list-style-type: none"> • कॉरपोरेट को एक्सपोजर की पद्धति के समान ही उच्च रेटिंग वाले एनबीएफसी को ऋण प्रवाह की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मौजूदा नियमों के अधीन तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए मानकीकृत विधि के अंतर्गत मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी) को छोड़कर सभी एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार जोखिम भार दिया गया है। रेट किए गए और रेट न किए गए, दोनों प्रकार के सीआईसी के प्रति एक्सपोजर पर 100% का जोखिम भार लगाया जाना जारी रहेगा। • एमएसएमई के मौजूदा ऋण, जो 1 जनवरी 2019 को डिफॉल्ट में थे, किंतु जिनकी गुणवत्ता 'मानक' है, के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा घटाए बिना कुछ शर्तों के अधीन एकबारगी पुनर्चना की अनुमति दी गई थी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के लिए उपलब्ध है जो 1 जनवरी 2019 को अन्य बातों के साथ-साथ बैंक और एनबीएफसी के प्रति ₹250 मिलियन की अधिकतम सीमा तक समग्र एक्सपोजर सहित, वस्तुनिष्ठ मानदंडों की अर्हता पूर्ण करते हैं। हालांकि, जीएसटी पंजीकरण की शर्त इससे छूट प्राप्त एमएसएमई पर लागू नहीं होगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि जीएसटी पंजीकरण से संबंधित छूट परिपत्र की तारीख यथा, 1 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार लागू सीमा के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। • एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और एसएफबी के लिए विशाल जमाराशियों की परिभाषा को '2 करोड़ और उससे ऊपर' एकल रुपया सावधि जमाराशि के रूप में संशोधित किया गया है। पर्यवेक्षी समीक्षा में सुविधा के लिए बैंकों को अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में विशाल जमाराशि ब्याज दर कार्ड को बनाए रखने के लिए कहा गया।
22 मार्च 2019	एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) के लिए इंड एस का कार्यान्वयन जो पहले 1 वर्ष के लिए आस्थगित किया गया था, इसे आगामी सूचना तक आस्थगित कर दिया गया।
1 अप्रैल 2019	<p>बैंकों को सूचित किया गया कि वे आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधीकरण (आईआरएसीपी) मानदंडों से विचलन के बारे में तब प्रकटीकरण करें, जब निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक या दोनों पूरी होती हों :</p> <p>(क) रिजर्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण संदर्भाधीन अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक हो, और</p> <p>(ख) रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भाधीन अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक हो।</p>
4 अप्रैल 2019	<ul style="list-style-type: none"> • बैंकों को सूचित किया गया कि एलसीआर की गणना के प्रयोजन से 4 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 तक उनके द्वारा अनिवार्य एसएलआर अपेक्षाओं के भीतर एफएलएलसीआर के अंतर्गत एसक्यूएलए श्रेणी 1 के रूप में धारित अतिरिक्त 2 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों को हिसाब में लें। • बैंक दर को 25 आधार अंक से घटाकर तत्काल प्रभाव से 6.25 प्रतिशत किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
8 मई 2019	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के 25 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा वित्तीय संस्थाओं पर एनसीएलएटी की पूर्व अनुमति के बगैर आईएल एण्ड एफएस या इसकी समूह संस्थाओं के खातों को 'एनपीए' के रूप में वर्गीकृत करने पर रोक लगाई गई। उपर्युक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, बैंकों तथा एआईएफआई को 24 अप्रैल 2019 के परिपत्र द्वारा सूचित किया गया कि वे अपने खाते नोट्स में बकाया राशि, राशि जो आईआरएसी मानदंडों के अनुसार एनपीए हो, लेकिन जिसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो, का प्रकटीकरण करें और आईएलएफएस एवं आईएलएफएस संस्थाओं के संबंध में किए गए प्रावधानों को भी प्रकट करें। इसके बाद, एनसीएलएटी ने अपने 2 मई 2019 के आदेश के द्वारा बैंकों को आईएलएण्डएफसी और इसके समूह में अपने एक्सपोजर को एनपीए में वर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान की। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 24 अप्रैल 2019 के उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देश वापस ले लिए गए।
29 मई 2019	केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन किए गए। प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बैंकों को व्यक्तियों की पहचान के लिए स्वैच्छिक रूप से उनके आधार क्रमांक का प्रयोग करके आधार अधिप्रमाणन / ऑफलाइन सत्यापन करने की अनुमति देना; (ii) आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) की सूची में "आधार क्रमांक धारण करने का प्रमाण" जोड़ना; (iii) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत कोई लाभ या आर्थिक सहायता प्राप्त करने वालों के ई-केवाईसी अधिप्रमाणन हेतु ग्राहकों का आधार क्रमांक प्राप्त करना; तथा (iv) बैंकों से इतर विनियमित संस्थाओं द्वारा ग्राहकों की पहचान के लिए आधार अधिनियम के अंतर्गत ऑफलाइन सत्यापन का प्रावधान करना, यदि स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध कराया जाए।
31 मई 2019	शाखा प्राधिकार नीति को युक्ति संगत बनाने से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया जिसमें आरआरबी के लिए 'बैंकिंग आउटलेट' की अवधारणा शुरू की गई। अनुदेशों में आरआरबी के लिए भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग आउटलेट पर जारी अनुदेशों की तर्ज पर बैंकिंग आउटलेट की अवधारणा शुरू की गई। संशोधित अनुदेशों के अनुसार, किसी आरआरबी को उसके द्वारा पिछले वित्त वर्ष के दौरान खोले गए कुल 'बैंकिंग आउटलेट' में से कम से कम 25 प्रतिशत बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलने के पश्चात ही टियर 1 से 4 केंद्रों में नए बैंकिंग आउटलेट खोलने की अनुमति होगी।
3 जून 2019	एक्सपोजर तथा संकेंद्रण को अधिक सटीक रूप से पहचानने तथा इस फ्रेमवर्क को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए 'वृहत एक्सपोजर फ्रेमवर्क' पर दिनांक 1 दिसंबर 2016 और 1 अप्रैल 2019 के परिपत्रों में संशोधन किए गए। संशोधित दिशा-निर्देश पूर्व में जारी परिपत्रों को अधिक्रमित करते हैं।
6 जून 2019	बैंक दर को 25 आधार अंक से घटाकर तत्काल प्रभाव से 6.0 प्रतिशत किया गया।
7 जून 2019	रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु एक संशोधित विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क जारी किया गया।
10 जून 2019	<ul style="list-style-type: none"> यह निर्णय लिया गया कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा एसडीएल की पुनः खरीद को पहले से छूट प्राप्त लेनदेन के अलावा बैंक के 'लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय वक्तव्य' में 'लेखे पर टिप्पणियां' में उल्लिखित मानदंडों के प्रकटीकरण से भी छूट प्रदान की जाए। बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) से संबद्ध सुविधाओं की समीक्षा की गई।
28 जून 2019	<ul style="list-style-type: none"> यह निर्णय लिया गया कि 01 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हो रही तिमाही से घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डीएसआईबी) के लिए न्यूनतम लिक्विड अनुपात 4 प्रतिशत और अन्य बैंकों के लिए 3.5 प्रतिशत प्रभावी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी बीओ/ कार्यालयों की डायरेक्टर से संबंधित मास्टर ऑफिस फाइल (एमओएफ) प्रणाली रखता है जिसके माध्यम से बीएसआर कोड आबंटित किए जाते हैं। इसे वेब-आधारित नई रिपोर्टिंग प्रणाली नामतः बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रपत्र होता है।
घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
सहकारी बैंक विनियमन विभाग	
6 जुलाई 2018	एटीएम हानियों का वितरण तथा निवेश घट-बढ़ रिजर्व (आईएफआर) की स्थापना से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए।
16 अगस्त 2018	<ul style="list-style-type: none"> रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के अधीन वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक डीलरों के साथ लेनदेन करने के अलावा यूसीबी को द्वितीयक बाजार में म्यूचुअल फंड, पेंशन / भविष्य निधि और बीमा कंपनियों के साथ गैर-एसएलआर निवेश के अधिग्रहण/बिक्री के लिए पात्र लेनदेन करने की अनुमति दी गई। एलएएफ को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) तक विस्तारित किया गया। 20 अगस्त 2018 से एलएएफ के अंतर्गत उपलब्ध सुविधा के अलावा एक अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने के लिए एमएसएफ को अनुसूचित यूसीबी और अनुसूचित एसटीसीबी तक विस्तारित किया गया।
27 सितंबर 2018	यूसीबी को स्वैच्छिक रूप से एसएफसी में परिवर्तन की अनुमति संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए बशर्ते कि यूसीबी की निवल परिसंपत्ति ₹500 मिलियन हो, सीआरएआर 9 प्रतिशत बना रहने के साथ-साथ अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।
10 जून 2019	चलनिधि दबाव वाले यूसीबी को परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों को बेचने की अनुमति दी गई।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का घटनाक्रम

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
गैर बैंकिंग विनियमन विभाग	
27 जुलाई 2018	एकल प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) को अपने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ग्राहकों को विदेशी मुद्रा उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति दी गई।
25 अक्टूबर 2018	सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एआरसी के प्रायोजकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदंड संबंधी निदेश जारी किया गया।
29 नवंबर 2018	5 वर्ष से अधिक मूल परिपक्वता अवधि वाले ऋणों के संबंध में प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए न्यूनतम धारण अवधि (एमएचपी) में छूट प्रदान करते हुए, इसे छह माह और बढ़ाया गया।
22 फरवरी 2019	<ul style="list-style-type: none"> गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी को भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए घोषित ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत परिकल्पित उचित कार्रवाई करने की सलाह दी गई। एफसी, एलसी और आईसी को नियंत्रित करने वाले विनियमन का समानीकरण कर एक नयी प्रकार की एनबीएफसी नामतः एनबीएफसी-निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) में विलय किया गया।
16 अप्रैल 2019	जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण निवेश और ऋण कंपनियों, कुछ शर्तों के अधीन प्राधिकृत डीलर -श्रेणी II (एडी-कैट-II) का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनाई गईं।
16 मई 2019	₹50 बिलियन से अधिक परिसंपत्ति वाली एनबीएफसी को स्पष्ट विनिर्दिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्व के साथ मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की नियुक्ति करने का निदेश दिया गया।
29 मई 2019	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एमएचपी आवश्यकता से संबंधित छूट को 31 दिसंबर, 2019 तक बढ़ाया गया।
28 जून 2019	एआरसी को कुछ शर्तों के अधीन अन्य एआरसी से वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग	
8 मई 2019	रिजर्व बैंक के पास रजिस्टर्ड एनबीएफसी को सलाह दी गई है कि साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाएँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिपोर्ट करें।
उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग	
3 सितंबर 2018	10 से अधिक बैंकिंग आउटलेट वाले सभी एससीबी(आरआरबी को छोड़कर) में आंतरिक लोकपाल योजना 2018 लागू की गयी है।
31 जनवरी 2019	डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना शुरू की गई।
26 अप्रैल 2019	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना को जमा स्वीकार न करने वाली उन एनबीएफसी तक विस्तारित किया गया, जिस एनबीएफसी के पास ₹1 बिलियन या उससे अधिक की परिसंपत्ति तथा ग्राहक इंटरफ़ेस हो।
24 जून 2019	शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई।
आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग	
29 अक्टूबर 2018	सहायक सामान्य बही खाता(एसजीएल) और संघटक सहायक बही खाता (सीएसजीएल) की व्यापक समीक्षा की गई और सरकारी प्रतिभूति बाजार में भागीदारी को बढ़ाने तथा बाजार प्रतिभागियों को एसजीएल और सीएसजीएल खाता खोलने और उनका उपयोग करने में परिचालनात्मक सहूलियतों को बढ़ाने हेतु संशोधित अधिसूचना जारी की गई।
16 नवंबर 2018	लागत मूल्य हस्तांतरण (वीएफटी) के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए, लेनदेन के दायरे को व्यापक बनाया गया जहां पात्र संस्थाएं आरबीआई के सीबीएस के माध्यम से सीधे वीएफटी ले सकती हैं।
6 जून 2019	यह निर्णय लिया गया कि निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंजों को अपने स्टॉकब्रोकर/अन्य खुदरा प्रतिभागियों की बोलियों को एकत्र करने और एसडीएल की प्राथमिक नीलामी के गैर-प्रतिस्पर्धी खंड के तहत एक समेकित बोली प्रस्तुत करने के लिए एप्रीगेटर्स / फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए।
मुद्रा प्रबंध विभाग	
7 सितंबर 2018	भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली में संशोधन से संबंधित 6 सितंबर 2018 की राजपत्र अधिसूचना की सूचना बैंकों को दी गई।
20 नवंबर 2019	मुद्रा तिजोरी संभालने वाले सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आइकोम्स (आईसीसीओएमएस) के स्थान पर बेहतर मुद्रा प्रबंधन मॉड्यूल लागू करने से संबंधित पूर्व अपेक्षाओं को पूरा करें।

वार्षिक रिपोर्ट

घोषणा की तारीख	नीतिगत पहल
28 फरवरी 2019	मुद्रा तिजोरियों में भंडारण सुविधाओं के मानकीकरण के संबंध में मुद्रा तिजोरी संभालने वाले बैंकों को निर्देश जारी किए गए।
8 अप्रैल 2019	बैंकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बड़ी मुद्रा चेस्ट खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई मुद्रा चेस्ट स्थापित करने के लिए न्यूनतम मानकों की आवश्यकता के बारे में सूचित किया गया।
14 मई 2019	बैंकों, सेवा प्रदाताओं तथा उनके सह-संविदाकर्ताओं के बीच लेन-देन (अर्थात् एटीएम नकदी पुनः पूर्ति) का समय पर मिलान करने से संबंधित निर्देश बैंकों को जारी किए गए।
23 मई 2019	बड़ी आधुनिक मुद्रा तिजोरियों, जो मुद्रा तिजोरी की स्थापना के लिए नए शुरू किए गए न्यूनतम मानकों को पूरा कर रही हैं, को गैर-मुद्रा तिजोरी शाखाओं द्वारा नकदी जमा पर लगाए जाने वाले सेवा शुल्क को बढ़ाने की अनुमति दी गई।
14 जून 2019	एटीएम परिचालनों में जोखिम कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के मद्देनजर सुरक्षा उपायों के बारे में बैंकों को सूचित किया गया।
26 जून 2019	रिजर्व बैंक ने जनता से अपील की है कि अपने सभी लेन-देन में बिना झिझक वैध मुद्रा के रूप में सिक्कों को स्वीकारना जारी रखें।
भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग	
15 अक्तूबर 2018	केंद्रीय प्रतिपक्षकार(सीसीपी) की पूंजी आवश्यकताओं और गवर्नेंस फ्रेमवर्क से संबंधित दिशा-निर्देश और विदेशी सीसीपी की मान्यता के लिए रूपरेखा जारी की गई।
16 अक्तूबर 2018	केवाईसी अनुपालित सभी पीपीआई के लिए (i) यूपीआई के माध्यम से वालेट के रूप में जारी पीपीआई की अंतःपरिचालनीयता, (ii) यूपीआई के माध्यम से वालेट और बैंक खातों की अंतःपरिचालनीयता और (iii) कार्ड नेटवर्क के माध्यम से कार्ड के रूप में जारी पीपीआई के लिए अंतःपरिचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप निर्धारित किए गए।
15 नवंबर 2018	आरटीजीएस प्रणाली धन अंतरण के पूर्ण होने के संबंध में धन प्रेषक को सकारात्मक पुष्टि उपलब्ध कराती है, जिससे धन प्रेषक को एक आश्वासन मिल जाता है कि धन को लाभग्राही खाते में सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है।
4 जनवरी 2019	प्राधिकृत गैर-बैंकों द्वारा जारी पीपीआई में किए गए अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेनों में ग्राहक संरक्षण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्राहकों की ज़िम्मेदारी तय करने की समीक्षा की गई।
8 जनवरी 2019	मोबाइल फोन/टैबलेट के माध्यम से किसी भी टोकन अनुरोधकर्ता को कार्ड टोकन सेवाओं की पेशकश करने के लिए अधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क को अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
25 फरवरी 2019	पीपीआई के लिए आवश्यक केवाईसी की समीक्षा की गई और केवाईसी पूरा करने की सीमा 12 माह से बढ़ाकर 18 माह कर दी गई है।
7 मार्च 2019	व्हाइट लेबल एटीएम की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए व्हाइट लेबल एटीएम हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई।
28 मई 2019	1 जून 2019 से आरटीजीएस में ग्राहक लेन-देन की समय सीमा शाम 4:30 बजे से बढ़ाकर शाम 6:00 बजे तक की गई।
11 जून 2019	1 जुलाई 2019 से आरटीजीएस प्रणाली का उपयोग करते हुए आउटवर्ड लेनदेन करने के लिए बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए जाने वाले प्रसंस्करण शुल्क और परिवर्ती समय संबंधी लिए जाने वाले शुल्क और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनईएफटी प्रणाली में प्रसंस्कृत लेनदेन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए जाने वाले प्रसंस्करण शुल्क को भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
12 जून 2019	प्राधिकृत घरेलू सीसीपी के शासन के दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
I. वास्तविक अर्थव्यवस्था					
I.1 बाजार मूल्य में वास्तविक जीडीपी (%परिवर्तन)*	7.9	6.7	8.2	7.2	6.8
I.2 बेसिक मूल्य में वास्तविक जीवीए (%परिवर्तन) *	7.7	6.3	7.9	6.9	6.6
I.3 खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	213.6	248.8	275.1	285.0	283.4
I.4 क) खाद्य स्टॉक (मार्च अंत में मिलियन टन)	18.6	50.0	38.0	43.3	72.7
ख) खरीद	39.4	61.3	60.2	68.2	77.7
ग) उठाव	41.5	56.9	61.9	60.3	65.9
I.5 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (%परिवर्तन)**	11.2	4.6	4.6	4.4	3.8
I.6 आठ मूल उद्योगों का सूचकांक (%परिवर्तन)**	5.9	4.9	4.8	4.3	4.4
I.7 सकल देशी बचत दर (वर्तमान मूल्य में जीएनडीआई का%)*	33.6	33.9	29.9	30.1	-
I.8 सकल देशी निवेश दर (वर्तमान मूल्य में जीडीपी का %)*	35.2	38.0	30.9	32.3	-
II. मूल्य					
II.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संयुक्त (औसत % परिवर्तन)	-	-	4.5	3.6	3.4
II.2 सीपीआई- औद्योगिक श्रमिक (औसत % परिवर्तन)	5.0	10.3	4.1	3.1	5.4
II.3 थोक मूल्य सूचकांक (औसत % परिवर्तन)#	5.5	7.1	1.7	2.9	4.3
III. मुद्रा और ऋण					
III.1 आरक्षित मुद्रा (%परिवर्तन)	20.4	12.1	-12.9	27.3	14.5
III.2 व्यापक मुद्रा (एम3) (%परिवर्तन)	18.6	14.7	6.9	9.2	10.5
III.3 क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की समग्र जमाराशि (%परिवर्तन)	20.2	15.0	11.3	6.2	10.0
ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का बैंक ऋण (%परिवर्तन)	26.7	16.7	4.5	10.0	13.3
IV. वित्तीय बाजार					
IV.1 ब्याज दर (%)					
क) मांग/सूचना मुद्रा दर	5.6	7.2	6.2	5.9	6.3
ख) 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल	7.0	8.0	7.0	7.0	7.7
ग) 91-दिवसीय खजाना-बिलों पर प्रतिफल	-	-	6.4	6.2	6.6
घ) केंद्र सरकार के उधार पर भारत औसत लागत	-	-	7.2	7.0	7.4
ड.) वाणिज्यिक पत्र	7.7	8.4	7.4	7.0	7.6
च) जमाराशि प्रमाणपत्र##	8.9	8.2	6.9	6.6	7.3
IV.2 चलनिधि (₹ बिलियन)					
क) बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)	-	-	3,140.7	-574.8	-1,482.1
ख) बकाया बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस)^^	-	-	0.0	0.0	0.0
ग) माँग मुद्रा बाजार का औसत दैनिक कारोबार	184.9	255.3	306.0	282.1	364.5
घ) सरकारी प्रतिभूति बाजार का औसत दैनिक कारोबार###	77.1	241.4	829.9	537.7	432.9
ड.) परिवर्ती रिपो दर [§]	-	-	129.9	2,622.1	1,639.0
च) परिवर्ती रिवर्स रिपो दर [§]	-	-	2,032.0	153.1	0.0
छ) मार्जिनल स्थायी सुविधा [§]	-	-	19.3	525.9	942.6
V. सरकारी वित्त*					
V.1 केंद्र सरकार के वित्त (जीडीपी का %)					
क) राजस्व प्राप्तियों	10.0	9.2	8.9	8.4	8.2
ख) पूंजी लागत	1.6	1.6	1.6	1.4	1.5
ग) कुल व्यय	14.9	15.0	12.9	12.5	12.2
घ) सकल राजकोषीय घाटा	3.7	5.4	3.5	3.5	3.4
V.2 राज्य सरकार के वित्त ^{§&}					
क) राजस्व घाटा (जीडीपी का %)	0.4	0.0	0.3	0.2	0.1
ख) सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	2.7	2.2	3.5	2.2	2.7
ग) प्राथमिक घाटा (जीडीपी का %)	0.3	0.6	1.8	0.6	1.1

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 1: समष्टि आर्थिक और वित्तीय संकेतक (समाप्त)

मद	औसत 2003-04 से 2007-08 (5 वर्ष)	औसत 2009-10 से 2013-14 (5 वर्ष)	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6
VI. बाह्य क्षेत्र					
VI.1 भुगतान संतुलन					
क) पण्य निर्यात (% परिवर्तन)	25.3	12.2	5.2	10.3	9.1
ख) पण्य आयात (% परिवर्तन)	32.3	9.7	-1.0	19.5	10.3
ग) व्यापार शेष/जीडीपी (%)	-5.5	-9.1	-4.9	-6.0	-6.6
घ) अदृश्य शेष/जीडीपी (%)	5.2	5.8	4.3	4.2	4.5
ज) चालू खाता शेष/जीडीपी (%)	-0.3	-3.3	-0.6	-1.8	-2.1
च) निवल पूंजीगत प्रवाह/जीडीपी (%)	4.7	3.8	1.6	3.4	2.0
छ) रिज़र्व परिवर्तन [(बीओपी आधार पर) (बिलियन अमरीकी\$)] [(वृद्धि(-)/कमी (+))]	-40.3	-6.6	-21.6	-43.6	3.3
VI.2 बाह्य ऋण सूचकांक					
क) बाह्य ऋण स्टाक (बिलियन अमरीकी\$)	156.5	359.0	471.0	529.3	543.0
ख) ऋण- जीडीपी अनुपात (%)	17.8	20.9	19.9	20.1	19.7
ग) रिज़र्व का आयात कवर (महीनों में)	14.0	8.5	11.3	10.9	9.6
घ) कुल ऋण की तुलना में अल्पावधि ऋण (%)	13.6	21.3	18.7	19.3	20.0
ज) ऋण सेवा अनुपात (%)	8.3	5.6	8.3	7.5	6.4
च) रिज़र्व की तुलना में ऋण (%)	113.7	84.8	78.5	80.2	76.0
VI.3 उदारता सूचकांक (%)					
क) वस्तुओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	30.7	41.0	29.4	29.3	31.4
ख) वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात/जीडीपी	41.3	53.2	40.7	41.1	43.7
ग) चालू प्राप्ति और चालू भुगतान/जीडीपी	47.1	59.4	46.2	46.5	49.5
घ) सकल पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह/जीडीपी	37.3	50.4	46.5	45.1	37.9
ज) चालू प्राप्ति और भुगतान और पूंजी प्राप्ति और भुगतान/ जीडीपी	84.4	109.8	92.7	91.6	87.4
VI.4 विनिमय दर सूचकांक					
क) विनिमय दर (रुपये/ अमरीकी डालर) अवधि के अंत में औसत	43.1 44.1	51.1 51.2	64.8 67.1	65.0 64.5	69.2 69.9
ख) 36-मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	3.1 [^]	0.8	2.2	4.5	-4.8
ग) 36-मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.7 [^]	-4.9	-0.1	3.1	-5.6
घ) 6- मुद्रा आरईईआर (% परिवर्तन)	4.4 [^]	1.9	2.0	3.2	-5.8
ज) 6- मुद्रा एनईईआर (% परिवर्तन)	1.6 [^]	-5.4	-1.0	1.6	-7.1

- : उपलब्ध नहीं।

* : डाटा 2011-12 के आधार पर है।

** : 2003-04 से 2007-08 और 2009-10 से 2013-14 तक औसत डाटा 2011-12 के आधार वर्ष पर जुड़ा हुआ है। 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए डाटा 2011-12 के आधार वर्ष के नई श्रृंखला पर आधारित है।

: थोक मूल्य सूचकांक के वार्षिक डाटा के लिए आधार वर्ष 2011-12 है और 5 वर्ष की मुद्रास्फीति की औसत के लिए आधार वर्ष 2004-05= 100

: कालम 2 से संबंधित डाटा 13 अप्रैल 2007 से 28 मार्च 2008 पर आधारित है।

: केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में आउटराइट व्यापार टर्नओवर (कैलेंडर दिनों पर आधारित) है।

~ : 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया चलनिधि समायोजन सुविधा (ऋणात्मक चिन्ह अन्तर्वेशन दर्शाते है)।

~~ : वित्तीय वर्ष के अंतिम शुक्रवार तक का बकाया।

\$: 31 मार्च तक का बकाया।

& : 2018-19 के लिए डाटा अनंतिम लेखा से संबंधित है।

&& : 2017-18 से आगे का डाटा अनंतिम है और 27 राज्यों के बजट से संबंधित हैं।

^ : 2005-06 से 2007-08 की अवधि का औसत।

टिप्पणी : वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सीपीआई (संयुक्त) पर आधारित है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन एस ओ), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, केंद्र और राज्य सरकार के श्रम ब्यूरो और बजट दस्तावेज़।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 2: वास्तविक सकल देशी उत्पाद की
वृद्धि दरें और संरचना
(2011-12 की मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

क्षेत्र	वृद्धि दर				शेयर		
	औसत 2013-14 से 2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल देशी उत्पाद के व्यय का हिस्सा							
1. निजी अंतिम खपत व्यय	7.6	8.2	7.4	8.1	56.1	56.3	56.9
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	7.6	5.8	15.0	9.2	9.7	10.5	10.7
3. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	6.4	8.3	9.3	10.0	30.8	31.4	32.3
4. स्टॉक में परिवर्तन	6.9	-48.2	21.2	4.8	1.0	1.1	1.1
5. मूल्यवान वस्तुएं	-3.0	-18.9	27.4	-9.0	1.2	1.5	1.2
6. निवल निर्यात	-32.7	7.2	-263.1	-31.0	-1.1	-3.6	-4.4
क) निर्यात	4.4	5.1	4.7	12.5	20.3	19.8	20.8
ख) कम आयात	4.0	4.4	17.6	15.4	21.3	23.4	25.3
7. विसंगतियाँ	-61.2	239.7	42.3	-21.8	2.2	2.9	2.1
8. सकल देशी उत्पाद	7.3	8.2	7.2	6.8	100.0	100.0	100.0
जीवीए पर बेसिक मूल्य (आपूर्ति का हिस्सा)							
1. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन	3.4	6.3	5.0	2.9	15.2	14.9	14.4
2. उद्योग	7.5	8.3	6.1	6.2	23.4	23.2	23.1
जिसमें से :							
क) खनन और उत्खनन	6.0	9.5	5.1	1.3	3.1	3.0	2.9
ख) विनिर्माण	7.8	7.9	5.9	6.9	18.2	18.0	18.0
ग) बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	6.9	10.0	8.6	7.0	2.2	2.2	2.2
3. सेवाएं	8.0	8.1	7.8	7.7	61.4	61.9	62.5
जिसमें से :							
क) विनिर्माण	5.2	6.1	5.6	8.7	8.1	8.0	8.2
ख) व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधी सेवाएं	8.1	7.7	7.8	6.9	19.0	19.1	19.1
ग) वित्तीय, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	9.2	8.7	6.2	7.4	22.0	21.9	22.1
घ) सरकारी प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	8.0	9.2	11.9	8.6	12.3	12.9	13.1
4. जीवीए पर बेसिक मूल्य	7.1	7.9	6.9	6.6	100.0	100.0	100.0

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ)

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 3ए: सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5
I. सकल बचत	31.6	30.5	29.9	30.1
1.1 गैर-वित्तीय निगम	11.1	12.0	11.6	12.0
1.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.0	1.1	1.1	1.4
1.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	10.1	10.9	10.5	10.6
1.2 वित्तीय निगम	2.7	2.1	2.2	2.1
1.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.3	1.3	1.3	1.3
1.2.2 निजी वित्तीय निगम	1.3	0.8	0.8	0.9
1.3 सामान्य सरकार	-1.4	-1.2	-0.8	-0.9
1.4 हाउसहोल्ड क्षेत्र	19.2	17.6	16.9	17.0
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	6.9	7.9	6.2	6.5
मेमो: सकल वित्तीय बचत	9.9	10.7	9.2	10.8
1.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	11.9	9.4	10.3	10.2
1.4.3 मूल्यवान वस्तुओं में बचत	0.4	0.3	0.3	0.2

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय।

टिप्पणी : हाउस होल्ड क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत की गणना वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत तथा वित्तीय देयताओं के बीच के अंतर से की गई है।

स्रोत : एनएसओ।

परिशिष्ट सारणी 3 बी : हाउसहोल्ड क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएन डीआई का प्रतिशत)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8
ए. सकल वित्तीय बचत	10.4	10.5	10.4	9.9	10.7	9.2	10.8
जिसमें:							
1. मुद्रा	1.2	1.1	0.9	1.0	1.4	-2.0	—
2. जमाराशियां	6.0	6.0	5.8	4.8	4.6	6.3	—
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	—
4. सरकारी दावे	-0.2	-0.1	0.2	0.0	0.5	0.4	—
5. बीमा निधि	2.2	1.8	1.8	2.4	1.9	2.3	—
6. भविष्य और पेंशन निधियाँ	1.1	1.5	1.5	1.5	2.1	2.0	—
बी. वित्तीय देयताएँ	3.2	3.2	3.1	3.0	2.7	3.0	4.3
सी. निवल वित्तीय बचत (ए -बी)	7.2	7.2	7.2	6.9	7.9	6.2	6.5

जीएनडीआई : सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय; — : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : 1. आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण कुल तक नहीं जोड़ा गया है।

2. 2016-17 के पहला संशोधित अनुमानों के अनुसार सकल वित्तीय बचत के घटकों से संबंधित डाटा।

स्रोत : 2017-18 के पहले संशोधित अनुमान, एन एस ओ

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 4: मुद्रास्फीति, मुद्रा और ऋण

(प्रतिशत)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय)#	मुद्रास्फीति								
	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	5.0	3.6	3.0	4.0	3.6	3.9	4.5	3.6	3.4
खाद्य और पेय	4.7	2.4	0.7	3.9	1.8	0.7	4.4	2.2	0.7
आवास	-	-	-	5.2	6.5	6.7	5.2	6.5	6.7
ईंधन और बिजली	4.6	6.5	6.0	1.0	5.6	5.2	3.3	6.2	5.7
विविध	5.1	4.3	6.3	3.7	3.1	5.4	4.5	3.8	5.8
खाद्य और ईंधन को छोड़कर	5.5	4.7	5.7	4.3	4.6	5.9	4.8	4.6	5.8
अन्य मूल्य सूचकांक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1. थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)*									
सभी वस्तुएँ	9.6	8.9	7.4	5.2	1.3	-3.7	1.7	2.9	4.3
प्राथमिक वस्तुएँ	17.7	9.8	9.8	9.8	2.2	-0.4	3.4	1.4	2.7
जिनमें से : खाद्य वस्तुएँ	15.6	7.3	9.9	12.3	5.6	2.6	4.0	2.1	0.3
ईंधन और ऊर्जा	12.3	14.0	10.3	7.1	-6.1	-19.7	-0.3	8.2	11.5
विनिर्मित उत्पाद	5.7	7.3	5.4	3.0	2.6	-1.8	1.3	2.7	3.7
खाद्यान्न से इतर विनिर्मित उत्पाद	6.1	7.3	4.9	2.7	2.7	-1.8	-0.1	3.0	4.2
2. सीपीआई- औद्योगिक कामगार (आईडब्ल्यू) (2001=100)	10.4	8.4	10.4	9.7	6.3	5.6	4.1	3.1	5.4
जिनमें से : सीपीआई-आईडब्ल्यू खाद्यान्न	9.9	6.3	11.9	12.3	6.5	6.1	4.4	1.5	0.6
3. सीपीआई- कृषि श्रमिक (1986-87=100)	10.0	8.2	10.0	11.6	6.6	4.4	4.2	2.2	2.1
4. सीपीआई- ग्रामीण श्रमिक (1986-87=100)	10.0	8.3	10.2	11.5	6.9	4.6	4.2	2.3	2.2
	मुद्रा और ऋण								
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आरक्षित मुद्रा (आरएम)	19.1	3.6	6.2	14.4	11.3	13.1	-12.9	27.3	14.5
संचलन में मुद्रा	18.8	12.4	11.6	9.2	11.3	14.9	-19.7	37.0	16.8
आरबीआई के पास बैंकों की जमाराशियाँ	20.2	-15.9	-10.0	34.0	8.3	7.8	8.4	3.9	6.4
मुद्रा-जीडीपी अनुपात [§]	12.4	12.2	12.0	11.6	11.6	12.1	8.7	10.7	11.2
संकीर्ण मुद्रा (एम1)	10.0	6.0	9.2	8.5	11.3	13.5	-3.9	21.8	13.6
व्यापक मुद्रा (एम3)	16.1	13.5	13.6	13.4	10.9	10.1	6.9	9.2	10.5
मुद्रा - जमा अनुपात	16.3	16.1	15.7	15.1	15.2	16.0	11.0	14.4	15.4
मुद्रा गुणक (अनुपात) ^{##}	4.7	5.2	5.5	5.5	5.5	5.3	6.7	5.8	5.6
जीडीपी/एम ₃ अनुपात ^{##}	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक									
कुल जमाराशियाँ	15.9	13.5	14.2	14.1	10.7	9.3	11.3	6.2	10.0
बैंक ऋण	21.5	17.0	14.1	13.9	9.0	10.9	4.5	10.0	13.3
खाद्येतर ऋण	21.3	16.8	14.0	14.2	9.3	10.9	5.2	10.2	13.3
ऋण-जमा अनुपात	75.7	78.0	77.9	77.8	76.6	77.7	72.9	75.5	77.7
ऋण-जीडीपी अनुपात [§]	51.6	52.8	52.9	53.4	52.4	52.6	51.0	50.5	51.4

: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय) के लिए आधार 2012=100 है।

- : आवास के लिए सीपीआई ग्रामीण को समेकित नहीं किया है।

* : थोक मूल्य सूचकांक के लिए 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के लिए आधार 2004-05= 100 और 2013-14 से 2018-19 तक के अवधि के लिए आधार 2011-12=100 है।

^ : 1 अप्रैल 2016 की तुलना में 31 मार्च 2017 की आरक्षित मुद्रा और उसके घटक।

\$: जीडीपी डाटा के लिए आधार 2011-12 है। ##: अनुपात।

टिप्पणी: जब तक विशिष्ट रूप से सूचित नहीं किया जाता अन्यथा वर्ष-दर-वर्ष आंकड़ों के प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, एनएसओ, श्रम ब्यूरो और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 5: प्राथमिक एवं द्वितीयक - पूंजी बाजार

(राशि ₹ बिलियन में)

मर्दे	2017-18		2018-19 अ	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5
I. प्राथमिक बाजार				
ए. विवरण-पत्र एवं अधिकार-पत्र निर्गम				
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	221	729.5	154	534.3
क) वित्तीय	20	360.6	31	443.5
ख) गैर-वित्तीय	201	368.9	123	90.8
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख+ग)	8	371.9	4	14.8
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	4	69.4	4	14.8
ख) सरकारी कंपनियां
ग) बैंक/वित्तीय संस्थाएं	4	302.5
3. कुल (1+2, i+ii, क+ख)	229	1,101.4	158	549.1
लिखत के प्रकार				
(i) इक्विटी	222	1,051.9	133	182.3
(ii) ऋण	7	49.5	25	366.8
जारीकर्ता के प्रकार				
(क) आई.पी.ओ.	200	837.8	123	160.8
(ख) सूचीबद्ध	29	263.6	35	388.3
बी. यूरो निर्गम (ए.डी.आर एवं.जी.डी.आर.)	1.0	127.7
सी. निजी स्थानन				
1. निजी क्षेत्र (क+ख)	2,366	4,472.9	2,158	3,895.6
क) वित्तीय	1,723	3,407.4	1,907	2,735.2
ख) गैर-वित्तीय	643	1,065.5	251	1,160.4
2. सार्वजनिक क्षेत्र (क+ख)	203	2,291.1	148	2,343.1
क) वित्तीय	162	1,894.8	120	1,999.0
ख) गैर-वित्तीय	41	396.3	28	344.1
3. (1+2, i+ii)	2,569	6,764.0	2,306	6,238.7
(i) इक्विटी	56	693.8	14	102.9
(ii) ऋण	2,513	6,070.2	2,292	6,135.8
डी. अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन	53	672.4	14	102.9
ई. म्यूच्युअल फंड संग्रहण (निवल)#		2,718.0		1,097.0
1. निजी क्षेत्र		2,284.7		615.0
2. सार्वजनिक क्षेत्र		433.3		482.0
II. द्वितीयक बाजार				
बीएसई				
बीएसई सूचकांक: समाप्ति-अवधि	32,968.7		38,672.9	
अवधि का औसत	32,396.8		35,971.8	
कीमत अर्जन अनुपात@	22.7		28.0	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)	83.2		79.3	
नकदी खंड का कुल कारोबार		10,829.7		7,755.9
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		32.6		22.5
एनएसई				
एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी:समाप्ति-अवधि	10,113.7		11,623.9	
अवधि का औसत	10,030.1		10,859.5	
कीमत अर्जन अनुपात@	24.7		29.0	
जीडीपी अनुपात की तुलना में बाजार पूंजीकरण (%)	82.2		78.4	
नकदी खंड का कुल कारोबार		72,348.3		79,490.0
व्युत्पन्नी खंड का कुल कारोबार		16,49,848.6		23,76,007.1

...: कुछ नहीं; अ: अनंतिम; #: निवल मोचन @: समाप्त अवधि तक

स्रोत: सेबी, एनएसई, बीएसई, सीएसओ और विभिन्न वाणिज्यिक बैंकर।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 6: मुख्य राजकोषीय संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं [@]	बकाया देयताएं [§]
1	2	3	4	5	6	7
केंद्र						
1990-91	4.0	3.2	-0.5	7.7	54.6	60.6
1995-96	0.8	2.5	-1.7	5.0	50.3	58.3
2000-01	0.9	4.0	-0.7	5.6	54.6	60.4
2009-10	3.2	5.3	2.0	6.6	55.4	57.3
2010-11	1.8	3.3	0.2	4.9	51.6	53.2
2011-12	2.8	4.5	1.4	5.9	51.7	53.5
2012-13	1.8	3.7	0.5	4.9	51.0	52.5
2013-14	1.1	3.2	-0.2	4.5	50.5	52.2
2014-15	0.9	2.9	-0.3	4.1	50.1	51.4
2015-16	0.7	2.5	-0.7	3.9	50.1	51.5
2016-17	0.4	2.1	-1.1	3.5	48.4	49.6
2017-18	0.4	2.6	-0.5	3.5	48.2	49.5
2018-19 (सं.अ.) [#]	0.2	2.2	-0.9	3.3	47.6	49.0
2018-19 (अ.ले.)	0.3	2.3	-0.7	3.4
2019-20 (ब.अ.)	0.2	2.3	-0.8	3.3	46.8	47.9
राज्य*						
1990-91	1.8	0.9	-0.6	3.3	22.2	22.2
1995-96	0.7	0.7	-1.1	2.6	20.7	20.7
2000-01	1.7	2.6	0.2	4.1	27.8	27.8
2009-10	1.2	0.5	-1.3	3.0	25.9	25.9
2010-11	0.5	0.0	-1.7	2.1	24.0	24.0
2011-12	0.4	-0.3	-1.8	1.9	22.8	22.8
2012-13	0.5	-0.2	-1.7	2.0	22.2	22.2
2013-14	0.7	0.1	-1.4	2.2	22.0	22.0
2014-15	1.1	0.4	-1.2	2.6	21.7	21.7
2015-16	1.5	0.0	-1.5	3.1	23.4	23.4
2016-17	1.8	0.3	-1.4	3.5	24.8	24.8
2017-18	0.6	0.2	-1.4	2.2	23.7	23.7
2018-19 (सं.अ.)	1.1	0.1	-1.4	2.7	23.6	23.6
2019-20 (ब.अ.)	0.9	0.1	-1.5	2.4	23.7	23.7
संयुक्त*						
1990-91	5.0	4.1	-0.2	9.3	64.0	70.1
1995-96	1.5	3.1	-1.8	6.4	60.4	68.5
2000-01	3.5	6.5	0.7	9.3	69.2	75.0
2009-10	4.6	5.8	0.9	9.5	70.0	71.8
2010-11	2.4	3.3	-1.3	7.0	65.3	66.9
2011-12	3.3	4.2	-0.3	7.8	65.6	67.4
2012-13	2.3	3.5	-1.1	6.9	65.1	66.7
2013-14	1.9	3.3	-1.5	6.7	65.4	67.1
2014-15	2.0	3.3	-1.4	6.7	65.2	66.6
2015-16	2.2	2.5	-2.2	6.9	67.1	68.5
2016-17	2.2	2.3	-2.4	6.9	67.7	68.8
2017-18	1.0	2.8	-1.9	5.7	66.9	68.2
2018-19 (सं.अ.)	1.3	2.3	-2.3	5.9	66.8	68.1
2019-20 (ब.अ.)	1.1	2.4	-2.3	5.7	66.6	67.7

... : उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान। अ.ले.: अनंतिम लेखा। ब.अ.: बजट अनुमान।

@ : केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना परंपरागत विनिमय दर पर की गई है।

§ : केंद्र की बाह्य देयताएं इसमें शामिल हैं जिसकी गणना वर्तमान विनिमय दर पर की गई है।

कालम 6 और 7 में दर्शाए गए आंकड़े संबंधित वर्ष के मार्च अंत तक के बकाया आंकड़ों को दर्शाते हैं।

* : 2017-18 से आगे का डाटा अनंतिम है और 27 राज्यों के बजट से संबंधित है।

: किसी भी वर्ष के लिए अद्यतन जीडीपी डाटा का इस्तेमाल करने के सिद्धांत पर चलते हुए 2018-19 (आर ई) के लिए इस्तेमाल में लाया गया जीडीपी अद्यतन उपलब्ध अनंतिम पूर्व अनुमान है (31 मई 2019 को जारी)। इसे देखते हुए , इस सारणी में दिए गए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतक कभी कभी सघीय बजट दस्तावेज में रिपोर्ट किए गए संकेतकों से भिन्न हो सकते हैं।

नोट: 1. समेकित घाटा/देयता संकेतकों पर आंकड़े केंद्र और राज्य सरकार के बीच अंतर-सरकारी लेनदेन के निवल हैं (अर्थात् क) राज्य सरकार के विशेष प्रतिभूतियों में एनएसएसएफ निवेश ख) केन्द्र से राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण और अग्रिम और ग) केंद्र सरकार के खजाना बिलों में राज्य सरकार के निवेश।

2. नकारात्मक चिह्न (-) घाटा सूचकों में अधिशेष का संकेतक है।

3. इस सारणी में प्रयुक्त जीडीपी आंकड़े 2011-12 आधार वर्ष के हैं , जोकि अद्यतन उपलब्ध अनुमान है।

4. सघीय बजट 2019-10 के अनुसार केंद्र सरकार की देयताओं में उन बजट से परे संसाधनों को शामिल नहीं किया गया है जो 2018-19(आरई) की समाप्ति पर रुपए 885 बिलियन थो बर्ष 2019-10 (बीई) में इस संबंध में अतिरिक्त देयताएँ अनुमानित रुपए 570 बिलियन हैं।

स्रोत : केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज। सरकारी कर्ज पर प्रस्थिति खर्च, 2017-18 और वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए लोक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 7: केंद्र और राज्य सरकारों की
संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (सं.अ)	2019-20 (ब.अ)
1	2	3	4	5	6	7
1 कुल संवितरण	32,852.1	37,606.1	42,659.7	43,037.3	52,228.7	57,856.8
1.1 विकासाल्मक	18,720.6	22,012.9	25,379.1	24,829.5	31,239.3	34,496.5
1.1.1 राजस्व	14,830.2	16,682.5	18,784.2	19,211.6	23,882.8	26,810.8
1.1.2 पूंजी	3,322.6	4,120.7	5,012.1	4,831.5	6,405.4	6,814.4
1.1.3 ऋण	567.8	1,209.7	1,582.8	786.4	951.1	871.3
1.2 अविकासाल्मक	13,667.7	15,108.1	16,726.5	17,535.3	20,188.7	22,446.9
1.2.1 राजस्व	12,695.2	13,797.3	15,552.4	16,846.0	19,369.4	21,374.2
1.2.1.1 ब्याज का भुगतान	5,845.4	6,480.9	7,244.5	7,957.0	8,808.5	9,841.5
1.2.2 पूंजी	946.9	1,273.1	1,157.7	676.9	807.3	1,056.5
1.2.3 ऋण	25.6	37.8	16.3	12.4	12.0	16.3
1.3 अन्य	463.8	485.1	554.2	672.5	800.7	913.3
2 कुल प्राप्तियाँ	31,897.4	37,780.5	42,884.3	43,119.7	50,765.4	57,226.7
2.1 राजस्व प्राप्तियाँ	23,876.9	27,483.7	31,322.0	31,944.1	39,685.8	44,121.9
2.1.1 कर प्राप्तियाँ	20,207.3	22,971.0	26,221.5	28,455.6	33,649.3	37,508.1
2.1.1.1 वस्तुओं और सेवाओं पर कर	12,123.5	14,409.5	16,523.8	17,468.6	20,688.5	22,719.6
2.1.1.2 आय और संपत्ती पर कर	8,051.8	8,522.7	9,656.2	10,956.1	12,932.7	14,746.6
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र के कर (बिना विधायन के)	32.0	38.8	41.5	30.9	28.1	41.8
2.1.2 कर से इतर प्राप्तियाँ	3,669.7	4,512.7	5,100.6	3,488.5	6,036.6	6,613.9
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियाँ	396.2	357.8	332.2	335.9	361.9	329.9
2.2 ऋण से इतर पूंजी प्राप्तियाँ	609.5	598.3	690.6	1,416.0	1,266.2	1,671.1
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	220.7	165.6	209.4	413.8	463.8	601.8
2.2.2 विनिवेश प्राप्तियाँ	388.8	432.7	481.2	1,002.2	802.4	1,069.3
3 सकल राजकोषीय घाटा [1 - (2.1 + 2.2)]	8,365.6	9,524.1	10,647.0	9,677.2	11,276.6	12,063.8
3ए वित्तपोषण के स्रोत: संस्थावार						
3ए.1 घरेलू वित्तपोषण	8,236.3	9,396.6	10,467.1	9,597.9	11,325.6	12,093.3
3ए.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	-374.8	2,310.9	6,171.2	1,447.9	3,863.9	...
3ए.1.1.1 सरकार को आरबीआई का निवल ऋण	-3,341.9	604.7	1,958.2	-1,448.5	3,259.9	...
3ए.1.2 सरकार को बैंक से इतर ऋण	8,611.1	7,085.7	4,295.8	8,150.0	7,461.7	...
3ए.2 बाह्य वित्त पोषण	129.3	127.5	180.0	79.3	-48.9	-29.5
3बी वित्तपोषण के स्रोत: लिखतवार						
3बी.1 घरेलू वित्तपोषण	8,236.3	9,396.6	10,467.1	9,597.9	11,325.6	12,093.3
3बी.1.1 बाजार से उधार (निवल)	6,640.6	6,733.0	6,898.2	7,948.6	8,315.5	9,592.9
3बी.1.2 अल्प बचत (निवल)	-565.8	-785.1	-1,050.4	-1,632.2	-2,171.7	-2,085.3
3बी.1.3 राज्य भविष्य निधि (निवल)	343.4	352.6	456.9	423.5	427.0	424.8
3बी.1.4 आरक्षित निधि	51.1	-33.2	-64.4	184.2	-145.8	-8.7
3बी.1.5 जमा राशि और अग्रिम	275.5	134.7	177.9	251.4	160.1	137.1
3बी.1.6 नकदी शेष	954.7	-174.4	-224.6	-82.4	1,463.3	630.1
3बी.1.7 अन्य	536.8	3,169.1	4,273.4	2,504.9	3,277.0	3,402.4
3बी.2 बाह्य वित्तपोषण	129.3	127.5	180.0	79.3	-48.9	-29.5
4 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल संवितरण	26.3	27.3	27.8	25.2	27.5	27.4
5 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियाँ	25.6	27.4	27.9	25.2	26.7	27.1
6 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ	19.2	20.0	20.4	18.7	20.9	20.9
7 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियाँ	16.2	16.7	17.1	16.6	17.7	17.8
8 जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	6.7	6.9	6.9	5.7	5.9	5.7

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ: संशोधित अनुमान। ब.अ.: बजट अनुमान।

टिप्पणी : वर्ष 2017-18 से संबंधित जीडीपी डाटा 27 राज्यों से संबंधित है। जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर आधारित है।

स्रोत : केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

परिशिष्ट सारणी

परिशिष्ट सारणी 8: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 P
1	2	3	4	5	6
ए. चालू खाता					
1. निर्यात, एफ.ओ.बी.	3,16,545	2,66,365	2,80,138	3,08,970	3,37,237
2. आयात, सी.आई.एफ.	4,61,484	3,96,444	3,92,580	4,69,006	5,17,519
3. व्यापार शेष	-1,44,940	-1,30,079	-1,12,442	-1,60,036	-1,80,283
4. अदृश्य मर्दे, निवल	1,18,081	1,07,928	98,026	1,11,319	1,23,026
क) 'गैर कारक' सेवाएं जिसमें से:	76,529	69,676	68,345	77,562	81,941
सॉफ्टवेयर सेवाएं	70,400	71,454	70,763	72,186	77,654
ख) आय	-24,140	-24,375	-26,302	-28,681	-28,861
ग) निजी अंतरण	66,264	63,139	56,573	62,949	70,601
5. चालू खाता शेष	-26,859	-22,151	-14,417	-48,717	-57,256
बी. पूंजी खाता					
1. विदेशी निवेश, निवल (क+ख)	73,456	31,891	43,224	52,401	30,094
क) प्रत्यक्ष निवेश	31,251	36,021	35,612	30,286	30,712
ख) संविभाग निवेश	42,205	-4,130	7,612	22,115	-618
2. बाह्य सहायता, निवल	1,725	1,505	2,013	2,944	3,413
3. वाणिज्यिक उधारियां, निवल	1,570	-4,529	-6,102	-183	10,416
4. अल्पावधि ऋण, निवल	-111	-1,610	6,467	13,900	2,021
5. बैंकिंग पूंजी जिसमें से:	11,618	10,630	-16,616	16,190	7,433
अनिवासी जमाराशियाँ, निवल	14,057	16,052	-12,367	9,676	10,387
6. रुपया ऋण सेवाएं	-81	-73	-99	-75	-31
7. अन्य पूंजी, निवल ^१	1,109	3,315	7,559	6,213	1,057
8. कुल पूंजी खाता	89,286	41,128	36,447	91,390	54,403
सी. भूल-चूक	-1,021	-1,073	-480	902	-486
डी. समग्र शेष [अ(5)+ आ(8)+इ]	61,406	17,905	21,550	43,574	-3,339
ई. मौद्रिक गतिविधियाँ (ऊ+ए)	-61,406	-17,905	-21,550	-43,574	3,339
एफ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, निवल	0	0	0	0	0
जी. भंडार और मौद्रिक स्वर्ण (वृद्धि -, कमी +)	-61,406	-17,905	-21,550	-43,574	3,339
जिसमें से: एसडीआर आवंटन	0	0	0	0	0
मेमो: जीडीपी अनुपात के अनुसार					
1. व्यापार संतुलन	-7.1	-6.2	-4.9	-6.0	-6.6
2. निवल सेवाएं	3.8	3.3	3.0	2.9	3.0
3. निवल आय	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-1.1
4. चालू खाता शेष	-1.3	-1.1	-0.6	-1.8	-2.1
5. पूंजी निवल	4.4	2.0	1.6	3.4	2.0
6. विदेशी निवेश, निवल	3.6	1.5	1.9	2.0	1.1

अ : अनंतिम।

\$: इसमें देरी से प्राप्त निर्यात रसीदें, आयात के लिए अग्रिम भुगतान, विदेश में धारित निवल निधियां और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम के लंबित मामलें।

टिप्पणी : 1. वापस लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाये गये सोना तथा चाँदी को आयात के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसकी प्रति प्रविष्टि निजी अंतरण प्राप्ति में की गई है।

2. निर्यात और आयात के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जिसका कारण कवरेज, मूल्यांकन और समय में अंतर होना है।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

वार्षिक रिपोर्ट

परिशिष्ट सारणी 9: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह :
देश-वार और उद्योग-वार

(मिलियन अमेरिकी डालर)

स्रोत/उद्योग	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 अ
1	2	3	4	5	6
कुल एफडीआई	24,748	36,068	36,317	37,366	38,744
देश-वार अंतर्वाह					
सिंगापुर	5,137	12,479	6,529	9,273	14,632
मॉरीशस	5,878	7,452	13,383	13,415	6,570
यू.एस.ए.	1,981	4,124	2,138	1,973	2,823
जापान	2,019	1,818	4,237	1,313	2,745
नीदरलैंड्स	2,154	2,330	3,234	2,677	2,519
यूनाइटेड किंगडम	1,891	842	1,301	716	1,211
दक्षिणी कोरिया	138	241	466	293	982
कैमन द्वीप	72	440	49	1,140	863
यू.ए.ई.	327	961	645	408	853
जर्मनी	942	927	845	1,095	817
हाँगकाँग	325	344	134	1,044	598
कनाडा	153	52	32	274	548
आयरलैंड	11	8	12	108	427
फ्रांस	347	392	487	403	375
ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स	30	203	212	21	290
स्विट्ज़रलैंड	292	195	502	506	280
लक्जमबर्ग	204	784	99	243	251
अन्य	2,846	2,476	2,012	2,464	1,959
क्षेत्र-वार अंतर्वाह					
विनिर्माण	9,613	8,439	11,972	7,066	7,919
वित्तीय सेवाएँ	3,075	3,547	3,732	4,070	6,372
संचार सेवाएँ	1,075	2,638	5,876	8,809	5,365
फुटकर व थोक व्यापार	2,551	3,998	2,771	4,478	4,311
कम्प्यूटर सेवाएँ	2,154	4,319	1,937	3,173	3,453
व्यापार सेवाएँ	680	3,031	2,684	3,005	2,597
विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं प्रेषण	1,284	1,364	1,722	1,870	2,427
निर्माण	1,640	4,141	1,564	1,281	2,009
विविध सेवाएँ	586	1,022	1,816	835	1,226
परिवहन	482	1,363	891	1,267	1,019
रेस्तरां व होटल	686	889	430	452	749
शिक्षा, अनुसंधान और विकास	131	394	205	347	736
खनन	129	596	141	82	247
स्थावर-संपदा क्रियाएँ	202	112	105	405	213
व्यापार	228	-	-	-	-
अन्य	232	215	470	226	102

अ: अन्तिम।

टिप्पणी: एफडीआई केवल अनुमोदन और स्वचालित मार्ग के माध्यम से शामिल है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।